अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10

(Science / विज्ञान)

05. Impact Of Increased And Unblanced Use Of Fertilisers On Soil Fertility With 12
The Advent Of Green Revolution In (M.P.) (Dr. Salil Udaipure)

06. Polarographic Behaviour Of Eriochrome Black-T On Dropping Mercury 15
Electrode (E.N. Nirapure , Dr. G.P. Sahu ,Dr. S.C. Lavale)

07. Physico - Chemical Characteristics Of River Berach At Chittorgarh, ... 17
Rajasthan (Poonam Shrimali)

08. Studies On The Effects Of Urbanization And Industrialisation On 19
The Concentration Of Pb^{+2} In Water, Soil And Vegetable Samples In The Heavy
Traffic Area And Low Lying Areas Of Hoshangabad Township (Dr. Salil Udaipure)

09. E-Waste and its effects 'Composition and Management' (Dr. Sunita Phadnis) 21

10. Common Fixed Point Theorem In Non-Archimedean Menger Pm-Spaces 24
(Khushal Devghare)

11. Treatment Strategies For Safe Water (Dr. Renu Rajesh) 28

12. Exotic Mouse Killer Plant Gliricidia Sepium Found In Dhar (M.P.) 31
(Prof. Nirbhay Singh Solanki, Prof. S. C. Mehta)

13. Ethnobotanical and Ethnomedicinal Uses of Floristic Diversity in Areas of 33
Dhar District in, MP India (Prof. Govind Waskel)

14. Conservation Of Certain Migratory Birds Found At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.) 35
(Vinay Kumar Rathore , P.K. Mishra)

15. Diversity of Land Snails of India (Dr. Reeta Solanki) 37

16. Conservation Of Certain Resident Birds Found At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.) 38
(Vinay Kumar Rathore, P.K. Mishra)

17. A Survey On Women Fish Sellers At Jabalpur (Madhya Pradesh) (Dr. Reeta Solanki) 40

18. Nesting, Egg Laying And Breeding Habitats Of Certain Migratory Birds Found 41
At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.) (Vinay Kumar Rathore, P.K. Mishra)

19. Treatment Of Acne Vulgaris By Homeopathic Medical System Through Textile 43
Based Products (Ankita Singh Rao)

(Home Science / गृह विज्ञान)

20. Impact of Counseling Upon Health & Quality of life of HIV Positive And Their Care-givers 45
of HIV Positive Patients In Haryana (Dr. Manik Samvatsar, Saroj Verma, Ravindra Prajapati)
21. Impact Of Length Of Marital Life On Stress Management Ability Of Housewives 48
(Mrs. Laxmi Deonani , Dr. Sandhya Verma , Dr. J.C. Ajawani)
22. Impact Of Perceived Family Environment Of Women On Stress Management 50
(Mrs. Prabha Verma , Dr. Sandhya Verma , Dr. J.C. Ajawani)
23. Views Of Teenagers & Parents On Impact Of Media In Teens (Dr. Suvidha , Priyanka Sharma) 52
24. Impact Of Education On Stress Management Ability Of Housewives 54
(Mrs. Laxmi Deonani , Dr. Sandhya Verma , Dr. J.C. Ajawani)
25. ग्रामीण महिला : स्वास्थ्य एवं पोषण असुरक्षा (डॉ. शशि प्रभा जैन, डॉ. गायत्री वर्मा) 56
26. मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के स्वास्थ्य स्तर पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव का अध्ययन 59
(डॉ. प्रगति देसाई, मेघा परमार)
27. कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन 62
(पूनम रानी, डॉ. मंजू दुबे)

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

28. Effect of Cost of Trading in Indian Stock Exchanges (Dr.Sanjay Agrawal) 64
29. Boom Time Ahead For Packaged Drinking Water Industries In India With Special Reference 68
To Indore (M.P.) (Dr. Prabhat Chopra)
30. The Study of the Social Projects of HUL (Dr. Pradeep Chaurasia) 72
31. Role Of Computer In Research (Dr. Vivek Kumar Patel, Rakesh Kumar Garg) 75
32. मानव संसाधन का विकास – शिक्षा (सीधी जिलें के संदर्भ में) (डॉ. विवेक कुमार पटेल, डॉ. पल्लवी मिश्रा) 77
33. उमरिया जिले की कोयला खदान कर्मचारियों का आवासीय प्रबंधन (राम जी गर्ग, डॉ. विवेक कुमार पटेल) 80
34. भारत में महिला उद्यमिता : समस्या एवं समाधान (डॉ. आरती मिश्रा, डॉ. रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी) 82
35. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कृषि पर प्रभाव(रतलाम जिले के विशेष संदर्भ में)(डॉ. मालसिंह चौहान) 84
36. उज्जैन संभाग की संरचनात्मक स्थिति एवं बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाए (डॉ.आर.के. माथुर, मोना कश्यप) 88
37. दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन बाजार से संबंधित समस्याऐं एवं सुझाव (डॉ. आर.के. माथुर , मोना कश्यप) 91
38. निजी बैंकों तथा सार्वजनिक बैंको के मानव संसाधन प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. कमल जैन, प्रो. रीना जैन) 94
39. दतिया जिले में रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्व–रोजगार योजना का क्रियान्वयन 96
(वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12) (डॉ. रतन सूर्यवंशी)
40. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास में उद्यमिता की भूमिका (डॉ. संजय पण्डित , कु. सोना सांक्ते) 99
41. शैक्षिक प्रबंधन में वाणिज्यीकरण का प्रभाव (डॉ. एच. एल. मरावी, डॉ. प्रीति बाला) 101
42. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम : एक अध्ययन (डॉ. सतीश माहेश्वरी, किशोर मोरे) 104
43. भारतीय बैंकिंग की स्थापना एवं विकास : एक अध्ययन (डॉ.सतीश माहेश्वरी, मदनमोहन विश्वकर्मा) 106

44. इंदिरा आवास योजना की प्रगति एवं नवप्रर्वतन : एक अध्ययन (डॉ. सतीश माहेश्वरी, मदनमोहन विश्वकर्मा) 108

(Economics / अर्थशास्त्र)

45. Naxalite Movement in India - Some Issues and Concerns (Dr. R.P. Saharia) 111
46. Role Of Skill Development In Madhya Pradesh (Dr J. K. Gujral) 115
47. चीनी उद्योग: तुलनात्मक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में) (डॉ. विजय प्रकाश मिश्रा) 118
48. कार्यकारी महिलाओं के कार्यस्थल सम्बन्धी तनाव को कम करने मे योग की भूमिका (एक सर्वेक्षण–इंदौर नगर) 123
(डॉ. लता जैन)
49. बालश्रम सामाजिक एवं आर्थिक समस्या (नाजिया शायमा) 126
50. मुरैना जिले में बेरोजगारी की दशा – दिशा (सरलेश मौर्य) 129
51. वैश्वीकरण का संस्कृतियो पर प्रभाव वैश्वीकरण एवं क्रियाशील देशो की चुनौतियाँ 132
(डॉ. आशा शुक्ला, डॉ.अरुण कुमार शुक्ला)
52. मध्यप्रदेश में किसानों का आर्थिक शोषण एवं आर्थिक शोषण को दूर करने के प्रयास व आवश्यकता (अदिति श्रीवास्तव) 135
53. भारत की बढ़ती जनसंख्या एवं घटता लिंगानुपात एक समस्या (डॉ. अर्चना शर्मा , डॉ.अर्चना आर्य) 137
54. भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका (बकील सिंह कौशल) 139
55. भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण (किरण अग्रवाल) 141
56. इंदिरा गांधी का आर्थिक चितंन (किरण अग्रवाल) 143
57. कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना एक मूल्यांकन 144
(अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में) (डॉ. अंजना जैन)
58. भारत में जनांकिकीय लाभांश (रावेन्द्र सिंह पटेल) 147
59. मध्यप्रदेश – आर्थिक परिदृश्य एवं गरीबी (नेहा चौरसिया) 150
60. दुग्ध की आवश्यकता तथा भारत में दुधारू पशुधन–एक अध्ययन (डॉ. कृष्णा अग्रवाल) 152
61. श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादकों पर प्रभाव (उज्जैन एवं इंदौर दुग्ध संघ के विशेष संदर्भ में) (डॉ. कृष्णा अग्रवाल) 154
62. रूपये का अवमूल्यन और वर्तमान आर्थिक परिस्थिति (प्रो. डी.एन. व्यास) 156

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

63. भारतीय संघ में राज्यों का पुनर्गठन एवं छोटे राज्यों की प्रासंगिकता (डॉ. श्रीकांत दुबे) 158
64. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और भारत पाक संबंध (कालांश19 मार्च 1998 से मई 2004) 160
(डॉ. अनिल कुमार जैन)
65. शिक्षा एवं महिलाएँ (विनोद कुमार शेण्डे) 163
66. राजनीति में महिलाओं का योगदान (तरूण कुमार शेण्डे) 165
67. प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की उपयोगिता वर्तमान सन्दर्भ में (डॉ. जे. के. संत) 167
68. भारत में संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारें (चुनौतियाँ और संभावनाएँ) (डॉ. अनिल कुमार जैन) 169

69. कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, समावेशीकरण संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण 171
(डॉ. लता धुपकरिया)
70. मध्यप्रदेश में लोकायुक्त (डॉ. अनिल कुमार जैन) 173
71. महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता एवं भ्रष्टाचार निवारण में भूमिका 175
(डॉ. आशा सिसोदिया, डॉ. शशि प्रभा जैन)

(History / इतिहास)

72. 19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का एक अध्ययन (डॉ. गीता सिंह, सुमन चौधरी) 177
73. जैव विविधता में ह्रास एवं नियंत्रण (डॉ. सुनीता शुक्ला) 180
74. बैतूल (म.प्र.) में ईको–टूरिज्म की संभावनाऐ (पी.के. मिश्रा, निशा मालवी) 182
75. नागेश्वर–मंदिर – बड़वाह (डॉ. मंगला ठाकुर) 185

(Geography / भूगोल)

76. जबलपुर जिले के कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. अजय तिवारी) 187

(Music/ संगीत)

77. संगीत एवं मीडिया (डॉ. नीरज राव) 190
78. आधुनिक शिक्षण पद्धति से संगीत शिक्षण (डॉ. नीरज राव) 192
79. भारतीय ललित कलाओं में संगीत का स्थान (डॉ. नीरज राव) 194

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

80. राजेन्द्र यादव (निबन्धकार के रुप में) (डॉ. प्रेमलता तिवारी) 196
81. भक्ति काव्य परम्परा के संत कबीरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व (डॉ. मधुमती नामदेव) 199
82. संत कबीर के मानवीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री) 203
83. जनसंचार एवं समाजीकरण (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री) 205
84. इक्कीसवीं सदी की भाषिक चुनौतियाँ (डॉ. अनिता सोनी) 207
85. नाट्य – सम्प्रेषण के रंगमंचीय आधार (डॉ. मीना डोनीवाल) 208
86. व्यंग्य विधा के सशक्त हस्ताक्षर : रवीन्द्रनाथ त्यागी (संतोष विश्नोई) 210
87. राजस्थानी लोकगाथाओं का सामाजिक–सांस्कृतिक वैशिष्ट्य (सरिता विश्नोई) 212
88. हिन्दी की पालकी में सवार 'वेब मीडिया' का कामधेनु – 'विज्ञापन' और उसके सामाजिक सरोकार 214
(डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू)
89. संसद से सड़क तक– धूमिल (डॉ. अनिता सोनी) 218
90. लडाई का जबरदस्त मोर्चा गांवों में ही हैं (श्रीमती राधा वास्केल) 220

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

91. Overtones of Denial and Assertion in Alice Walker's The Color Purple (Dr. Mamta Garg) 222
92. Ultra-Liberal Hypocrisy In Vijay Tendulkar's Plays (Ramlakhan Dhakar) 225
93. Kamala Das: In Quest of perfect conjugal Relationship (Dr. Ranjeeta Patidar) 227

(Law/ विधि)

94. Care and Protection of Old Age Persons in India : A Critical Legal Study 229
(Prof. Binayak Patnaik)
95. Going To Lokpal : A Path Of Corruption Free Society (Priti Pohekar) 232
96. बालश्रम– संवैधानिक, विधिक प्रावधान व व्यवहारिक मूल्यांकन (डॉ. संजयकुमार मिश्रा) 235
97. अनिवार्य शिक्षा– विधायी प्रयास व शिक्षा संबंधी राज्य के नियम (डॉ. संजयकुमार मिश्रा) 238
98. भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था (डॉ. आशीष रावल) 241

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

99. Comparative Study Of Body Composition Between Male & Female college level 243
players of Chhattisgarh (Dr. Ranjeet Singh Pawar, Yuwraj Shrivastava, Ganesh Khandekar)
100. जल क्रीड़ाओं में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 246
पुरुष खिलाड़ियों का योगदान (प्रशांत कुमार)

(Library / ग्रंथालय)

101. Cloud Libraries: A Novel Application Of Cloud Computing 249
(Singh Jayanti, Dewangan Pranjali)
102. शिक्षा और समाज के क्षेत्र में ग्रंथालयों का योगदान (कृष्णा घोष) 251

(Psychology / मनोविज्ञान)

103. खुशी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण (डॉ. भारती जोशी) 253

(Others / अन्य)

104. भारत एक सनातन सांस्कृतिक राष्ट्र (डॉ. नितिन सहारिया, डॉ. सुरेश कुमार विमल) 256
105. बुद्ध दर्शन और डॉ. अम्बेडकर (डॉ. पुष्पा शाक्या) 261
106. Government Initiatives To Promote Indian Small And Medium Enterprises (SME's) 263
In International Market (Dr. Anoop Kumar Vyas, Urvashi Verma)
107. A study on Water Users Associations in Samrat Ashok Sagar Project (R. N. Shrivastava) 265
108. Practicability of Gandhian Economics in Modern Era of Economic Development 269
(Dr. Pushpanjali Arya, Dr. Ashok Kumar)

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(02) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(03) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(05) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(06) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(09) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(11) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(12) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय .... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(16) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(18) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. शिव कुमार दुबे ..... प्राध्यापक, भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(20) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(22) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(24) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ... प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय कन्या महविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा ..... प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.पी. सहारीया ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तख्तपुर जिला,बिलासपुर (छ.ग.) भारत
(29) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(30) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्डरे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(31) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्याय, इंदौर (म.प्र.) भारत

****

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ..... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ..... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ..... नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ..... प्राचार्य, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ..... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. अशोका श्रीवास्तव .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर .... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ..... प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड ..... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी ..... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.के. मेहता ..... अध्यक्ष, रसायन एवं जैविक रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल ..... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय महिदपुर (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. मंजु दुबे ..... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ..... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(16) प्रो. डॉ. के.एल. जाट ..... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भौतिकी विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

नवीन शोध संसार की ओर से हार्दिक बधाई

Dr. A.K. Chaudhary (Prof. of Psychology) Govt. Meera College, Udaipur (Raj.) receiving Best Paper Award in IAAP International Conference at Ahemdabad 2014

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

**** विज्ञान संकाय ****

गणित:– ..... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एन.के. डबकरा**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. रवि कटारे, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. बी.के. दानगढ़,** समन्वयक राष्ट्रीय इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्र नीमच (म.प्र.)

वनस्पति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:– ..... **(1) प्रो.डॉ. आर.के. भट्ट,** प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

(3) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:– ..... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. वी. कुलश्रेष्ठ,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:– ..... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

**** वाणिज्य संकाय ****

वाणिज्य :– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. बी.एस. मक्कड़, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

**** प्रबंध संकाय ****

प्रबंध :– ..... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

**** व्यवसाय प्रशासन संकाय ****

व्यवसाय प्रशासन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

**** विधि संकाय ****

विधि:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

**** कला संकाय ****

अर्थशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. कमलेश श्रीवास्तव, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

राजनीति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)

समाजशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आशुतोष व्यास,** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.)
(2) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

हिन्दी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा (प्रोक्टर),** विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(3) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

अंग्रेजी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. प्रशांत मिश्रा**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

संस्कृत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मदनलाल पंवार,** पूर्व प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:– ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डी.डी. विश्वकर्मा, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

मनोविज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** सुभारती विश्व विद्यालय मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

✲✲✲ *गृह विज्ञान संकाय* ✲✲✲

आहार एवं पोषण विज्ञान:– .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:– ..... **(1) प्रो.डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो.डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:– ... **(1) प्रो.डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई कन्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो.डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

✲✲✲ *शिक्षा संकाय* ✲✲✲

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

✲✲✲ *शारीरिक शिक्षा संकाय* ✲✲✲

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

✲✲✲ *ग्रन्थालय विज्ञान संकाय* ✲✲✲

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत ..... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर ..... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी ..... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डी.एस. फिरोजिया ..... शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा, जिला नीमच (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा ..... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ.पी.डी. ज्ञानानी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षीतिज पुरोहित ..... जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार ..... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा ..... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक ..... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ.गेंदालाल चौहान ..... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र ..... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन ..... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. अरूणा दुबे ..... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. आभा दीक्षित ..... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी ..... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी ..... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित ..... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय अग्रवाल ..... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. लता जैन ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. कहकशा खान ..... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे ..... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) डॉ. अदिति देसाई ..... श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्स, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट ..... शासकीस एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद ..... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर ..... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. डॉ.सुनीलकुमार सिकरवार ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नीतिन साहारिया ..... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी ..... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल वाला गाँधी ..... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा ..... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ..... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे ..... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. ए.के. बरैया ..... शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर ..... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. नटवरलाल गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ.रवींद्र कान्हेरे ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. मीरा जामोद ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(50) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
(51) डॉ. राजेश कुमार ..... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(54) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश ..... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला–विदिशा (म.प्र.)
(55) प्रो. श्रीमती भारती खरे ..... एस.एस.एल. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी ..... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. के.एल. साहू ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. रंजु गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी ..... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(61) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल ..... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(62) डॉ. सुरेश कुमार विमल ..... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. अमरकुमार जैन ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे ..... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. ए.के. जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा ..... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ..... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला ..... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया ..... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(71) प्रो.डॉ. विम्मी बहल ..... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला – शाजापुर (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल ..... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान ..... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा ..... शासकीय महाविद्यालय, महूगंज, जिला– रीवा (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा ..... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. अमोल मांजरेकर ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी ..... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. इशरत खान ..... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर ..... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सिहोर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रामचन्द्र चौहान ..... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. रेणु राजेश ..... शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा ..... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री ..... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(87) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला ..... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई ..... शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन ..... इन्दिरा गाँधी खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) श्रीमती सुमन वशिष्ठ ..... राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(91) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ ..... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख ..... एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया ..... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह ..... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल ..... शोध सलाहकार, नई दिल्ली

Impact Of Increased And Unblanced Use Of Fertilisers On Soil Fertility With The Advent Of Green Revolution In (M.P.)

Dr. Salil Udaipure *

Introduction – These days it is well known that fertilizer is an important and essential from input for the bumper production of food grains. In this context technically it is worth mentioning that the use of 1 kg. of fertilizers nutrients adds. 13kgs.of food grains[1]. Therefore, to increase the production of food grains more, the use of fertilizers will have to be increased. The estimates based on targets of agricultural production and response ratio of crop to fertilizers application it is considered that roughly one M.T. of wheat. This, equation may not be universally true but it is balanced use of fertilizers that the yields the best result and the effectiveness[2].

Indian agriculture has undergone massive transformation in the post independence period. Agricultural production has increased more that three folds from 51 M.T. in 1950-51 to 176.2 M.T. in 1990-91 and fertilizer nutrients consumption has increased from 0.69 M.T.(0.60kg./ha.) in 1950-51 to 12.72 M.T. (70.7kgs./has) in 1991-92. It is projected to increase up to 20M.T. (110kgs./ha.) by the year 2000AD. Such a phenomenal increase is the result to of combined effect of the advancement in farm technology and government policies to encourage agricultural production. However, still there are variations in food grains productivity on account of the regional imbalances in the use of fertilizers[3].

With the advent of Green Revolution (G.R.) alike Punjab and Haryana, the farmers of Madhya Pradesh has also began experiencing the benefits of fertilizer application in cultivation of food grains and other crops. But the farmers of M.P. are still not getting the full advantage of the benefit of high yielding seeds based fertilizer technology. It has been proved that 40 to 50 percent increase can be obtained by the balance use of fertilizer further it is rightly said that if HYV seed is the vehicle for green revolution then fertilizer is the fuel which has moved it forward. "Chemical fertilizer is today the kingpin of Indian Agricuture"[4]. Keeping the above-cited statements in view the present research study has been attempted with the following main objective.

Objectives –

1. To study the Utilization pattern of fertilizer during G.R. periods.
2. To find out the trend and Ratio of fertilizer utilization during G.R. periods.
3. To assess the impact of consumption and supply of fertilizer on soil fertility during G.R. periods.

Methodology and Coverage – This study was confined to the state of M.P. as a whole. The agricultural commodity on which the impact of consumption and supply of fertilizers was studied, was total food grains and the study was based on only secondary data under taken from the M.P. fertilizer statistics published by the fertilizer Association of India, New Delhi. The fertilizers utilized, consumed and supplied only in terms of Nitrogen, Phosphorus and potash were considered in this study.The reference periods put for this study were (1) Pre-Green Revolution Period i.e. up to 1965-66 of the sixties, (2) Green Revolution period i.e. 1966-67 to 1990-91 (3) post-Green Revolution period onward 1991-92 to 1993-94.

Result and Discussion – The area and production of food grains utilization of fertilizers in terms of nutrients during pre and post green revolution periods in the state of M.P. as a whole worked out in table-1 shows that the area under food grains has increased considerably during the green revolution period but after green revolution period area has increased nominally. While production of food grains has doubled during green revolution period but during post green revolution period the pace of increase in production on has become very slow. The utilization of fertilizers has increased from nominal i.e. 0.49 lakh tones in pre-green revolution period to maximum i.e. 15.87 lakh tones in green revolution period but thereafter it was found increasing slowly as evident from the data analysed in **Table - 1 (See in next page).**

Regarding utilization of fertilizers in terms of N.P.K. during the pre and post green revolution periods analysed in table-2, indicates that during the green revolution period the use of nitrogen and phosphorus has increased tremendously. But thereafter the use of phosphorus increased nominally. While the use of Potash has started decreasing during the post green revolution period continuously though the pace was slow. The related data are given in **Table – 2 (See in next page).**

The average utilization of fertilizers in terms of N.P.K. during the pre and post green revolution periods analyzed in table-3, indicates that the average utilization of fertilizer nutrients in M.P. during pre green revolution period was accounted to 3.76kgs per hectare which was less than the average utilization in India i.e.4.64 per hectare. This utilization increased to 45.31 kgs. per hectare during green revolution period and further in the post green revolution period it increased to 90.11 kgs. per hectare against the India's average of 68.50 kgs per hectare. Thus, During green revolution it increased about 15 times more but in post green revolution period it increased only tow folds in M.P. as well as in India. The related data are given in **Table – 3 (See in last page).**

* **Deptt. of Chemistry, Govt. N.M.V. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA**

The trend and ratio of fertilizer utilization during green revolution periods analyzed in Table-4 indicated that the total utilization in terms of N.P.K. increased about 15 times more during green revolution period which remained only one and a half times more during post green revolution period but the trend of utilization was increasing. The per hectare use of fertilizer also indicates that during green revolution period it remained double folds only. The ratio of N.P.K. indicates that the use of nitrogen and phosphorus has increased considerably but that of potash was discouraging. The related data are given in **Table – 4 (See in nextpage).**

The consumption of fertilizer nutrients by crops and their supply by chemical fertilizers during green revolution periods in M.P. analyzed in Table-5 indicates that the total consumption of nutrients was increasing from 12.70 tones in pre-green revolution period to 34.05 tones in post-green revolution period and expected.

To increased up to 45.21 tones by the years 2000. While the supply of nutrients by chemical fertilizers was increased from 0.48 tones in pre-Green revolution period to 21.80 tones in post-Green revolution period and was expected to increase upto 32.21 tones by the year 200. Thus, the difference in consumption and supply of nutrients was increasing from 11.22 tones in pre-Green revolution period to 12.97 tones in the post green revolution period and further expected to 1300 tonnes by the year 2012-13 This increasing difference is causing continuous decrease in the soil fertility. In future due to intensive cultivation. This will be more profound and complicated. the related data are given in **Table – 5 (See in next page).**

Conclusion – The utilization of fertilizers has increased from nominal i.e. only 0.49 tones during pre-Green revolution period to more than 15 folds i.e. 15.87 tones green revolution period and there after only 1/1-2 times more i.e. 22.99 tones in post Green revolution period The per hectare utilization increased from 3.76kgs. in pre-Green revolution period to 90.11 kgs in post green revolution period in M.P. Which is much higher than India's average utilization. The tend of increase indicated that till Green revolution period it was tremendous i.e. 15 times more but in post green revolution it is only double folds of the G.R. period The ratio of N.P.K. in dictates that use of nitrogen and phosphorus has increased potash has decreased . The difference in consumption and supply of fertilizer nutrients has increased from 11.22 tones to about 13 tones which clearly indicates that the soil fertility is decreasing continuously day by day and in future due to more intensive cultivation the problems will be more complicated.

References –

1. Fertilizer Scene in India, July 1987, F.A.I. New Delhi, Page . 1
2. Fertilizer Statistics (1990-91), F.A.I. New Delhi, Pages 11.12.21
3. Fertilizer News, vol. 38, April, 1993, Page 67
4. Yojana, Nov. 1981, Page 1-15
5. Statistical Abstract of U.P. 1995
6. Fertilizer statistics 1993-94 the Fertilizer Ass. in India.

Table - 1:Area and production of food grains and utilisation of fertilizers in terms of nutrients during pre and post-Green Revolution periods in M.P.

Periods	Area under Food grains (lakh hect)	Production of food grains (lakh tones)	Utilization of fertilizer ($N+P_2O_5+K_2O$ (lakh tones)
Pre G.R.Period	180	133	0.49
G.R. Period	201	267	15.87
Post G.R. Period	202	362	22.99

Table – 2 : Total Utilization of fertilizers in terms of nitrogen phosphorus and potash during pre and post-green revolution periods in M.P.

Periods	Nitrogen (N)	Phosphorus (P_2O_5)	Potash (K_2O)	Total ($N+P_2O_5+K_2O$)
Pre G.R.Period	0.42	0.05	0.02	0.49
G.R. Period	11.88	3.08	0.91	15.87
Post G.R. Period	18.40	3.93	0.66	22.99

Source - Fertilizer Statistics, 1993-94, The Fertilizer Association of India, New Delhi.

Table – 3: Total Utilization of fertilizer in terms of Nitrogen, Phosphorus and Potash during pre and post Green revolution periods in M.P[6].(In Kgs./Hectare)

Periods	(N)	(P_2O_5)	(K_2O)	Total	Utilization in India ($N+P_2O_5+K_2O$)
Pre G.R.Period	3.10	0.48	0.18	3.76	4.64
G.R. Period	33.93	33.93	2.84	45.31	31.79
Post G.R. Period	72.12	72.12	2.57	90.11	68.50

Source - Fertilizer Statistics, 1993-94, The Fertilizer Association of India. New-Delhi.

Table – 4: Trend and ratio of fertilizer Utilization during green revolution periods in M.P.

Particulars of fert. Utilization	Fertilizer Utilization During G.R. Period		
	Pre G.R. Period	G.R. Period	Post G.R. Period
(in Lakh tonnes Nitrogen (N)	0.42	11.88	18.40
Phosphorus (P_2O_5)	0.05	3.08	3.93
Potash (K_2O)	0.02	0.91	0.66
Total -	**0.49**	**15.87**	**22.99**

Particulars of fert. Utilization	Fertilizer Utilization During G.R. Period		
	Pre G.R. Period	G.R. Period	Post G.R. Period
Fert. Utilization (in kgs./Hect. Nitrogen (N)	3.10	33.93	72.12
Phosphorus (P_2O_5)	0.48	8354	15.42
Potash (K_2O)	0.18	2.84	2.57
Total -	**3.76**	**45.31**	**90.11**
Ratio	1:0.0.7:0.01	1:0.26:0.11	1:0.19:0.02

Table – 5: Consumption of fertilizer Nutrients by crops and their supply by chemical fertilizers during Green Revolution periods in M.P.

Green Revolution Periods	Production of Food grains	Consumption of Nutrients by food grain crops	Consumption of Nutrients by cash crops & oil seeds	Total Consumption of Nutrients	Supply by Chemical Fertilizers	Difference + -
Pre G.R. Period	135	10.16	2.54	12.70	0.48	-11.22
G.R. Period	223	16.79	4.20	20.99	9.71	-11.28
Post G.R. Period	362	27.24	6.81	34.05	21.80	-12.97
During 2000A.D.	480	36.17	9.04	45.21	32.21	-13.00

Source : Fertilizer statistics, 1993-94, The fertilizer Association of India. New Delhi.

Polarographic Behaviour Of Eriochrome Black-T On Dropping Mercury Electrode

E.N. Nirapure* Dr. G.P. Sahu ** Dr. S.C. Lavale ***

Abstract - Eriochrome Black-T, produced two stage reduction wave in the entire range of pH. Investigation on the electrode behaviour of sodium 1¯ (1 - Hydroxy - 2 - Napthylazo) 6 - nitro - 2 naphthol - 4 sulphonate, popularly called Eriochrome Black-T (EBT), in distinct media, m, pHs is of great analytical importance. A well defined polarographic reduction wave obtained at pH = 6.12 ± 0.02 with $E_{1/2}$ = - 0.52 V Vs SCE and $E_{1/2}$ = - 0.72 V Vs SCE in 1 M KCl and 0.01% gelatin. The linear dependence of log i - log h plot and correlation coefficient r = 0.97 was observed suggesting the limiting current is proportional to the concentration of dye. The spectra of EBT in the entire range of pH was displayed. The Isobestic point revealed two equilibrium hydrate ions. Two pK_a values of this dye is found to be 6.3 and 11.9 respectively and l_{max} found to be 530 nm. Spectral criterion, compuled electro chemical data and kinetic parameter confirms the path and mode of reduction of EBT on dropping mercury electrode.

Key words : EBT / Reduction wave / Isobestic point / Kinetic Parameters.

Introduction - There is a derth of literature on the polarography of sodium 1- (1 - Hydroxy - 2 - Napthylazo) 6 - nitro - 2 naphthol - 4 sulphonate, popularly known as Eriochrome Black-T (EBT). However, significant reference on the use of the dye as spectral reagent and indicator encourages to study with its electro-reduction on dropping mercury electrode[1].

Experimental - For DC Polarographic studies of EBT an automatic pen recording polarograph CL-25D with capillary charecteristic of $m^{2/3} t^{1/6}$ = 2.12 $mg^{2/3} Sec^{-1}$ at 42 Cm. effective height of mercury column was used. Polarogram was recorded on LR-101 recorder. The course of studies the purified mercury was used. The pH of the test solution was measured on systronic pH meter model - 335 using combined electrode assembly of glass & calomal. pH of the test solution was fixed using buffer solution. A Bausch & Lomb (USA) spectronic 20-D digital spectro photometer was used to monitor the colour change with respect to distinct species and to evalute pK_a, l_{max}, stoichiometry and other spectral observations. All the chemicals used were of anal R grade. Stock solution of 0.01 m Mol dm^{-3} of EBT was prepared in aquous and aquo - ethanol medium. Gelatin was used as maxima suppressor in distinct composition range. KCl solution was used as supporting electrolyte.

Result and Discussion - Set of solution containing 1 m Mol dm^{-3} EBT at m = 0.4 mol dm^{-3} and geletin 0.001% were polarograph in the entire range of pH from 5.5 to 10.0. Typical polarogram @ pH 6.5 is shown in fig. 1[2]. $E_{1/2}$ values = - 0.52 V Vs SCE & - 0.72 V Vs SCE are obtained. The linear dependence of log i - log h plot & correlation cofficient r = 0.97 was observed. Suggesting the limiting current is proportional to the concentration of EBT. Eriochrome Black-T tend to polymerize[3] in strongly acidic solution. Hence its polarogram is obtained at pH = 6.12, the sulphonic acid group gives up its proton long before pH 7 to 12. Hence the dyestuff with formula H_2D^- have two pK_a values of 6.3 and 11.9 respectively and l_{max} is found to be 530 nm. Mechanism of progressive ionisation & reduction is shown in scheme fig. 2, However, EBT which may be written as H_2In^- exhibits the following acid - base behaviour.

H_2In^-	HIn^{-2}	In^{-3}
pH - 5.3 - 7.1		10.5 - 12.1
Red	Blue	Orange

In the range 7.1 to 10.5 dyestuff exhibits blue colour. Some of the metal ions form red colour complex colour sensivity is extreme even in the range of 1 m Mol dm^{-3}. Author hope that his finding and presental detailed spectral and polarographic data may be fruitful for analytical purposes[4-5].

References :-

1. Meites L., Polarographic Technique 2nd Ed. Interscience Publisher A division of John Willey & Sons, New York, 1965.
2. Vogel A.I., A Text book of Quantitative Inorganic Chemistry 4th Edn. ELBS Publications, 1978.
3. Pitre K.S. & Lavale S.C., Anal Chem. 1981, 6, 190.
4. Sahu G.P. & Lavale S.C., Natl. Ac. Sciences 72nd Annual Session, Shillong, 2002, Physical Abst. - 28, P. 36.
5. Sahu G.P. & Lavale S.C., J. Electro Chme. Soc., India (Golden Jubilee) 2001, 50-4, 188.

*, ** & *** J.H.Govt.P.G. Lead College, Betul (M.P) INDIA

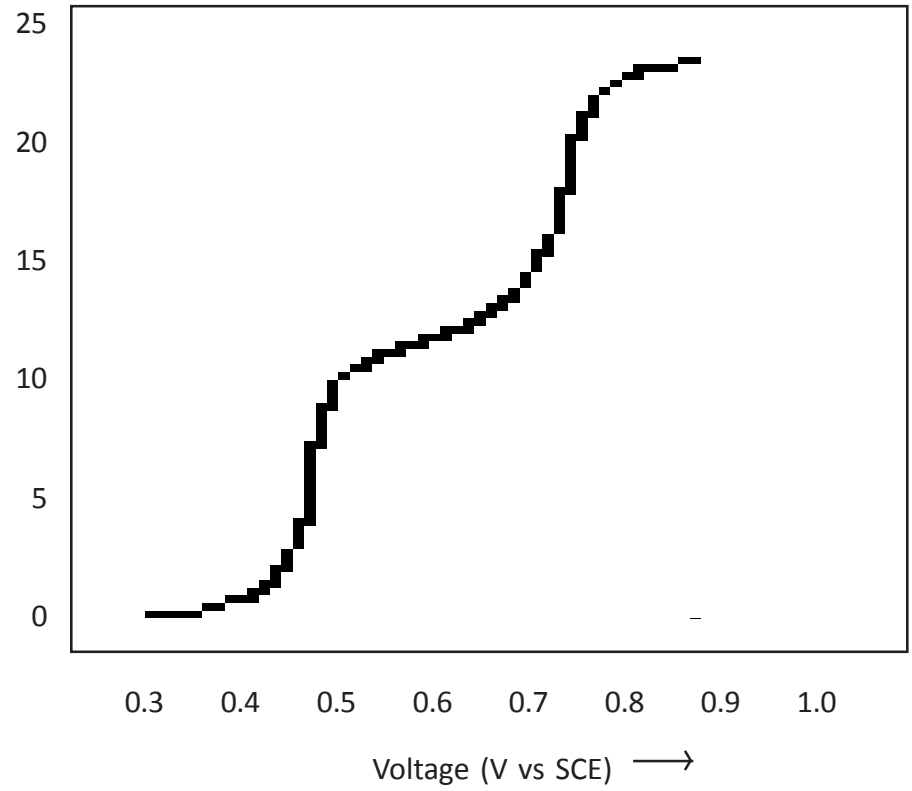

Fig. 1 : A typical polarogram of EBT at pH = 6.12, μ = 1.0 [KCl] and Gelatin = 0.01%.

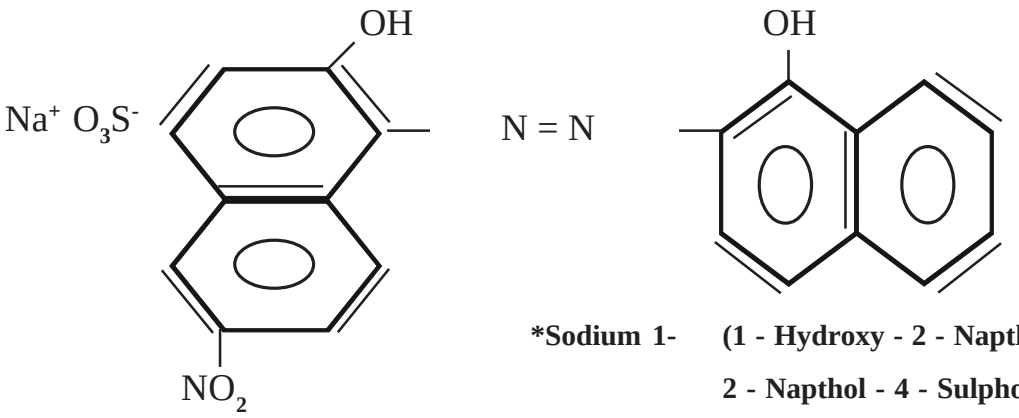

***Sodium 1- (1 - Hydroxy - 2 - Napthylazo) - 6 - Hidro 2 - Napthol - 4 - Sulphonate (II)**

$H_2 D^-$ ⇌ $H D^{-2}$ ⇌ D^{-3}

5.3 - 7.1 10.5 - 12.1

Red Blue Orange

Fig. 2 : Formula & Colour changing species of the dye EBT.

Physico - Chemical Characteristics Of River Berach At Chittorgarh, Rajasthan

Poonam Shrimali *

Abstract - The Variations in selected Physico-chemical factors were investigated for one year to determine the water quality of Berach river Chittorgarh, Rajasthan. Three stations were Chosen on the reservoir to reflect the effect of human activities, lacustrine and lotic habitats. Water temperature, pH, Electric conductivity, Total Dissolve Solids, Dissolve Oxygen, Alkalinity, Total hardness, Salinity, Co_2, Nitrate-Nitrogen Phosphate, Chemical oxygen demand, Biological oxygen demand were analyzed monthly between January 2011 to December 2011 using standard method and procedures.

Introduction -Quality of water generally refers to the component of water, which is to be present at the optimum level for suitable growth of plants and animals. Various factors like Temperature, Total hardness, Alkalinity, Dissolve Oxygen play an important role for the growth of plants and animals in the water body, on the other hand biological oxygen demand, chemical oxygen demand, indicate the pollution level of the water body. In natural aquatic system various chemical parameters occur in low concentration. This concentration increases as a result of rapid growth of population increased urbanization, expansion of industrial activities, exploitation of natural resources, extension of irrigation and lack of environmental regulations (Mehedi et al.1999).

Aquatic organisms need a healthy environment to live and have adequate nutrients for their growth. The productivity depends on the physico-chemical characteristics of the water body. The maximum productivity obtained when the physical and chemical parameters are at the optimum level. Water quality plays an important role in decision making process for pollution control. Researches on the Water quality aspects are of paramount significance in developing fresh water quality. Therefore water is paramount factor in ecosystem productivity (Huet, 1986). The aim of the present investigation was to determine the value of major physico-chemical parameters of the water of Berach river.

Materials and Methods - Three Sampling station selected for the present investigation. The sampling station near Zinc smelter, Munga ka kheda, Nagri and Billia have been selected for Monthly sampling during the year 2011 January to 2011 December .Water temperature were noted by a digital thermometer. pH and electric conductivity of water were measured by using a digital pH meter and a portable conductivity meter. Dissolve oxygen have been estimated By dropling winklers method Co_2 and Total Alkalinity were measured by using a acid titration method of APHA 1989.Total hardness were estimated following APHA, 1989, Nitrate-nitrogen $No_3 - N$ were examined following phenol disulphuric acid method. Phosphate have been examined with Stanners Chloride method as outlined in APHA (1989). COD and BOD levels in experimental water will be estimated following APHA (1989). **(See table in last next page)**

Result and Discussion - The comparative result on Physico-chemical water quality parameters are presented in table. During the study period the water temperature ranged 25.6°C to 26.3. The **pH** value varied from 7.4 to 7.8 indicating slightly alkaline condition Co_2 from 1.83 to 2.19 mg/l. Alkalinity varied 217.41 to 228.89 mg/l. Total dissolve solids from 373 to 1446 mg/l. Dissolve oxygen value varied from 5.19 to 5.39 mg/l. Hardness from 251.52 to 895.72 mg/l. While Electric conductivity 598.56 to 2014.85 micro-ohms/cm.. $No_3 - N$ from 0.4969 to 0.5698mg/l. Phosphate varied from 0.0324 to 0.0413. Zinc from 0.1475to 0..3519 mg/l.. BOD and COD 19.30 to 56.93 and 104.04 to 274.6 mg/l.

The fluctuation in Electric Conductivity were wide, which could due to heavy disposal of sewage. Such a rise in Electric Conductivity following pollution was recorded by Trivedy (1990). The high values during the study might be due to the that various dissolved substances are continuously released into the aquatic medium through death and decomposition of organisms (Raja et. al, 2008). High COD has been linked with pollution (Tape et. al, 2005). APHA (1995) however recommended COD level of <2mg/l. in drinking water. River water contains BOD more than 10 mg/l. is considered to be moderately and more than 20 mg/l. as to be highly polluted water (Paul, 1999). High BOD values is indicative of high content of biodegradable organic matter while higher COD content is an index of higher biodegradable and non – biodegradable organic and inorganic matter present in the polluted water .Gautam(1990) and Mishra and Trivedi(1993).The range of Total dissolve solids (373-1446 mg/l.). TDS Was Maximum in Mungo ka khera, Nagri While Minimum in Billia.TDS Was reported to be high. Indeed, high concentration of TDS enriches the nutrients status of water body which were resulted into eutrophication of the aquatic ecosystem (Singh and Mathur,2005, Swarnalatha and Rao,1998) . Tolerable limits for drinking water as it not exceed 500 mg/l. (EPA 1976).(Permissible limit of WHO 500mg/l). During present study Maximum level of hardness was

* Research Scholar, Mewar University, Chittorgarh (Raj.) INDIA

recorded in Nagri and Billia indicating water is hard. This may be presence of high content of Ca and Mg in addition to sulphate ,nitrates and sewage in flow (Angadi et,2005).Patel and Sinha (1998)also noted that total hardness is mainly due to Ca,Mg and eutrophication (Permissible limit of WHO 500) and Minimum level was recorded Mungo ka khera. Higher Total dissolve solids values, high BOD,high Total hardness value and high COD and conductivity values indicate a highly polluted condition of water.

References –

1. Adekunle, A.S. and Enjola, I.T.K. 2008. Impact of industrial effluents on quality of segments of Asa river within An industrial Estate in llorin Nigeria. New York Science Journal, 1(1) – 17-21.
2. Akan, J.C., Abdulrahman, F. ogugbuaja, V.O. and Reuben K.D. 2009. Study of the Physico-chemical pollutants in kano industrial Areas, Kano state ,Nigeria, Journal of Applied sciences in Environmental sanitation, 4(2) : P :89-102
3. Angadi,S B. Shiddamallayya, N. and Patil, P.C. 2005. Limnological studies of papnash pond ,Bidar(Karnatka). J. Env.Biol.,26:213-216.
4. APHA, 1989. Standared methods for the examination of water and waste waters. 17th ed. Am. Pub. Health Assoc. Washignton D.C. PP. 1452.
5. Bharti, S.G. and Krishnamurthey, S.R. (1990). Effects of industrial effluents on river Kali around Danderi, Karnatka, Part-I, Physico-chemical complex, Ind. Jr. of Envir. Heth 32(2) : P – 167-171.
6. Bichi, M.H. and Anyata, B.U. 1999. Industrial waste pollution in the Kano river Basin. Environmental management and health – 10 (2) : 112-116.
7. Chavan, T.P. and Wagh, S.B. (2005). Physico-chemical characteristics of industrial effluent near sukhla river at MIDC area, Chikalthene, Aurangabad, Journal of industial Pollution and control 21(i) : 23-26.
8. Gautam, Ashutosh 1990. Ecology and pollution of mountain water, Ashish publishing house, New Delhi,India.
9. Huet, M.1986. Text book of fish culture .2nd Edn, Fish news book .Ltd, England.
10. Kamal, D., Khan, A. N., Rahman, A. M. and Ahamed, F. (2007). Study on the Physico-Chemical properties of water of Mouri river, Khulna, Bangladesh, Pakistan Journal of Biological sciences. 10(5) : 710-717.
11. Mehedi, M.Y, Kamal ,D., Azam, K. And Khan, Y.S.A.,1990.Trace metals in coastal waters along the ship breaking area, Chittagong, Bangladesh. Khulna University studies,1:289-293.
12. Mishra, P.C. and Trivedy,R.K. 1993. Ecology of Indian Lakes and reservoirs, Ashish, Pub. House, New Delhi.
13. Patel,Niroj K. And B.k. Sinha,1998.Study to the pollution load in the ponds of Burla area near Hirakund dam at Orissa. J. Env. Poll.5:157-160.
14. Singh ,R.P. and Mathur, P. 2005.Investigation of variations in physic-chemical characterstics of a fresh water reservoir of Ajmer city,Ind. J.Env.sci. 9:57-61.
15. Swarnalatha,N. and A.narsing Rao,1998.Ecological studied of Banjara lake with reference to water pollution. J. Env. Biol.19:179-186.s
16. Tape, Y.,Turkmen, A.,Mutlu,E. and Ates, A. 2005.Some physico – chemical characteristics of Yarselli Lake,Turkey Turkish journal of fisheries and aquatic science,5:35-42.
17. Totawat, K.L. , Upadhyaya, R.N. and Chauhan, S.C. (1994). Effect of Zinc smelter effluent on water, Pond vegetation, Indian J. Environ HLTH, Vol. 36 No. 4, 237-427
18. Trivedy, R.K. 1990, River pollution in India, Ashish, Publishing house, New Delhi.

Parameter	Munga ka kheda	Nagari	Billia
Water temperature (°C)	25.9	25.6	26.3
pH	7.6	7.4	7.8
Co_2 (mg/l)	2.14	1.83	2.19
Alkalinity (mg/l)	217.41	218.66	228.89
Dissolve oxygen (mg/l)	5.39	5.19	5.21
Total dissolve solids (mg/l)	1446	580	373
Electric conductivity(umhos/ cm)	598.56	1534	2014.85
Hardness (mg/l)	251.52	895.72	712.51
Nitrate-nitrogen (mg/l)	0.4969	0.5119	0.5698
Phosphate (mg/l)	0.0324	0.0390	0.0413
Zinc (mg/l)	0.14758	0.3170	0.3519
COD (mg/l)	104.04	167.3	274.6
BOD (mg/l)	56.93	41.95	19.30
Salinity (mg/l)	0.0	0.0	0.0

Studies On The Effects Of Urbanization And Industrialisation On The Concentration Of Pb^{+2} In Water, Soil And Vegetable Samples In The Heavy Traffic Area And Low Lying Areas Of Hoshangabad Township

Dr. Salil Udaipure *

Introduction – After state reorganisation and formation of M.P. state population density of Hoshangabad township has shown increasing trend. Low lying areas of the town has shown increased pollution due to heavy accumulation of sewage and sludges. The present paper deals with the increasing concentration of Pb^{+2} in the low lying areas of Hoshangabad township.

Materials and Methods - Water samples of the area were collected from Narmada river along with hand pump water and well water in one litre polythene bottles previously soaked with 8N HNO_3 and cleaned with detergent followed by rinsing with distilled water. All the samples were acidified with 6n HNO_3 (8ml/L), soon after sampling.

Vegetable samples of the area were collected and were reduced to suitable size. The samples were grinded and digested in HNO_3 - $HClO_4$ mixture One gm/sample was taken (on dry weight basis) Surface soil samples were collected from 0-5 cm depth. Powdered and heated at 110^0C and seived through 20 mesh seive Digested in 1 ml cone HNO_3+ 1ml cone $HClO_4$

Flame atomic absorption spectrophotometer was used for determination. prior to analysis, water samples were subjected to concentration. For Zn. water sample was conecentrated ten folds by controlled evaporation.For Pb, water sample was treated by acid and boiled gently for converting the metals into their most stable valence state.At pH 2.5 the metal was complexed by ammonium pyrrolidine dithio carbamate. The metallic complexes were extracted in methyl isobutyl ketone. [1]

Digested samples of vegetables and water and soils were directly atomized in atomic absorbtion spectrophotometer for recording responeses for the metal.

Speciation Studies - Functionally defined speciation is exemplified by the plant available specres Operationally defined speciation the physical or chemical tractionation process applied to the sample defines the fraction obtained The potential toxicity of various metals is controlled to a large extent by their physico chemical forms. for example the free metal ion in natural waters was found be more toxic as compared to the colloidal metal.

Pb and Zn are present in water. soil and plants as Pb^{+2} and Zn^{+2} as revealed by qualitative speciation studies as described below :

Speciation of Pb^{+2}

Procedure : A drop of the test solution is vigorously shaken in a small test tube with CCl_4 solution of dithiozone (Diphenyl thiocrabazone) The green reagent assumes a brick red color.

Limit of identification – 0.04x in neutral solution.

Limit of dilution – 1:1, 250.000

Reagent – A solution of 1 – 2 mg dithiozone in 100ml CCl_4

Chemical reaction :

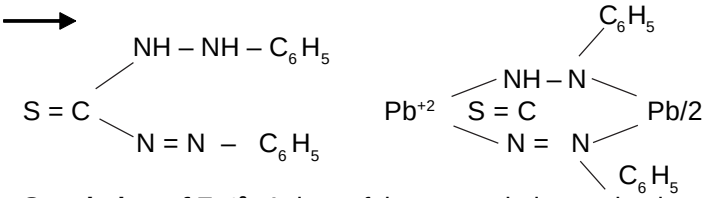

Speciation of Zn^{+2} - A drop of the test solution and a drop of a solution of dithiozone in CCl_4 are shaken together in a small stoppered test tube. In the presence of Zn the green color of the reagent changes to purple red.

Limits of identification -

0.025% Zn in neutral $ZnSO_4$ Solution.

Reagent solution containing 1-2 mg dithiozone in 100ml CCl_4 solution Chemical reaction as shown in the case of Pb^{+2} above.

Result and discussion - Speciation studies suggest the Pb and Zn are mainly present as Pb^{+2} and Zn^{+2} in water, Plant and soil as biologically active from.

water analysis : Concentration of Pb and Zn (in µg/L) in water are as shown in the table in next page :

Table No. – 1 (See in the last page)

Up stream water of Narmada river has lower concentration of Pb^{+2} and Zn^2 well within the prescribed limit (WHO) [2] Down stream has higher concentration of Pb due to increase of sewage and Sludge concentration in water along with industrial effluents.

Soil Analysis - Concentration in µg/gm has been shown in the table No. 2

* **Deptt. of Chemistry, Govt. N.M.V. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA**

Table No. 2

Concentration in mg/gm of Pb and Zn in soils of heavy traffic and low lying areas of Hoshangabad Town (Avereage of Ten samples were taken)

Metals	Soil in the Heavy traffic area	Soil in the low lying area
Pb	100	110
Zn	60	65

Soils in both areas contain increasing concentration of Pb which is also reflected by rise in **Pb^{+2}** concentration in the vegetables of the area. Concentration in µg/gm on dry weight baisis of Brinjal, tomato and pOtato are shown below.

Table No. – 3

Concentration of Pb and Zn in vegetables in µg/gm in Hoshangabad Town

S.No.	Metals Pb and Zn	In heavy traffic area	In low lying area
i	Brinjal Pb	0.50	0.45
	Zn	50	3.5
ii	TOmoto Pb	0.45	0.50
	Zn	35	40
iii	Potato Pb	0.60	0.65
	Zn	40	50

Higher concentration of Pb in Potato is due to its under ground growth .

Pb is a health hazard due to following reasons.

i. It depresses heme synthesis by depressing the activity of erythrocyte amino levulinic acid dehydratase (which is the more sensitive indicator of Pb body burden)

ii. It is responsible for Oxidative deterioration of poliunsaturated lipids.
[3] [4] [5]

iii. Normal erythrocytes have defence systems to the oxidative stress. Most important of them is the hexose monophosphate shunt (G – 6-P.D.) This has multiple sulphydryl groups. These sulphydryl groups from mercaptides with heavy metals, leading to loss of enzymaties. activities [6][7]

Conclusion – Heavy industrialisation coupled with increasing population leads to more accumulation of Pb in the human body so WHO limit for intake of Pb^{+2} and Zn^{+2} (3mg and 25mg per week respectively) should be reconsidered and revised.

Reference -

1. Hasan M.Z. and Pane S.P. (1978) : Jour Envi Health 20, 232-240 Delhi, India.
2. WHO (1984) : Guide lines for drinking water quality vol. 2 in Health criteria and other supporting information P.310-350 Geneva.
3. Schaich K.M. (1942) : Lipid peroxidation, Lipids,27 (3)
4. Tappal A.L. (1989) : In Lipid peroxidation; a radical chain reaction; In Free radicals in Biology and Medicine, P. 188. New York. Acad. Press.
5. Halliwell B. and Gutteridge. JMC (1989): Protection against oxidants in Biological system .
6. Frank C.Lu. (1991) : Basic toxiocology : Target organs and risk assessment. 2nd Ed pp 304-310 New York – London
7. Sheabar F.Z.Yannai, S.(1989) Veternary and human toxicology. 31(6), 528-531.

Table No. – 1

Concentration (in µg/L) of Pb and Zn in water in Hoshangabad Township

Metals	In Narmada River Up Stream	Down stream	Well water	Hand pump water	top water	WHO limit for drinking water
Pb	30	40	45	50	35	50
Zn	240	250	110	100	100	500

****

E-Waste and its effects 'Composition and Management'

Dr. Sunita Phadnis*

Abstract – E-Waste is an abbreviation for electronic waste. It is also called WEEE i.e. waste electrical and electronic equipment. As the global market for electrical and electronic equipments is expanding, the life span of such products becomes lesser and thus e-waste increases. This e-waste if not properly managed, proves to be hazardous, in fact it contains many non hazardous substances also which are valuable and useful. The e-waste is around 50 million tons each year. The improper de-manufacturing of e-waste is very dangerous as it is handled by human beings. Many laws and legislation are made for management of e-waste but are not followed properly. The developed countries are sending their e-waste to developing countries legally and sometimes illegally also, thus making these developing countries as the dumping grounds of e-waste. We have given the adverse health impacts of the materials extracted from e-waste and their effect on community and environment. The hazardous chemicals given out by e-waste are brominated flame retardants (BFR), plastics, CFCs and many metals which seriously affect the hormonal system. The several ways to minimize e-waste are modifications in production process, reduction in manufacturing volume, recovery and reuse, sustainable product design, use of renewable material and energy, creating components of biodegradable materials, green packaging material etc. We also have mentioned the worthy elements which can be extracted from e-waste to prove it as e-wealth. The responsibilities of different sectors like government, Industry and human being are also mentioned for the awareness of society. **Keywords :** E-Waste, Recycling, Recovery, Reuse, Management, Hazardous chemicals, E-Wealth.

Introduction - E-waste or electronic waste, e-scrap or waste electrical and electronic equipment (WEEE) describes discarded electrical or electronic devices. Rapid changes in the technology, falling prices and planned obsolescence has resulted in a fast growing electronic waste around the globe which is around 50 million tons each year. The environmental protection agency estimates only 15-20% of e-waste is recycled and the rest goes to landfills and incinerations. This e-waste contains hazardous but also valuable materials. The recycling and disposal of e-waste has become a threat to the environment and human health. The developing countries have become dumping grounds of e-waste as they import it legally as well as illegally. A study conducted in soil, air and water samples collected from an e-waste recycling site in Bangalore, increased concentrations of trace elements such as zinc, silver, cadmium and copper were found which damage brains and kidneys and other organs. Unless e-waste is de-manufactured, recycled and reused properly, it can have a disastrous effect on health and environment. E-waste is not a waste rather can be e-wealth as it forms secondary resource for metals and non-metals and many organic compounds can be recovered which are otherwise very costly.

Sources of E- Waste

1. IT and telecom equipments.
2. Large household appliances.
3. Small household appliances.
4. Consumer lighting equipments.
5. Electronic and electrical tools.
6. Toys and sports equipment.
7. Medical devices.
8. Monitoring and control instruments.

Composition of E-Waste - E-waste consists of all waste from electronic and electrical appliances which have reached their end of life period and are no longer fit for their original intended use and are destined for recovery, recycling and disposal. It includes:

a) Computer and its accessories, monitors and printers, Keyboards, CPU's, typewriters.
b) Mobile phones, chargers, remotes,
c) Compact discs, headphones, batteries.
d) LCD's, plasma TV's.
e) Refrigerators, air conditioners and other household appliances.

Composition of E-waste is diverse and after de-manufacturing it can be classified as:

- Hazardous: Americium, Mercury, Sulphur, Cadmium, Lead, Beryllium, BFR, PBDE, PFOA, plastics, CFCs etc.
- Non Hazardous: Aluminium, Copper, Germanium, Gold, Iron, Lithium, Nickel, Silver, Silicon, Tin, Zinc etc.

Where Does E-Waste Go - When the life span of Electronic gadgets ends, it is thrown away by common public but then it either goes to:

1. **Landfills**: According to EPA, more than 4.6 million tons of e-waste ended up in Landfills. Toxic elements in e-products can leach in to land over the time or are released in to the atmosphere, impacting nearby communities and environment. At some places like Europe, regulations have been made not to dump e-waste in landfills, however practice still continues in many countries.
2. **Incineration:** This releases heavy metals such as Lead, Cadmium and mercury into the air as ashes. Mercury released into atmosphere can bio-accumulate in food chain, particularly in fishes. If the e-product contains PVC plastic, highly toxic dioxins and furans are released.
3. **Reuse**: A good way to increase a product's life span is that many old products are exported to developing countries. Although this scheme is beneficial for the sender but cause serious problems to receiver as old products are dumped very soon after use.
4. **Recycle**: Although recycling can be a good way to reuse raw materials of old gadgets but the hazardous

* **Department of Chemistry, M.J.B Govt. Girls P.G College, Moti Tabela, Indore (M.P.) INDIA**

chemicals of these can release toxins which harm the workers in recycling yards as well as neighboring communities and environment. In developing countries recycling takes place in purpose built recycling plants under controlled conditions. But in developing countries however there is no such control. The worse part of such recycling is that it is done by hands in yards by children.

5. **Export:** E-waste is routinely exported by developed countries to developing ones, often in violation of international law it was studied by an inspection in 18 European sea ports showed that almost 50% of waste including e-waste was illegal. In U.S.A also, it was estimated that 50-80% of the waste collected for recycling is being exported in this way. The violation of laws has made the Guiyu of Shantou region of china, a main center of e-waste scrapping. We have also found a growing e-waste trade problem in India, 25,000 workers are employed in scrap yards in Delhi alone where almost 10,000 to 20,000 tons of e-waste is handled each year. Other e-waste yards are found in Meerut, Firozabad, Chennai, Bangalore and Mumbai.

Hazardous Chemicals, their occurrence and effect on health - All e-waste is a complex mixture of several hundred materials as we have mentioned in the composition of e-waste. A mobile phone for example contains 500-1000 components. These dangerous substances cause serious pollution and put workers at a risk of exposure when products are produced or disposed off during the de-manufacturing technology. This de-manufacturing process is usually the manual dismantling process which involves shredding, chiseling and separation of metals and non metals.

Following is a table given to show the hazardous chemicals, their occurrence and their effects on health: **(See to last page)**

Thus making people aware of its hazardous effects and making proper laws and legislation for saving the human health and environment, e-waste can be turned into e-wealth if handled properly. While recycling if extraction of metals like copper and gold and some useful materials is done properly, is considered better for environment than mining.

Ways of Minimuzing E-waste **-**

- Modifications in production process.
- Volume reduction.
- Recovery and reuse.
- Sustainable product design.
- Use of renewable material and energy.
- Creating components of biodegradable materials.
- Green packaging material

A latest news article that appeared in "Dainik Bhaskar" (May, 2014) is that 1 ton of e-waste from scrap mobile and computers can give out 350 grams of gold. Some costlier phones even have more amount of gold. A scientist Manish kumar Jha from National metallurgical laboratory (NML) has developed a technique to extract gold from e-waste and a recycling company from Delhi and Mumbai has bought this technique. According to Dr. Jha, the gold present in the PCB's of these mobiles can be taken out by dissolving in solutions like Cyanide, Thio-urea , Aqua-regia and Thio-sulphate. Then the gold from these solutions is taken out by adding charcoal or zinc dust. To get gold in metallic state either charcoal is burnt or a process of electro winning (electroextraction) is performed.

A typical desktop weighing 60 pounds contains following useful elements. The percentage of total weight, weight of the material and their recycling efficiency is given in the following chart.

Element	% of total weight	Weight of material	Recycling efficiency
Aluminium	14.1723	8.5	80 %
Iron	20.4712	12.3	80 %
Tin	1.0078	0.6	70 %
Copper	6.9287	4.2	90 %
Nickel	0.8503	0.51	80 %
Indium	0.0016	< 0.1	60 %
Gold	0.0016	< 0.1	99 %
Ruthenium	0.0016	< 0.1	80 %
Cobalt	0.0157	< 0.1	85 %
Palladium	0.0003	< 0.1	95 %
Silver	0.0189	< 0.1	98 %

Responsibilities of different sectors for the Management of E-Waste

Responsibilities of government -

- Regulatory agencies in each district.
- An adequate system of laws.
- R & D in hazardous waste management.
- Strict regulations against dumping e-waste.
- Heavy fines on industries.
- Encourage NGO's.

Responsibilities of Industries -

- Management options.
- Label materials to assist in recycling.
- Green packaging options.
- Adoption of waste minimizing techniques.

Responsibilities of the citizen -

Citizens should opt for items which are -

- Made up of fewer toxic constituents.
- That are recycled content.
- That are energy efficient.
- That utilize minimal packaging.
- That offer take back option.

Conclusion - On the basis of several points discussed above, it can be concluded that:

- Unless E-Waste is de-manufactured, recycled and reused properly, it can have a disastrous effect on the health and environment.
- The solution for the E-Waste problem lies in prevention at the manufacturing source or the precautionary principle. This can be done by employing waste minimization techniques and by a sustainable product design.
- Thus E-Waste is not a waste rather it's E-Wealth and forms secondary resource for metals and non-metals and many organic compounds can also be recovered which are otherwise very costly.
- If every sector of the society fulfills its responsibilities properly by following the laws and legislation made by environment protection agency, the hazardous effects on community and environment can be reduced.

References -

1. Ramapathi K, Tripathi S. Electronics hi-tech-highly toxic:. Green Peace 2007.
2. Parthasarathy P, Bulbule K, Murthy A. E-waste recycling-best option for resource recovery and sustainable

environment. Research journal of chemistry and environment 2008; 12.
3. Pinto V, E-waste hazard: the impending challenge. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine 2008; 12:65-70.
4. Defining and categorization of wastes via regulations. IT green 2013-06-02.
5. E-Waste: Hazardous to the environment and human health. TCO development, Stockholm, Sweden 2013 Jan 16.
6. Grant K, Goldizen FC & Sly PD *Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review,* 2013.
7. The Deathly effects of E-Waste. Earth 911 Jan 8, 2014.
8. United Nations Environment programme - Urgent need to prepare developing countries for surge in E-Wastes.
9. California Department of Toxic substances control. Letter to materials for future foundation March 21, 2001.
10. Exporting harm (The hightech trashing of Asia). The Bansal Action Network, Silicon Valley Toxics coalition,Feb 25, 2002.
11. Prashant, Nitya, Cash for laptops offers "green" solution for broken or outdated computers, Aug 20, 2008.

Following is a table given to show the hazardous chemicals, their occurrence and their effects on health:

Substance	Occurrence in e-waste	Effects
Polychlorinated biphenyls	Condensers, transformers	Causes cancer, effects on immune, reproductive, nervous, endocrine systems
TBBA (tetrabromo-bisphenol-A) PBB (polybrominated biphenyls) PBDE (polybrominated biphenyl ethers)	Fire retardants for plastic components, cable insulation	Can cause long term injuries to health, acutely poisonous when burnt
CFC	Cooling unit	Ozone depletion
PVC	Cable insulation	Burning may release chlorine which is converted to dioxins and furans
Toner Dust	Cartridges for laser printers/copiers	Highly risky for respiratory system.
Arsenic Barium	Present in light emitting diodes Used in CRT	Affects skin, liver, nervous and respiratory systems. Breathing problems, Increase in Blood pressure, Damage to Stomach, muscles, brain, heart, liver and kidney.
Beryllium	Power supply boxes	Harmful on inhalation causes lung diseases
Cadmium	Rechargeable Ni-Cd batteries, fluorescent layer (CRT screens), printer inks	Severe pain in joints and spine, softens bones
Chromium	Data tapes, floppy disks	Acutely poisonous, causes allergic reactions like bronchial asthma, lung cancer.
Gallium Arsenide	Light emitting (LED)	Dangerously injurious to health.
Lead	CRT screens, batteries, printed wiring boards	Cause damage to nervous, circulatory, urinary system, kidneys, reproductive system.
Lithium	Li-batteries	Problems in Inhalation, Ingestion and skin.
Mercury	Fluorescent lamps (LCD's), circuit boards	Affects C.N.S, kidney and immune system, impairs fetus growth
Nickel	Ni-Cd batteries, electron gun in CRT	Causes allergic reactions
Rare earth elements (Yttrium, Europium)Selenium	Fluorescent layer, CRT screen Older photocopying machines.	Irritation of skin and eyes Causes selenosis (Hair loss, nail brittleness), numbness
Zinc Sulphide	Used on the interior of CRT screen, mixed with rare earth metals.	Toxic on inhalation.

Common Fixed Point Theorem In Non-Archimedean Menger Pm-Spaces

Khushal Devghare *

Abstract - In This paper we have established some common fixed point theorems in non-Archimedean menger PM-spaces. Our main purpose here is to generalize and improve results of Servet and of Sharma under the condition of weak compatible mappings.

Key words - compatible mappings type (A1) and type (A2). N.A.menger PM space, weak compatible mappings, common fixed point.

Introduction - Cho, Ha and Chang [3] introduced the concepts of compatible maps and compatible maps of type (A) in non-Archimedean Menger probabilistic metric spaces and gave some fixed point theorems for these maps. Servet and Sharma [7] introduced the concept of compatible maps of type (A-1) and type (A-2), show that they are equivalent to compatible maps under certain conditions and illustrating with an example, prove a common fixed point theorem for such maps in the spaces which generalizes, extends and fuzzifies several fixed point theorems for contractive type maps on metric spaces and other spaces. Chang [2] proved fixed point theorem for single-valued and multi-valued mappings in non-Archimedean Menger probabilistic spaces. Hadzic [4] wrote anote on Istratescu's fixed point theorem in non-Archimedean Menger spaces.

Preliminaries - For following definitions we refer to Chang [2],Cho ,Ha and Chang [3], Hadzic [4] Servet and Yildiz [7] ,Schweizer and Sklar [6] and Sehgal and Bharucha-Reid [5].

Definition - The ordered pair (X,F) is called a non-Archimedean probabilistic metric space (shortly N. A. PM-space) if X is a nonempty set and F is a probabilistic distance satisfying the following conditions: for all and

(PM-1) Fxy(t) = 1, t > 0 x = y,

(PM-2) Fxy = Fyx ,

(PM-3) Fxy (0) = 0,

The ordered triple (X, F,∗) is called a non-Archimedean Menger probabilistic metric space (shortly N. A. Menger space) if (X, F) is a N. A. PM-space, ∗ is a t-norm and the following condition is also satisfies: for all and t,s > 0,

The concept of neighbourhoods in Menger PM-spaces was introduced by Schweizer and Sklar [6].

and then an-neighbourhood of is defined by

If the t-norm ∗ is continuous and strictly increasing then (X, F, ∗) is a Hausdorff space in the topology induced by the

family $\{U_x(\varepsilon,\lambda): x\in X, \varepsilon>0, \lambda\in(0,1)\}$ of neighbourhoods .

Definition : Self maps A and B of a N. A. Menger PM-space (X, F,∗) are said to be compatible if $g(FABx_n\ BAx_n\ (t)) \to 0$ for all t > 0, whenever $\{x_n\}$ is a sequence in X such that for some z in X as .

Definition *: Self maps A and B of a N. A. Menger PM-space (X, F,∗) are said to be compatible of type (A-1) if g for all t > 0, whenever $\{x_n\}$ is a sequence in X such that for some z in X as .*

Definition : Self maps A and B of a N. A. Menger PM-space (X, F,∗) are said to be compatible of type (A-2) if g for all t > 0, whenever $\{x_n\}$ is a sequence in X such that for some z in X as .

Main Results - Now we prove the main result of this paper.

Theorem : Let A,B,S,T,I,J,L,U, P and Q be self maps on a complete N. A. Menger PM-space (X, F,∗) satisfying:

(1.1)

(1.2) $g\left(F\ Px, Qy(t)\right) \le \varphi\left(g\left(FABILx, STJUy(t)\right)\right)$,

(1.3)

$$g(FPx, Qy(t)) \le \varphi\left\{\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILx, STJUy(t)) + g(FPx, ABILx(t)) \\ + g(FQy, STJUy(t)),\ g(FPx, ABILx(t)) \\ + g(FQy, ABILx(t)),\ g(FPx, STJUy(t)) \\ + g(FQy, STJUy(t)) \end{array}\right\}\right\}$$

for all x,y " X and t > 0, where a function ö:[0,")'![0,") satisfies the condition (Ö),

(1.4) AB = BA, AI = IA, AL = LA, BI = IB, BL = LB, IL = LI,

* Department of mathematics, Govt.J.H.P.G. College Betul (M.P) INDIA

QL = LQ,QI = IQ, QB = BQ, ST = TS, SJ = JS, SU = US, TJ = JT,TU = UT, JU = UJ, PU = UP, PJ = JP, PT = TP, (1.5) the pairs (P,ABIL) and (Q,STJU) are weakly compatible, Then A,B,S,T,I,J,L,U, P and Q have a unique common fixed point.

Proof : Let x_0 be an arbitrary point of X. By (1.1), there exists such that $Px_0 = STJUx_1 = y_0$ and $Qx_1 \bullet = ABILx_2 = y_1$. Inductively, we can construct sequences $\{x_n\}$ and $\{y_n\}$ in X such that $Px_{2n} = STJUx_{2n+1} = y_{2n}$ and $Qx_{2n+1} = ABILx_{2n+2} = y_{2n+1}$ for n = 0,1,2,....

We shall show that the sequence $\{y_n\}$ is a Cauchy sequence. Since $Px_{2n} = STJUx_{2n+1}$, using (1.2), we have

$g(Fy_{2n},y_{2n+1}(t)) = g(FPx_{2n},Qx_{2n+1}(t))$ $(g(Fy_{2n-1},y_{2n}(t)))$

and since $Qx_{2n+1} = ABILx_{2n+2}$, we also have

$g(Fy_{2n},y_{2n-1}(t)) = g(FPx_{2n},Qx_{2n-1}(t))$ $(g(Fy_{2n-1},y_{2n-2}(t)))$.

Thus $g(Fy_n,y_{n+1}(t))$ $(g(Fy_{n-1},y_n(t)))$ for n = 1,2,....

Hence $g(Fy_n,y_{n+1}(t))$ $(g(Fy_0,y(t)))$ for n = 1,2,....

Therefore, from Lemma 1,

(1.7) $g(Fy_n,y_{n+1}(t))$ as n .

Suppose $\{y_n\}$ is a not Cauchy sequence. Since g is strictly decreasing, from Lemma 2, there exist and two sequences $\{m_k\},\{n_k\}$ of positive integers such that

(a) $m_k > n_{k+1}$ and n_k as k ,

(b) $g(Fy_{mk},y_{nk}(t_o)) > g(1-\quad)$ and $g(Fy_{mk-1},y_{nk}(t_0))$ for k = 1,2,...

Therefore

$g(1-\varepsilon_0) < g(Fy_{mk},y_{nk}(t_o))$ $g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_o)) + g(Fy_{mk-1},y_{nk}(t_o))$

$g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_o)) + g(1-\quad)$

and letting k , we have

(1.8) $g(Fy_{mk},y_{nk}(t_o)) = g(1-\quad)$.

On the other hand, we have

(1.9) $g(1-\quad) < g(Fy_{mk},y_{nk}(t_o))$ $g(Fy_{mk},y_{nk+1}(t_o)) + g(Fy_{nk+1},y_{nk}(t_o))$.

Without loss of generality assume that both m_k and n_k are even. Using (1.3), we have

$$g(Fy_{mk},y_{nk+1}(t_0)) = g(FPx_{mk},Qx_{mk+1}(t_0))$$

$$\le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fy_{mk-1},y_{nk}(t_0)) + g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_0)) + g(Fy_{nk+1},y_{nk}(t_0)), \\ g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_0)) + g(Fy_{mk-1},y_{nk+1}(t_0)), g(Fy_{mk},y_{nk}(t_0)) \\ + g(Fy_{nk+1},y_{nk}(t_0)) \end{array}\right\}\right)$$

$$\le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(1-\varepsilon_0) + g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_0)) + g(Fy_{nk+1},y_{nk}(t_0)), \\ g(Fy_{mk},y_{mk-1}(t_0)) + g(1-\varepsilon_0) + g(Fy_{nk},y_{nk+1}(t_0)) \\ g(1-\varepsilon_0) + g(Fy_{nk+1},y_{nk}(t_0)) \quad , \end{array}\right\}\right)$$

Substituting this in (1.9), letting k and using (1.7) and (1.8), we have

$g(1-\quad)$ $(g(1-\quad)) < g(1-\quad)$

which is a contradiction. Hence $\{y_n\}$ is a Cauchy sequence. Since (X, F, *) is complete, it converges to a point z X. Also its subsequences converges as follows:

$\{Px_{2n}\}$ z,$\{ABILx_{2n}\}$ z $\{Qx_{2n+1}\}$ z, $\{STJUx_{2n+1}\}$ z .

Since Q(X) ABIL(X) , there exist a point u X such that ABILu = z. Then using (1.3) ,we have

$$g(FPu,Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILu,STJUx_{2n+1}(t)) + g(FPu,ABILu(t)) \\ g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)), g(FPu,ABILu(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},ABILu(t)), g(FPu,STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

$$g(FPu,Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,STJUx_{2n+1}(t)) + g(FPu,z(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)), g(FPu,z(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},z(t)), g(FPu,STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

Taking the limit $n \to \infty$, we obtain

$$g(FPu,z(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,z(t)) + g(FPu,z(t)) \\ + g(Fz,z(t)), g(FPu,z(t)) \\ + g(Fz,z(t)), g(FPu,z(t)) + g(Fz,z(t)) \end{array}\right\}\right)$$

This gives

$$g(FPu,z(t)) \le \varphi(g(FPu,z(t))),$$

This gives

$g(FPu,z(t))$ $(g(FPu,z(t)))$,

which means that by Lemma 1 , g(FPu,z(t)) = 0 for all t > 0 and it follows that Pu = z . Therefore, Pu = ABILu= z. Since P(X) STJU(X) , there exist a point v X such that STJUv = z. Then using (1.3) ,we have

$$g(FPu,Qv(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILu,STJUv(t)) + g(FPu,ABILu(t)) \\ + g(FQv,STJUv(t)), g(FPu,ABILu(t)) \\ + g(FQv,ABILu(t)), g(FPu,STJUv(t)) \\ + g(FQv,STJUv(t)) \end{array}\right\}\right)$$

$$g(Fz,Qv(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,z(t)) + g(Fz,z(t)) \\ + g(FQv,z(t)), g(Fz,z(t)) \\ + g(FQv,z(t)), g(Fz,z(t)) \\ + g(FQv,z(t)) , \end{array}\right\}\right)$$

which means that , by Lemma 1, g(FQv, z (t)) = 0 for all t > 0 and it follows that Qv = z. Therefore, Qv = STJUv = z. Since the pair {P, ABIL} is weakly compatible therefore P and ABIL commute at their coincidence point that is P(ABILu) = (ABIL)Pu or Pz = ABILz.

Now we prove that Pz = z. By (1.3), we have

$$g(FPz,Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILz,STJUx_{2n+1}(t)) + g(FPz,ABILz(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)), g(FPz,ABILz(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},ABILz(t)), g(FPz,STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

on taking limit $n \to \infty$,we have

$$g(FPz,z(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FPz,z(t)) + g(FPz,Pz(t)) \\ + g(Fz,z(t)), g(FPz,Pz(t)) \\ + g(Fz,Pz(t)), g(FPz,z(t)) + g(Fz,z(t)). \end{array}\right\}\right)$$

this gives

g(FPz,z (t)) (g(FPz,z (t)) ,

which means by Lemma 1, g(FPz,z (t)) = 0 for all t > 0 and it follows that z = Pz. Since ABILz = z , thus ABILz = Pz = z .

Since the pair {Q, STJU} is weakly compatible therefore Q and ST commute at their coincidence point that is Q(STJUv) = (STJU)Qv or Qz = STJUz.

Now we prove Qz = z . By (1.3), we have

$$g(FPx_{2n},Qz(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILx_{2n},STJUz(t)) + g(FPx_{2n},ABILx_{2n}(t)) \\ + g(FQz,STJUz(t)), g(FPx_{2n},ABILx_{2n}(t)) \\ + g(FQz,ABILx_{2n}(t)), g(FPx_{2n},STJUz(t)) \\ +g(FQz,STJUz(t)) \end{array}\right\}\right)$$

taking the limit $n \to \infty$, we have

$$g(Fz,Qz(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,Qz(t)) + g(Fz,z(t)) \\ + g(FQz,Qz(t)), g(Fz,z(t)) \\ + g(FQz,z(t)), g(Fz,Qz(t)) \\ + g(FQz,Qz(t)) \end{array}\right\}\right)$$

this gives

g(Fz,Qz(t)) (g(FQz,z (t)))

which means by Lemma 1, g(Fz,Qz (t)) = 0 for all t > 0 and it follows that z = Qz. Since STJUz = z , thus STJUz = Qz = z .

Now taking x = Lz , y = x_{2n+1} in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FP(Iz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABIL(Iz),STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FP(Iz),ABIL(Iz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)),g(FP(Iz),ABIL(Iz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},ABIL(Iz)(t)),g(FP(Iz),STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

this implies that, as $n \to \infty$

$$g(FP(Lz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FLz,z(t))+g(FLz,Lz(t))+g(Fz,z(t)), \\ g(FLz,Lz(t)) + g(Fz,Lz(t)), \\ g(FLz,z(t)) + g(Fz,z(t)) \end{array}\right\}\right)$$

Thus

g(FLz,z (t)) (g(FLz,z(t))) ,

which means that z = Lz. Since ABILz = z, we have ABIz = z. Therefore , z = ABIz = Pz.

Now taking x = Iz , y = x_{2n+1} in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FP(Iz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABIL(Iz),STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FP(Iz),ABIL(Iz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)),g(FP(Iz),ABIL(Iz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},ABIL(Iz)(t)),g(FP(Iz),STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

this implies that, as $n \to \infty$

$$g(FP(Iz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi \max\left(\left\{\begin{array}{l} g(FIz,z(t))+g(FIz,Iz(t))+g(Fz,z(t)), \\ g(FIz,Iz(t)) + g(Fz,Iz(t)), \\ g(FIz,z(t)) + g(Fz,z(t)) \end{array}\right\}\right)$$

Thus

g(FIz,z (t)) (g(FIz,z(t))) ,

$\le \varphi$

which means that z = Iz. Since ABIz = z, we have ABz = z. Therefore , z = ABz = Pz.

Now taking x = Bz , y = x_{2n+1} in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FP(Bz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABIL(Bz),STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FP(Bz),ABIL(Bz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)),g(FP(Bz),ABIL(Bz)(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},ABIL(Bz)(t)),g(FP(Bz),STJUx_{2n+1}(t)) \\ + g(FQx_{2n+1},STJUx_{2n+1}(t)) \end{array}\right\}\right)$$

this implies that, as $n \to \infty$

$$g(FP(Bz),Qx_{2n+1}(t)) \le \varphi \max\left(\left\{\begin{array}{l} g(FBz,z(t))+g(FBz,Bz(t))+g(Fz,z(t)), \\ g(FBz,Bz(t)) + g(Fz,Bz(t)), \\ g(FBz,z(t)) + g(Fz,z(t)) \end{array}\right\}\right)$$

Thus

g(FBz,z (t)) (g(FBz,z(t))) ,

which means that z = Bz. Since ABz = z, thus we have Az = z. Therefore , z = Az = Bz = Iz = Lz = Pz .

Now by taking x = x_{2n}, y = Tz in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FPx_{2n},Q(Uz)(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILx_{2n},STJU(Uz)(t)) + g(FPx_{2n},ABILx_{2n}(t)) \\ + g(FQ(Uz),STJU(Uz)(t)), g(FPx_{2n},ABILx_{2n}(t)) \\ + g(FQ(Uz),ABILx_{2n}(t)), g(FPx_{2n},STJU(Uz)(t)) \\ + g(FQ(Uz),STJU(Uz)(t)), \end{array}\right\}\right)$$

this implies that, as $n \to \infty$

$$g(Fz,Uz\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,Uz\ (t)) + g(Fz,z\ (t)) \\ + g(FUz,Uz\ (t)), \\ g(Fz,z\ (t)) + g(FUz,z\ (t)), \\ g(Fz,Uz\ (t)) + g(FUz,Uz\ (t)) \end{array}\right\}\right)$$

This yields

g(Fz,Uz(t)) (g(Fz,Uz(t)))

which means that z = Uz. Since z = STJUz, we have STJz = z.

Now by taking x = x_{2n}, y = Jz in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FPx_{2n},Q(Uz)\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILx_{2n},STJU(Uz)\ (t)) + g(FPx_{2n},ABILx_{2n}\ (t)) \\ + g(FQ(Uz),STJU(Uz)\ (t)),\ g(FPx_{2n},ABILx_{2n}\ (t)) \\ + g(FQ(Uz),ABILx_{2n}\ (t)),\ g(FPx_{2n},STJU(Uz)\ (t)) \\ + g(FQ(Uz),STJU(Uz)\ (t)), \end{array}\right\}\right)$$

this implies that,

$$g(Fz,Uz\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,Uz\ (t)) + g(Fz,z\ (t)) \\ + g(FUz,Uz\ (t)), \\ g(Fz,z\ (t)) + g(FUz,z\ (t)), \\ g(Fz,Uz\ (t)) + g(FUz,Uz\ (t)) \end{array}\right\}\right)$$

This yields

g(Fz,Jz(t)) (g(Fz,Jz(t)))

which means that z = Jz. Since z = STJz, we have STz = z.

Now by taking x = x_{2n}, y = Tz in (1.3) and using (1.4), we have

$$g(FPx_{2n},Q(Tz)(t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILx_{2n},STJU(Tz)\ (t)) + g(FPx_{2n},ABILx_{2n}\ (t)) \\ + g(FQ(Tz),STJU(Tz)\ (t)),\ g(FPx_{2n},ABILx_{2n}\ (t)) \\ + g(FQ(Tz),ABILx_{2n}\ (t)),\ g(FPx_{2n},STJU(Tz)\ (t)) \\ + g(FQ(Tz),STJU(Tz)\ (t)), \end{array}\right\}\right)$$

this implies that, as n→∞

$$g(Fz,Tz\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,Tz\ (t)) + g(Fz,z\ (t)) \\ + g(FTz,Tz\ (t)), \\ g(Fz,z\ (t)) + g(FTz,z\ (t)), \\ g(Fz,Tz\ (t)) + g(FTz,Tz\ (t)) \end{array}\right\}\right)$$

This yields

g(Fz,Tz(t)) (g(Fz,Tz(t)))

which means that z = Tz. Since z = STz, we have Sz = z. Therefore, z = Az = Bz = Iz = Lz = Sz = Tz = Jz = Uz = Pz = Qz , that is, z is the common fixed point of A,B,I, L, S, T, J, U, P and Q.

For uniqueness, let w (w z) be another common fixed point of A,B,I, L,S, T, J, U, P and Q. Taking x = z, y = w in (1.3), we have

$$g(FPz,Qw\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(FABILz,STJUw\ (t)) + g(FPz,ABILz\ (t)) \\ + g(FQw,STJUw\ (t)), \\ g(FPz,ABILz\ (t)) + g(FQw,ABILz\ (t)), \\ g(FPz,STJUw\ (t)) + g(FQw,STJUw(t)) \end{array}\right\}\right)$$

which implies that

$$g(Fz,w\ (t)) \le \varphi\left(\max\left\{\begin{array}{l} g(Fz,w\ (t)) + g(Fz,z\ (t)) \\ + g(Fw,w\ (t)),g(Fz,z\ (t)) \\ + g(Fw,z\ (t)),g(Fz,w\ (t)) + g(Fw,w(t)) \end{array}\right\}\right)$$

g(Fz,w(t)) (g(Fz,w (t)))

As n→∞ we have z = w. This completes the proof of the theorem.

References :-

1. *Bharucha-Reid, A. T. : Fixed point theorems in probabilistic analysis, Bull. Amer. Math .Soc., 82(1976),641-657.*
2. *Chang, S.S. : Probabilistic contractor and the solutions for nonlinear operator equations in PN-spaces, Chinese Sci. Bull. 35(19) (1990), 1451-1454.*
3. *Cho, Y. J., Ha, K.S. and Chang, S. S. : Common fixed point theorems for compatible mappings of type (A) in non-Archimedean Menger PM-spaces, Math. Japonica, Vol.46,No.1(1997),169-179.*
4. *Hadzic, O. : A note on Istratescu's fixed point theorem in non-Archimedean Menger spaces, Bull. Math. Soc. Sci. Math. R. S. Roumanie 24(72)(1980),277-280.*
5. *Sehgal, V. M. and Bharucha-Reid, A. T. : Fixed points of contraction mappings of probabilistic metric spaces, Math. Systems Theory, 6 (1972), 92-102.*
6. *Schweizer, B. and Sklar, A. : Statistical metric spaces, Pacific. J. Math., 10(1960), 313-334.*
7. *Servet, K. and Yildiz, C. : A common fixed point theorem of compatible and weak compatible maps on Menger spaces, Kochi Math. J. 3(2008)(to appear).*

Treatment Strategies For Safe Water

Dr. Renu Rajesh *

Abstract - Safe drinking water remains inaccessible for about 1.2 billion people in world. About half the population in developing world, at any given time, is suffering with waterborne diseases due to biological contamination of drinking water. Unsafe water slows down economic and social development. Ill health in poor people caused by unsafe water further perpetuates poverty. Water purification is an ancient practice. Hindu and ancient Sanskrit writing recommend water treatment, such as filtration, boiling and straining. Cause and type of contamination is important for choice of water treatment process, system and technology to be used because there are various technologies which cater to the different needs of water purification The object of treatment is to make use of combination of physical, chemical and biological process to remove contaminants from water so as to make it fit for use. Along with technologies many devices are available in market to obtain safe water for consumption.

Key Words : Safe drinking water, Treatment technologies, Conventional methods, Solar energy

Introduction - Safe drinking water remains inaccessible for about 1.2 billion people in world. About 31% of the rural population in developing world did not have access to safe and convenient source of water (WHO, 2002). About half the population in developing world, at any given time, is suffering with waterborne diseases. Diarrhea and dysentery due to biological contamination of drinking water claimed the lives of approximately 2 million people in 2005, the majority being of children under the age of 5 in developing countries (WHO, 2007). Unsafe water slows down economic and social development. Ill health in poor people caused by unsafe water further perpetuates poverty. Water having acceptable quality in terms of its physical, chemical, and bacteriological parameters so that it can be safely used for drinking and cooking is termed as potable water. Walking distance or duration (time), from the household to the potable water source is principle criteria to define access to safe drinking water. Significant changes are being observed, in local water resources and ground water recharge rates due to global climate change and resulting weather variability. Rates of ground water extraction far exceed the rates of recharge in many parts of developing world. Drop in ground water table, water scarcity and contamination of water are posing health and hygiene problems.

Water purification is an ancient practice. 4000BC Hindu and ancient Sanskrit writing recommend water treatment, such as filtration through charcoal, exposing to sunlight, boiling and straining. In ancient India brass vessels were considered good for storing drinking water. This has now been proved scientifically that water stored in brass containers can help combat many water-borne diseases. In Brihat Samhita, Varahmihir mentioned about the purification of ground water in the wells. Sushruta, the Indian physician, wrote that muddy water could be purified with herbs and natural substances. He recommended the disinfection of contaminated water by exposing it to the sun or immersing red hot iron or hot sand in it.

Safe water is first and foremost requirement for a healthy life and it can only be obtained from safe water source. If there is contamination, cause of contamination and type of contamination is to be found out because choice of water treatment process, system and technology to be used is decided accordingly.

Styles Of Water Treatment

There are two main style of use. Which style is to be used depends on need of individual.

Point of Entry System – These systems treat water at entry point in residence. Such systems are installed after water meter. Water softener is an example.

Point of Use System – These systems treats water in batches and delivers water to a single tap in house, e.g., kitchen sink. Such systems reduce water borne intentional contamination in water supply. Some of them are personal water bottle; pour through; faucet mount; counter top manual fill; counter top connected to sink faucet etc.

Treatment Strategies

turbidity	cloth, slow sand, candle filtration
odour	aeration, charcoal, boiling
colour	charcoal, slow sand filtration
hardness	boiling, settling, filtration
bacterial impurities	boiling, chlorination, uv radiation, slow sand filtration
fluoride	activated alumina, nalgonda technique
chloride	reverse osmosis
arsenic	ion-exchange, alum-iron coagulation, lime softening
ammonia	chlorination, boiling
iron	oxidation and settling

* **Professor, Department Of Botany, Govt Nehru Lead College, Ashoknagar (M.P.) INDIA**

As shown in above table there are various technologies which cater to the different needs of water purification. Some important techniques are described below:-

Filtration

- This is a physical process that occurs when liquids, gases, dissolved or suspended matter adhere to surface or in pores of an adsorbent medium. Carbon filters use this technique to filter water. Rapid and slow filters effectively reduce turbidity of source water. It is prerequisite for effectiveness of disinfection by chlorine, ozonation and UV treatment. Community water filters are used to remove iron, hydrogen sulfide and manganese. Stand alone filtration media, an added layer in sand or multimedia filter system is also used. In large scale filtration units to agitate and loosen the media for effective removal of dirt during backwashing air scouring is essential.
- Sand and Carbon filters - These are used for muddy water and water which has other impurities in residential areas and for specific applications in industry. Slow sand filters remove turbidity, reduce bacterial and viral contamination and remove large biological contaminants such as cryptosporidium, girardia, amoebae, parasite eggs etc.
- Macro-filter – It is a multimedia filter and is an advance variant of pressure sand filter. It is made up of graded quartz sand, sieved fine white sand, activated carbon granules and pebbles. Water passes through this four layered column during filtration and physical contaminants present in water, excess turbidity, residual chlorine and volatile organic compounds are reduced effectively.
- Activated carbon filter - It uses high grade granular carbon column and use adsorption technology to remove the organic contaminants from raw water. It is used as a pre-treatment to softeners and reverse osmosis.
- Membrane Filtration - These are synthetic, selectively permeable membranes which remove bacteria, salts, heavy metals. Two classes of membrane filtration are: (1) Low pressure membranes i.e. Microfiltration and Ultra filtration, operating at 10 – 30 psi pressure. (2) High pressure membranes i.e. Nanofiltration and Reverse Osmosis, operating at 75 – 250 psi or more pressure. In recent years a new generation of RO and NF membranes have been developed that are less expensive and operate at lower pressure yet allow rejection of arsenate and arsenite. Arsenic Filters are designed to remove arsenic and additional dissolved metals (lead, iron, copper, zinc, alpha/beta emitters) from water.

Chlorination -

- It is in various forms is the most common disinfectant used worldwide. A chlorine dose (in liquid or solid form of chlorine) of 2mg/l and 30 minute contact time in a chlorination holding tank provides 99.9% disinfection. The required chlorine dose, however, increases with increasing turbidity, pH and increasing conc. of ammonia, hydrogen sulfide, Fe and Mn. The major advantage of this process is its ability to leave a residual disinfection conc. In water supply which further disinfects small amounts of newly introduced biological contamination and also suppresses regrowth of nuisance bacteria. To use this process, it is necessary to maintain an appropriate supply chain of source chemical to the water treatment location.

Reverse Osmosis -

- It is a process that reverses, by the application of pressure, the flow of water in a natural process of osmosis so that water passes from a more concentrated solution to a more dilute solution through a semi-permeable membrane. This system incorporates pre- and post- filters along with membrane.

Activated Carbon -

- It is highly active for removal of chloramines and chlorine from water and for removing trace organics like chloroform by highly micro porous carbon, e.g. coconut shell carbon.

Ultraviolet Treatment -

- It is a method which makes use of ultraviolet light to disinfect water or to reduce all pathogenic bacteria, viruses and cryptosporidium cysts present in water. It is a nonchemical process and requires low maintenance. It makes use of the germicidal property (severe damage to the DNA of the microorganisms) of UV rays. It is built as high efficiency UV lamps enclosed in physically and chemically inert quartz glass case to avoid direct water contact with bulb. This is an environmentally clean nontoxic technology which leaves no smell, taste or other residual effects in purified water and requires relatively very little contact time. All pathogenic microorganisms are effectively inactivated at the Point of Use system. This method, however, has some limitations. It does not treat non-biological water pollutants, does not remove turbidity and does not produce potable water from sewage or waste water. This method is not suitable for long term storage of water. For municipal water supply system this method can be a good option.

Softeners -

- It is a process of bringing down the hardness content of water. Hardness in water occurs mainly due to excess of magnesium and calcium contents. In softening process the salts which induce hardness in the water are substituted by another soft salt (sodium or potassium) through ion-exchange process. Soft water greatly reduces scaling of pipes, taps, geysers etc. It helps detergent to clean clothes.

Ion-Exchange Process -

- Synthetic Ion Exchange Resins are widely used for demineralization process in water treatment. These resins are based on polymer skeleton made up of polystyrene cross linked with divinylbenzene called matrix. Charged functional groups (acidic or basic) are

attached to matrix through covalent bonds. Acidic resins are –vely charged, loaded with cations (Na ions). Cationic exchange takes place during treatment process. Ca and Mg in water are absorbed by resins. Raw water will continue to get softened till resin gets saturated with hard salts. . Resin is regenerated by brine solution ($NaCl_2$ sol of 10 -15 % conc.). Basic resins are +vely charged, loaded with anions (Cl ions). Anionic exchange takes place during treatment. Resins with selectively sequences have been developed to optimize removal of sulfate, nitrate and organic matter.

Demineralization -

- Raw water is passed through a macro filter for reduction of excess turbidity, residual chlorine, and volatile organic compounds and then demineralization is done by ion-exchange method. 95% of dissolved mineral salts can be removed.

Chemical Dosing -

- Feeding chemicals in small quantities to the process fluid at specified intervals to give sufficient time for the chemical to react with fluid for achieving the desired results is chemical dosing, e.g., chlorination

Solar Distillation -

- Solar energy can be used to evaporate water from the brine solution for household or community water supplies by constructing sealed units covered with glass known as solar stills. The process has considerable economic advantage over other present technologies as it uses solar energy and requires low operation and maintenance cost. Solar distillation will provide potable water virtually from any type of dirty input water such as sea, bore effluent etc.

Conventional Methods -

- Lime softening method is used to remove arsenic. Lime hydrolyzes and combines with carbonic acid to form $CaCo_3$ which then removes arsenic. Similarly alum is used.
- Some plant products used as Natural Coagulants are :
  1) crushed seeds of Moringa tree.
  2) seeds of red sorella (Hibiscus sp) dried, crushed and mixed with sodium carbonate.
  3) seeds of kataka (Strychancs sp)
  4) seeds of khas (Vetiveria sp)
  5) seeds of tulsi (Ocimum sp)
  6) seed coats of elaichi (Eletaria sp)
- Water stored in copper and brass pots.
- Boiling disinfects water very effectively and adequately, however, it requires lot of fuel. Therefore, it is economically unaffordable and environmentally difficult to support.

Districts Affected By Water Quality Problems In Mp (2011)

- Fluoride Contamination – Dhar, Seoni, Mandla, Jhabua Etc (Total-20)
- High Nitrate Content - Dhar
- High Salinity – Rewa, Neemuch, Bhind etc (Total-09)
- Iron Content – Sehore, Raisen, Balaghat etc (Total-07)

Technologies for safe water are important and necessary to be understood by consumers and agencies that are responsible to provide/supply safe water. Safe water technologies are involved in the design, supply and erection of sewage treatment plants (STP) and effluent treatment plants (ETP). The object of treatment is to make use of combination of physical, chemical and biological process to remove contaminants from water so as to make it fit for use. Along with technologies many devices are available in market to obtain safe water for consumption. On the basis of type of water source, technology and device to be used, are determined. It is necessary to identify the specific contaminant whose presence in water is cause of concern. It is important to keep in mind that no single water treatment device treats all problems and that all devices have limitations. For effective operation of devices regular maintenance of treatment devices, extensive product testing and periodic retesting are required. For energy dependent devices/technologies renewable energy sources e.g., solar energy have to be adopted for sustainable development. In fact improving access to safe drinking water can result in multidimensional impacts on people's life and help improving economy of a country.

Conclusion - "The need of safe water technologies is as old as hills." For economic and social development of any country prerequisite is health of the people of that country. Safe drinking water is as important as food and clothing. Similarly, potable water within reach of the people is a must. But changing environment, industrialization, life style and unsustainable use of water resource have led to pollution and scarcity of safe water. Treatment strategies for safe water which date back to 4000 BC, as mentioned in Hindu and Sanskrit literature, are still applicable. Scientific researches have also led to recognition of environment friendly new technologies. Need of the time is to aware people, supplying agencies and government undertakings.

References -

1. A Gadgil, 2008, Safe and Affordable drinking Water for Developing Countries, Chapter in Physics of Sustainable Energy, Am. Inst. Phys., pp 176-191
2. mhtml:file://1\2-5-13/6 bridges.com- The Fascinating Art of Water Management in Ancient India
3. mhtml:file://H:\products. mht
4. mhtml:files://H:\NSF- Consumer Information- Home Treatment Devices. mht
5. R. Rajesh, 2014, Necessity & Management of Safe Water, Naveen Shodh Sansar, vol 1, Issue V pp 32-34
6. S M Avvannavar, M Mani, N Kumar, 2008, An Integrated Assessment of the Suitability of Domestic Solar Stills as a Viable safe Water Technology for India, Environmental Engineering and Management Journal, vol 7, no 6, pp 667-685
7. UNICEF, 2006, Water, Environment and Sanitation, http://www.unicef.org/India/wes-1359. htm
8. Water Supply and Sanitation in Small Towns of MP, www.samarthan.org
9. www.emc.cmich.edu/revisions/.../waterquality-addendum.pdf.
10. WHO, 2007 Measuring Child Mortality, http://www.who.int/child_adolescent_health/data/child/en/

Exotic Mouse Killer Plant Gliricidia Sepium Found In Dhar (M.P.)

Prof. Nirbhay Singh Solanki * Prof. S. C. Mehta * *

Abstract - Gliricidia sepium has found in Dhar city. The tree is used both to provide shade to chocolate tree and also enrich the soil; hence common name meaning "mother of cocoa". Gliricidia plant mainly native to Seasonal dry forest areas of Mexico and Central America, viz. Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras and Nicaragua. In various parts of America, the bark is used as rat poison. So we can also say that it is a "mouse killer" plant . The tree produces dense masses of attractive white or pink flowers.

Keyword - Gliricidiasepium, agroforestry, mousekiller, apiculture, medicine.

Introduction - *Gliricidia sepium* is a genus of flowering plant in the family of fabaceae (pea family). It is a small tree of multiple uses, originating from tropical America. As an exotic *G.* sepium has also been used extensively as a shade tree and the largest single cocoa plantation in the world (12,000ha), in Indonesia, uses *G*. sepium as the sole shade tree (seibert 1987). The best time for the flowers is February to April.

Study Area -

Dhar District - Dhar city in Dhar district is located at 22 degree to 22 degree 49 minutes north latitude and 75 degree 6 minutes to 75 degree 42 minutes east longitude. Average altitude of Dhar district is 588 meters above sea level.

- **Methodology -** I have taken some photographs by Digital Camera and made some specimen. SCINTIFIC NAME- *Gliricidia sepium*.

Common Name-Mexican lilac, Mother of cocoa, Quickstick.

Tamil - Seemai agathi, Malayalam: Seema Konna, Telugu: Madri

Bengali: Saranga, Kannada: Gobbarda mara.

Synonyms - Gliricidia maculata, Madre de cacao (French, Spanish

Mandiri-kakau (Sul.),Marikadau (Tag.),Marikakaw (Tag.) Mata-raton (Span.)

Gliricidia (Engl.),Aaron's rod (Engl.),Tree of iron (Engl.),Kakawate (Tagalog)

Chinese: Ge li dou.

Indonesian: Gamal.

Scientific Classification -

- KINGDOM : Plantae-Plant.
- SUBKINGDOM: Tracheobionta –Vascular plants.
- SUPERDIVISION : Spermatophyta- Seed plants.
- DIVISION: Magnoliophyta- Flowering plants.
- CLASS: Magnoliopsida- Dicotyledons.
- SUBCLASS: Rosidae.
- ORDER: Fabales.
- FAMILY : Fabaceae- Pea family.
- GENUS: *Gliricidia* Kunth –Quickstick.

SPECIES: *Gliricidia sepium*(Jacq.) Kunthex Walp. - Quickstick.

Botanical Discription - It is a small to medium-sized, thornless tree which usually attains a height of 10-12 m. Tree wood is durable and useful for posts and railways ties. Branching is frequently from the base with basal diameters reaching 50-70 cm. The bark is smooth but can vary in colour from whitish grey to deep red-brown. Leaves are odd pinnate, usually alternate, sub-opposite or opposite, to approximately 30 cm long; leaflets 5-20, ovate or elliptic,2-7 cm long,1-3 cm wide. Infloresences appear as clustered racemes on distal parts new and old wood, 5-15 cm long, flowers borne singly with 20-40 per raceme. Flowers bright pink to lilac, tinged with white, usually with a diffuse pale yellow spot at the base of the standard petals, calyx glabrous, green, often tinged red. The fruit is a 2-valved long pod. Fruit green,

* Assistant Professor of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P) INDIA * * Professor of Botany, Govt. P.G. College, Jaora (M.P) INDIA

sometimes tinged reddish –purple when unripe, light yellow-brown when mature, narrow, 10-18 cm long, 2cm wide, valves twisting in dehiscence; seeds 4-10,yellow- brown to brown, nearly round.

Uses -

Manure - In Srilanka **,** gliricidia has been grown between rows of coconuts and found to be an excellent organic ertiuliser a(Liyanagr 1987)

Fodder - Leaves are rich in protein and highly digestible for ruminants like goat and cattle , as they are low in fibre and tannin. There is evidence of improved animal production (both milk and meat in large and small ruminants when Gliricidia is used as a supplement to fodder. However , non-ruminants fed on *Gliricidia sepium* have shown clear signs of poisoning.

The juice from leaves is applied to daily for one week to areas affected by external parasites.

Apiculture - The flowers attract Honeybees (Apis spp.), hence it is an important species for honey production.

Fuel - Good for firewood and charcoal production. The wood burns slowly without sparking and with little smoke.

Antimicrobial - Study investigated an ethanolic extrat of Gliricidia sepium for antimicrobial activity against gram+ gram- bacteria ,and fungi.

Timber - Very durable and termite resistant; used for railway sleepers, farm implements, furniture, house construction and as mother posts in live-fence establishment.

Poison - The leaves, seeds or powdered bark are poisonous to humans when mixed with cooked rice or maize and fermented.It has been used as a poison for pests like rates and Mind

Anti-scabies - The study concluded that the G.sepium prepration is as effective as sulfur lotion in the treatment of scabies.

Medicine - A traditional remedy for hair loss, boils, bruises, burns, colds, cough, debility, eruptions, erysipelas, fever, fractures, gangrene, headeche, itch, prickly heat, rheumatism, skin tumors, ulcers, urticaria and wounds.

Erosion control - Hedgerows in alley cropping control soil erosion.

Shade and shelter - Often grown as shade for tea ,coffee and cocoa. It is also used as nurse tree for shade –loving species. Its fine, feathery foliage gives a light shade.

Discussion - It is used as fodder as well as medicine. The bark of kakawate is stripped and cooked with grains like corn or rice and used as poisonous bait for rodents. It play very important role in Agroforestry in a different way. By this we can do research on broad level in the field of agricultural and environmental biotechnology.

References -

1. www. fao.org/ag/Agpc/doc/publicate.
2. www.betuco.be/agroforestry/Gliricidiasepium.pdf.
3. www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/html/Gliricidia_ sepium.htm.
4. www.flowersofindia.net/catalog/slides/Mexican%20 Lilac .html.
5. www.paceproject.net/Userfiles/File/Forest/gliricidia%20sepium.pdf.
6. www.google.com.
7. www.wikipedia.com.
8. stuartxchange.com/kakawati.html.
9. http://www.mapsofindia.com/maps/madhyapradesh/districts/dhar.htm

****

Ethnobotanical and Ethnomedicinal Uses of Floristic Diversity in Areas of Dhar District in, MP India

Prof. Govind Waskel *

Abstract - Traditional uses of floristic diversity are the most important component of indigenous knowledge system, which is widely prcatised by human populations all across the world. Keeping this in mind, the present study has been conducted during 2010-2012, to study the ethnobotanical and ethnomedicinal uses of floristic diversity and surrounding areas of Dhar Disrtict in Madhya Pradesh, India. Total 134 species (52 trees, 42 shrubs, 40 herbs) belonging to were recorded and used by the inhabitants of the area. Different parts of these species, such as whole plants, leaves, flowers, fruits, roots, seeds, stems, barks, etc. were used by the inhabitants for curing various ailments. Various anthropogenic activities, over exploitation and habitat degradation have led rapid population depletion of these species. Therefore, study on habitat ecology, development of conventional and in-vitro propagation protocols, development of agro techniques/plantation techniques and introduction in the akin habitats, education and awareness programs for the inhabitants are suggested. So that adequate planning for the conservation of these species could be done.

Key Words- Ethnomedicinal plants, Fever, Floristic Diversity

Introduction - Dhar district is located nearly 60 km. From Indore (m.p.).The district is bounded on the North by ratlam, Ujjain Mandsaur district on the East by Indore district of on the west by Jhabua, Alirajpur and on the south by khargone, khandwa district. It covers the total area of 815359 sq. Kms. The district is located at lat 220 1'14 and 230 9'49N and long 740 28'27" and 750 42' 43' E .The forest of Dhar district is mostly deciduous types. In summer temperature is extended up to 450C .The average annual rainfall is 975 mm. Dhar are the main tribe of different villages of the district. According to 2001 census, the population of Bhil/Bhilala tribe in the district was 17.40 lac constituting about 29% of the total population. Extensive field trips were conducted for collecting the information of herbal treatment for fever. The information was collected with help of interview and questionnaires for the purpose of present study. A standard method given by Kaushik (1983) was followed with some modification.

The ethno- medicinal information specially related to treatment of fever were collected from the Bhil/Bhilala tribe people of Nilda/Surani village of Dhar District of M.P. Locals of the Nilda/Surani village used thirty plant species for the treatment of fever collected information is given in the Like other states of the Madhya Pradesh blessed with rich biodiversity which is very difficult to find elsewhere in such a scale. The state has a large number of floral species to suit the local needs and habitat conditions. This wealth of valuable raw materials has been exploited by the local people in a variety of ways. Various studies has been carried out on ethnobotanical and ethnomedicinal uses of floristic diversity in Madhya Pradesh Inspite of the efforts of the above workers many biodiversity rich areas are still unexplored or underexplored for the economically important floristic diversity. Therefore, comprehensive studies on ethnobotanical and ethnomedicinal uses of floristic diversity are essentially required so that pressure on the economically important biological resources could be identified and an adequate management plan for their conservation could be prepared. The present study has been made to assess the ethnobotanical and ethnomedicinal uses of floristic diversity and suggest strategies for the conservation, management and sustainable use of these important resources

Methods - The present study reviews the indigenous knowledge and use of plant resources of the Dhar along the altitudinal and longitudinal gradient. A total of 134 studies focusing on ethnobotany, ethnomedicine and diversity of medicinal and aromatic plants, carried out between 2000 and 2012 were consulted for the present analysis. In order to cross check and verify the data, seven districts of Dhar were visited in four field campaigns.

Results - Diversity: A total of 384 species of vascular plants i.e., Angiosperms (100 families, 278 genera and 374 species), Gymnosperms (1 family, 2 genera and 3 species) and Pteridophytes (5 families, 5 genera and 7 species) were recorded. Of the total species, 71 species were trees, 97 shrubs, 209 herbs and 7 pteridophytes Among families, Asteraceae (31 sp.); Fabaceae (25 sp.); Poaceae and Lamiaceae (17 sp., each); Rosaceae (12 sp.); Apiaceae (11 sp.); Anacardiaceae, Acanthaceae and Euphorbiaceae (10 sp., each); Caesalpiniaceae, Moraceae and Solanaceae (9 sp., each); Rubiaceae (8 sp.); Polygonaceae and Ranunculaceae (7 sp., each); Rutaceae and Urticaceae (6 sp., each); Boraginaceae, Rhamnaceae and Cyperaceae (5 sp., each); Araceae, Amaranthaceae, Commelinaceae, Convolvulaceae, Verbenaceae, Vitaceae and Zingiberaceae (04 sp., each) were the dominant. 33 families were monotypic.

* Govt. Jawaharlal Nehru College, Barwaha (M.P) INDIA

Amonggenera, Ficus (8 spp.); Artemisia, Bauhinia, Cassia, Euphorbia and Rubus (4sp.,each);Albizia, Asparagus, Desmodium, Indigofera, Jasminum Justicia, Oxalis and Zizyphus (3 sp., each) were species dominalr

Discussion - The people living in the Dhar have developed an age old tradition of selectively using a wide variety of forest resources for fodder, fuel and timber based on their quality and availability. They depend on the forests for their socio-economic structure. Due to habitat degradation and over exploitation, population of these economically important species is decreasing rapidly. Many of the preferred and higher quality species are under pressure, leading to changes in species composition and forest succession patterns ever increasing human and livestock populations are exerting additional pressure on forest resources and livelihoods as a result of resource shortages .The presence of 134 species indicates richness and high socio-economic value of these areas. The diversity of these species decreased with the increasing altitude. The species Acorus calamus, Acacia catechu,Bergenia ligulata, Centella asiatica, Dioscorea deltoidea, Hedychium spicatum, Pistacia integerrima, Terminalia bellirica, T. chebula, Valeriana jatamansi, Viola canescens and Zanthoxylum armatum were over exploited by the inhabitants from the natural habitats. If over exploitation of these species continues, they will be wiped out from area in future.

Promotion for cultivation of these species in the villages may reduce the human pressure on the wild habitats. Therefore, conservation measures have to be taken to maintain the current status of these species. Awareness among the villagers and mass multiplication through conventional and in-vitro propagation protocols, development of agro techniques/plantation techniques and introduction in the akin habitats, education and awareness programs for the inhabitants are recommended for the species facing high anthropogenic pressures and their establishment and maintenance in the in situ and ex situ conditions may help in the conservation and management of these species. The information generated in the present communication could be useful for the industry, pharmacologists, physicians, phytochemists , botanists and alike interested in the development of alternative therapies. As, it represents for the first time an immensely valuable database that provides a baseline information and contribute in filling the knowledge gaps for the compilation of a local biodiversity registers of the study area, a key instrument for achieving the regional and global biodiversity conservation and sustainable development goals.

Conclusion - Indigenous knowledge systems are culturally valued and scientifically important. Strengthening the wise use and conservation of indigenous knowledge of useful plants may benefit and improve the living standard of poor people.

Acknowledgement - Authors are thankful to Shri WASKALE forest officer for coducting the field work, Dr. R.K. Sharma Govt. Hamidia Art & com college Bhopal (M.P.) for critical evaluation of the paper and encouragement and pepole of Nilda village and my family member (Dhar District) for theri valuable information for providing valuable in puts. The inhabitants of the area are acknowledged for providing valuable information during the field surveys.

References -

1. Davis EW: Ethnobotany: an old practice, a new discipline. In Ethnobotany: Evolution of Discipline. Edited by Schultes RE, Reis SV. Dioscorides Press, Oregon; 1995:40-51.
2. Ford RL: The nature and status of ethnobotany. In Anthropological Papers. Edited by Ford RL. Museum of Anthropology, University of Michigan, USA; 1978.
3. Gomez-Beloz A: Plant use knowledge of the Winikina Warao: the case for questionnaires in ethnobotany. Economic Botany 2002, 56:231-241.
4. Balick MJ: Annals of the Missouri botanical garden. Volume 4. Missouri Botanical garden;1996::57-65.
5. Bussmann RW, Sharon D: Traditional medicinal plant use in Northern Peru: tracking two thousand years of healing culture.
   Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2006, 2:47. Njoroge GN, Bussmann RW, Gemmill B, Newton LE, Ngumi VW: Utilization of weed species as source of traditional medicines in central Kenya.
   Lyonia 2004, 7:272-287.
6. Cohen JI, Alcorn JB, Poster CS: Utilization and conservation of generic resources: international projects for sustainable agriculture.
   Economic Botany 1991, 45:190-199.
7. Henfrey TB: Ethnoecology, Resource Use, Conservation and Development in a Wapishana Community in the South Rupununi Guyana. [PhD dissertation]. University of Kentucky, UK; 2002.
8. Ticktin T, Johns T: Chinanteco management of Aechmea magdalenae: implications for the use of traditional ecological knowledge and traditional resource management in management plans.
   Economic Botany 2002, 56:117-191.
9. Gadgil M, Birkes F, Folkes C: Indigenous knowledge of biodiversity conservation.
   Ambio 1993, 22:151-160.
   Lyonia 2005, 8(1):43-49.
   Himalayan Journal of Sciences 2003, 1(1):25-30.
10. Government of Nepal: Medicinal Plants of Nepal. Bulletin of department of medicinal plants no. 3. Department of Plant Resource, Ministry of Forests and Soil Conservation, Kathmandu; 1970.
11. Jest C: Plants Sauvages Utilizes Comme Ailements a Dolpo Haulte Vallee Himalay Ethmedu Nepal. Lanejues et techniquies editions, Klicksieck Paris; 1972:325-332.
12. Lietava J: Medicinal plants in middle Palaeolithic grave Shanidar IV. Journal of Ethnopharmacology 1992, 35:263-266.
13. Stockwell C: Nature's Pharmacy: A History of Plants and Healing. Arrow Books Limited, London; 1989.
    Lewington A: Plant for People. Oxford University Press.

Conservation Of Certain Migratory Birds Found At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.)

Vinay Kumar Rathore * P.K. Mishra **

Abstract - In the present study, survey of Maramjhiri spot of Betul district (M.P.) was done based on folklore information collected from local tribal peoples (Korku and Bhil) and it was found that most of the seasonal migratory birds can be seen here because they get their shelter here. It was observed that most of the migratory birds were found to be least concern including Black headed oriole, Common Babbler, Grey Hornbill, Indian Treepie, Jungle Babbler, Duck, Black redstart and Cuckoo except Hawk and Vulture. Hawk is now considered as threatened species and vulture is now considered as critically endangered species under the IUCN categories of Red data book. In the present study, migratory birds were conserved by providing artificial wooden box, prevention of hunting by humans, by preventing bird collision to the objects, by protecting birds from pets, by restoring natural and artificial habitats viz. trees, Parks, buildings tunnels and bridges, by preventing pollution of bird habitats, by driving slowly in forest area, roads, national parks and sanctuaries and by supplying dead animals viz. insects, mammals, worms in forests to eat.

Key-words – Least concern, Threatened, Endangered, Migratory birds, Conservation strategies.

Introduction - Migratory birds are of great ecological and economic value to the states and countries of all over world. They are important components of biological diversity and their conservation and management helps sustain ecological integrity such as food chain and food web balance as well as the growing demand for outdoor recreation such as wildlife visits for recreational activities that's why the present study was focused on the conservation of 10 migratory bird species and their natural and artificial habit and habitat. The conservation of the birds is must due to the limited availability of habitats to the birds. This is particularly true in developing countries like India where all available habitats have been and still are under constant human pressure. As a result some habitats have totally vanished while others remain as fragments.Such a condition has challenged conservationists, particularly those who insist on having only large contiguous habitats as natural reserves (Daniels, 1994).

There are various ways of assigning conservation values to species,while some have been criticized as Anthropocentric,others are widely accepted by conservationists. Valuing species by endemism, habitat specialization, taxonomic uniqueness and degree of endangerment has been more popular among those attributes generally accepted. Assigning numerical conservation values under these 4 attributes to each species of bird in the Western Ghats has helped assess localities in Uttarakhanda district by their value of birds. Thus, when the 4 attributes were considered equally important and sites of conservation interest selected accordingly, the result suggested that by preserving 18 localities (out of the 107 surveyed) representing 5 major habitats, 75% of the district's avifauna can be protected. These include all the valuable birds of the district; the most important habitats of conservation interest being evergreen forests and marshes (Daniels *et al* 1991). Preserving species based on some assigned values has also been much in focus currently. Though it has not been fully decided whether species are to be valued for 'their own sakes' or 'for our sakes'. It is apparent that conservation evaluation and strategies are more effective if there are systems of attaching values to species.

As a result, different ways of valuing species and communities have been proposed (Nature Conservancy 1983; Usher 1986; Daniels *et al* 1991). Since the attributes discussed above are neither always correlated nor mutually exclusive of each other, hence, is a balanced strategy needed to conserve the bird diversity.

Materials and Methods - A large number of bird species are found in Betul especially in Maramjhiri spot of forest. Of these, most of the birds were found terrestrial because the forest provides food as well as good place for Nesting. The study of birds was conducted by survey based on field observation and the information provided by local tribal people. The birds were identified by binocular telescope, their photographs were taking on the spots as well as consulting the book of Woodcocks (1983) and Ali and Ripley (1983).

Finally, a list of migratory birds was prepared for their conservation. Looking to the importance of the birds as predator and as Scavenger, it was thought to investigate the various methods related to the conservation of birds. Apart from this, few rare birds are going to be extinct and now-a-days their existence is in endangered stage. Therefore, it was proposed to conserve the migratory birds and a list of birds was prepared according to the latest Red Data book under sixth different IUCN categories about the present status of migratory birds.

Results and Discussion - Results mentioned in Table (1) and Graph (1) explains conservation status of migratory birds and their modes of conservation and it was noticed that most of the migratory birds were found to be least concern including Black headed oriole, Common Babbler, Grey Hornbill, Indian Treepie, Jungle Babbler, Duck, Black redstart and Cuckoo except Hawk and Vulture. Hawk is now considered as threatened species and vulture is now considered as critically endangered species under the IUCN categories of Red data book.

In the present study, migratory birds were conserved by providing artificial wooden box, prevention of hunting by

* & ** Department of Zoology, Govt. P.G. College, Betul (M.P.) INDIA

humans, by preventing bird collision to the objects, by protecting birds from pets, by restoring natural and artificial habitats viz. trees, Parks, buildings tunnels and bridges, by preventing pollution of bird habitats, by driving slowly in forest area, roads, national parks and sanctuaries and by supplying dead animals viz. insects, mammals, worms in forests to eat. Similarly, Ruth et al. (2005) have described advancing migratory bird conservation and management by using radar. He has described that human activities can also destroy or threaten habitats critical to birds during migratory passage and climate change appears to be altering migratory patterns. Few tools for deciphering migratory travels exist, but radar-based studies of movements and habitat use patterns in song birds, water fowl and bats hold promise. He has used radar system to identify migratory pathways and stopover sites for conservation, mitigation, and landscape planning; convey the importance of functional landscapes and unobstructed airspaces for migrating wildlife, enable use of radar by the wider biological, wind power and related communities and simplify the analysis of radar data. Similarly, Bhatt and Joshi (2011) have reported a total of 174 bird species belonging to 38 families which were observed in urban and forest habitats. Seventy-nine species (45.4%) were found exclusively in forest, 14 species (8.0%) were restricted to urban habitat and 81 species (46.6%) were common to both habitat types.

References -

1. Ali S. and S. D. Ripley (1983). *Handbook of the birds of India and Pakistan* 4 (2 ed.). Oxford University Press. Pp. 108–111.
2. Bhatt D. and K.K. Joshi (2011). Bird assemblages in natural and urbanized habitats along elevational gradient in Nainital district (western Himalaya) of Uttarakhand state, India. *Current Zoology,* 57 (3): 318-329.
3. Daniels R. J. R. (1994). A landscape approach to conservation of birds. *J. Biosci.* 19 (4): 503-509.
4. Daniels R. J. R., Hegde M., Joshi Í. V. and M. Gadgil (1991). On assigning conservation value; a case study from India; *Conserv. Biol*, 5: 1-12.
5. Nature Conservancy (1983). *Natural heritage program operations manual,* Virginia, USA.
6. Ruth J.M., Barrow W.C., Sojda R.S., Dawson D.K., Diehl R.H., Manville A., Green M.T., Krueper D.J., and S. Johnston (2005). Advancing migratory bird conservation and management by using radar: An interagency collaboration: U.S. Geological Survey, Biological Resources Discipline, Open-File Report 2005-1173, Pp.12.
7. Usher Ì. Â. (1986). Wildlife conservation evaluation: attributes, criteria and values; in *Wildlife conservation evaluation* (ed.) Michael Â Usher (London: Chapman and Hall). Pp. 3-44.
8. Woodcocks M. (1983). Collins hand guide to the birds of the Indian sub-continent William Collins Sons & Co. Ltd., London.

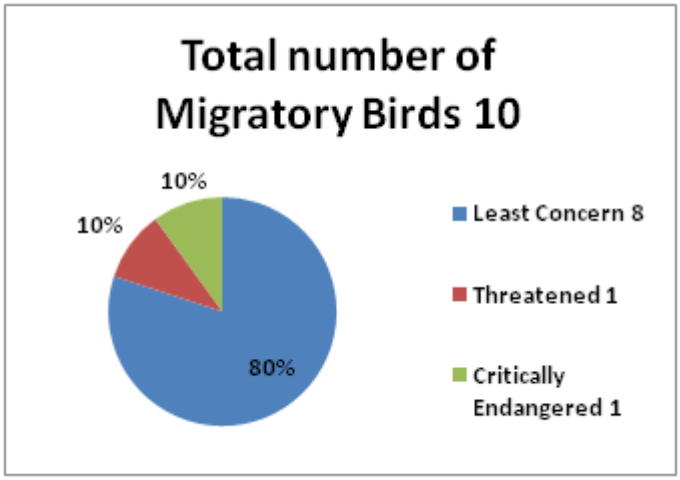

Graph 1 Conservation Status of Migratory birds in Red Data Book under the IUCN category.

Table 1 Conservation status and modes of conservation of migratory birds.

S. No.	Common Name	Zoological Name	Conservation Status	Modes of Conservation
1.	Black headed oriole (Peelak, Zardak, Pirola)	*Oriolus xanthornus*	Least Concern (LC)	1.By providing artificial wooden box. 2.Prevention of hunting by humans. 3.By preventing bird collision to the objects. 4.By protecting birds from pets. 5.By restoring natural and artificial habitats (trees, Parks, buildings tunnels and bridges)
2.	Common Babbler(Chilchil)	*Tordoides caudatus*	Least Concern	
3.	Grey Hornbill(Dhanesh)	*Ocyceros birostris*	Least Concern	
4.	Indian Treepie (Mahalat, Mootri, Mahtab)	*Dendrocitta vagabunda*	Least Concern	
5.	Jungle Babbler(Sat Bhai)	*Turdoides striatus*	Least Concern	
6.	Duck (Bathak)	Group of birds	Least Concern	
7.	Black redstart(Thirthir Kampa)	*Phoenicurus ochruros*	Least Concern	
8.	Hawk (Baj)	*Buteo jamaicensis*	Threatened	
9.	Vulture (Giddh)	*Gypaetus barbatus*	Critically Endangered (CR)	
10.	Cuckoo (Koyal)	*Cucumis melo*	Least Concern	

Diversity of Land Snails of India

Dr. Reeta Solanki *

Abstract - Land snails account for around 30,000 of the estimated 1,50,0000 members of the Phylum mollusca.They form an integral constituent of the soil/leaf litter ecosystem, playing an important role in nutrient recycling. Land snails are very good indicators of land use changes & are among the most severely threatened animals.

Key words - Land snails, Mollusca.

Introduction - Land snail is a common name for any species of snail, that live on land as opposed to those that live in salt water & fresh water.

Land snails are basically terrestrial gastropod molluscs, that have shells, (without shell are known as slugs) Gastropoda are divided into 3 orders - (1) Ctenobranchiata (2) Pulmonata (3)Aspidobranchiata.TheCtenobranchiata& Aspidobranchiata are called "Operculate gastropods" as their foot has an opercular plate which is not found in pulmonates. Some of these, molluscs called "Land operculates" have made brave attempts to be free from their aquatic medium Even, so, like all amphibious creatures they have to remain for ever in the close vicinity of water, so they abound in the habitats, where not only the moisture content is very high, but also their skin is frequently bathed by water drops, which is available in such humid & wet environments. Therefore, much of these forms are generally found in gardens, parks & near drainages (Tonapi, 1980). They prefer moist environment occurring under leaves stones, litter or occassionally under the bark of the trees.

Land snails account for around 30,000 of the estimated 15,00,000 members of the phylum mollusca (Abott, 1989). They form an integral constituent of the soil/leaf litter ecosystem, playing an important role in nutrient recycling. With their simple structure sluggish nature & persistent shells, they form an ideal candidate for biomonitoring.

A persual of literature shows a paucity of information on several aspects of these molluscs of India, Subbarao & Mitra (1979), Tonapi (1980), Vaught *et al* (1989) Naggs F. (1997), Ramakrishna & Mitra (2002), Mavinkurve *et al*. (2004), Madhayastha et al. (2004), Ramakrishna *et.al*. (2004) and Aravind *et al*. (2005) etc.

The estimated number of Molluscs in Indian subcontinent is around 5072 species, out of the estimated 66535 species of the world, falling under the families, 242 marine, 22 fresh water & 25 landform. At the family level about 62.8% of the families known from the world are represented in India. Out of seven classes present in the world, India is represented by five classes. Diversity of molluscs is also evident in their feeding habits. They are herbivores, carnivores, scavangers, deposit feeders, commensals & parasites. (Ramakrishna *et al*. 2004). In the wild, snails eat a variety of foods Terrestrial snails are usually herbivorous, but some species are predatory carnivorous & omnivorous. Land snails range greatly in size. The largest living species is the Giant African Snail Achatina-fulica (family Achatinidae) which can measure uto 30 cms. The first occurrence of these snails outside of Africa was Bengal, India in 1947. Now it is also reported as notorious pest of Western Ghats & 78 other species of Land snails belonging to 33 genera are reported from Karnataka (Mavinkurve *et al*. 2004).
Highest diversity of land snails are recorded in rainy season & lowest diversity in winter & summer due to hibernation & estivation. If snails are not able to hibernate, they generally die.

Land snails have been eaten for thousands of years, going back at least as for as the pleistocene. Archaeological evidence of snail consumption is especially abundant in capsian sites in North Africa, but is also found throughout the Mediterranean region dating between 12000 & 6000 years ago.However,wild-caught land snails which are prepared for the table but are not thoroughly cooked, can harbour a parasite (Angiostrogylus-cantonensis),that can cause a rare kind of meningitis.Mainly 3 species of Helix are eaten in several European countries.Many of lands snails are pests to commercial crops.Giant African snail is considered as one of the most land damaging snails in the world.It is needless to emphasize the importance of ecological studies on amphibious molluscs for their role in agriculture (Achatina) horticulture and as vectors which spread many diseases.

References -

1. Aravind,N.A.,Rajashekhar, K.P.andMadhyastha, N.A.(2005). Speed distribution of the land snails of the WesternGhats ,India.Records of the West Supplement 68 : 31-38.
2. Madhayastha N.A.,Mavinkuruve, R.G. and Shanbhag, S.P. (2004). ENVIS Bulletin :Wildlife Conservation orrain forestin India. 4 :143-151.
3. Mavinkurve, R.G., S.P. Shanbhag and Madhyastha, N.A.(2 0 0 4) . Checklist gastropods of Karantaka, India, Zoos' Print Journal 19 : 1684-1686.
4. Naggs, F. (1997). William Enson and the early study of land snails in British India and Ceylon Archives of Natural History, 24 , 37-38.
5. Ramakrishna and S.C. Mitra (2002). Endemic Land molluscs of India. Records of the Zoological Survey of India. Occassional Paper 196 : 1-65.
6. Ramakrishna, S. Barua & A.k. Mukherjee (2004). Mollusca, collection preservation, identification of animals Zoological survey of India P. 115-121.
7. Subbarao, N.V. and S.C. Mitra, (1969). On the land and fresh water molluscs of Pune district. Maharastra Records of the Zoological Survey of India, 75 : 1-37.
8. Tonapi, G.T. (1980) Fresh water animals of India Oxford & IBH Publishing Co.
9. Tonapi, G.T. and L. Mulherkar (1963). Studies on fresh water and amphibious molluscs of Poona with notes on their distribution - Part II. Journal of the Bombay Natural History Society 60 : 103-120.
10. Vaught, K.C. (1989). In Abott, R.T. and K.J. Boss (Eds.) A classification of the living Mollusca American Malacologists, Florida 32902, USA.

* Deptt. of Zoology & Biotechnology,Govt. M.H. College, Jabalpur (M.P.) INDIA

Conservation Of Certain Resident Birds Found At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.)

Vinay Kumar Rathore * P.K. Mishra **

Abstract - In the present study, survey of Maramjhiri spot of Betul district (M.P.) was done and it was found that most of the resident birds can be seen here because they get their shelter here. It was noticed that most of the local birds were found to be Least Concern (LC) including Black Drongo, Common Myna, Peacock/Pea fowl, House Crow, Indian Robin, Jungle Crow, Purple Sun bird, Red Vented, Rose Ringed Parakeet, Small Green Bee Eater, Small Minivet, Spotted Dove, Spotted owlet, White Bellied Drongo and Wag Tail. These birds can be conserved by preventing pollution of bird habitats, by switching off light and fans in corridors, by hanging artificial net, cage in corridors and building's balcony, by hanging pots filled with waters in corridors and building's balcony, by keeping food materials in pots on terraces and building' balcony and by supplying food materials in habitats.

Key-words – Least concern, Threatened, Endangered, Resident birds, Conservation strategies.

Introduction - Conservation of the birds is mandatory because of great ecological and economic value to the states and countries of all over world. Their conservation and management helps sustain ecological integrity such as food chain and food web balance as well as the growing demand for outdoor recreation such as wildlife visits for recreational activities that's why the present study was focused on the conservation of 15 resident bird species and their natural and artificial habit and habitat.

All habitats have been and still are under constant human pressure due to their limited availability for the birds in developing countries like India. As a result some habitats have totally vanished while others remain as fragments. Such a condition has challenged conservationists, particularly those who insist on having only large contiguous habitats as natural reserves (Daniels, 1994). There are various ways of assigning conservation values to species, while some have been criticized and rest are widely accepted by conservationists. Valuing species by endemism, habitat specialization, taxonomic uniqueness and degree of endangerment has been more popular among those attributes generally accepted. Assigning numerical conservation values under these 4 attributes to each species of bird in the Western Ghats has helped assess localities in Uttara Khanda district by their value of birds. Thus when the 4 attributes were considered equally important and sites of conservation interest selected accordingly, the result suggested that by preserving 18 localities (out of the 107 surveyed) representing 5 major habitats, 75% of the district's avifauna can be protected.

These include all the valuable birds of the district; the most important habitats of conservation interest being evergreen forests and marshes (Daniels *et al* 1991). Preserving species based on some assigned values has also been much in focus currently. Though it has not been fully decided whether species are to be valued for 'their own sakes' or 'for our sakes', it is apparent that conservation evaluation and strategies are more effective if there are systems of attaching values to species. As a result, different ways of valuing species and communities have been proposed (Nature Conservancy 1983; Usher 1986; Daniels *et al* 1991). Since the attributes discussed above are neither always correlated nor mutually exclusive of each other, hence is a balanced strategy needed to conserve the bird diversity.

Materials and Methods - A large number of resident bird species are found in Betul especially in Maramjhiri spot of forest. Of these, most of the birds were found in terrestrial habitats which provide food as well as shelter for nesting, egg laying and breeding. The study of birds was conducted by survey based on field observation and birds were identified by binocular telescope, their photographs were taken on the spots which were confirmed by consulting the book of Woodcocks (1983) and Ali and Ripley (1983).

Finally, a list of local birds was prepared for their conservation. Looking to the importance of the birds as predator and as Scavenger, it was thought to investigate the various methods related to the conservation of birds. Apart from this, few birds are going to be extinct and now-a-days their existence is in endangered stage. Therefore, it was proposed to conserve the resident birds and enlisted according to the Red Data Book of IUCN categories for confirming their present status.

Results and Discussion - Results shown in Table (1) explain conservation status and modes of conservation of resident/ local birds. It was noticed that most of the local birds were found to be Least Concern (LC) including Black Drongo, Common Myna, Peacock/Pea fowl, House Crow, Indian Robin, Jungle Crow, Purple Sun bird, Red Vented, Rose Ringed Parakeet, Small Green Bee Eater, Small Minivet, Spotted Dove, Spotted owlet, White Bellied Drongo and Wag

*Department of Zoology ** Department of Zoology, Govt. P.G. College, Betul (M.P.) INDIA

Tail. These birds can be conserved by preventing pollution of bird habitats, by switching off light and fans in corridors, by hanging artificial net, cage in corridors and building's balcony, by hanging pots filled with waters in corridors and building's balcony, by keeping food materials in pots on terraces and building' balcony and by supplying food materials in habitats. Similarly, Ruth et al. (2005) have described advanced technique of bird conservation and management by using radar.

He has used radar system to identify pathways and stopover sites for conservation, mitigation and landscape planning; convey the importance of functional landscapes and unobstructed airspaces for birds, enable use of radar by the wider biological, wind power and related communities and simplify the analysis of radar data. Banerjee (2007) has also made policies and strategies for the conservation of birds and other animals in Madhya Pradesh. Similarly, Bhatt and Joshi (2011) have also reported 174 bird species in urban and forest habitats. Of these, 79 species were found exclusively in forest, 14 species were restricted to urban habitat and 81 species were common to both habitat types.

References -

1. Ali S. and S. D. Ripley (1983). *Handbook of the birds of India and Pakistan* 4 (2 ed.). Oxford University Press. Pp. 108–111.
2. Banerjee S. (2007). Biodiversity conservation in Madhya Pradesh Policies and Strategies. B.D. Conserve. M.P. Pp. 1-17.
3. Bhatt D. and K.K. Joshi (2011). Bird assemblages in natural and urbanized habitats along elevational gradient in Nainital district (western Himalaya) of Uttarakhand state, India. *Current Zoology,* 57 (3): 318-329.
4. Daniels R. J. R. (1994). A landscape approach to conservation of birds. *J. Biosci.* 19 (4): 503-509.
5. Daniels R. J. R., Hegde M., Joshi Í. V. and M. Gadgil (1991). On assigning conservation value; a case study from India; *Conserv. Biol*, 5: 1-12.
6. Nature Conservancy (1983). *Natural heritage program operations manual,* Virginia, USA.
7. Ruth, J.M., Barrow, W.C., Sojda, R.S., Dawson, D.K., Diehl, R.H., Manville, A., Green, M.T., Krueper, D.J., and S. Johnston (2005). Advancing migratory bird conservation and management by using radar: An interagency collaboration: U.S. Geological Survey, Biological Resources Discipline, Open-File Report 2005-1173, Pp.12.
8. Usher Ì. Â. (1986). Wildlife conservation evaluation: attributes, criteria and values; in *Wildlife conservation evaluation* (ed.) Michael Â Usher (London: Chapman and Hall). Pp. 3-44.
9. Woodcocks M. (1983). Collins hand guide to the birds of the Indian sub-continent William Collins Sons & Co. Ltd., London.

Table 1 Conservation status and mode of conservation of resident/local birds

S. No.	Common Name	Zoological Name	Conservation Status	Modes of Conservation
1	Black drongo (Bhujnga,Kotwal, Karanjua)	*Dicrurus macrocercus vieillot*	Least Concern	1.By preventing pollution of bird habitats.
2	Common Myna(Maina)	*Acridotheres tristis*	Least Concern	2.By switching off light and fans in corridors.
3	Peacock/Pea fowl(Mor)	*Pavo cristatus*	Least Concern	
4	House Crow(Kowwa)	*Corvus splendens*	Least Concern	3.By hanging artificial net, cage in corridors and building's balcony.
5	Indian Robin(Kalchuri)	*Saxicoloides fulicata*	Least Concern	
6	Jungle Crow(Jungli Kowwa)	*Corvus culminatus*	Least Concern	4.By hanging pots filled with waters in corridors and building's balcony.
7	Purple Sun bird(Shakarkhora)	*Cinnyris asiaticus*	Least Concern	
8	Red Vented (Bulbul)	*Pycnonotus cafer*	Least Concern	5.Bykeepingfood materials in pots on terraces and building's balcony.
9	Rose Ringed Parakeet (Kanthiwala Tota)	*Psittacula krameri*	Least Concern	
10	Small Green Bee Eater (Patringa)	*Merops orientalis*	Least Concern	6.By driving slowly in forest area, roads, national parks and sanctuaries.
11	Small Minivet(Choti Nikhar)	*Pericrocotus cinnamomeus*	Least Concern	
12	Spotted Dove(Chitkabra Fakhta)	*Streptopelia chinensis*	Least Concern	7.Bysupplyingfood materials in habitats.
13	Spotted owlet(Chitkabra Ulloo)	*Athene brama*	Least Concern	
14	White Bellied Drongo (Bhujanga)	*Dicrurus caerulescens*	Least Concern	
15	Wag tail (Kawdi Khanjan)	*Motacilla alba*	Least Concern	

A Survey On Women Fish Sellers At Jabalpur (Madhya Pradesh)

Dr. Reeta Solanki *

Abstract - A survey study on women fish sellers at Jabalpur was conducted during the month of June, 13. Many interesting & unique pursuits were noted during the survey.

Introduction - Jabalpur the "Marble rock city" of M.P. was very rich in water bodies. About 52 ponds of historical importance exist, since long time but only 20 of them exist today. All the remaining water bodies though highly polluted. But a few of them are highly productive. Maximum production of most common genera of indigenous & exotic varieties of fishes is found in these lakes. Very negligible work has been done in this direction. For some people it is immaterial whether the fish seller is men or women. Some notable work has been by Sugunan & Nandersha (2011).

There are about 20 ponds in Jabalpur from where fishes are captured & marketed. Fish markets are generally in the form of footh paths in Jabalpur except a few well maintained modern shops in Sadar & Civil Lines. In these footpath sellers some women are there. These are found in Satpula, Ranjhi, Khamaria, Garha, Mahanadda, Sadar, Near Vehicle Factory, Near Delight Talkies, Adhartal, Maharajpur & Near Medical College.

Market survey was conducted by using questionnaire & interviewing the fish vendors. Information about these women fish vendors & their business was collected.

Results & Discussion - Though no. of places are there in Jabalpur where fishes are sold but the no. of women fish vendros is rare in this city.

There are about 30-32 women fish vendors were found in the city in different places. There is a wide variation in their age & their family conditions. Dry & fresh fishes are sold by these women, some women sale eggs of Ducks & some vegetables alongwith fishes. Some vendors are occassional some are permanent.

Occasional vendors sell fish according to demand and family conditions. they come in the market, when their husband or boy or male member becomes ill or they are not available. Permanent vendors are less, they are generally old & widow women sent by their children for earning. Two women are one of these, do not have any family members.

Survey conducted for their routine life also & it was observed that many of them start their work at 4.00 to 5.00 A.M.They collect fish from their suppliers or their male members of the family capture these fishes & give them to sell.

Problem of money is always there. No. of male members capture these fishes in the night without any permission & sale these fishes in their places. Some honest vendors borrow money from other vendors or the persons who give them money in the form of loan with interest. It was very interesting to observe that these women also discuss about the recipe for preparation of some rare fishes.

References -

1. Gurumayuna Shantabala Devi, V.V. Sugunan, M. C. Nandeesha "The Ema market of Manipur & the women fish vendors Fishing Chimes, 30 (10 & 11) Jan. Feb. 2011, P. 72-75.
2. CAMP, 1998 Report of the workshop on "Conservation assessment and management plan (CAMP) for fresh water fishes of India". Zoo outreach organization & CNBFGR Lucknow, 22-26 Sept. 1997, 156 p.

* Deptt. of Zoology & Biotechnology,Govt. M.H. College ,Jabalpur (M.P.) INDIA

Nesting, Egg Laying And Breeding Habitats Of Certain Migratory Birds Found At Maramjhiri Spot Of Betul (M.P.)

Vinay Kumar Rathore * P.K. Mishra **

Abstract - Birds that fly towards warmer areas in search of food and forage are called migratory birds. These birds travel long distances across states, countries and even continent. During cold winters when food becomes scarce, migratory birds look for places usually down south, tropics and subtropics where food is abundant. Thus to avoid extreme cold and search for food bird migrate from one place to another. Results explain that migratory birds used different-different places as habitat for breeding, eggs laying and nesting. Most of the birds made their nest on trees and shrubs. Some of them made their nest in houses (Jungle Babbler), water and muddy area (Duck), rocky-stony slope area (Black red start), roof of gutter and tree holes, rocks and holes of walls, in tunnels, buildings and on grounds. Most of the birds laid their eggs in different types of nest made up of small twigs, grass roots and wood fibres.
Key-words - Migration, avian fauna, nesting, breeding, habitat, diversity

Introduction - All species of animals need a proper combination of food, water, cover and space to survive and reproduce. Together, these elements make up a "habitat" and without habitat, a species cannot survive. Since bird species are wonderfully diverse in their forms and lifestyles, their habitats vary tremendously (IMBD, 2002). Hence, in the present study, nesting, egg laying and breeding habitats of migratory and local/residents birds were observed and it was noticed that most of the birds made their nest on trees and shrubs. Some of them made their nest in houses (Jungle Babbler), water and muddy area (Duck), rocky-stony slope area (Black red start), roof of gutter and tree holes, rocks and holes of walls, in tunnels, buildings and on grounds.

Most of the birds laid their eggs in different types of nest made up of small twigs, grass roots and wood fibres. Some laid their eggs in grounds, bare ground in tunnel, in tree holes. Besides this, breeding habitats of most of the birds are trees, shrubs, forest, grounds, tunnels and buildings. Finally, a habitat fulfills the all four essential needs viz. food, water, cover and space.

Materials and Methods - In the present study, survey of the Maramjhiri forest area of Betul district was done and information were gathered from the tribal peoples (Korku, Bhil) related to the habitat, place of shelter, nesting made in the tree of forest areas and eggs laid in the tree holes. Finally, the gathered information was arranged in tabulation form for their comparative study and observation of migratory birds.

Results and Discussion - Results shown in Table (1) explain that migratory birds used different-different places as habitat for breeding, eggs laying and nesting. Black headed oriole *Oriolus xanthornus* (Pirola) have used teak trees for breeding, egg laying and nesting habitat. Common Babbler (Chilchil) *Tordoides caudatus* have used only shrubs for breeding, egg laying and nesting habitat whereas Grey Hornbill (Dhanesh) have used old and large trees for habitation. Indian Treepie *Dendrocitta vagabunda* that is commonly known as Mahalat, Mootri, Mahtab have used branches, shrubs of different trees for their habitation. Jungle Babbler *Turdoides striatus* who is well known as Sat Bhai used jungle as breeding habitat but lay their eggs in nest on shrubs and in houses. Duck that is commonly known as Bathak is a group of aquatic birds that start breeding in water and lay their eggs in water and in muddy area. Black red start *Phoenicurus ochruros* that is locally known as Thirthir kampa have used rocks and stones for breeding, grasses for egg laying and rocky-stony slope have used for nesting. Breeding, nesting and egg laying habitats of Hawk (Baj) *Buteo jamaicensis* and vulture (Giddh)

Gypaetus barbatus are largest tree and its branches. However, now-a-days both the species are struggling for their existence due to scarcity of dead animals. Cuckoo (Koyal) *Cucumis melo* have used longest trees and its branches for breeding but used tree holes as nesting for laying their eggs which looks similar to the eggs of crow (Table 1). Knick and Rotenberry (2002) have reported the effects of habitat fragmentation on birds and discussed that habitat fragmentation and loss strongly influence the distribution and abundance of birds breeding. Fragmentation influenced productivity through differences in breeding density, nesting success and predation. Species of birds often show a marked preference for nesting and foraging at certain heights and in certain structures of vegetation. Cavity nesters, such as wood peckers, require trees of the age and size to support suitable holes. Lima (2009) has also reported the ways in which birds assess the risk of nest predation. Nest defense in birds has historically received much attention, but little is known about how it interacts with other aspects of decision-making by parents.

Very recently, Bhadouria et al. (2012) have done a survey of avifaunal diversity in wetlands around Keoladeo National Park, Bharatpur, Rajasthan that is famous for its rich avifaunal

* Department of Zoology ** Department of Zoology, Govt. P.G. College, Betul (M.P.) INDIA

diversity but it is now facing water shortages. Therefore, many species of migratory birds have been moving to nearby wetlands for foraging. A total of 27 wetlands have been identified within 100 km radius of the Keoladeo National Park and out of them 75 species of water birds were recorded. Steward (2007) has reported that one of the best known functions of wetlands is to provide a habitat for birds. Wetlands are important bird habitats and birds use them for breeding, nesting rearing young. Birds also use wetlands as a source of drinking water and for feeding, resting, shelter, and social interactions.

References -

1. Bhadouria B.S., Mathur V. B. and K. Sivakuamr (2012). A survey of avifaunal diversity in wet lands around Keoladeo National Park, Bharatpur, Rajasthan. Bird Populations: A Journal of Gloval Avian Biogeography. 11: 1-6.
2. IMBD (2002). Intern. Migratory Bird Day. The four essential elements of habitat. http://birdday.org .
3. Knick S.T. and J.T. Rottenberry (2002). Effects of habitat fragmentation on passerine bird breeding in intermountain shrubsteppe. Studies in Avian Biology. 25: 130-140.
4. Lima S.L. (2009). Predators and the breeding bird: behavioral and reproductive flexibility under the risk of predation. Biol. Rev. 84: 485–513.
5. Steward R.E. Jr. (2007): Technical Aspects of Wetlands: Wetlands as Bird habitat: United States Geological Survey Water Supply Paper 24-25.

Table 1 Nesting, egg laying and breeding habitat of migratory birds

S. No.	Common Name	Zoological Name	Nesting Habitat	EggLaying Habitat	Breeding Habitat
1	Black headed oriole (Peelak, Zardak, Pirola)	*Oriolus xanthornus*	Teak trees (Chikhlaar)	Nesting (shrubs)	Teaktrees (Chikhlaar)
2	Common Babbler (Chilchil)	*Tordoides caudatus*	Different shrubs	Shrubs	Shrubs
3	Grey Hornbill(Dhanesh)	*Ocyceros birostris*	Old trees	Large trees (Betul)	Large trees (Betul)
4	Indian Treepie (Mahalat, Mootri,	*Dendrocitta vagabunda* Mahtab)	branches of Trees	In nest on shrubs	Kothal kund Khomai forest
5	Jungle Babbler(Sat Bhai)	*Turdoides striatus*	Houses and trees	In nest on shrubs	Chicholi Jungle
6	Duck (Bathak)	Group of birds	Water and muddy area	In nest on trees	Kosmi, Satpuda dam Sarni
7	Black redstart (Thirthir Kampa)	*Phoenicurus ochruros*	Rocky area Stony slopearea	Grasses	Rocks, stones of Sarni
8	Hawk (Baj)	*Buteo jamaicensis*	Tall trees viz. Mango Pipal	Trees and branches	Trees and branches
9	Vulture (Giddh)	*Gypaetus barbatus*	Banyan & pipal trees	Trees and branches	Trees and branches
10	Cuckoo (Koyal)	*Cucumis melo*	Tall Trees	Trees holes	Branches

Treatment Of Acne Vulgaris By Homeopathic Medical System Through Textile Based Products

Ankita Singh Rao *

Abstract - Acne medically known as acne vulgaris which is a chronic inflammatory disease/ disorder of the sebaceous glands. It is a skin problem starts when the oil and dead skin cells block up to the pores. It occurs in both the sex (male and female) during puberty. They are usually caused by the secretion of oily substances called sebum by the sebaceous glands. Generally affected areas are , face , neck , shoulders , and back (concentrate only on back because for garment like as slips (shameez)and shirts).The medicines of homeopathy applied on garments for the treatment of acne. So that medicine will be in a contact to affected area for a long time. It is atime taking process but with no side effects.

Key words - Acne vulgaris , sebaceous gland , puberty , inflammatory

Introduction - Acnemedically known as acne vulgaris which is a chronic inflammatory disease/ disorder of the sebaceous glands. It is a skin problem starts when the oil and dead skin cells block up to the pores.It occurs in both the sex (maleand female) during puberty.They are usually caused by the secretion of oily substances called sebum by the sebaceous glands.According to the definition acne is multifactorial chronic inflammatory disease of pilsosebaceous units. It is not caused bybacterial infection while bacteria play an important role in the development of acne or pimples. Generally affected areas by acne are face, neck,shoulders. Human skin has pores (tiny holes) which are linked to oil glands situated under the skin. The glands are connected to the pores via follicles - small canals. These glands produce Sebum, an oily liquid. The sebum carries dead skin cells through the follicles to the surface of the skin. A small hair grows through the follicle out of the skin. Pimples grow when these follicles get blocked, resulting in an accumulation of oil under the skin. Majority of the patients have scars of different sizes and shapes on their face.

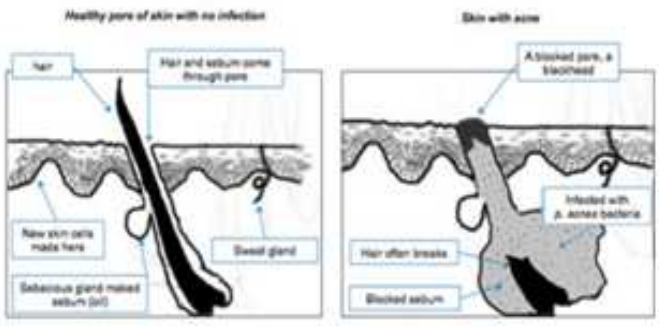

Types of acne:

a) Inflammatory acne: include pustule, papule, nodule, and cyst.
b) Non inflammatory acne:include white heads & blackheads.

Causesof acne :There are several causes of acne main causes of acne which includes increased secretion of sebum or increased in the harmony of sebaceous glands and the jam of hair fossils or pilsosebaceous ducts.Hyperkeratinization and creation of a plug of keratin and sebum (a microcomedo) is the initial change. Extension of sebaceous glands and a growth in sebum production which occur with increased inandrogen (DHEA-S) production at adrenarche. The microcomedo may enlarge to form an open comedo blackhead) or closed comedo. Comedones are the direct result of sebaceous glands' becoming blocked with sebum, a naturally occurring oil, and dead skin cells. In these conditions, the naturally occurring largely commensal bacterium Propionibacterium acnes can cause inflammation, leading to inflammatory lesions (papules, infected pustules, or nodules) in the dermis around the microcomedo or come done, which results in redness and may result in scarring or hyper pigmentation. Hormonal activity, such as menstrual cycles and puberty, formation of acne. During puberty, a growth in sex hormones called androgens causes the follicular glands to grow larger and variety of sebum.

Precipitating factors of acne are:

1. Hereditary
2. Cosmetics
3. Hormonal disturbances
4. Exposure to heavy oils
5. Accumulation of dead skin cells

Complications of acne:

1. Scarring
2. Low self esteem
3. Secondary bacterial infection

Homeopathic treatment of acne : Homeopathy is one of the most popular natural holistic system of medicine

* Department of Textile Designing, Banasthali Vidyapeeth, Newai (Raj.) INDIA

.The selection of remedy is totally based upon the theory of individualization and symptoms resemblance by using holistic approach. This is the only way concluded which a state of complete health can be recovered by removing all sign and symptoms from which patients are suffering . It is a therapeutic medication. The aim of homeopathy is not only to treat acne but to address its primary cause and individual susceptibility. As far as therapeutic medication is concerned , some remedies are available to cure acne that can be chosen on the basis of cause , sensation and modalities of the complaints.

Homeopathic medicines foracne are as follows :

- Antimonium crudum: This remedy is useful for pimples on cheeks and chin. The skin has tendency to develop cracks and warts. The acne lesions themselves which are frequently burning and itching character become pustules and then develop into boils.
- Carbo veg: This remedy indicates pimples with mottled cheeks and a red nose. The pimples may suppurate , exhibit an offensive odour and may develop into carbuncles . The skin is moist and itchy and weakness and flatulence may be seen in those requiring this remedy.
- Kali brom : This is one of the most commonly used remedies in acne , beginning with burning or pickling large blue – red pimples with yellow pussy heads. Mainly occurs on face , neck , shoulders , chest and back.
- Nat mur : This remedy is considered by severe acne in those people with oily , dirty skin suffering from anxiety and constipation . Acne occurs only on face , neck and back.
- Nux vomica : Acne that corresponds to Nux vomica is often seen after the excessive use of alcohol, food and stimulants particularly where the skin symptoms are associated with gastrointestinal complaints .
- Pulsatilla : Those acne suffers who respond to this remedy are often adolcents who are thirstless and have menstrual disorder , circulatory problems allergies ,or ear ,nose or throat disorder. The acne lesions themselves may be itchy and have a slightly cyanotic appearance.
- Silica : The acne that reacts well to this remedy consists of hard , deep pimples that fail to show pus or come to head . The lesions commonly arise on cheeks and forehead and then resolve leaving a pitting scars.
- Thuja : The Thuja respondent will usually exhibit very oily skin , dilated pores and express feeling of great shame regard to acne . It generally occurs on face and nose , especially due to vaccination .
- Bovista : This remedy is very useful for acne due to the use of cosmetics.
- Sulphur: This remedy has got good results in the case of acne.
- AsteriasRub : One of the best remedy for the acne over on the face at the age of puberty.

Application of Homeopathic medicine on textile base products :

- The Homeopathic medicines are applied on garments for the treatment of acne.
- So that medicine will be in a contact to affected area for a long time.
- It is a time taking process but with no side effects.

References -

1. www.hpathy.com
2. www.weikiepedia.com
3. Textbook of book of Materia Medica By AD : Lippe,M. D
4. Professor of Materia Medica at the Homoeopathic College of Pennsylvania.
5. Spirit of Organon part- 1 by : Tapan Chandra Mondal Published by : B. Jain New Delhi.

****

Impact of Counseling Upon Health & Quality of life of HIV Positive And Their Care-givers of HIV Positive Patients In Haryana

Dr. Manik Samvatsar * Saroj Verma ** Ravindra Prajapati ***

Abstract - HIV/AIDS is the most divesting disease of 21st century, faced by India. The HIV/AIDS patients suffering for severe psychosocial problem are unable to adjust with in the given environment. The Present study aims to assess the impact of counseling upon health and quality of life of HIV positive and their caregivers. The sample comprised of 50 HIV positive patients and 50 care givers of HIV positive patients. Non random purposive sampling was used to select HIV positive patient and their care givers from ICTC centre, Haryana. There age range from 25 years to 50 years. WHO quality of life – BREF and PGI health questionnaire N-1 were used to collect data. Finding present study revealed that counseling has a significant improvement in the health (reduced physical as well as psychological distress) in HIV positive patients and their care givers.

Keywords: Health and Quality of life, HIV/AIDS and Counseling.

Introduction - The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is one of the most dreaded disease that mainly impairs body's immune system of fight bacteria, viruses, cancer, etc, (Lahey, 1995). Internationally accepted name of causative virus of AIDS is known as Human Immunodeficiency Virus (HIV). Following exposure to HIV, the person is vulnerable to germs that a normal immune system could destroy. HIV can be transmitted through sexual/contact or from mother to child through the placenta or by transfer of whole blood or blood product. In 1993, it was further explained to include and HIV infected individual with CD4 countless that 200 per misrelate (Munjal, Mishra, & Rao, 1995).

In this competitive era, the life of human has become so hectic, that the health has started getting negatively influenced. Speed has become so important that nobody is able to take proper care of his/her health. All this his made it all the more necessary to understand about health. Health can be defined negatively as the absence of illness, or positively as the fitness and wellbeing in any organism and functionally as the ability to cope with everyday activity. Health is a form of homeostasis.

It is a state of balance with input and output of energy. Health also implies good prospectus for continued survival, in creatures such as human beings. The concept of health is not easy to define it as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. An understanding of the most comprehensive and often quoted definition of health psychology by Malassiostis, (2001) leads to an insight in educational, scientific and professional contribution of the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness and the identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness and related dysfunction".

The World Health Organization (WHO) define health as a state of complete physical, mental, and social well being and not merely the absence of disease or infirmity. If follows that measurement of health must not only include estimate of the frequency and severity of disease but also well being and quality of life. This is particularly true for patients with HIV/AIDS because if the Chronic and debilitating nature of the illness, stigma and a high of premature death. (Clayson, DJ., 2006.) Many of these patients struggle with numerous social problems such as stigma, poverty, depression, substance abuse and cultural beliefs which can affect their quality of life not only from physical health aspect but also from mental and social health point of view and cause numerous problem is useful activities and interest of the patients. (Aranda Naranjo, B., 2004)

Coulter, (2002) in his study revealed that perception of HIV related quality of life (HRQOL) varied in population with HIV infection or AIDS. On most HRQOL measures, lower CD4 count was associated with their physicians did not feel more depressed, worried, or sad than those who did not. Patients who recalled such talks were more likely to accept that their illness was terminal and prefer comfort care over the life-extending therapies. They received less aggressive medical treatment, such as resuscitation or admission to an intensive care unit, and they were more apt to enroll earlier in hospice programs.

With the recent advances in clinical tests and treatment for those suffering from HIV/AIDS, the survival of the patents has been increased and their quality of life has become an important focus for researches and health care providers. Until recently quality of life was not considered on issue of psychological importance. For many years it was measured mainly in terms of length of survival and signs of presence of disease, treatment. However, it was found that medical measures were weekly related to patients or relatives

*** Deptt. of Home Science, Govt. Arts and Science College, Ratlam (M.P.) ** Govt. Sr. Sec. School, Ikkas, Jind (Haryana) *** NACO (New Delhi) INDIA**

assessment of quality of life. Perhaps the most important inputs for evaluating quality of life stems from the psychological distress chronically ill patients often experience. The chronically ill are more likely to suffer from depression, anxiety and distress. Depression, psychological distress and neuroticism contribute to substantially increased risks for mortality from chronic conditions (Cruess, 2002).

Thus counseling of HIV/AIDS patients as well as their care givers is equally important. Spouses/ Partners and family members of HIV positives often have great concerns, worries and a sense of burden after learning the HIV diagnosis of their beloved ones. It can be difficult for them to solicit social support and seek empathy from their social network or other family members. Caregivers, who are mainly spouses/partners, may have reduced life satisfaction or even feel burnout in the course of taking care of their loved ones. Support and counseling to spouses/partner and family members is an important part of the holistic care in management of HIV disease (NACO,A Sheared Vision 2009).

Methodology - The present study was conducted in two phases. All the measure were administered individually to each participant by the investigator herself. For examine impact of pre and post counseling on health and quality of life of HIV positive and their givers. Before and after design was used. The base line scores were taken from the first testing in the first phase and all the subjects were taken up for second phase of the study

The HIV positive cases and their care givers were given counseling individually every week for three months. Every case were called in ICTC center once a week for three months. After the completion of three months measure of health and quality of life was administered again to each subjects

Objective of the study -

1. To assess the impact of pre and post counseling on health and quality of life in HIV positive patients in Haryana
2. To assess the impact of pre and post counseling on health and quality of life in care givers of HIV positive patients in Haryana

Hypothesis - The forgoing theoretical analysis led to the formation of the following hypothesis.

1. Their will be significant difference between pre and post counseling upon HIV positive patients in health and quality of life.
2. Their will be significant difference between pre and post counseling upon care givers of HIV positive patients in health and quality of life.

Sample - The samples of the study consistence of HIV positive and their caregivers. In all a total number of 100 participants were included in the study. There were 50 participants in each group i.e., 50 HIV positive and 50 their care givers (50 in each groups).

The HIV positive and their care givers were selected on the basis of non random purposive sampling bases from ICTCs of Haryana (India).

Inclusion criteria for selection

- Subjects between the ages of 25 to 50 years.
- Subjects taken for study belongs only from Haryana state.

Sample characteristics

Table 1: The sample distribution of the study

Group 1 HIV positive	Group 2 Care givers of HIV positive
50	50

Tools uses -

1. PGI health questioner N-1 (Wig and Verma, 1985)
2. WHO Quality of Life – BREF (WHO, 1998)

Result and discussion - PGI health questionnaire N-1 was given to all participants included in the second phases of the study. It gives two scores one for physical distress and other is psychological distress/psychological health.

Table-2 Means and SD's and t-valve of HIV positive cases with pre-post test counseling on Quality of Life and measures of health (df=49)

Variables	Pre-counseling		Post – counseling		t
	Mean	SD	Mean	SD	
Quality of life-over all	2.06	0.73	3.14	0.73	921**
Quality of life-general health	1.68	0.62	2.90	0.81	7.87**
Psychological dimension	15.62	1.61	17.28	1.40	8.60**
Satisfaction with physical functioning	26.86	2.35	26.36	2.18	0.54^{ns}
Social dimension	7.90	1.31	11.86	1.54	6.97**
Satisfaction with environment	23.02	2.37	27.38	2.07	10.27**
Physical health	6.78	1.93	2.62	0.77	13.67**
Psychological health	6.80	2.05	2.94	0.95	12.71**

* = Significant at 0.05 level
** = Significant at 0.01 level
ns = Non sig

Table 3 Mean and SD and t- valve of caregivers of HIV positive cases with pre and post test counseling on Quality of Life measures of health (df=49)

Variables	Pre-counseling		Post-counseling		t
	Mean	SD	Mean	SD	
Quality of life-over all	3.06	0.79	3.26	0.78	160^{ns}
Quality of life-general health	3.56	1.07	3.02	0.86	2.66**
Psychological dimension	17.74	2.14	17.48	1.37	0.74^{ns}
Satisfaction with physical functioning	26.24	4.12	26.54	2.27	0.58^{ns}
Social dimension	11.90	1.54	12.10	1.59	0.59^{ns}
Satisfaction with environment	27.60	2.39	27.26	2.46	0.72^{ns}
Physical health	7.28	1.87	2.62	0.78	15.87**
Psychological health	7.53	1.96	2.94	0.95	15.34**

* = Significant at 0.05 level

** = Significant at 0.01 level

ns = Non significant

In HIV positive cases it was found (Table-2) that there was a statistical significant decrease in physical (t=13.67. df = 49, p< 0.1) and psychological (t=12.71, df= 49, p<0.1) distress following intervention in the form of counseling (Table 4.21). Similarly there was a significant reduction in physical as well as psychological distress.

(Table -2) In case of quality of life the mean pre and post scores of HIV positive cases were compared and checked for statistical significance of the difference using t test and the results are given in table (2 and 3). In the overall quality of life there was a significant improvement in quality of life – general health (t=7.87, df= 49, p<0.1), and satisfaction with environment (t=10.27, df=49, p<0.1). However there was no significant improvement in the satisfaction with physical functioning area of quality of life following intervention (Table-2)

When the pre and post test counseling mean scores of the caregivers of HIV positive cases on the quality of life were compared and it was found (Table 4.22) that there was a significant improvement in general health area of quality of life (t=2.66, df=49, p<0.1). In case of quality of life – overall, psychological dimension, satisfaction with physical functioning, satisfaction with environment, social dimension there was no significant improvement following counseling (Table-3).

Finding of the study revealed (Table 2 to 3) that counseling has a significant improvement in the health (reduces Physical as well as psychological distress) in HIV Positive and their caregivers. In case of HIV positive counseling resulted is significant improvement in quality of life. Overall, general health, Psychological dimension, social dimension and satisfaction with environment.

In case of caregivers of HIV Positive counseling resulted in significant improvement only in case of general health component of quality of life. Counseling resulted in significant improvement is all the areas of quality of life.

The finding of the studies are in line with the results of Faithful (1997), NAC0 (2009), Patton & Coffy (2006) reporting that there was a significant reduction in depression and anxiety after counseling. Support and counseling to spouses/ partners and family members is an important part of the holistic care in management of HIV disease. Fleishman and Fogel (1994) and others also extend support to present findings. Counseling further prove to be very helpful in assessing and educating the support system of patients, Families and friends.

Conclusion- It is concluded that counseling technique proved to be very effective in Health quality of life of HIV positive patients and their caregivers. HIV counseling initially focused on prevention of HIV infection. Beside AIDS/HIV positive patients counseling, family counseling, specially in rural areas, are the essential requirements for maximize long term survival with the highest quality of life.

References -

1. Coulter, I.D., Heslin, K.C., Marcus, M., & Hays R.D. (2002). Associations of self reported Oral health with physical and mental health in a nationally representative sample of HIV persons receiving medical care. Quality of Life Research : An International Journal of Quality of the aspects of treatment, Care and Rehabilitation, 11 57-70.
2. Cruess, D.G. Antoni, M.H. Schneiderman, N., Ironson, G. (2000). Cognitive behavoural stress management increases free testosterone and decreases psychological distress in HIV-Seropositive men. Health Psychological, 19, 12-20.
3. Malassiotis, A., Callaghan, P. Twinn, S.F. & Lam, S.W. (2001). Correlates of quality of life in symptomatic HIV patients living in Hong Kong. AIDS care, 13, 319-334
4. NACO (2009). Monthly Updates on AIDS. Issue June-July.
5. Aranda, Naranjo, B. (2004). Quality of life in HIV positive patients. J Association Nurses AIDS care ; 15 (Supp 15)
6. Clayoson, D.J., Quarterman, P, Dupart-Lommon,I, Kubin,M., Coons, S.J. (2006). A comparative review of health related quality of life measures for use in HIV/ AIDS.; 751-765.
7. Lahey, B.B. (1995) Psychology (6th ed.). M.A. Allyn and Becon.
8. Munjal, Y.P. Mishra, A.P. & Rao, A. (1995). I.M.A. & NACO AIDS Training Programming, OMA, New Delhi.
9. Faithfull, J. (1997). HIV-positive and AIDS infected women: Challenges and difficulties of mothering. *American journal of Orthopsychiatry, 67,1*
10. Patton, G.C. Coffey, C., Posterince, M., Carbin, J.B., and Wolfe, R. (2006). Parental 'affectionless control' in adolescent depressive disorder. *Social Psychiatry epidemiology, 36, 475-80.*
11. Fleishman, J.A. & Fogel, B. (1994). Copying and Depressive Symptoms Among People with AIDS. *Health Psychology, 13, 156,169.*

Impact Of Length Of Marital Life On Stress Management Ability Of Housewives

Mrs. Laxmi Deonani * Dr. Sandhya Verma ** Dr. J.C. Ajawani ***

Abstract - The authors intended to observe impact of length of marital life on stress resistance of housewives.Incidental samples of 60 housewives with marital life of 0-10 years and 60 housewives with martial life of 11-20 years were studied for their stress management ability. Care was taken to select only graduate housewives. Though, it was expected that housewives with greater length of marital life would exhibit better stress management ability, a non-significant reverse trend was observed in the present research.

Key Words: Stress Management Ability, Housewives, and Length of Marital Life.

Introduction - Life in the 21st century is infinitely far more complex than it has ever been. Human beings never designed to live in this complex modern world with its many demands on them. It is frequently asserted that stress has become a major feature of modern living. The term "stress" refers to an internal state, which results from demanding, frustrating or unsatisfying conditions. A certain level of stress is unavoidable. In fact, an acceptable level of stress can serve as a stimulus to enhance an individual's performance. However, when the level of stress is such that the individual is incapable of satisfactory dealing with it then the effect of performance may be negative. Thus, extreme stress conditions are said to be detrimental to human health, but in moderate stress it is normal and in many cases proves useful.

Stress is a somewhat difficult concept to define largely because it is solely a unique, individual and subjective experience. Psychologists have viewed stress in three different ways – as a stimulus, as a resource and as an ongoing interaction between an organism and its environment.

Stress is often defined as a threat, real or implied to homeostasis. In common usage stress usually refers to an event or succession of events that cause a response often in the form of "distress" but also in some cases, referring to a challenge that leads to a feeling of exhilaration as in 'good' stress. But the term stress is full of ambiguities. It is often used to meet the event (stressor) or sometimes the response (stress response). Furthermore, it is frequently used in negative sense of 'distress' and sometimes it is used to describe the chronic state of imbalance.

It is frequently asserted that stress has become a major feature of modern living, caused particularly by changes in the type of work that people do, by the breakdown of traditional family structures, and by many features of the contemporary urban environment. Stress is thought to be a principal cause of psychological distress and physical illness and millions of working days every year are believed to be lost as a consequences of this. The ability to cope successfully with stress is frequently held to be the key to human happiness.

Marriage is an institution which admits men and women to family life. For the majority of young people, the quest for intimacy leads to marriage. Their life course takes shape within the family life cycle – a sequence of phases that characterizes the development of most families around the world. In early adulthood, people typically live on their own marry, and bear and rear children. As they become middle aged and their children leave home, their parenting responsibilities diminish. Late adulthood brings retirement, growing old, and death of one's spouse (mostly for women) (Mcgoldrick et al., 1993; and Framo, 1994).

Most young adults are also aware that having children means years of extra burdens and responsibilities. When asked about the disadvantage of parenthood, they mention "loss of freedom" most often, followed by financial strain. Indeed the cost of child rearing is a major factors in modern family planning.

According to Marini (1978) early marital life is a period of adjustment to new patterns of life and new social expectations. The young adult is expected to play new roles. Such as that of spouse, parent, and breadwinner, and to develop new attitude, interests, and values in keeping with these new roles. These adjustments make early marital life a distinctive period in the life span and also a difficult one.

Late marital age is considered to extend form age forty to age sixty. Middle age is a long period in the life span, it is customarily subdivided into early middle age, which extend from age forty to age fifty, and advanced middle age, which extended for age fifty to age sixty. During advanced middle age, physical and psychological changes that first began during the early forties become far more apparent.

Late marital age is a time of stress. Radical adjustment to changed roles and patterns of life, especially when accompanied by physical changes always tend to disrupt the individual and psychological homeostasis and lead to a period of stress. According to McClelland (1976), late marital

* Asstt. Professor , Home Science **Principal & HOD, Home Science **HOD, Psychology , Govt. Arts & Commerce Girl's, College, Devendra Nagar, Raipur (C.G.) INDIA

age is a time when a number of major adjustment must be made in the home, business, and social aspects of their lives.

The many challenging tasks of early marital life make it a particularly stressful time of life. Young adults more often report feeling of depression then middle aged people, many of whom have attained vocational success and financial security and are enjoying more free time as parenting responsibilities decline (Wade & Cairney, 1997; and Schieman et al., 2001). Also late martial life housewives are better than early marital life housewives at coping with stress because of their longer life experience and greater sense of personal control over their lives. They are more likely to engage in effective problem solving when stressful conditions can be changed and to manage negative emotion when nothing can be done about an unpleasant situation (Lazarus, 1991).

Problem & Hypothesis - The only problem of the research pertained to impact of length of marital life on stress management ability. It had been hypothesized that housewives with greater length of marital life would exhibit higher stress management ability than those with lesser length of marital life.

Methodology - Sample: Incidental samples of 60 housewives was selected from each of the two martial life length groups i.e., 0-10 years and 11-20 years.

Tools: Stress Resistance Scale (Ajawani & Varwandkar, 2010) was used assess to stress management ability of housewives.

Procedure - Stress Resistance Scale was administered on incidently selected sample of 120 housewives, equally (n = 60) drawn from both the marital life groups i.e., 0-10 years and 11-20 years.

Results and Discussion - A perusal of Table 1 clarifies that average stress management ability scores of housewives with marital life of 0-10 years (M = 103.62) is higher than housewives with martial life of 11-20 years (M = 102.05). The obtained t ratio (t = 1.18) for this difference is not significant at any acceptable level of significance and provides empirical ground to conclude that the length of marital life did not have any considerable say in stress management ability of housewives. In other words, it can be said that the two groups of housewives i.e., with marital life of 0-10 years and with martial life 11-20 years did not differ genuinely in regard to their stress management ability.

Table#1: Average Stress Management Ability Scores Of Housewives With 0-10 Years And With 11-20 Years Of Marital Life And Obtained t Value

Length of Martial Life	n	M	x^2	Obtained t value	Level of Signifi-cance
0-10 years	60	103.62	3215.06	1.18	N.S.
11-20 years	60	102.05	3096.85		

Though, it was expected that longer marital life would have positive impact of stress management ability of housewives, reverse trend had been observed in the present research.

However, the difference between the two groups in respect of their stress management ability was proved to be negligible.

It was thought that with increase in length of marital life, the couple would develop a sound relationship and understanding with each other along with a greater tolerance of family responsibility, but the insignificant finding in favour of housewives with shorter length of marital life throws light on another aspect. It seems that the couple, in general develop an emotional attachment for each other just after being engaged and that seems to carry ahead also after the marriage at least for some longer period till they are over burdened with family responsibilities. This is very true in Indian scenario and that in the case of housewives who find lessening of emotional attachment due to excessive involvement in child care and other family responsibilities for which she is considered a sole responsible. Probably, this may be the reason for poor martial satisfaction leading to self-dissatisfaction and poorer general well-being of housewives of greater length of marital life which ultimately affect their stress management ability negatively. Further researches are recommended to throw more light on this line.

References -

1. Ajawani, J.C., & Varwandkar, V. (2010). Stress Resistance Scale. F.S. Management (I) Pvt. Ltd., F.S. House, Maruti Vihar, Raipur (C.G.) India.
2. Framo, J.L. (1994). The family life cycle: Impressions. Contemporary Family Therapy, 16, 87-117.
3. Lazarus, R.S. (1991). Emotion and adaptation. London: Oxford University Press.
4. Marini, M.M. (1978). The transition to adulthood: Sex differences in educational attainment and age at marriage. American Sociological Review, 43, 483-507.
5. McClelland, J. (1976). Stress and middle age. Journal of Home Economics, 68(5), 16-19.
6. McGoldrick, M., Heiman, M., & Carter, B. (1993). The changing family life cycle: A perspective on normalcy. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (pp. 405-443). New York: Guilford.
7. Schieman, S., Gundy, V., & Taylor, K. (2001). Status, role, and resource explanations for age patterns in psychological distress. Journal of Health and Social Behaviour, 42, 80-96.
8. Wade, T.J., & Cairney, J. (1997). Age and depression in a nationally representative sample of Canadians: A preliminary look at the National Population Health Survey. Canadian Journal of Public Health, 88, 297-302.

Impact Of Perceived Family Environment Of Women On Stress Management

Mrs. Prabha Verma * Dr. Sandhya Verma ** Dr. J.C. Ajawani ***

Abstract - The present study was conducted to find out the impact of perceived family environment of women on their stress management ability. It was hypothesized that women with good perceived family environment would show better stress management than women with poor perceived family environment. For this purpose stratified random sample of 240 women, drawn equally (n = 120) from two perceived family environment groups (good and poor) was selected on the basis of Q_1 and Q_3 statistics on the score of Family Environment Scale (Bhatia & Chadha, 1993) and were administered Stress Resistance Scale (Ajawani & Varwandkar, 2010) to assess respondents stress management ability. The finding confirmed the research hypothesis.

Key Words: Perceived Family Environment and Stress Management

Introduction -Stress is something that everyone experiences in one's life. It can be physical, psychological or social, and can stem from virtually any circumstance, depending on person. It is an unavoidable part of living because every organism faces challenges from its external environment and from its own needs and must solve this problem to survive and thrive. Stress is emotional and physical strain caused by the response to pressure from outside world. Cooper & Dewe (2004) viewed stress as a response of physiological arousal elicited by a troublesome event. It is almost impossible to live without stress because it gives life some spice and excitement and also require for motivation creativity and facing challenges.

Stress is complex and multifaceted construct with many components. The stress response involves cognitive, emotional, behavioural, and physical changes which are loosely integrated but do not change parallel. These multiple components are controlled through activity of autonomic nervous system and neuroendocrine circuit. Stress has a range of effect on disease progression. Stress is very subjective experience and also a causative factor such conditions as headache, allergies, hypertension, ulcers, and asthma (Selye, 1976). A meta analysis of more than 300 studies examined the relation of stress to immune-functioning in human (Segerstrom & Miller, 2004). They found that the effect of stress on immune function depends on the kind of stress. They described that acute or brief stressor actually led to improvements in immune function. In contrast chronic long losing stressor, adversely affected more complex immune system process.

Health psychologists view the mind and the body of whole human-being that cannot be considered independently. Stress is important for both because it cause psychological distress and because it leads to change in the body that have short- or long-term consequences for health. They also recognize that good health and ability to cope with illness are affected by psychological factors such as emotions, thoughts, and ability to mange stress. From the biopsychosocial perspective, they identified several factors that mediate and moderate the impact of stressor. Stress management may take place within various domains of human life. Stress management ability of a person is determined by various personal and social factors. In the present research perceived family environment of women is being considered as determining factor of stress management ability of women.

Family environment plays a vital role in women's life. Family provides most of the early environmental influences upon the personality which remains throughout the life (Gaur & Gupta, 2004). Perception of family environment varies from one stage to another stage of life cycle and also differently for both gender groups (Gupta & Gaur, 2003, Gupta & Shukla, 2007; and Gupta & Joshi, 2010). Family environment is equally important aspect in lives of working women (Agrawal, 1979; Frumm, 1993; and Flaxman, (1999).

Jo-Lohman & Jarvis (2000) found that high levels of family cohesion were associated with more adaptive coping strategies and grater psychological health in adolescent. Wamboldt & Wamboldt (2000) also found that living with supportive family with positive interaction and clear communication has been shown to associated with low levels of stress, high levels of stress coping behaviour, good psychological health, active adaptation to acute and chronic illness, and high levels of adherence to treatment. And also seems that negative family functioning represent a potential source of stress, while positive interaction has buffering effect, reducing stress responses by enhancing emotional support and the modeling of coping behaviours amongst family members.

Mardhekar & Wadkar (2009) conducted a study on perceptions of educated housewives vis-à-vis working women related to frustration, self-confidence, and family environment. Results revealed that housewives are more frustrated and have

* Asstt. Professor , Home Science **Principal & HOD, Home Science **HOD, Psychology , Govt. Arts & Commerce Girls', College, Devendra Nagar, Raipur (C.G.) INDIA

low self-confidence than working women. It has also been noticed that working women perceived their family environment to be most favourable and conducive for their personal growth. Perceived family environment in relation with stress management ability of women is least explored in Indian urban family context.

Problem & Hypothesis -The present study was undertaken to examine whether perceived family environment of women make any difference in their stress management.It has been hypothesized that women with good perceived family environment would be better in stress management than women with poor perceived family environment.

Methodology

Sample - A final sample of 120 women with good perceived family environment and 120 poor perceived family environments were selected on the basis of Q_1 and Q_3 statistics on their family environment scale scores. Care was taken to select only those married women, who were not living singly either due to divorce or husband's death or any other reason and aging between 31-45 years.

Tools - Family Environment Scale (Bhatia & Chadha, 1993) and Stress Resistance Scale (Ajawani & Varwandhkar, 2010) were used for the purpose. Both the tests are highly reliable and valid.

Procedure- Firstly, Family Environment Scale was administered on an incidental sample of 600 women. Care was taken to select only those women who were married with age range 31-45 years, and were not living singly either due to divorce or husband's death or any other reason. On the basis of Q_1 and Q_3 statistics on family environment scores these women were classified into good perceived family environment (above $Q_{3)}$, and poor perceived family environment (below Q_1). 120 women were randomly selected in both family environment groups and were administered stress resistance scale to seek scores for stress management ability of these women.

Results And Discussion -

Table#1:Statistical Details On Stress Management Ability Of Women With Good And Poor Perceived Family Environment

Perceived Family Environment	n	M	x^2	t-value	Probability
Good	120	105.95	4273.7	11.17	P<.01
Poor	120	96.30	6386.0		

It is clear from Table 1 that average stress management score of women with good perceived family environment (M = 105.95) is higher than that of women with poor perceived family environment (M = 96.30). The obtained t value for this difference (t = 11.17) is significance for 238 degree of freedom.

It can be concluded that women with good perceived family environment showed better stress management ability as compared to women with poor perceived family environment. This finding confirms the research hypothesis.

It seems that good perceived family environment develops a buffer system and modeling of coping behaviour promoting good psychological health (Wamboldt & Wamboldt, 2000), while poor perceived family environment nurtures less cohesion, poor family functioning and less adaptive coping strategies among women. The finding is in consonance to that of Jo-Lohman (2000). Charles & Mavandadi (2004) also found that close and harmonious family relationship can improve the quality of an adult's life, whereas negative family relationship can make life unpleasant.

References -

1. Agrawal, M.C. (1979). Job satisfaction of working women. *Perspectives in Clinical Researches, 2,* 33-38.
2. Ajawani, J.C., & Varvandkar, V. (2010). *Stress Resistance Scale.* F.S. Management (I) Pvt. Ltd., Raipur.
3. Bhatia, H., & Chadha, N.K. (1993). *Family Environment Scale.* Ankur Psychological Agency, Lucknow.
4. Charles, S.T., & Mavandadi, S. (2004). Social support and physical health across the life span: Socioemotional influences. In F.R. Lang, & K.L. Fingerman (Eds.), *Growing together: Personal relationship across the life span.* Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
5. Cooper, C.L. & Dewe, P.J. (2004). *Stress: A brief history*. Oxford: Blackwell.
6. Flaxman, G. (1999). *Work family conflict as a mediator between family responsive polices and job outcomes*. Unpublished master's thesis, California State University, California.
7. Frumm, J. (1993). *Effects of perceived work family support an organizational commitment and work family conflict.* Unpublished master's thesis, California State University, California.
8. Gaur, V., & Gupta, N. (2004). *T*he effect of SES on perceived home environment. Dev Sanskriti, Vol. 2, year-2, Dec.
9. Gupta, N., & Joshi, R. (2010). Perception of family environment among dual career couple across life cycle stages. *Indian Psychological Review, 74(2),* 97-102.
10. Gupta, N., & Shukla, A. (2007). Work and family environment – Job satisfaction, marital quality, and mental health among dual career couples. *Behavioural Scientists, 8(1),* 11-16.
11. Gutpa, N., & Gaur, V. (2003). *Gender difference in the perception of family environment among adolescents.* Dev Sanskriti, Vol. 1, year-1, Dec.
12. Jo-Lohman, B.J., & Jarvis, P.A. (2000). Adolescents stressors, coping strategies, and psychological health studied in family context. *Journal of Youth and Adolescence, 29(1),* 15-43.
13. Mardhekar, V., & Wadkar, A.J. (2009). Perceptions of educated housewives vis-vis working women related to frustration, self-confidence, and family environment. *Indian Journal of Applied Psychology, 46,* 28-39.
14. Segerstrom, S.C., & Miller, G.E. (2004). Psychological stress and the human immune system : A meta-analytic study of 20 years of enquiry. *Psychological Bulletin, 130(4),* 601-630.
15. Selye, H. (1976). *Stress in health and disease.* Woburn, M.A. Butterworth.
16. Wamboldt, M.Z., & Wamboldt, F.S. (2000). Role of family in the onset and outcome of childhood disorders: Selected research finding. *Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(10),* 1212-1219.

Views Of Teenagers & Parents On Impact Of Media In Teens

Dr. Suvidha * Priyanka Sharma **

Abstract - The present study was conducted in senior secondary schools of Roorkee, situated in district haridwar (uttarakhand). The purpose of study was to the assess impact of media on teenagers. The sample of the study comprised 50 adolescents of class 11th and 12th and their parents. Survey method was used to collect the data, for the purpose a self constructed questionnaires was used data were interpreted in terms of percentages.

Key words - teens, parents, media.

Introduction - Media plays an important role in today's life. It significantly influence the lives of adolescents, because they highly sensitive to the mannerism and persona of characters depicted in media they find those images helpful in handling drastic & dramatic changes of adolescence age. Media offers entertainment along with knowledge and education. An important part of our lives and have much to teach but some of the message of media send negative and harmful ideas to youth. The impact on adolescents can be of both types positive and negative. Under the influence of media adolescents develop several changes related to their lifestyle attitude and behavior as experienced by parents and others. Exposure to mass media parents both health risks and benefits for adolescents.

Media education has the potential to reduce the harmful effects of media by understanding and supporting media education (The American Academy of Pediatrics, 1990). Teenagers internet use and their interpersonal communication behavior most of all, whether internet use was associated with the teens loss of desire of face to face communication with family and friends (Shim, 2007). Mainly focused on television although some involved video game, music, films, computer and internet use, nearly 75 percent found that increased media viewing was associated with negative health consequences (National Institute of Health NIH, 2008).

Methodology -The study was conducted in senior secondary schools of Roorkee, situated in district Haridwar (Uttarakhand). 50 adolescents (girls and boys) from senior secondary schools of Roorkee and their parents selected by random sampling method. Survey method was used to collect the data. For the purpose two forms of the questionnaire were developed Form 'A' & 'B'. Form 'A' was used to assess the impact of media on adolescents and form 'B' was used to assess the views of parents of adolescents regarding the impact of media upon their youngsters.

Results and discussion – The results showed that media influence adolescents in both (positive & negative) way.

Responses of Teens and Parents related to use and importance of media

Table.1

s. no.	Items	Teen's responses	Parental responses
1.	Regular use of media by family members	88%	70%
2.	Regular TV viewing by adolescents	92%	92%
3.	Schedule Regarding TVviewing	82%	72%
4.	Prefer watching some programmers with family	88%	66%
5.	Effects of TV program mers behavior& lifestyle	78%	80%
6.	Use of all sources of media	82%	86%
7.	Use of internet by adolescents	34%	40%
8.	Internet facility provided in home	26%	26%
9.	Importance of internet in today's life	64%	54%
10.	Role of media in facilitating the knowledge of adolescents	94%	90%
11.	Contribution of media in education	100%	74%

Table .1 shows that 88% teens & 70% parents reported that use of media by family members regularly. 92% teenagers as well as parents responded that their family members were regular viewers of T.V. When asked whether they follow some schedule regarding T.V. viewing 82% teens and 72% parents reported yes. The response of respondents that 88% adolescents preferred watching programmers with family and

* Associate Professor (Human Development) ** Research Scholar (Human Development) faculty of Home Science, Banasthali University (Raj.) INDIA

66% parents reported that their adolescents preferred watching family programmers. It had been revealed that 78% of teens reported that T.V. programmers do affect behavior and life style while 80% parents told that T.V. programmers were deeply affecting behavior of teens. Table indicated that 82% teens & 86% parents reported that adolescents were using all source of media.34% respondents were using internet and 40% parents reported that their teens had interest in use of internet. 26% teens as well as parents reported that internet facility was provided in home for them. Responses obtained indicated that 64% respondents admit that internet play important role in today's life whereas 54% parents realized the importance of internet. It was found that 94% teens responded that media facilitated the awareness and knowledge whereas 90% parents reported that media played important role in providing knowledge and awareness of adolescents. The results showed that 100% teens & 74% parents reported media was giving important contribution in the educational area.

Table .2(Show below) shows that 30% teenagers viewed modern lifestyle as positive while 14% had negative perspective. Whereas 20% parents reported positive views whether 18% parents had negative views. 23% respondents highlighted positive impact of internet and 17% reported negative impact while 20% parents reported that internet had positive impact 30% gave negative views. Result indicated that 40% of respondent shown positive opinion the impact of media on society whether 8% had negative opinion. Similar 24% parents viewed positive impact of media on society & 16% of them showed negative opinion. Study revealed that 46% of the respondents had positive views about electronic media 30% reported negative views. Whereas 36% parents reported positive response, 22% reported negative opinion about electronic media. Rest percentages of teenagers and their parents had mixed (positive & negative) views about the impact of media.

Conclusion -From the above result it may be conclude that adolescent's behavior, lifestyle and attitude do get influenced by media. Media influence adolescents in both (positive & negative) ways. Teens and their parents showed positive and negative both views about impact of media on society. Most of teens as well as parents were in favors of important contribution of media in education area and changing their lifestyle according to modern time. Although differences in the percentages of parents & their youngsters were also noticed.

References –

1. Anderson, C., Berkowitz, L., Donnerstein, E., Huesmann, R., et al. The influence of media violence on youth; Psychol Science Public Interest (2003); 4:81-110.
2. Arnett, Jeffrey J., (2005), Adolescents Uses of Media for Self Socialization Journal of Youth and Adolescence, vol.24, pp.519-533.
3. Brady Sonya, S., (2006), Effects of media violence on health related outcomes among young men; vol. 160, no.4.
4. Chapin, J. R., (2000), Adolescent Sex and Mass Media: A Development Approach. 35 (140), 799-841.
5. Haegreaves, D., (2002), Idealized Women in TV Ads Make Girls Feel Bad, Journal of Social and Clinical Psychology; 21, 287-308.
6. Liliana, S., (2005), Journals related to impact of media on adolescents in pediatrics; vol.116 pp.303-326.
7. National Institute of Health (NIH), Media Exposure to Physical Health of Teens and Children, posted on: Tuesday 2 December 2008, 17:04 CST.
8. Shim, Y., (2007), The impact of internet on teenagers face to face communication, Global Media Journal.
9. The American Academy of Pediatrics (1999), Media education committee on public education, vol.104 no. 341-343.

Responses of teens and their parents about influence of media

Table.2

s.no.	Items	Teen's responses		Parental responses	
		positive	negative	positive	negative
1.	Views about modern life style	30%	14%	20%	18%
2.	Views about impact of internet	23%	17%	20%	30%
3.	Views about impact of media on society	40%	8%	24%	16%
4.	Views about importance of electronic media	46%	30%	36%	22%

Impact Of Education On Stress Management Ability Of Housewives

Mrs. Laxmi Deonani * Dr. Sandhya Verma ** Dr. J.C. Ajawani ***

Abstract - The authors intended to study impact of education on stress management of housewives. It was hypothesized that high educated housewives would show better stress management ability than low educated housewives. A final incidental sample of 120 housewives was drawn equally from two education levels i.e., up to12th and graduate. Though, it was expected that graduate housewives would exhibit higher stress management ability than those who were educated only up to 12th standard, a non-significant reverse trend was observed in the present research.

Key Words - Stress Management Ability, Housewives, and Education.

Introduction - Life in the 21st century is infinitely far more complex than it has ever been. Human beings never designed to live in this complex modern world with its many demands on them. It is frequently asserted that stress has become a major feature of modern living. The term "stress" refers to an internal state, which results from demanding, frustrating or unsatisfying conditions. A certain level of stress is unavoidable. In fact, an acceptable level of stress can serve as a stimulus to enhance an individual's performance. However, when the level of stress is such that the individual is incapable of satisfactory dealing with it then the effect of performance may be negative. Thus, extreme stress conditions are said to be detrimental to human health, but in moderate stress it is normal and in many cases proves useful.

Education is one of the most critical determinants of success for both individuals and society. Individuals who are highly educated earn more, are healthier, and are more likely to contribute to civic organizations, whereas individuals with lower amount of education are more likely to commit crimes, suffer unemployment, default on loans, and be incarcerated (Sewell & Hauser, 1975; and Lochner & Moretti, 2004). As such, education is associated with economic growth and progress and is considered one of the main sources of prosperity for both individuals and nations (Marshall & Tucker, 1992; and Goldin & Katz, 2008). Education is a vital factor considered in relation to stress management. Education as such equips a person with the techniques of stress management. Educated people are believed to adopt better stress coping strategy than uneducated people.

Problem & Hypothesis -

The present study intended to study impact of education on stress management of housewives. It had been hypothesized that high educated housewives would exhibit better stress management ability than low educated housewives.

Methodology -

Sample- A final incidental sample of 120 housewives was drawn equally from two education level i.e., up to 12th and graduate.

Tools- Stress Resistance Scale constructed and standardized by Ajawani & Varwandkar (2010) was used to assess stress management ability of housewives.

Procedure- Two-randomized-group design was used for the purpose through which impact of education of housewives was verified in regard to their stress management ability. Incidentally selected 60 housewives having education up to 12th class and 60 graduate housewives were administered stress resistance scale. Care was taken to consider only those housewives who had marital life of 0-10 years.

Results And Discussion -

Table#1: Statistical Details For Comparison Between Two Education Groups Of Housewives

Education	n	M	x^2	Obtained t value	Level of Significa--nce
Up to 12th	60	105.18	3458.48	1.18	N.S.
Graduate	60	103.61	2824.07		

A perusal of Table 1 clarifies that average stress management scores of housewives with education up to 12th class (M = 105.18) is higher than graduate housewives (M = 103.61). The obtained t ratio (t = 1.18) is not significant at any acceptable level of significance for 118 degrees of freedom and provides empirical ground to refute the research hypothesis, accepting the null hypothesis in this regard.

Though, it was hypothesized that higher education of housewives would prone them to be better stress manager, the finding of the present research did show opposite trend, that is, housewives with lower education showed better stress management ability. However, the insignificant statistical

* Asst. Professor (Home Science) ** Principal & HOD (Home Science) ** HOD (Psychology) Govt. Arts & Commerce Girls' College, Devendra Nagar, Raipur (C.G.) INDIA

difference could not provide empirical ground to confirm this trend also.

It seems that graduate housewives find difficult to confine at home serving the role of homemakers only. In spite, lower educated housewives find it comfortable with this homemaker role. Probably, this may be the reason of the trend of better stress management ability of housewives with lower education.

The findings of the research throw light on important issue, that is, if higher educated girls are accepting the role of housewives than they must be counseled accordingly to avoid undue stressful life. It may also be possible to search new avenues for them apart form homemaker role so that their life satisfaction can increase and will in turn help these higher educated housewives to cope with stresses effectively.

References -

1. Ajawani, J.C., & Varwandkar, V. (2010). Stress Resistance Scale. F.S. Management (I) Pvt. Ltd., F.S. House, Maruti Vihar, Raipur (C.G.) India.
2. Goldin, C., & Katz L.F. (2008). The Race between Education and Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Lochner, L.J., & Moretti, E. (2004). "The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. American Economic Review, 94, 155–189.
4. Marshall, R., & Tucker, M. (1992). Thinking for a Living: Education and the Wealth of Nations. New York: Basic Books.
5. Sewell, W.H., & Hauser, R.M. (1975). Education, Occupation, and Earnings: Achievement in the Early Career. New York: Academic Press.

****

ग्रामीण महिला : स्वास्थ्य एवं पोषण असुरक्षा

डॉ. शशि प्रभा जैन * डॉ. गायत्री वर्मा **

शोध सारांश – पोषण मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तथा इसके अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। 'स्वास्थ्य सम्पूर्ण सजीव जगत का एक अभिन्न अंग हैं, तथा सफल जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना परमावश्यक हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण एक ही सिक्के के दो पहलू है। अत: उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण मिलना जरूरी हैं। महिलाऐं अब घर तक सीमित न रहकर अन्य कार्यो में हाथ बंटाती है तथा सभी सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 1990 में बताया गया है कि महिला मजदूर 113 घण्टे कार्य करती है जबकि पुरूष 87 घण्टे ही कार्य करता हैं। सभी कार्यो को करने के बाद भी वे पूरा पोषण नहीं पाती है और उनकी उर्जा तथा अन्य पोषणिक आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य एवं कुपोषित हो जाती हैं।

मध्यप्रदेश में महिला स्वास्थ्य में सुधार लाना एक चुनौती है। यह चुनौती संसाधनों की कमी के कारण नहीं पैदा हुई, बल्कि सेवाओं के नीचले ढॉचे में सुधार का अभाव और विभीन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाने के कारण हैं। नारी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब तक उसकी रसोई जलती रहेगी तब तक इस संसार में मानव समाज का पालन पोषण होता रहेगा। अत: महिला स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा पर गंभीर रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना अत्यावश्यक हैं।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है जहॉ 75 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। इस आबादी का 45–48 प्रतिशत महिलाओं का है। अगर यह कहा जाय कि इस वर्ग के अपार योगदान से ही आज हमारा देश कृषि उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि नारियों का ही क्षेत्र है तथा भारत के श्रमबल का दो तिहाई से ज्यादा और आर्थिक रूप से सक्रिय महिला वर्ग का लगभग 81 प्रतिशत कृषि और उससे जुड़े धंधो में लगा हुआ है, तथा इनमें से भी अधिकांश ग्रामीण महिलाऐं छोटे और सीमांत कृषक परिवारों की है और ये खेतीहर महिलाऐं हर रोज 14–18 घण्टे तक अपने हाथों से उत्पादन कार्य करती है।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई चलाने से लेकर रसोई के लिए ईंधन इकट्ठा करने, जानवरों के लिए चारा एकत्रित करने तथा खेती से संबंधित कई काम करने में नारी का योगदान हैा देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्ग ज्यादा समय या तो ताश जुआ खेलने या शराब के नशे में बिताता है तथा भारत की महिलाएं खासतौर से गरीब परिवारों की हर रोज पुरुषों की तुलना में पांच घंटे ज्यादा काम करती है, इनमें घरेलू काम भी शामिल है, जिसमें से बहुत से काम अदृश्य है परन्तु बावजूद उनके स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों ? कोई भी कार्य हो उसमें उर्जा खर्च होती है। समय और श्रम लगता है इसके बावजूद उनके कार्यों को अनदेखा किये जाने एवं उनकी कोई गिनती न किये जाने के साथ–साथ स्वयं महिलाओं द्वारा भी अपने स्वास्थ्य एवं उर्जा खपत की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष आराम व आहार न लिये जाने के कारण उनके स्वास्थ्य स्तर पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (2006) 'खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत पहले किसी देश की उन्नति वहॉ की सैन्य शक्ति के आधार पर आंकी जाती थी लेकिन आज किसी भी देश की उन्नति वहॉ की पोषण स्थिति को देखकर आंकी जाती है। भारत में लगभग 35 प्रतिशत महिलाऐं क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी जिसके कारण उनका भार सामान्य से कम तथा 50 प्रतिशत महिलाऐं एनीमिक हैं। **डब्ल्यू.एच.ओ. (1999)** के अनुसार हाल ही में हुए अध्ययनो से यह पाया गया है कि जो महिलाएं कुपोषित होती है वे कम वजन के बच्चों को जन्म देती है और कुपोषण का यह दुष्प्रभाव माता से बच्चे में चलता रहता

डॉ.तनेजा प्रीति (1993) द्वारा अपने अध्ययन में पाया कि केवल 30 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच करवाई जाती है अधिकांश महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य जांच पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हैं।

उद्देश्य –

1. ग्रामीण महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति संबंधी अध्ययन करना।
2. महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना।

सामग्री एवं परीक्षण विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में खण्डवा जिले के खालवा विकासखण्ड के अंतर्गत कुल 400 जनजातीय महिलाओं को उद्देश्यात्मक दैव निदर्शन विधि के आधार पर चयनीत किया गया हैं। प्रश्नावली की सहायता से समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। सांख्यिकी गणना करने के लिये काई स्क्वेयर परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

परिणाम एवं विवेचना – प्रस्तुत शोध में ग्रामीण जनजातीय महिलाओं से प्रश्नावली की सहायता से व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर परिणामों की विवेचना की गई हैं।

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.) भारत ** गृहविज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, शाजापुर (म.प्र.) भारत

तालिका क्रमांक 1
जनजातिय महिलाओं की सामान्य अवस्था में थकान एवं कमजोरी का अनुभव संबंधी स्थिति का वर्गीकरण

क्र.	कमजोरी एवं थकान का अनुभव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अधिकतर	178	445
2.	कभी-कभी	118	295
3.	बिल्कुल नही सामान्य	104	26
	कुल योग :-	**400**	**100**

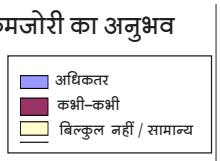

1.1 यदि हाँ तो उपचार हेतु विकल्प

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1	डॉक्टरी ईलाज	27	9.12
2	झाड़-फूंक	117	3953
3	घरेलू ईलाज	49	1655
4	कुछ नहीं	103	3480
	कुल योग :-	**296**	**100**

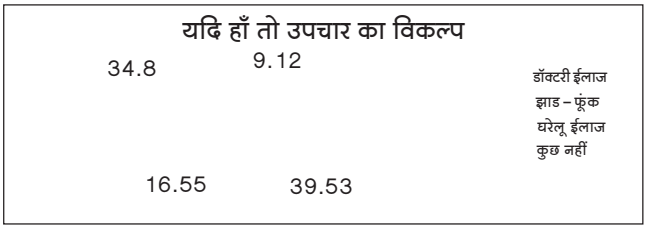

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.0 में जनजातीय महिलाओं की सामान्य अवस्था के दौरान थकान एवं कमजोरी का अनुभव संबंधी स्थिति अंतर्गत सर्वाधिक अर्थात् 44.5 प्रतिशत महिलाएं अधिकांशत: कमजोरी एवं थकान का अनुभव करती है, 29.5 प्रतिशत महिलाऐं कभी-कभी थकान अथवा कमजोरी का अनुभव करती है, जबकि केवल 2 प्रतिशत महिलाऐं उक्त स्थिति का अनुभव बिल्कुल नहीं करती अर्थात् स्वस्थ्य हैं।

इसी प्रकार तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित आंकड़ो के अनुसार सर्वाधिक अर्थात् 34.80 प्रतिशत महिलाऐं सामान्य अवस्था में कमजोरी एवं थकान महसूस करने के उपरांत भी अपने स्वास्थ्य पर कोई उपचार संबंधी ध्यान नहीं देती है। 39.53 प्रतिशत महिलाऐं झाड़-फूक हेतु ओझा के पास जाती है, जबकि 16.55 प्रतिशत महिलाऐं घर पर ही उक्त अवस्था में अपना ईलाज कर लेती है। केवल 9.12 प्रतिशत महिलाऐं ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर डॉक्टरी ईलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्र तक जाती हैं।

निष्कर्ष - सामान्य अवस्था में भी कमजोरी एवं थकान का अनुभव जैसी स्थिति महिलाओं में कमजोर स्वास्थ्य एवं कुपोषण की स्थिति को परिलक्षित करती है किन्तु इस ओर ध्यान न दिये जाने के कारण उन्हें कई प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति आगे चलकर गर्भपात, प्रसव में जटिलता, कमजोर शिशु जन्म इत्यादि का कारण बनती है।

अत: उपरोक्तानुसार कहा जा सकता है कि माता के कमजोर स्वास्थ्य का भी बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

उपकल्पना का परीक्षण - काई स्क्वेयर - X_2 परीक्षण के आधार पर काई वर्ग का मान 23.17 प्राप्त हुआ हैं जो कि प्राप्त टेबल वेल्यु 5.991 से अधिक है। अत: 0.05 सार्थकता के स्तर पर हमारी उपकल्पना -'जनजातीय महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति निम्न नहीं होगी' को अस्वीकार किया जाता हैं क्योंकि जनजातीय महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति के मध्य निम्नकमजोर स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया है। अत: परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश जनजातीय महिलाऐं सामान्य अवस्था में भी थकान अथवा कमजोरी का अनुभव करती हैं। अत: सामान्य अवस्था में थकान अथवा कमजोरी का अनुभव संबंधी स्थिति का महिला के स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव पड़ता हैं।

तालिका क्रमांक - 2
जनजातिय महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के दौरान विशेष भोजन लेने संबंधी वर्गीकरण

क्र.	विशेष भोजन	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	67	16.75
2.	नहीं	333	83.25
	कुल योग :-	**400**	**100**

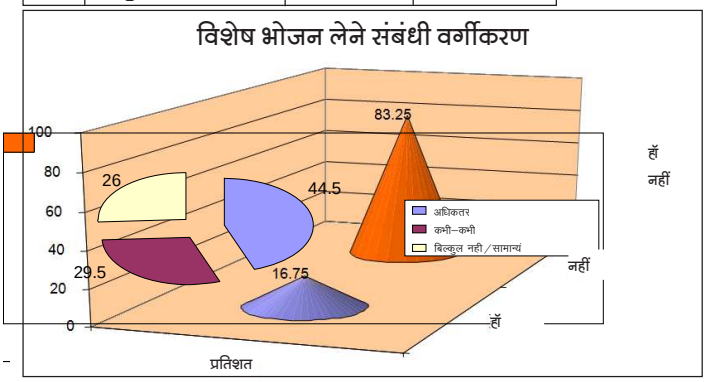

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 में लक्षित जनजातीय महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान विशेष भोजन लिये जाने संबंधी स्थिति को दर्शाया गया है जिसके अंतर्गत परिचर्चा के दौरान सर्वाधिक अर्थात् 83.25 प्रतिशत महिलाऐं गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का विशेष भोजन नहीं लेती है जबकि केवल 16.75 प्रतिशत महिलाओं द्वारा उक्त स्थिति में विशेष भोजन लिये जाने संबंधी प्रतिउत्तर दिया गया।

निष्कर्ष - प्राप्त आंकड़ो के आधार पर पाया गया कि अधिकांश महिलाऐं गर्भावस्था के दौरान विशेष भोजन तो क्या समय पर भोजन भी नहीं लेती है। वे सबसे ज्यादा काम करती है किन्तु सबसे बाद में भोजन करती है अधिकतर महिलाऐं घर में जो भी बनाती है वही खाती है या बासी भोजन जैसे रात का बच्चा हुआ सुबह और सुबह का बचा शाम को ग्रहण करती है। अपने तथा परिवार के भोजन में संतुलित आहार जैसे - दाल, चावल, सब्जी रोटी का समावेश न करते हुए केवल दाल रोटी या फिर सस्ती सब्जियों में जैसे आलू, बेगन इत्यादि को ही शामिल कर पाती है।

उपकल्पना का परीक्षण - काई स्क्वेयर - X_2 परीक्षण के आधार पर काई वर्ग का मान 176.88 प्राप्त हुआ हैं जो कि प्राप्त टेबल वेल्यु 3.841 से

अधिक है। अत: 0.05 सार्थकता के स्तर पर हमारी उपकल्पना – 'जनजातीय महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति एवं पोषण स्थिति के मध्य कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा' को अस्वीकार किया जाता हैं क्योंकि जनजातीय महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति के मध्यम निम्न स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया हैं। अत: परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि गर्भावस्था के दौरान विशेष भोजन पोषण का महिला के स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता हैं।

तालिका क्रमांक – 3

गर्भावस्था के दौरान नियमित डॉक्टरी जांच कराये जाने संबंधी वर्गीकरण

क्र.	डॉक्टरी जांच की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नियमित	70	17.5
2	अनियमित	218	54.5
3	बिल्कुल नहीं	112	28
	कुल योग :-	**400**	**100**

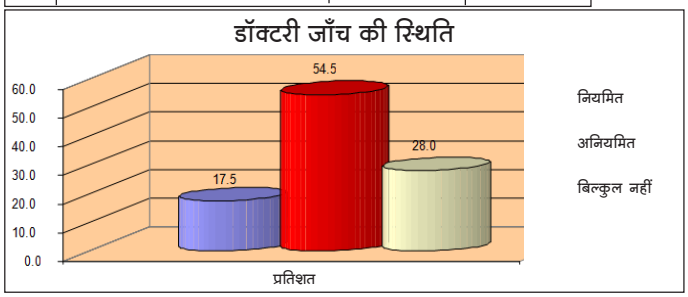

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 में जनजातीय महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान नियमित डॉक्टरी जांच कराये जाने संबंधी स्थिति अंतर्गत प्राप्त परिणाम के आधार पर सर्वाधिक अर्थात् 545 प्रतिशत महिलाऐं डॉक्टरी जांच केवल तकलीफ बढ़ने पर ही करवाती है तथा 28 प्रतिशत महिलाऐं बिल्कुल नहीं करवाती हैं। केवल 17.5 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही गर्भावस्था के दौरान नियमित डॉक्टरी जांच करायी जाती है जिसका की प्रतिशत सबसे न्यूनतम हैं।

निष्कर्ष – उपरोक्त परिणामों के आधार पर स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र अंतर्गत अधिकांश महिलाऐं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच नहीं करवाती है तथा केवल तकलीफ बढने पर ही वह चिकित्सा हेतु अस्पताल जाती है, केवल घरेलू एवं परम्परागत उपचार ही अपनाती हैं।

उपरोक्त स्थिति जनजातीय महिलाओं में अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी एवं लापरवाही को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रसव के समय जटिलता, पोषक तत्वों की कमी, अपरिपक्व शिशु का जन्म जैसी स्थितियॉ निर्मित होती हैं। अत: उपरोक्त प्राप्त प्रति उत्तरों के माध्यम से कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में परम्परागत गलत मान्यताऐं, गरीबी अशिक्षा इत्यादि व्याप्त है जिस कारण से वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, किन्तु वर्तमान में उपरोक्त धारणाओं में परिवर्तन हुए है। कुछ लोग डॉक्टरी ईलाज एवं गर्भावस्था जैसी महत्वपूर्ण अवस्था एवं स्वास्थ्य को महत्व देने लगे है किन्तु इसका प्रतिशत अपेक्षाकृत कम पाया गया हैं।

महिला स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु सुझाव –

1. महिलाऐं हमारे देश का 50 प्रतिशत संसाधन हैं तथा वे ही लगभग शत-प्रतिशत परिवारों में भोजन तथा परिवार की देखभाल की जिम्मेदार हैं अत: यह आवश्यक है कि परिवार को कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें सशक्त व जागरूक बनाना होगा।
2. आर्थिक रूप से स्वतंत्र, शिक्षित व नई तकनीकों से भिज्ञ कराना होगा।
3. इनमें सबसे प्रमुख है गर्भावस्था में उचित देखभाल का प्रबंध व बच्चों का उचित पालन पोषण।
4. दूसरी बुनियादी जरूरते है, पेयजल, ईधन, शौचालय सफाई और स्वास्थ्य सेवाऐं।
5. महिलाओं का योगदान कृषि उत्पादन में बहुत अधिक है इस योगदान को वह और अधिक प्रभावी बना सकती है, यदि उनको अनाजों के अतिरिक्त दालें, फल, संरक्षण, बेहतर तकनीक का प्रयोग करके अधिक पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थो का उत्पादन करके परिवार तथा समुदाय को कुपोषण निवारण हेतु प्रशिक्षित किया जाय।
६. महिलाओं के कार्यो के अनुरूप औजार बनाना ताकि उनकी समय, शक्ति व उर्जा को बचाया जा सकें, ध्यान रखा जाय कि उनके श्रम और कार्य का विविधीकरण हो यानी रोजगार के अवसर बढ़े न कि मशीने उनका स्थान ले लें।
7. केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेतीहर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं, दुर्घटना, गर्भावस्था, बालकल्याण, आवास तथा वृद्धावस्था संबंधी सामाजिक सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान रहे।

जहॉ एक ओर भारत की खाद्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है वही दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति के चुनौतीपूर्ण कार्य ने एक तरफा विकास की दर को बढ़ाया है, वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 53 प्रतिशत बच्चे जो कि चार वर्ष से कम आयु के हैं, कुपोषण के शिकार है तथा 55 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलता एवं खून की कमी के कारण हर वर्ष 585,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तथा गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी के कारण शिशुओं में क्षतिग्रस्त रीढ़ की हड्डी जैसी जन्मजात विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। अंतत: कुपोषण की जड़े परिवार में न फैलें इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महिलाओं पर होता है अत: सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान दिया जाना परम आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, डीएन(2001) 'आधुनिक मनोविज्ञान' सत्य प्रकाशन आगरा।
2. डॉ.वर्मा, तेज एवं डॉ.रघुवंशी, रीता, 'कुपोषण से लड़ाई में महिलाओं का योगदान' खेती पत्रिका अ टूबर 2000 पृक्र. 16-18
3. खादर डॉ. विजया 'ग्रामीण महिला–पोषण सुरक्षा' खेती पत्रिका 1998 पृ.क्र. 45–46
4. श्रीवास्तव रश्मि एवं दयाल रेखा 'कार्यरत एवं घरेलू महिलाओं के कार्यस्थल एवं पारिवारिक कार्यो पर तनाव के प्रभाव भारतीय कृषि अनुसंधान पत्रिका, 25 149-152, 2010
5. मिडिया फार राइट्स 'महिला स्वास्थ्य की चुनौतियॉ।
6. कुमार सचिन 'मध्यप्रदेश में कुपोषण आलेख रिपोर्ट स्त्रोत–महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. यूनीसेफ भोपाल।
7. भट्ट कुसुम (1998) 'आदिवासी महिलाओं व बच्चों की पोषण स्थिति एक सूक्ष्म विश्लेषण' एमफिल लघु शोध प्रबंध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर।
8. स्वामीनाथन, मथुरा (2007) 'खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को कम महत्व' योजना मई 2007 पृक्र.13

मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के स्वास्थ्य स्तर पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. प्रगति देसाई * मेघा परमार * *

शोध सारांश – शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़, ताकतवर तथा सबसे महत्वपूर्ण निरोगी रखने के लिए प्रात: योगासन करना चाहिये, जिससे शरीर 24 घण्टे उत्साह भरे प्रसन्न मुद्रा में कार्य कर सके। साथ ही साथ योगा व प्राणायाम से विभिन्न बीमारियाँ जैसे – उच्चरक्तचाप, कब्ज, पेट सम्बन्धित अन्य रोग, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि को सामान्य किया जा चुका है तथा किया जा रहा है । इस अध्ययन के द्वारा मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के रक्त शर्करा स्तर व मानवमिति परीक्षण पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव को जानने हेतु सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षण के आधार पर योगा व प्राणायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के रक्त शर्करा स्तर व मानवमिति परीक्षण पर देखा गया ।

शब्द कुंजी – मधुमेह, योगा, प्राणायाम, रक्त शर्करा स्तर, मानवमिति परीक्षण।

प्रस्तावना – मधुमेह या डायबिटीज मैलाइट्रिस चयापचय सम्बन्धित रोगों का एक समूह है जिसे विशेष रूप से उच्च रक्त शर्करा के रूप में देखा जाता है। शरीर में इन्सुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह कहलाता है। या रक्त में ग्लूकोस की मात्रा के बढ़ने को मधुमेह कहते है। मधुमेह में कार्बोज का चयापचय पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, साथ ही साथ रोग की गम्भीर अवस्था में प्रोटीन तथा वसा के चयापचय पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में ग्लूकोस का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इन्सुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण अग्नाशय ग्रन्थि में स्थित आइसोलेट ऑफ लैगरहैन्स की बीटा सेल्स से होता है।

आने वाले समय में मधुमेह विकासशील देशों की एक प्रमुख समस्या होगी। वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह से पीड़ित लोग भारत तथा चीन में हैं। द इन्टरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में भारत में 83.5 मिलीयन लोग ग्रसित थे, जिनमें से 16.8 मिलीयन लोगों ने योगा व प्राणायाम के द्वारा रक्त शर्करा स्तर को सामान्य करने में सफलता हासिल की है।

हेल्थ, डाइट और फिटनेस सेन्टर की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल मधुमेह से ग्रसित जनसंख्या का 60 प्रतिशत योगा व प्राणायाम करता है। जिसमें 35-54 वर्ष की 41 प्रतिशत जनसंख्या तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की 18.4 प्रतिशत जनसंख्या शामिल हैं। जिनको नियमित योगा व प्राणायाम से लाभ मिल रहा है। अत: वर्तमान समय में मधुमेह ही नहीं, कई अन्य रोगों के उपचार के लिये योगा व प्राणायाम का उपयोग नियमित किया जा रहा है। योगा व प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप स्वस्थ्य होकर सुखी जीवन जी रहा है।

उद्देश्य – मधुमेह से ग्रसित वयस्कों में रक्त शर्करा स्तर तथा मानवमिति परीक्षण पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव का अध्ययन करना।

विधि – शोध कार्य हेतु इन्दौर शहर के योग मित्र मण्डल, हेल्थ क्लब, योगा व प्राणायाम प्रशिक्षण केन्द्र से 45-60 वर्ष के 50 मधुमेह से ग्रसित वयस्कों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। जिनको 25-25 लोगो के दो समूह में विभाजित किया । जिनको नियन्त्रित तथा प्रयोगात्मक समूह में विभाजित किया। समंको के संकलन हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोगात्मक तथा रासायनिक विधि का प्रयोग कर सर्वेक्षण किया गया। तथ्यों के विश्लेषण एवं परिणाम हेतु प्रतिशत विधि व काई वर्ग परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया ।

- नियन्त्रित समूह के मधुमेह से ग्रसित लोगों को जैसे वह है वैसे ही रहने दिया।
- प्रयोगात्मक समूह के मधुमेह से ग्रसित लोगों को प्रतिदिन योगासनों में मुख्यत: उत्तानपादासन, नौकासन, दीर्घनौकासन, योगमुद्रासन, अर्द्धमत्येन्द्रासन, पषुविश्रामासन, मण्डूकासन, जानुषिरासन, शवासन कराये तथा प्राणायाम में मुख्यत: अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कराये।
- सभी निर्देशो के विभिन्न नाप जैसे वजन, बी.एम.आई., वेस्ट टू हिप अनुपात, ब्लड शूगर लेवल आदि को अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व तथा अध्ययन समाप्त होने पर लिया।
- प्रयोगात्मक समूह के सभी निर्देशो को प्रतिदिन 1 घण्टा योगा व प्राणायाम कराया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण –

1.1 योगा व प्राणायाम का रक्त शर्करा पर प्रभाव –

योग कलात्मक जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है, जिससे व्यक्ति का समग्र (शारीरिक, मानसिक तथा आध्यामिक) विकास सम्भव है। योगा का संबंध शारीरिक क्रियाओं से है, जिनसे शरीर की जड़ता, आलस्य व प्रमाद हटता है तथा शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, पुष्टता एवं दिव्यता आती है। इसी प्रकार प्राणायाम से प्राणों की गति को नियंत्रित करके प्राण को जीता जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के रक्त शर्करा स्तर एवं मानवमिति परिक्षण पर योग व प्राणायाम के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 1.1 में की गई है।

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत
* * शोधार्थी, स्कूल ऑफ सोशल साइन्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

तालिका क्रमांक –1.1 (तालिका देखें)

तालिका 1.1 से विदित है कि प्रयोगात्मक समूह में योगा व प्राणायाम कराने के बाद .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रयांश 2 तथा 5 के साथ सार्थक पाया गया। अत: हमारी उपकल्पना स्वीकृत हुई। प्रयोगात्मक समूह को 80 दिनों तक योगा व प्राणायाम कराने के बाद खाली पेट रक्त शर्करा का स्तर 20 प्रतिशत तथा खाना खाने के 2 घण्टे बाद रक्त में शर्करा का स्तर 24 प्रतिशत तक सामान्य हुआ। मधुमेह से ग्रसित वयस्कों का वजन 24 प्रतिशत तथा वेस्ट टू हिप अनुपात 32 प्रतिशत तक सामान्य हुआ। जबकि नियन्त्रित समूह में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखे गए। अत: कहा जा सकता है कि मधुमेह की स्थिति को सामान्य करने में दवा व भोजन के साथ–साथ योगा व प्राणायाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । मधुमेह की स्थिति में जब पेन्क्रियाज की क्रियाशीलता में कमी हो जाने के कारण इन्सुलिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में स्त्रावण नहीं होता, जिससे रक्त शर्करा का स्तर उच्च हो जाता है, तब दवाओं के साथ–साथ योगा व प्राणायाम का उपयोग करके रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा को सामान्य किया जाता है। योगा व प्राणायाम के द्वारा शरीर की मांसपेषियों की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है ।**चित्र 1.1 (देखें)**

चित्र 1.1 से स्पष्ट है कि मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के नियन्त्रित समूह व प्रयोगात्मक समूह में उच्च रक्त शर्करा तथा मानवमिति परीक्षण का प्रतिशत अधिक था। जिसमें प्रयोगात्मक समूह को 80 दिनों तक योगा व प्राणायाम कराने के बाद उनके उच्च रक्त शर्करा के स्तर में तथा मानवमिति परीक्षण के प्रतिशत में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आये। इस विषय में सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन पूर्व में किये जा चुके हैं।

महादेव मनमोहन तथा उनके साथियों ने (2008) राजकोट में 45–55 वर्ष के 30 डायबिटिक लोगों पर 'टाइप 2 डायबिटीज तथा वजन पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव का अध्ययन' किया। उन्होंने सभी लोगों को 2 भागों में बाँटा। पहले समूह को 6 सप्ताह तक प्रतिदिन योगा टीचर की देखरेख में 1 घण्टा योगा व प्राणायाम कराया। दूसरे समूह को ऐसे ही रहने दिया। 6 सप्ताह के बाद प्राप्त परिणामों के अनुसार पहले समूह के लोगों में खाली पेट रक्त शर्करा स्तर में (P <0.001), खाना खाने के 2 घण्टे बाद की रक्त शर्करा स्तर में (P < 0.001) तथा वजन में (P <0.001) सार्थक कमी देखी गई। साथ ही साथ BMI, वेस्ट–टू–हिप अनुपात में भी कमी देखी गई। जबकि दूसरे समूह के लोगों में कोई परिवर्तन नहीं देखे गए। अत: महादेव मनमोहन तथा उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि योगा व प्राणायाम टाइप 2 डायबिटिज तथा वजन को सामान्य करने का महत्वपूर्ण व कारगर उपाय है।

प्रस्तुत अध्ययन के चित्र 1.1 से स्पष्ट है कि नियन्त्रित समूह में खाली पेट रक्त शर्करा स्तर में 4 प्रतिशत, खाना खाने के 2 घण्टे बाद के रक्त शर्करा स्तर में 4 प्रतिशत, वजन के स्तर में 8 प्रतिशत तथा वेस्ट–टू–हिप अनुपात में 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। जबकि प्रयोगात्मक समूह को 80 दिनों तक प्रतिदिन 1 घण्टे योगा व प्राणायाम कराने के बाद खाली पेट रक्त शर्करा स्तर में 12 प्रतिशत, खाना खाने के 2 घण्टे बाद के रक्त शर्करा स्तर में 12 प्रतिशत, वजन के स्तर में 5 प्रतिशत तथा वेस्ट–टू–हिप अनुपात में 28 प्रतिशत की कमी देखी गई। अत: योगा व प्राणायाम के द्वारा उच्च रक्त शर्करा स्तर को तथा मानवमिति परीक्षण के विभिन्न मानों को सामान्य करके स्वस्थ्य स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे विशिष्ट योगासनों व प्राणायाम के माध्यम से मधुमेह को नियन्त्रित रखते हुए मधुमेह से सबंधिंत अन्य जटिलताओं को दूर कर सामान्य जीवन व्यतित कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ. शर्मा भारती, 'कड़वी शुगर में घुलता इन्डिया', दैनिक भास्कर, पेज नं. 1, अगस्त (2012)
2. Dr. Malu, "Nutritional Prscription for Diseases & Good Health", Ideal Publishers, Indore (2012)
3. Joshi Shubhangini A. "Nutrution and Dietetics", Third Adition, Tata Mc Graw Hill Education Private Limited, New Delhi (2010)
4. India DiabestsEducatro Project Manual(2010)
5. स्वामी रामदेव, 'प्राणायाम रहस्य (वैज्ञानिक तथ्यों के साथ)', दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार (2009)
6. स्वामी रामदेव, 'योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य' , दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार (2009)
7. डॉ. बांद्रे बी.के. 'मधुमेह रोग और योग', नई दुनिया, सेहत, पेज नं. 11, अप्रैल (2008)
8. स्वामीनाथन एम., 'आहार एवं पोषण', एन. आर. प्रकाशन, इन्दौर (2008)
9. Mohan Kathleen L., Stump Sylvia Escott, "Krause's Food & Nutrition Therapy", 12th Edition, International Edition (2008)
10. Srilakshmi B., "Dietetics", Fifth Ediction, New Age International (P) Limited, Publishers, Delhi (2005)
11. Antia F.P. & Abraham Philip, "Clinical Dietetics and Nutrition", Fourth Edition, Oxford University Press (2005)
12. Dr. Jain Sunil M., "Diabets A Partner For Life", Manjul Publishing, Bhopal (2005)
13. डॉ. शुल्क एस.एम. तथा डॉ. सहाय एस.पी., 'सांख्यिकीय विष्लेषण' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (2002)

तालिका क्रमांक –1.1

मधुमेह से ग्रसित वयस्कों के रक्त शर्करा स्तर एवं मानवमिति परीक्षण पर योगा व प्राणायाम के प्रभाव का तुलनात्मक परिणाम

(काई वर्ग, सामान्य मान तथा प्रतिशत वितरण में)

चर	अवस्थाएँ	समूह									
		नियन्त्रित (N=25)					प्रयोगात्मक (N=25)				
		पूर्व	प्रति. (%)	बाद मै	प्रति. (%)	काई वर्ग (वेल्यू)	पूर्व	प्रति (%)	बाद में	प्रति (%)	काई वर्ग (वेल्यू)
खाली पेट रक्त शर्करा का स्तर	सामान्य <100	1	4	2	8	0.5	4	16	9	36	2.86
	प्री. डायबिटिक 100 –125	15	60	13	52		14	56	12	48	– 125
	डायबिटिक <126	9	36	10	40		7	28	4	16	
खाना खाने के 1 घण्टे बाद रक्त शर्करा का स्तर	सामान्य <140	3	12	4	16	0.32	2	8	8	32	4.82
	प्री. डायबिटिक 140 – 199	16	64	14	56		17	68	14	56	
	डायबिटिक < 200	6	24	7	28		6	24	3	12	
वजन का स्तर	सामान्य	3	12	4	16	1.32	2	8	8	32	4.96
	अधिक वजन	10	40	10	40		12	48	7	28	
	ग्रेड–I	5	20	6	24		8	32	7	28	
	ग्रेड–II	5	20	4	16		2	8	2	8	
	ग्रेड–III	1	4	1							
	कम वजन	1 4	–	–							
वेस्ट टू हिप अनुपात	सामान्य से कम	3	12	3							
	सामान्य	10	40	1							
	सामान्य से ज्यादा	12	48	1							
0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर											

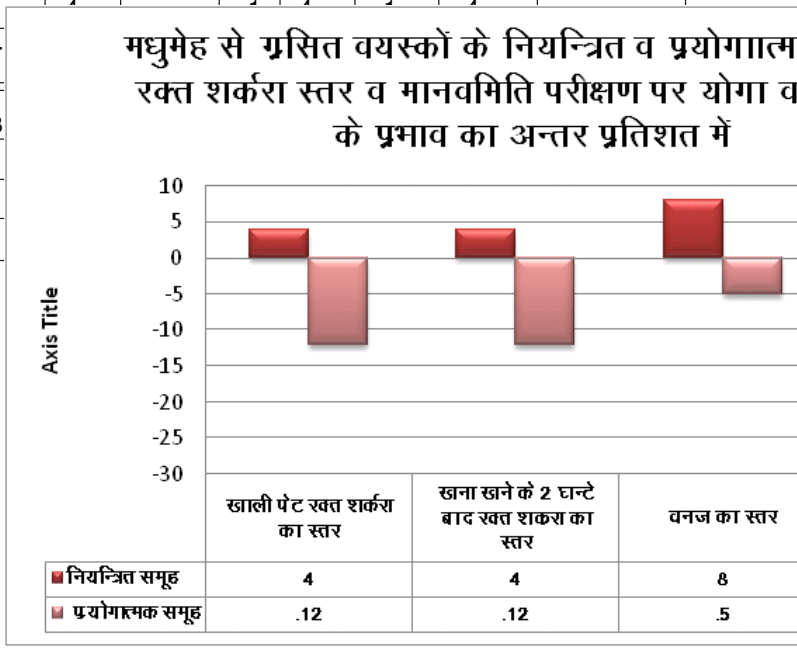

कानपुर शहर के सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

पूनम रानी * डॉ. मंजू दुबे **

प्रस्तावना – बालक हमारे देश के भावी कर्णधार हैं उनके चहुमुखी विकास के लिये उनका स्वस्थ्य रहना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर ही बालकों का सर्वांगीण विकास संभव है।

भारत में निवास करने वाला हर छठवाँ व्यक्ति उत्तर–प्रदेश का निवासी है। उत्तर–प्रदेश में विकास के संकेतकों के अनुसार 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है तथा कुपोषण के शिकार हैं।

अत: शोधार्थी ने अपने शोध का विषय कानपुर शहर के सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन चुना है।

उद्देश्य – शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा अग्रलिखित उद्देश्य निर्मित किए गए हैं–

1. कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का पोषण स्तर ज्ञात करना।
2. सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों एवं उनके लिंग तथा अन्तर्सम्बन्ध का उनके पोषण स्तर पर प्रभाव ज्ञात करना।

परिकल्पनाएँ – शोध अध्ययन हेतु शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गई हैं–

1. कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा।
2. कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों के पोषण स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा।
3. कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों एवं उनके लिंग तथा अन्तर्सम्बन्ध का उनके पोषण स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

शोध पद्धति – शोध अध्ययन हेतु कानपुर शहर के 150 सरकारी एवं 150 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन विधि (Random sampling method) से किया गया है। विद्यार्थियों के पोषण स्तर को ज्ञात करने हेतु लक्षण परीक्षण (Clinical examination) विधि का उपयोग किया गया। परिणामों की सार्थकता ज्ञात करने हेतु 2×2 फेक्टोरियल अनोवा परीक्षण का उपयोग किया गया जिसे तालिका क्रमांक 1 एवं 2 में प्रदर्शित किया गया है।

- **परिणाम एवं विवेचना**

तालिका क्रमांक – 1

सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण

समूह (विद्यार्थी)	लिंग	माध्य वर्ग	मानक विचलन	N
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी	लड़के	0.85388	0.136031	75
	लड़कियाँ	0.84477	0.145978	75
	योग	0.84933	0.140692	150
गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी	लड़के	0.88492	0.142645	75
	लड़कियाँ	0.84378	0.173521	75
	योग	0.86435	0.159641	150
योग	लड़के	0.86940	0.139779	150
	लड़कियाँ	0.84427	0.159804	150
	योग	0.85684	0.150402	300

उपरोक्त **तालिका क्रमांक 1** में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का सांख्यकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तालिका दर्शाती है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् **75** लड़कों के पोषण स्तर का माध्य **0.85388** तथा मानक विचलन **0.136031** पाया गया तथा **75** लड़कियों के पोषण स्तर का माध्य **0.84477** तथा मानक विचलन **0.145978** पाया गया। इस प्रकार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल **150** विद्यार्थियों के पोषण स्तर का माध्य **0.84933** तथा मानक विचलन **0.140692** पाया गया।

गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् **75** लड़कों के पोषण स्तर का माध्य **0.88492** तथा मानक विचलन **0.142645** पाया गया तथा **75** लड़कियों के पोषण स्तर का माध्य **0.84378** तथा मानक विचलन **0.173521** पाया गया। इस प्रकार गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल **150** विद्यार्थियों के पोषण का स्तर का माध्य **0.86435** तथा मानक विचलन **0.159641** पाया गया। तालिका दर्शाती है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त **150** लड़कों के पोषण स्तर का माध्य **0.86940** तथा मानक विचलन **0.139779** पाया गया तथा समस्त **150** लड़कियों के पोषण स्तर का माध्य **0.84427** एवं मानक विचलन **0.159804** पाया गया।

* शोधार्थी, शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर ** संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान विभाग) शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् **150** एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् **150** कुल **300** विद्यार्थियों के पोषण स्तर का माध्य **0.85684** तथा मानक विचलन **0.150402** पाया गया। **(ग्राफ क्रमांक 1)**

ग्राफ क्रमांक – 1
सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अयनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण

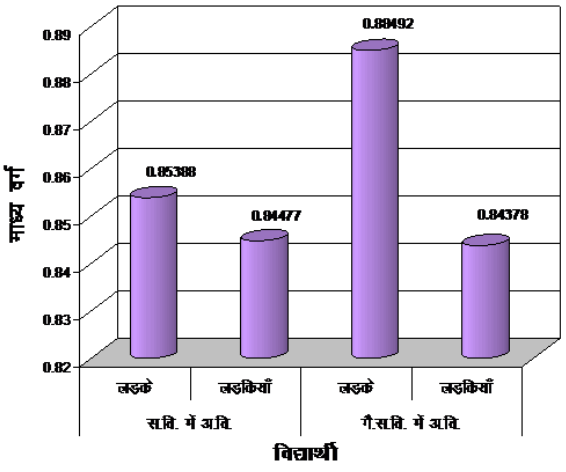

स.वि.	–	सरकारी विद्यालय
गै.वि.	–	गैर सरकारी विद्यालय
अ.	–	अध्ययनरत्
वि.	–	विद्यार्थी

तालिका क्रमांक – 2

सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर, लिंग एवं परस्पर संबंध का 2×2 फेक्टोरियल अनोवा परीक्षण का विवरण

स्त्रोत	III प्रकार के वर्गों का योग	df	माध्य वर्ग	f	रिमार्क
समूह	0.017	1	0.017	0.750	p >0.05
लिंग	0.047	1	0.047	2.098	p >0.05
समूह* लिंग	0.019	1	0.019	0.853	p >0.05
त्रुटि	6.80	296	0.023		
कुल	227.015	300			
कुल	6.764	299			

उपरोक्त **तालिका क्रमांक 2** से प्रमाणित होता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर का परिगणित मूल्य **1/296** स्वातंत्र्यांश संख्या पर **0.750** है जो **0.05** स्तर पर असार्थक है। तालिका दर्शाती है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर के माध्य प्राप्तांकों (Mean Scores) में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: शून्य परिकल्पना 'कानपुर शहर के सरकारी एवं गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा' स्वीकृत होती है। तालिका दर्शाती है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर में मामूली अंतर पाया गया।

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों के पोषण स्तर का परिगणित मूल्य **1/296** स्वातंत्र्यांश संख्या पर **2.098** है जो **0.05** स्तर पर असार्थक है। इससे ज्ञात होता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों के पोषण स्तर के माध्य प्राप्तांकों (Mean Scores) में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: शून्य परिकल्पना 'कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लड़के एवं लड़कियों के पोषण स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा' स्वीकृत होती है। तालिका दर्शाती है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लड़के एवं लड़कियों का पोषण स्तर लगभग समान ही पाया गया।

तालिका क्रमांक **2** से प्रमाणित होता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों एवं उनके लिंग का परिगणित मूल्य **1/296** स्वातंत्र्यांश संख्या पर **0.853** है जो 0.05 स्तर पर असार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों एवं उनके लिंग के अन्तर्सम्बन्ध में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अत: शून्य परिकल्पना 'कानपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों एवं उनके लिंग तथा अन्तर्सम्बन्ध का उनके पोषण स्तर पर प्रभाव नहीं पाया जायेगा' स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष – शोध अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. विद्यार्थियों के विद्यालय का सरकारी एवं गैर सरकारी होना उनके पोषण स्तर को प्रभावित नहीं करता है।
2. सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पोषण स्तर के निर्धारण में लिंग की भूमिका नहीं पायी गई। अत: इससे निष्कर्ष निकलता है कि लिंग पोषण स्तर को प्रभावित नहीं करता है।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूहों तथा लिंग के अर्न्तसंबंध का पोषण स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कानगो प्रो. मंगला, 'पोषण एवं पोषण स्तर', पुर्नमुद्रण 2008, रिसर्च पब्लिकेशन्स त्रिपोलिया बाजार, जयपुर–2।
2. सिंह, डॉ. अनीता, 'उपचारात्मक पोषण' स्टार पब्लिकेशन्स 11, रोडवेज कॉलोनी, लोहामण्डी, आगरा।
3. वर्मा डॉ. प्रिति और श्रीवास्तव डॉ. डी.एन. 'बाल मनोविज्ञान बाल विकास', ग्यारहवां संशोधित संस्करण : 1997, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
4. पल्टा डॉ. अरूणा, 'आहार एवं पोषण' शिवा प्रकाशन आगरा।
5. जैन डॉ. शशि प्रभा, 'पूर्व बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था शिक्षा' प्रथम संस्करण 2009, शिवा प्रकाशन श्रीगणेश मार्केट खजूरी बाजार, इन्दौर।
6. पारसनाथ राम, 'अनुसंधान परिचय' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, द्वादशम् संस्करण 2008, पृष्ठ क्रमांक–95।
7. त्रिवेदी आर.एन. और शुक्ल डी.पी., शोध पद्धति, पब्लिकेशन कॉलेज बुक डिपो, 83, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

Effect of Cost of Trading in Indian Stock Exchanges

Dr. Sanjay Agrawal *

Abstract - This paper attempts that of the three major components of cost of trading viz. user charges (brokerage fees, exchange transaction charges and DP chargers), impact cost and statutory levies (STT, service tax on brokerage, stamp duty etc.), the user charges and the impact cost have been falling over the years due to rising competition and technology. The paper advocates that India's STT regime should be reviewed because of negligible revenue collection by Government from the STT and also because high STT reduces trading volumes, slows prices discovery, increases businesses' cost of capital and impairs the competitiveness of domestic financial markets, given the increased cross border mobility of capital.

Introduction -In India, capital markets have been playing an increasingly important role, determining the place and pattern of economic growth and the stock exchanges are a vital institution of the capital markets. A stock exchange provides an organized marketplace for transparent price discovery, where trading members (brokers) use a trading platform, to trade in securities such as equities or bonds either on behalf of their clients or on their own account. When a party trades with another on a stock exchange, he not only pays or receives the price (at the time of trading) of the securities he buys or sells, but also incurs certain additional costs. These additional costs are called costs of trading. Costs of trading in an exchange have an important bearing on the efficiency of the capital market and hence, call for a critical examination.

The aim of this paper is to critically examine the sources of the costs of trading on an exchange in the Indian context, analyze the trends and identify and discuss the emerging issues.

Composition of trading costs in India - Investors/ traders incur trading costs that can be broadly classified into three main categories: (i) user charges, (ii) statutory levies and (iii) impact costs.

User charges - An investor/trader is required to pay user charges in return for the facility to use the infrastructure of three separate entities: brokers, stock exchanges and depository service providers; the charges made by these entities are brokerage fees, exchange transaction charges and depository charges respectively. The exchange transaction fee also includes the costs of clearing and settlement, undertaken by the clearing corporations. The depositories provide depository services to investors through depository participants (DPs). They do not charge the investors directly but charge their DPs, who are free to have their own fee structure for their clients. It may be noted that each of these three entities—brokers, exchanges and DPs—are for-profit entities and what they charge to the clients includes an element of profit. Bulk of the user charges is of ad valorem nature; that is, they are applied on transaction values.

Statutory levies - Transactions on exchanges attract four different types of statutory levies; they are: Securities Transaction Tax (STT), Service tax on brokerage, Stamp duty and SEBI turnover fees. STT and service tax on brokerages are revenues of the Central Government, while stamp duty is collected by respective state governments. SEBI turnover fees flow into SEBI General Fund. SEBI's budget is financed by this Fund. The base for all these levies is transaction value, except for service tax on brokerage, which is applied on the brokerage fees charged by the brokers. It may also be noted that all the levies are uniform across the country, except stamp duties, which are payable as per the rates prescribed by the state in which a transaction takes place.

Impact cost - Impact cost is an indicator of liquidity of a market. It arises because of the absence of perfect liquidity in the markets in the real world. The less liquid a market, the higher is the impact cost. The concept of 'impact cost' can be explained with an example. If someone buys a share of a company for Rs 100 and sell a share of the same company simultaneously, she may get Rs 99,losing one rupee in the process, which is called the impact cost of transaction. In any given market, impact costs vary over time and across securities. To make 'impact cost' comparable across countries and over time, it is defined in terms of a given basket of stocks and a predefined order size.

Relative contribution of different cost components - Costs of trading vary depending on a number of factors such as type of trade (delivery based or not), kind of security being traded (equity or debt or derivatives), type of investor (retail vs institutional), size of transaction, location of the broker and so on. To arrive at any estimate of total trading costs, one would necessarily have to make assumptions on these factors. Based on a certain set of assumptions, we have estimated the costs of trading securities valued at Rs 100,000 at NSE (See Table 1).

*Asst. Professor (Commerce) Matajija bai Govt. Girls P. G. College, Moti Tabela Indore (M.P.)INDIA

Table-1: (see in last page) - In a separate exercise (Table 2), we retained all assumptions of Table 1, but changed the assumption on brokerage rate from 10 bps to 20 bps. It can be seen that both the total cost of trading as well as the contribution of individual cost sources in Table 2 differ from those in Table 1. This gives a sense of how the overall trading costs and the relative contribution of their components can vary from case to case. For example, the contribution of statutory levies fell from 44 percent in one case (Table 1) to 35 percent in another (Table 2). The point to note is that such variations from case to case (depending on brokerage charged, type of trade, size of trade etc) are normal to expect.

Table-2: (see in last page) - It may be seen from Chart 1 that the emerging markets typically have a higher overall cost of trading than the developed markets. Even when compared to other emerging markets, India's cost of trading appears to be at the higher end. What is rather instructive is that India's achievements in cutting down trading costs over the years has been more impressive than in most other countries, as we will see in the latter part of the paper.

Chart-1: Overall trading cost of select countries (see in last page)

One factor that is worth noting however is that while the total trading costs in India is at the higher end compared to other emerging markets, the 'impact cost' is among the lowest (see Chart 2).

Chart-2: Impact cost of select countries (see in last page)

Trends in trading costs - According to S & P estimates, there has been a declining trend in the total trading costs globally over the past few years and India has been no exception (see Chart 3). The point to note however is that India's trading costs are still higher than some major emerging markets and much higher than the developed markets.

Chart 3: Comparison of trading cost of select countries in 2000 and 2012 (see in last page)

We observed in Table 1 and Table 2 that the exchange transaction charge, which an exchange charges for the various services that it provides, is less than 1 percent of the total costs of trading. For executing a trade of Rs 1 lakh, the exchange transaction charge is only Rs 3.25 and this Rs 3.25 covers the costs of a range of services including provision of a trading platform, surveillance, clearing and settlement, redress of investor grievance and so on. As exchange transaction charge is an insignificant part of total trading costs, even if the exchange transaction fee falls to zero—which is inconceivable—total trading cost would reduce only marginally.

Exchange transaction charge is not only low but also declining. At NSE, for example, it has seen a secular decline over the years primarily because NSE has been able to handle an enormously fast-growing trading volume through adoption of world class technology, vast reach and superior processes. Resultant gains in cost efficiency are passed on steadily to the members. For example, in the cash market segment, the exchange transaction charges have fallen from about Rs 10 per transaction value of Rs 1 lakh over a decade ago to Rs 3.25 now. This amounts to a fall of about 68 percent. In real terms, the fall is even sharper.Brokerage fee is still a fairly significant part of trading costs, although the current brokerage fees are significantly lower than what prevailed in the early 1990s.

Similarly, the DP charges fell sharply over the years due to rising competition among the depository participants, whose number grew from 28 in 1997 to 758 in 2010. The current DP charges are about 2-3 basis points of traded value and are applicable only for sellers as compared to 4-5 basis points (applicable to both sellers and buyers) some 10 years ago. This has also been possible partly due to the cut in fees charged by the depositories to the DPs.Overall, In case of delivery based trades for retail traders, the brokerage fees are typically higher.In sharp contrast to the trends in user charges and impact costs, the STT—which constitutes bulk of the statutory levies—have shown a general rising trend, with a small exception (see Table 4). It may be noted that the STT burden for the same level of transactions has risen for all categories over the years except in the case of sale of options, where the change in tax base from notional value to premium has meant a sharp decline in STT burden.

Table 4. Changes in Security Transaction Tax Rates (percent)

	Oct-04	Jun-05	Jun-06	Jun-08
Delivery based trans--actions in equity	0.0750	0.1000	0.1250	0.1250
Non-delivery based transactions in equity	0.0150	0.0200	0.0250	0.0250
Derivatives: Sale of option	0.0100	0.0133	0.0170	0.0170[$]
Sale of option, where option isexercised	…	…	…	0.1250
Sale of futures	0.0100	0.0133	0.0170	0.0170

High securities transaction tax—a matter of concern?

Securities transaction taxes were rationalized to some extent in 2008, but it continues to be very high (0.125 percent) in case of delivery based transactions in equity and upon exercise of options.

There are, however, two reasons why the STT regime in India needs to be reviewed. First, the revenue received by the Government from this source has been negligible—in the range of 0.1-0.2 percent of GDP. Predictably, the STT revenue rises or falls with financial market activity;

Second, would it then be possible to raise revenue from this source by raising the tax rate? It is difficult to answer this question, as it would depend on a large number of factors. It is however useful to note that given the ever increasing integration of the world financial markets, it is possible that relatively high STTs could drive out financial activity to other countries. Also, a hike in STT rates discourages trading volumes in any given country. In either case, as STT rises, the chances of a trade being profitable reduce and traders

are discouraged to trade. While this is true of other components of trading costs as well, our focus is on STT, because we have seen that it is primarily the STT which has been putting upward pressure on total trading costs. Besides, traders are particularly sensitive to statutory levies than other trading cost components, such as brokerage, exchange transaction fee and DP charges, where choices are available. It is for this reason that high STTs can and do affect trading volumes; lower trading volumes in turn reduce liquidity and slow price discovery.

Summary and conclusion - In this paper, I have seen that in line with the global trend, the cost of trading in Indian exchanges has declined over the years. Yet, trading costs in India remain relatively high compared to other countries. Because trading occurs on the exchange platform, there is a perception that the exchange as the intermediary in trading transactions is responsible for this. A decomposition of total trading costs debunks this myth, as exchanges account for a miniscule part of total trading costs. Further, an analysis of the trends of various components of trading costs shows that while the user charges (that is, charges made by brokers, exchanges and DPs) and impact costs have declined, the statutory levies, particularly the STT rate has risen. While there is no need for complacency for the market infrastructure service providers to further reduce the trading costs, there appears to be a case for review of the STT regime, as there are concerns that it may be raising businesses' cost of capital and impairing the development and competitiveness of domestic financial markets, given increased cross border mobility of capital. At the same time, the objective of revenue collection is not found to be well served by STT, although it is often cited as the rationale for its imposition.

Refrences -

1. Website of National Stock Exchange of India
2. Publication of Stock Exchanges of India
3. Website of SEBI

Chart-1: Overall trading cost of select countries

Table-1: (see in last page)Transaction cost for trading in securities market (Average brokerage@10bps)

Value of Trade	**Rs. 1,00,000**		
	Cost (Rs.)	**PercentofTotal Cost**	**BasisPointsof Traded Value**
User charges	**123.25**	**38**	**12.325**
of which:			
Brokerage **(at the rate of 10 bps)**	100.00	31	10.0
Exchange Transaction Charges	3.25	1	0.3
DP charges	20.00	6	2.0
Statutory levies	**145.50**	**44**	**14.5**
of which:			
Securities Transaction Tax (STT)	125.00	38	12.5
Service tax on brokerage (@10.3 %)	10.30	3	1.0
Stamp duty	10.00	3	1.0
SEBI turnover fee	0.10	0	0
Impact Cost	**60.00**	**18**	**6**
Total	**328.65**	**100**	**32.82**

Table-2: (see in last page)TTransaction cost for trading in securities market (Average brokerage@20bps)

Value of Trade	Rs. 1,00,000		
	Cost (Rs.)	**Percent ofTotal Cost**	**Basis Points of Traded Value**
User charges	**223.25**	**51**	**22.325**
of which:			
Average Brokerage **(at the rate of 20 bps)**	200.00	45	20.0
Exchange Transaction Charges (at highest slab base rate)	3.25	1	0.3
DP charges	20.00	5	2.0
Statutory levies	**155.80**	**35**	**15.5**
of which:			
Securities Transaction Tax (STT)	125.00	28	12.5
Service tax on brokerage (@10.3%)	20.60	5	2.0
Stamp duty	10.00	2	1.0
SEBI turnover fee	0.10	0	0
Impact Cost	**60.00**	**14**	**6**
Total	**439**	**100**	**43.82**

Chart-2: Impact cost of select countries

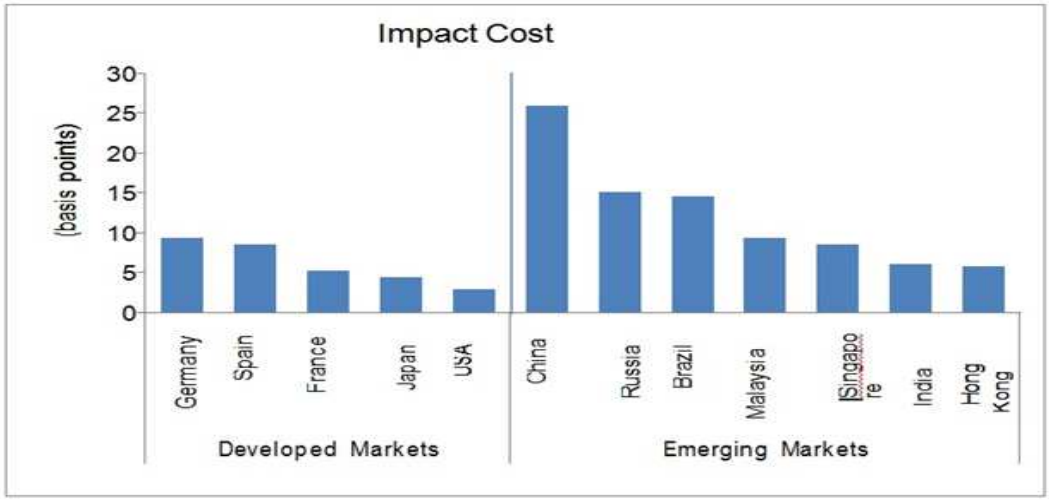

Chart 3: Comparison of trading cost of select countries in 2000 and 2012

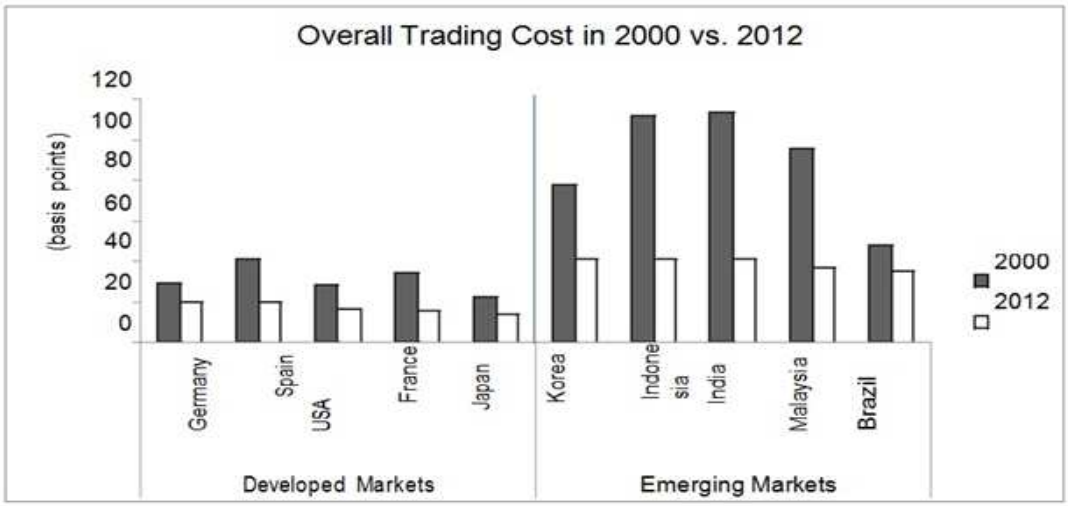

Boom Time Ahead For Packaged Drinking Water Industries In India With Special Reference To Indore (M.P.)

Dr. Prabhat Chopra *

Abstract - One cannot think about life without water. We are blessed with adequate natural resources of water but increasing population, alarming rate of global warming and rapid industrialization and lack of adequate and improved management of the water supply systems resulted in the increased rate of water consumption, wastage of water and deteriorating condition of the water supply networks and the result is, scarcity of water. The Water shortage around the world and particularly in the developing countries has opened new doors for bottled water Industry. By the increasing population and the demand for Pure and safe water for good health has created a excellent market for Packaged drinking water industries which is recently a boom market as compare to other products in the market. It will become next Oil Industry by the year 2025. This research paper seeks the comparative study on marketing of packaged drinking water industries in Indore Madhya Pradesh with it's grows as well as marketing problems. The research methodology relies upon collection and analysis of secondary data. The results and findings show that how government institutions opened a door for growth of packaged drinking water industry.

Keywords - Growth of Packaged Drinking Water, Improved management of the water supply, Marketing Packaged Drinking Water, Scarcity of water.

Introduction - Water is the most important necessity for life. The drinking-water needs for individuals vary depending on the climate, physical activity and the body culture. But for average consumers it is estimated to be about two to four litres per day. The growing number of cases of water borne diseases, increasing water pollution, increasing urbanization, increasing scarcity of pure and safe water etc. has made the bottled water business just like other consumer items. Scarcity of potable and wholesome water at railway stations, tourists spots, and role of tourism corp. etc. has also added to the growth.

Almost all the major international and national brands water bottles are available in Indian market right from the malls to railway stations, bus stations, grocery stores and even at panwala's shop. Before few years bottle water was considered as the rich people's choice, but now it is penetrated even in rural areas. The growth and status of Indian Bottled Industry in comparison with Western or Asian market, India is far behind in terms of quantum, infrastructure, professionalism and standards implementation. The per capita consumption of mineral water in India is a mere 0.5-liter compared to 111 liter in Europe and 45-liter in USA. Also As per UN study conducted in 122 countries, in connection with water quality, India's number was dismal 120. In comparison to global standards India's bottled water segment is largely unregulated.

Currently the Indian bottled water market is growing at a CAGR of 19% worth around Rs. 8000 Crore and likely to touch Rs.10,000 Crore in current fiscal 2012 – 13, as per the IKON Marketing Consultants research report.

Review of Literature - During the analysis of Packaged Drinking Water market, I have tried to observe the market when there is no consumption of packaged drinking water as well as no marketing activities were adopted. During study I found, although the drinking water was quite better but it contains lots of problems such as **-**

1. Improper management of Indore Municipal Corporation.
2. Shortage of drinking water.
3. Unavailability of Pure and Safe Drinking Water due to leakages in pipelines and mixing of water with drainage lines.
4. Improper distribution of drinking water to public.

By having all these problems for getting the pure and safe drinking water faced by the public, which gives, rise to the packaged drinking water industries to provide pure and hygienic water to the public which in results the market of packaged drinking water is growing day by day. Hence in order to get pure and safe drinking water with no tension whether it is any occasion or traveling the peoples are ready to pay and use the packaged drinking water for their good health and with no compromise.

Objectives of the study -

1. There should be a vision in the design, establishment and operations of Drinking water Plants.
2. To know effectiveness of the marketing strategy & sales promotion in the market.
3. To study and analyze on the tremendous growth of packaged drinking water in the city.
4. To emphasize on the urban and rural markets of the city.

Why Bottled Water?

Millions of people, both in rural and urban India, suffer from inadequate or no tap water supply. Even some parts of Mumbai, the country's financial capital, get a mere two hours

* **S.J.H.S. Gujrati Innovative College, Indore (M.P.) INDIA**

of daily water supply. The city's Virar suburb gets 45 minutes. So bottled water is much in demand by residents - even though the businesses profiting from the sales are thriving from access to public water sources.

Bottled water fills a void created by government failure to address basic services, Peter Gleick of the Pacific Institute writes in its World Water report. "In many parts of the world, tap water is not available or safe to drink," writes. "In these regions, the failure of governments to provide basic water services has opened the door to private companies and vendors filling a critical need, albeit at a very high cost to consumers." The institute reasons that governments should tap into spending on commercial water by consumers to secure funds to provide safe water at fraction of the cost.

Bottled Water: How Safe?

The bottled water industry has spent billions over the past decade to sell you on the idea that bottled water is better than tap water. Well the short answer is they are both unhealthy. One of the most ironic parts of the bottled water tragedy is that the water bottling industry gets the water free, filters it, bottles it and sells it back to us at 1,900% profit. The ironic part is that tap water is legislated to be 7.0 pH neutral. They first dump a TON of chlorine in the water to kill off all the bad bacteria, this makes it highly acidic.

So how safe is bottled water? Not that safe, says the CERS survey. As many as 10 of the 13 brands had foreign floating objects in clear violation of norms. None of the brands tested was free from bacteria although the consolation is that they were not of the harmful kind. Two of the big brands contained toxic heavy metals much higher than permitted levels. The term "mineral water" is misleading because our laws do not stipulate the minimum mineral content level required for water to be labelled as such. All this from a sector that is flourishing because of the public fear that water supplied by civic bodies is impure.

Bottled Water in the Marketplace

Bottled water is sold in a variety of packages right from 200 ml pouches and glasses, to 330 ml bottles, 500 ml bottles, to one-liter bottles and even 20- to 50-litre bulk water packs. In terms of cost the bottled water business in India can be divided broadly into three segments, premium natural mineral water, natural mineral water and packaged drinking water. It is obvious to found the bottled water manufacturer in metro cities though it might be running only in one room or shop, but its surprising to know that at present in many medium and small villages and even in some of the prosperous rural areas you will find the local manufactures of bottled water and local brand of bottled water laying with the well known brands on the same shelf.

Boom Time Ahead For Packaged Drinking Water

The Indian market is estimated at about Rs 1,000 Crore and is growing at whopping rate of 40 per cent. By 2010, it will reach Rs 4,000 - 5,000 Crore with 33% market for natural mineral water. According to a national-level study, there are more than 200 bottled water brands in India and among them nearly 80 per cent are local brands. In fact, making bottled water is today a cottage industry in the country. However though having the large number of small and local producers, this industry is dominated by the big players like - Parle Bisleri, Coca-Cola, PepsiCo, Parle Agro, Nestle, Mount Everest, Kingfisher and Manikchand and so on. These players can be called as the trend setters in the marketing of packaged drinking water.

The recent industry figures indicates that the sales of bottled water grew from $189 million (USD) in 2003 to $599 million in 2008 -a growth rate of 216% and it is expected that this figures will be doubled in the next five years. This growth rate makes Indian Bottled water market as one the fastest growing in the world. The factors contributing to such a rapid growth are sound economy, disposable income of the people, poor public water distribution system and infrastructure and the Indian government hardly cares for what happens to the nation's water resources. However like each industry is facing the challenges the Indian bottled water industry is also having bottlenecks like poor transportation infrastructure, low entry barriers, difficulties in brand recognition and sometimes threats from the environment protectors and social activist against the use of bottled water.

In Indore there are 80(on an Approx) companies available for Packaged Drinking Water and are playing excellent role in market and creating good market share day by day. There is average consumption of Packaged drinking in Indore is shown in table as follows:

Table no. 1 Total Sales Per Day

	No. of Manufacturers			
		80		
Sales level	**Pouch**	**Bottle**	**Jar**	**Cane**
5000 > 10000	2			
10000 > 15000		3		
15000 > 20000				8
20000 > 35000	10		2	
35000> 50000		18		6
50000 > 100000		5	10	7
100000 > 200000		3		
200000 > 400000			3	
400000 > 500000		2	2	

This table represent the market of Indore in the point of view of sales of the industries of Packaged Drinking water Industries. If we talk about the consumption of water it is on the highest rate in all the sectors i.e. Retail Sector, Commercial, Pvt. Sector, Government Sector and Residential. The figure of the sales shows the tremendous growth in average sales of the manufacturers among the other products. The manipulation of the average sales as shown in the table is as follows ;

25% of the Industries are in the range of Rs. 5000 > 55000 per day.

15% of the Industries are selling the Pouch and are in range of Rs. 5000 > 35000 per day.

60% of the Industries are major Players and BIS Certified and are selling in the range of Rs.15000 > 700000 per day. This is the industry which is having 300 % profit margin and

is on the boom time as well as it is also satisfying the basic need of public by selling safe and healthy water. This sales figure also shows how this market is growing day by day in Packaged Drinking Water Industry.

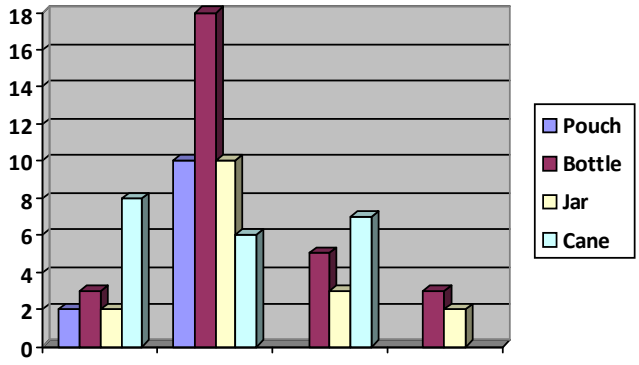

Table No. 2 Production Cost

	Raw Material	Printing	Water
Pouch	0.25 Paise	0.15	0.25
200ml		Paise	Paise
Bottle	Cap, Seal, Bottle	Label	
	Rs.4	Rs. 2	Rs.3
Jar	Cap, Seal, Jar	Label	
	Rs.20	Rs.5	Rs.10
Cane	Rs 500 - 700		
	One Time Investment	Rs.5	Rs. 10

This table shows about the production cost operated in processing of water. By manipulating these figures we had classified the product according to their variants i.e. Pouch, Bottles, Jars and Canes. The approximate production cost is as follows:

Pouch 0.65 paisa
Bottle Rs. 9/-
Jar Rs.35/-
Cane Rs.15/-

By having production cost of Packaged Drinking water there is high profit margin in this industry as well as it is the market which is not being stopped at any stage or level because the need of pure and healthy water is always in the demand by consumers. In the present situation the IMC Certified Industries are playing good role in the market and having bulk supply in all the sectors of market as well as in parties in the selling price of Rs.35 – 45 by the name of chilled water and meeting demand of the consumers as well but in production cost wise they are earning 300% margin on Raw Water. On the other hand major players and BIS certified industries are earning 200% profit margin and there is recession or inflation on this industries and is growing day by day.(see table no. 3 in next page)

As we Know the Packaged Drinking Water market is the growing market but on the other hand there is tough competition among the industries manufacturing various bottled in various sizes. This Table Shows the market price of the products available in the market i.e. Pouches are available in the price range of Rs.1 – 2, Bottle 300Ml are available in the price range of Rs.5 – 6, 500Ml are available in the price range of Rs.10 – 12, 1ltr are available in the price range of Rs. 15 -20, 2ltr are available in the price range of Rs. 25 – 30, Jars 5ltr are available in the price range of Rs.30 – 40, 10ltr are available in the price range of Rs.45 - 50, 20ltr are available in the price range of Rs. 60 – 65and Canes are available in the price range of Rs. 35 – 50 in the market.

These are the prices of bottled water available in different quantity in the market . In Bottles and Jars Major Players has large share in capturing the market i.e. Bisleri, Auafina, Kinley, Bailey, Mc Dowell and on the other hand BIS Certified industries has also good market share i.e. Health plus, Oras, Easeau, Arav etc are doing good business. The IMC Certified industries had captured the market in Canes only named as chilled water and having good market coverage in commercial and Private sectors.

Conclusion - Water is the basic need of a human which is also the necessity to satisfy his thirst as well as water should be pure and safe to drink, in our manipulation of tables this is the industry who had taken very much benefit of consumers. This industry is growing day by day on an approx 30% per year and the manufactures are earning high rate of profit from consumers.

There are 80 (on an approx) industries doing business of Pure drinking water in Indore and surrounding Indore region, which are categorized as major players, BIS certified and IMC certified. This industries are earning crore of rupees from water by having comparison with government policies for giving safe drinking water by taking tax on water by all this happening these industries are growing day by day.

The one reason for growing of this business is that if the public / consumer did not get the safe water they can go for pure drinking water in any situation. At present whether it is any kind of party, any private Company, any government departments, in hotels, malls wine shops Ahata's etc. all are using Packaged Drinking water. Today the Packaged Drinking water business is so much expanded in that way there are so many competitors among them and consumers are ready to purchase water by losing Narmada water.

In my survey I found that we all are drinking Cane water which is commonly known as chilled water. There are various companies who are doing this business but the shocking Secret of this industry is that the water we are drinking is not safe it is only chilled. It is a very important issue that they are selling little water without any filtration and there is no control of government on them. I had seen with my own mind and eyes on chilling plant is there no RO or no filtration plant is available in industries but in present they are doing good business and earning higher profits.

The other point is that our elders did not think that in the future the next generation has to purchase the water to drink by paying money which is total free at ancient times. By all government policies which promise the public to give

safe and pure water are flopped and these industries are taking advantage of government policies.

By all this situation water industry is growing business and it is also helpful in reducing unemployment and giving safe and pure water but by only branded and BIS certified companies and also helps us in doing our own business which is growing day by day.

I conclude my manipulation in a way that the public should get safe and pure drinking water for good health and precaution from any kind of disease. As my survey the industries which are doing business without any government control. The government should take action and inspection should be done in proper norms so that public can get safe drinking water. There is also a problem of service providing it should be solved by manufacturers to give Packaged Drinking water consumer at time. On the other hand the profit margin ratio is reduced so every class of families can afford the pure drinking water. The pure water quality should be control of government and water should be filtered by proper plants and UV Disinfected treated.

In my view, thanks to all these factors the Indian bottled water industry will be booming in coming years and do not be surprise if today's bottles water industry becomes next Oil industry by 2025. The present Indian entrepreneurs and those who are planning to take the plunge in the bottled water business are thinking that the industry has reached to its peak point, and having stiff competition, need to change their perception because with the ever increasing demand of water the elephant is already grown and looking at the future of water in India, is continuously growing and one day it will turn into mammoth.

Refernces -

1. http://mponline.in/Profile/History/
2. http://www.theindorecity.com
3. http://ecopackindia.wordpress.com
4. http://www.indiawaterportal.org
5. http://www.wateraid.org
6. http://www.slideshare.net/chauhanankit089/
7. http://www.niir.org
8. Black, Maggie and Rupert Talbot (2005), Water: A Matter of Life and Health, Oxford University Press, New Delhi.
9. Das, Keshab (2001), Rural Drinking Water Supply in India: Issues and Strategies.
10. Morris (ed.), India Infrastructure Report 2001: Issues in Regulation and Market Structure, Network and Oxford University Press, New Delhi.
11. Government of India (June 2003), Swajaldhara Guidelines, New Delhi.
12. Government of Madhya Pradesh (2003), The Madhya Pradesh Human
13. Development Report 2002: Using the Power of Democracy for Development, Bhopal.
14. Government of India, Census of India, Tables on Population, Office of the Registrar General of India, New Delhi.
15. Iyer, Ramaswamy R. (2003), Water: Perspectives, Issues and Concerns, Sage Publications, NewDelhi.
16. James A. J. (2004), India's Sector Reform Projects and Swajaldhara Programme: A Case of Scaling up Community Managed Water Supply, Submitted to the IRC International Water and Sanitation Centre.
17. Joshi, Deepa (2004), Secure Water – Whither Poverty? Livelihoods in the DRA: a Case Study of the Water Supply Programme in India, Overseas Development Institute.
18. Khanna, Amod and Chitra Khanna (2005), Water and Sanitation in Madhya Pradesh: A Profile of the State, Institutions and Policy Environment, Water Aid India, New Delhi.
19. Bottled Water set to become billion-dollar industry (Published in Economic Times, Ahm on 29th Sept.09)

Table No.3 Pricing decision for Product Selling Price in the Market

Ranges	Quantity	Price	Price	Price
Pouch	200Ml	Rs. 1 - 2		
Bottle	500Ml , 1ltr, 2ltr	Rs. 7 - 10	Rs. 15 - 20	Rs. 25 -30
Jar	5ltr, 10ltr, 20ltr	Rs. 40	Rs. 50 - 60	Rs. 60 - 65
Cane	20ltr	Rs. 35 - 50		

The Study of the Social Projects of HUL

Dr. Pradeep Chaurasia *

Abstract - A changing pattern in sales, many companies started working with the societal concept of marketing in their business. The societal concept is now becoming the new promotion tools for promoting the product in market with giving special benefit to the general public. Especially the companies belonging to FMCG sectors promote their products which showing the improvement in human life. The very most popular company Hindustan Unilever Limited is working with many projects for the public welfare. The projects like Pureit Water Purifier, Lifebuoy, Tomato Sourcing and Project Shakti. HUL is the market leader in Indian consumer products with presence in over 20 consumer categories such as soaps, tea, detergents and shampoos amongst others with over 700 million Indian consumers using its products. The Company has over 16,000 employees and has an annual turnover of27408crores (financial year 2013 - 2014). The study is concluded with showing the target and performance of the projects. The different case studies, company's reports and company's website are used to collect the information. The result of this study is clearly gives the ideas about the business organizations are now getting aware about the societal concept of marketing. They are making different projects for the public welfare and they are giving some short of budget for the same with predetermined objectives.

Keywords: Project Pureit Waterworks, Project Lifebuoy Health and Hygiene through Hand Washing, A Win-Win Project of Tomato Sourcing, Project Shakti, Project Khushiyon Ki Doli, Project Perfect Stores

Introduction - Many of companies in all over the world now started thinking about the society. Companies started making project for the public welfare and public well being. Hindustan Unilever Limited (HUL) is India's largest Fast Moving Consumer Goods Company with a heritage of over 80 years in India and touches the lives of two out of three Indians. HUL works to create a better future every day and helps people feel good, look good and get more out of life with brands and services that are good for them and good for others. With over 35 brands spanning 20 distinct categories such as soaps, detergents, shampoos, skin care, toothpastes, deodorants, cosmetics, tea, coffee, packaged foods, ice cream, and water purifiers, the Company is a part of the everyday life of millions of consumers across India. HUL is a subsidiary of Unilever, one of the world's leading suppliers of fast moving consumer goods with strong local roots in more than 100 countries across the globe with annual sales of •49.8 billion in 2013. Unilever has 67.25% shareholding in HUL. This study gives the idea about the company open their hands for the welfare of society and this concept attract more and more companies to work for society because of competition and this is good for the human being and also this is helpful in brand building and sales.

Project Pureit Waterworks For Health And Hygiene - HUL made a public and ambitious commitment through the Unilever Sustainable Living Plan to provide safe drinking water to 500 million people by 2020. Pureit water purifiers that HUL spent over 10 years developing can enable access to safe water to a family at an affordable cost without the need of electricity or a continuous tap water supply. The most affordable model, the Pureit Compact, costs just Rs. 1400. The Germkill Kit itself is inexpensive to replace, with an on-going cost of just 60 paisa for nearly two litres of safe drinking water.

Unilever, through the Unilever Foundation is partnering with PSI (Population Services International) on Waterworks™. The program was launched in June 2012 as a pilot in Bhopal, Madhya Pradesh, India. As part of this initiative, PSI trained 75 Water workers who educated the neediest people in Bhopal about the need for clean water and its opportunity to improve the health and wellness of their community.

About Water workers - Water workers are women from the communities in which they work– mothers, sisters, and aunts who can have trusted conversations with their families and friends about health issues that affect the community. Through participation in Waterworks™ they gain not only a steady income but also receive training on communication techniques and local health issues, as well as access to clean water for their own families.

Having achieved the objectives of year one, Unilever is now focusing on increasing impact and sustainability of the Waterworks™ project. To do so Waterworkers will continue to provide replacement filter cartridges, purifier maintenance, and ongoing outreach on the importance of safe drinking water.

Project Lifebuoy Health And Hygiene Through Hand Washing - By 2015, Lifebuoy brand aims to change the hygiene behavior of 1 billion consumers across Asia, Africa

* **Asst. Professor & Head, BBA, Shri Rama Krishna College of Commerce & Science, Satna (M.P.) INDIA**

and Latin America by promoting the benefits of hand washing with soap at key times. 48 million people reached since 2010, of which 34.5 million people were reached in 2011. Lifebuoy has used Unilever's Five Levers for Change methodology to develop a series of interventions to ensure that people not only understand why washing hands with soap is important, but also enables them to practice the new habit over a period of time and rewards them for sticking with it. The model sets out 5 principles, which, if applied to behaviour change interventions, will have a positive and lasting impact. The five levers are:

Lever 1: Visibly clean is not necessarily clean: make it understood

Lever 2: Mother & child interaction: make it easy

Lever 3: Pledging: make it desirable

Lever 4: Positive reinforcement: make it rewarding

Lever 5: 21 days' practice: make it a habit

A Win-Win Project Of Tomato Sourcing - By 2020 HUL will source 100% of our agricultural raw materials sustainably: 10% by 2010; 30% by 2012; 50% by 2015; 100% by 2020. The World Bank claims that supporting smallholder farming is the best way to stimulate economic development and reduce poverty.HUL aims to source 100% of its tomatoes from sustainable sources by 2015. In 2011, 60% of tomatoes used in Kissan ketchup in India were from Sustainable Sources.

A Win-Win Project - HUL is working in partnership with Varun Agro, an established food processing company, on this project. Varun Agro has set up a dedicated tomato and fruit processing plant.. HUL will provide a minimum volume guarantee to Varun Agro. Varun Agro will collect the produce directly from farmers following harvest. This arrangement will give farmers a ready and effective access to market for their produce with better returns.

The project is a win-win for both the farming community and the company. Some of the benefits are:

- Increase in tomato production & productivity for farmers
- Strengthening of tomato supply chain
- Assured supply of tomato to the company

As part of this project, HUL along with the Department of Agriculture (Government of Maharashtra) officials, primarily extension officers, will impart sustainable farming and good agricultural practices to the farmers. So far 12 training sessions have been conducted for farmers covering all the farmers registered so far in the project.

Project Shakti - HUL will increase the number of Shakti entrepreneurs that HUL recruit, train and employ from 45,000 in 2010 to 75,000 in 2015. India has more than 6,30,000 villages, most of these are 'hard to reach' and offer relatively lower business potential. Hence, reaching them through the conventional distribution system is a challenge.

At Hindustan Unilever Limited (HUL), HUL have always believed in an approach of doing business which HUL call "doing well by doing good". Project Shakti is a rural distribution initiative that targets small villages. The project benefits HUL by enhancing its direct rural reach and also creates livelihood opportunities for underprivileged rural women.Shakti is HUL initiative that combines social responsibility, sustainability, and business strategy. Shakti model is very strong and sustainable because it is the best way HUL can give it back to the society through supporting cause of ' empowering underprivileged rural women' along with making business sense. Shakti started with 17 women in one state. Today, it provides livelihood enhancing opportunities to 48,000 women in 15 Indian states and provides access to quality products across 100,000+ villages and over 3 million households every month.

Project Khushiyon Ki Doli -The company launched a multi-brand rural marketing initiative called Khushiyon Ki Doli, in 2010 in three states – Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra. Through this initiative more than 10 million consumers were contacted directly in more than 28,000 villages across these three states. Through this initiative, the company also reached out to 170,000 retailers in these villages. Through this initiative HUL engaged with 25 million rural consumers in media dark areas in 2011. In 2011, HUL extended this initiative to cover five states – West Bengal, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, covering over fifty thousand villages across these five states.

In 2012, Kushiyon Ki Doli has been extended to Karnataka to cover a total of six States: Maharashtra, UP, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh and Karnataka. The initiative aims to cover over Fifty five thousand villages in 2012. Various personal care and home care brands of HUL have participated in this initiative including: Wheel, Surf Excel, FAL, Sunsilk, Vim, Lifebuoy and Closeup.

Project Perfect Stores - The 'Perfect Stores' initiative was launched by HUL in May 2010 with the aim to increase the availability and visibility of its products in retail stores across the country. In May 2010, four thousand HUL employees from across functions launched the initiative through 'Project Bushfire' and created 16,000 'Perfect Stores' in 130 towns in India in a span of 6 days. The employees not only laid out various products on the stores' shelves but also dusted them, thereby increasing the public appeal of the stores retailing their brands. The company is constantly increasing the number of stores included in the 'Perfect Stores' programme. Technology has played a key role in this initiative. The company's salesmen have been provided with a hand held terminal called iQ, which gives customised recommendations for each store – which products to sell, when to sell them and in what quantity. The salesman just has to sync the iQ device when visiting the distributor and download data from the centre to retrieve information on the market. To strengthen this initiative, HUL launched POPeye – an initiative that puts the power of iQ in the hands of the employees. When an HUL employee visits an outlet and finds the company's product out of stock, he can log stock calls either by logging on to the POPeye site, or report the information by phone or email.

Methodology -The research work done for the collection of information. The research is completed with collecting

the data through secondary data. The data collected with the help of case study, company report, company website and news papers. The convenient type of sampling used to collect the information.

Conclusion - The social concept is now becoming the important part of all companies. HUL is working with so many projects that can improve the living standard of the people in India. There many of projects has been discussed. The Project Shakti as targeted 75,000 entrepreneurs in 2015 and they succeed 48,000 entrepreneurs ('Shakti ammas') were selling products to over 3.3 million households in 135,000 Indian villages in 2012. By 2020 HUL target 100% of agricultural raw materials sustainably in win win project and they achieve over 60% of tomatoes used in Kissan ketchup in India were from Sustainable Sources In 2012. The five lever of Lifebuoy Promoting the Health and Hygiene. The Project Pureit is making every Indian can use pure water the company also down the price of product, now the product is available in 1000 Rs. Only. Project Khushiyon Ki Doli and Perfect Stores are planned to cover more location and planned to cover all India people by 2020. The steps taken by HUL for the welfare of the society is quite sufficient for the improvement of standard of living of Indians.

References -

1. "Advertising is the industry of the future: Nielson B-School Survey". Exchange4Media. 13 February 2013.
2. "Hewitt survey: Indian companies break into global leadership ghhglist". domain-b.com. 21 September 2007.
3. "Hindustan Unilever Limited has emerged as the No.1 employer of choice for B-School students". Hindustan Unilever.
4. "History". *official website*. Hindustan Unilever.
5. "HUL boost for water conservation". *The Times of India* (Timesofindia.indiatimes.com). TNN. 17 May 2011.
6. "HUL is employer of choice: Nielsen". *Business Standard*. 13 February 2013.
7. "HUL, Tata Chemicals, six others bag FICCI Water Awards". Indiawaterreview.in. 9 August 2012.
8. "The World's Most Innovative Companies". Forbes.
9. Basu, Sreeradha D (13 February 2013). "Grooming people is in our genes, says HUL's Paranjpe". *Economictimes*.
10. Choudhary, Vidhi (12 February 2013). "FMCG, management firms most preferred campus recruiters: Nielsen". LiveMint.
11. HUL Annual Report 2007, available from Annual reports. Hindustan Unilever.
12. HUL, Annual Report,2010, 2011, 2012.
13. Indiatelevision.com team (article)
14. Keith Reehl. "2011 Top Companies for Leaders: Winners and Special Recognition". Aon. Retrieved 10 February 2012.
15. Kotler, Philip, *Marketing Management*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 2000.
16. Srinivasan, Lalitha (31 July 2007). "Transition to new name was smooth: HUL". Mumbai: The Financial Express
17. United Nation's -http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml(Link opens in a new window)
18. World Health Organisation, 2011, Fact Sheet No 178.

****

Role Of Computer In Research

Dr. Vivek Kumar Patel * **Rakesh Kumar Garg** * *

Abstract - Performing calculations almost at the speed of light, the computer has become are of the most useful research tools in modern time. Computers are ideally suited for data analysis concerning large research project. Researchers are essentially concerned with huge storage of data, their faster retrieval when required and processing of data whit the aid of various techniques. In The operations, computers are great help.The researcher use of computer to analyze computer data has made complicated research designs Practical.

Key Words - Development,Indispensable,Model Processing,New enterprises,Humanities,Standard deviations,Payroll,Invoicing.

Introduction - Problem Solving is an age old activity. The Development of electronic devices, specially the computer, has given added impetus to this activity. Problems which could not be solved earlier due to sheer amount computations involved can now be tackled with the aid of computers accurately and rapidly. Today people use computers in almost every walk of life.

The researcher use of computer to analyze computer data has made complicated research designs Practical. Electronic computers have by now become an indispensable part of research students in the physical and behavioral sciences as well as in the humanities. The research student in this age of computer technology, must be exposed to the methods and use of computers. A basic understanding of the manner in which a computer works helps a person to appreciate utility of this powerful tool.

Objectives - The Primary Objectives of this research is –

- How does Computer help in research.
- How does Computer help in data analysis.
- Introduces the basics of computers in research.
- Uses of Computer in various Application.

Application - Computers are widely used for varied Purposes. Educational, Commercial, Industrial, Administrative Organization are increasing depending upon the help of computers to some degree or the other. Computers can be used by just about anyone – Doctor, Policemen, Pilots, Scientists, Engineers, Research and recently even house wives. The some important application and use of computer depicts by the following table -

Application in	Some Of the various uses
Commerce	• Assist the production of text Material. • Handle payroll of personal, office accounts, invoicing, records keeping, sales analysis.
Research	• Model Processing. • Performing Computations. • Research and data analysis. • Result testing
Education	• Provide data bank of information. • Aid to time tabling. • Provide Students Teacher's profiles. • Assist in career guidance. • Assist teaching and learning processes.
Bank& Financial Institutions	• Cheque Handling. • Updating of accounts. • Printing of customer Statements • Interest calculation.
Managements	• Planning of new enterprises. • Finding the best solution from several Options. • Useful in scheduling of projects.

Computers & Researchers - Performing calculations almost at the speed of light, the computer has become are of the most useful research tools in modern time. Computers are ideally suited for data analysis concerning large research project. Researchers are essentially concerned with huge storage of data, their faster retrieval when required and processing of data whit the aid of various techniques. In The operations, computers are great help.

Researchers in Commerce, Economics and other social science have found, by now, Computer to constitute an indispensable part of their research equipment.

The Computers co perform many statistical calculations easily and quickly. Computations of means, Standard deviations, Completion, 't' test, analysis of variance, analysis of covariance, linear and multiple regression, factor analysis and various nonparametric analyses are just a few of the programs and subprograms that are available at almost all

* Asst. Prof. of Commerce * * Guest Faculty, Deptt. of Computer, Govt. College,Kotma Distt. Anuppur (M.P) INDIA

computers centers. In brief, software package are readily available for the various simple are complicated analytical and quantitative techniques of which researchers generally make use of. The only work a researcher has to do is to system and particular software package on the computer. The output or to say the result, will be ready within seconds or minutes. The Storage Facility which the computers provide is of immense help to a researcher for he can make use of stored up data whenever he requires to do so.

Data Analysis By Researchers - Researcher interested in developing skills in computer data analysis, while consulting the computer centers and reading the relevant literature, must be aware of the following steps-

- Data Organization and coding.
- Storing the data in the computer.
- Selection of appropriate statistical measures/ techniques.
- Selection of appropriate software package.
- Execution of the computer program.

Limitaions Of Computer- Based Analysis- Researcher Should be fully aware about the following limitations of computer based analysis-

- The computer does not think, it con only execute the instructions of a thinking person.
- Various items of detail which are not being specifically fed to computer may get lost sight of.
- Computerized analysis requires setting up of an elaborate system of monitoring, collection and feeding of data. All these require time, effort and money. Hence Computer based analysis may not prove economical incase of small projects.

The expression “Garbage in, garbage out” describes this limitation very well.

Conclusion - Computer does facilitate the research work. Innumerable data can be processed and analyzed with greater ease and speed. Moreover, the results obtained are generally correct and reliable not only this, even the design, Pictorial graphing and report are being developed with the help of computer. Hence, researchers should be given computer education and be trained in the line so that they can use computers for their researcher work.

References -

1. N. Subramanian, “Introduction to Computers” Tata McGraw Hill, Publishing Company ltd. New Delhi.
2. Donald R. Cooper Pamela S. Schindler, “ Business Research Method. The McGraw-Hill Companies.
3. C.R. Kothari, “ Research methodology-Methods & Techniques” Whishwa Prakashan. New Delhi.
4. Kothari C.R. “Quantitative Techniques” Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.
5. V. Rajaraman, “ Fundamentals Of Computers” Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

****

मानव संसाधन का विकास - शिक्षा (सीधी जिलें के संदर्भ में)

डॉ. विवेक कुमार पटेल * डॉ. पल्लवी मिश्रा **

शोध सारांश - शिक्षा एक चाय वाले को देश का आईएएस ऑफिसर बना देती है जो आगे चलकर देश के विकास में योगदान देता है। शिक्षा के महत्व का अगर बखान किया जाए तो हो सकता है एक आर्टिकल भी कम पड़ जाए। शिक्षा के महत्व को समझते हुये ही विश्व का हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये सभी तरह के तिकड़म अपनाता है। भारत हो या अमेरका सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सजग रहते है। लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में साक्षरता दर 84% ही है। यानि हर 100 में से 16 लोग अनपढ़ और निरक्षर है। भारत के संदर्भ में औसत साक्षरता दर और भी कम यानि 74% ही है। हालांकि नेपाल एवं पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों में हालत हमसे भी खराब है पर विश्व में चीन जैसा भी देश है जिसके यहां साक्षरता दर 93% है। देश में कम साक्षरता दर का एक कारण शिक्षा प्राप्त लोगों का भी बेरोजगार होना है। एक गरीब आदमी जब एक साक्षर आदमी को नौकरी की तलाश में भटकते हुये देखता है तो वह सोचता है कि इससे बढ़िया तो मै हूँ जो बिना पढ़े कम से कम काम तो कर रहा हूँ और वह अपनी इस सोच के साथ अपने बच्चों को भी शिक्षा की जगह काम करना सिखाता है। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगवादी सोच की कमी है। यहां सिंद्धात तो बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया जाता है। परन्तु उसे असल जिदंगी में कैसे अमल में लाया जाये यह सिखाने में चूक हो जाती है। जो बच्चें इंजीनियरिंग या कोई कोर्स आदि कर लेते है वह तो सफल हो जाते है पर जिसने बी0ए0 आदि की डिग्री ली है उसके लिये राहे कठिन हो जाती है। देश की सरकार को समझना होगी की सिर्फ साक्षर बनने से लोगों का पेट नही भरेगा। बल्कि शिक्षा के साथ कुछ ऐसा भी सिखना होगा जिससे बच्चे आगे जाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। आज विश्व आगे बढ़ता जा रहा है और अगर भारत को भी प्रगति के राह पर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो साक्षरता दर में वृद्धि के साथ रोजगार मूलक शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी।

प्रस्तावना - मानवीय संसाधन से आशय है जनंसख्या साधन। किसी देश के आर्थिक विकास में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता और महत्व होता है, वहीं मानवीय संसाधनों का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि किसी स्थान विशेष में प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक विकास का पर्याय नहीं होता बल्कि कुशल मानवीय संसाधन ही प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर आर्थिक विकास को गतिप्रदाय करते हैं। मानवीय संसाधन को जनसंख्या साधन का पर्याय माना जाता है, किन्तु जनसंख्या साधन से आशय केवल किसी देश में रहने वालों की संख्या से ही नहीं है वरन उनके गुणों से भी है। सरल शब्दों में मानवीय संसाधन या जनसंख्या से तात्पर्य देश विशेष की जनसंख्या, उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता एवं उत्पादकता से है।

मानवीय संसाधन का विकास उस प्रक्रिया को सूचित करता है, जिसमें समाज के व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल एवं उत्पादकता में वृद्धि हुआ करती है। इस प्रकार मानवीय संसाधन मानवीय पूँजी का एक ऐसा संचय है जिसको अर्थ व्यवस्था का विकास करने में प्रभावी रूप से विनियोग किया जा सकता है।

सरकार और शिक्षा - सन् 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्धारा 1976 में किये गये संसोधन ने शिक्षा को जिस समवर्ती सूची में डाला गया, उसके दूरगामी परिणाम हुए।केन्द्र सरकार ने अपनी अगुआई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा है। इन नीतियों में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (एन.पी.ई) तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम (पी.ओ.ए.) शामिल है, जिसे सन् 1992 में अद्यतन किया गया। संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जनआन्दोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी (प्राथमिक) शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने और अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, राज्यों में नये मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं एक सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक विकेन्द्रीकृत प्रबंधन व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है।

इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी एजेन्सियों के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रणनीति का भी पी.ओ.ए. में प्रावधान किया गया है। जहाँएक ओर शिक्षा नीति लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने पर जोर देती है, वहीं वह उच्च एवं प्रौद्योगिक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाने का आह्वान भी करती है। शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्रों में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत धन लगाने पर जोर देती है।

केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड - केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोदय संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया। सन् 1935 में इसे पुन: गठित किया गया और यह बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा इस तथ्य के बावजूद कि विगत में सी.ए.बी.ई. के परामर्श पर महत्वपूर्ण निर्णय

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, कोतमा जिला-अनूपपुर **अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज जिला - रीवा (म.प्र.) भारत

लिये गये हैं दुर्भाग्यवश मार्च 1994 में बोर्ड के बढ़े हुए कार्यकाल के बाद इसका पुनर्गठन नहीं किया गया। सरकार ने जुलाई 2004 में सी.ए.बी.ई. का पुनर्गठन किया। सी.ए.बी.ई. की 53 वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया साथ ही सी.ए.बी.ई. की तीन स्थाई समितियों बनाए जाने का निर्णय किया गया।

- नई शिक्षा नीति को लागू कराने की विशेष आवश्यकता सहित बच्चों एवं युवाओं के लिए सम्मिलित शिक्षा हेतु स्थायी समिति।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्देश देने के लिए साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर स्थायी समिति।
- बच्चे की शिक्षा, बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विकास प्रयासों के समन्वयन और एकीकरण मामले के लिए एक स्थायी समिति।

पंचवर्षीय योजना और शिक्षा – स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया इसलिए देश में प्रारम्भ की गई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाधिक व्यय प्राथमिक शिक्षा में किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहाँ यह कुल व्यय का 58 प्रतिशत था दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में बढ़कर 65.6 प्रतिशत हो गया, जिससे स्पष्ट है, कि सरकार बुनियादी व प्रारम्भिक शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दे रही है, जबकि माध्यमिक, वयस्क शिक्षा उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा पर व्यय कर लगभग समान है। प्रारम्भ की पंचवर्षीय योजनाओं में खासतौर से सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक माध्यमिक उच्च शिक्षा पर भी योजना व्यय में वृद्धि हुई किन्तु बाद की योजनाओं में माध्यमिक व उच्च शिक्षा में व्यय दर में गिरावट दर्ज की गई है। देश की पहली पंचवर्षीय योजना 2002-07 में बढ़कर 4,38,250 लाख रूपये हो गया है। जहाँ अभी भी सर्वाधिक व्यय प्राथमिक शिक्षा पर ही सन्निहित है। जो यह दर्शाता है कि देश में अशिक्षा बलवती है, तथा इसे दूर करने हेतु प्राथमिक शिक्षा व्यय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की तुलना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय वर्ष 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-2011 (के बजट अनुमानों के अनुसार) में 3.74 प्रतिशत हो गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 43,825 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय नौवीं पंचवर्षीय योजना के 24908.38 करोड़ रूपये से 1.76 गुना अधिक है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 30,000 करोड़ रूपये एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग को 13,825 करोड़ रूपये दिये गये हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए योजना परिव्यय 12531.76 करोड़ रूपये तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए योजना परिव्यय 2712.00 करोड़ रूपये रहा।

सीधी जिला और शिक्षा – सीधी जिला अन्य जिलों की अपेक्षा शिक्षा क्षेत्र में भी पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है। यहाँ वर्ष 2001 की गणना के अनुसार कुल जनसंख्या की मात्र 52.82 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, जिनमें पुरूषों की साक्षरता 68.03 प्रतिशत व स्त्रियों की साक्षरता 36.43 है। जिले में साक्षरता का भाग ग्रामीण से कहीं अधिक नगरीय क्षेत्र में अधिक है। जिले में पुरूषों की कुल 68.03 प्रतिशत साक्षरता में 84.81 प्रतिशत भाग नगरीय क्षेत्र की है, जबकि ग्रामीण में पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत मात्र 64.93 प्रतिशत है। इसी प्रकार महिलाओं की कुल साक्षरता 36.43 प्रतिशत में 59.21 प्रतिशत महिलाएँ नगरीय क्षेत्र व 32.68 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है। जिले में साक्षरता अति न्यून है।

सारणी क्र 1 (देखे)

सीधी जिले से पृथक होकर सिंगरौली जिला बन जाने के कारण सीधी जिले को अपूर्णनीय छति पहुँची है, क्योंकि सिंगरौलीक्षेत्रसीधी जिले का औद्योगिक नगरी माना जाता है जिले का अधिकांश विकास सिंगरौली क्षेत्र में ही था जिले में सिंगरौली के पृथक होने से शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी गिरावट आई है। प्राप्त के आँकड़ों के अनुसार जिले प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, उच्चतर, माध्यमिक, आश्रम शालाएँ व महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार-प्रसार जारी है। जिले में वर्तमान में कुल 2610 प्राथमिक शालाएँ 640 माध्यमिक शालाएँ, 70 आश्रम शालाएँ व 06 महाविद्यालय हैं। वर्ष 2005-06 में संयुक्त सीधी जिले में यह संख्या क्रमश: प्राथमिक शालाएँ 3187 माध्यमिक 1187, हाईस्कूल, 127 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 131 आश्रम शालाएँ, 50 व्यावसायिक एवं अन्य 5 तथा 10 महाविद्यालय थे। किन्तु 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले के गठन के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में तीव्र गति से कमी आई है।

अध्ययनरत छात्र – सीधी जिले में सर्वाधिक विद्यार्थी प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत है। प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से छात्रों की संख्या, छात्राओं से अधिक है किन्तु 2008-09 में व उसके पश्चात् माध्यमिक, हाई स्कूल, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की बजाय छात्राओं की संख्या, अधिक है। इसका मूल कारण जिले के पिछड़े होने के कारण आदिवासी जाति व अन्य पिछड़ी जाति के छात्र प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवकोपार्जन हेतु पढ़ाई छोड़कर जीवकोपार्जन कार्य में संलग्न हो जाते हैं।

सारणी क्र. 2 (देखे)

निष्कर्ष – साक्षरता सिर्फ किताबी शिक्षा प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती बल्कि साक्षरता का तात्पर्य लोगों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बनाना है। साक्षरता गरीबी उन्मूलन लिंग अनुपात सुधारने भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटने में सहायक और समर्थ है। आज विश्व में साक्षरता दर सुधरी जरूर है फिर भी शत-प्रतिशत से यह कोसों दूर है।देश में कम साक्षरता दर का एक कारण शिक्षा प्राप्त लोगों का भी बेरोजगार होना है। एक गरीब आदमी जब एक साक्षर आदमी को नौकरी की तलाश में भटकते हुये देखता है तो वह सोचता है कि इससे बढ़िया तो मै हूँ जो बिना पढ़े कम से कम काम तो कर रहा हूँ और वह अपनी इस सोच के साथ अपने बच्चों को भी शिक्षा की जगह काम करना सिखाता है। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में प्रयोगवादी सोच की कमी है। यहां सिंद्धात तो बहुत बढ़िया ढंग से पड़ा दिया जाता है। परन्तु उसे असल जिदंगी में कैसे अमल में लाया जाये यह सिखाने में चूक हो जाती है। जो बच्चें इंजीनियरिंग या कोई कोर्स आदि कर लेते है वह तो सफल हो जाते है पर जिसने बी0ए0 आदि की डिग्री ली है उसके लिये राहे कठिन हो जाती है। देश की सरकार को समझना होगी की सिर्फ साक्षर बनने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। बल्कि शिक्षा के साथ कुछ ऐसा भी सिखना होगा जिससे बच्चे आगे जाकर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। आज विश्व आगे बढ़ता जा रहा है और अगर भारत को भी प्रगति के राह पर कदम से कमद मिलाकर चलना है तो साक्षरता दर में वृद्धि के साथ रोजगार मूलक शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011-12 जिला सीधी (म0प्र0)।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला सीधी।

3. दैनिक जागरण रीवा म0प्र0।
4. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचानालय भोपाल।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी (म0प्र0)
6. www.zilapanchayatsidhi.com.

सारणी क्र. 1 शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या

वर्ष	प्राथमिक शालाएँ	माध्यमिक शालाएँ	हाई स्कूल	उच्च/उच्चतर मा. विद्यालय	महा.वि.	व्यावसायिक तथा अन्य	अन्य (आश्रम) शालाएँ
0	1	2	3	4	5	6	7
2005-06	3187	1187	127	131	10	5	50
2006-07	4932	944	94	87	10	5	50
2007-08	1756	639	69	68	6	2	40
2008-09	2304	572	66	71	6	–	40
2009-10	2610	640	70	85	6	–	40

स्त्रोत- जिला शिक्षा अधिकारी सीधी (म.प्र.)

सारणी क्र. 2 शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक शालाएँ		माध्यमिक विद्यालय		हाई स्कूल		उच्चतर माध्यमिक		महाविद्यालय		व्यावसायिक		आश्रम	
	बालक 1	बालिका 2	बालक 3	बालिका 4	बालक 5	बालिका 6	बालक 7	बालिका 8	बालक 9	बालिका 10	बालक 11	बालिका 12	बालक 13	बालिका 14
2005-06	174447	163107	54566	46613	18826	12389	4168	2695	5111	2015	681	47	1681	NA
2006-07	181724	168406	56965	41138	19628	12826	4427	2833	4490	2536	64	7	2035	NA
2007-08	105223	104966	34276	32010	14073	10083	4145	2718	2576	1240	64	7	2035	NA
2008-09	79148	83781	27733	31269	12852	13688	2134	2498	2576	1240	NA	NA	NA	NA
2009-10	100259	98671	36537	37560	11611	17650	3050	3159	2647	1341	NA	NA	NA	NA

स्त्रोत - जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी (म.प्र.)

****

उमरिया जिले की कोयला खदान कर्मचारियों का आवासीय प्रबंधन

राम जी गर्ग * डॉ. विवेक कुमार पटेल * *

शोध सारांश– आवास मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में निवास करता है वह वातावरण उसकी जीवन स्तर को बहुत प्रभावित करता है।आवासीय सुविधा से आशय कर्मचारियों के रहने के लिये ऐसे वातावरण से है जो आरामदायक एवं शांतिपूर्ण हो। आवास में मकान के आंतरिक एवं बाह्य तत्वों को शामिल किया जाता है। आंतरिक तत्वों में शुद्ध हवा, रोशनदान, खिड़कियां, प्रकाश एवं मकान के छत से है जो ठंड एवं वर्षा में पानी से बचाव कर सके और पानी की आपूर्ति, नाली व साफ-सफाई का प्रबंध शामिल किया जाता है। बाह्य तत्वों में शांतिपूर्ण वातावरण हेतु असामाजिक तत्वों से सुरक्षा को शामिल किया जाता है।मकान में कमरों की संख्या अपेक्षाकृत कम एवं आकार में भी छोटे होते हैं।उमरिया जिले की जोहिला क्षेत्र में कोयला खान कर्मचारियों को कोल प्रबंधन समिति द्वारा मकानों को आवंटित किया जाता है। कोल कंपनी द्वारा आवासीय सुविधा पर्याप्त है लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।

प्रस्तावना – आवास मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में निवास करता है वह वातावरण उसकी जीवन स्तर को बहुत प्रभावित करता है। एक अच्छा आवासीय वातावरण जहाँ कर्मचारी की कार्य क्षमता, रहन-सहन एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिससे उनकी कार्य कुशलता व कार्य क्षमता प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत का वातावरण उसकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आवासीय स्तर औद्योगिक क्षेत्र को काफी प्रभावित करता है। जिन कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों जितनी अच्छी आवासीय सुविधा प्रदान करेगा वह कंपनी उतना अधिक विकास करेगा क्योंकि आवास का सीधा संबंध कर्मचारी से होता है।

आवासीय सुविधा से आशय कर्मचारियों के रहने के लिये ऐसे वातावरण से है जो आरामदायक एवं शांतिपूर्ण हो। आवास में मकान के आंतरिक एवं बाह्य तत्वों को शामिल किया जाता है। आंतरिक तत्वों में शुद्ध हवा, रोशनदान, खिड़कियां, प्रकाश एवं मकान के छत से है जो ठंड एवं वर्षा में पानी से बचाव कर सके और पानी की आपूर्ति, नाली व साफ-सफाई का प्रबंध शामिल किया जाता है। बाह्य तत्वों में शांतिपूर्ण वातावरण हेतु असामाजिक तत्वों से सुरक्षा को शामिल किया जाता है। आवास की सुविधा जिन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है उसमें कंपनी स्वयं निर्मित कर कर्मचारियों को आवास प्रदान करती है अथवा कंपनी किराये के मकान दे सकता है। जिसके लिये किराये का भुगतान कंपनी द्वारा मकान किराया भत्ता के रूप में प्रदान करता है।

उमरिया जिले की कोयला खानों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को आवास की सुविधा कंपनी द्वारा निर्मित आवासीय कालोनियों में मकान आबंटन कर किया जाता है। जिले में संचालित सभी कोयला खदानें जोहिला क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जिसका प्रबंध का कार्य क्षेत्रीय मुख्यालय नौरोजाबाद है एवं मुख्यालय बिलासपुर है।

जोहिला क्षेत्र में निर्मित आवासीय मकानों का विवरण –

सारणी क्र 1 आवासीय मकानों का विवरण

क्र.	आवास का प्रकार	
1	M प्रकार का आवास	2600
2	अन्य कर्मचारी आवास	775
3	L.C.H.	307
4	A प्रकार का आवास	Nil
5	B प्रकार का आवास	302
6	स्टाफ क्वार्टर	262
7	C प्रकार का आवास	104
8	D प्रकार का आवास	17
9	भवन (बंग्लो)	45

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक नौरोजाबाद उमरिया।

- कोयला खान में कार्यरत श्रमिकों को M प्रकार का आवास व अन्य कर्मचारी आवास L.C.H. आवास का आवंटन किया गया है।
- जोहिला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों के लिये उपलब्ध आवासों की कुल संख्या '2600 + 775 + 307' 3682 है जो आवास आवंटन समिति द्वारा कंपनी के आवास नियमों के अनुसार किया गया है।
- जोहिला क्षेत्र में कार्यरत तृतीय श्रेणी लिपिकों, लेखापालकों आदि को स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया गया है जिनकी संख्या 262 है।
- ओवरमैन, फोरमैन को इ प्रकार का आवास आवंटित किय गया है जिनकी संख्या 302 है।
- प्रबंधक व उपक्षेत्रीय प्रबंधक को उस प्रकार का आवास निर्मित किय गया है जिनकी संख्या 104 है।
- D प्रकार का आवास व भवन को प्रबंधकों से उच्च अधिकारियों को आवंटित किया जाता है जिनकी संख्या 45 है।

*शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा **सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत

कोयला कंपनी का मकान किराया भत्ता – कोयला खान कंपनी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि किन्हीं कारणों से आवास का आवंटन नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को मूल वेतन का 2 प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी को आवास का आवंटन कर दिया जाता है तो कंपनी मकान किराया भत्ता प्रदान करना बंद कर देती है।

कर्मचारियों के आवास का सीमा बंधन – एक कर्मचारी जो कंपनी द्वारा आवंटित किये गये आवास का त्याग करता है या लेने से इंकार करता है तो ऐसे कर्मचारी को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी मकान किराया भत्ते हेतु अपात्र होते हैं। जब पति–पत्नी दोनों ही कंपनी के कर्मचारी होते हैं एवं कार्यक्षेत्र के 8 कि.मी. की परिधि में निवास करते हैं ऐसी परिस्थिति में कंपनी द्वारा दोनों में किसी एक को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होती है। बशर्ते कि दोनों का संबंध विच्छेद न्यायालय द्वारा न हुआ हो।

आवास व्यवस्था के दोष –प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के आवासीय कालोनियों में मकान आवंटित किये गये उससे कर्मचारियों को कुछ परेशानी है, क्योंकि मकान में कमरों की संख्या अपेक्षाकृत कम एवं आकार में भी छोटे होते हैं। यदि घर पर कोई मेहमान आ जाये तो थोड़ी परेशानी होती है। कभी–कभी मकानों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य सही समय पर न होने के कारण बरसात का पानी रिसता है। जिससे कर्मचारियों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मकानों के आवंटन में देरी एवं न्यायपूर्ण न होने के कारण कर्मचारियों के मन में कंपनी के प्रति असंतोष होताा है।

आवासीय मकानों में सुधार हेतु सुझाव – कर्मचारियों की आवासीय स्थिति उनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है, उमरिया जिले की जोहिला क्षेत्र के कर्मचारियों को मकानों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव :–

- मकानों में एक अतिरिक्त कमरों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये।
- कर्मचारियों के आवास में बिजली एवं पानी की आपूर्ति पर्याप्त एवं अच्छी होनी चाहिये।
- कचरों को फेंकने के लिये आवासीय क्षेत्र से दूर नियत स्थान बनाना चाहिये जिससे आवासीय वातावरण स्वच्छ रहे।
- आवासीय कालोनियों में नालियों के मरम्मत से लेकर उसकी साफ–सफाई हमेशा होनी चाहिय, इसके लिये प्रबंधकों को अचानक निरीक्षण करनी चाहिये।
- मकानों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य सही समय पर होनी चाहिये।
- मकानों का आवंटन कार्य सही और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिये इसके लिये मकान आबंटन समिति की स्थापना की जानी चाहिये।

निष्कर्ष– उमरिया जिले की जोहिला क्षेत्र में कोयला खान कर्मचारियों को कोल प्रबंधन समिति द्वारा मकानों को आवंटित किया जाता है। क्षेत्र में आवासीय मकानों का निर्माण 9 प्रकार से किया गया है जो कर्मचारियों की श्रेणी के आधार पर आवंटित किया जाता है। वर्तमान में क्षेत्र में कुल 4412 आवास है। कर्मचारियों को जो आवास आवंटित है। आवास में कमरों की संख्या एवं आकार में कुछ कमियां हैं जिस पर प्रबंधकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोल कंपनी द्वारा आवासीय सुविधा पर्याप्त है लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. *कोयला खान श्रमिक कल्याणअधिनियम – 1947।*
2. *कार्यालय मुख्य महाप्रबंधकनौरोजाबाद उमरिया।*
3. *दैनिक जागरण रीवा म0प्र0।*
4. wwww.cil.nic.in

****

भारत में महिला उद्यमिता : समस्या एवं समाधान

डॉ. आरती मिश्रा * डॉ. रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी **

शोध सारांश – समग्र मानव जाति के दो क्रियाशील तत्व हैं पुरूष और नारी। इतिहास साक्षी है कि जहाँ पुरूष का पुरूषार्थ सभ्यता के विकास का उत्तरदायी रहा है वहीं नारी ने संतान के जन्म, पालन, पोषण, संस्कारों के निर्माण की अहम् भूमिका निभाई है। वास्तव में नारी राष्ट्र की धुरी है। देश की भावी पीढ़ियों के निर्माण के साथ-साथ देश की उन्नति में भी महिला का योगदान है। अर्थात् महिला जिन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का संवहन करती है उन्हीं पर समाज का उत्कर्ष एवं अपकर्ष निर्भर करता है।

इतिहास पर नजर डाली जाए तो प्रारंभ से ही महिलाएं शोषण का शिकार रही हैं, किन्तु समय बीतने के साथ-साथ महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है, तथा वर्तमान में यह दर 64.8 प्रतिशत है। जिसके आश्चर्यजनक परिणाम यह हैं कि आज महिलायें महत्वपूर्ण पदों से लेकर छोटे-छोटे पदों तक अपनी धाक जमाई हुई हैं और साथ ही उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है।

आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिशील है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजकीय सेवा, न्यायाधीश, अधिवक्ता, सी.ए., प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक, पायलेट तथा यहाँ तक की बस कन्डेक्टर एवं पुलिस कांस्टेबल तक के पदों पर आसीन है। आज की नारी घर की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है, तथा पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जिस प्रकार चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती ठीक उसी प्रकार पुरूष भी अकेले आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। इसी क्रम में आज की महिला घर के काम काज के साथ-साथ अपने कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को भी संभाल रही है। परन्तु विकास की इस स्थिति पर पहुँचने के बाद भी नारी का शोषण जारी है। अत: आवश्यकता है कि नारी अपने में निहित शक्ति को पहचाने और विश्व में यह साबित कर दे कि वह पुरूष के मुकाबले किसी भी तुलना में पीछे नहीं है।

प्रस्तावना – समग्र मानव जाति के दो क्रियाशील तत्व हैं पुरूष और नारी। इतिहास साक्षी है कि जहाँ पुरूष का पुरूषार्थ सभ्यता के विकास का उत्तरदायी रहा है वहीं नारी ने संतान के जन्म, पालन, पोषण, संस्कारों के निर्माण की अहम् भूमिका निभाई है। वास्तव में नारी राष्ट्र की धुरी है। देश की भावी पीढ़ियों के निर्माण के साथ-साथ देश की उन्नति में भी महिला का योगदान है। अर्थात् महिला जिन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का संवहन करती है उन्हीं पर समाज का उत्कर्ष एवं अपकर्ष निर्भर करता है।

महिला उद्यमी की अवधारणा – महिला उद्यमिता से अभिप्राय महिला या महिला समूह के द्वारा किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रारंभ करना एवं उसका संगठन एवं संचालन करने से है। भारत सरकार के द्वारा महिला उद्यम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है – 'कोई उद्यम जो महिला के स्वामित्व व नियंत्रण द्वारा स्थापित हो, उद्यम की कुल पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत वित्तीय स्वामित्व महिला का हो एवं उद्यम में उत्पन्न कुल रोजगार का 51 प्रतिशत महिलाओं के लिए हो, महिला उद्यम कहलाता है।'

इतिहास पर नजर डाली जाए तो प्रारंभ से ही महिलाएं शोषण का शिकार रही हैं भारत का 49 प्रतिशत एवं कार्यरत् संस्था का 35 प्रतिशत भाग संचित करने वाली महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में मात्र 15 प्रतिशत ही सहभागिता रखती हैं। भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अधिक संतोषप्रद नहीं है। भारत की अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। आज भी ग्रामीण महिलाएं शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। उन्हें वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण एवं प्रसार तकनीकों का विशेष ज्ञान नहीं है। फलत: सरकार की विभिन्न योजनाओं का उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी और शहरी महिलाएं इस दृष्टि से बेहतर स्थिति में प्रतीत होती हैं, क्योंकि शहरी महिलाएं शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं, और शिक्षा से उनकी जीवन शैली एवं चिन्तन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है।

परन्तु फिर भी ग्रामीण महिलाएं जो महिला जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग सिद्ध होती है, कृषि, कुटीर उद्योगों एवं कलात्मक कारीगरी में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी महिला उद्यमिता सिर्फ अचार, पापड़ तथा मिट्टी और बाँस के बर्तनों तक सीमित है। ठीक इसी तरह शहरी महिलाएं शिक्षित होने के कारण सृजनात्मक एवं रचनात्मक रूप से अधिक मुखर हुई हैं तथा अब वे अधिक परिपक्वता के साथ निर्णय लेने की ओर अग्रसर हुई हैं तथा उनकी रूढ़िगत सोच में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर है तथा वे स्वयं तथा उनके परिवार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के प्रति उद्यमशील हुई हैं, किन्तु उनकी इस उद्यमिता की परिणिति, समाज में कभी परिवार के टूटन के रूप में तो कभी उनके बहकते कदमों में व्यक्त होती दिखाई देती है। अर्थात् भारत में बहुत सी योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी महिलाओं की स्थिति में बहुत सम्मानजनक व सकारात्मक परिवर्तन स्पष्टत: दृष्टिगोचर नहीं हैं तथा स्वरोजगार को अपनाने की इच्छाशक्ति का अभाव अभी भी उनमें बना हुआ है।

यह तो है सिक्के का एक पहलू परन्तु इसका दूसरा पहलू देखना अभी भी बाकी है जिसमें महिलाओं ने आकाश से लेकर पाताल तक तथा महत्वपूर्ण पदों से लेकर छोटे-छोटे पदों तक अपनी धाक जमायी हुई है। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी का नाम अब तक प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों की सूची में शीर्ष पर आता है। देश की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश के

* अतिथि विद्वान(वाणिज्य) शासकीय सोमेश्वर सिंह महाविद्यालय, नई गढ़ी ** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय जिला – रीवा (म.प्र.) भारत

सर्वोच्च पद पर पिछले पाँच वर्षो तक आसीन रहीं हैं। कल्पना चावला ने अपना नाम अंतरिक्ष में अमर कर लिया है जो अगले कई वर्षो तक देश की युवतियों की प्रेरणां स्त्रोत बनी रहेंगी। इनके अतिरिक्त सुषमा स्वराज्य, सोनिया गाँधी, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, रितु कुमार, एकता कपूर, चन्दा कोचर, ज्योति नायक, ललिता डी. गुप्ता, प्रीता रेड्डी, रवीना राज कोहली, रेनुका रामनाथ आदि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीति, खेल, व्यवसाय एवं उद्यम के क्षेत्र में परचम लहराए हैं। आज नारी जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में गतिशील है तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं मिलजुलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजकीय सेवा, न्यायाधीश, अधिवक्ता, सी.ए., प्राध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि बस कन्डक्टर एवं पुलिस कान्स्टेबल तक के पदों पर आसीन है।

इन महिला उद्यमियों का आज इस बात की पुष्टि करता है कि महिला के लिए आने वाला समय उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा है।

महिला उद्यमियों की समस्याएं – महिलाओं हेतु प्रतिदिन नयी–नयी योजनाएं घोषित होने के बावजूद तथा महिलाओं की भागीदारी के बिना देश व समाज की सफलता असंभव मानने के बावजूद जब महिला उद्यमियों की समस्याओं एवं परेशानियों की बात आती है तो आज भी वही स्थिति देखते को मिलती है जो आज से कई दशक पूर्व देखने को मिलती थी। यही वजह है कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु प्रस्तुत की गई कई योजनाओं के संचालन में इसके संचालक इसलिये हिचकिचा रहे हैं क्योंकि महिलाएं इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं। कुछ महिलाओं को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो अधिकांश महिला, उद्यमी नाममात्र की महिला उद्यमी हैं तथा उनमें से भी अधिकांश का कार्यक्षेत्र पापड़, बड़ी, रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण तक सीमित है। संभवत: इसका प्रमुख कारण महिलाओं की वे विशेष जिम्मेदारियाँ एवं कठिनाइयाँ हैं जो हर कदम पर उनकी राह रोकती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं –

- महिलाओं की सफलता, आर्थिक स्वतंत्रता तथा आत्म निर्भर होने की आवश्यकता का अभाव, रूढ़िवादी विचारधारा।
- पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था
- पारिवारिक जिम्मेदारी
- शिक्षा का अभाव
- जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव
- वित्ता की समस्या
- जानकारी तथा अनुभव का अभाव
- विपणन की समस्या
- प्रशिक्षण की समस्या
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मार्गदर्शन का अभाव

उपरोक्त समस्याओं को स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर आपसी तालमेल द्वारा सुलझाने के शीघ्र प्रयत्न करने चाहिए।

- **समाधान –** विशेषज्ञों और विद्वानों के द्वारा कुछ ऐसे सुझाव दिये गये हैं जिन्हें अमल में लाकर कोई भी महिला अपने उद्योग में सफल हो सकती है :–
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करें
- जिज्ञासु प्रवृत्ति रखें
- उत्तम स्वभाव एवं प्रेरणास्पद वाणी
- उद्योग शुरू करने से पहले संबंधित उत्पाद की मार्केटिंग करके देखें।
- प्रथम तीन वर्षो तक अपने आपको कतई उद्योगपति न समझें।
- उत्पाद कन्ज्यूमर प्रोडक्ट होना चाहिए।
- इकाई में विकल्प उत्पाद बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- किसी एक ग्राहक पर निर्भर नहीं रहें।
- क्रय और नकद खुद संभालें।
- अपने उत्पाद के बारे में गंभीरता से सोचें।
- अनुशासनबद्धता तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण रखें।
- गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखें।
- दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादे रखें।
- उद्योग के प्रति पूर्ण समर्पण।
- केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई महिला उद्यमिता विकास की विभिन्न योजनाओं की पूरी जानकारी रखें।

निष्कर्ष – धीरे–धीरे ही सही पर भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों का योगदान बढ़ता जा रहा है। जिससे एक ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में महिला उद्यमियों की संख्या कुल उद्यमियों के 20 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे यह प्रतीत होता है कि नारी अपने में निहित शक्ति को पहचान चुकी है तथा वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में पुरूषों की भांति ही अपना योगदान देने को आतुर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महिला उद्यमिता – डॉ. अंशुजा तिवारी, डॉ. संजय तिवारी
2. महिला सशक्तीकरण दशा एवं दिशा – डॉ. एस. अखिलेश, डॉ. संध्या शुक्ला
3. समाचार पत्र – दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका।

****

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कृषि पर प्रभाव (रतलाम जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मालसिंह चौहान *

प्रस्तावना– यह सर्वविदित है कि भारत एक विकासशील, कृषि प्रधान और गाँवों का देश है और इस की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है। जिनके विकास का आधार सड़के ही हैं। क्योंकि सभी मौसमों में परिवहन के लिए उपयूक्त सड़कों के अभाव में एक और किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नही मिल पाता और दूसरी और उसे अपनी जरूरत का अधिकांस समान महगें दामों पर खरीदना पड़ता है। अच्छी सड़कें की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से पर्वतिय क्षेत्रों में किसानो को बेमौसम कि सब्जि,मटर,गाजर,शिमला मिर्च फल जैसे कि सेब,अनार,आलू खुमानी औन-पौने दामों में बेचनी पडती है। दुर्गम स्थानों से ऐसे माल को मंड़िया नगरों तक लाने में इतना खर्च आता है कि वह प्रतियोगिता में ठहर नही पाता। यहीं नहीं कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी थे जहाँ आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के नही पहुँचने से वहॉ की उबड़ खाबड़ पूसो से ढ़की हुई झाड़ युक्त, दलदली एवं बंजर भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा था। परिणामस्वरूप वहाँ कृषि का क्षेत्रफल भी कम था।

उक्त तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सड़कों के अभाव में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच खाई काफी बढ़ गई थी। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी न तो देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर पा रहे थे, न ही कृषि विकास संबंधी योजनाओं का पूर्ण लाभ उठा पा रहे थे। हाँलाकि स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न योजनाकालों में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निमार्ण हुआ, परन्तु फिर भी 40 प्रतिशत गाँव ऐसे थे जहाँ हर मौसम में आवागमन योग्य सड़कों का अभाव थाा। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो इन गाँवों में तों किसी तरह जाया जा सकता था परन्तु बरसात के चार महीनों में इन गाँवों का बाहरी दुनिया से सम्पर्क टूट जाता था। यह एक बहुत ही महत्वपुर्ण एवं जटिल समस्या थी जिनका समाधान केन्द्र सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य शुभारम्भ तिथि से अगले तीन वर्ष के भीतर अर्थात 2003 तक 1000 से अधिक और दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2007 के अंत तक 500 से अधिक की अबादी वाले समस्त गाँवों को बारहमासी सड़कों (मुख्य मार्गों) से जोड़ना था। पहाड़ी राज्यों (उतर-पुर्व सिक्किम,हिमाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों (जैसा कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में अभिज्ञात किया गया है) तथा जनजातीय (अनुसूची -6) क्षेत्रों के मामले में उद्देश्य 250 और इससे अधिक आबादी वाले गाँवो को बारहमासी सड़कों (मुख्यमागों) से जोड़ना था। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था डीजल पर एक रूपये प्रति लीटर के उपकर में से की जा रही है। वर्ष 2003.04 से हाइस्पीड पर कर 0.50 रूपये की वृद्धि की गई है। अतिरिक्त डीजल पर उपकर का 0.50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दुसरा चरण – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दुसरे चरण में 50,000 किलोमीटर सड़के बनाई जायेगी। अधिक लाभ उन राज्यों को मिलेगा जहाँ पहले चरण की सड़क पूर्ण हो चूकी है। योजना के दूसरे चरण में बनने वाली ग्रामीण सड़कों का 25 प्रतिशत खर्च राज्यों को उठाना होगा। इसमें लिंक रोड़ के साथ योजना की पुरानी सड़कों के उन्नयन और उच्चीकरण पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 में इसके लिए 400रू. करोड़ आवंटित किये गये है। योजना के पहले चरण में इन ग्रामीण सड़कों के निर्माण का पूरा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया। पी. एम.जी. एस. वाई के दूसरे चरण की इन सड़को का निर्माण हर हाल में 2016-17 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कुल 50,000 किलोमिटर लम्बाई की सड़कों के निर्माण और उन्नयन व उच्चीकरण पर कुल 19000 कारोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

गाँव को जुड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उ.प्र. को जहां 7575 किलोमीटर लम्बी सड़कों का उपहार मिलेगा।वही बिहार में 2465 किलोमीटर और झारखण्ड में 1650 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का उन्नयन व उच्चीकरण किया जायेगा। इस अवधि में उन सड़कों को भी शामिल किया जायेगा, जिन्हे किन्ही कारणों से पहले चरण में नहीं लिया था। ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने 8 मई 2013 को नई दिल्ली में बताया की पी. एम.जी. एस.वाई. की उन सड़कों को इस योजना में अवश्य लिया जायेगा, जिन पर यातायात का बोझ अधिक है। उनकी चौडाई बढ़ाने के साथ उनका अपग्रेडेशन किया जायेगा। सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक की जा सकती है। नक्सल प्रभावित जिलों की सड़के बनाने की जो लागत आयेगी उसका 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगा और 10 प्रतिशत खर्च राज्य को उठाना होगा।

मध्यप्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोडी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन तथा सड़क निर्माण के क्षेत्र में समन्वय बनाने के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण का गठन किया गया है। योजना के तीव्र एवं सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य में लगभग 40 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ गठित कि गई हैं। इनमें से एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई रतलाम में स्थित हैं। प्रस्तुत पत्र रतलाम जिला जो कि 4 विकासखण्डों पर पडने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य – अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि –

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो गाँव सड़क से जुड़ गये हैं, क्या वहाँ कृषि के क्षेत्रफल एवं उसके स्वरूप में बदलाव आया है?
2. सड़क बनने के बाद क्या इन गाँवों की कृषि में खाद,बीज एवं दवाइयों के प्रयोग में तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है?
3. सड़क बनने के बाद क्या इन गाँवों में शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है?

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.) भारत

4. सड़क बनने के बाद क्या इन गाँवों से फसल एवं खाद्य पदार्थों को मंडी ले जाने में सुविधा हुई?

समंक संकलन – प्रस्तुत पत्र में रतलाम जिले के विशेष संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कृषि पर प्रभाव दर्शाया गया हैं। उक्त अध्ययन प्राथमिक समंको पर आधारित हैं। जिनके संकलन हेतु रतलाम जिले के अन्तर्गत आनेवाले 4 विकासखण्डों (रतलाम,सैलाना, जावरा,बाजना) का चुनाव किया गया है। तथा प्रत्येक विकासखण्ड से 5-5 गाँव जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बारहमासी सड़को (मुख्यमार्गो) से जुड़कर लाभान्वित हो रहे है, का चयन किया गया है। यही नहीं प्राथमिक समंकों के संग्रहण हेतु प्रत्येक गाँव से 11-11 ग्रामीण सुचनादाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड से 5, तथा कुल 220 सूचनादाताओं से समंक एकत्रित कर उनका अध्ययन किया गया है, इस योजना के कृषि पर पड़नेवाले प्रभाव को जानने का प्रयास किया है।

विश्लेषण – 'यदि यह सत्य है कि थल सेना की शक्ति के सूचक उसके पैर है, तो यह भी सच होगा कि कृषि की शक्ति हमारी सड़कों पर निर्भर करती है।' इस पत्र के माध्यम से विशेषत: रतलाम जिले में प्राधनमंत्री ग्राम सड़क योजना का कृषि पर प्रभाव जैसे कि इस योजना के अन्तर्गत सड़क बनने के बाद गाँवों में कृषि के क्षेत्रफल एवं उसके स्वरूप में क्या बदलाव अया है? क्या सड़क बनने के बाद कृषि मे खाद, बीज एवं दवाईयों के प्रयोग में तथा साथ ही इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है? सड़क बनने के बाद क्या शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थो का उत्पादन बढ़ा है? सड़क बनने के बाद गाँव के फसल एवं खाद्य पदार्थो को मंडी ले जाने में सुविधा हुई है? को अग्रलिखित तालिका द्वारा विश्लेषित किया गया है।

तालिका क्र.1 कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि की स्थिति

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	44 (80.00)	31 (56.36)	31 (56.36)	36 (65.45)	142	64.55
2.	नही	11 (20.00)	24 (43.64)	24 (43.64)	19 (34.55)	78	35.45
योग		55 (100.00)	55 (100.00)	55 (100.00)	55 (100.00)	220	100.00

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 64.5 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जबकि 35.45 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि नही हुई है। विकासखण्ड स्तर पर देखो तो ज्ञात होता है कि बाजना के 64.45 प्रतिशत तथा रतलाम के 80 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।सैलाना एवं जावरा विकासखण्डमें ऐसे सूचनादाताओं का प्रतिशत समान अर्थात 56.36 है। जबकि बाजना के 34.55 प्रतिशत तथा रतलाम के 20 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई है। सैलाना एवं जावरा विकासखण्ड में ऐसे सूचनादाताओं का प्रतिशत समान अर्थात 43.64 है। अध्ययन क्षेत्र में सूचनादाताओं से सड़क बनने के बाद भी कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होने के कारण जानना चाहा तो उनका कहना था कि हमारे यहॉ की अधिकांश भूमि पहले से ही कृषि योग्य है। कुछ भूमि अगर पड़त के रूप में है भी तो हम चाहकर भी उसे कृषि भूमि में बदल नहीं सकते क्योंकि इससे पशुओं को चारे की प्राप्ति होती है।

तालिका क्र. 2 कृषि के स्वरूप में बदलाव की स्थिति

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	55 (100.0)	46 (83.64)	46 (83.64)	48 (84.27)	192	88.64
2.	नही	0 (0.00)	9 (16.36)	9 (16.36)	7 (12.73)	25	11.36
योग		55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	220	100.0

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 88.64 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि करने के स्वरूप में बदलाव आया है, जबकि 11.36 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि करने के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही आया है, अर्थात कृषि कार्य में जो साधन पहले प्रयोग किये जाते थे, सड़क बनने के बाद भी उन्ही साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तर पर देखे तो ज्ञात होता है कि बाजना के87.27 प्रतिशत तथा रतलाम विकासखण्ड के शत्-प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि करने के स्वरूप में बदलाव आया है, अर्थात अब नलकूपों, डीजल इंजनों तथा टेक्टरों की संख्या बढ़ गई है जिससे कृषि कार्य तेजी से हो रहा है। 12 विकासखण्ड में ऐसे सूचनाउदाताओं का प्रतिशत समान अर्थात 83.64 है। जबकि बाजना विकासखण्ड के 12.73 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से कृषि में जो साधन (कुएँ,नदी, बिजली से चलने वाली मोटर, हल, बक्खर आदि) पहले प्रयोग कये जाते जाते थे। सड़क बनने के बाद भी उन्ही साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। सैलाना एवं जावरा विकासखण्ड में ऐसे सूचनादाताओं का प्रतिशत समान अर्थात्16.36 है। रतलाम विकासखण्ड में ऐसे सूचनादाताओं का प्रतिशत 0 है।

तालिका क्र. 3 खाद, बीज एवं दवाईयों के प्रयोग में वृद्धि स्थिति

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	43 (78.18)	46 (83.64)	40 (72.73)	42 (73.36)	172	77.73
2.	नही	12 (21.82)	9 (16.36)	15 (27.27)	13 (23.64)	49	22.27
योग		55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	220	100.0

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शायागया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 77.73 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से पहले की तुलना में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग बढा है। जबकि 22,27 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से पहले की तुलना में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग नहीं बढा है। वरन् इनके प्रयोग की मात्रा एवं किस्म पहने के समान ही है। विकासखण्ड स्तर पर देखें तो ज्ञात होता है कि रतलाम के 78.18 प्रतिशत सैलाना के 83.64 प्रतिशत, जावरा के 72.73प्रतिशत एवं बाजना के 76.36 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना

है कि सड़क बनने से पहले की तुलना में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग बढा है। जबकि रतलाम के 21.82 प्रतिशत , सैलाना के 16.36 प्रतिशत ,जावरा के 27.27 प्रतिशत तथा बाजना के 23.64 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से पहले की तुलना में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग नहीं बढा है। वरन् इनके प्रयोग की मात्रा एवं किस्म पहले की ही समान है। अर्थात खाद, बीज एवं दवाईयों की जो मात्रा एवं किस्म वहले प्रयोग कर रहे थे वही अब भी प्रयोग कर रहे है। अध्ययन क्षेत्र में जब सूचनाउदाताओं से इसका कारण जानना चाहा तो उनका कहना था कि नये-नये खाद,बीज एवं दवाईयॉ जहाँ एक ओर अधिक महँगी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। जो कि हमारी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है।

यहॉ यह बताना उचित होगा कि अध्ययन क्षेत्र में जिन सूचनादाताओं का यह कहना था कि सड़क बनने से पहले कि तुलना में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग बढा है। उन सूचनादाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया है कि नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है। या नहीं? इस संदर्भ में सूचनादाताओं से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसे अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क .4 खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि की स्थिति

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	41 (95.35)	43 (93.48)	36 (90.00)	40 (95.24)	160	93.57
2.	नही	2 (4.65)	3 (6.52)	4 (10.0)	2 (4.76)	11	6.43
	योग	43 (100.0)	46 (100.0)	40 (100.0)	42 (100.0)	171	100.0

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 93.57 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है। जबकि 6.43 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों के प्रयोग से उत्पादन मे कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। विकासखण्ड स्तर पर देखे तो ज्ञात होता है। कि रतलाम के 93.35 प्रतिशत, सैलाना के 93.48 प्रतिशत,जावरा के 90 प्रतिशत तथा बाजना के 95.24 प्रतिशत सूचनाउदाताओं का कहना है कि नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयाँ के प्रयोग में वृद्धि हुई है। जबकि रतलाम के 4.65 प्रतिशत, सैलाना के 6.52 प्रतिशत, जावरा के 10.00 प्रतिशत, तथा बाजना क 4.76 प्रतिशत, सूचनाउदाताओं का कहना है कि नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों का प्रयोग से उत्पादन में कोई खास वृद्धि नही हुई है। सूचनादाताओं से जब नये -नये खाद,बीज एवं दवाईयों के प्रयोग से उत्पादन में आशानुरूप वृद्धि नहीं होने का कारण पूछा, तो उन्होने कहा कि इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है जैसे कभी समय पर वर्षा न होना, कभी आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाना आदि। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर कृषि में नये-नये खाद, बीज एवं दवाईयों के प्रयोग से निश्चित ही उत्पादन में कोई खास वृद्धि नही होती।

तालिका क्र. 5 शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि की स्थिति

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	41 (74.55)	47 (85.45)	43 (78.18)	42 (76.36)	173	78.64
2.	नहीं	14 (25.45)	8 (14.55)	12 (21.82)	13 (23.64)	47	21.36
	योग	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	220	100.0

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन क्षेत्र में 78.64 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने के बाद शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थो के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जबकी 21.36 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने के बाद शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। वरन् इनके उत्पादन की स्थिति पूर्व के समान ही है। इसी बात को विकासखण्ड स्तर पर देखें तो ज्ञात होता है कि रतलाम के 74.55 प्रतिशत सैलाना के 85.45 प्रतिशत, जावरा के 78.18 प्रतिशत तथा बाजना के 76.36 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है, कि सड़क बनने के बाद शीघ्र नष्ट होने वाले खादय पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जबकी रतलाम के 25.45 प्रतिशत, सैलाना के 14.55 प्रतिशत, जावरा के 21.82 प्रतिशत, तथा बाजना के 23.64 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है, कि सड़क बनने के बाद शीघ्र नष्ट होने वाले खादय पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। वरन् इनके उत्पादन की स्थिति पूर्व के समान ही है। अध्ययन क्षेत्र में जिन सूचनादाताओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि सड़क बनने के बाद शीघ्र नष्ट होने वाले खादय पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन सूचनादाताओं से जब यह पूछा गया कि कौन-कौन से खाद्य पदार्थो में भी वृद्धि हुई है? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश सूचनादाताओं का कहना था कि मुख्यत: दूध, साग-सब्जी और फल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है यहाँ यह बताना भी उचित प्रतीत होगा कि सड़कों का निर्माण हो जाने पर गाँवों से कृषि उत्पादन को पास के कस्बों, मण्डियों, शहरों, बडे-बडे नगरों और बंदरगाहों तक ले जाने में आसानी होती है। और इसी बात का दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन क्षेत्र में समस्त सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया है कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार कि फसलों एवं खाद्य पदार्थो की मंडी ले जाने में सुविधा हुई है या नहीं ? इस संदर्भ में सूचनादाताओं से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 6 फसल एवं खाद्य पदार्थो को मंडी ले जाने में सुविधा

क्र.	विवरण	रतलाम				योग	प्रतिशत
		रतलाम	सैलाना	जावरा	बाजना		
1.	हाँ	55 (100.0)	49 (89.09)	55 (100.0)	55 (100.0)	214	97.27
2.	नही	0 (0.00)	6 (10.91)	0 (0.00)	0 (0.00)	6	2.73
	योग	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	55 (100.0)	220	100.0

स्त्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्व-निर्मित। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 97.27 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार की फसलों एवं खाद् पदार्थों की मंडी में ले जाने में सुविधा हुई है। जबकि 2.73 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार की फसलों एवं खाद् पदार्थों की मंडी में ले जाने में बहुत ज्यादा सुविधा नहीं हुई है। विकासखण्ड स्तर पर देखे तो ज्ञात होता है कि सैलाना के 89.09 प्रतिशत तथा रतलाम, जावरा एवं बाजना विकासखण्ड के प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार की फसलों एवं खाद् पदार्थों की मंडी में ले जाने में सुविधा हुई है। जबकि सैलाना विकासखण्ड के 10.91 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि सड़क बनने से विभिन्न प्रकार की फसलों एवं खाद् पदार्थों की मंडी में ले जाने में बहुत ज्यादा सुविधा नहीं हुई है।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन के आधार रूप में यह कहा जा सकता है, कि कुछ आंशिक अपवादों को छोड़ दिया जाये तो निश्चय ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कृषि पर बहुत ही प्रभावशाली रही है। क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत जो गाँव बारहमासी सड़क (मुख्यमार्ग) से जुड़ चुके हैं। उन गॉवों में नये–नये आधुनिक कृषि यंत्रों के पहुँचने से जहाँ एक ओर कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वहीं दुसरी ओर उसके स्वरूप में भी तेजी से बदलावा आय है अर्थात् अब नलकूपों,डीजल, इंजनों तथा टेक्टरों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही इन गाँवों के कृषक अधिकाधिक उत्पादन करने के लिये नये–नये खाद,बीज, एवं दवाईयों के प्रयोग हेतु भी प्रोत्साहित हुए हैं परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। यही नहीं बारहमासी सड़क (मुख्यमार्ग) से जुड़ जाने के पश्चात् इन गांवों में शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थो विशेषत: दूध, साग–सब्जी और फल के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। इन सबसे ऊपर उठकर ग्रामीण कृषकों की एक महत्वपूर्ण समस्या अपने उत्पादन को मंडी ले जाने की थी? वह भी अब पूर्णत: हल हो चुकी है। अर्थात् दूरस्थ क्षेत्रों में रहनेवाले कृषकों को न केवल फसल का वरन् शीघ्र नष्ट होनेवाले खाद्य पदार्थो का भी अब उचित मूल्य मिल रहा है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अत: कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ कृषि क्षेत्र के तीव्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 रस्तोगी, कृष्ण कुमार (1975.76) 'ग्रामीण एवं कृषि अर्थशास्त्र' केदारनाथ रामनाथ प्रकाशक, मेरठ।

2. पंत, नवीन (फरवरी 2003) 'योजना' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली।

3. डॉ. मामोरिया, चतुर्भुज एवं डॉ. जैन, एस. सी (2004) 'भारतीय अर्थशास्त्र' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

4. डॉ. माहेश्वरी, पी. डी. एवं डॉ. जोशी वी. डी. (2003) 'यूनीफाइड अर्थशास्त्र' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।

5. डॉ. मिश्र, मोहनलाल (1969) 'परिवहन अर्थशास्त्र' भारती पब्लिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड 71, जवाहर मार्ग इन्दौर।

****

उज्जैन संभाग की संरचनात्मक स्थिति एवं बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाए

डॉ.आर.के. माथुर * मोना कश्यप * *

शोध सारांश – भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। इसलिये उज्जैन संभाग की कृषि से संबंधित संरचनात्मक स्थिति एवं बैंक द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तावना – भारत वर्ष में कृषि पर देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर है। कृषि उत्पादन कम होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि देश या प्रदेश की सरकार कृषि एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनायें संचालित कर रही है। इन योजनाओं में लघु एवं सीमांत कृषकों को बीज खाद, कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है इससे छोटे कृषक भी अच्छे बीज, खाद एवं कृषि यंत्रों का कम कीमत में क्रय कर सकता है और इन आदानों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि कर सकता है।

शोध प्रविधि – अनुसंधान की प्रारंभिक अवधारणा विवेचना इसकी प्रकृति एवं प्रकारो की विधीवत व्याख्या को समझने के उपरांत ही शोध को समझ पाना संभव है। जिससे कि अनुसंधान को आयोजित करना आसान हो जाता है। अनेक व्यक्ति जो शोध की अवधारणा से परिचित होते है। लेकिन वे वस्तुत: अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ ही होते है अत: तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण के दृष्टिकोण से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। अनुसंधान की प्रक्रिया अनेक चरणो से होकर गुजरती है एवं अलग–अलग विद्वानो ने इन विभिन्न चरणो का उल्लेख भी अलग–अलग ढंग से किया है। शोध के अंतर्गत छ: प्रमुख चरणो का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है–

1. अध्ययन विषय का निश्चित रूप से सूत्रीकरण।
2. कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण।
3. वैज्ञानिक प्रविधियो से समस्या का अन्वेषण एवं अवलोकन।
4. तथ्यों का एकरूपता में आलेखन।
5. आलेखित तथ्यों का श्रेणियो अथवा क्रमों में वर्गीकरण।
6. सामान्यीकरणो का निर्माण।

उद्देश्य– अ). उज्जैन संभाग में कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना।

ब) कृषि एवं कृषकों के मध्य विकास की विभिन्न योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करना।

शोध पेपर –

1. भारतीय कृषि की सबसे बडी विशेषता यह है कि यहाँ विविधीकरण संभव है। सौभाग्य से यहाँ सभी प्रकार की ऋतुएँ है। तो अनन्य प्रकार की मिट्टियो से परिपूर्ण भूमि भी है। जो प्राय: हर प्रकार के फसल उत्पादन को सुगम बनाती है। यदि प्रदेश को उत्पादन की दृष्टि से देखे तो तिलहनी और दलहनी फसलो को छोड़कर लगभग प्रमुख खाद्यान्न फसलो की उत्पादकता देश की तुलना में काफी कम है। जो चिन्ताजनक है।
2. आज के परिवेश में कृषि आजीविका का एक साधन मात्र नहीं रह गई है। विकसित देशो में आज कृषि व्यवसाय का रूप ले चुकी है। आज खेती के मानक बदल रहे है खेती का मुख्य उद्देश्य किसानो का आर्थिक स्तर उठाने के साथ–साथ देश के निर्यात में योगदान करना भी है। अत: खेती से होने वाली आय को बढाने के प्रयास इस प्रकार किये जाने चाहिये कि किसान धीरे–धीरे सरकारी अनुदान से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिये सह कृषि के रूप में फल, फूल व सब्जियाँ, मछली पालन, पशुपालन, कूक्कुट पालन, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि उद्यमो पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही कृषि प्रोद्योगिकी की अधिक व्यापकता के लिये कृषि में मानव संसाधन विकास भी नितांत जरूरी है।
3. आज भारतीय कृषि बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रही है जहाँ एक और हमारे देश में विश्व स्तरीय अनुसंधान उपलब्ध है। वही दूसरी और यहाँ का किसान इन आधुनिक प्रोद्योगिकीयों को अपनी कृषि प्रणाली में उचित प्रकार से सामंजस्य नहीं कर पाया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार गाँवो तक समुचित रूप से ना होने के कारण यहाँ के किसान कृषि अनुसंधान केन्द्रो पर जाने एंव कृषि वैज्ञानिको से संवाद करने से हिचकिचाते है।
4. इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी 1952 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में हुई, और तब से ही यह संस्थान गन्ना सुधार व विकास नव प्रजातियों को विकसित करना, गन्ने में मिठास बढाना, प्रयासरत है। किसानो, कृषि वैज्ञानिकों व कृषि विभागों के सामूहिक प्रयासो का ही यह परिणाम है कि हम गन्ना व चीनी में आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ आज विदेशों को निर्यात भी कर रहे है।
5. आज खेती व्यवसाय का रूप ले चुकी है जो कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। जीवन की शेष दो मूलभूत आवश्यकताएँ कपड़ा और मकान के लिये भी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर होते है। इस तरह सारा जीवन वायु एंव जल के बाद से कृषि ही जुडा हुआ है पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल से घिरा हुआ है। एंव वायु का मुख्य स्त्रोत वायुमण्डल है। इस प्रकार जल व वायु हमे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाते है। लेकिन भूमि में कृषि कार्यो के द्वारा हमे खाद्यान की प्राप्ति होती है।
6. कृषि का अपना एक अलग विज्ञान है। कृषि विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्योंकि भूमि में बीज बोने से लेकर फसल की

*प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत ** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्राप्ति तक अनुमानत: 70 प्रतिशत कार्य (अंकुरण, वास्पोत्सर्जन, अन्ताचुषण, विसरण, परासरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहन, खनिज अवशोषण आदि) प्रकृति द्वारा तथा 30 प्रतिशत कार्य मनुष्य द्वारा (जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, खाद या उर्वरक देना आदि) संपन्न होते है। कृषि विज्ञान को समझना अर्थात प्राकृतिक विज्ञान को समझना है। प्रकृति को जानने से बढकर दूसरा कोई ज्ञान नही है। क्योकि मनुष्य स्वंय प्रकृति का ही एक अंश है। मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए कार्यो में कृषि कार्यो के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा कार्य नही है। जिसमें प्रकृति की इतनी अहम भूमिका होती है।

बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधायें – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन संभाग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला है। बैंक की 30 शाखाएँ जिसमें 25 शाखाएँ कृषि ऋण व्यवसाय एवं 5 शाखा में अमानत व्यवसाय का कार्य कर रही है। बैंक 83 वर्षो से लगातार जिले के सर्वांगीण विकास के लिये कृषको को वित्त सुविधा प्रदान कर रही है। बैंक से संबंद्ध 172 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओ के माध्यम से जिले के 1124 ग्राम सहकारिता की परिधि में आ चुके है।

बैंक त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से जिले का 73 प्रतिशत कृषि ऋण कृषकों को उपलब्ध करवा रही है। संस्थाओं के कुल 220 केन्द्र है, जिसमें 111 सुगम केन्द्र व दुर्गम 109 केन्द्रो के माध्यम से रासायनिक उर्वरक, प्रामाणिक बीज, कीटनाशक व कृषि उपकरणो का वितरण कृषकों को किया जा रहा है। बैंक द्वारा संस्थाओ को कृषि उपादनो के कार्य हेतु साख सीमा राशि 688-00 लाख उपलब्ध कराई गई है। संस्थाओं की शासन की जनहित से जुडी योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपनी 380 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारो को बी. पी. एल. अन्तयोदय अन्य योजना मध्याहन भोजन एवं अन्नपूर्णा योजना आदि का गेहूँ, चावल, शक्कर, केरोसिन के वितरण का कार्य भी संपादित किया जाता है। बैंक द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु संस्थाओ को नगद साख सीमा राशि रूपए 149 लाख की सुविधा प्रदान की गई है।

1. **अल्पकालीन कृषि ऋण**- नगद तथा वस्तु सहकारी समितियों के तथा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से योजनान्तर्गत ऋण।
2. **मध्यमकालीन ऋण**- इलेक्ट्रिक पम्प, आईल इंजिन, पाईप लाईन, जनरेटर, कुआँ, रिचार्जिंग सबमर्सिबल पम्प आदि।
3. **दीर्घावधि कृषि ऋण**- ट्रेक्टर ऋण।
4. **मध्यावधि उपकृषि ऋण**- उपभोक्ता ऋण, वाहन ऋण, तारण पर ऋण वेअर हाउस रसीद के तारण पर ऋण, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादकों को दुपहिया वाहन ऋण।
5. **दीर्घावधि अकृषि ऋण**- शहरी क्षेत्र के लिये अपना घर योजना के अंतर्गत आवास ऋण ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्रामीण आवास ऋण।
6. **व्यापारियों को केश क्रेडिट**:- छोटे व्यापारियों को 25000/- तक केश क्रेडिट सुविधा व बडे ऋण सुविधा व्यापारियों को पात्रता अनुसार 25.00 लाख रूपए तक केश क्रेडिट की सुविधा।
7. **वित्त पोषक योजनान्तर्गत**- पशुपालन, मतस्य पालन एवं कुट-कुट पालन हेतु ऋण।
8. अकृषि साख समितियों को केश क्रेडिट व अन्य ऋण सुविधा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के निर्देशानुसार बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पात्रता धारी कृषकों की सूची तैयार की गई जिसमें वर्तमान में फसल ऋण प्रणाली के तहत 5000.00 रूपए तक ऋण की सीमा तक आने वाले 48543 सदस्यों में से 31.12.2001 तक 47394 सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की परिधि में लाया जा चुका है। बैंक द्वारा 1400 कृषकों को कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध 47394

कृषकों को नगद साख सीमा 10533 लाख की स्वीकृति दी गई है। लक्ष्य के विरूद्ध कार्ड वितरण का 338.52 प्रतिशत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बैंक ने जो प्रदेश में किर्तीमान स्थापित किया गया जिसकी सराहना नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में की गई है।

बैंक द्वारा वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्रताधारी सदस्यों को कुल 75000/- ऋण दिया जा रहा है। जिसमें सीमा के अंतर्गत राशि 25,000/- नगद एवं 50,000/- वस्तु ऋण दिया जा रहा है। बैंक की साधारण सभा द्वारा उक्त सीमा में वृद्धि की जाकर कुल साख सीमा एक लाख तक किए जाने हेतु स्वीकृति पंजीयक महोदय, भोपाल से चाही गई है। वर्तमान में फसल ऋण नीति के अनुसार ऋणो की अधिकतम सीमा निम्नानुसार है रखी गई है।

(सारणी पीछे देखें)

ऋण वितरण की अवधि -

1. खरीफ फसलो हेतु - 1 अप्रेल से 30 सितंबर
2. रबी फसल हेतु - 1 अक्टूबर से 31 मार्च
3. गन्ने की फसल हेतु - 1 अक्टूबर से 31 मार्च
4. आलू की फसल हेतु - 1 अक्टूबर से 31 मार्च
5. फलोधान हेतु - 1 जून से 31 दिसंबर

ऋण अदायगी तिथी- सदस्यों द्वारा संस्थाओं को तथा संस्था द्वारा बैंक को ऋण अदायगी हेतु तिथी निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

		(खरीफ फसल)	(रबी फसल)
1.	सदस्य द्वारा संस्था को	15 मार्च	15 मई तक
2.	संस्था द्वारा बैंक	मार्च का अंतिम शुक्रवार	मई का अंतिम शुक्रवार

मध्यावधि ऋणो का उददेश्यवार अधिकतम ऋण एवं अवधि निम्नानुसार है-

पात्रता- ऐसे कृषकों को ऋण स्वीकृत किया जा सकता है जिनके पास न्यूनतम एक एकड़ भूमि हो/ मध्यम अवधि ऋण के मान से ऋण अदायगी क्षमता की जावे।

मार्जिन मनी- उपरोक्त ऋणो हेतु नियमानुसार रकम से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी कृषकों से ली जाये।

ब्याज दर- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित लघु सिंचाई योजनाओ पर निर्धारित ब्याज दर उपरोक्त प्रायोजनो के संबंध में मध्यम अवधि कृषि ऋणो के संबंध में प्रस्तावित सामान्य शर्ते एवं प्रक्रिया ही प्रभावशील होगी।

वेयर हाउस रसीद तारण पर ऋण – बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि साख संस्थाओ के सदस्य असदस्य फर्म को वेयर हाउस की रसीद तारण पर ऋण सुविधा बैंक की शाखाओ के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। सदस्य द्वारा भंडारित माल के मूल्य का 75 प्रतिशत तारण ऋण दिया जा रहा है। अधिकतम ऋण सीमा 2लाख तक जिस पर ब्याज दर 15 प्रतिशत ली जावेगी। ऋण की अवधि 3 माह से लेकर 6 माह तक अधिकतम होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध व्यवसायी एवं सब्जी फल-फूल उत्पादको को दुपहिया वाहन ऋण सुविधा – संस्थाओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में दुपहिया वाहन ऋण सुविधा लागु की गई है। जिन सदस्यों के पास एक एकड़ रकबा सिंचीत होना अनिवार्य है। प्रस्तुत कोटेशन का 75 प्रतिशत तक ऋण दिया जायेगा, ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किश्तो में वसूल की जायेगी जिस पर ब्याज दर 15 प्रतिशत लागू होगी।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना – केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा म. प्र. राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलो के लिये अधिसूचित क्षेत्र के लिये घोषित की जात है। यह योजना कृषकों के हितो को ध्यान में रखते हुए योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है।

1. इस योजना में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक के साथ-साथ काश्तकार, बटाईदार कृषक भी लाभ ले सकते है।
2. लाभ राशि के तीन विकल्प है।
3. यह योजना ऋण किसान के लिए अनिवार्य एवं गैर ऋणी किसान के लिए स्वेच्छिक आधार पर लागू है।

(क) कृषक द्वारा बैंक से ऋण नीति के अनुसार प्राप्त किया गया। अधिसूचित फसल ऋण इस राशि का शत-प्रतिशत अनिवार्य बीमा अधिकतम सीमा नहीं।

(ख) अधिसूचित फसल क्रेश होल्ड (निर्धारित) उपज के न्यूनतम समर्थ मूल्य तक।

(ग) अधिसूचित फसल के औसत उपज के 150 प्रतिशत समर्थन मूल्य तक।

बीमा प्रीमियम दर – बीमा प्रीमियम दर फसल अनुसार 1.5 से लेकर 5.60 प्रतिशत तक अलग-अलग निर्धारित है।

	(नगद)	(वस्तु)	(योग)
1. अल्पकालीन सामान्य सीमा	10000	40000	50000
2. किसान क्रेडिट कार्ड	25000	50000	75000

क्र. उददेश्य	न्यून.जोत सीमा	स्मयावधि	अधिकतम ऋण सीमा	अधिकतम राशि
1. विद्युत पंप हा. पा.	3 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	कोटेशन का 10000
2. विद्युत पंप 5 हा. पा.	3 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	12000
3. विद्युत पंप 7 से 10 हा. पा.	5 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	16000
4. सबमर्सिबल पंप तथा अन्य सहायक सामान	5 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	25000
5. जनरेटर डीजल	5 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	35000
6. ट्रेक्टर थ्रेशर	8 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	60000
7. थ्रेशर	5 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	25000
8. पीवीसी पाईप लाईन	5 एकड़	5 वर्ष	85 प्रतिशत	15000
9. ट्यूबवेल रिचार्ज	5 एकड़	3 वर्ष	85 प्रतिशत	1500
10. कुंओ की रिचार्जिंग हेतु	5 एकड़	3 वर्ष	85 प्रतिशत	2000
11. कुंपो की बोरिंग हेतु	5 एकड़	3 वर्ष	85 प्रतिशत	3000
12. खेतों में इबरा-डबरी निर्माण	5 एकड़	3 वर्ष	85 प्रतिशत	3000
13. स्टॉपडेम निर्माण	5 एकड़	1 वर्ष	85 प्रतिशत	5000

क्षतिपूर्ति स्तर- अधिसूचित फसलों की अधिसूचित क्षेत्र के लिये क्षतिपूर्ति स्तर 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत फसल अनुसार निर्धारित है।

उपसंहार – जहाँ तक मुझे ज्ञात है की कृषि का सामाजिक एंव राजनीतिक क्षेत्र में तो अध्ययन किया गया है तथा साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्रो के लिये सेमिनार भी आयोजित किये गये है तथा इनका व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण कर कृषि कि व्यवसायिक फसलों का विशेष रूप से दलहन एंव तिलहन फसलो की आर्थिक स्थिति का मूलयांकन करने संबंधी कार्य मेरे द्वारा इस शोध में किये गये है। जिससे की दलहन एंव तिलहन फसलो के योगदान की स्थिती इस शोध से स्पष्ट होती है

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था – प्रकृति और समस्याएं श्रीधर पाण्डेय, इन्डोलॉ निकल पब्लिशर्स, पटना
2. Agriculture in Indian Economy – I.C. Dhingra, Deep and Deep Publication, New Delhi 1987
3. भारत में कृषि विकास – पी.सी. जैन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
4. भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र –डा.एल.एन.अग्रवाल, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

Website -

1. www.mpmandiboard.gov.in
2. www.mp.gov.in/unlimited potential
3. www.madhyaindia.com
4. www.agricultureinformation.com

दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन बाजार से संबंधित समस्याऐं एवं सुझाव

डॉ. आर.के. माथुर * मोना कश्यप * *

शोध सारांश – शासन द्वारा दलहन एवं तिलहन फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है परन्तु फिर भी अनेक समस्याएं है जो कि उत्पादन बाजार से संबंधित है। हमारे द्वारा इन समस्याओं एवं सुझावों पर प्रकाश डाला जा रहा है।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में कृषि विकास को गति देने के लिये शासन लगातार प्रयासरत है। कृषि कार्य को सुविधाजनक बनाने, कृषि लागत कम करने और तकनीकी का प्रसार बढ़ाने के उददेश्य से कई कार्यक्रम और योजनाएं दलहन एवं तिलहन विकास विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है। जिनका वर्णन हम आगें योजनाओं में देखेगे। इस प्रकार दलहन एवं तिलहन का विकास दर बढ़ाने में और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये स्वर्णिम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो पाई है ।

1. किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक सुनिश्चित शोध विधि को अपनाना आवश्यक है। शोध के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जायेगा। इस हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय समंको का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक समंकों के लिए विचार निर्देशन की पद्धति अपनायी जायेगी। ताकि वे न्यादर्श में समावेश होकर उसके निष्कर्ष शुद्धता के निकट हो ।
2. आर्थिक विकास के साक्षात्कार द्वारा निष्कर्ष को परिशुद्धता के परीक्षण के लिए प्रयास किए जायेंगे। आर्थिक विकास तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रश्नवालियों द्वारा जानकारी प्राप्त की जायेगी। प्रस्तुत अध्ययन में आवश्यकतानुसार प्रतिशत, निर्देशांक अनुपात विश्लेषण तकनीक को प्रकाशित किया जायेगा। कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित सामग्री एवं प्रतिवेदनों का शोध कार्य में समावेश किया जायेगा।
3. इस क्षेत्र के विद्धानों की शोध पुस्तकें एवं शोध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को भी आधार बनाकर अध्ययन किया जायेगा।

उद्देश्य– अ. कृषकों में व्याप्त बेरोजगारी दूर करने के लिये सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करना तथा असफलताओं को रेखांकित करना।

ब. उज्जैन संभाग में प्रारंभ किये गये विभिन्न विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों की समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध तालिका – (पीछे देखें)

दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन बाजार से संबंधित समस्याऐं एवं सुझाव – दलहन एवं तिलहन फसल व्यावसायिक फसलों में सबसे महत्तवपूर्ण मानी जाती है। जिसका उत्पादन संभाग में ही नहीं अपितु पूरे मध्यप्रदेश में बडे पैमाने पर किया जाता है। परन्तु फिर भी कुछ समस्याएं है जो कि इन फसलों के उत्पादन बाजार को बाधित करती है। जिसके नतीजे कृषि को प्रभावित करते है। कुछ प्रमुख समस्यायें निम्नानुसार है।

- दलहन एवं तिलहन बाजार से संबंधित सबसे बडी समस्या परिवहन की है। क्योंकि संभाग के सभी जिलों के अंतर्गत अनेक गांव ऐसे है। जिन्हें शहर तक आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पडता है। क्योंकि अधिकतर गांवों से शहर तक आने जाने की परिवहन व्यवस्था ना के बराबर है। क्योंकि किसानों को अपनी फसल के साथ पर्सनल वाहन की सहायता लेनी पडती है। सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- उत्पादन बाजार से संबंधित समस्या में सडकों की समस्या भी अहम है। जिससे की किसानों को गांवों से बाहर आने जाने में काफी दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा परेशानी खराब सडकों के कारण बारीश में उठानी पडती है। क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांवो में कच्ची सडके अधिक होती है। जिसमें की बारीश में कीचड़ अधिक हो जाता है। जिससे की आवागमन बाधित होता है।
- अधिकतर फसलें कटाई के पश्चात मण्डी ले जायी जाती है। जहां पर अनेक भावों के अनुसार बिक्री की जाती है। परन्तु उससे पहले उसे मण्डी के प्लेटफार्म तक ले जाया जाता है। परन्तु अधिकाशं मण्डियों में प्लेटफार्म की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा गाडी खडी करने में भी परेशानी आती है।
- मण्डियों मे दलहन एवं तिलहन की बिक्री में दलालों का हस्तक्षेप रहता है। जिसकी वजह से वहां का प्रबंधन ठीक नहीं रहता है।
- व्यवासायिक फसलों में जब गाडीयों से माल उतारा या चढाया जाता है। तभी कुछ अनाज नीचे गिर जाता है। जिससे की लगभग 15 प्रतिशत फसलों का नुकसान होता है।
- दलहन एवं तिलहन की फसल बिकने के बाद भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। जिससे कृषक को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पडता है।
- उत्पादन बाजार की सबसे प्रमुख समस्या तोलकांटे की है। अधिकाशं जगहों पर तोलकांटे में गडबडी पायी जाती है। जिससें वजन में उतार-चढाव किया जाता है।
- व्यावसायिक फसलों के बिकने से पहले कमेटी द्वारा भाव प्रति क्वींटल तय कर दिये जाते है। उसके बावजूद भी कमेटी द्वारा अधिक भाव पर फसलें खरीदी बिक्री की जाती है।
- उत्पादन बाजार की सबसे प्रमुख समस्या अनियमित मौसम की है। जिसके चलते बारिश व ओला-वृष्टि के कारण समस्या उत्पन्न होती है।
- मौसम के प्रकोप से खराब हुई फसलो का पुरा मुआवजा सरकार द्वारा

*प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत ** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

नहीं चुकाया जाता है। जिससे नई फसल उगाने में दिक्कतो का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते कई कृषकों ने नुकसान न सह पाने की दशा में सन् 2013-14 में आत्महत्या कर ली।

- कृषकों को सरकार द्वारा ऋण की जो राशि प्रदान की जाती है। उसमें से ऋण पास करने के बदले में कर्मचारी व अधिकारियों (बिचोली) द्वारा ऋण की आधी राशि अवैध तरीके से वसूल की जाती है। जिससे की कृषकों को 80 प्रतिशत ही ऋण की राशि प्राप्त हो पाती है।
- किसानों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से रासायनिक खेती कि जाती है। जबकि जैविक खेती अधिक लाभकारी होती है। रासायनिक खेती के कारण फसलो व भुमि के पोषक तत्व धीरे-धीरे कम होते जाते है।
- फसलों की बिक्री चउत्पादन से संबंधित विषयो पर सरकार द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता हैं जबकि इसके लिये सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिये।
- उत्पादन बाजार से संबंधित समस्या लेबर की हैं क्योंकि लेबर काम ठीक से करे इसकि कोई ग्यारंटी नही होती है।
- रासायनिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती जाती है जिससे की उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक होता है।
- अधिकतर जिलो में उपार्जन केन्द्रो की कमी भी बहुत बड़ी समस्या है।
- फसल बीमा भरने के बाद भी रिर्टन नहीं मिलता है। यह भी एक बड़ी समस्या है।

सुझाव -

- नाममात्र ब्याज पर कृषकों को लोन उपलब्ध कराये जाये जिसमें कम से कम औपचारिक दस्तावेज पर ब्याज उपलब्ध कराया जाये। जिलों की मोनिटरिंग जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाये।
- जैविक खेती को प्राथमिकता दी जाये तथा रासायनिक खेती में कमी की जाये।
- पशुपालन पर अधिक बढ़ावा दिया जिससे जैविक खाद उत्पन्न कि जा सके।
- फसल कटने के बाद व्यावसायिक फसलों को उगाया जाये।
- खेती से पूर्व फाउंटेन बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- कृषकों के लिये समर्थन मूल्य बढाया जाये।
- परिवहन के साधनो में वृद्धि कि जाये जिससे की कृषक गाँवो से शहर तक आसानी से पँहुच सके।
- मण्डियो में प्लेटफार्म व पार्किंग कि व्यवस्था में सुधार किया जाये ताकि अनाज रखने, उतारने व बिक्रि में आसानी रहे।
- मध्यप्रदेश में जिलो से जुडी तहसीलो के अंतर्गत कई एसे छोटे गाँव है। जहाँ पर कृषि तो है, परंतु सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिये सड़क व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया चाहिए।
- प्रदेश में कृषि से संबधित खरीदी व बिक्री के लिये उचित प्रबंधन किया जाना चाहिये।
- फसलों की बिक्री के पश्चात भुगतान तुरंत किया जाना चाहिये जिससे की कृषक आगे अनेक खर्चो को वहन कर सके।
- सभी जिलो में इलेक्ट्रिक तोल कांटे का होना अनिवार्य किया जाये।
- सरकार द्वारा सभी ऐसे कार्यो पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो की कृषि व उत्पादन बाजार से संबधित है। तथा इनके प्रति आवश्यक समाधान विभाग द्वारा किये जाने चाहिए जिसका लाभ कृषि , कृषक व विभाग के हक में हो ।

उपसंहार - राजनीतिक दृष्टि से बदली हुई परिस्थितियो में वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी योजनाओं के स्थान पर नवीन स्वरूप में नई योजनाएं प्रारंभ की गई। जिन योजनाओ का उल्लेख मेरे द्वारा इस शोध में प्रस्तुत किया गया है। जिससे की दलहनी एंव तिलहनी फसलों को प्राप्त योगदान व लाभ की स्थिती स्पष्ट होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि दर्शिका, उज्जैन संभाग
2. डॉ.आई.पी.एस. (अहलावत), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नईदिल्ली
3. डॉ. ओमप्रकाश, सस्य विज्ञान विभाग , बड़ोत।
4. डॉ. पी.के.सिंह, मुजफ्फरनगर पब्लिकेशन

Website :

1. www.mpkrishi.org
2. www.indiancrops.co.in
3. www.mpagriculture.org

शोध तालिका –

LAND USE CLASSIFICATION (UNIT HECT.)

District	Geo. Area	Forest	%	Land Not Avaiable For Cultivation				Other Uncultivated Land Excluding Fallow Land				
				Land Put To Not Agri. Use	Banen And Uncutiwble Land	Total	%	Permanent pastures & Other Grazzing Land	Land Under Misc. Tress Crops & Groves	Culturetable Waste Land	Total	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UJJAIN	609.9	3.2	1	58.5	6.0	64.4	10.6	33.5	0.1	7.2	40.8	6.7
MANDSAUR	551.8	40.6	7	74.8	43.9	118.7	21.5	13.8	0.1	17.6	31.5	5.7
NEEMUCH	393.6	94.4	24	45.0	40.4	85.4	21.6	9.4	0.0	18.7	28.1	7.1
RATLAM	486.0	34.3	7	30.7	41.6	72.3	14.9	28.6	0.1	15.2	43.6	9.0
DEWAS	701.3	206.6	29	36.2	10.8	47.0	6.7	52.0	0.0.	3.0	55.0	7.8
SHAJAPUR	618.6	6.2	1	54.8	39.7	94.5	15.3	47.3	0.1	12.6	59.9	9.7
DIVISION	3361.2	385.3	11	300.0	182.1	428.0	14.3	184.5	0.3	74.2	259.1	7.7

LAND USE CLASSIFICATIN (UNIT 000 HECT.)

District	Fallow Land			%	Kharif Sown	Rabi Sown Area	Gross Sown Area	Net Sown Area	%	Area Sown more than once	Gross Cropped Area	Cropping Interest(%)	Net Lmigated Area	% of limigate Area Net limigate Area to Net Area
	Current	Other than Current Follow	Total											
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
UJJAIN	1.0	1.6	2.6	0.4	495.7	391.6	887.2	497.5	81.6	391.6	886.6	178	301.3	61
MANDSAUR	0.9	1.1	2.0	0.4	355.6	237.1	592.7	360.3	65.3	234.1	292.7	165	225.6	63
NEEMUCH	1.0	0.7	1.7	0.4	184.3	109.8	294.1	181.3	46.8	109.8	294.1	160	110.0	60
RATLAM	0.9	1.2	2.1	0.4	307.5	175.8	483.3	333.5	68.5	175.8	483.3	145	133.2	40
DEWAS	0.3	1.1	1.4	0.2	392.3	298.3	690.5	391.3	55.8	298.3	644.7	165	259.2	66
SHAJAPUR	0.4	1.4	1.8	0.3	450.6	319.4	770.0	456.3	73.8	319.4	770.0	169	264.0	58
DIVISION	4.5	7.1	11.6	0.3	2185.9	1531.9	3717.8	2223.1	66.1	1531.9	3671.4	165	1293.1	58.2

निजी बैंकों तथा सार्वजनिक बैंको के मानव संसाधन प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. कमल जैन * प्रो. रीना जैन **

प्रस्तावना – कोई भी संगठन मानव संसाधन के बिना कुछ भी नहीं है। विभिन्न संगठन जो सेवाएँ या वस्तुएँ प्रदान करते है, यह सभी इनको संचालित करने के लिए व्यक्तियों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधनो की तुलना में मानवीय संसाधन अधिक बहुमूल्य है, प्रत्येक संगठन के मानव संसाधन की गुणवत्ता ही उसके भावी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मानव संसाधन प्रबंध मनुष्य की क्रियाओं से संबंधित होने के कारण किसी भी संगठन के धरोहर माने जाते हैं। मानव ही विभिन्न कार्यो को समायोजित कर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत जो संपूर्ण विश्व में महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत देश में विश्व के अन्य देशो की तुलना में सर्वाधिक मानव संसाधन उपलब्ध है जिसके कारण मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए भारत देश सर्वअग्रणी देश के रूप में जाना जाता है ऐसे विशाल भारत देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख रक्त धमनियॉ बैंकों को माना जाता है जो संपूर्ण देश में वित्त का संचालन एवं नियत्रंक के रूप में कार्य करती हैं इनकी सहायता से देश में वित्त व्यवसाय संचालित होता है तथा समस्त साख व्यवस्था संचालित होती है।

आज संपूर्ण विकास मानव संसाधन की ही देन है जो कि मानव संसाधन के मजबूत कंधों पर ही आधारित है मानव संसाधन ही किसी भी व्यवसाय का निर्माण संचालन तथा लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख सहायक होता है। फिर भी ये मानव संसाधन सदैव अपने कार्यो में लीन रहते हैं जितना कुछ मिलता है उसमें संतोष कर लेते हैं यहाँ पर मानव संसाधन का उल्लेख हुआ है जिसके कार्यो की महत्ता को एक प्रसिद्ध कवि की पंक्तियों द्वारा उल्लेखित किया जा सकता है 'मै मजदूर हूँ मुझे देवों की धरती से क्या' जो यह प्रदर्शित करती है कि मानव संसाधन प्रबंध नि:स्वार्थ भाव से मजदूर के रूप में अपना कर्म करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं उन्हें जो कुछ मिलता है वह उसी में खुशी से जीवन यापन करते हैं पर क्या मानव संसाधन नियोजन के स्वामी का दायित्व नहीं बनता है कि जिन कर्मचारियों के बल पर वे इतना लाभ अर्जित करते है तो उन्हें उनका न्यायोचित हित एवं सुविधाएँ दी जाए? उन्हें कार्य करने के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जावे उनके साथ मानवोचित व्यवहार करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि समय पर उन्हें वेतन का भुगतान करना।

मानव संसाधन प्रबंध एक विभागीय उत्तरदायित्व है यह भावना के विकास का आपसी तालमेल सहयोग एवं सहकारी भावना के विकास का प्रयत्न करता है। प्रबंधक यह पता लगाना चाहते है कि कर्मचारी ठीक से कार्य निष्पादन कर रहे हैं या नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आज के कर्मचारियों को कार्य के लिए इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिनकी संगठन को आवश्यकता दस, बीस या तीस वर्षो बाद होगी। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए वर्तमान समय में विभिन्न संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध एवं इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अत: संक्षेप में मानव संसाधन प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य (श्रम) की प्राप्ति, विकास (प्रशिक्षण द्धारा) अभिप्रेरणा, मूल्यांकन व उन्हें बनाये रखने का कार्य किया जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के मानव संसाधन प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य – शोधार्थी के इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निजी बैंक तथा सार्वजनिक बैंक का मानव संसाधन प्रबंध की तुलना करना है ? तथा कर्मचारियों व अधिकारियों के संतुष्टि स्तर को ज्ञात करना है

परिकल्पना – प्रस्तुत शोध पत्र के विषय में शोधार्थी की परिकल्पना इस प्रकार है –

1. निजी बैंक की तुलना में सार्वजनिक बैंक का मानव संसाधन प्रबंध अधिक प्रभावशाली है।
2. निजी बैंको की तुलना में सार्वजनिक बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को संतुष्टि प्रदान करने में अधिक सफल हुए है।

उपरोक्त शोध पत्र की अध्ययन की पुष्ठि हेतु निजी बैंक तथा सार्वजनिक बैंक के 20–20 कर्मचारियों व अधिकारियों से प्रश्नावली के माध्यम से निम्न प्रश्न पूछे गये –

1.बैंक प्रबंध से प्राप्त वित्तीय अभिप्रेरणा से संतुष्टि स्तर

	निजी बैंक		सार्वजनिक बैंक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट	10	50	14	70
पूर्णत: संतुष्ट	02	10	03	15
असंतुष्ट	05	25	02	10
पूर्णत: असंतुष्ट	03	15	01	05
	20	100	20	100

स्त्रोत – प्रश्नावली विधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

2.बैंक में प्रतिदिन कार्य अवधि से संतुष्टि स्तर –

	निजी बैंक		सार्वजनिक बैंक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट	07	35	12	60
पूर्णत: संतुष्ट	03	15	04	20
असंतुष्ट	06	30	03	15
पूर्णत: असंतुष्ट	04	20	01	05
	20	100	20	100

स्त्रोत – प्रश्नावली विधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत ** अतिथि विद्वान माता जीजा बाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

3. बैंक के आंतरिक वातावरण से संतुष्टि स्तर –

	निजी बैंक		सार्वजनिक बैंक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट	09	45	13	65
पूर्णत: संतुष्ट	03	15	04	20
असंतुष्ट	04	20	02	10
पूर्णत: असंतुष्ट	04	20	01	05
	20	100	20	100

स्त्रोत – प्रश्नावली विधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

4. बैंक से प्राप्त वार्षिक अवकाश से संतुष्टी स्तर –

	निजी बैंक		सार्वजनिक बैंक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट	10	50	14	70
पूर्णत: संतुष्ट	02	10	03	15
असंतुष्ट	05	25	01	05
पूर्णत: असंतुष्ट	03	15	02	10
	20	100	20	100

स्त्रोत – प्रश्नावली विधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

5. बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास एवं नियोजन हेतु किये जाने वाले प्रयास –

	निजी बैंक		सार्वजनिक बैंक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कोई प्रयास नही	06	30	01	05
साधारण प्रयास	08	40	06	30
साधारण से अधिक प्रयास	04	20	08	40
विशेष प्रयास	02	10	05	25
	20	100	20	100

स्त्रोत – प्रश्नावली विधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियो से पूछे गये प्रश्नो से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है –

1. निजी बैंक के 60 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक प्रबंधन से प्राप्त वित्तीय अभिप्रेरणा से संतुष्ट हैं जबकि सार्वजनिक बैंक के 85 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक प्रबंधन से प्राप्त वित्तीय अभिप्रेरणा से संतुष्ट हैं। जो कि निजी बैंको की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक हैं।
2. निजी बैंको में प्रतिदिन कार्य अवधि को लेकर 50 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी संतुष्ट वही सार्वजनिक बैंको में प्रतिदिन कार्य अवधि को लेकर 80 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी संतुष्ट हैं। जो कि निजी बैंको की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक हैं।
3. निजी बैंक के 60 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक के आंतरिक वातावरण से संतुष्ट हैं। तथा 40 प्रतिशत कर्मचारी बैंक के आंतरिक वातारण से अंसतुष्ट है। वही सार्वजनिक बैंक के 85 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक के आंतरिक वातावरण से संतुष्ट हैं। तथा 15 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक के आंतरिक वातावरण से अंसतुष्ट हैं।
4. निजी बैंक के 60 प्रतिशत कर्मचारी बैंक से प्राप्त वार्षिक अवकाश से संतुष्ट हैं। वहीं सार्वजनिक बैंको के 85 प्रतिशत कर्मचारी व अधिकारी बैंक से प्राप्त वार्षिक अवकाश से संतुष्ट हैं। जो कि निजी बैंको की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक हैं।
5. निजी बैंक के 20 प्रतिशत कर्मचारियों का मत है कि बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास हेतु साधारण से अधिक प्रयास किये जाते है। जबकि सार्वजनिक बैंक के 40 प्रतिशत कर्मचारियों व अधिकारियों का मत है कि बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास एवं नियोजन हेतु साधारण से अधिक प्रयास किये जाते है।

इस प्रकार उपरोक्त निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि सार्वजनिक बैंक द्वारा निजी बैंक की तुलना मे मानव संसाधन को अधिक संतुष्टि प्रदान की जाती है।

उपसंहार – 'निजी बैंको तथा सार्वजनिक बैंको के मानव संसाधन प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन' विषय के संदर्भ में जब निजी बैंक तथा सार्वजनिक बैंक के कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों से प्रश्न पूछे गये तब यह पाया गया कि सार्वजनिक बैक द्वारा निजी बैंकों की तुलना में कर्मचारियों व अधिकारियों को अधिक संतुष्टि प्रदान कि गई है। प्रत्येक संगठन के मानव संसाधन विकास की गुणवत्ता ही उसके भावी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव संसाधन प्रबंध मनुष्य की क्रियाओं से संबंधित होने के कारण ही किसी भी संगठन की मुख्य धरोहर माने जाते है। मानव संसाधन प्रबंध द्वारा ही विभिन्न कार्यो को समायोजित कर अपने भविष्य का निर्माण किया जाता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मानव संसाधन प्रबंध – डॉ.एसपी.गुप्ता, डॉ एससी.जैन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2010
2. भारतीय बैंकिंग अधिनियम – डॉ.सिन्हा, इन्दुबाला, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2004
3. मानव संसाधान प्रबंध – डॉ.प्रभाकर झा, एसबीपी.आगरा–2004

अन्य –

1. www.sbi.com
2. www.icici.com
3. www.hdfc.nic.com
4. www.boi.com

****

दतिया जिले में रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्व-रोजगार योजना का क्रियान्वयन (वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12)

डॉ. रतन सूर्यवंशी *

प्रस्तावना – स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारा देश जिन प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा है उनमें सर्वाधिक विकट समस्या है- युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। वस्तुत: यह एक ऐसी बहुमुखी समस्या है जिसने अपने साथ-साथ अनेकों अन्य समस्याओं को भी जन्म दिया है। उदाहरणार्थ- आतंकवाद, युवाओं का असामाजिक कार्यों में लिप्त होना, भ्रष्टाचार आदि। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाते रहे हैं क्योंकि विभिन्न शोध कार्यों, विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों तथा कई मंचों पर भी चर्चाओं का एक ही विचार है कि बेरोजगारी की समस्या का हल नौकरी अथवा रोजगार प्रदान करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि न केवल नौकरियों की अपनी सीमाएँ है बल्कि यह दायरा निरन्तर सिकुड़ता जा रहा है, अन्तत: इस समस्या का एक ही हल प्रतीत होता है, वह है स्वरोजगार।

अत: शासन द्वारा बेरोजगारी का महत्तवपूर्ण तथा एक मात्र विकल्प मानकर स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु अनेक योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से शासन द्वारा अनेक विभागों की स्थापना की गई है ताकि जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा सके। सुख-सुविधाओं की दृष्टि से भी यदि देखा जाये तो नौकरी पेशा व्यक्तियों में से 95 प्रतिशत व्यक्ति 35-40 वर्ष नौकरी के उपरान्त भी उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते जो एक व्यवसायी मात्र 5-10 वर्षों में ही प्राप्त कर लेता है। ये न केवल सुख-सुविधाओं के दृष्टिकोण से बल्कि समाज तथा देश के प्रति दिये जाने वाले योगदान के दृष्टिकोण से भी तथा यहाँ तक कि परलोक सुधारने के दृष्टिकोण से भी नौकरी पेशा व्यक्तियों की तुलना में व्यवसायी अथवा स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों का योगदान ज्यादा महत्तवपूर्ण है तथा सही मायनों में यही देश के वास्तविक कर्णधार भी हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार देश के हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,98,000 है जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 91,55,000 है जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,22,33,000 है। इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या देखी जाये तो वह 2,13,88,000 होती है जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 29.46 प्रतिशत है। इस प्रकार जिस प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का हो वहां पर इन वर्गों की आर्थिक उन्नति सम्बन्धी योजनाओं को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इन वर्गो को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शासन द्वारा समुचित कदम नहीं उठाये जायेंगे तो न तो प्रदेश का सन्तुलित विकास हो सकेगा और न ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग ही उन्नत हो पायेंगे। यह भी सच है कि सभी को शासकीय सेवा में जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो सकता। अत: इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 01 अप्रैल, 2003 से रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्व-रोजगार योजना प्रारंभ की गई ताकि इन वर्गों से सम्बन्धित बेरोजगार लोग स्वयं का रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से उन्नत हो सके । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता सुलभ कराने के अतिरिक्त उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, विपणन इत्यादि समस्त सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता।
2. उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुश्रवण करना।

योजना की पात्रता –

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति का हो।
3. उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष हो।
4. किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना की प्राथमिकता – निम्न श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता रहेगी-

1. राज्य शासन का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले।
2. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग की बहुउद्देशीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति तथा
3. इस वर्ग की महिला उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

योजना का संचालन – इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। योजना का संचालन प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर किया जाता है। आवेदक का चयन एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत हितग्राही को परियोजना का 30 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया जाता है।प्रस्तुत शोध पत्र दतिया जिले में रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्व-रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर आधारित है।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.) भारत

अध्ययन का उद्देश्य – जनगणना 2011 के अनुसार दतिया जिले की कुल जनसंख्या का 27 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है और इन वर्गों में बेरोजगारी एवं गरीबी भी कुछ ज्यादा ही है ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन वर्गों हेतु स्वरोजगार स्थापित किये जाने से सम्बन्धित योजनाओं को लागू किया जाना निश्चित ही वरदान है। इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया यह देखना इस अध्ययन का महत्तवपूर्ण भाग होगा।

समंक संकलन – प्रस्तुत शोध पत्र दतिया जिले में रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्व-रोजगार योजना के क्रियान्वयन पर आधारित है। यह द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त समंकों पर आधारित है। उक्त अध्ययन हेतु विभिन्न वित्तीय वर्षों (2007-08 से 2011-12) के समंकों का संकलन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया स्थित कार्यालय एवं लीड बैंक से किया गया है। संकलित समंकों का वर्षवार गहनता से विश्लेषण करते हुए योजना के कार्यान्वयन को ज्ञात करने का भरसक प्रयास किया गया है।

सम्पूर्ण राज्य की भांति दतिया जिले में भी उक्त योजना का क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2003 से किया गया। जिले में योजना के प्रभावशील होने से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। आलोच्य अवधि (2007-08 से 2011-12) के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

तालिका (पीछे देखें)

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दतिया जिले में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 17 निर्धारित किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध 16 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 32.60 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें शासन के द्वारा अनुदान के रूप में 7.86 लाख रूपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया जबकि बैंकों द्वारा 24.74 का वित्त पोषण किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धता का प्रतिशत 94.1 रहा।

तत्पश्चात् वर्ष 2008-09 के लिए इस योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 17 निश्चित किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध 20 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 30.22 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें शासन के द्वारा अनुदान के रूप में 7.12 लाख रूपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया, जबकि बैंकों द्वारा 23.10 लाख रूपये का वित्त पोषण किया गया। इस तरह योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि प्रतिशत 117.6 रहा।

वर्ष 2009-10 के लिए इस योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य 17 तय किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध 28 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 44.36 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें शासन के द्वारा अनुदान के रूप में 11.09 लाख रूपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया, जबकि बैंकों द्वारा 33.27 लाख का वित्त पोषण किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत 164.7 रहा।

तद्उपरांत वर्ष 2010-11 के लिये इस योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य 17 रखा गया। लक्ष्य के विरूद्ध 19 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 35.04 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें शासन के द्वारा अनुदान के रूप में 8.76 लाख रूपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया, जबकि बैंकों द्वारा 26.28 लाख का वित्त पोषण किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत 117.7 रहा।

वर्ष 2011-12 के लिये इस योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य 17 निश्चित किया गया। जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 24 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 49.26 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिसमें शासन द्वारा योगदान के रूप में 14.77 लाख रूपये का वित्तीय प्रबंधन किया गया, जबकि बैंकों द्वारा 34.49 लाख का वित्त पोषण किया गया। इस तरह योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत 141.2 रहा।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक पांचों वर्षों में निर्धारित भौतिक लक्ष्य 85 के विरूद्ध 107 प्रकरण स्वीकृत किये गए इस प्रकार उपलब्धि 125.88 प्रतिशत रही जो कि प्रशंसनीय होने के साथ-साथ योजना के प्रति आकर्षण का द्योतक भी है। आलोच्य अवधि में 107 हितग्राहियों को कुल 1,91,48,000 रूपये सुलभ कराये गये इस प्रकार औसत हितग्राही वित्तीय सहायता 1,78,953 होती है। विशिष्ट तथ्य यह है कि प्रथम वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में उपलब्धि का प्रतिशत 100 से अधिक रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शासन द्वारा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा पर्याप्त रूचि प्रदर्शित किये जाने के कारण उपलब्धि सराहनीय रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्य योजना के क्रियान्वयन से जनजीवन में कई स्तरों पर खुशहाली आयी है और जो लोग लाभान्वित होने से वंचित हैं वे भी पूर्व के हितग्राहियों की आर्थिक उन्नति को देखकर योजना के प्रति आकर्षिक हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास- डॉ. मिलिंद कोठारी, आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स (यूनिट ऑफ रमेश बुक डिपो) जयपुर-नईदिल्ली
2. अस्थाना पी.एन.- भारत में आर्थिक नियोजना, जवाहर पब्लिकेशंस, आगरा
3. श्रीवास्तव ओ.एस. - मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
4. आगे आयें लाभ उठायें- जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन।
5. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया (म.प्र.)
6. लीड बैंक (पंजाब नेशनल बैंक, दतिया)
7. नवीन शोध संसार- जून 2013
8. विविध समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ

तालिका

(Amt. in lac Rs. 000)

स.क्र.	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		शासन द्वारा वित्तीय प्रबंध	बैंकों द्वारा वित्तीय प्रबंध	भौतिक उपलब्धि प्रतिशत ¼%½
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2007-08	17	-	16	3260	786	2474	94.1
2	2008-09	17	-	20	3022	712	2310	117.6
3	2009-10	17	-	28	4436	1109	3327	164.7
4	2010-11	17	-	19	3504	876	2628	117.7
5	2011-12	17	-	24	4926	1477	3449	141.2

रेखाचित्र क्रमांक 1 (अ)

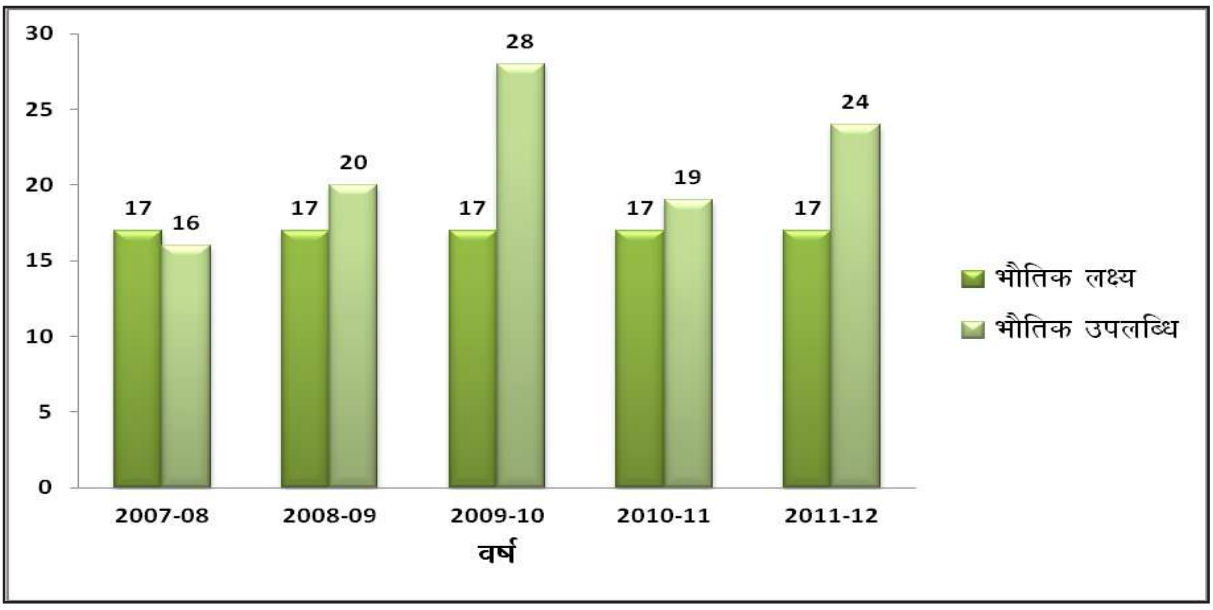

रेखाचित्र 1 (ब)

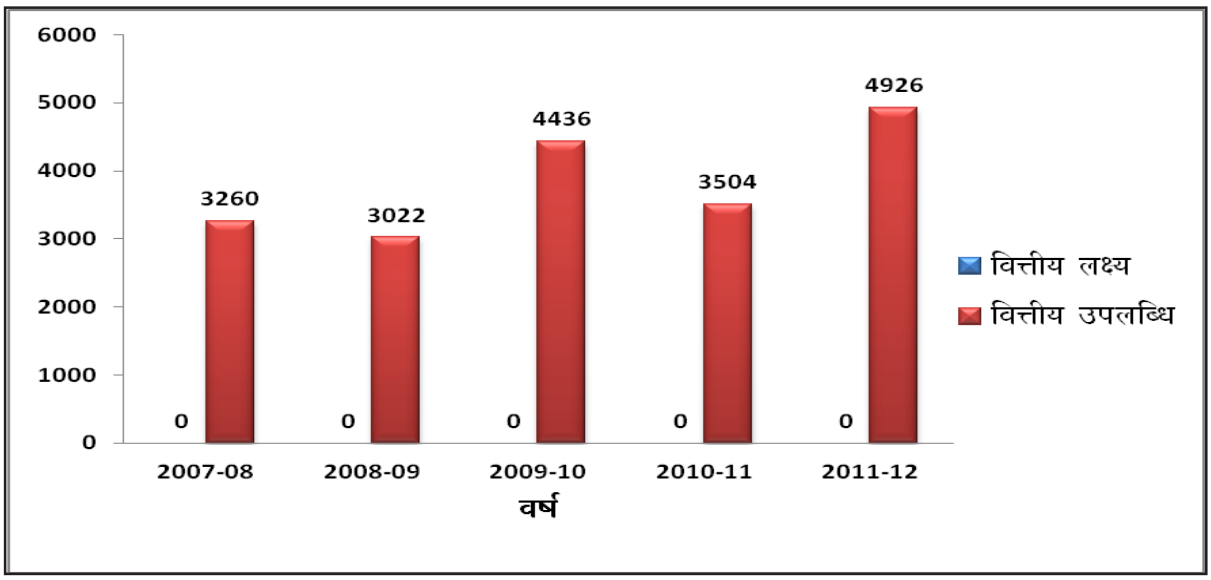

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास में उद्यमिता की भूमिका

डॉ. संजय पण्डित * कु. सोना सांक्ते **

शोध सारांश – महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य है महिलाओ की स्थिती को सुद्ढ़ एवं शक्तिशाली बनाना। वर्तमान समय में हम देख रहे है कि महिलाये उद्योग एवं व्यापार तथा खेलो के क्षेत्र में किर्तिमान स्थापित कर रही है लेकिन सिर्फ उद्योग, व्यापार या खेल में ही महिलाओ की स्थिति सुद्ढ़ नहीं होना चाहिये बल्कि हर क्षेत्र में सरकार, समाज एवं विभिन्न समाजसेवी संगठनो द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि क्षेत्रों में भी उन्हे आगे लाने एवं समाज में सम्मान दिलाने के लिये कई प्रयास किये जा रहे है जैसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिये म.प्र. सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरूआत की गई उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिये आंगनवाड़ी योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सायकल एवं सिलाई मशीने प्रदान की गई साथ ही महिला सशक्तीकरण में बाल विकास की भी अहम् भूमिका रही है इसके माध्यम से कई योजनाओं की शुरूआत की गई जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल विकास सेवा योजना के लिये खाद्य सुरक्षा निर्देश, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, तेजाब हमले व दुष्कर्म पीड़िताओ को तत्काल मुफ्त इलाज आदि योजनाओं के द्वारा वर्तमान में समाज एवं सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुद्ढ़ बनाने का प्रयास निरन्तर जारी है।

जैसा कि हमने देखा की सरकार, समाज एवं विभिन्न समाज सेवी संगठनो द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे है लेकिन वास्तव में एक सत्य यह भी है कि पुरूष वर्ग महिलाओं आगे बढ़ने में सबसे बड़े बाधा है वो ये नहीं चाहता है कि पुरूषो से महिलाए आगे निकले जब तक इस छोटीसोच का अंत नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण समाज में पूर्णरूपेण अपनी जगह नहीं बना पायेगा।

प्रस्तावना – महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य है महिलाओ की स्थिती को सुद्ढ़ एवं शक्तिशाली बनाना। वर्तमान समय में हम देख रहे है कि महिलाये उद्योग एवं व्यापार तथा खेलो के क्षेत्र में किर्तिमान स्थापित कर रही है लेकिन सिर्फ उद्योग, व्यापार या खेल में ही महिलाओ की स्थिति सुद्ढ़ नहीं होना चाहिये बल्कि हर क्षेत्र में सरकार, समाज एवं विभिन्न समाजसेवी संगठनो द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि क्षेत्रों में भी उन्हे आगे लाने एवं समाज में सम्मान दिलाने के लिये कई प्रयास किये जा रहे है जैसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिये म.प्र. सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरूआत की गई उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिये आंगनवाड़ी योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सायकल एवं सिलाई मशीनें प्रदान की गई साथ ही महिला सशक्तीकरण में बाल विकास की भी अहम भूमिका रही है इसके माध्यम से कई योजनाओं की शुरूआत की गई जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल विकास सेवा योजना के लिये खाद्य सुरक्षा निर्देश, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, तेजाब हमले व दुष्कर्म पीड़िताओ को तत्काल मुफ्त इलाज आदि योजनाओं के द्वारा वर्तमान में समाज एवं सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुद्ढ़ बनाने का प्रयास निरन्तर जारी है।

महिला और बाल विकास – 1. **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –** देश की किशोर आबादी को उसकी सेहत के बारे में जागरूक करने के साथ ही उसे कुपोषण से बचाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) की शुरूआत की गई। इसके दायरे में 10 से 19 वर्ष के लड़को एवं लड़कियों को शामिल किया जायेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की आबाजी में 21 प्रतिशत से अधिक का योजना देने वाले 24.3 करोड़ किशोरो की समस्या पर व्यापक रूप से ध्यान दिय जायेगा। किशोरो को उनकी क्षमता का एहसास कराकर उन्हें उनके स्वास्थ्य एवं भलाई संबंधी फैसले लेने में मदद करने के लिये इस कार्यक्रम को शुरू किया गया।

कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दु –

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालित किया जायेगा।
2. देश के 24.3 करोड़ किशोरो (10–19) वर्ष आयु वर्ग को इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त होगा। जिसका लक्ष्य पोषण प्रजनन स्वास्थ्य और उत्पीड़न से बचाव हो।
3. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरो को प्रजनन यौन स्वास्थ्य प्रदान करना है। बाद में इसमें पोषण, हिंसा (लैगिंक हिंसा सहित) गैर संक्रामक रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य इत्यादि को शामिल किया जायेगा।
4. किशोरो में लड़का या लड़की, विवाहित या अविवाहित, अमीर या गरीब स्कूली छात्र / छात्रा या स्कूल छोड़ चुके छात्र / छात्राओं को शामिल किया गया है।
5. इस कार्यक्रम में प्रजनन मातृत्व, नवजात, बाल स्वास्थ्य और किशोर पर विशेष ध्यान दिया गया है।
6. कार्यक्रम को शुरूआत में सरकारी अस्पतालों की मदद से संचालित किया जायेगा। बाद में इस कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ ही सलाहकार समूहों, सोशल मीडिया, अन्य मंत्रालयो एवं सरकारी विभागो की भी भागीदारी ली जायेग।

इस कार्यक्रम में 6 (सी) पर जो दिया गया है–

1. कवरेज (Coverage)
2. कंटेंटे (Content)
3. काउंसलिंग (Counseling)
4. क्लीनिक (Clinics)

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय,मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

5. कन्वर्जेस (Convergence)
6. किशारो में बढ़ते यौन हिंसा के मामलो को रोकने के लिये कार्यक्रम के तहत जागरूकता योजना बनाई जाएगी।

समेकित बाल विकास सेवा योजना – समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरूआत 2 अक्टूम्बर, 1975 को की गई थी। पूरक पोषण, स्वासथ्य जांच, टीकाकरण, रेफरल सेवाओं, प्री–स्कूल औपचारिक शिक्षा एवं पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से कहा विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस योजना की शुरूआत की गई थी। योजना के विशिष्ट उद्देश्य है –

1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चो का उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करना।
3. मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना।
4. उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतो के लिये मा की क्षमता में वृद्धि करना।
5. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी नीति का समन्वय और विभिन्न विभागो के मध्य कार्यान्वयन करना।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम – राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी) के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (Multi Sect oral Nutrition Programme, MSNP) एवं राष्ट्रीय संसाधन प्लेटफॉर्म (National Resource Platform, NRP) की शुरूआत की गई। 12वी पंचवर्षीय योजना अवधि में इसके लिये 1213 करोड़ रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है, जिसमें 75 प्रतिशत अर्थात् 944 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार वहन करेगी। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम 19 राज्यों के 200 जिलो में कार्यान्वित किया जायेगा। उनमें से 100 जिलो में इस कार्यक्रम की शुरूआत वित्त वर्ष में ही हो जायेगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से बालिकाओं के समग्र उत्थान और विकास संबंधी बहुक्षेत्रीय नियोजन, नीतियों और कार्यवाही के लिये रणीनीति बनाने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय अभिसरण लाना और नीतियों में सामान्जस्य स्थापित करना है तथा माताओ और शिशुओं के कुपोषण के मामले में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कार्यवाही करना है। यह देखभाल के लिये निरन्तरता प्रदान करने के साथ ही एक जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा।

पोषण सांसाधन प्लेटफॉर्म एक कम्प्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म होगा, जहां बालिकाओं से संबंधित विभिन्न तरह की अनावश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बालविकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा कार्यान्वित होगा। इस कार्य में खाद्य एवं पोषण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) इस संस्थान की मदद करेंगे। 0–6 आयु वर्ष के बच्चो का लिंगानुपात वर्ष 2001 के 927 से घटकर 2011 में 919 हो गया है। इसका अर्थ हे कि एक दशक में ही लाखो बालिकाऐं अपने जन्म से ही वंचित रह गई। बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने, सही विकास के लिये पोषण के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने और समाज व समुदाय में सुरक्षित व उत्पादक सदस्य के रूप में बालिकाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

वर्तमान युग में महिलाओं की स्थिति कमजोर नही बल्कि सशक्त है। आज महिलाए पुरूषो के कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही है। उद्यमिका विकास मुख्यत: उन लोगो को आगे आने के लिये प्रेरणा प्रदान करता है जो किन्ही कारणो से उद्यमी नही बन सके है। महिला उद्यमियों में भी विशाल प्रतिभायें छिपी होती है, जिन्हे प्रोत्साहित करके विभिन्न उद्योगो में संलग्न किया जा सकता है। कुछ महिलाए आज भी घर के कामो तक ही सीमित है। महिलाओ की क्षमता का विकास कर, परिवर्तित परिदृश्य से, यदि संबंधित व्यवसायों में संलग्न किया जाये, तो वे भी आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त कर सकेगी।

शीर्ष महिला उद्यमी : फार्चून सूची – अमेरिका पत्रिका 'फार्चून' द्वारा अक्टूम्बर 2013 में जारी विश्व की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में चार भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर चारो भारतीय महिलाओं में शीर्ष पर है जबकि अमेरिका के लिये जारी एक पत्रिका सूची में पेप्सिको की अध्यक्ष इंडानुई को दूसरा स्थान दिया गया है। 'फॉर्चून' द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अनुसार चंदा कोचर को चौथी वरीयता दी गई है और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (N.S.E.) की अध्यक्ष चित्रा रामकृष्णा को 17 वे एक्सिस बैंक के शिखा शर्मा को 32 वें एवं एच.एस.बी.सी. बैंक की बैना लाल किदवई को 42 वें स्थान पर रखा गया हैं पिछले साल जारी सूची में चंदा कोचर को पांचवे स्थान पर रखा गया था, जिसमें इस वर्ष एक स्थान की बढ़ौत्तरी हुई एन.एस.ई. की प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को पहली बार इस सूची में जगह दी गई है।

'फॉर्चुन' का कहना है कि चित्रा रामकृष्णा पहली महिला है, जिन्होंने एन.एस.ई. का प्रमुख बचकर इतिहास रच दिया है। ज्ञातव्य हो कि भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एन.एस.ई. का कुल सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण फिलहाल एक लाख करोड़ डॉलर के आसपास है। एन.एस.ई. को दुनिया का सातंवा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इस सूची में शिखा शर्मा इस वर्ष 32 वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल वो 37 वें स्थान पर थी। वही वर्ष 2013 की सूची में नैनालाल किदवई का नाम 42 वें स्थान पर है जबकि वर्ष 2012 की सूची में उन्हे 40 वे स्थान पर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली महिलाओं की इस सूची में ब्राजील की ऊर्जा कंपनी पेट्रोब्रास की सी.ई.ओं. मारिया डी. ग्राकास फोस्टर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। सूची के अनुसार, तुर्की की समूह कंपनी सांबाकी होल्डिग्स की गुलेर सांबाकी विश्व की दुसरी सबसे शक्तिशाली महिला उद्यमी है जबकि आस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक वेस्ट पैक की सी.ई.ओ. गेल केली को दुनिया की तीसरी शक्तिशाली महिला करार दिया गया है।

फॉर्चुन द्वारा अमेरिका की शक्तिशाली महिला उद्यमियों की सूची अलग से प्रकाशित की गई है। इस सूची में आई.बी.एम. की गिन्नी रोमेट्टी को शीर्ष स्थान दिया गया है। पेप्सिको की सी.ई.ओं. इंदिरा नूई इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इंदिरा नूई पिछले साल भी इस सूची में दूसरे स्थान पर थी। 'फॉर्चून' के अनुसार खाद्य और पेय पदार्थो की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी पेप्सिको के शेयरो में इस साल भी भारी उछाल रहा। पत्रिका में कहा गया है कि नूई में सिर्फ सोड़ा पेय का व्यापार करने वाली कंपनी की भागीदारी तेजी से खपत होने वाले अन्य उत्पादो में भी बढ़ाई। पेप्सी वर्तमान समय में 22 अरब डालर का ब्रांड बन चुका है। इस सूची में ड्युपोंट की एलेन कलमन को तीसरा स्थान दिया गया है।

जैसा कि हमने देखा की सरकार, समाज एवं विभिन्न समाज सेवी संगठनो द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे है लेकिन वास्तव में एक सत्य यह भी है कि पुरूष वर्ग महिलाओं आगे बड़ने में सबसे बड़ बाधा है वो ये नही चाहता है कि पुरूषो से महिलाए आगे निकले जब तक इस छोटीसोच का अंत नही होगा तब तक महिला सशक्तिकरण समाज में पूर्णरूपेण अपनी जगह नही बना पायेगा।

संदर्भ ग्रंथ की सूची:–

1. प्रतियोगिता दर्पण,
2. क्रॉनिकल,
3. दैनिक भास्कर,
4. नई दुनिया।

शैक्षिक प्रबंधन में वाणिज्यीकरण का प्रभाव

डॉ. एच. एल. मरावी * डॉ. प्रीति बाला * *

प्रस्तावना – आज युवा पाता है कि उनके निर्माण में अभिभावकों का धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वह उस धन को पिता का व्यय व निवेश मानते हुए पूर्ण उत्साह से उससे कई गुना अर्जन की ओर प्रवृत्त हो जाता है, जिसमें उसे उसका व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण उसे कभी आभास नहीं कराता कि उसकी अपने समाज के प्रति कोई जवाब देही है। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत व्यावसायिकता से पीछे छूटा हुआ प्रतिभाशाली युवा जो साधारण संस्थानों से निकला है या वंचित रह गया हो वह सम्पूर्ण व्यवस्था को कोसते–कोसते मजबूर होकर सामाजिक सरोकारों में अपनी नकारात्मकता को साबित करने लगता है। अब शिक्षा की प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार तो लाना ही होगा। शिक्षा को धंधेबाजों के चंगुल से मुक्त करना ही होगा वरना समाज का युवा जीवन दर्शन के साथ–साथ आदर्शों के अभावों में दिग्भ्रमित होता रहेगा जो समाज के लिए धातक ही होगा।

वर्तमान समय में हमारे समाज में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां उभरी हैं उनमें शिक्षा का व्यवसायीकरण होना प्रमुख घटक के रूप में विद्यमान है ,यह प्रवृत्ति समाज के लिए घातक तो है ही और दुर्भाग्य से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यावसायिकता की इस होड में मूल्य, नैतिकता और जवाबदेही बीते युग की बात हो गयी है जिससे समाज में कुछ प्रश्न उभरकर समाधान की ओर इंगित कर रहे हैं।

1. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल
2. युवाओं का समाज के प्रति कम चिंतित होना।
3. शिक्षा से ज्ञान का गायब होना।
4. शिक्षा शिक्षकों के नहीं अपितु सेठों के हवाले होना।
5. युवाओं से सामाजिक बोध का गायब होना।
6. वृद्धाश्रमों में निरंतर वृद्धि होना।
7. डिग्री है टैलेंट नहीं।

शैक्षिक प्रबंधन में वाणिज्यीकरण – इस समस्या के कई स्तर हैं और सबसे पहले यह निचले स्तर से प्रारंभ होती है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ताविहीन शिक्षा से परेशान अभिभावक अपने पाल्यों को अंग्रेजी माध्यम के मंहगे स्कूलों में प्रवेश दिलाने को विवश हैं, जबकि गरीब वर्ग के अनेक बच्चे धनाभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं अमीर वर्ग के तुलनात्मक रूप से कम प्रतिभाशाली बच्चे पैसे के दम पर अच्छे स्कूलों में प्रवेश पाने में सफल रहते हैं तो यह विसंगति गरीब वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को कुंठित कर देती है।

आजकल सभी क्षेत्रों में निजिकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रोज नये इजिनियरिंग कॉलेज व चिकित्सा महाविद्यालय की नींव रखी जा रही है।इन संस्थानों की भारी भरकम फीस अदा करने की सामर्थ्य समाज के कुछ ही लोगों में होती है। शॉपिंग मॉल की तर्ज पर खुलने वाले शिक्षण संस्थाओं से शिक्षित होकर निकलने वाले युवा किसी तरह समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं हो सकते ,क्योंकि इन्होंने शिक्षा को क्रय किया है और अब ये इसका भरपूर दोहन करने को उद्यत है। उनके निर्माण में समाज का तो कोई योगदान तो है नहीं अपितु सामाजिक मुद्दों पर युवा अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं।

शिक्षा से जुडी प्राथमिकताओं को तय करते समय ध्यान में लाना होगा कि किये जा रहे सार्थक पहल का प्रभाव दीर्धकाल में समाजिक संदर्भ में क्या प्रभाव पडेगा। युवाओं के निर्माण में योगदान करनेवाले लोगों के बारे में सोचने पर आज युवा पाता है कि उनके निर्माण में उसके अभिभावकों का धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तब वह उस धन को पिता का व्यय व निवेश मानते हुए पूर्ण उत्साह से उससे कई गुना अर्जन की ओर प्रवृत्त हो जाता है जिसमें उसे उसका व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण उसे कभी आभास नहीं कराता कि उसकी अपने समाज के प्रति कोई जवाबदेही है।वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत व्यावसायिकता से पीछे छूटा हुआ प्रतिभाशाली युवा जो साधारण संस्थानों से निकला है या वंचित रह गया हो वह सम्पूर्ण व्यवस्था को कोसते–कोसते मजबूर होकर सामाजिक सरोकारों में अपनी नकारात्मकता को साबित करने लगता है।

वर्तमान समय में देश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह भी युवाओं में नैतिक मूल्यों का पतन होने के कारण हो रहा है। क्योंकि वर्तमान बाजारीकरण की शिक्षा व्यवस्था में ऊँची फीस चुकाकर बाद में समाज में अमीर बनने के लिए समाज से वापसी की प्रत्याशा में जुट जाता है, जो जिस स्तर पर होता है उसी स्तर के घोटाले आदि में संलिप्त हो जाता है। परिदृष्य यह हो गया है कि व्यक्ति महिलाओं के बदसलूकी करते समय यह भी भूल जाता है कि उसके घर में भी माँ –बहन हैं। अपने पिता माता को सताते समय उसे यह भान नहीं हो पाता कि आगामी समय में वह भी वृद्ध होगा।

दूसरी ओर औरों को लूटते समय वह यह नहीं देखता कि बेईमानी की कमाई उसे कहाँ ले जाएगी। किसी की मेहनत की कमाई चोरी करते समय वह सोचता है कि उसे कौन पकड़ेगा।

यह सब उसे भान नहीं है क्योंकि उसका नैतिक शिक्षण नहीं हुआ है वह नैतिक रूप से पतित हो चुका होता है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों को विकसित करने की व्यवस्था ही समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है। चारित्रिक विकास का साधन वर्तमान में टी वी ,कम्प्यूटर,मोबाईल व इंटरनेट हो चुके हैं दादा–दादी,नाना–नानी नहीं।

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, हरसूद (म.प्र.) भारत **अतिथी विद्वान (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, हरसूद (म.प्र.) भारत

Table - 1,Progress of Higher Education in India (2012)

	1947	2012—13
Universities	20	659
No. of colleges	591	33023
No. of teachers	77120	816966
No. of students	228881	21800000
No. of women enrolment	—	7048688
G E R	—	17%

Table - 2 Higher Education in India

Type of institutions	No. of Institutions	
	2006	2012
Central universities	20	43
State universities	217	297
Deemed universities	104	130
Institutions of National Importance	13	65
Private Universities	08	100
Total	362	635

वर्तमान की कुछ घटनाएं– निर्भया कांड,भारतीय संसद में मिर्ची कांड, तेलंगाना, असम कांड, उत्तरप्रदेश के विधान सभा में अर्धनग्न कांड, जम्मूविधान सभा का थप्पड कांड, पंजाब का चाँटा कांड, मध्यप्रदेश का व्यापम एवं जन–धन लूट एवं अनेकों घटनाएं हैं जो रोज समाज के सामने दिए गये एवं लिए गये शैक्षिक ज्ञान और उसका अवसाद समाचारों के माध्यम से मिलता है।

युवाओं में ऊर्जा अक्षुण्ण, पराक्रम अजेय, आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है जिनसे युवा सर्वदा संभव बनाने की क्षमता रखता है। इतिहास साक्षी है पूरी दुनिया में युवा पुरातन अवधारणाओं व अवनतिकारी रीतियों को चुनौती देते हुए समाज में नये सकारात्मक बदलाव का संकेत देते रहे हैं। भारत में तो युवाओं का अतीत ही गौरवशाली रहा है।

भूतकाल में देखने से भी मिलता है कि जब जब युवाओं ने किसी समस्या को लेकर आत्मचिंतन प्रारंभ किया है नई चेतना जागृत हुई हैं, कोई न कोई सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ है और परिवर्तन हुआ है। इतना सब जानते हुए सामाजिक विकृतियॉ भी समाज में व्याप्त हो जाती हैं समाज के कार्यों में अपना दायित्व निर्वाह करते करते गलत निर्देशन पर यही युवा विभिन्न मोर्चा तैयार कर लेते हैं। वर्तमान में हम पाते हैं कि समाज के हर उस वर्ग में जो समाज के प्रति जवाबदेह है किसी न किसी मोर्चा के साथ खड़ा है और परिवर्ततनों के साथ सुधारों की बाट जोह रहा है।

भूमंडलीकरण से मानवीय संवेदनाओं का विध्वंश परिलक्षित हुआ है। संयुक्त परिवारों का टूटना एवं पारिवारिक सामाजिक मूल्यों का निर्ममता से विध्वंश हुआ है, जिससे मानवीय मूल्यों में ह्रास हुआ है । पूँजीवाद का बोलबाला का सामाजिक सरोकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

युवाओं का समाज से दूर भागना और युवाशक्ति का स्वयं के विकास के लिए और अपने स्व तुष्टिकरण के लिए समाज का तिरस्कार कर युवा खुद को साबित करने में अग्रणी रहना चाहता है। बिना किसी परिणाम की परवाह किये बिना परिवार से दूर भाग रहा है और समाज में पारिवारिक अंर्तद्वंद्व को जन्म दे रहा है। आज समाज में युवाओं के नकारात्मक स्वरूप का ही ज्यादा प्रचार है वास्तव में युवाओं पर परम्पराभंजक मनमौजी पीढ़ी अवसरवादी आदि होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन आरोप लगाने से पूर्व हमें भूत काल में जाकर उनके पीछे के सामाजिक और राजनीतिक कारणों के साथ समाज में हो रहे बदलावों को जानना होगा तभी हम किसी सार्थक बिन्दु पर पहुँच सकते हैं, जिसके लिए युग की मीमांसा को जानना आवश्यक होगा।

भारत में शिक्षा की प्रबंधकीय व्यवस्था में सुधार तो लाना ही होगा शिक्षा को धंधेबाजों के चंगुल से मुक्त करना ही होगा वरना समाज का युवा जीवन दर्शन के साथ–साथ आदर्शों के अभावों में दिग्भ्रमित होता रहेगा जो समाज के लिए धातक ही होगा।

तीन कारणों पर चिंतन –हमने शिक्षा को सरकारों और दुकानदारों को सौंप दिया है।

अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी – दो तरह की शिक्षा

प्रभाव–

1. शैक्षणिक संस्थाओं में व्यवहार कम सिद्धांतों की पढाई पूरी होती है।
2. अध्यापकों का कोचिंग एवं अन्य गतिविधियों में संलिप्तता।
3. बोर्ड या आयोग के नियमों का पूर्णरूपेण पालन न होना।
4. पाठ्यपुस्तकों का स्थान उत्तरमाला वाली गाईडों का लिया जाना।
5. सरकारी मॉनीटरिंग की कमी।
6. औपचारिक शिक्षा डिग्री दिलाती है, रोजगार देने में असफल रहती है।

वर्तमान शिक्षा में गुरू या अध्यापक शिक्षा का पात्र न होकर वेतन भोगी व्यक्ति रह गया है, अध्यापक की भूमिका गौण हो गयी है विद्यालय महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों के प्रबंध तंत्र की भूमिका प्रधान हो चुकी है। शिक्षा में मानव को योग्य व चरित्रवान बनाने का लक्ष्य पीछे रह गया है उपाधियों व प्रमाणपत्रों का महत्व आगे हो गया है ,पैतृक व पेशेगत योग्यता वाली मूल्यपरक शिक्षा मंहगी हो गयी है जो कि एक उद्योग व्यापार का स्वरूप ले लिया है जिससे आत्मसात किए युवाओं में सेवा भाव का लोप होना व व्यापारिक मनोवृत्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक है। जरूरत है वर्तमान शिक्षा को स्वदेशी ,सार्थक व मूल्य आधारित बनाने की।

छात्रों में धर्म और देश के प्रति समर्पण की भावना निरंतर घट रही है भारतीय शिक्षा पद्धति में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को कोई विशिष्ठ स्थान न दिए जाने के कारण ही वृद्धाआश्रम एवं अनाथलयों की स्थापना करने की आवश्यकता निरंतर पड़ रही है। स्कूल कालेज आज विद्या के मंदिर नहीं अपितु डेटिंग स्पॉट बनते जा रहे हैं।

वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था जॉब ओरिएण्टेड होती जा रही है जिसके चलते युवाओं का रूख सेना के प्रति भी कम हुआ है मानना है कि सेना की नौकरी में वेतन कम मिलता है ऐसे में युवा आकर्षक वेतन और सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देने लगता है। जिससे ऐसी शिक्षा से सामाजिक एवं नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के लिए अधिक स्थान नहीं रह गया है।परिणाम यह हुआ कि सेना से जज्बायुक्त व काबिल युवा विमुख होता जा रहा है। आम धारणा है कि डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते इसीलिए गांवों में मेडिकल सुविधाओं का अभाव है एक रिपोर्ट के अनुसार आज देश भर के गांवों के अस्पतालों में 75 प्रतिशत डाक्टरों की कमी है।

स्वकेंद्रित न बने शिक्षा–रोजगार केंद्रित शिक्षा केरियर बनाने में तो सहायक साबित हो सकती हैं किन्तु उससे देश के युवाओं में राष्ट्रभाव का लोप हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के देश भक्ति पूर्ण शिक्षा की आशा पूरी नहीं हो पा रही है। युवा आज रोजगार केद्रित शिक्षा हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और यह ऊर्जा यदि राष्ट्र निर्माण में लगाया जावे तो देश नैतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगा। स्वकेंद्रित शिक्षा से

नौकर तो पैदा किए जा सकते हैं किन्तु स्वतंत्र विचारों के नौजवान तैयार नहीं किए जा सकते जो राष्ट्र कल्याण में भागीदारी अभिनिश्चित कर सकें।

युवा सोच सिमटकर अंग्रेजी विषय के अध्ययन की अनिवार्यता पर जा पहुँची है जिसमें अच्छी आय वाली नौकरी की लालसा बनी रहे ताकि वे अपने परिवार का भरण –पोषण कर सकें इसी प्रत्याशा में समाज के प्रति दायित्व व देशप्रेम से विलग होकर विदेशों में अपनी सेवाएँ देने लगे हैं। कुछ मामलों में यह बात सामने आई है कि कई युवा परिवार के वृद्ध जनों को वृद्धआश्रमों में पहुँचाकर सरकार के सहारे छोड जाते हैं।

शैक्षणिक मानक तय करना आवश्यक– शैक्षणिक मानकों का सही तरीके से आकलन किया जा सके कि जो शिक्षा दी जा रही है वह वास्तविक जीवन में कितना कारगर साबित हो रही है। शिक्षा में सुधार तब संभव है जब शिक्षक को पता होगा कि शिक्षा के माध्यम से काम को मूर्त रूप देना है। विद्यार्थियों को होने वाले लाभ या ज्ञानार्जन की समीक्षा आवश्यक है।

सुधार के लिए सरकारी तंत्र में भी सुधार आवश्यक है केवल बड़े संस्थान अथवा बडी इमारतों वाली स्कूल कॉलेज बना लेने से देश में शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं ला सकते। आवश्यक है शिक्षा के मापदण्डों को जमीनी स्तर से सुधार के लिए प्रयोग में लाया जाए।नैतिकता की नीव स्कूली शिक्षा से मजबूत की जाए, शिक्षा व प्रशिक्षण को अलग– अलग क्रम में पूरा किया जाना चाहिए,केवल किताबी ज्ञान बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है ,जिसके लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार हो जो व्यक्ति के मूल जीवन से जुडी हो।

विश्व शिक्षा रिपोर्ट– भारत में 29 करोड निरक्षर हैं, दुनिया के कुल निरक्षरता में भारत का प्रतिशत 37 है।

यह तो परिवर्तन का क्रम है, प्रतिभाएं गढते जाएं।
युवा शक्ति की नूतन गाथा ,अब हम सब पढते जाएं।।
बिखरी युवा शक्ति को जोडें नव प्रकाश फैलाएं।
दिनकर से तेजस्वी बनकर ध्वज ज्ञान का लहराएं।।

निष्कर्ष– समाज के सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तित्व को इस ढॉचे में डाले जिससे सद्भावनाएं पनपे और विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बना रहे। यह नैतिकता ही व्यक्ति और समाज की सुख शांति को सुरक्षित रखती है और प्रगति के द्वार खोलती है।

जब तक नीति निष्ठा के प्रति आस्था दुर्बल रहेगी तब तक विग्रह पनपते और संकट उमड़ते रहेंगे। यह सब तब संभव है जब पूर्ण जवाबदेही के साथ शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न तंत्र संकल्पित होकर बेहतर दूरगामी सर्वस्वे परिणामी शिक्षा,ज्ञान कौशल का विकास कर समाज को दे सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रामस्वरूप खरे अखण्ड ज्योति अगस्त, 2010 पृष्ठ 66
2. नईदुनिया, राज एक्सप्रेस,दैनिक समाचार पत्र
3. विश्व शिक्षा रिपोर्ट–2013
4. नासकॉम सर्वे रिपोर्ट 2012

****

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम : एक अध्ययन

डॉ. सतीश माहेश्वरी * किशोर मोरे * *

प्रस्तावना – देश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) वृद्धों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को वर्ष 1995–96 के केन्द्रीय बजट में शामिल कर शुरु किया गया है। योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एनएसएस 66वें चक्र के आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंडुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009–10 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं का अनुमान जारी कर बताया है, कि अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 672.8 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 859.6 रु. मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रुप में अनुमानित है। तेंडुलकर पद्धति के अनुसार वर्ष 2009–10 के अनुमानों पर आधारित देश में कुल 354.7 लाख गरीबों की संख्या है, जिसमें ग्रामीण गरीबों की संख्या 278.2 लाख है, जो 33.8% के बराबर है, जबकि शहरी गरीबों की संख्या 76.5 लाख है जो 20.9% के बराबर है। इस प्रकार देश में कुल औसतन 29.8% के बराबर गरीबों की संख्या है। अत: इन गरीबों की सहायतार्थ म.प्र. राज्य में भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाएँ प्रदान की जाती है, वहीं केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाये जाते है। **प्रदेश में संचालित विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रम –** सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग की है। विभाग द्वारा मुख्यत: निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती है– 1. नि:शक्त कल्याण, 2. सुधारात्मक सेवाएँ, 3. सामाजिक सहायता, 4. अन्य कार्यक्रम। इनके अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएँ यथा–सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना, मानसिक/बहु विकलांग नि:शक्तों को सहायता अनुदान योजना, निशक्तजनों का परीक्षण शिविर, परिचय पत्र एवं कृत्रिम अंग सहायता उपकरण वितरण योजना, म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना, वृद्धों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध आश्रम का संचालन, नशामुक्ति कार्यक्रम आदि प्रमुख योजनाएँ है तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की योजनाओं के लाभ पाने हेतु पात्रता का मानदंड – भारत सरकार ने अपने निर्धारित मानदंड के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग पात्रताऐं तय की है, IGNOAPS के लिए 60 वर्ष अथवा उनसे अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को पेंशन राशि 200/– और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले को 500/– प्रतिमाह 1.4.2011 से दिया जाता है। इसी प्रकार IGNWPS 40–79 वर्ष की उम्र वाली विधवाओं को 300/– प्रतिमाह पेंशन दि जाती है, IGNOAPS के माध्यम से 18–79 वर्ष की आयु के गंभीर एवं विविध अपंगता वाले व्यक्तियों को 300/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है और NFBS के तहत 18–59 वर्ष के परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री के लिए 18.10.2012 के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 20000/– रुपये दिये जाते है, जबकि स्वाभाविक मृत्यु के मामले में शोक संतप्त परिवार को 5000/– दिये जाते है। वर्ष 2011–12 में राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल राशि 53973.36 लाख रुपये रिलीज हुए, जिसमें से कुल 42857.02 लाख रुपये का व्यय किया गया है, जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान 37103.02 लाख रुपये सरकार के द्वारा रिलीज किये गए और कुल 46397.22 लाख रुपये का व्यय किया गया, जो पिछले वर्ष के दौरान शेष रिलीज के भाग से इस वर्ष व्यय किये गये है।

प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं विश्लेषण – भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति एवं निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों को अपने साधनों से अनेक कल्याणकारी उपाय करने हेतु आदेशित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार ही राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था तथा नि:शक्तता एवं अपंगता के मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ इन्हीं सिद्धांतों के अनुरुप 15 अगस्त 1995 को वर्ष 1995–1996 के केन्द्रीय बजट में वृद्धों एवं बीपीएल परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु एवं प्रसूति के संबंध में सामाजिक सहायता का लाभ पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अग्रलिखित योजनाएँ शुरु की गई है जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (NMBS), वर्ष 2001–02 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित कर NMBS को जननी सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है। 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना नामक एक नयी योजना शामिल की गई, जिसका उद्देश्य

* प्रध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत * * शोधार्थी, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जो NOAPS में शामिल नहीं किये गये, को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना था। इस योजना के अंतर्गत पात्रों को प्रतिमाह 10 किग्रा. खाद्यान्न मुफ्त किया जाता है। फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) नामक दो और नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। NSAP और अन्नपूर्णा योजना के लिए निधियाँ योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है और ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश पर NSAP के अंतर्गत सभी योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से रिलीज की जाती है। मध्यप्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य रुप से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की मध्यप्रदेश में मुख्यत: चार योजनाएँ संचालित की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में लाभार्थियों की योजनावार संस्था का विवरण अग्र सारणी में दिया जा रहा है।

वर्ष	मध्य प्रदेश में NSAP से लाभार्थियों की संख्या			
	IGNOAPS	IGNWPS	IGNDPS	NFBS
2010-11 (दिस. तक)	10,61,033	2,30,317	1,19,898	24,743
2011-12	12,81,512	3,54,652	1,48,956	36,648
2012-13	14,76,300	3,64,818	1,54,937	37,988

उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2010-11 दिसम्बर तक के आंकड़ों के अनुसार IGNOAPS में लाभार्थियों की संख्या 1061033 थी जो 2011-12 में 1281512 हो गई और 2012-13 के पुन: बढ़कर 1476300 व्यक्ति हो गई है। IGNWPS के लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2010-11 (दिसम्बर 10 तक) 230317 व्यक्ति थी जो 2011-12 में 354652 हो गई तथा वर्ष 2012-13 में फिर वृद्धि होकर 364818 व्यक्ति हो गई है। IGNOAPS में लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2010-11 (दिसम्बर 10 तक) 119898 थी जो बढ़कर 2011-12 में 148956 व्यक्ति हो गई और पुन: वर्ष 2012-13 में वृद्धि के साथ 154937 व्यक्ति हो गई है। इसी प्रकार NFBS में लाभार्थियों की संख्या 24743 व्यक्ति वर्ष 2010-11 तक थी, अगले वर्ष बढ़कर 36648 व्यक्ति हो गई जो पुन: वर्ष 2012-13 में बढ़कर 37988 व्यक्ति हो गई है। इस प्रकार उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक योजनाओं में लागतार वृद्धि होती रही है।

निष्कर्ष - अत: कहा जा सकता है कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए राज्य शासन की विभिन्न योजनाएँ संचालित हो रही है। केन्द्रीय योजनाएँ की गरीबों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से संचालित की जा रही है और गरीबों एवं नि:शक्तों की आर्थिक सहायता प्रदान कर सामाजिक कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाये तो निरंतर इन योजनाओं का लाभ पाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011-12 में जहाँ पर इन योजनाओं पर कुल व्यय 42,857.02 लाख रुपये व्यय किये गए है, जबकि वर्ष 2012-13 में कुल व्यय का आंकड़ा 46397.22 लाख रुपये का व्यय किया गया है, जो लगभग सवा आठ प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राज्य संचालित विभिन्न योजनाएँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए लाभप्रद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गरीबों तथा बेरोजगारी उन्मूलन में बैंक की भूमिका - बंसत मेहता
2. सामाजिक शोध व सांख्यिकी - डॉ. परमेश्वर शर्मा, पैसिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली
3. www.finmin.nic.in
4. www.rural.nic.in
5. www.nsap.nic.in
6. www.planningcommission.nic.in
7. www.wikipedia.com

****

भारतीय बैंकिंग की स्थापना एवं विकास : एक अध्ययन

डॉ.सतीश माहेश्वरी * मदनमोहन विश्वकर्मा **

प्रस्तावना –पहला आधुनिक बैंक इटली के जेनोवा में 1406 में स्थापित किया गया था, इसका नाम बैंकों दि सैन जिओर्जिओ (सेंट जार्ज बैंक) था। ईसा से दो हजार वर्ष पहले भी राशि उधार लेने देने की प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार देने का पर्याप्त संकेत मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीनकाल में साहूकारी का नियम था परंतु ब्याज की दर और राशि वसूल करने के नियम आज जैसे न थे। मध्य एशिया में हुंडी का प्रयोग 12वीं शताब्दी के आसपास होने लगा जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की आवश्यकता हुई। मुगल सम्राटों ने धनी महाजनों और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार सौंपे; उन्हें जगह-जगह पर कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हीं महाजनों से राशि उधार लेते थे; जिस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता था। इसप्रकार महाजन एवं साहूकार ही बैंकिंग का कार्य करते थे। आधुनिक बैंकों के विकास को समझने के लिए हमे निम्नलिखित चरणों का अध्ययन करना होगा।

प्रथम चरण (वर्ष 1806 तक) –ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में बैंकिंग प्रणाली का अधिक विकास नहीं हुआ था। बैंकिंग कार्य प्राय: महाजनों एवं साहूकारों के द्वारा संपन्न किया जाता था परंतु ब्रिटिश शासन काल में महाजनों एवं साहूकारों के व्यवसाय में बहुत कमी हो गयी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ये लोग अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। इनके स्थान पर धीरे-धीरे आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ एजेन्सी गृहों की स्थापना की; जो आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य करते थे। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित एवं विदेशी पूंजी के सहयोग से सन् 1770 में भारत का प्रथम बैंक 'बैंक ऑफ हिन्दुतान' के नाम से कलकत्ता में स्थापित किया गया किन्तु यह असफल रहा ।

द्वितीय चरण (वर्ष 1806 से 1860 तक) – एजेन्सी गृहों के पतन के बाद तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) तथा बैंक ऑफ मद्रास (1843) की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों में निजी अंशधारियों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) का हिस्सा था। जिसमें सरकार का भी नाममात्र हिस्सा था। अत: सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियन्त्रण रखती थी।

तृतीय चरण (वर्ष 1860 से 1913 तक) – सन् 1860 के बैंकिंग कानून तथा स्वदेशी आंदोलन के कारण सन् 1860 से 1913 के बीच विभिन्न मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की स्थापना हुई। इस काल में इलाहाबाद बैंक (1865), एलायन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉमर्शियल बैंक-1881 (सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक), पंजाब नेशनल बैंक-1894 (पूर्णरुप से देश का पहला भारतीय बैंक), एवं पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901) की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के बाद बैंकिंग का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इस अवधि में देश के तात्कालीन चार बड़े बैंकों- बैंक ऑफ इण्डिया (1906), बैंक ऑफ बड़ौदा (1908), सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई एवं अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

चतुर्थ चरण (वर्ष 1913 से 1939 तक) – यह काल भारत में बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के प्रारम्भ होने के साथ ही भारतीय बैंकिंग की तीव्र वृद्धि का क्रम अवरूद्ध हो गया। वर्ष 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गए। सन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई और वर्ष 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों (बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास) को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना करना था।

अत: 1934 में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट' पारित कर 1 अप्रैल 1935 को 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' (आरबीआई) ने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया।

पंचम चरण (वर्ष 1939 से 1946 तक) – उपरोक्त अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई, फलत: सभी बैंकों के निक्षेप बढ़ गए। युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई-नई शाखाओं की स्थापना की तथा कई नये बैंकों को भी स्थापित किया गया।

षष्टम चरण (वर्ष 1947 से अब तक) – अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त नही थी; परंतु 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के साथ इसे अधिक शाक्तिशाली बनाया गया। साथ ही मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने हेतू भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। जिससे देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखा जा सके तथा आरबीआई एक केन्द्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कुशलता पूर्वक कर सके। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं

* प्रध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत * * शोधार्थी, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

का विकास करने के लिए 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसक नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान व ग्रामीण क्षेत्रो में साख के प्रसार के वृहत सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में सन् 1968 में व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया व जुलाई 1969 एवं अप्रैल 1980 मे क्रमश: देश के 14 व 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि क्रमश: रू. 50 करोड़ व रू. 280 करोड से भी अधिक थी। 4 सितम्बर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंको की संख्या 20 से घटकर 19 रह गई। सन् 1995 में इलेक्टॉनिक फण्ड ट्रांसफर और अन्य इलेक्टॉनिक भुगतान के प्रस्ताव की समिति गठित की गई और 2005 मे आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक का दर्जा दिया गया। 2010 मे चैक क्लियरिंग में तीव्रता हेतु सीटीएस-2010 मानक चैक लागू किया गया व भारतीय रु. के लिए प्रतिक चिन्ह को स्वीकार किया गया। रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों मे वृद्धि के लिए बैंकिंग (संशोधन) अधिनियम, 2011 को संसद के दोनों सदनों मे दिसंबर 2012 मे पारित किया गया। इससे नये बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बैंकों मे पूँजी पर्याप्तता के संबंध मे बेसल-III मानक लागू करने के दिशा निर्देश रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये है। इन मानको को 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2018 तक पूर्णत: लागू करना है। इसप्रकार भारतीय बैंकिंग ने महाजनों एवं साहूकारों के युग से वर्तमान बैंकिंग प्रधान युग मे प्रवेश किया है।

भारत में कार्यरत बैंकों को मोटे तौर पर निम्न तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है।

1. नियामक प्रकार के बैंक
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
3. निजी क्षेत्र के बैंक। इन तीनों श्रेणियों के बैंकों की नामवार सूची इस प्रकार है।

नियामक प्रकार के बैंक- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामिण विकास बैंक, नेषनल हाउसिंग बैंक, आंध्र बैंक, आईडीबीआई बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, इलाहबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - बैंक ऑफ महाराष्ट, भारतीय महिला बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, एवं सिंडिकेट बैंक।

निजी क्षेत्र के बैंक - एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, नैनीताल बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, लक्ष्मीविलास बैंक, रत्नाकार बैंक, सिटी यूनियन बैंक एवं साउथ इण्डियन बैंक।

निष्कर्ष - विगत तीन दशको में भारतीय बैंकिंग परिदृष्य मे इतने व्यापक, कल्पनातीत और दूरगामी परिवर्तन हुए है कि उन्हें नवप्रवर्तन की संज्ञा दी जाने लगी है। निष्कर्षत: भारतीय बैंकिंग के विकास की यात्रा की शुरूआत तो ब्रिटिशकाल से हुई थी परन्तु इसके विस्तार का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण हुआ। आजादी के बाद तो बैंकिंग क्षैत्र मे सूचना प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट के आगमन से आधुनिक बैंकिंग के कई नये आयाम शुरू हो गये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इण्डियन बैंकिंग सिस्टम-आई. वी. त्रिवेदी,
2. बैंकिंग के सिद्धांत-उअखखइ इण्डियन इंस्टिट्युट ऑफ बैंकिंग एण्ड फॉइनेन्स,
3. बैंक: सामान्य प्रबंधन-उअखखइ इण्डियन इंस्टिट्युट ऑफ बैंकिंग एण्ड फॉइनेन्स, एवं
4. डॉ एच.आर. स्वामी - बैंकिंग एवं वित्ता
5. wwww.rbi.org.in.
6. en.wikipedia.org/wiki/History_of_banking.

****

इंदिरा आवास योजना की प्रगति एवं नवप्रर्वतन : एक अध्ययन

डॉ. सतीश माहेश्वरी * मदनमोहन विश्वकर्मा * *

प्रस्तावना – पूरे विश्व में, नागरिकों के आवास की चाहत को एक बुनियादी मानव आवश्यकता माना जाता है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है। एक मानव अधिकार के रूप में उपयुक्त आवास के अधिकार का निर्वचन किया जाता है क्योंकि यह सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से संबद्ध है। आवास किसी भी नागरिक की मूल आवश्यकता है जो मानव जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपना घर होने पर आश्रयविहीन व्यक्ति को एक अनिवार्य परिसंपत्ति मिल जाती है तथा इससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इसलिए ग्रामीण आवास की आवश्यकता को पूरा करना और विशेषकर सबसे अधिक गरीब के लिए आवास की कमी की समस्या को हल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है।

योजना का प्रारंभ एवं इतिहास – इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का निर्माण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसकी शुरूआत 1980 के दशक के आरंभ में हुई थी, के लिए किया गया था। मकान का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), जो वर्ष 1980 में आरंभ हुआ था, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) जो वर्ष 1983 में शुरू हुआ था, के अंतर्गत प्रमुख क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप था। तथापि, राज्यों में ग्रामीण आवास के लिए एक समान नीति नहीं थी। उदाहरणस्वरूप, कुछ राज्यों ने एनआरईपी/आरएलईजीपी निधियों से पूर्ति की जाने वाली निर्माण लागत के केवल कुछ हिस्से की अनुमति दी एवं शेष राशि की पूर्ति लाभार्थियों द्वारा अपनी बचत में से अथवा प्राप्त ऋण से की जानी होती थी। दूसरी ओर, अन्य राज्यों ने एनआरईपी/आरएलईजीपी निधियों से वहन किए जाने वाले संपूर्ण व्यय की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, जहां कुछ राज्यों ने केवल नए मकान बनाने की अनुमति दी तो कुछ अन्य राज्यों ने लाभार्थियों के मौजूदा मकानों के नवीकरण की अनुमति दी। जून, 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, आरएलईजीपी निधियों का एक हिस्सा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और मुक्त कराए गए बंधुवा मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए निर्धारित की गई थी। फलस्वरूप, वर्ष 1985-86 के दौरान आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इसके बाद इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), जो अप्रैल, 1989 में शुरू हुई, की उप-योजना के रूप में जारी रही। कुल जेआरवाई निधियों का 6 प्रतिशत हिस्सा आईएवाई के कार्यान्वयन के लिए आवंटित किया गया था। वर्ष 1993-94 से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को कवर करने के लिए आईएवाई के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। साथ ही, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के आवंटन को राष्ट्रीय स्तर पर जेआरवाई के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधन के 6 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया बशर्ते गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबों को मिलने वाला लाभ कुल जेआरवाई आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 01 जनवरी, 1996 से आईएवाई को जेआरवाई से अलग कर दिया गया और इसे एक अलग योजना बना दिया गया। दिनांक 1.4.2010 से आईएवाई के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र में 45000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48500 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार ने आईएवाई के तहत इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों के लिए 45000 रुपए से 70000 रू. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों (आईएपी जिलों को मिलाकर) के लिए 45000 रुपए से 75000 रू. तक बढ़ाने का फैसला किया है। इकाई सहायता में वृद्धि 1.4.2013 से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, आईएवाई लाभार्थी 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से प्रति मकान 20,000 रुपए तक ऋण ले सकता है। साथ ही, कच्चे मकान के उन्नयन के लिए भी आईएवाई निधियों का उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए प्रति मकान 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। आईएवाई के वित्त पोषण में राज्यों और केन्द्र के बीच हिस्सेदारी क्रमश: 75:25 के अनुपात में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में, वित्त पोषण में 90:10 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, आईएवाई की संपूर्ण निधियां केन्द्र द्वारा दी जाती है। वर्ष 2013-14 के 1.4.2013 से सरकार ने आईएवाई योजना के संबंध में राज्य सरकारों को प्रशासनिक व्यय के लिए 4 प्रतिशत निधियों की मंजूरी दी है।

योजना की मुख्य विशेषताएं –

1. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आईएवाई निधियां आबंटित करने से संबंधित मानदंड में आवास की कमी को 75 प्रतिशत तथा गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है। जिलों में आबंटन आवासीय कमी को 75 प्रतिशत तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति को 25 प्रतिशत वेटेज के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, आईएवाई आबंटन का 60 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति के परिवारों को, 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों को और 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचाने के लिए है। साथ ही, आईएवाई मकानों को अनिवार्यत: महिलाओं के नाम पर आंबटित करने की अपेक्षा की जाती है।
2. राज्य-वर वार्षिक आबंटन (राज्य अंश सहित) के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर 5 प्रतिशत केंद्रीय आबंटन का उपयोग प्राकृतिक

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत * * शोधार्थी, स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिकताओं तथा दंगा, आगजनी, आग, पुनर्वास आदि जैसी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। राज्य के किसी हिस्से में आपदा होने पर आईएवाई के इस घटक के अंतर्गत निधियां प्रत्येक जिले के लिए सामान्य आबंटन के 50 प्रतिशत की सीमा के तहत उन जिलों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें पुन: राज्य आबंटन के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा जाता है।

3. ग्राम सभा पात्र बीपीएल परिवारों की सूची/स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची जहां कहीं भी यह बनाई गई है, से लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
4. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम पंचायत-वार स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची बनानी होती है। इन सूचियों में उन पात्र बीपीएल परिवारों का नाम रहता है जिन्हें बीपीएल सूची 2002 के आधार पर उनकी निर्धनता स्थिति के क्रम में आईएवाई मकान की आवश्यकता है।
5. आईएवाई मकान का निर्माण लाभार्थियों की पूर्ण जिम्मेदारी है। ठेकेदारों को कार्य में लगाने की अनुमति नहीं है और आईएवाई मकान के लिए कोई विशेष डिजाइन निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, स्वच्छता शौचालय और धूआंरहित चूल्हा प्रत्येक आईएवाई मकान के साथ बनाना होता है। स्वच्छता शौचालय बनाने के लिए लाभार्थी मौजूदा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) से सहायता ले सकते हैं। मंत्रीमंडल की 10.1.2013 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इंदिरा आवास योजना लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिए 9000 रु. की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी तथा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना की प्रगति एवं नवप्रर्वतन –आईएवाई में किए गए नव प्रर्वतन निम्नानुसार हैं–

आवास सॉफ्ट – कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने प्रभावी एवं समयबद्ध निगरानी के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के संबंध में पूर्ण एवं व्यापक आँकड़े प्राप्त करने के लिए जुलाई, 2010 में एमआईएस, आवास सॉफ्ट वेबसाइट को शुरू किया है। यह ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए स्थानीय भाषा समर्पित कार्य संचालन आधारित कार्य स्तरीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह प्रणाली योजना के लाभार्थी सहित आईएवाई के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए बनाई गई है। वेबपोर्टल के जरिए निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है: 1 आंकड़ा प्रविष्टि की स्थिति। 2. आईएवाई मकानों की लाभार्थी-वार सूची। 3. स्वीकृत और पूरा होने के लिए लंबित मकानों की कुल संख्या। 4. निधि की कुल उपलब्धता की तुलना में व्यय । 5. विभिन्न निर्माण स्तरों पर आईएवाई मकानों की फोटो लगाना। 6. कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति। 7. कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति।

ज्ञान नेटवर्क – व्यवसायिक, संस्थाओं और ग्रामीण आवास के लिए सस्ता एवं स्थायी समाधान से संबंधित प्रक्रियाओं की एक व्यापक राष्ट्र स्तरीय निर्देशिका संकलित करने और ग्रामीण आवास की उत्तम प्रक्रियाओं और मामला अध्ययनों को प्रदर्शित करने वाले वेब आधारित बहु-भाषी ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से विजन योजना में ज्ञान नेटवर्क बनाने की संकल्पना की गई है। ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ग्रामीण आवास एवं पर्यावास के लिए उपयुक्त, स्थानीय, पर्यावरण अनुकूल, किफायती एवं आपदा-रोधी प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं निर्माण सामग्री बनाने, प्रोत्साहित करने एवं इसके उपयोग को अंतरित करने में सहायता करना है। यह पोर्टल जुलाई, 2012 में शुरू किया गया। यह वेबसाइट www.ruralhousingnetwork.in पर उपलब्ध है।

संसाधन केन्द्र – ग्रामीण आवास पर्यावास के लिए तकनीकी, वित्तीय एवं अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधान केन्द्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है। यह अपने आरंभिक चरण में है। संसाधन केन्द्र में कम से कम 5 परामर्शदाताओं/पेशेवरों का एक दल होगा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए ग्रामीण आवास क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता वाला कार्यान्वयन सहायता दल के रूप में कार्य करेंगे। संसाधन केन्द्र में परामर्शदाता निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराएंगे –

1. ग्रामीण आवास संबंधी योजनाओं के लिए कार्यान्वयन सहायता उपलब्ध कराना।
2. योजना को सहायता देने के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण आवास के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई मौजूदा प्रक्रिया विधियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।
4. आवास संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित नीति स्तरीय सहायता के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराना।
5. समय-समय पर सूचित किए जाने वाले विभिन्न मामलों के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को अनुसंधान एवं विश्लेषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराना।
6. सेवाओं की प्राप्ति में सहायता करना।
7. उत्तम प्रक्रियाओं के संबंध में अभिनव विचार एवं जानकारी उपलब्ध कराना।

योजना की प्रगति – देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों की संख्या कम करने के लिए हाल के वर्षों में योजना के दायरे को काफी बढ़ाया गया है। ग्रामी आवास के लिए बजट परिव्यय को 12.94 लाख आवासों के वास्तविक लक्ष्य के लिए वर्ष 2001-02 में 1991 करोड़ रु. से वर्ष 2012-13 में 30.10 लाख आवास निर्माण हेतु 11,075 करोड़ रु. कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति आवास (इकाई) लागत 45,000 रु. से 70,000 रु. तथा पहाड़ी क्षेत्रों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों के लिए 48,500 रु. से 75,000 रु. की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जो 01.04.2013 से प्रभावी है। वर्ष 2006-07 से, अल्पसंख्यकों के लिए आईएवाई की 15 प्रतिषत निधियां निर्धारित की जा चुकी हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान आईएवाई कार्य का निष्पादन इसप्रकार है।

विगत 10 वर्षों की कार्य निष्पादन तालिका (पीछे देखें)

निष्कर्ष – आईएवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय की लोकप्रिय योजनाओं में से एक योजना है। लोकप्रियता का क्षेत्र इस तथ्य को दिया जा सकता है कि यह योजना लाभार्थी को अपने मकान के निर्माण में स्वयं भागीदारी बनाने में समर्थ बनाती है। राज्य सरकार की भूमिका धनराशि रिलीज करने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधागत बनाने तक सीमित है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि मूल्यांकन अध्ययन से उच्च स्तर के दखल एवं संतुष्टि का पता

चलता है। अत्यंत गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने से लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 140 लाख मकान बनाने का वास्तविक लक्ष्य था। इसकी तुलना में 126.98 लाख मकान बनाए गए और 31.88 लाख मकानों का कार्य प्रगति पर है। योजना की शुरूआत से लेकर अब तक 93357.64 करोड़ रूपयो (दिनांक 31.1.2013 तक) के व्यय से लगभग 301.64 लाख मकान बनाए गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 भारत सरकार,नई दिल्ली।
2. शर्मा ओ.पी.-'भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृतिया'
3. मित्रा ललित कुमार-'भारत में छोटे उद्यमी और रोजगार',
4. योजना आयोग-'आर्थिक सर्वेक्षण' योजना आयोग, भारत सरकार।
5. www.rural.nic.in. www.ruralhousingnetwork.in

विगत 10 वर्षों की कार्य निष्पादन तालिका (रुपए लाख में)

वर्ष	केन्द्रीय केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	लक्ष्य (मकानों की सं.)	निर्मित किये गये मकान
2002-2003	165640.00	162852.86	279496.46	13.14 लाख	15.49 लाख
2003-2004	187050.00	187107.78	258009.69	14.84 लाख	13.61 लाख
2004-2005	246067.00	288310.02	326208.64	15.62 लाख	15.21 लाख
2005-2006	273240.00	273822.58	365409.05	14.41 लाख	15.52 लाख
2006-2007	290753.00	290753.06	425342.45	15.33 लाख	14.98 लाख
2007-2008	403270.00	388237.01	546454.30	21.27 लाख	19.92 लाख
2008-2009	564577.00	879579.39	834834.33	21.27 लाख	21.34 लाख
2009-2010	849470.00	863573.99	1329236.40	40.52 लाख	33.86 लाख
2010-2011	1005370.00	1013945.40	1346572.75	29.08 लाख	27.15 लाख
2011-2012	949120.00	986477.80	1292632.74	27.26 लाख	24.71 लाख

****

Naxalite Movement in India - Some Issues and Concerns

Dr. R.P. Saharia*

Abstract - The Naxalite movement draws its inspiration from the Maoist ideology. Naxalism is seen as the single largest internal security challenge ever faced by the country. Of the 13 affected states, the movement is intense in parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, while it is making inroads in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttaranchal and Haryana. The reports by the villagers bring o light the undemocratic and authoritarian attitude of the Naxalites and taking to the methods of looting and armed attacks. Naxalite methods have gradually become increasingly authoritarian, undemocratic, and marked by human rights abuses including extra-judicial killings, beatings, and extortion. In a naxalist attack, a person as fired bullet 74 times and stabbed 75 times. Is it not a terror? The naxal movement is rightly a terrorist activity. The aim of Indian Maoists is to overthrow the present "semi-colonial & semi-feudal" government which increasingly resorts to violence to maintain its hold over society and that differentiates them from the Nepali Maoists. Thus the approach to naxalite problem needs a blend of firm handling of naxalite violence with sensitive handling of the developmental aspects. A balanced government approach to combat naxalism weighing in favour of the deprived that were pushed to challenge the system while also advocating strong action against those who refused to shun violence is seriously required. It has been realized that naxalism was not just a law and order issue but deprivation and alienation of people is also to be addressed.

Introduction - Maoist revolutionary political movement in India marks its beginning with an armed uprising in May 1967 in a small village Naxalbari on the tri-junction of India, Nepal and what then was East Pakistan, where tribal's took up arms against the oppression of the landlords in 1967. The movement is called naxalite movement after the region where it started. Two decades have passed since independence and yet large segments of the Indian population- peasants, workers and tribal's-continued to suffer the worst forms of exploitation. A peaceful political process could not heal the grave situation as the feudal stranglehold over the predominantly agrarian economy. An armed struggle was the only way out, they concluded. Between March and May 1967, a hundred incidents of violent clash were reported to the police. The situation worsened gradually. Finally the government had to order the police to take action.

The movement got squashed, but "naxalbari exploded many a myth." Naxalites call for a total transformation of the existing political system to create a new social order ending what they see as the exploitation of marginalized and vulnerable communities. It is simply contrary to the Jammu and Kashmir and the north east conflicts which are characterized as self-determining movements. There are many different political groups that believe in the Maoist ideology and identify themselves as Naxalites, but chief among them is the Communist Party of India (Maoist) (CPI (Maoist)) formed on April 22, 1969 as their dictum says that "if there is to be revolution, there must be a revolutionary party."

Naxalite Philosophy - When we speak of the Naxal movement, there are three factors to be taken into account: specific politics, a rather wide social base and ruthless terror as a means. The Naxalite movement, drawing inspiration from the Maoist ideology, had a blasting phase for about two years from the formation of the party till the end of June 1971. The ripples that widespread only remain untouched in the north Eastern states and the Union Territories of Goa, Pondicherry and Andaman and Nicobar islands.

The Naxalite violence was as its peak from about the middle of 1970 to the middle of 1971. About 40,000 incidents took place during this period mainly from West Bengal, Bihar and Andhra Pradesh. **Operation Steel chase** was started by the Government of India in the states of West Bengal, Bihar and Orissa particularly affected by the Naxalite attacks between July 1 to August 15, 1971, the main strategy being to surround as much area as possible and seal the routes of entry and exit. Simultaneous action was taken whenever possible. The operation achieved the desired result though not as much anticipated by the administration. The confidence of the people in the administration was restored. Even Charu Majumdar, the chief of the Naxalite movement got arrested and then his death marked the end of a phase in the Naxalite movement.

The revival as a People's War Group - The government of Andhra Pradesh announced a ban on the CPI (ML) (People's War group) on May 21, 1992. Naxalism is seen as the single largest internal security challenge ever faced by the country. Of the 13 affected states, the movement is intense in parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, while it is making inroads in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttaranchal and Haryana. There is now a growing professionalism in Naxal ranks and their attacking strategy. It envisages a 'new democracy' for India to be achieved through an agrarian-proletariat revolution and by means of a 'protracted people's war.' The formation of People's War Group in Andhra Pradesh subsequently in 1980. Under the leadership of Kondapalli Seetharamaiah gave a new boost to the movement. The revolutionary writers of the Jana Natya Mandali, the cultural front of the PWG greatly helped in preparing the environment in which the naxalite ideology found ready acceptance. The PWG gradually spread its organizational network to the coastal

* **Head Deptt of Economics, Govt. J.M.P. College Takhatpur, Distt-Bilaspur (C.G.) INDIA**

and Rayalsema districts in the state of Andhra Pradesh. The Andhra Pradesh government banned the PWG and its six front organizations in 1992.

Naxalites wage a "people's war" not only by using methods such as organizing the poor to protest against exploitation, forcibly re-distributing land, and opposing development projects but also by using criminal methods like attacking police stations looting arms, destroying state infrastructure like railways, assassinating politicians, and extorting from businessmen. These activities are crimes punishable under security and penal legislation in India. The Government considers it a socio-economic problem and not mere a law and order problem. In Bihar, the Maoist Communist Centre, another major Naxalite formation, perpetrated acts of violence. What began as fight for social and economic justice actually degenerated into a class conflict with a veneer of class-struggle. The present phase the third phase of the movement commenced with the holding of the Ninth Congress of the People's War Group in 2001…, when it was decided to militarize the armed component of the party by giving more sophisticated weapons to the People's Guerrilla army.

Until 2000, Chhattisgarh that was the part of Madhya Pradesh state in central India became heavily forested, and home to some of India's indigenous tribal groups. A combination of political, economic, and social factors in this region including economic exploitation of tribal communities, poor relations with the police, and absence of government facilities and state institutions, contributed to the popular support and growth of Naxalism. Amy observers believe that Naxalite agenda continues to include struggles for tribal rights to land, water, forest produce, better wages, health care, and education. However, the reports by villagers bring to light the undemocratic and authoritarian attitude of the Naxalites and taking to the looting and armed attacks.

Methods used by the Naxalites - Naxalites not only use methods of organizing poor's to protest against exploitation, forcibly redistributing land, and opposing development projects but also by attacking police stations to loot arms, destroying state infrastructure like railways, shootings politicians and extorting wealth from businessmen. They generally operate in underground. They rouse the peasant workers to wage guerilla wars, unfold agrarian revolution, build rural base, capture the cities and finally liberate the whole country. Naxalite methods have gradually become increasingly authoritarian, undemocratic, and marked by human rights abuses including extra- judicial killings, and extortion. Over time, this has created resentment among some villagers. The armed attacks by the Naxalites are one of their various means to carry out their political agenda.

Indian journal of new dimensions - The Naxalites will continue to breed internal unrest and upset peace till the problem of economic inequality is not addressed. As the poorest of our countrymen re-concentrated in the Naxalite belt from Bihar's borders to Andhra Pradesh, their grievances and problems need to be resolved speedily before , their resentment and anger fuels Naxalites. In a meeting attended by the Chief Minister Man Mohan Singh said, "our strategy to handle naxal menace has to walk on legs-one, to have an effective police response and at the same time focus on reducing the sense of deprivations and alienation." Another important point by the Prime Minister was, "The police response is necessary so that the obligation of the Indian state to uphold Public order is fulfilled. However an effective police response does not mean that we need to brutalize the Indian state."

It is difficult to eradicate the Naxal movement as long as the reasons exist. Naxalites have re-invented themselves and are now taking up new causes which automatically follow from what they call "LPG": liberalized, privatized &globalized society. They are now taking up popular issues like displacement, cast equation and retail businesses. They are also considering having a "Pan-Asia Maoist Group" for better coordination among the minded across the region.

A parallel government - According to the expert's in many Indian villages is so miserable that they have no hope of any solution to their problems, whether it's because of exploitation by landlord or atrocities by the upper classes. There has always been a "disconnect" between the administration and the masses. They have no faith in the welcome developments in rural Indian is the respect for the downtrodden by upper classes after the Naxalite phenomenon. The aim of Indian Maoists is to overthrow the present "semi-colonial" government which increasingly resorts to violence to maintain its hold over society and that differentiates them from the Nepali Maoists.

The Naxalite leadership continues to wage protracted people's war through the armed struggle to capture political power, while a significant number of naxalite cadres are anti-social and criminal elements. In the recent past, naxalite groups seem to lay greater focus on organizing along military lines. They are also acquiring contemporary weapons. Their constant effort is to upgrade technology and sophistication and techniques. The latest tactics adopted by the naxal outfits are to engage simultaneous multiple attacks in large numbers particularly against police forces and police establishments. In the recent past, there have been a number of naxalite attacks on railway infrastructure mainly in Andhra Pradesh, Jharkhand, West Bengal and Bihar. The Naxalite leadership believes that the masses support them and it is only a question of time before they capture power. They have no plans on what to do after they "take over power". They are clear in their objective, and seem to be possessed by conviction. The constituency of Naxalism comprises of those devoid of justice and even the hope of progress.

The antidote to Naxalism, as a syrup as it may sound, is hope - Hope is no food package to be dropped from helicopters; it needs to be built through good governance at the local level. Central planning has failed the world over. Naxalite menace remains an area of serious concern. Available reports, however, suggest that CPI (Maoists) have been trying to increase their influence and activity in parts of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Uttaranchal and also in new areas in some of the already affected areas. According to a report of Home Ministry, 160 districts of 13 states are in the group of Naxalism, 17 are affected with naxal Movement and 52 districts are partially affected and 21 other districts are the under the target of Naxalites. Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, Madhya Pradesh and Bihar are highly affected. While the Maoist attack against the police in Bihar amounted to 205 events in 2003, it was 123 in 2009 and 94 in 2010, while the killings accounted for 27 in 2003, 21 in 2008, 15 in 2009 and 05 in 2010.

On 6th April 2010, approximately 1000 Naxalites attacked on security personnel's in which 76 security personnel's were killed. These Naxalites are equipped with licensed weapons and larger number of non-licensed weapons. In the Parliament, last year, as per highlighted by the Home Minister, a budget of rupees 60 corer was allotted by the Naxalites for purchasing weapons. According to a report by Deccan Chronicle, 19 percent of the forest area of the country is under the Naxalites. Through it is true that the naxalites resort to violent. Means and have formed their own political party, their central objective was meant to alter the current social strata in order to uplift the poor and the downtrodden.

The concern should be of the people of India as whole and not only section of it. The society remaining silent has given the legitimate ground to the police to adopt brutal means to curb them. A battle of guns is no solution in a democracy setup like India. The problem of naxalism has become the biggest internal threat to the country. It has become not only a matter of national concern but also that of academic debate. This issue needs to be intensively as well as extensively dealt with fresh innovative ideas and adequate planning. When the Counterinsurgency mechanism crushed the first bubbles Naxalism in West Bengal and Andhra Pradesh, it found its breeding ground in Central Bihar.

A Gloomy State - It is unfortunate, that the land reform does not figure in the agenda of the Indian state post-Liberalization era. The Union government as well as the state is busy wooing the FDI to gain the advantages of globalization. Indeed, globalization is much a policy-oriented and planned process as it is fortuitous one in the era of increased international travel and IT boom, but government can push the agenda of the forces of globalization by being oblivious of its own ground realities only on its own peril. The strength of the Naxalite movement has hitherto relied on the lack of attention paid by respective state governments to alleviate poverty and tackle perceived discrimination faced by the tribal's and dalits. It is also a testimony to the success achieved by the Naxalites in convincing the disoriented poor that joining ranks with them is the only way to overcome their suffering.

The naxal have their focus on military action rather than people's action for social transformation. The recent development which takes pride in achieving nine percent growth is actually achieved at the cost of the poor who have no option but to join this movement. The government is acquiring large tracts of land in the forests and agricultural lands of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh etc. and is being assigned to big giants (MNCs) and national conglomerates for setting up industries or initiating mining activities. The farmers as a result are forced to evict the land that are fertile and fruit bearing and dominantly useful for an agrarian economy. Without land they are landless and left with no means to obtain a steady income and livelihood. Statistics suggest that at least forty percent of the forced evictions in the last sixty years have been of 'Advisees' to build dams for the country's supply of power and irrigation and for 'development', where the dispossessed never get a share in it (Planning Commission of India, 2008, p.48). It was bound to raise the frustration among the people who have forcefully been evicted with no adequate government policy to provide to them an alternative to make their ends meet.

The perpetuation of the class divide between the people in the Indian society has also added fuel to fire. Though the constitution prohibits any discrimination among the classes, the lower classes have still been marginalized especially the Dalits. Article 15, the positive duty of the State to ensure the eradication of this form of discrimination has been witnessed as a massive dereliction duty. This sidelining of the marginalized section of the society becomes the easy prey of the Naxals who are recruited in the battle against the government for its failure to fulfill its obligations. Thus there seem many justifications to raise a voice against the government. When the poor's and the Dalits did not find a democratic forum to raise their voices, they resorted to the language of violence. Being the victims, violence was actually forced on to them. To save their land and dignity, they got prepared to be used against the government. Hence, the movement of Naxalism, which began 45 years ago, in May 1967 as a minor clash between the police force and a group of armed peasants an obscure corner of Bengal, has now ideology, has affected the Naxalite at the grass roots level.

Efforts by the Government - The indifferent attitude of the government towards the problems of the naxalites changed the Naxal movement from ideologies to military ideologies. The naxalites have a strong sentimental ground which makes them stronger. Thus the need to stop their menace is urgent and expected of the government that it should not ignore their backwardness and marginalization. The approach to naxalite problem needs a blend of firm handling of naxalite violence with sensitive handling of the developmental aspects. While Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa and Andhra Pradesh are in forefront of naxal-related activities today, many other states remain vulnerable. A "good" intelligence is the key to effectively fight naxalite violence. This intelligence should not only be strategic but also tactical in conformity with the ground level information. The police are the first responder in Naxal related situations and is very important pole in the entire effort. Sensitizing the police is therefore a critical requirement. Andhra Pradesh has an excellent establishment for anti-naxalite operations.

The Central Government views the naxalite menace as an area of serious concern. The Government remains firmly committed and determined to address the problem. Essentially, the state government would need to pursue effective measures to further improve ground level policing and development response, besides countering the negative propaganda unleashed by naxalites, to contain and control this menace. The Central government will continue to coordinate and supplement the efforts and resources of the state governments on both security and development fronts to meet the challenge posed by naxalism. To deal with the problem of Naxalism, the proposed solutions in the status paper were security and development, tabled in the Parliament in 2006. (Planning Commission of India, 2006). The culpability of the state in denying the poor their basic rights, the treachery of a corrupt bureaucracy to implement the laws, and its complicity with a trigger-happy police to suppress popular protest was the attributes of the Government in areas where Naxalites were trying to enforce pro-poor laws through their own means.

The Union Home Ministry has requested all major affected states to strictly implement the "surrender- cum-

rehabilitation" schemes for naxalites who want to shun violence and join the mainstream. There is an urgent need to further improve and strengthening their police response particularly by the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, Maharashtra by improving actionable intelligence, collection and sharing mechanisms and strengthening their police forces on the pattern of SIB and greyhounds in Andhra Pradesh. On December 2012, Union Rural Development minister Jairam Ramesh stated that the government would want to hold talks with Naxals, if they drop arms and adopt a democratic ideology. He said that the government's doors for talks with Naxals were open, provided they have faith in the country's constitution and democratic system. He said that 82 districts across nine states of the country were affected by Naxalism.

It is required that the government should revisit its policies and should try not to acquire the agricultural lands non agricultural purposes and even for acquisition of waste lands, villagers or forest dwellers should be properly rehabilitated and their rights duly recognized. An ignorance of the socioeconomic aspects of the marginalized sections of the society led the naxalites adopt the use of violence. The State takes it as a security issues or a law and order problem instead of an ideological political struggle. It is advisable that naxal affected state should make the optimum utilization of funds under various Central schemes for developmental and improvement of connectivity in rural areas as it can go a long way to contain the menace. The affected states should have better resettlement and rehabilitation policies. The Government is trying to bring the Left Wing extremists back into the social mainstream. The Government even is ready to hold talks with the naxalites on the condition that they give up arms and shun the path of violence. Special package was earmarked for the Naxal-infested district of the country. One major scheme was MREGA. In the first phase of MREGA was implanted in the most backward districts of the country in 2006. The MREGA has effectively created a hope among the poor community that this state works for them. Major survey on the impact of MREGA brought substantial changes in lifestyle of the poor people. The present Bihar government has built road and transportation to speed up the business activities in the state.

The government of India has already expressed concern over the spread of the Naxalite movement over a huge geographical area. The Prime Minister described Naxalite movement as the single biggest threat to the internal security of the country. The Naxal's potential for violence has increased substantially with their acquisition of sophisticated weapons and expertise in the use of improvised explosive devices (IEDs). The change in character and style of the movement must be recognized.

It has become more of a growing militarization and superior army-style organization. It requires local policing and intelligence gathering system. Competent officers with stable tenure need to be posted in the naxalite affected districts so that they can work effectively and bring about noticeable and positive changes. In this case the greyhounds of Andhra Pradesh can serve as a model. Along with the postings of the competent officers what is required is winning the confidence of the local population the centre has made it clear through various meetings that it will closely monitor the implementation of counter revolutionary strategies in different states beside sending paramilitary forces, reimbursing security related expenditure to states and modernization of police. The time has come to translate Prime Minister's works into action to halt and curb the spreading of naxalism and allow fruits of economic development to reach faster to the affected areas.

The people have reposed their faith in the state and denounced violent practices. Still there is need to work hard on the complete elimination of the Maoist. No wonder, the Naxals today resist any move by the government in the respective states to carry out any developmental work in the area under their control. If the reports about the Naxals running some of the essential state functions like education and justice are true, then the Indian state has faltered in a big way. Thus good governance socioeconomic causes of naxalism.

Conclusion - The state has to do much more than plan counter-insurgency operations or support violent vigilant groups to suppress the Naxalite movement. After close examination of the historical and ideological origins of the movement, it is clear that the movement thrives on the dissatisfaction of the marginalized and alienates the population. The socio-economic perspective of Naxalism talks about how the rebel movement is shaped due to the failure of the institutional mechanisms and frameworks to deliver socio-economic justice. This article outlines the steps taken by the government, but concedes that it is not enough to over-emphasize the 'law and order' approach.

References -

1. V Balachandran: Ground realitities of the Naxalite movement Pragati, The Indian National Interest Review, October 2009, pp2-4.
2. Raj Cherubal: Hope is the antidote to Naxalism, Pragati, The Indian National Interest Review, October 2009, pp 5-6.
3. Prakash Singh: "Naxalite Movement in India", Yojana, vol.51, Feb 2007, pp 23028.
4. Manmohan Singh: "Issues and Concerns", Yojana, vol.51, Feb 2007, pp 9-10.
5. R.K. Bhonsle: "An Integrated Strategy", Yojana, vol.51, Feb 2007, pp 31-36.
6. Gupta ML & Sharma D.D: "Society in India; structure and change", ch.4, Sahitya Bhawan Publication. Priyanka Vora & Siddhant Buxy – Marginalization and Violence: The Story of Naxalism in India, International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS) Official Journal of the South Asian, Hyderabad, India. ISSN: 0973-5089 January December Vol. 6 (1 & 2): 358371, 2011.
7. Satish Kumar: Declining Naxalism from Central Bihar, Journal of Defence Studies Vol. 4 No 4. October 2010, pp 78-87.
8. Priyedarshi, V. (2010, April 8). Fighting Naxalism: Need for change in strategy. Institute of Peace and Conflict Studies. Retrieved on
9. Banerjee, S. (2008). On the naxalite movement: A report with a difference. Economic and Political Weekly, 43(21), 10-21.

Role Of Skill Development In Madhya Pradesh

Dr J. K. Gujral *

Introduction - The objective of Skill Development is to create a workforce empowered with the necessary and continuously upgraded skills, knowledge and internationally recognized qualifications. This helps to gain access to decent employment and ensure India's competitiveness in the dynamic global market. It aims at increasing the productivity and employability of workforce in the organized and the unorganized sectors. It not only seeks increased participation of youth, women, disabled and other disadvantaged sections, but also synergize efforts of various sectors and reform the present system with the enhanced capability to adapt to changing technologies and labor market demands.

According to the International Labour Organization (ILO) "Skill development is of key importance in stimulating a sustainable development process and can make a contribution in facilitating the transition from an informal to formal economy. It is also essential to address the opportunities and challenges to meet new demands of changing economies and new technologies in the context of globalization."[1]Skills development can help build a "virtuous circle" in which the quality and relevance of education and training for women and men fuels the innovation, investment, technological change, enterprise development, economic diversification and competitiveness that economies need to accelerate the creation of more jobs.

Skills Requirement - India's population is huge at 1.21 billion. It is fast expanding at a rate of 17% and integrating rapidly into the global economy. India is among the 'young' countries in the world, with the proportion of the work force in the age group of 15-59 years, increasing steadily. However, presently only 2% of the total workforce in India have undergone skills training. India has a great opportunity to meet the future demands of the world, India can become the worldwide sourcing hub for skilled workforce. The challenges for India get magnified, as it needs to reach out to the million plus workforce ready population, while facing an ever increasing migration of labour from agriculture to manufacturing and services. With the government launching a number of schemes to empower the young workforce, the challenges magnify as there is a need for effective implementation of the schemes at the grass root level with equal participation from all the stakeholders concerned

Challenges - India's workforce, the second largest in the world after China, needs to be trained across four levels, from the 'White Collar' workers to the 'Rust Collar' workers, linking them to job opportunities and market realities. The skills challenge becomes acute for India considering that the country has a large portion of its population below 25 years of age. This young population can be transformed into a productive work force giving the Indian Economy a 'Demographic Dividend'. Currently a major proportion of this population is not productively engaged in economic activities due to a 'skills v/s jobs requirement' mismatch.

The skills v/s jobs mismatch often leads to economically inactive working age group people. This not only impacts the economy, it also has serious consequences for the society at large. Social unrest such as insurgency, red belt has been witnessed in several areas of India should be heeded with a measure of urgency.Therefore to address the above challenges and reap the benefits of the demographic opportunity,skills initiatives in India need to focus on

1. **Quantity**: Over 65% of India's large population is below 35 years of age; a robust skills training and certification system for these large numbers is a mammoth task.

a. As per the 11th Five year plan Vocational education will be expanded to cover 20000 schools with intake capacity of 25 lakh by 2011–12. The programme will ensure mobility between vocational, general, and technical education and multiple entry and exit options.

b. The "National Skills Policy" in 2009 has set a target of skilling 500million by 2022.

c. The current skill development capacity is 3.1 million persons per annum which have to be upgraded substantially to 12 million persons per annum.

2. **Quality**: The diplomas and certificates with which students graduate are usually out of sync with the needs of the industry. As a result, industry finds it difficult to recruit adequately skilled labour and is forced to undertake large training programs. The shortage of skilled workforce results in loss of productivity, while training programs imply high labour costs.

a. The National Vocational Qualification Framework (NVQF) and National Vocational Education Qualification Framework (NVEQF) are Standards developed by the Sector Skills Councils (SSC's) can ensure clarity of career choices, options and acceptability of the qualifications.

b. The FICCI Skill Development forum has made recommendations for the 12thFive year Plan. In order to ensure the quality of skills delivered it has highlighted:

i. Building skills training as a mainstream and inclusive program to be promoted by creating a formal arrangement among the three key stakeholders in the delivery pyramid: Government, Industry and Skills providers

ii. Industry led 'Train the Trainer' (TTT): One of the key components of Skills Training is the trainer. It is the pedagogical expertise of the trainer which ensures that

* Deptt. Of Economic ,Govt. M.K.B. Arts & Commerce College For Women Jabalpur (M.P.) INDIA

the learner gets a wholesome experience, understands the standards and is fully equipped to apply the concepts learnt during his employment. The Training of Trainer hence becomes a major challenge.

iii. As per the NSDC report on Education sector there is an incremental requirement of 8,664,000 teachers and trainers between 2008 – 2022.

iv. The central government should provide funding support to state government institutions to make skills trainer a lucrative career option. This fund support shall not only allow the state governments to retain the trainers for the schools and other institutions but also invite participation of many more people into the training industry.

v. Greater focus should be given to International Collaborations so that

1. There is better Understanding of the fast changing skills demands
2. Increased FDI in Skills
3. Promoting B2B partnerships between Indian and International companies
4. Engaging Multi National Corporations to provide skills solutions that transpose the models and practices
5. Reverse transfer the best practices from India to world.

3 **Access**: India's large geographical territory, difficult terrain and varying social economic conditions make the implementation of standardised, skill-based instruction a huge challenge

a. A very large geographical expanse comprising of 6,38,365 villages, 4378 towns over 35 cities and 640 districts, with difficult terrain and varying social economic conditions make it difficult for all learners to have access to training.

b. States like Bihar, (with a population greater than that of Germany), Jharkhand, etc have little access to skills training and the population comprises of a large unskilled workforce. There is wide disparity in industrial development, and have little industrial activity, which makes it difficult for workers to find jobs.

c. Nearly 37 percent of the Indian population lives below the poverty line and lives on less than 1 Dollar a day. They cannot afford even basic amenities leave aside education and training.

d. About 89% of the 15-59 year olds have had no vocational training. Of the 11% who received vocational training, only 1.3% received formal vocational training. The current training capacity is a fraction of the 12.8 million new entrants into the workforce every yearTherefore access to skills programs becomes a major challenge.

Madhya Pradesh – The Skills Scenario - "To understand Skill Ecosystem we need to look into education system in India first. If we look at it closely, it's quite clear that the majority of population decide about its career path between 15-16 years of age immediately post its elementary education certificate. This stage is the beginning of vocational training, where they opt for taking admission in various trades of ITI's. The further advancement can be in terms of going for apprenticeship or upgrading to polytechnic 3 years diploma which further leads to either engineering degree or advance training institute. A straight forward way can be started with elementary education and end up at Masters programme and leads up to Doctoral ones."[3]

Madhya Pradesh - The Skill Development Initiatives - Keeping the current scenario in mind where age old Industrial training institutions and other vocational training systems which could not deliver the results as expected the state government is under the process of launching skill development policy soon. "The government has formed a sub-committee of ministers and based on their recommendations which the cabinet will consider the suggestions and will announce a policy. Continuing to these efforts the Government has also setup an independent Council to take care of the vocational training and skill related initiatives under the chairmanship of the Chief Minister named as Madhya Pradesh Council for Vocational Training (MPCVET).

The BOD consist of

- Minister of Technical Education and Training,Govt of MP
- Principal Secretary and commissioner level officials
- Representative from Industry and Industrial associations
- Director – Training"[2]

Main Objectives Of Organization

1. To plan and execute Skill Development Programmes to prepare youth for self employment and for various jobs available in Industrial & Service Sectors.
2. To develop competency based curricula, and to train and certify school dropouts, labour working in unorganized sector, service sector and unskilled workers engaged in various industries.
3. To prepare need based training programme of different levels as per the requirement of various groups' industrial sectors, which are recognition at national & international level and also to recognise such programmes for further education. To develop a flexible delivery mechanism to impart training in part time, weekends, full time, onsite/offsite mode.
4. To plan and monitor National Skill Development Policy at State level.
5. To frame policy & programmes to link non-formal vocational training with the formal education system and to develop system of recognizing prior acquired learning.
6. To converge and develop available training resources in the state through Public Private Partnership.
7. To provide access to vocational education & training with inclusive growth for all the groups of the society.
8. To provide training of trainers, to promote innovation in training & also to render consultancy services.
9. To award certificates, diplomas and other distinctions to trained manpower and set norms for quality and standards of vocational training system.
10. To affiliate institutes as vocational training providers on payment of prescribe fee.

The National Skill Development Workshop - "With the same initiative Govt of MP has organised a National Skill Workshop at Bhopalon September 1, 2010 to make ground for new policy for technical education, training and skill development in the state. Representatives from various National and Local Industry Associations, World Bank, National Skill Development Corporation and various experts from the field have participated in the workshop and put

forth their valuable suggestions for new policy of skill development in the state. The cabinet subcommittee for Technical Education and few other ministers have also attended the workshop. This was one among the key initiatives towards skill sufficient state."[4]

The Skill Requirement Projections - Keeping the healthy GDP rate of 8.39% in consideration we can expect a minimum of 10% industrial growth in Madhya Pradesh. This will not only be visible in manpower demand by the current players but there is a huge manpower demand from those business houses as well who have signed MOU with government of Madhya Pradesh and have initiated their projects.

The Proposed Strategies -

1. Finalisation of the Skill Development policy of Madhya Pradesh to speed up the overall process. This policy will be the basic guideline to initiate the skill mission in the state. This policy will further help in Designing and development of implementation plan and its MIS mechanism to track the overall progress the sooner will be the better.
2. Strengthening of organisations such as MPCVET which will be the key drivers of skill mission in coming time. A decentralised structure which will have its presence to various parts of the state will certainly help in better and speedy implementation of the mission. More participation from private players in sync with the government can further reinforce the initiative.
3. MPCVET should act as a central agency to coordinate efforts for various departments like Labour, Rural Development, Industry, women and child development, Minority development, SC and ST welfare and many similar ones who keep conducting various training programmes, they will in turn be getting benefited from skill development initiative and result into avoidance of duplication of training and will result into saving of lots of state government funds.
4. It has been observed that most of the beneficiaries are unaware of such initiatives due to lack of proper communication. A coordinated effort from organisation like CII and MPCVET to crate massive awareness on various skill development schemes for beneficiaries through mass media and other effective means. The objective, it should reach up-to the very grassroots level where the potential beneficiaries can be reached.
5. The involvement of workers and workers' organisations in conduct and control of such a training programme is essential to its success. As such, their prominent role in the ownership of the programme is necessary. The Trade Union should have a say in the running of the programme."[2]

The Introspection - With a backdrop of current skill development infrastructure, it is not at all sufficient to cater the growing needs of the industries. Here it is crucial to note that we haven't accounted the unorganised and entrepreneurial sectors, which can again pose a great challenge to produce more number of skilled manpower. The Current skill development initiatives taken by the government of Madhya Pradesh are really strategic towards catering to the fast growing skilled manpower requirements. The initiatives needs to be really accelerated in order to make MP as the industrial friendly state which can attract even more industrial houses to start their operations. We need to take care of our demographic and resources rich dividends in order to transform Madhya Pradesh as a Skill Sufficient State.

References -

1. International Labor Organization http://www.ilo.org/
2. Madhya Pradesh Council for Vocational Education & Training (MPCVET) http://www.mpcvet.nic.in/
3. Directorate Of Skill Development, Government Of Madhya Pradesh http://mpsc.mp.nic.in/
4. Madhya Pradesh Vision 2018
5. Skill Development For Inclusive and Sustainable Growth – Springler

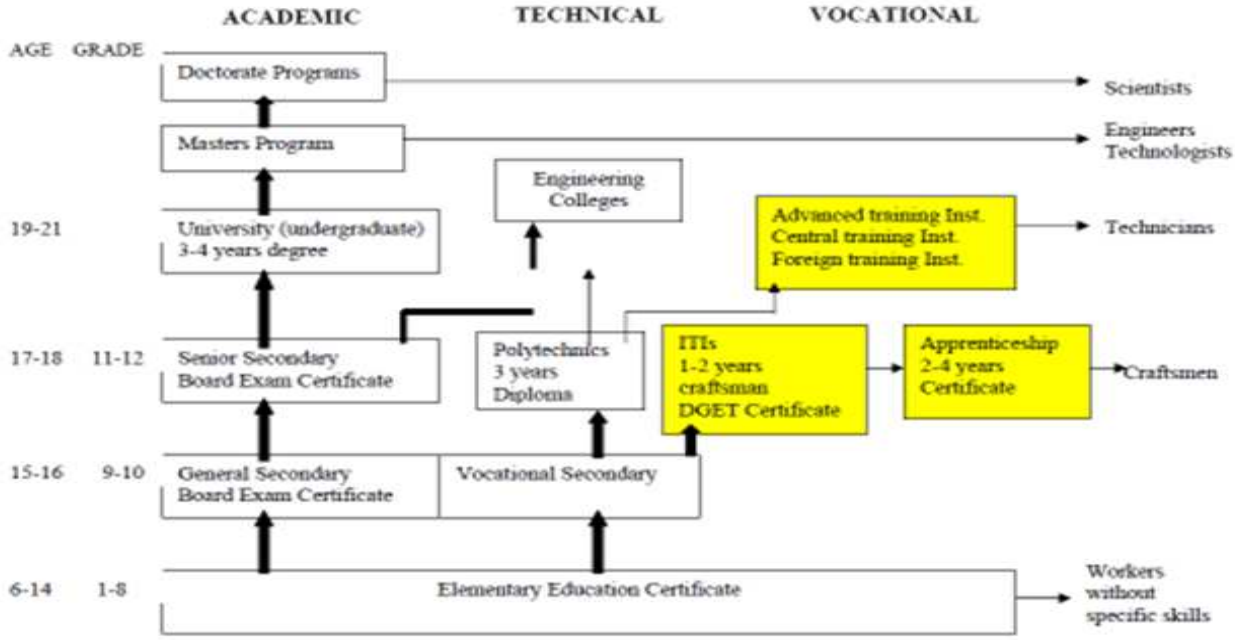

चीनी उद्योग: तुलनात्मक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में)

डॉ. विजय प्रकाश मिश्रा *

इतिहास – भारतीय अर्थव्यवस्था मे चीनी उद्योग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग कृषि से सीधा जुड़ा होने के कारण अधिकांश कृषको की जीविका का साधन है। गन्ने की फसल मौसम की अनिश्चितता को सहन कर सकती है। इसलिए यह किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

विश्व में भारत चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है जबकि गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हालांकि गुड व खाण्डसारी का उत्पादन देश में प्राचीन काल से होता चला आ रहा है।

भारत में चीनी उद्योग का उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ, जबकि 1903 में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में दानेदार चीनी बनाने के लिए मिल की स्थापना की गई थी। 1906 तक देश में केवल 6 चीनी मिलों की स्थापना की गई थी। 1932 में चीनी उद्योगों को संरक्षण दिया गया, जिससे चीनी उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हुआ। 1931–32 में देश में केवल 31 चीनी मिले थी, जबकि 1950.51 में इसकी संख्या बढकर 138 हो गई थी और इनका कुल चीनी उत्पादन 11.34 लाख टन हो गया। चीनी की बढती मॉग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक चीनी मिलो को स्थापित करने का प्रयास किया गया। 31 मई 1988 को भारत में 414 चीनी मिलो की स्थापना हुई और जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 10.4 मिलियन टन थी। उपरोक्त मिलो में से 386 मिले ही उत्पादन कर रही थी। चीनी उद्योग में लगभग 3.25 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 25 मिलियन लाख लोग गन्ना उत्पादन के कार्य से जुड़े हुये है। 1960 तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन का 60 प्रतिशत चीनी उत्पादन करते थे लेकिन बाद के वर्षो में अन्य राज्यो में उद्योग के विस्तार जैसे :– महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुल भाग चीनी उत्पादन में 1980–81 में केवल 28 प्रतिशत रह गया। जबकि महाराष्ट्र का भाग 17 प्रतिशत से बढकर 40 प्रतिशत पहुँच गया।

सरकारी प्रयास:– सरकार की ओर से हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि चीनी उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढे और इसके लिए सरकार हमेशा नई चीनी मिलो को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे अधिक से अधिक चीनी का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

सरकार ने 1982 में चीनी विकास कोष की स्थापना की जो कि देश में चीनी पर लगे कर से हस्तांतरित की जा सकती थी। यह विचार किया गया कि देश में चीनी मिलो का आधुनिकीकरण और दुरूस्तीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाए और इस कार्य के लिए 900 करोड़ रू0 जारी किए गए। जिसमें 490 करोड़ रू0 इस उद्देश्य के लिए रखे गये।

तालिका 1(पीछे देखें)

भारत के प्रमुख प्रदेशो के गन्ने का बोया गया क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर में) (पीछे देखें)

तालिका 2 (पीछे देखें)

भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेशों का गन्ने का औसत उत्पादन 10 वर्षो में (000 टनों में) (पीछे देखें)

तालिका 3 (पीछे देखें)

भारत के प्रमुख प्रदेशों में चीनी का उत्पादन (000 टनों में) (पीछे देखें)

तालिका 4 (पीछे देखें)

तालिका 5 (पीछे देखें)

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख सूचनाएं (पीछे देखें)

निष्कर्ष एवं सुझाव – उपरोक्त तालिकाओ और दण्ड चित्रों को देखने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना बोया जाता है और गन्ने का उत्पादन भी देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन जहॉ तक चीनी उत्पादन की बात है महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन हमारे यहाँ से ज्यादा होता है जबकि खेती कम है। यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश के चीनी उत्पादन पर है। हालांकि महराष्ट्र में चीनी मिले हमारे यहां से ज्यादा और आधुनिक है। इसलिए हम अभी चीनी उत्पादन में पिछड़े है।

जरूरत है सरकार इस तरफ ध्यान दे और चीनी मिलो के आधुनिकीकरण के लिए सुविधा मुहैया कराये जिससे हम केवल गन्ना उत्पादन में ही नहीं बल्कि चीनी उत्पादन में भी देश ही नहीं, बल्कि विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास– मनोज कुमार अग्रवाल
2. औद्योगिक उन्नयन– लालकृष्ण कमावत
3. श्रम अर्थशास्त्र– वी0 सी0 सिन्हा
4. उत्तर प्रदेश पहचान– 2010
5. औद्योगिक अर्थशास्त्र– वी0 सी0 सिन्हा
6. औद्योगिक अर्थशास्त्र– डॉ0 कुलश्रेष्ठ
7. भारतीय आर्थिक समस्याएं– प्रो0 बी0 एल0 ओझा
8. औद्योगिक सम्बन्ध एवं सामाजिक सुरक्षा– डॉ0 आर0 एल0 नौलखा
9. सांख्यिकीय डायरी– उत्तर प्रदेश 2002
10. सांख्यिकीय डायरी– उत्तर प्रदेश 2004
11. सांख्यिकीय डायरी– उत्तर प्रदेश 2006
12. सांख्यिकीय डायरी– उत्तर प्रदेश 2008
13. सांख्यिकीय डायरी– उत्तर प्रदेश 2010
14. इण्डियन क्रेन जर्नल– 2010
15. इण्डियन क्रेन जर्नल– 2012
16. गन्ना विकास विभाग उ0प्र0 के वार्षिक विवरण 2008
17. गन्ना विकास विभाग उ0प्र0 के वार्षिक विवरण 2010
18. गन्ना विकास विभाग उ0प्र0 के वार्षिक विवरण 2012
19. भारत में चीनी उद्योग के दृष्टिकोण तथा समस्याएं– राकेश चन्द्र त्यागी।
20. चीनी उद्योग की समस्याएं– एम0 पी0 गॉधी।
21. उत्तर प्रदेश की गन्ना से संबंधित
22. www.upcane.org
23. www.upgovt.nic.in

* प्रवक्ता व्यवहारिक (अर्थशास्त्र विभाग) जय नारायण डिग्री कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

तालिका 1(पीछे देखें)

भारत के प्रमुख प्रदेशो के गन्ने का बोया गया क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर में)

क्रम सं0	प्रदेश	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11
1	आंध्रप्रदेश	218	232	209	210	230	264	247	196	158	192
2	बिहार	114	107	104	104	101	130	109	112	116	300
3	गुजरात	176	203	176	197	197	214	211	221	154	188
4	महाराष्ट्र	578	573	443	324	501	1049	1093	768	756	964
5	कर्नाटक	407	383	243	178	219	326	306	281	337	421
6	तमिलनाडू	321	262	192	232	335	391	353	309	293	336
7	उत्तर प्रदेश	2035	2149	2030	1955	2156	2247	2179	2084	1977	2124

भारत के प्रमुख प्रदेशो के गन्ने का बोया गया क्षेत्रफल (000 हेक्टेयर में)

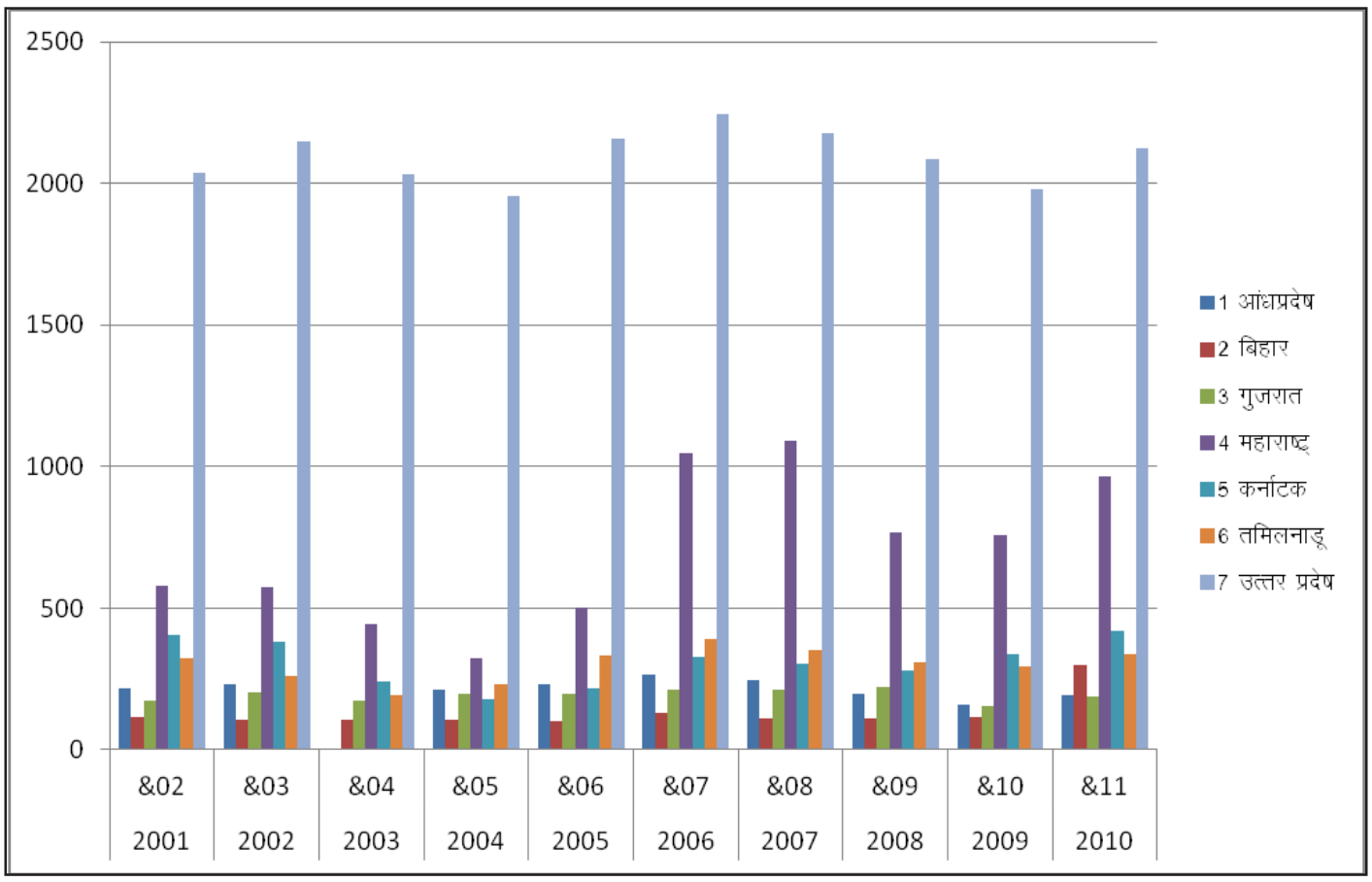

तालिका – 2

भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेशों का गन्ने का औसत उत्पादन 10 वर्षो में (000 टनों में)

क्रम सं0	प्रदेश	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11
1	आंध्रप्रदेश	18082	15387	15070	15731	17656	21692	20296	15380	11708	14784
2	बिहार	5211	4521	4286	4112	4338	5956	3855	4960	5032	15000
3	गुजरात	12465	14071	12669	14570	14580	15630	15190	15510	12400	14220
4	महाराष्ट्र	45140	42617	25668	20475	38853	78568	88437	60648	64159	78838
5	कर्नाटक	33017	32485	16015	14276	18267	28670	26240	23328	30443	37595
6	तमिलनाडू	32620	24165	17656	23396	35107	41124	38071	32804	29746	34292
7	उत्तर प्रदेश	117982	120948	112754	118716	125470	133949	124665	109048	117140	120555

भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेशों का गन्ने का औसत उत्पादन 10 वर्षो में (000 टनों में)

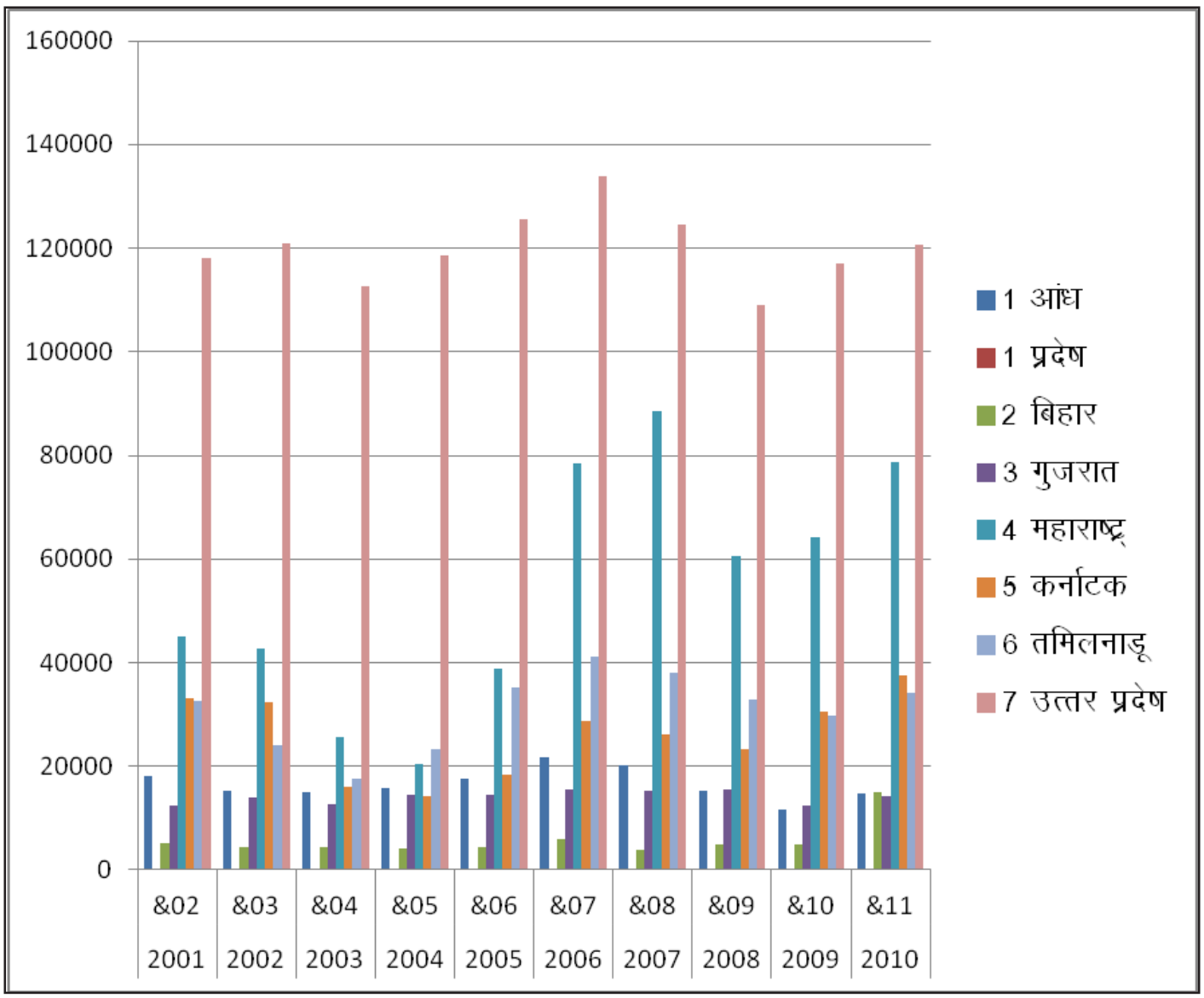

तालिका 3

भारत के प्रमुख प्रदेशों में चीनी का उत्पादन (000 टनों में)

क्रम सं0	प्रदेश	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11
1	आंध्रप्रदेश	1048	1210	886	928	1236	1680	1335	593	515	585
2	बिहार	342	408	274	254	422	451	336	214	258	256
3	गुजरात	1056	1252	1066	797	1168	1425	1366	1012	1189	1088
4	महाराष्ट्र	5613	6215	3175	2217	5197	9100	9075	4578	7067	7214
5	कर्नाटक	1550	1868	1116	1040	1943	2660	2900	1654	2558	2420
6	तमिलनाडू	1839	1644	921	1108	2142	2544	2141	1598	1280	1144
7	उत्तर प्रदेश	5260	5651	4551	5037	5784	8475	7319	4064	5179	5887

भारत के प्रमुख प्रदेशों में चीनी का उत्पादन (000 टनों में)

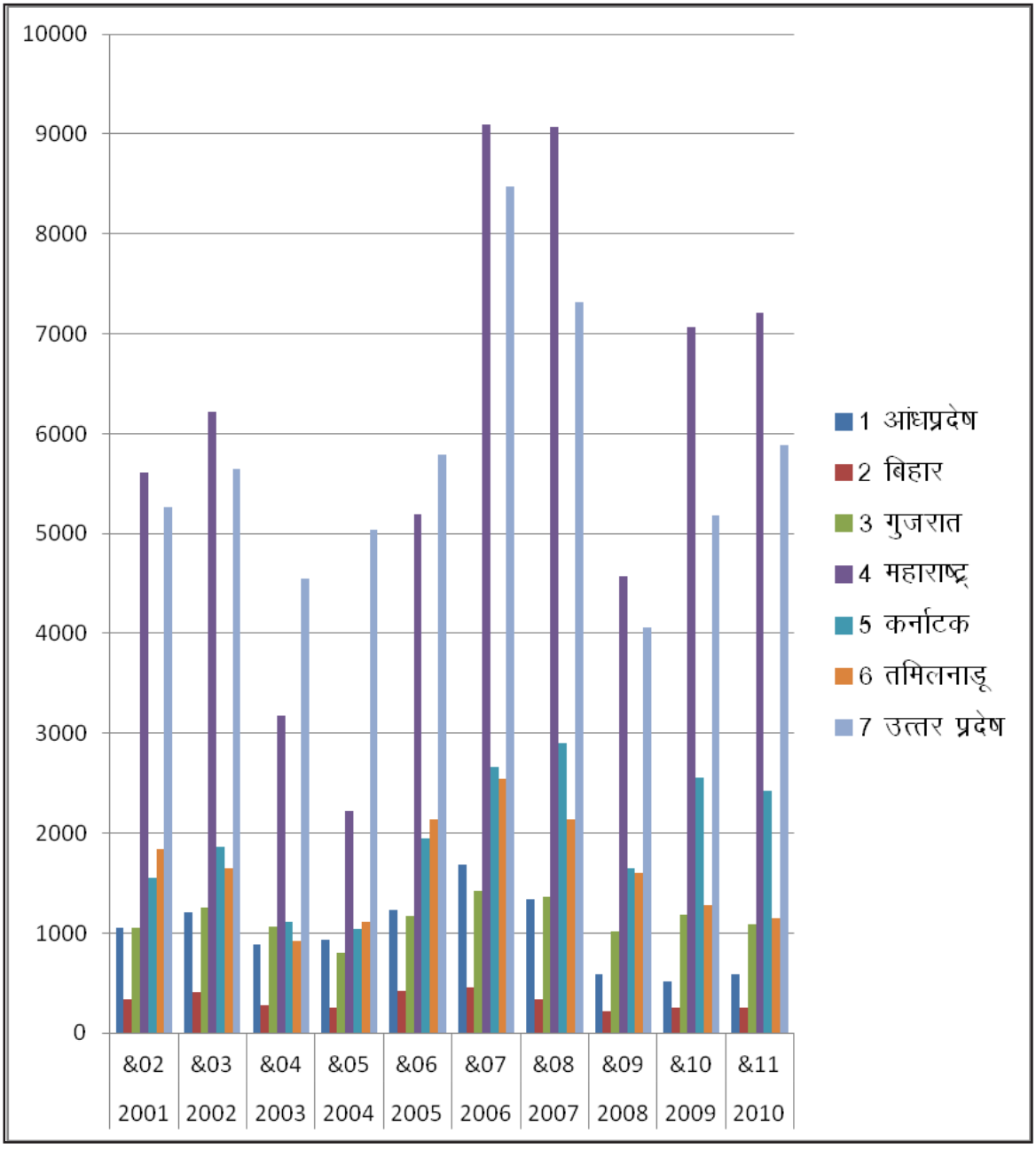

तालिका 4

भारत के प्रमुख प्रदेशों में कार्यरत् चीनी मिलों की संख्या

क्रम सं0	प्रदेश	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11
1	आंध्रप्रदेश	35	34	28	34	37	38	38	35	35	35
2	बिहार	10	10	10	9	9	9	8	9	9	9
3	गुजरात	15	17	15	17	17	18	18	18	18	18
4	महाराष्ट्र	135	156	138	102	142	163	172	147	143	145
5	कर्नाटक	36	36	35	37	39	47	51	50	54	54
6	तमिलनाडू	36	35	34	34	35	37	37	37	41	41
7	उत्तर प्रदेश	107	111	111	121	114	133	132	132	128	125

तालिका 5

भारत के प्रमुख प्रदेशों में चीनी पर्ता (प्रति क्विंटल)

क्रम सं0	प्रदेश	2001 -02	2002 -03	2003 -04	2004 -05	2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11
1	आंध्रप्रदेश	10.1	10.1	10.32	10.65	10.05	9.71	10.12	9.89	9.28	9.36
2	बिहार	8.78	9 7.33	9.58	9.48	8.67	9.24	9.04	9.49	9.22	
3	गुजरात	10.79	10.58	10.93	10.76	10.82	10.65	10.67	10.72	10.53	10.58
4	महाराष्ट्र	11.61	11.65	10.93	11.39	11.66	11.40	11.92	11.44	11.51	11.62
5	कर्नाटक	10.23	10.82	10.21	10.11	10.83	10.61	10.89	10.28	10.67	10.85
6	तमिलनाडू	9.61	9.88	9.92	9.64	9.24	9.25	9.32	9.62	8.97	9.22
7	उत्तर प्रदेश	9.53	9.53	9.82	9.79	9.51	9.47	9.79	8.94	9.13	9.14

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख सूचनाए

क्रम सं0	मद	2001-02	2002-03	2003-04
1	कार्यरत् चीनी मिलों की सं0	101	101	101
2	औसत वास्तविक कार्य दिवस	149	163	124
3	रजिस्टर्ड पिराई क्षमता (मी0टन)	373379	381079	396079
4	पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल)	5520.85	5927.09	4635.20
5	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	599	565.10	455.15
6	चीनी पर्ता (प्रतिशत)	9.53	9.53	9.82

क्रम सं0	मद	2004-05	2005-06	2006-07
1	कार्यरत् चीनी मिलों की सं0	106	114	133
2	औसत वास्तविक कार्य दिवस	125	127	155
3	रजिस्टर्ड पिराई क्षमता (मी0टन)	421329	495229	709429
4	पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल)	5147.21	6080.91	8949.43
5	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	503.73	578.42	847.54
6	चीनी पर्ता (प्रतिशत)	9.79	9.51	9.47

क्रम सं0	मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	कार्यरत् चीनी मिलों की सं0	132	132	128	125
2	औसत वास्तविक कार्य दिवस	120	73	91	103
3	रजिस्टर्ड पिराई क्षमता (मी0टन)	761328	771701	772365	767240
4	पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल)	7473.89	4548.18	5673.37	6738.10
5	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	731.95	406.04	517.93	588.70
6	चीनी पर्ता (प्रतिशत)	9.79	8.94	9.13	9.14

कार्यकारी महिलाओं के कार्यस्थल सम्बन्धी तनाव को कम करने मे योग की भूमिका (एक सर्वेक्षण-इंदौर नगर)

डॉ. लता जैन *

शोध सारांश – आधुनिक व्यस्ततम जीवन में तनाव एक सहज ही उत्पन्न प्रतिबल है, जो व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रुप से क्षतिग्रस्त करता रहता है तथा उसके कार्य एवं व्यवहार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष से प्रभाव डालता है। उसकी समायोजन क्षमता को कम करता है। वर्तमान युग में व्यक्ति स्वस्थ-जीवन तथा सशक्त समायोजन हेतु इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा है।

प्रस्तावना – आधुनिक युग में महिलाओं को कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये हैं, परन्तु पूर्णत: पारिवारिक कार्यभार से मुक्त नहीं किया है। आज की महिलाओं को दोहरे आयामों में जीवन-यापन करना पड़ता है, जिससे वह तनावग्रस्त हो उठती है। यह तनाव परिवार के अन्य सदस्यों, कार्यस्थल तथा सम्पूर्ण वातावरण में स्थानांतरित होता रहता है तथा अपने चेहरे बदलबदल कर महिलाओं की व्यवस्थापन क्षमता को प्रभावित करता रहता है।

तनाव व्यक्ति की समायोजन क्षमता को प्रभावित करता है। तनाव व्यक्ति की परिस्थिति, स्थान व कार्यक्षेत्र वातावरण आदि से संबंधित हो सकता है। यद्यपि पुरुष और स्त्रियों दोनों में तनाव पाया जाता है, परन्तु भारतीय परिवेश में यह दोनों वर्ग अलग-अलग कर्त्तव्यों और अधिकारोंका पोषण करते है। अत: इनके प्रभाव में भी भिन्नता पाई जाती है। परिवार तथा कार्यक्षेत्र के दोहरे मापदण्ड महिलाओं को मानसिक रुप से एक ऐसे दोहरे पर लाकर खड़ा कर देते है कि वह यह निर्णय नही कर पाती कि परिवार नौकरी के लिए या नौकरी परिवार के लिए, कभी-कभी गंभीर पारिवारिक अस्थिरता तथा कार्यस्थल पर कार्य का बोझ उसमें अत्यधिक तनाव उत्पन्न कर देते है। कार्यस्थल संबंधी तनाव व्यक्तिगत रुप से कार्यकारी व्यक्ति को प्रभावित करता है अर्थात् कार्य करने वाले के शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में किसी के पास भी समय नहीं है। सभी अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। भौतिकवादी सुविधाओं का उपयोग करते आज का समाज इतना आदी हो गया है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलता है। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। अत: महिलाओं के उत्तम स्वास्थ के लिए नियमन और योग करना बेहद आवश्यक है यह एक ऐसी अनिवार्य प्रतिक्रिया है जिनकी सहायता से महिला स्वस्थ रहते हुए मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकती है।

भारत में योग-एक विद्या – योग प्राचीन भारत की प्राचीनतम विद्या है, जिसका शुभारम्भ हमारे देश में हुआ है। विश्व के देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि मार्शल कलाओं का जन्म भारत में हुआ है। मार्शल कलाओं की आत्मा योग है। महाभारत काल में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए योग प्रक्रिया के द्वारा मानसिक रुप से राजी किया था।

वैदिक काल में मुनि पतंजलि ने सर्वप्रथम योग की खोज की थी। व्यायाम और योग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही उसके मस्तिष्क को भी निरोग रखते हैं। यदि इस पर विचार करें तो योग साध्य, प्राणायम, कार्योत्सर्ग, आसन-क्रियाओं का मिश्रण है। किसी भी स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र के लिए योग विद्या जीवन मूल्यो की नींव होती है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास योग के द्वारा ही सम्भव होता है। प्राचीन ऋषि-मुनियों, गुरुओं, ने उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, सदाचार, योग आदि के महत्व को माना है। इसके साथ ही आधुनिक चिन्तक भी मानते हैं कि योग के द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है। महिलाये निरोग रहते हुए अधिक कार्यशील रह सकती है और सुख शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है।

योग क्या है – वैदिक काल से वैदिक साहित्य में ययोग शब्द ययुज धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ यजोड़ना या यमिलना है। प्रश्न यह कि किसको- किससे जोड़ना है। गीता में योग के लिये कहा गया है- आत्मा से परमात्मा को मिलाना योग है। भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है कि योग: कर्मेषु-कौशलम्-अपने कार्य में कुशलता लाना ही योग है।

पतंजलि ने कहा है कि - योगश्चित वृत्ति निरोध:- अपने चित्त में वृत्ति उभर कर आती है। उन्हें नियन्त्रण करना योग है। गीता में कहा गया है कि संमत्व योग उच्यते-खुशियों व गम में समान भाव रखना योग है। वशिष्ट ने कहा है कि-योग शान्ति: योगशक्ति है।योग के प्रमुख अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। इन सब के द्वारा मानव शारीरिक, मानसिक रोगों को दूर करके शान्त, संम्पूर्ण सफल होता है एवं आन्तरिक द्वन्द्व समाप्त होते हैं। प्रकाश, आनन्द ज्ञान की स्थाई प्राप्ति होती है। अत: योग महा विज्ञान जीवन के लिये महान है।

योग मानव जीवन का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्तरों पर प्रतिबिम्ब होता है। इन स्तरों पर योग द्वारा लाभ प्रदान किया जा सकता है । योग मानव जीवन के लिये क्रमबद्ध तरीके से हमारी भावनाओं को सक्रिय एवं ऊर्जावान रहना सिखाता है।

शोध का उद्देश्य एवं अध्ययन की आवश्यकता- इस शोध अध्ययन की आवश्यकता में योग को प्रधान माना है। योग द्वारा व्यक्ति की बिखरी बटी हुई चेतना की एकात्मकता व सम्पूर्णता, योग-ध्यान को समर्थ समाधान माना गया है। योग के माध्यम से व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकता सुसंस्कारित करना है। मानव जीवन में योग-प्रक्रिया आत्मा व शरीर के मध्य मन की कड़ी है। जो यआत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। योग मन की स्वस्थता से इन्द्रियों, समूह, शरीर को स्वस्थ रखता है। योग को मन, बुद्धि, इन्द्रियों के लिये प्रधान एवं आवश्यक माना है।

व्यक्तियों पर योग के द्वारा शारीरिक समस्याओं का उपचारात्मक एंव वर्तमान युग के व्यक्तियों के अगनित समस्याओ के प्रवेश, तनाव एवं योग

*प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

विज्ञान की साधनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा रोग दूर करना, आध्यात्मिक साधना एवं शारीरिक, मानसिक भावनात्मक, समस्याओं का योग द्वारा अध्ययन किया है।

अत: शोध कार्य के दौरान निम्न आधारों को रखा गया–

1) कार्यकारी महिलाओं का कार्यक्षेत्र संबधीं तनाव एवं घरेलू तनाव का अध्ययन करना।

2) कार्यकारी महिलाओं का कार्यक्षेत्र संबधींतनाव एवं घरेलू तनाव के मध्य संबंधों का अध्ययन करना।

3) विभिन्न आर्थिक–सामाजिक स्तर की कार्यकारी महिलाओंका कार्यक्षेत्र संबधींतनाव के प्रभाव का अध्ययन करना।

4) कार्यकारी महिलाओं के कार्य के घण्टे एवं कार्यक्षेत्र संबधींतनाव के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

5) कार्यकारी महिलाओं के तनाव को दूर करने के उपायों (योग, मनोरंजन एवं रचनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना)।

सर्वेक्षण पद्धति – किसी भी सर्वेक्षण पद्धति या षोध पद्धति का मूल उद्देश्य किसी विशिष्ट समस्या का निदान करना भी होता है। प्रस्तुत शोध में वर्तमान समाज की कार्यकारी महिलाओं की प्रमुख तनाव की समस्या को चयनित किया गया तथा तनाव स्तर को कम करने हेतु उपयोग किये जाने वाले उपायों का अध्ययन एवं योगा द्वारा समस्या के हल को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत शोध में इन्दौर नगर की शासकीय सेवा में कार्यरत 120 महिलाओं की सूची तैयार की गई और स्वनिर्मित अनुसूची के द्वारा 20 प्रश्न तैयार किये गयें। इसमें 30–50 आयुवर्ष की विवाहित महिलाओं को शामिल किया। समय की कमी के चलते प्रतिदिन 05 महिलाओं के पास जाकर अनुसूची को भरवाया गया। इसमें तनाव के स्तर तथा योगा की कार्य विधि को जानने की कोशिश की गई–

तालिका– 1

कार्य के प्रकार — तनाव का स्तर

	उच्च H	मध्यम A	निम्न L	महिलाओं की कुल संख्या
महिला डॉक्टर	04	22	4	30
म. स्कूल टीचर	06	20	4	30
म. बैंक कर्मी	10	18	2	30
म. कॉलेज टीचर	08	14	8	30
कुल	28	74	18	120

उक्त तालिका में स्पष्ट है कि अलग–अलग प्रकार के कार्य और तनाव स्तर का महिलाओं पर अलग–अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह सर्वे में धरेलु तनाव भी अलग–2 पाया गया –

तालिका– 2

वर्ग — घरेलू तनाव का स्तर

	उच्च H	मध्यम A	निम्न L	महिलाओं की कुल संख्या
महिला डॉक्टर	16	10	04	30
म. स्कूल टीचर	20	08	02	30
म. बैंक कर्मी	18	08	04	30
म. कॉलेज टीचर	14	10	06	30
कुल	68	36	16	120

इस तरह महिलाओं के घरेलु एवं कार्य क्षैत्र में उच्च स्तर का तनाव पाया गया। कार्यकारी महिलाओं के कार्य के घण्टे भी तनाव का कारण बनते हैं। यह स्तर निम्न तालिका में स्पष्ट है।

कार्य–समय में तनाव

कार्य के घण्टे	उच्च H	मध्यम A	निम्न L	महिलाओं की कुल संख्या
10	16	12	02	30
8	6	14	10	30
6	8	10	12	30
4	12	14	04	30
कुल	42	50	28	120

इस तरह सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि सरकारी क्षैत्र में कार्यकारी महिलायें परिवार एवं नौकरी सम्बन्धी कार्य के साथ चलते–चलते कई बिमारियों का शिकार हो जाती है जैसे–शुगर, उच्चरक्तचाप, मोटापा, थायराइड, अस्थमा आदि की तकलीफें तनाव उत्पन्न कर रहीं हैं।

महिलाओं में तनाव कम करने में योग की भूमिका– इन्दौर नगर की जिन 120 कार्यकारी महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, वे सभी योग के विभिन्न आसन से जुड़ी रही हैं। उनके प्राप्त कुछ उत्तर निम्न तालिकाओं से स्पष्ट हैं–

तालिका– 4

(सर्वेक्षण की स्थिति)

समयानुसार महिलाओं का प्रतिशत

क्र. स.	प्रतिदिन योग का समय	उत्तरदाता म. की सख्या	प्रतिशत
1)	1 घन्टा	48	40 %
2)	2 घन्टा	36	30 %
3)	अनिश्चित समय	36	30 %
	–	120	100 %

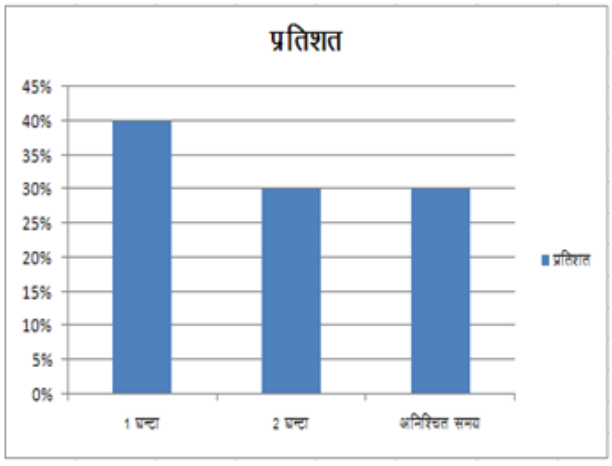

योग करने का समय

इसमें स्पष्ट है कि 40 % कार्यकारी महिलायें 1 घण्टा समय योग के लियें दे सकती हैं। 30 % कार्यकारी महिलायें ऐसी है जो अनिश्चित समय तक योग करती है।

तालिका– 5
कार्यकारी महिलाओं का प्रतिशत (स्वास्थ्य सम्बन्धी)

क्र. स.	स्वास्थ्य के लिये योग क्रियाओं का उपयोग	महिला उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	ध्यान के द्वारा	24	20 %
2	प्राणायाम द्वारा	48	40 %
3	आसन द्वारा	36	30 %
4	इन सभी के द्वारा	12	10 %

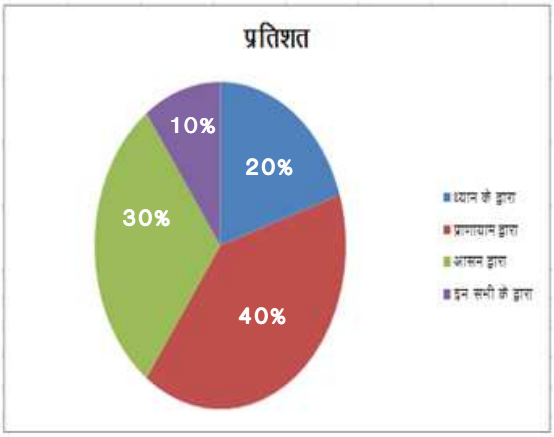

कार्यकारी महिलाओं का स्वास्थ संबंधी प्रतिशत – इस तरह तालिका 5 में, यह पाया गया कि कार्यकारी महिलायें, योग द्वारा स्वास्थ्य रहने के लियें, ध्यान हेतु 20 %, प्राणायाम हेतु 40 %, आसन द्वारा 30 % तथा उपरोक्त सभी क्रियाओं को 12 % महिलायें उपयुक्त मानती हैं। इसी तरह बालको को स्कूल में योग की शिक्षा अनिवार्य करने के लियें 100 % उत्तर दाताओं ने समर्थन दिया है, तथा निद्रा एवं स्मरण शक्ति के लिये योग की भूमिका को भी 100 % उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है।

तालिका क्र 6
योग और व्यक्तित्व विकास

क्र. स.	विकास का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	मानसिक विकास	सभी	100 %
2	भावनात्मक विकास	सभी	100 %
3	शारीरिक विकास	सभी	100 %
4	सभी स्तरों में	सभी	100 %
	कुल	120	100 %

इसी तरह उत्तरदाताओं से यह जानना चाहा कि वे कहाँ योग करना चाहेगी। तो 60 % महिलाओं ने योग संस्थान में, 35 %खुले मैदान–बगीचे और 15 % घर में योग करना पसन्द किया।

कुछ महिला उत्तरदाताओं ने अन्य आधारों पर भी तनाव कम करने के उपायों पर जोर दिया जो तालिका में स्पष्ट हैं

तालिका क्र 7

कार्य की प्रकृति	तनाव दूर करने आधार						कुल
(महिलायें)	योगा		मनोरंजन साधन		रचनात्मक कार्य		
	उत्तरदाता संख्या	%	उत्तरदाता संख्या	%	उत्तरदाता संख्या	%	संख्या
डॉक्टर	16	54	10	33	04	13	30
स्कूल टीचर	20	67	04	13	06	20	30
बैंक कर्मी	15	50	08	27	07	23	30
कॉलेज टीचर	17	57	06	20	07	23	30
कुल	68	57	28	23	24	20	120

निष्कर्ष – इस तरह सम्पूर्ण अध्ययन में पाया गया कि आध्यात्मिक योग द्वारा मन के दुख, क्रोध आवेश का समावेशन किया जा सकता है। योग सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक रोगों और तनाव जन्य रोगों को दूर करता है। शारीरिक, मानसिक बौद्धिकता, आध्यात्मिक सभी आयामों का व्यवस्थित सुधार–विकास योग महा विज्ञान में संभव है। मस्तिष्क के सभी प्रकार के विकार योग मुद्रा कें नियमित अभ्यास से दूर किये जा सकते है।

कार्यरत महिलाओं के तनाव को दूर करने के उपायों में योग के द्वारा 57%, मनोरंजन द्वारा 23%, तथा रचनात्मक कार्यो द्वारा 20% सफलता प्राप्त होती है तो भी योगा की भूमिका सर्वाधिक है। अत: वर्तमान संदर्भ में कार्यकारी महिलाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कुछ समय योग के लिये निकालकर तनाव दूर किया जा सकता हैं और यह कार्यक्षमता वढानें में भी सहायक हैं। देश–विदेश में इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सर्वेक्षण कार्य इन्दौर नगर में किया गया।
2. देसाई, नीरा– भारतीय समाज में नारी मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली–
3. आहुजा राम– यभारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन जयपुर,
4. योगा सूत्र
5. पतान्जली
6. योगा एवं हेल्थ योगा
7. योग आसन सम्बन्धी विभिन्न पत्र पत्रिकायें।
8. समस्त तालिकाऐं इंदौर नगर में सर्वेक्षण अनुसूची के प्रश्न–उत्तरों पर आधारित हैं।

****

बालश्रम सामाजिक एवं आर्थिक समस्या

नाजिया शायमा *

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कार्य के बाल श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक समस्या का अध्ययन कर यह ज्ञात किया गया है कि हमारे देश में बाल श्रम की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। इसका कारण गरीबी, बेरोजगारी, कम पारिश्रमिक आय, अशिक्षा एवं अविकास है। तथा इन सभी कारणों के चलते देश में लगभग 37 करोड़ 50 लाख बच्चे आज कई समस्याओं से जूझ रहे हैं इन समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार तथा समाज के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु ये प्रयास काफी नहीं हैं। बाल श्रम जैसी घिनौनी, व गंभीर समस्या के समाधान से समाधान हेतु कड़े कदम उठाये जाने आवश्यक है ताकि इस भयानक समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। तथा इस हेतु सरकार को प्रभावी नीतियाँ बनाना चाहिए व समाज को भी समस्या के समाधान में पर्याप्त सहयोग देना चाहिए।

प्रस्तावना – बचपन, इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी। बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना–कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरुरी नहीं।

बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करे बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता – पिता की प्रताडना के चलते ये बच्चें बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं।

भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणन के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकडा 11.3 मिलियन था। 2001 में यह आंकाडा बढकर 12.7 मिलियन पहुंच गया।

बडे शहरों के साथ – साथ आपको छोटी शहरों में भी हर गली नुक्कड पर कई राजू–मुन्नी–छोटू मिल जाएंगे जो हालातों के चलते बाल मजदूर की गिरफ्त में आ चुके हैं और यह बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पडता है। जिनका बच्चों के मासूम मन पर बडा गहरा प्रभाव पडता है।

बाल श्रमिकों की परिभाषा – बाल श्रम से आशय ऐसे कार्य से जिसमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघटनों में शोषित करने वाली माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगिकीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों, श्रम अधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जन विवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में सामान्य है।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल श्रम आयोग अनुसार ''बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिसमें उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन बाधा उत्पन्न होती है।''

बाल श्रम, मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक व सामाजिक हितों को प्रभावित करता है, बच्चे आज के परिवेश में घरेलू नौकरों का कार्य कर रहे हैं। वे होटलो, दुकानों, कारखानों, सेवा केन्द्रों आदि में कार्य कर रहे हैं जिससे उनका बचपन पूर्णत: प्रभावित हो रहा है।

भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे कोई ऐसे कार्य या कारखानों इत्यादि में न रखा जाये जो खतरनाक हो। कारखाना अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बाल श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षा देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पहल इस दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया गया है। जिससे बच्चों के जीवन व शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है।

बालकों से संबंधित व्यवस्थाएँ – भारत में बालकों को भी वही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो वयस्कों को प्रदान किए गए हैं। इसके उपरांत भी बालकों के अधिकारों की एवं उनके संरक्षण की आवश्यकता है। समाज की वयस्क पीढ़ी पर यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह बालकों के आधिकारों की रक्षा करें। 1974 की 'राष्ट्रीय बाल नीति' में बालकों को 'राष्ट्र की अमूल्य निधि' स्वीकार किया गया है और इनकी समुचित देख रेख करना राष्ट्र का दायित्व माना गया है। इस राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में भारत की पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस पर यह दायित्व मुख्य रूप से दो प्रकार का है :–

1. यह कि उसको बालकों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनके विरूद्ध होने वाले अमानवीय कार्यों और अपराधों की रोकथाम करे।
2. बालकों को उपचार के मार्ग में जाने से रोके।

उपरोक्त दोनों कार्य पुलिस के गुरूत्तर कार्य हैं। बालकों के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाऐं और गैर–सरकारी संगठन यह शिकायत करते हैं कि पुलिस उन्हें तंग करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तथा उनका शोषण करती है। इसके साथ ही आम जनता को यह शिकायत रहती है कि वे इन बाल अपराधियों, किशोर अपराधियों तथा उपेक्षित जीवन बसर करने वाले बालकों के साथ कठोर कदम नहीं उठाते।

आज सारे विश्व में नागरिक अधिकारों के साथ–साथ बालकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 20 नवम्बर, 1959 की घोषणा मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस घोषणा में बालकों के संरक्षण और उनके समुचित विकास के लिए विश्व का मानव समाज जाग्रत हुआ। भारत भी संसार के उन

* शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

177 देशों में से एक है, जहां बालकों के अधिकारों की इस विश्वव्यापी घोषणा को आत्मसात किया गया है। इसलिए बालकों के रक्षक की भूमिका में भारत की पुलिस को इन 05 दृष्टिकोणों से कार्य करना चाहिए –

1. बालकों के विकास की दृष्टि से
2. बालकों के हित में विधिक दृष्टि से
3. बालकों के मानवाधिकारों की दृष्टि से
4. बालकों के कल्याण और उनके साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से
5. बालकों के सुधार करने की दृष्टि से

पारिवारिक जीवन की मौलिक सुविधाओं एवं आवश्यकताओं से वंचित, उपेक्षित तथा अपचारी बालकों की समस्याओं को इन्हीं बहुआयामी प्रयासों के दायरे में समझा जा सकता है। इस दृष्टि से भारत की पुलिस का भारत का संविधान, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अन्य प्रसंविदाएँ, बाल अधिकार, पुलिस आचरण के सिद्धांत तथा इस विषय की विधियाँ मार्गदर्शन कर सकती है।

भारत की पुलिस इस क्षेत्र में इन विधियों को भी ध्यान में रखें :–

1. बाल मजदूरी अधिनियमय, 1986
2. बाल एवं किशोर न्याय अधिनियम, 1986
3. बाल विवाह निषेघ अधिनियम, 1928
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. अनैतिक व्यापार अधिनियम।

इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी विधियाँ है जो पुलिस की इस दिशा में सतत् मार्गदर्शक हो सकती हैं।

बाल मजदूरी के कारण – यूनीसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरुप कठिन काम जिन कारणों से करते हुए, उनमें आम तौर पर गरीबी पहला है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों को लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता व अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते है, ताकि परिवार की आय बढ़ सके, जैसे अन्य कारण भी हैं और यदि एक परिवार के भरण पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है।

सन 1971, 1981, 1991, 2001 की जनगणना अनुसार देश में 05 से 14 वर्ष की आयु सीमा के बच्चों का राज्यवार वितरण

क्र.	राज्यों के नाम	1971	1981	1991	2001
1	आंध्रप्रदेश	1627492	1951312	1661940	136333
2	आसाम	239349		327598	351416
3	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500
4	गुजरात	518061	616913	523585	485530
5	हरियाणा	137826	194189	109691	253491
6	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774
7	जम्मू कश्मीर	70489	258437	,	175630
8	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615
9	मध्यप्रदेश	1112319	1698597	1352563	1065259
10	महाराष्ट्र	988357	1557756	1068427	764075
11	छत्तीसगढ़				364572
12	मनीपुर	16380	20217	16493	28836
13	मेघालय	30440	44916	34633	53940
14	झारखण्ड				107200
15	उत्तरांचल				70183
16	नागालैण्ड	13726	16235	16467	45874
17	उड़ीसा	492477	702293	452394	377594
18	पंजाब	232774	216939	142868	177268
19	राजस्थान	587389	819605	774199	1262570
20	सिक्किम	15661	8561	5598	6457
21	तमिलनाडू	713305	975055	578889	418801
22	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21756
23	उत्तरप्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997
24	पश्चिम बंगाल	511443	605263	711691	857087
25	अंडमान निकोबार	572	1309	1265	1960
26	अरूणाचल प्रदेश	17925	17950	12395	18482
27	चण्डीगढ़	1086	1986	1870	3779
28	दर्श नागर हवेली	3102	3615	4416	4274
29	दिल्ली	17120	25717	27351	41899
30	दमन	7391	9378	941	729
31	गोवा			4656	4138
32	लक्ष्यद्वीप	97	56	34	27
33	पांडीचेरी	3725	3606	2680	1904
34	मिजोरम	,	6314	16411	26265
35	केरला	111801	92854	34800	26150
	कुल योग	**10753985**	**13640870**	**11285349**	**12666372**

1. सन् 1971 की जनगणना के आँकड़ों में मिजोरम के आँकड़े भी शामिल हैं।
2. सन् 1981 में जनगणना नहीं की गई।
3. मिजोरम के आँकड़े आसाम के आँकड़ों में शामिल किए गए हैं।
4. सन् 2001 में सीमांत श्रमिक भी शामिल हैं।

बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु उपाय – वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए 'गुरुपाद स्वामी समिति' का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल, मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए कानूनन इस मुद्दें को प्रतिबंधित करना व्यावहारिक रुप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाये जाने की जरुरत है।

'गुरुपाद स्वामी समिति' की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियद्ध अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इस कानून के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहगार समिति के आधार पर जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की सूची का विस्तार किया जा रहा है।

बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के कड़ाई से प्रवर्तन के लिए विधायी कार्य योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि खतरनाक क्षेत्रों

में काम करने वाले बच्चों की कामकाजी परिस्थितियाँ बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक अतिरिक्त व्यवसायों और प्रक्रियाओं की आगे पहचान की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

बाल श्रमिकों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना चूंकि गरीबी बाल श्रम का मूल कारण है, कार्य योजना इन बच्चों और उनके परिवारों को सरकार के विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत भी आवृत करने की जरुरत पर बल देती है।

परियोजना आधारित कार्य योजना में, बाल श्रम के उच्च संकेन्द्रित क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरु करने की परिकल्पना की गई है। इसके अनुसरण में 1988 के दौरान देश के उच्च बाल श्रम स्थानिकता वाले 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपीद्ध नामक योजना का प्रवर्तन किया गया। इस योजना में काम से छुडाए गए बाल श्रमिकों के लिए विशेष पाठशालाएं चलाने की परिकल्पना की गई है। इन विशेष पाठशालाओं में इन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षाऐं, 150 प्रति माह का वजीफा संपूरक पोषण और नियमित रुप से स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें मुख्य धारा वाले नियमित पाठशालाओं में भर्ती होने के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के तहत बाल श्रमिकों हेतु विशेष स्कूल चलाने के लिए जिलाधीशों को निधि प्रदान की जाती है। इनमें से अधिकांश पाठशालाएं जिले के गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही है।

निष्कर्ष – देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये है। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक आर्थिक समस्या मानी जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुडी हुई है। इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरुरी है गरीबी को खत्म करना। इन बच्चों के लिए दो वक्त का खाना मुहैया कराना। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं आम जनता की भी इसमें सहभागिता जरुरी है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रुप से सक्षम हो अगर ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने लगे तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा।

क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते है। देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.childlabour/wikipedia.com
2. मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार लेखक डॉ. जी.पी. नेमा
3. Believenext.blogspot.com
4. Census 1971 to 2011.pdf
6. www.Hindi.wikipedia.com

****

मुरैना जिले में बेरोजगारी की दशा – दिशा

सरलेश मौर्य *

शोध सारांश – बेरोजगारी समस्त मानव जाति के लिये एक असहनीय पीड़ा के समान है, जो कि मानव एवं समाज के नैतिक पतन का कारण भी है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास रोजगार न होने के कारण वह अपने परिवार के भरण–पोषण के लिये दो वक्त का खाना भी नही जुटा पाता परिणाम स्वरूप समाज में विसंगतियाँ उत्पन्न होती है और नई–नई समस्यायें जन्म लेती है। तमाम प्रयासों के बाद भी स्थिति दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। बेरोजगारी निर्धनता गन्दगी, रोग अशिक्षा – जैसे पाँच राक्षसों ने संसार को विनाश की ओर प्रेरित किया है। बेरोजगारी से क्रय शक्ति घट जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है। जिसका दुष्परिणाम परिवार एवं बच्चों पर पड़ता है। बेरोजगारी मानसिक तनाव को जन्म देती है।

अत: इस समस्या को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते है 'सामान्य रूप से जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिये कोई नही मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह जीविका कमा सके तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते है।

शब्द कुंजी – बेरोजगारी , मानव , रोजगार , समाज , कार्यशील , गैर कार्यशील ,जनसंख्या, मुरैना जिला जिले , विकासखण्ड ।,

प्रस्तावना – बेरोजगारी समस्त मानव जाति के लिये एक असहनीय पीड़ा के समान है, जो कि मानव एवं समाज के नैतिक पतन का कारण भी है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास रोजगार न होने के कारण वह अपने परिवार के भरण–पोषण के लिये दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता परिणाम स्वरूप समाज में विसंगतियाँ उत्पन्न होती है और नई–नई समस्यायें जन्म लेती है। तमाम प्रयासों के बाद भी स्थिति दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। बेरोजगारी निर्धनता गन्दगी, रोग अशिक्षा – जैसे पाँच राक्षसों ने संसार को विनाश की ओर प्रेरित किया है। बेरोजगारी से क्रय शक्ति घट जाती है, जीवन स्तर गिर जाता है। जिसका दुष्परिणाम परिवार एवं बच्चों पर पड़ता है। बेरोजगारी मानसिक तनाव को जन्म देती है। जिससे समाज एवं सरकार के प्रति क्रूरत्ता के भाव जाग्रत होते हैं परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है। बेरोजगारी के दुष्परिणाम यही खत्म नहीं होते बल्कि सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बेरोजगार व्यक्ति प्राय: चोरी डकैती, बेईमानी, शराबखोरी हत्या आदि बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। उनके जीवन का कोई अर्थ व महत्व नहीं रह जाता और वे समाज विरोधी एवं देश विरोधी कार्य करने में भी संकोच नहीं करते।

सामान्यत: यह देखा जाता है कि देश की सारी श्रमिक जनसंख्या के पास रोजगार नहीं होता। जनसंख्या का एक भाग बेरोजगार होता है और बेरोजगारी की यह मात्रा अल्प विकसित देशों में बहुत अधिक होती है। विशेष रूप से ऐसे देशो में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक और तेजी से बढ़ रही होती है। भारत देश पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है और हम नि:संदेह कह सकते है कि बेरोजगारी भारत की मूल भूत एवं अत्यन्त गम्भीर समस्या है और यह देश में व्यापक रूप से फैली हुई है, समय के साथ–साथ यह और भी बढ़ती जा रही है। कोई भी क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नही है चाहे वह गाँव हो या शहर।

इस प्रकार से बेरोजगारी शिक्षित वर्गो के बीच भी देखने को मिलती है और अशिक्षित वर्गो के बीच भी। हमारे देश में काफी संख्या में श्रमिक बेरोजगार और अल्प बेरोजगार की दशा में है।

बेरोजगारी के अनेक आर्थिक और आर्थिकतर दुष्परिणाम होते हैं जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिये बहुत घातक और गम्भीर होते है। व्यापक बेरोजगारी की दशा में राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। जिसका पूँजी निर्माण व्यापार–व्यवसाय और प्रगति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी उत्पन्न होती है। शिक्षित बेरोजगारों में भी उन संसाधनों की बर्बादी होती है। जो उनके कौशल और प्रशिक्षण में लगाये जाते है।

अत: इस समस्या को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते है ''सामान्य रूप से जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिये कोई नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह जीविका कमा सके तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते है।''

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया गया है।

बेरोजगारी का स्वरूप –

प्राय निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी देखी जा सकती है।

1. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal unemployment)
2. छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी
3. खुली बेरोजगारी
4. संरचनात्मक बेरोजगारी
5. घर्षणात्मक बेरोजगारी – शहरी बेरोजगारी ,ग्रामीण बेरोजगारी
6. चक्रीय बेरोजगारी
7. प्रावधिक बेरोजगारी :- अल्परोजगार, प्रछन्न बेरोजगारी

अत: हम कह सकते है भारत एक विकासशील देश है। जहाँ पर जनसंख्या अत्यन्त तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण यहाँ पर बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याऐं मुँह फैलाये खड़ी है। भारत में बेरोजगारों की समस्या का संबंध केवल

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

अशिक्षितों से ही नहीं है बल्कि बेरोजगारी की समस्या तो शिक्षित वर्गों के बीच भी देखने को मिलती है। हमारे देश के युवा वर्ग में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बेहद गंभीर व चुनौती पूर्ण बनती जा रही है। वर्तमान समय में भारत में विद्यमान प्रमुख समस्याओं पर नजर दौड़ाये तो अन्य समस्याओं के अलावा शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त चिन्तनीय है।

जिला मुरैना में गैर कार्यशील जनसंख्या की विकास खण्डवार स्थिति–

जिला मुरैना को अगर गैर कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाये तो सन् 1991 में 911618 थी जो बढ़कर 2001 में 1002115 हो गई। जिला मुरैना को अगर कुल गैर कार्यशील जनसंख्या को प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाये तो जिले में 51.95% पुरूष तथा 76.25% स्त्री बेरोजगारी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है।

तालिका क्रमांक 1.1 (पीछे देखें) – तालिका क्रमांक 3.5 में जिला मुरैना की विकास खण्ड वार कुल गैर कार्यशील में जनसंख्या की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जिला मुरैना की सातों विकासखण्ड में सर्वाधिक बेरोजगार जनसंख्या मुरैना विकासखण्ड में वर्ष 1991 में 271678 है जबकि सबसे कम जिले की पहाड़गढ़ विकासखण्ड में 74116 है इसी क्रम में वर्ष 2001 में सर्वाधिक बेरोजगार जनसंख्या पुरूषों एवं स्त्रियों में मुरैना विकासखण्ड में क्रमश: 141951, 177099 है। जबकि सबसे अधिक मुरैना विकासखण्ड में 53.43% पुरूष है। जबकि सबसे कम पहाड़गढ़ 48.58% है।

इसी प्रकार स्त्रियों की स्थिति को देखा जाये तो सबसे अधिक स्त्रियों का प्रतिशत जिले की मुरैना विकास खण्ड में 82.67% है जबकि सबसे कम कैलारस विकासखण्ड में 64.72% है।

तालिका क्रमांक 1.2 (पीछे देखें) – तालिका क्रमांक 3.6 में मुरैना जिले की कुल कार्यशील जनसंख्या को विकास खण्ड वार दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है। कि मुरैना जिले के मुरैना विकास खण्ड में कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक है इसमें कुल 124002 पुरूष एवं 371128 महिलायें कार्यशील है। इस प्रकार से मुरैना विकास खण्ड में कुल 161130 स्त्री–पुरूष कार्यशील है।

इसी प्रकार से सबसे कम कार्यशील जनसंख्या पोरसा विकास खण्ड की है। इसमें 52663 पुरूष एवं 24035 महिलायें कार्यशली है। अत: इस प्रकार से पोरसा विकासखण्ड में कुल 76698 स्त्री–पुरूष कार्यशील है।

अत: उपर्युक्त तालिका क्रमांक में कुल कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत दर्शाया गया है। जिले के मुरैना विकास खण्ड में कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत पुरूषों का 46.63% एवं महिलायों का 17.33% है जो कि सभी विकास खण्डों से कम है पहाड़गढ़ विकास खण्ड में कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत पुरूषों का 51.42 एवं महिलाओं का 35.00% है।

तालिका क्रमांक 1.3 (पीछे देखें) – तालिका क्रमांक 3.7 में मुरैना जिले में कृषक, मजदूर एवं पारिवारिक उद्योगों में संलग्न जनसंख्या को दर्शाया गया है। मुरैना जिले में कृषि कार्य में कुल 256896 पुरूष एवं 78590 महिलाये संलग्न है। मजदूरी के क्षेत्र में कुल 40495 पुरूष एवं 27280 महिलाये संलग्न है। तथा जिले में कुल 6002 पुरूष एवं 5631 महिलायें पारिवारिक उद्योग में कार्यरत है।

बेरोजगारी के कारण एवं उपाय–

1. निरन्तर तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भी बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।
2. भारत में शिक्षा का स्वरूप प्रधान शिक्षा है जिसके कारण भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है।
3. स्थानीय निवास एवं गांव आदि से लगाव होने के कारण भी व्यक्ति अन्य स्थान पर रोजगार मिलने पर भी नहीं जा पाता परिणाम स्वरूप बेरोजगारी पनपने लगती है।
4. भारत में तकनीकी शिक्षा का पूर्ण विस्तार नहीं है परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती।

बेरोजगारी को दूर करने के उपाय–

1. सर्वप्रथम हमें इस तेजी ये बढ़ती जन संख्या पर रोक लगानी चाहिए।
2. भारत में शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आज की आवश्यकता के अनुसार जरूरी परिर्वतन किये जाने चाहिए।
3. रोजगारों के ऐसे अवसर प्रदान किये जाने चाहिये कि बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में अपने निवास स्थान से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।
4. हमारे देश में तकनीकी शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की इस भयानक समस्या का निदान किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ममोरिया चतुर्भुज ,भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. यूनिक सामान्य अध्ययन
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला मुरैना 2009
4. भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, वर्ष 2010
5. आर्थिक समीक्षा 2011
6. रोजगार निर्माण
7. दैनिक भास्कर

****

तालिका क्रमांक 1.1 – जिला मुरैना की गैर कार्यशील जनसंख्या की विकास खण्ड वार स्थिति

क्रं.	विकासखण्ड /जिला	कुल गैरकार्यशील जनसंख्या सन् 2001				कुल गैर कार्यशील जनसंख्या % 2001	
		पुरूष	स्त्री	योगफल 1991	योगफल 2001	पुरूष	स्त्री
0	1	2	3	4	5	6	7
1	पोरसा	55317	67336	125227	122653	51.23%	73.81%
2	अम्बाह	63321	77432	137323	140753	52.43%	77.40%
3	मुरैना	141951	177099	271678	319050	53.43%	82.67%
4	जौरा	63362	78992	130527	143204	51.72%	80.95%
5	पहाड़गढ़	36052	39252	74116	75302	48.58%	65.00%
6	कैलारस	41785	45442	81169	87227	49.58%	64.72%
7	सबलगढ़	52347	61177	91578	113524	53.29%	73.39%
8	जिला मुरैना	454135	547980	911618	1002115	51.95%	76.25%

स्त्रोत:– जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2009 जिला मुरैना पृ.क्रं. 21

तालिका क्रमांक 1.2 – जिला मुरैना की कुल गैर कार्यशील जनसंख्या की विकास खण्डवार स्थिति

क्रं.	विकासखण्ड /जिला	कुल गैरकार्यशील जनसंख्या सन् 2001				कुल गैर कार्यशील जनसंख्या % 2001	
		पुरूष	स्त्री	योगफल 1991	योगफल 2001	पुरूष	स्त्री
0	1	2	3	4	5	6	7
1	पोरसा	52663	24035	76698	41966	48.77%	26.19%
2	अम्बाह	57448	22608	80056	45782	47.57%	22.60%
3	मुरैना	124002	37128	161130	99258	46.63%	17.33%
4	जौरा	59148	18792	77940	48734	48.28%	19.05%
5	पहाड़गढ़	38162	21130	52292	36469	51.42%	35.00%
6	कैलारस	42652	24768	67420	41536	50.51%	85.28%
7	सबलगढ़	45879	22184	68063	53731	46.71%	26.61%
8	जिला मुरैना	419954	1760645	590599	367476	48.05%	23.75%

स्त्रोत:– जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2009 जिला मुरैना पृ.क्रं. 21

तालिका क्रमांक 1.3 – जिला मुरैना की विकासखण्ड वार कार्यशील एवं गैर कार्यशील जनसंख्या

क्रं.	विकासखण्ड /जिला	कृषक		मजदूरी		पारिवारिक उद्योग	
		पुरूष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरूष	स्त्री
0	1	2	3	4	5	6	7
1	पेरसा	33394	2210	5796	1896	558%	776%
2	अम्बाह	36651	3323	6615	2135	531%	797%
3	मुरैना	57569	13935	10959	7146	2093%	1891%
4	जौरा	38465	9377	6566	4264	1435%	876%
5	पहाड़गढ़	29927	13722	4313	4412	441%	624%
6	कैलारस	30141	19499	3290	3581	471%	439%
7	सबलगढ़	30749	16524	2956	3346	473%	228%
8	जिला मुरैना	256896	78590	40495	27280	6002%	5631%

स्त्रोत:– जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2009 जिला मुरैना पृ.क्रं. 19

वैश्वीकरण का संस्कृतियो पर प्रभाव वैश्वीकरण एवं क्रियाशील देशो की चुनौतियाँ

डॉ. आशा शुक्ला * डॉ.अरुण कुमार शुक्ला **

प्रस्तावना – वैश्वीकरण समाज विज्ञानो में प्रमुख शोध और बहस का विषय है वैश्वीकरण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नही है इसे कभी 'विस्तार' कहा जाता है कभी 'तेज गति' की दुनियाँ के कम्प्रेशन के रूप में तो कभी दुनिया के वैश्विक गॉव बदले जाने और कभी सांस्कृतिक अंत क्रियाओं के बढ़ते जाने के रूप में समाजशास्त्र राबर्टशन ने वैश्वीकरण को दुनिया के सिमटते जाने और सांस्कृतिक अध्ययनों के बढ़ते के रूप में की होल्ड और मैक्रो ने इसको तीन प्रकार की प्रक्रियाओं का समिश्रण कहॉ है ।

1. हाइपरग्लोबलिस्ट विचार धारा का मनना है कि वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य की संप्रभुता की जगह बाजार की संप्रभुता पर आधारित है यह विचार आर्थिक वैश्वीकरण पर अधिक जोर देती है इससे राष्ट्रवाद और उसके नियंत्रण को समाप्त कर उसकी जगह बाजार कर सम्प्रभुता को स्थापित किया जाये ।
2. संशयवादी विचार धाराए भावी समाज, संस्कृति के ग्लोबल होने पर संशय करते है इन दोनों परस्पर विरोधी होने पर संशय करते है इन दोनों विरोधी विचारधराओं के बीच एक समायवादी विचारधाए भी है।
3. जिसे परिवर्तनवाद कहा जाता है इस विचारधाराए के अनुसार वैश्वीकरण 'एक फोर्स विदाउट फेस है जो समाजों संस्कृतियों अर्थव्यवास्था, मूल्यों, तकनीकी और जीवनशैली को परिवर्तन की दिशा में बाधा कर रहा है। इनके अनुसार वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिवर्तन के लिये बाधा करने वाली प्रक्रिया है।

यह प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है जो विजेताओं का भी निर्माण कर रही है और पराचितों को भी परिवर्तनवादी वैश्वीकरण को मात्र आर्थिक वैश्वीकरण नहीं मानते वरन तकनीकी (IT और हाईटेक), आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतियों वैश्वीकरण भी मानते है, अंथोनी गिडंय के अनुसार 'वैश्वीकरण ने भौगोलिक दूरी, समय, राष्ट्रों की सीमाओं और संस्कृतियों को एक दूसरे से अंत क्रिया करने एवं समाजों को सिमटने की दिशा में बाध्य किया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी टी.वी. चैनलों और संवाद की केन्द्रिम भूमिका है। अर्थात मार्क्स की लेबर थ्योरी ऑफवैल्यु अब नालेज थ्योरी ऑफ वैल्यू बनती जा रही है। पूँजीवाद अब औद्योगीकरण को नहीं बढ़ा रहा है (अर्थात अति आवश्यकता वाला युग हो चुका है) (चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक) और इसकी जगह अर्थव्यवस्था सर्विस आधारित होती जा रही है यह वित्तीय पूंजीवाद है जहां सूचना ज्ञान और टैक्नॉलाजी ही बाजार की प्रतियोगिता में टिके रह सकते है। वैश्वीकरण एक नई संस्कृति को भी ला रहा है जो धार्मिक–पारंपरिक ने होकर कल्पनाशील रचनात्मकता वाली हैं। स्थानीय न होकर वैश्विक है, अशिक्षित न होकर अध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित है। पूंजी, सूचना, टैक्नालाजी, नेटवर्क, मासमीडिया द्वारा निर्मित सक्ष्य पर आधारित इस संस्कृति के मूल्य, जीवनशैली स्थितियां और परिस्थितियां अब तक के सब कुछ से भिन्न है। जब पूरी अर्थव्यवस्थायें एक दूसरे से जुडकर एक ग्लोबल मार्केट का रूप लेती जा रही है, सूचना तकनीकि और हाईटेक तीव्रगति से क्रांति ला रहे है यहां भविष्योन्मुखी जीवनशैली स्थीकारण स्वीकृत रहने की पहली शर्त होगी। 20 वीं सदी तक सर्वाजनिक पलायन पुरूषों और मजदूरों का हुआ अब ब्रेनड्रेन सर्वाधिक होने लगा है प्रत्येक देश सर्वश्रेष्ठ ब्रेन को अपने यहां लानाचाहता है कृषको ,मजदूरों,अशिक्षितो और असंगठित क्षेत्र के श्रम को सर्वाधिक कठिनाईयाँ बढ़ने लगी है विकसित देशो में तो यही प्रक्रिया चल रही है पर्यटन, शरणार्थी, पर्यावरण, सशक्तिकरण जबाबदेही और सहमति इस युग के सर्वाधिक प्रमुख बनते जा रहे है उपनिवेशवाद या अधुनिकीकरण वाली प्रक्रिया में पारंपरिक कृषि समाजों के समक्ष विकास थे कि वे चाहे तो साम्यवादी विकास ला सकते है चाहे पूँजीवाद या चाहे प्रजातांत्रिक समाजवादी ,परन्तु वैश्वीकरण की तीव्र प्रक्रिया में विकासशील देशों के समक्ष अपनी परंपरा अनुसार इच्छित दिशा में विकास लाने की स्वतंत्रता नहीं है ।

1. सभी देशो को एक अर्थतंत्र एक विश्वबाजार से जुड़ना अनिवार्य है पहले गैट (जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टेरिफ एण्ड ट्रेडर्स) अब विश्वबैंक, बहुराष्ट्रीय निगम और विश्व बाजार सगठन के निर्देशों के अनुमम बनना सबकी आवश्यता है जो इसका विरोध करेगा उसके खिलाफ अमेरिका और सैन्य संगठन (नाटो ,सेंटो इत्यादि) है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति ने दुनिया की भैगोलिक दूरियों फासलों को कम्प्रेस्ड और एक दूसरे से जुड़ने की दिशा में काम किया हैं ।
3. उपग्रहीय टी.वी. चैनलों के 24 घण्टे प्रसारण ने संचार क्रान्ति को बढ़ाया है जिस पर अमेरिकी करण घटी है पहले राष्ट्रीय संस्कृतियों में नागरिक रहता था पर आज नेटवर्क संस्कृति के केन्द्र में उपभोक्ता है पहले नागरिक को एक जगह से दुसरी जगह जाकर कोई काम करना पड़ता था स्कूल, कार्यालय, बाजार, अस्पताल थे पहले संगठन थे अब ये फंक्शन है राज्यों की सीमायें, दूरी विचारधारा ,सिद्धांत सार्वजनिक और कमजोर होते जा रहे है।

तकनीकी पर आधारित इस वित्तीय पूँजीवाद में तर्क विवेक वर्ग चेतना, कार्यकारण संबध ,वर्ग संघर्ष, बहुमत, यर्थाथ, सब गायब होते जा रहे है। सब कुछ दबाव, निर्मित साध्य लोक लुभावनवाद द्वारा तय होने लगा है। जनता को नेटवर्क और टी.वी. चैनलों द्वारा जनसमाज में बदला जा रहा है। जनता के पास अनुभव होते थे, विवेक था और अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय (म.प्र.) भारत ** सहायक प्राध्यापक (राजनीति) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

करने की स्वतंत्रता होती थी जनसमाज के पास न अनुभव है न तर्क और न विवेक वह सूचना प्रोद्यौगिकी और टी.वी. चैनलों द्वारा निर्मित उपभोक्ता है। दर्शन की जगह आज विमर्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है सब कुछ विडियों गेम की तरह होते जा रहा है जहां निरपेक्ष सत्य की स्वतंत्रता उसी को है जो भुगतान करने की स्थिती में है। बस वैश्विक संस्कृति भाषा अंग्रेजी होगी जापान और चीन में अंग्रेजी भाषा और वैश्विक संस्कृति के बढ़ते प्रचलन से वहा की स्थानीय संस्कृतियों को बचाये रखने की चुनौतिया बढ़ती जा रही है। पहले भाषाओं एवं संवाद की समस्या के कारण परस्पर निर्भरता या एकीकरण के मार्ग में बडी बाधाऐं थी अब सूचना प्रोद्यौगिकी एवं टी.वी. चैनलो ने इस बाधा की समाप्त करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रोलैंड राबर्टसन के अनुसार – समाजशाास्त्र अब राष्ट्रीय अध्ययन नही वरन वैश्विक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के सब में जाना जाने लगा है। नीडरवीन पीटर्स ने इसे संस्कृतियों के वैश्वीकरण के रूप में व्याख्या की है। उसके अनुसार वैश्वीकरण तीन प्रक्रियाओं का नाम है। प्रथम हटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिकलाईजेशन के रुप में व्याख्या की है। दूसरी प्रक्रिया मैफडोनाल्डइजेशन है (रील्जर) यह पूरी दुनिया को एक ग्लोबल कल्चर की ओर ले जा रही है। तीसरी प्रक्रिया सभी संस्कृतियों का सम्मिश्रण में सें निकलने वाली एक नई संस्कृति है।

मानव सभ्यताओं ने प्रारंभ से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अनुभव किया है। आज वैश्वीकरण बढ़ाने वाले माध्यमों ने इसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया है समाजशाास्त्र यह मानता है कि प्रत्येक संस्कृति इथनोसेंट्रिक होती है। यदि अन्तर्मुखी है तो उसकी अतिवादिता धार्मिक कट्टरवाद या आतंकवाद के रूप मे षडयंत्र होते है यदि बर्हिमुखी है जो वह सांस्कृतिक साम्राजयवाद के रूप में प्रदर्शित होती है। है सामान्य अवस्था में इथनोसेंट्रिडम सामाजिक व्यवास्था की बनाए रखने का काम करती है। व्यक्तियों को अपनी पहचान मिलती है, दूसरे से सहयोग, स्वीकृति, विश्वास मिलता है। जब लम्बे समय से ये बाते चली आती है तो वे सांस्कृतिक परंपराये बनती है अभी तक सभी संस्कृतियों की अपनी अपनी परंपरायें है परंपराओं से मूल्य निकलते है। व्यक्तियों के लिये इन परंपराओं और मूल्यो का विरोध करना आसान नही होता क्योकि अधिकांश लोग इन परंपराओं और मूल्यों के पक्षधर होते है। संक्षेप में इस्लामी इथनोसेट्रिडज्म अर्न्तमुखी प्रकृति की संस्कृति है तोवैश्वीकरण बर्हिमुखी संस्कृति है जिसे विकासषील देषो में नव साम्राज्यवाद कहा जाता है।

इथनोसेंट्रिज्म के ठीक उलटी प्रक्रिया है जिसे समाजवादी कल्चर रिलेटिविज्म कहते है यह प्रक्रिया वही संभव है जहां विमर्श और दूसरों को स्वीकार करने की परंपरा होती है आंतरिक रूप से इसे बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है और वैदेशिक क्षेत्र में इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के इस में जाना जाता है वैश्वीकरण इथनोसेंट्रिज्म और कल्चर रिलेटिकिज्म दोनो ही प्रक्रियाओं का नाम है। यहां विजेताओं और पराजितों दोनो के प्रतिवाद और वाद संवाद (द्वंद्धात्मक प्रक्रिया) की दिशा में आगे बढ़ रहे है। पश्चिम में बहुसंस्कृतिवाद और विकासशील देशों में इथनोसेट्रिज्म की प्रक्रियाओं एक ही वैश्वीकरण द्वारा लाई जा रही है। पश्चिम में बहुसंस्कृतिवाद और प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे है जबकि विकासशील देशों में इथनोसेंट्रिज्म और प्रजातंत्र एक दूसरे से दूर जाते हुए लग रहे है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण अमीरो और गरीबों के बीच दूरी भी बढ़ा रहा है वर्तमान वैश्वीकरण तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक साम्राजवाद के रूप में ही आ रहा है न कि बहुसांस्कृतिक और प्रजातंत्रिक तरीके से मार्शल मैकलुहान के अनुसार वैश्वीकरण और मीडिया का सीधा संबध है। रटनन के अनुसार बिना मीडिया और संचार क्रांति के वैश्वीकरण गरीबी, पिछड़ेपन , बेरोजगारी और धार्मिक कट्टर के रूप में बढ़ता है जबकि मीडिया और सूचना प्रोद्यौगिकी पर आधारितवैश्वीकरण राजनीतिक, आर्थिक, टैक्नालाजिकल, सांस्कृतिक , सामाजिक सभी प्रकार से समय और स्थान पर नियंत्रण बढाने की दिशा में बढ़ रहा है ट्रांसलेशन एक्टिविडम इसी प्रक्रिया ये बढ़ता है जबकि मीडिया और सूचानायें सुविधायें सुरक्षायें भी है जापान में बच्चों को प्रथमिक शिक्षा स्तर से ही दूसरी संस्कृतियों को जानने समझने के लिये प्रेरित किया जाता है ताकि वे सभी संस्कृतियों में सांस्कृति भाषाओं के आधार पर अकेले न पड़े यही बात युरोपिये देशों में भी बढ़ी जबकी पांरपरिक संस्कृतियों में भावनात्मक उद्वेग अपराधीकरण नशाखोरी, हिंसा, आतंकवाद की तरफ समान बढ़ रहा है यहॉ विमर्श की संस्कृति भाषा की विभिन्नता और इथनोसंट्रिडम और परंपरिक मूल्यों के कारण धीमी गति से विकास कर रही है फलस्वरूप निजी और सर्वजनिक जीवन में विमर्श की बजाय धोखा, अधिकारिता संवाद सहमति के बिना ही निर्णय लेने की प्रकृति 21 वी सदी में विद्यमान है यहॉ राजनीति आज सभी भविष्य वादियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो आगें आने वाले दस बीस पचास वर्षों में आने वाली संभावनाओं एवं समस्याओं को आज से ही योजनाबद्ध तरीक से प्रयास है विकासशील देशों में यह प्रक्रिया अभी आंदोलन के रूप में नही दिखाई पड़ रही है यहॉ विकसित देशो के संदर्भ में ही भविष्यवाद की संरचानायें की जा रही है पश्चिम में सूचना प्राद्योगिकी और हाइटेक ने वहॉ के समाजों एवं सांस्कृतियों को तेजी से परिवर्तनों के अनुरूप होने के लिए बाध्य किया जा रहा है

वहॉ के समाज आधुनिकता को पीछे छोड़ उत्तर आधुनिक बन चुके है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था डिजिटल एवं सर्विस आधारित हो चुकी है उनकी जनसंख्या की बृहद संख्या कृषि औद्योगिकरण क्षेत्र की बजाय सर्विस सेन्टर एकोनॉमी में बदल चुकी है और बदली जा रही है सूचनाक्रान्ति का लाभ वहॉ Resarch and Development पर दिखने लगा है जबकी विकासशील देशों में 21 वी सदी में भी निरक्षरता, कृषि अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण पर ही सर्वाधिक जनसंख्या काम कर रही है विश्वबैंक ,अमेरिका ,और W.T.O.के दबाब के बबाजूद यहॉ स्ट्रक्चरल चेंज धीमा है शोध एवं विकास की स्थिति बड़ी दयनीय है जापान ,चीन एवं दक्षिण पूर्व देशों ने अपनी गति को पश्चिम की तरह बनाने में बढ़ाई जबकी अन्य(एशिया,अफ्रिका एवं अमेरिका 80%) ,देशों में वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे है विकसित देशों का संचालन अब भविष्यवादी विशेषज्ञ करने लगे है समस्त आयाम और दिशा में बदलती जा रही है मार्क्स एवं फीन्स की सभी मान्यतायें अनुपयोगी हो गयी है। सूचनायें तथ्यों ,कल्पना विमर्श एवं उन्नत टेक्नालॉजी से भविष्य विश्लेषण संभव हो गया है। पश्चिमी देशों में बड़े–बड़े संगठनों की जगह छोटे संगठनो का प्रचलन बढ़ा है जहाँ योग्यता ,उपलब्धि और रचानात्मकता के आधार पर ही सर्विस इकोनामी में टिके रह पाना संभव हे एल्किन टाफ्लर ने वैज्ञानिक भविष्यवाद के प्रचार प्रसार के लिये विभिन्य स्तरों पर संरचानायें गठित करने के सुझाव दिये है उनकी पुस्तकें 'फ्युचर शॉक पावर शिफ्ट और थर्ड वेव' इन सभी परिवर्तनों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते है। अमेरिकी और यूरोपीय समाजों में तकनीकि क्रान्ति में वहॉ अतीत से नाता तोड़कर तेजी सें भविष्य को अपने अनुकुल बनाने वाली संसकृति की ओर प्रेरित किया है तत्कालवाद ,परिर्वतन ,गतिशीलता और टैक्नालॉजी उनकी प्रमुख संस्कृति बन गयी है इस तीव्रता ने मानवजाति को 6 प्रकार से हिला दिया है

1. उनका समाज नितपरिवर्तनमय (Tramsiemt) है वहाँ व्यक्तियों वस्तुओं ज्ञान ,सत्य एवं संगठनों के प्रति स्थायी भाव या दीर्घकालिक संबंध नही स्वीकार किये जाते है।
2. यूज एण्ड थ्रो पर आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उपभोग महत्वपूर्ण है भावनायें नहीं अधिक उपभोग वही करता है जो भुगतान के लिये सक्षम है।
3. सूचना क्रान्ति दुरसंचार यातायात के साधनों ने वहाँ भौगोलिक दूरी मिटा दी है कम समय में वे दुनिया के किसी व्यक्ति,स्थान तक वह पहुँच जाते है नेटवर्क सोसाइटी में अब दैहिक उपस्थिति जरूरी नहीं घर बैठे ही 20 घंटे शिक्षा सर्विस इलाज मनोरंजन उपलब्ध है। संगठनों(ब्युरोक्रेसी एवं उसके नियमों ,पदसोपान आदेश की एकता इत्यादि से छुटकारा मिल गया है) अब वहाँ सुबह 8 बजे और शाम ग्यारह बजे और शाम पाँच बजे से सात बजे तक सड़को पर आने जाने वाली भीड़ नहीं लगती आधुनिक युग की प्रतीक घंटी सामरन, स्कूल, कालेज, कार्यालय, अस्पताल, ब्युरोक्रेसी का महत्व समाप्त हो चुका है नेटवर्क ने सबकुछ वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है और अब तो विकासशील देशो में भी नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है सभी स्तरों पर विशेषज्ञता एवं रचनात्मक की मांगे बढ़ रही है। अत: निरक्षरों, शरीरिक श्रम करने वालों (मजदूरों, कृषकों) को इस नेटवर्क सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। पहले इन्हीं लोगों का पलायन सर्वाधिक होता था क्योंकि औद्योगिकरण सस्ते मजदूरों की मांग करता था अब 'ब्रेनड्रेन होता है क्योंकि सभी समाज श्रेष्ठ दिमाग को ही आकर्षित करने लगें है।
4. पश्चिमी समाजों में व्यक्ति का व्यक्तिकरण कई प्रभावों की संयुक्त ईकाई होता अत: उसके समग्र व्यक्तियों को खोजना बेमानी है वह अंशत: विभाज्य मानव (Modular Man) है। वह विशेषज्ञ है समग्र नही। अत: वहां मेटानेरेटिव्स का अंत हो चुका है सब कुछ सापेक्ष और तारकालिक हो गया है।
5. सर्विस अब पद या संगठन से जोड़कर नहीं देखी जाती वरन् – विशेषज्ञता और उपलब्धि कि आधार पर देखी जाने लगी है। अब सीनियर – जूनियर का भेद समाप्त हो गया है और एक ही संगठन में जीवनपर्यन्त सर्विस करते रहने की मजबूरी थी इस बडे संस्कृति में संगठन के सभी सिद्धांत चकानाचूर हो गए है।
6. सूचनाक्रांति और टेक्नोलॉजी ने अतीत, परंपरा और इतिहास को महत्वहीन बना दिया है और नई पीढ़ी भविष्योन्मुखी और वैश्विक बाजार में अपनी सर्विस दे पाने की संभावनाओं को महत्व देने लगी है। तकनीकि यंत्र हो रही शोधों एवं उपकरणों ने वैश्वीकरण की गति बढ़ाने का काम किया है। अब मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं है वरन् यह तकनीकि माध्यम से प्रकृति पर विजय पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में रहने , वहां की संपत्ति ,प्रकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने और पृथ्वी की तरह अनय ग्रहों की खोज करने व जाने की होड़ सी मच गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टैकनॉलाजी, स्पेस प्रोग्राम , रोबोटिक्स,बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि बड़ी तीव्र गति से अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। यह सब कुछ विज्ञान एवं तकनीकि विकास का प्रांरभिक चरम है। इस चरण में समुद्र की तलहटी मे निवास करना, सौरमंडल के सभी ग्रहों के बाहर जाकर शोध एवं नियंत्रण को बढ़ाने की स्थिति में आ चुके है। शीघ्र की ग्लोबलाइजेशन की जगह फ्युचर सोसाईटी की बाते करना समाजशास्त्र कहलायेगा जब मनुष्य और मशीन एक दूसरे कि अभिन्न अंग(सिबोर्ग) हो जायेंगे। डी.एन.डी. और जेनेटिक्स विकास ने जन्म लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह 'इच्छित निर्माण ' को संभव बना दिया है। यह वैश्वीकरण केवल आर्थिक वैश्वीकरण नहीं है वरन बहुआयामी वैश्वीकरण है जिसमें संस्कृतियाँ और भाषा में निश्चित क्रम से प्रभावित होगी। वर्तमान समाज व्यक्तिकरण विभिन्नीकरण, विशिष्टीकरण एवं विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता ने तीव्र परिवर्तनों संभव बनाया है। अब तक मानव जाति अधिक 'इनपुट' और कम 'आउटपुट' वाली संस्कृति में नहीं है। अब ठीक उल्टा होने लगा है। सूचना प्रोद्योगिकी और हाईटेक ने अब आउटपुट को इनपुट की तुलना में कई गुणा अधिक बना दिया है और यह प्रकृति दिनोंदिन नहीं वरन नैनो सैकण्ड दर से कई गुणा अधिक होती जा रही है अधिक आउटपुट देने वाले समाज की संस्कृति निश्चित रूप से अब तक की मानव संस्कृति में एक दम भिन्न और प्रभावशाली होगी। अस्तित्व परिवर्तनशीलता एकाग्रिता विविधता और आगे बढने की होड़ भविष्य के समाजों उनकी संस्कृतियों, उनकी जीवनशैली, संबधों, मूल्यों भावनाओं पर भी पड़ेगा जिसे टाफ्लर ने 'फ्युचर शॉक' कहा है। अत्याधुनिक शिक्षा के बावजूद भी बेरोजगार हो जाने या निकाल दिये जाने का भय इस समाज में अधिकांश लोगों को सतायेगा। बुढ़ापा जल्दी आना ,आत्महत्या, साईबर क्राईम इत्यादि इस समाज की प्रमुख प्रवृत्तियाँ होंगी जिन्हें फ्युचर शॉक की परिणीतियाँ कहा जा सकता है। ऑटोमेशन की समस्या इस समाज में कई विद्धपताओं अमानवीय स्वरूप में बढ़ती दिखेगी जिन्हें कमकर सभी समाजों एवं संस्कृतियों के लिये प्रमुख चुनौती होगीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डेनियल बेल –1990, द एन्ड ऑफ आईडियालॉजी ,न्यायर्क, फ्री प्रेस।
2. काहुन लारेंस –1996 पोस्टमार्डनीज्म इन कंन्टेक्टर्स अक्सफोर्ड ,लंदन।
3. एंथोनी गिंडस– 1996 न्यू रूल्स ऑफ सोशियालॉजी लंदन आक्सफोर्ड,
4. डेविड हेल्स – 1995 फ्राम मार्डन स्टेट टू ग्लोबलाजेसशन कैब्रिज,पॉलिटी प्रेस।
5. इंग्लोहार्ट रोनाल्ड 1999 द साइलेंट रिवोलल्युशन चेजिंग वैल्युस एण्ड स्टाइल्स इन वेस्टर्न सोसाइटिज ,प्रिसंटन युनिर्वसिटी प्रेस।
6. जेन्सन फ्रेडरिक – मार्क्स एण्ड ग्लोबलाइजेशन, 1982 न्यू लेफ्ट रिव्यु 176 ,31–45
7. लोडर ब्रेन –1999 द गर्वनेंस आफ साइबर स्प्रेस टेक्नालॉजी एण्ड ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग , लंदन राऊटलेज।
8. मैनुअल कासल्स 2000 द राईज आफ नेटवर्क सोसाईटी , अम्सफोर्ड युनिर्वसिटी प्रेस बेसिल ब्लैकवेल।
9. अवधारणाओं हेतु देखें – भारत का भूमंडलीयकरण , संपादक – अभय कुमार दुबे , वाणी प्रकाशन ,दिल्ली ,2003

मध्यप्रदेश में किसानों का आर्थिक शोषण एवं आर्थिक शोषण को दूर करने के प्रयास व आवश्यकता

अदिति श्रीवास्तव *

शोध सारांश – निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में किसानों के शोषण का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट हो जाती हैं जिससे कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है और किसानों की आय में भी कमी रहती है। आय की कमी के कारण किसान अपनी सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और धन के अभाव में लगातार शोषित होता रहता है।

किसानों की आर्थिक शोषण की मुख्य समस्या उनकी ऋण ग्रस्तता भी है। किसानों के पास धन के अभाव के कारण कृषि को विकसित करने के लिए अच्छे किस्म के बीज खाद, रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए अक्सर, सहकारी संस्थाओं, गांव के साहूकारों, जमींदारों से ऋण लेना पड़ता है। जिनकी ब्याज दर अधिक होने के कारण उसे चुका नहीं पाते और जीवन भर ऋण ग्रस्त बने रहते हैं। कमजोर आय के कारण किसानों को मानसिक क्षति होती है जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। अत: अंत में कहा जा सकता है कि जब तक किसानों का आर्थिक शोषण होगा तब तक तमाम साधनों व सुविधाओं के बाद भी कृषि और कृषक खुशहाल नहीं हो सकते।

प्रस्तावना – म.प्र. में कृषकों का आर्थिक जीवन कृषि कार्य पर निर्भर है, कृषि के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है, कृषि ऋतु चक्र पर निर्भर है, यदि तीनों ऋतुओं का अनुक्रम सही ढंग से होता है तो फसल अच्छी होती है, किंतु यदि इन ऋतुओं में प्राकृतिक प्रकोप होता है, तो उससे फसल प्रभावित निश्चित होगी। जैसा कि विगत कुछ वर्षों से हो रहा है, कभी वर्षा अधिक होती है, तो कभी कम हो जाती है, जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती।

अधिक वर्षा के कारण फसल सड़-गल जाती है, तथा कम वर्षा के कारण सूखा पड़ जाता है, जिससे भी फसल अच्छी नहीं हो पाती। शीत ऋतु में अधिक ठंड से फसल में तुसार या पाला पड़ जाता है, इस कारण फसल का उत्पादन अपेक्षानुसार नहीं हो पाता, कम ठंड से फसल समुचित पुष्ट नहीं हो पाती इस कारण भी फसल, को नुकसान होता है, कभी-कभी शीत ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के संधिकाल में ओलावृष्टि हो जाती है, जिससे भी फसलों को भारी मात्रा में क्षति होती है।

इस प्रकार कृषक सदैव ही प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त रहते हैं, जो उनके शोषण का मुख्य कारण है, प्राकृतिक आपदा से कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती जिससे किसानों की आय में लगातार कमी बनी रहती है, जिससे कृषक के पास धन का अभाव बना रहता है, और उसे अपनी पारिवारिक व्यय, सामाजिक व्यय व कृषि में लागत लगाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है जिससे किसान न चाहते हुए भी ऋण लेने के लिए मजबूर रहता है और ब्याज की राशि अधिक होने के कारण वह उसे चुका नहीं पाता जिससे वह ऋण ग्रस्त होता जाता है।

आशय – प्रदेश में कृषकों का आर्थिक शोषण की समस्या नई नहीं है मूलत: किसानों का आर्थिक शोषण उनकी फसलों के नष्ट होने के कारण होता है। अधिक वर्षा की अनिश्चितता के कारण फसलें खराब हो जाती है, अत्यधिक ठंड पडने के कारण फसलों में तुसार पड जाता है जिससे भी किसानों को अत्यधिक नुकसान उठाना पडता है।

ग्रामीणों का आर्थिक शोषण की मुख्य समस्या उनकी ऋणग्रस्तता भी है। मुख्य समस्या उतनी ही पुरानी है, जितनी कृषि कृषकों का ऋणग्रस्त होना भी एक सामान्य बात है। शाही कृषि आयोग के अनुसार 'भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है ऋण में पलता है और ऋण में ही मरता है'। इसका अर्थ यह है कि जब कृषक अपने परिवार में जन्म लेता है तो उस समय उसके पूर्वज ऋणग्रस्त होते है। जब वह पलता है तब भी ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता है, और वह उसको अपनी संतान के लिए छोडकर चला जाता है।

1. **आय का कम होना –** ऋणग्रस्तता का सबसे प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय का कम होना एवं उनके पास आपत्तिकाल के लिए कोई कोष न होना है। इसका परिणाम यह होता है कि असाधारण आपत्ति आने पर ऋण लेना पडता है जिसको वे अपनी कम आय होने के कारण लौटाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और सदा ही ऋणग्रस्त बने रहते हैं।
2. **प्राकृतिक संकट –** प्रदेश में कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। जब कभी प्राकृतिक संकट जैसे फसलों में रोग,टिड्डी दल, का आक्रमण वर्षा का कम होना होता है तो उत्पादन कम हो जाता है।
3. **समाजिक व्यय –** प्रदेश में ग्रामीण सादा जीवन बिताता है लेकिन सामाजिक रूढियों में जकडा होने के कारण बेकार के व्ययों से बच नहीं पाता है। अत: उसको जन्म मृत्यु शादी विवाह, पर अपनी कमाई के अनुसार व्यय करना पडता है। जिसकों पूरा करने के लिए ऋण का सहारा लेना पडता है।
4. **साहूकारों की कुरीतियॉं –** साहूकारों व महाजनों द्वारा ग्रामीणों को आसानी से ऋण दे दिया जाता है अधिक ऊॅची ब्याज दर या साहूकारों द्वारा ऋण के कागजों में हेरा फेरी से भी ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों की बढती ऋणग्रस्तता एवं प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल चौपट होने के कारण प्रदेश में किसानों की हालत अन्य राज्य के किसानों की अपेक्षा अत्यंत दयनीय है।

हालत यह है कि गरीबी और कर्ज के बोझ से परेशान किसानों की आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दमोह जिले के ग्राम बुलुआ निवासी नंदराम रैकवार ने फसल नष्ट होने से आत्मदाह कर लिया। होशंगाबाद जिले के बनखेडी विकासखंड के कुर्सी ढाना गांव में किसान अमान सिंह ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। उस पर बैंक का लगभग एक लाख कर्ज था। वहीं कर्ज के बोझ से परेशान एक और किसान मिथिलेश ने मौत को गले लगा लिया रीवा जिले के छोपकरा गॉव में अमरनाथ मिश्रा ने बिजली बिल न चुका पाने पर अधिकारी द्वारा जेल भेजने की धमकी से आत्महत्या कर ली। ऐसे सैंकडों मामले है पर सरकार उन्हें उजागर नहीं करना चाहती। इस तरह 2012 में करीब 2000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या कर अपनी जान गॅवा दी है। मुरैना, भिंड, श्योपुर, और दतिया

* शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

जिलों में गरीबी के कारण 13 किसानों ने आत्महत्या की है।

मध्यप्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सबसे बडा कारण कर्ज है। इसके साथ ही बिजली संकट, सिंचाई के लिए पानी, खाद, बीज, कीटनाशकों की उपलब्धता में कमी, और मौसमी प्रकोप भी जिम्मेदार है। जिससे कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है।

मध्यप्रदेश में करीब 32 लाख 11 हजार से अधिक किसान आज भी ऋणग्रस्त है। प्रदेश में औसतन हर किसान पर 14218 रूप्ए के कर्ज का बोझ हैं मध्यप्रदेश में तकरीबन 30 प्रतिशत से अधिक किसान ऐसे है जिनके पास महज एक से तीन हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। प्रदेश में किसानों पर साहूकारों और बडे व्यापारियों का कर्ज भी किसानों को चैन से नही रहने दे रहा है।

सन्	किसानों की आत्महत्या	भारत की कुल आत्महत्या का भाग
2002-2003	2824	63.20
2003-2004	2578	58.48
2004-2005	2511	63.07
2005-2006	3033	64.74
2006-2007	2660	63.97
2007-2008	2858	68.22
2008-2009	2856	66.29
2009-2010	3152	66.66
2010-2011	3197	61.98
2011-2012	2363	66.49
2012-2013	1326	63.94

आर्थिक शोषण से मुक्त होने के प्रयास व आवश्यकता – ग्रामीणों को उनके आर्थिक शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा औपचारिक कदम उठाए गए है। प्रदेश में किसानों का आर्थिक शोषण बढता ही जा रहा है। जिससे प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएँ भी बढती जा रही है। किसानों के आर्थिक शोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ रही है। मध्यप्रदेश सरकार इस ओर काफी सजग है और वह बराबर ध्यान दे रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस संबंध में निम्न उपाए किए है।

1. पुराने ऋणों की समाप्ति
2. साहूकारों पर नियंत्रण
3. ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का विस्तार
4. व्यावसायिक बैंको का विस्तार
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

1. पुराने ऋणों की समाप्ति – राज्य सरकार ने समय-समय पर पुराने ऋणों को समाप्त करने या उसमें कमी करने के उद्देश्य से कानून बनाए है। जिसमें ऋणों की सहमति से ऋण कम करने और उसे किस्तों में देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए ऋण की ब्याज दर में गत वर्षो में काफी कमी की गई है। जिससे किसान अधिक से अधिक फसल ऋण लेकर कृषि फसल उत्पादकता में वृद्धि करे।

2. साहूकारों पर नियंत्रण – प्रदेश मे साहूकारों व महाजनों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए है, इन प्रतिबंधों में ब्याज दर पर प्रतिबंध,उचित लेखे रखने की अनिवार्यता एवं साहूकार व महाजनों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है।

3. सहकारी संस्थाओं का विस्तार – ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने वाली संस्थाओं का विस्तार किया जाए इसके लिए सरकार इनकी पूँजी के लिए अंश क्रय करती है, ऋण देती है तथा मार्गदर्शन करती है।

4. व्यवसायिक बैंकों का विस्तार – पिछले कुछ दशक के वर्षो में सरकार की यह नीति रही है, कि बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोले।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना – प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश में कुल ग्रामीण बैंक कार्यरत है। इनमें से 3 बैंक वृहद रूप से स्थापित हो चुके हैं। गॉव गॉव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की जा रही है। यह बैंक छोटे कृषकों, भूमिहीन श्रमकों, दस्तकरों के लिए खोले गए है।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप किसानों के आर्थिक शोषण में कुछ कमी आने की संभावना हैं पुराने ऋणियों को कुछ राहत मिली है। ऋण देने वाली संस्थाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन अभी भी इन प्रयत्नों में ढील देने के स्थान पर और द्रुतगामी गति से प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि अनुत्पादक ऋणों में कमी हो और उत्पादक ऋण आसानी से कम ब्याज पर मिल सके। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपर्युक्त उपायो के फलस्वरूप किसानो के आर्थिक शोषण में कुछ कमी आने की संभावना है, पुराने ऋणियों को राहत मिली है ऋण देने वाली संस्थाओ का विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी इन प्रयत्नों में ढील देने के स्थान पर और द्रुतगामी गति से प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे कि अनुत्पादक ऋणो में कमी हो और उत्पादक ऋण आसानी से कम ब्याज दर पर मिल सकें।

निष्कर्ष –

1. प्रदेश में किसानों का आर्थिक शोषण बढ़ता ही जा रहा है, जिससे प्रदेश में किसानों की आत्म हत्याओं की घटनाऐं भी बढ़ती ही जा रही हैं।
2. किसानों के आर्थिक शोषण के कारण उत्पादकता में कमी आ रही है।
3. मूलत: किसानों का आर्थिक शोषण प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नष्ट होने के कारण भी होता है।
4. किसानों का आर्थिक शोषण की मुख्य समस्या यह भी है कि किसान गाँव में साहूकार या जमींदारों से ऋण लेते हैं, जो कि आर्थिक ब्याज दर पर किसानों को ऋण देते हैं। ऊँची ब्याज दर के कारण ऋण नहीं चुका पाते और ऋण ग्रस्त होते चले जाते हैं।
5. किसानों का आर्थिक शोषण की मुख्य समस्या उनकी ऋण ग्रस्तता भी है।
6. प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराने के लिए कृषि ऋण योजनाऐं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आये और वे आर्थिक उत्पादन करके प्रदेश में कृषि का विकास करके देश में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनायें।
7. प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने व कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऋण देने वाली बैंकिंग संस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीय संमंकों पर आधारित है, द्वितीय संमकों का संकलन पत्र-पत्रिकाओं, ग्रंथालयों एवं इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. जे.सी.पन्त, डॉ. जे.पी.मिश्रा
2. भारतीय कृषि – ए. एन. अग्रवाल
3. भारत में कृषि का इतिहास – एन.एस. राधाना
4. कृषि शाख की अर्थव्यवस्था – अरुण कुमार बंदोपाध्याय
5. ग्रामीण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था – श्री सुवह सिंह यादव

भारत की बढ़ती जनसंख्या एवं घटता लिंगानुपात एक समस्या

डॉ. अर्चना शर्मा * डॉ.अर्चना आर्य * *

प्रस्तावना – किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या उस देश के आर्थिक विकास की प्रगति को धीमा कर देती है, देश के जनांकिकीय विश्लेषण में उस देश की लिंग संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आर्थिक विकास एवं जनसंख्या वृद्धि बहुत कुछ देश की लिंग संरचना पर निर्भर करती है। भारत की जनसंख्या संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 1000 पुरूषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 940 है, जबकि 2001 में यह संख्या 933 थी। इस तरह देश में विगत 100 वर्षों में यह अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है।

भारत में प्राचीन समय से ही महिलाएँ और कन्याएँ भले ही पूज्य, सुख व समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है, किन्तु कालान्तर से ही उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदत्तर होती गई है, अधिकांशत: लड़के की चाह में गर्भस्थ भ्रूण के लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण होने पर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। और यदि कन्या जन्म ले भी ले, तो उसे गला घोंटकर या पानी में डुबोकर मार दिया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. भारत की लिंगानुपात संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना।
2. भारत की लिंगानुपात में कमी के कारणों का अध्ययन करना।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में द्वितीय समंकों के द्वारा विषय से संबंधी जानकारी एकत्र की गई है। प्रस्तुत अध्याय में द्वितीयक समंकों की महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा लिंगानुपात – भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी जो 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ हो गई तथा 2011 में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई है।

भारत की जनसंख्या 2011

कुल जनसंख्या	1,210,193,422
पुरूष	623,724,248
महिलाएँ	58,64,69,174

स्त्रोत – भारतीय जनांकिकी (2011)

तालिका–1

भारत में स्त्री–पुरूष अनुपात 1901 से 2011 तक वर्ष	स्त्री पुरूष अनुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की स्थिति)
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

स्त्रोत–भारतीय जनांकिकी (2001–2011)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है। 1911 से 1941 तक लगातार स्त्रियों का अनुपात घटता जा रहा है। केवल 1951 में ही लिंगानुपात में कुछ नाममात्र की वृद्धि हुई है। किन्तु इसके बाद स्त्रियों के अनुपात में तीव्र गति से गिरावट आई है। तथा बीते कुछ वर्षों में भ्रूण हत्या अर्थात् कन्या की हत्या को रोकने हेतु कानून का भी बड़ी सख्ती से पालन किया जाने पर भी 2011 के लिंगानुपात में अभी केवल 7 अंक की ही बढ़त हुई है और यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

भारत में जिन राज्यों तथा क्षेत्रों में स्त्री बाहुल्य है वहाँ बहुपत्नी विवाह एवं बहुपती परिवार पाये जाते है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है, ऐसी स्थिति में अनेक सामाजिक बुराईयों को बढ़ावा मिलता है। जैसे – वेश्यावृत्ति व यौन अनैतिकता आदि है।

देश के विभिन्न राज्यों में स्त्री पुरूषों का अनुपात भिन्न–भिन्न है। जिसे तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका – 2

क्र.	राज्य	स्त्री पुरूष अनुपात (2011) (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएँ)
1.	हिमाचल प्रदेश	974
2.	जम्मू कश्मीर	883
3.	पंजाब	893
4.	उत्तराखण्ड	963
5.	हरियाणा	877
6.	राजस्थान	926
7.	उत्तरप्रदेश	908
8.	बिहार	916
9.	सिक्किम	889
10.	अरूणाचल प्रदेश	920
11.	नागालैड़	931
12.	मणिपुर	987
13.	मिजोरम	975
14.	त्रिपुरा	961

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत
* * शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

15.	मेघालय	986
16.	असम	954
17.	पश्चिम बंगाल	947
18.	झारखंड	947
19.	उड़ीसा	978
20.	छत्तीसगढ़	991
21.	मध्यप्रदेश	930
22.	गुजरात	918
23.	महाराष्ट्र	925
24.	आन्ध्रप्रदेश	992
25.	कर्नाटक	968
26.	गोवा	968
27.	केरल	1084
28.	तमिलनाडु	995

स्त्रोत – भारतीय जनांकिकी (2011)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में सभी राज्यों के लिगांनुपात में ज्यादा अन्तर नहीं है सभी राज्यों में लगभग समान है, देश में एकमात्र राज्य केरल है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक पायी गई है, अन्य सभी राज्यों में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है।

भारत के लिंग अनुपात में गिरावट के कारण – भारत में लिंगाअनुपात में कमी के लिए जो कारण उत्तरदायी है वह कई प्रकार के है।

भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ महिलाओं में साक्षरता का स्तर आज भी बहुत कम है। अशिक्षा, अज्ञानता, रूढिवादिता व अन्धविश्वासों के कारण न तो भारतीय स्त्री को पुरूष के समान सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाते है, तथा यहाँ स्त्रियों का स्वास्थय स्तर भी बहुत गिरा हुआ है, जिससे उनकी मृत्युदर में भी वृद्धि हुई है। जिसका परिणाम लिंगानुपात में कमी आना है।

शिशु कन्या की हत्या – भारत में प्राचीन काल से शिशु कन्या की हत्या का प्रचलन रहा है। आज भी अधिकाशत: कन्याओं के जन्म के साथ ही उनकी हत्या कर दी जाती है, इस कारण से भी भारत में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है।

कन्या भ्रूण हत्या – लड़के की चाहत में गर्भस्थ भ्रूण के लिंग का परीक्षण कर कन्या भ्रूण होने पर उसे जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, आज सख्त कानून होने के बाद भी लोगों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप निरन्तर जारी है।

बाल विवाह – भारत में आज भी कई प्रकार की कुप्रथा विद्यमान है, जिसमें से एक बाल विवाह है, कन्याओं के शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित होने से पूर्व ही उनका विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनके द्वारा कम उम्र में ही गर्भ धारण कर लेना तथा बच्चों में अन्तर न रख पाने के कारण कन्या के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन गिरावट आती है, जिससे उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है, फलत: स्त्रियों की मृत्युदर पुरूषों से अधिक होती जा रही है।

प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात् स्त्रियों की सुविधाओं का अभाव – भारत में अधिकाशत: स्त्रियों को प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के पश्चात कोई उचित सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं पूर्ण अभाव पाया जाता है, इन आवश्यक चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण कई स्त्रियों की प्रसव के दौरान असामायिक तथा दु:खद मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि भारत में 15 से 30 वर्ष तक की आयु की स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात अधिक पाया जाता है।

निष्कर्ष – आज भी भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है। कन्याओं की अपेक्षा समाज में आज भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा विद्यमान है, जहाँ एक और पुत्र प्राप्त पर लोगों द्वारा खुशियाँ मनायी जाती है वहीं दूसरी ओर कन्या के जन्म पर परिवार नाखुश व मायूस हो जाते हैं, ऐसी कुप्रथाओं व अन्ध विश्वासों तथा अशिक्षा के कारण समाज स्त्री के महत्व को भूल गया है जनांकिकी आँकड़ों के अनुमान के आधार पर मध्यम व उच्च वर्गों के परिवारों में अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण और स्त्री भ्रूण हत्या का स्तर तेज गति से बढ़ता जा रहा है। शासन द्वारा स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कई कानून बनाये गये हैं, फिर भी इन कानून में सख्ती का अभाव होने से यह अल्प प्रभावी रहे हैं। जिससे लिंगानुपात में अन्तर बढ़ते जा रहा है।

निम्नलिखित सुझाव के द्वारा इस समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है –

1. लोगों के शिक्षित कर उनमें जागरूकता लाना।
2. समाज में स्त्री के महत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
3. कानूनी नियमों का और अधिक सख्तों से पालन करना तथा गैर कानूनी रूप से गर्भपात करने वाले केन्द्रों को बन्द कर दिया जाना चाहिए।
4. दहेज प्रथा पर रोक लगाना आवश्यक है।
5. प्रसव के समय स्त्रियों को उचित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
6. इस कुप्रथा को रोकने के लिए समाज के लोगों को आगे आना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. जनार्किकी – डॉ. वि. कुमार
2. भारत की जनगणना 2011, घटना चक्र (सम सामयिक)
3. भारतीय जनार्किकी
4. कुरूक्षेत्र पत्रिका
5. दैनिक पत्र पत्रिकाएँ

****

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका

बकील सिंह कौशल *

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां पूँजी का अभाव ,गरीबी का साम्राज्य हैं वहां लघु, एवं कुटीर उद्योग आार्थिक सामाजिक आदि सभी पहलुओं से औधोगिक विकास की आधारशिला हैं। लघु कुटीर उद्योगों के महत्व के बारे में कहा जाता हैं, लघु कुटीर उद्योग भारत की क्षमताओं और उसके भावी विकास की कुंजी हैं जिसके द्वारा उसके विशाल अविदोहित साधनों के विदोहन तथा लाखो व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है लघु कुटीर उद्योगों में ही आज की अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान निहित हैं।गांधी जी के अनुसार भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उधोगो में निहित हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल रोजगार प्रदान करते हैं राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं पूंजी एवं अन्य संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से गति प्रदान करते हैं तथा स्थानीय साधनों का सर्वोत्तम ढंग से विदोहन करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को निष्कर्ष तौर पर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि योजना आयोग की रिपार्ट में कहा गया है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। **शब्द कुंजी** – लघु, कुटीर, उद्योग, अर्थव्यवस्था, भारतीय, विकासशील, औद्योगिक, गरीब, छोटे, धंधे, ग्रामीण, पंचवर्षीय, योजना, वर्ष, व्यय, करोड़, राशि।

प्रस्तावना –भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उधोगों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां पूँजी का अभाव ,गरीवी का साम्राज्य हैं वहां लघु, एवं कुटीर उधोग आार्थिक सामाजिक आदि सभी पहलुओं से औधोगिक विकास की आधारशिला हैं। लघु कुटीर उधोगों के महत्व के बारे में कहा जाता हैं, लघु कुटीर उधोग भारत की क्षमताओं और उसके भावी विकास की कुंजी हैं जिसके द्वारा उसके विशाल अविदोहित साधनों के विदोहन तथा लाखो व्यक्तियों की उत्पादन की उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है लघु कुटीर उधोगों में ही आज की अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान निहित हैं।गांधी जी के अनुसार भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उधोगो में निहित हैं। मोरार लाल लघु एवं कुटीर उधोगों से आशय ऐसे उधोगों से हैं जो पूर्णत: मुख्यत: परिवार के सदस्यों की सहायता से पुर्ण अथवा अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता हैं। इसमें पूंजी निवेश नाम मात्र की होती है तथा उत्पादन प्राय हाथ से ही किया जाता हैं।

प्रशुल्क आयोग 1949–50 के अनुसार –'लघु व कुटीर उद्योग धंधे वे होते हैं जो अंशत: परिवार के सदस्यों की सहायता से आंशिक व पूर्ण कालिक कार्य के रूप में किये जाते हैं।'

पी. एन. धर के अनुसार – 'लघु व कुटीर उद्योग धंधे पूरी तरह घरेलू उद्योग होते हैं। जिसमें किराये के मजदूरों का बहुत कम या बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता ये उद्योग कच्चा माल स्थानीय बाजारों में ही बेचते हैं। यह लघु आकार के ग्रामीण, स्थानीय एवं पिछड़ी तकनीक वाले उद्योग होते हैं।'

लघु एवं कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण – लघु कुटीर उद्योग भी दो श्रेणियों में उप–विभाजित किये जा सकते हैं–एक वे हैं जो कृषकों द्वारा सहायक धन्धें के रूप चलाये जाते हैं, जैसे मुर्गीपालन , करघों पर बुनाई, गाय–भैसे पालना, सूअर व भेड़ बकरी पालना, टोकरियां बनाना, रेशेम के कीड़े पालना , रस्सी बनाना,मछली पालना आदि।दूसरे वे हैं जो ग्रामीण कौशल से संबंधित हैं ,जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना चमडे के जूते बनाना घानी से तेल निकालना आदि।

- **शहरी व कुटीर उद्योग** – वे हैं जो शहरी क्षेत्र में स्थापित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना, कपड़ो पर कढ़ाई करना, लकड़ी के फर्नीचर बनाना, साबुन बनाना, हथकरघा पर कपड़े बुनना, आदि को सम्मिलित किया जाता है।
- **विनिर्माण उद्योग** – छोटे उद्यम 25 लाख रुपये तक का निवेश। लघु उद्यम – 25 लाख रुपये से अधिक एवं 5 करोड़ रुपये तक का निवेश मझोले उद्यम – 5 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ रुपये तक का निवेश।

सेवा उद्यम– 10 लाख रुपये तक का निवेश। लघु उद्यम –10 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक का निवेष। मझोले उद्यम – 2 करोड़ से अधिक एवं 5 करोड़ रुपये तक का निवेश।

लघु एवं कुटीर उद्योग में पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान – पंचवर्षीय योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को उनके महत्व के अनुरूप उचित स्थान प्रदान किया गया है योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम निम्नानुसार हैं।

- प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर 43 करोड़ रुपये व्यय किए गए। जून 1955 में कर्वे समिति गठित की गई जिसने उद्योगों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए तथा वस्त्र उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया।
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर लगभग 180 करोड़ रुपये किए गएं इस अवधि में 66 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया। 1959–60 में औद्योगिक सहकारिताओं की संख्या 29,000 हो गई जिसमें 11,200 हैण्डलूम बुनकर समितियां थीं। गांवों में चलाए जाने वाले उद्योगों को विशेष सहायता दी गई।
- तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास हेतु बहुआयामी कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में 240.75 करोड़ रुपये व्यय किए गए। योजना अवधि में इन उद्योगों के विकास हेतु बहुआयामी कार्यक्रम निर्धारित किए गए; जैसे श्रमिक की कुशलता में सुधार, संस्थागत वित्त की व्यवस्था करना, लघु उद्योगों को वृहत् उद्योगों के सहायक के रूप में विकसित करना, इन उद्योगों का गांव तथा छोटे नगरों में विकास करना तथा कारागरों की सहकारी समितियां बनाना आदि। तीन वार्षिक योजनाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 126.1 करोड़ रुपये ठ किए गए। 1968–69 के अन्त में राज्य उद्योग निदेशालयों में 1,40,000 लघुस्तरीय

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

इकाइयां पंजीकृत थी, जबकि 1962 में लगभग 36,000 इकाईयां थीं। मार्च 1969 में लगभग 348 औद्योगिक बस्तियां सथापित हो चुकी थीं। जबकि 1961-62 में इनकी संख्या 66 थीं।

- चौथी पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों के विकास पर 242.6 करोड़ रूपये व्यय किये गए। इस काल में इन उद्योगो को और अधिक क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया गया।
- पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमश: इन उद्योगों के विकास के लिये 592.5 करोड़ एवं 1,945 करोड़ रूपये व्यय किये गये।
- सातवी योजना में उद्योगों को बढावा देने के लिए अन्य प्रयासों के साथ-साथ ग्रामीण कारीगरों, जैसे - लोहार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, आदि कारीगरों को पुर्नस्थापित करने के प्रयास किये गये और इनके विकास पर 32,493 करोड़ रूपये व्यय किये गये।
- आठवीं योजना में इनके विकास हेतु 6334.2 करोड़ रूपये ठ किये गये।
- दसवीं योजना के प्रारंभिक वर्ष 1997-98 में इनके विकास पर 1,813.9 करोड़ एवं अन्तिम वर्ष 2001-02 में 1,842.0 करोड़ रूपये व्यय किये गये।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी इन उद्योगों के विकास पर करोड़ों रूपये खर्च किये जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	व्यय की गई राशि
2002-03	2,083.40
2003-04	2110.77
2004-05	2,589.1
2005-06	3,211.9
2006-07	3,450.2

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकार ने समय-समय पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर की जाने वाली राशि में लगातार वृद्धि की है जो इस बात का संकेत करती है कि सरकार इन उद्योगों के विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमों की कार्य प्रगति - नवीन परिभाषाओं के आधार पर देश में यह क्षेत्र लगभग सभी आर्थिक मापदण्डों के आधार पर प्रगति करता रहा है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है- (देखें)

लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्यायें - लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं फिर भी इन उद्योग में कुछ आधारभूत समस्याएं निम्नलिखित हैं :

1. इन उद्योगों के विकास में कच्चे माल की मुख्य समस्या आती है क्योंकि इनके लिए कच्चा माल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है जो मंहगा पड़ता है।
2. इन उद्योगों में परम्परागत तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है जिससे उत्पादन की किस्म नीची और लागत अधिक पड़ती है।
3. इन सब उद्योगों की एक प्रमुख समस्या शक्ति की कमी है। इन उद्योगों को उचित मात्रा में सस्ती दर पर विधुत शक्ति नहीं पाती हैं। जिसके अभाव में वे ये ठीक से उत्पादन नहीं कर पाते हैं।
4. इन उद्योगों को इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओ का भी सामना करना पड़ता है। जैसे - परिवहन की सुविधाओं का अभाव, विज्ञापन की कमी, स्थानीय ऊंचे कर, सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, अनुसंधान की कमी आदि-आदि समस्याओं के कारण भी ये उद्योग पिछड़ रहे है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सुझाव-

1. उत्पादन की तकनीकों में सुधार करना चाहिये।
2. इनके विकास के लिए अच्छे सलाहकर्मियों की व्यवस्था करनी चाहिये। लघु उद्योग सहकारी समितियों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिये।
3. इनकी उत्पादन क्षमता , उत्पादकता को बढ़ाने के लिये अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिये।
4. लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बों में विस्तार किया जाना चाहिये।
5. इन उद्योगों के लिये उत्पादों की बिक्री के लिये एक केन्द्रीय विक्रय संस्था की स्थापना की जानी चाहिये जो विभिन्न संस्थाओं से निश्चित प्रमाप के अनुसार माल तैयार करायें तथा उनको बेचने की व्यवस्था करें।

उपर्युक्त उपायों के अलावा अमेरिका और जापान की भांति भारत में भी लघु उद्योगों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु एक विशेष अधिनियम पारित करने की आवश्यकता है।जिसमें सस्ते ब्याज पर ऋण एवं अनुदान देने, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने , सरकार द्वारा उनकी वस्तुओं का क्रय करने, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था हो।

निष्कर्ष- निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल रोजगार प्रदान करते हैं राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं पूंजी एवं अन्य संसाधनों को प्रभावशाली ढंग से गति प्रदान करते हैं तथा स्थानीय साधनों का सर्वोत्तम ढंग से विदोहन करतें हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को निष्कर्ष तौर पर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि योजना आयोग की रिपार्ट में कहा गया है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. म. प्र. प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
2. यूनिक 2010 सामान्यअध्ययन
3. जनांकिय 1994 प्रों. वि.कुमार, साहित्य भवन, आगरा,
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला मुरैना 2009
5. भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, वर्ष 2010
6. आर्थिक समीक्षा 2011
7. रोजगार निर्माण
8. दैनिक भास्कर
9. विकास यात्रा जिला मुरैना

वर्ष	इकाईयां (लाख)	निवेश (करोड़ रु.)	उत्पादनवर्तमान मुल्य (करोड़ रु.)	रोजगार (लाख व्यक्ति)	निर्यात (करोड़ रु.)
2000-01	101.10	146845	261297	238.73	69797
2005-06	123.42	188113	497842	294.91	150242
2009-10	410.82	1029331	1619356	922.19	.....
2010-11	428.77	1094893	1721553	965.69	.....
2011-12	447.73	1176939	1834332	1012.59	.....

स्त्रोत- भारतीय अर्थव्यवस्था 2013

भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण - आलेख

किरण अग्रवाल *

प्रस्तावना -भारतीय संविधान मे वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा समाज की मुख्यधारा से दूर आर्थिक एंव समाजिक दृष्टी से पिछडे वर्गो , अनुसूचित जाति तथा जनजातियो के विकास हेतु विशेष प्रावधान किये गये है। परन्तु फिर भी हमे हमारी सफलता अधूरी लगती हैं 53 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत मे 8.43 करोड आबादी जनजातियो की है तथा म0प्र0 मे सबसे अधिक 1.22 करोड आबादी जनजातियो की है। प्रो. गोविन्द सदाशिव घुरिये ने अनुसूचित जनजाति शब्द प्रस्तावित किया जिसे भारतीय संविधान सभी ने स्वीकार किया 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया

लूसी मेयर - जनजाति संमान संस्कृति का भी जनसंख्या का एक स्वतंत्र विभाजन हैं

भ्रंस बेआस- जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टी से ऐसा स्वतंत्र समूह है जो एक भाषा बोलता है और बाहा आक्रमण से सुरक्षा के लिये संगठित होता है।

हसमैन नदीम - जनजातीय भारत 2005 जवाहर पब्लिशर्स दिल्ली पृष्ठ 11, **रेमन्ड फर्य** - जनजातीय एक ही श्रृखंला का मानव है जो साधारण्त: एक ही भूखंड मे रहता है एक भाषा भाषी है तथा एक ही प्रकार की परम्पराओ एंव संस्थओ का पालन करता है।

उपरेती हरिशचन्द्र भारतीय 1970 समाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्र राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर पृष्ठ 2

भारतीय जनजातियो का वर्गीकरण -

1. भौगोलिक वर्गीकरण
2. भाषायी वर्गीकरण
3. आर्थिक वर्गीकरण
4. सांस्कृतिक वर्गीकरण

भौगोलिक वर्गीकरण- डा. बी. एस गुहाने 1938 ई0 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रियल ऐलीमेन्ट आफ इंडिया भारतीय जनजातियो को तीन भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया हैं।

1. उत्तर एंव उत्तर पूर्वी :- उत्तर प्रदेश , आसाम हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराचंल, के क्षेत्र आते है यहाँ नागा , थाक भेटिया गुज्जर, कुफी, खसी लुशाई 10.60 प्रतिशत जनजाति कुल जनसंख्या के लगभग निवास करती है।
2. मध्यवर्ती क्षेत्र- बिहार , उडिसा, छत्तीसगढ, जहा क्रमश: संथाल , मुण्डा, उरांव उीसा के बोन्छो , खांड सोरा तथा जुग तथा छ0 ग0 के गोड कोल बैगा कोरकू भूरिया, कमार आदि आते हैं।
3. दक्षिणि क्षेत्र मे आंध्रप्रदेश , कर्नाटक एंव तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र जिनमें टोडा कादर कोटा बढागा, चेडडी इकला , केनी आदि है।

प्रजातीय वर्गीकरण - भारतीय जनजातियो की उत्पत्ति मुख्य रूप से तीन प्रजातीय समूहो से मानी जाती हैं

नीग्रीटो- इन प्रजातियों के होठ मोटे रंग काला बाल काले सिर लंबे होते हैं डा. गुहा के मतानुसार यह भारत की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति हैं

प्रोटो आस्ट्रेलायड - इसे निषद कहा गया यह दक्षिण भारत की चेन्यू जनजाति इसी समूह की जनजाति हैं इस प्रजाति के लोग छोटे कद के होते है बाल घुघराले और नाक चौडी तथा छोठे आकार लिये होती हें।

मंगोल- इस प्रजाति की शाखांए है एक चौडे सिर वाले मंगोल , लंबे सिर वाले मंगोल, बाल सीधे तथा नाक चपटी पीले रंग लिये हुए होते है इस प्रजाति के लोग। - जैन झरूण जनजातिय भारत 2010 महावीर पब्लिशर्स, इंदौर पृष्ठ 150

भाषायी वर्गीकरण - भाषायी वर्गीकरण के आधार पर भारतीय जनजातियो को 3 भाषायी परिवारो में विभाजित किया जा सकता हें

1- आस्ट्रीक भाषा परिवार - मैक्स मूलरने इन्हें मुण्डा भाषा परिवार का नाम प्रदान किया हें इनकी दो उपशाखाऐ है।

मानख मेर एंव मुण्डारी।

द्रविण भाषा परिवार - इस परिवार की एक अन्य भाषा कोई है जो उडीसा के कौंध , छोटा नागपुर, राजमहल की पहाडियो की माल्टो द्वारा बोली जाती है टोडा , पलिया, इकला तथा कदार भी द्रविण भाषा परिवार मे शामिल है। चीनी तिब्बत भाषा परिवार- हिमालय की तराई एंव आसम की पहाडियो में रहने वाले लोग इस भाषा का प्रयोग करते हें अमरीकी विद्वान राबर्ट शेफर द्वारा इन्हें निम्न भाषायी शाखाओ मे बांटा है।

1. साइनिटिक 2. मेनिक 3. बोडिक
4. बारिक 5. थाई / डाइक 6. केरिनक
7. वर्मा।

आर्थिक वर्गीकरण - यर्न वाल्ड ने जनजातियो के आर्थिक व्यवसाय के आधार पर स्वीकार्य किया है जो निम्न है।

1. पुरूषो के शिकार करने वाले कार्य में महिलाओ द्वारा सहयोग प्रदान करना खडिया चेन्यु तथा कोखा जनजाति इस क्षेणी में शामिल है।
2. कृषको एंव श्रमिक के श्रेणी वाले
3. पशुपालक
4. शिकारी एंव पशुपालक - इस श्रेणी मे भारतीय जनजाति में कोई प्रतिनिधित्व नहीहै।

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शोध केन्द्र पं. शंभू नाथ महाविद्यालय, शहडोल, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

5. घुमन्तु एंव पशु प्रजनन – ये जनजाति याक का प्रजनन करवाते है

इस प्रकार भारतीय जनजातियां भी अपना कार्य कर अपना आर्थिक पालन पोषण करती हैं कृषि , शिकार, शिल्प तथा आज नौकरी एंव व्यापार मे भी संलग्न जनजातिया है।

सांस्कृतिक संपर्क विकास के स्तर के आधार पर आधारित वर्गीकरण– डी.एन मजूमदारके अनुसार ग्रामीण एंव नगरीय जनजातियो का तुलनात्मक सास्कृति संपर्क पुर्नवास योजना के मूल्याकंन के लिये सर्वाधिक उपयोगी है क्योकि यह वर्गीकरण हमारा ध्यान जनजाति भारत की उन समस्याओ की ओर केन्द्रित करता हे जो ग्रामीण नगरीय समूहों से अल्प व्यवस्थित संपर्क अथवा उनसे अलग रहने का परिणाम हैं

1943 मे वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक दि एब्रोजिनल मे आदिवासियों / जनजातियो को चार भागो मे विभाजित किया हें

1. प्रथम प्राचीन जानजातिया जो कृषि कार्य में कुल्हाडी का प्रयोग करती है ये कम कपडे पहनने वाली, इमानदार होती थी।
2. दूसरे ये पातुन परम्पराओ मे परिवर्तन चाहने वाले नये से विचलित न होते हुए कार्य करने वाली जनजातियाँ
3. तीसरे ये जनजातियाँ सभ्य समाज के संपर्क मे आकर अपनी परम्परओ से दूर होने वाली कोल जनजाति है।
4. चौथे ये ऐसी जनजातियाँ है जो प्राचीन कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कारती है भल गोड संथल आदि , सास्कृतिक संपर्क विकास के स्तर पर चौथे वर्ग की जानजातिया प्रभावित है।

डा. मजूमदार ने वेरियर एथ्लवन के उपरोक्त वर्ग को स्वीकार न करते हुए स्वंय जनजाति संस्कृति को 2 श्रेणियो में विभाजन किया हैं

1. **आत्मसात्कृत –** इसमे उन जनजातियो को शामिल किया जिनकी मूल संस्कृति विलुप्त हो चुकी हैं। जैन अरूण कुमार जनजातय भारत 2010 पृष्ठ 152 उपरेती हरिशचन्द्र पृष्ठ 16, 17 भारतीय जनजातिया ।
2. **अनुकूलित** – ऐसी जनजातियों जो दूसरी संस्कृति का अनुसरण कर रही है।

डॉ. गोविन्द सदाशिव घुरिये ने 1963 ई0 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अनुसूचित जनजाति भारतीय जनजातियों को तीन वर्गो मे विभक्त किया हें।

1. वे जो कई युद्धों के बाद सफल होकर उच्च स्तर वाली कहलायी।
2. वे जनजातियाँ जो आंशिक रूप से हिन्दु धर्म अपना ली है।
3. वे जनजातियाँ जो दुर्गम स्थान मे रहकर बाहरी संस्कृति का विरोध करती है।

उपरेती हरिशचन्द्र भा. जन. 1970 पृष्ठ 18

हसनैन – जन. भा0 2005 जवाहर पब्लिशर्स 29

धार्मिक आधारो पर आधारित वर्गीकरण – भारत में अनेकता में एकता भारत की विशेषता जाहाकई धर्मा , सम्प्रदायो जाति भाषा के लोग एक साथ निवास करते है 90 प्रतिशत जनजातियां हिन्दु धर्म का अनुसरण करती है। 6 जनजातियां इसाई धर्म अपनाए है ।

भारत में धार्मिक विश्वासो के आधार पर भी जनजातियाँ अलग अलग धर्मो का अनुसरण करती हे 15 अगस्त 1947 ई. को जब भारत स्वतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को नये संविधान के निर्माण के साथ 1 अप्रैल 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ अनुसूचित जाति जनजातियो के विकास के लिये कार्य किया जाने लगा।

डा. गोविन्द वल्लभ पंत के अनुसार आदिवासी अपनी संस्कृति के रूप में स्वंय को निर्धारित करे और देश की बहुरंगी सांस्कृति संपदा में उनका विशिष्ट योगदान हो उनके रीति रिवाज एंव आमोद प्रमोद की गति नीति को अनाश्यकत रुप से इतना न बदला जाये कि उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाये ऐसा कोई भी प्रयास ग्रामीण एंव शैल वनो के जीवन से उसके रंग और वैविध्य को सामाप्त करना होगा।

इस प्रकार जनजातियो के विभिन्न वर्गीकरण के आधर पर हमें जनजातियों के सर्दभों की जानकारी हुई हर क्षेत्र राष्ट्र द्वारा केन्द्र द्वारा समय समय पर जनजातियो के लिये विभिन्न योजनाओ को कार्यरूप दिया उन्हे मुख्य धारा में जोडने का अथक प्रयास किया आरक्षण नौकरी मे राजनीति संसद मे दिया उनके धर्म उनकी संस्कृति की हर संभव बचाने का प्रयत्न किया ।

गांधी के आदर्शो में आज अरमां पूरे होगे
न शोषक होगें न शोषित होंगें

****

इंदिरा गांधी का आर्थिक चितंन

किरण अग्रवाल *

प्रस्तावना– किसी व्यक्ति विशेष के आर्थिक विचारो का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण बात है स्व. प्रधान मंत्री जैसी महान विदूषी जो भारत जैसे देश की युग निर्मात्री रही है, उनकी आर्थिक विचारधाराए विरासत के रूप मे आज के युग मे बिल्कुल खरी उतरती है। आज भी वे उतनी ही सार्थकता रखती है जितनी के उनके स्वयं तात्कालिक प्रधानमंत्रीत्व के कार्यकाल में रही। 1966 में दो की प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के बागडोरी जब श्रीमती गांधी के हाथ मे आयी उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय थी किन्तु उनके योजनाबद्ध तरीके से विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

इंदिरा जी सही अर्थो में अधिकतम उत्पादन पूर्ण रोजगार , आत्म निर्भरता स्थानीय नियोजन मे पंचायती राज संस्थाओ व सहकारिताओं का अधिक उपयोग, उर्जा एंव पर्यावरण विकास निर्यातो को प्रोत्साहित करना श्रम प्रधान तकनिक के साथ पूजी प्रधान तकनीकी राष्ट्रीय आय में वृद्धी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियो को आर्थिक सहायता वृहद मध्यम उद्योगो को प्राथमिकता आर्थिक सर्वेक्षण एंव अनुसंधान करना आदि उन्होनें भारत के लिये ऐसी नीतिया प्रतिपादित की है जो अंहिसा एंव उदारता की भावना से ओत प्रोत है। उपरोक्त पृष्ठभूमि को दृष्टीगत रखते हुए हम श्रीमती इंदिरा जी की आर्थिक विचारधारा उनकी चिंतन की गहनता कतिपय सारगर्भित बिन्दुओ के प्रारूप मे विश्लेषित कर सकते है।

कृषि में नवीन तकनीक – इंदिरा जी के सत्ता रूढ होने पर भारत की आर्थिक स्थित मे एक नई जान आ गयी उन्होनें 1966–67 के बाद उन्न्त किस्मे के बीजो सिचाई परियोजनाओ उरर्वको यात्रिक कृषि से उत्पादन से वृद्धी जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते है लायी हैं। **बैंको का राष्ट्रीय करण** – श्रीमती इंदिरा जी ने 19.7 .69 को बैंको के राष्ट्रीय करण की घोषणा की जिसकी जमाये 50 करोड रूपये थी राष्ट्रीय करण का अर्थ है सम्पत्ती पर निजि अधिकार समाप्त करके उस पर राष्ट्र का अधिकार कायम किया जाना इंदिरा जी ने 14 बडे बैंको का राष्ट्रीकरण किया इसका उददेश्य स्पष्ट था कि इस कार्य से बैंको मे चंद लोगो के नियत्रंण को हटाना एंव नवीन साहसियों को प्रोत्साहन देना।

भूतपूर्व नरेशो के प्रीवीपर्सो की समाप्ति – इंदिरा जी का यह कदम अत्यंत साहसिक कदम था। इंदिरा सरकार ने भूतपूर्व देशी राज्यो के सत्ताच्युत नरेशो को दिये जाने वाले गुजारा भत्ता प्रीवियर्स को खत्म करने का फैसला किया राजाओ के मिलने वाली प्रीवियर्स की कुल राशि 3 करोड रूपये वार्षिक थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – काग्रेस के अंतहकलह और बैंको के राष्ट्रीय करण संबधी उग्र विवाद के बावजूद चौथी लोक सभा मे यह निर्णय लिया गया। शिक्षा की मानव निर्माण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है मात्र भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया गया चौथी लोक सभा मे प्रोफेसर एन. जी. रेगा और धीरेन्द्र मुखर्जी शिक्षाविद रहे तत्कालीन शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन संवेदनशील शिक्षा विद रहे श्रीमती गांधी का उददेश्य समान कानून द्वारा भेदभाव मिटा कर सभी को शिक्षित करना रहा है।

गरीबी उन्मूलन एंव रोजगार– गरीबी उन्मूलन रोजगार प्रदाय कार्यक्रमो में इंदिरा जी का योगदान बेमिशाल है वे इस बात को जानती थी कि सामूहिक गरीबी आर्थिक समस्या है जिसके समाधान से विकास सभंव है भारतीय अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये उन्होनें गरीबी हटाओ का नारा दिया और कहा 'कुछ लोग कहते है इंदिरा हटाओ मे कहती हूं गरीबी हटाओ' 'पांचवी योजना मे न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के व्यवस्था के कार्यक्रम चलाये बीस सूत्रीय कार्यक्रम भी इसी योजना की देन है छठी योजना मे संम्वन्ति ग्रामीण विकास शिक्षित बेरोजगारो के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम चलाये गये सातवी योजना में भोजन काम एंव उत्पादका के साथ आर्थिक विकास तय हुआ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – इंदिरा जी के द्वारा घोषित कार्यक्रम में 20 जुलाई 1975 के उनका पहला बीस सूत्रीय कार्यक्रम घोषित हुआ इसका मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत कर स्थिरता प्रदान करना है। 14 जनवरी 1982 को घोषित द्वितीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम मे छठी योजना के सामाजिक एंव आर्थिक कार्यक्रम घोषित किये गये इसमे बिजली, पानी , शिक्षा शहर गांव सडक परिवहन हथकरघा , कर्ज माफी, रोजगार, सिचाई , आवास, एंव उत्तम बीजो की व्यवस्था, सभी क्षेत्रो के विकास पर बल दिया गया।

जनसंख्या नियोजन– इदिरा जी ने चतुर्थ योजना में जनसंख्या नियत्रंण के रूप में परिवार नियोजन को मूल तत्व बनाया उन्होनें 16.4. 76 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की इस नीति में अनिवार्य बाध्यकरण विवाह के आयु में परिवर्तन शिक्षा को बढावा जनसंख्या संबधी शिक्षा राज्यो के वित्तीय सहायता, बाल आहार, बध्यंकरण के लिये सहायता राशी 1976 की इस नीति से एक बहुत ही जटिल समस्या कम हुई जन्म दर में कमी हुई और प्रति आय मे वृद्धी हुई। 1983 मे परिवार नियोजन के क्षेत्र मे किये गये उत्कृष्ट कार्यो के लिये प्रथम सयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरूस्कार श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला।

इंदिरा गांधी के विचारो में देश, देश की जनता सर्वोपरि रहे उन्होंने नारी शिक्षा को बढावा दिया खेलो के प्रोत्साहन दिया सयुंक्त राज्य अमेरिका में एक विशेष मतदान द्वारा उन्हें विश्व की सबसे प्रसंशनीय महिला चुना गया इंदिरा जी के प्रयासो के कारण भारत को अपने प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को रूस के सहयोग से 3 अप्रेल 1984 को शाम 6.30 बजे पर शो युज टी 2 यान का प्रक्षेपण किया और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती गांधी के आर्थिक चितंन के विभिन्न पहुलओ पर जो विचार प्रस्तुत किये है वे भारतीय अर्थ व्यवस्था के बहुमुखी विकास के लिये उपयोगी सिद्ध हुए हे गरीबी उन्मूलन, आत्म निर्भरता, एंव सामाजिक न्याय युक्त विकास इनकी नीति के मूल तत्व है इन मुद्दो का राजनैतिक महत्व भी हो सकता है लेकिन इनका मुख्य ध्येय आर्थिक उन्नति एंव विकास ही था।

सागर की बडी–बडी उफनती लहरो के सामने व्यक्ति बौना लगता है मगर महत्वकांक्षा का मोती तो शीप के संघर्षो में ही पलता है झंझावात के दौर में कुशल निर्णयन क्षमता उनके अस्तीत्व को अमर कर गयी। 1975 की एमरजंसी ने उन्हे तानाशाह बना दिया मगर 1984 का वो अतिंम भाषण जिसे ' मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा अंखड भारत को जीवित रखेगा' आज भी हर भारतवासी के आंखो मे एक गीलापन छोड गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. पुखराज जैन, डॉ. खडिस पृष्ठ 484, भारतीय शासन और राजनिति,
2. डॉ. एस.जी. खिडवरकर मध्य प्रदेश संदेश 10 नवबंर 1987 , पृष्ठ 17 ब
3. रमेश गुप्त 'मिलन' शक्ति पुंज इंदिरा गांधी
4. बलराज मधोक जिन्दगी का सफर पृष्ठ 69,
5. भारत मे नियोजन एंव विकास

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शोध केन्द्र पं. शंभू नाथ महाविद्यालय, शहडोल, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना एक मूल्यांकन (अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में)

डॉ. अंजना जैन *

प्रस्तावना – आजादी के बाद से देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के सामाजिक व आर्थिक परिवेष में भी परिवर्तन हुए हैं। परन्तु संतुलित मानसिकता के चलते स्त्रियों की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध करने के बावजूद आज भी स्त्री जीवन की राहें आसान नहीं है। आज भी महिला दबाई व शोषित की जा रही है। महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने व सशक्तिकरण की दिशा में सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है, इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के स्तर पर सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। क्योंकि स्त्री के जीवन की सभी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। भारत के गांवों, कस्बों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की अशिक्षा के लिए प्राचीन मान्यता और सुविधाओं की कमी व समाज की सोच दोष है। राहत की बात यह है कि विलम्ब से ही सही पर बालिका शिक्षा का महत्त्व केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को समझ में आ गया है और इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों ने बालिकाओं की शिक्षा, उनके उज्जवल भविष्य व महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजना प्रारम्भ की है जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव ला सकते हैं।

देश की विडम्बना यह है कि, सुदुर ग्रामीण अंचलों में रहने वाली अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं आज भी शिक्षा से वंचित है। शहर में आकर पढ़ने के लिए न तो उनके पास संसाधन है, न सुविधा और न जानकारी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के एक घटक के रूप म.प्र. में केन्द्र सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीब छात्राओं के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना शुरू की गई। प्रथम से दो वर्ष तक इसका सामंजस्य सर्वशिक्षा अभियान के साथ था किन्तु 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

प्रस्तुत योजना का अध्ययन करने का उद्देश्य यह जानना है कि, क्या यह योजना सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं को विद्यालयों तक लाने में सफल हो रही हैं? इसकी सफलता के मार्ग में क्या कठिनाइयां आ रही हैं व इस योजना से महिला सषक्तिकरण की क्या सम्भावनाएं हैं?

अध्ययन पद्धति – दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में संमकों का संकलन द्वितीय स्तर पर प्राप्त संमकों के आधार पर तथा प्राथमिक संमक अध्ययनरत् बालिकाओं के 25 पालक व 10 शिक्षकों से मौखिक प्रश्न पूछकर उनका वर्गीकरण विष्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

योजना का विस्तार एवं कार्यक्षेत्र – भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय (ठहरने की सुविधा सहित) खोलने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना प्रारम्भ की।

- कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में शुरू की गई है जहाँ जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता की दर 46.58 नीचे हो तथा साक्षरता लैंगिक अन्तर (जेन्डर गैप) 21.70 राष्ट्रीय औसत से ऊपर हो।
- यदि उस क्षेत्र में एकाधिक विद्यालय हो तो वैसी स्थिति में उस विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसकी अपनी पर्याप्त भूमि हो तथा छात्राओं की संख्या दूसरे विद्यालय की तुलना में अधिक हो।
- ऐसे क्षेत्र जहाँ अधिक संख्या में छोटे-छोटे बिखरे हुए निवास स्थल हो जो विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक हो अथवा विद्यालय से बाहर लड़कियों की संख्या अधिक हो अथवा
- उपरोक्त वर्ग की कम से कम 50 लड़कियां प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए तैयार या उपलब्ध हो। योग्य बालिकाओं की संख्या 50 से अधिक भी हो सकती ह।
- इस योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे आवासीय विद्यालय में 75 प्रतिषत सीटों पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद शेष 25 प्रतिशत सीटों पर ऐसी बालिकाओं का नामांकन होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से आती हैं।
- जहाँ तक सम्भव हो स्थापित स्वयं सेवी संस्थाएं और अन्य गैर लाभगारी निकायों को ऐसे स्कूल कुछ षर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी जा सकेगी। इन आवासीय विद्यालयों को व्यवसायिक घरानों द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए कुछ अलग दिशा-निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं।

उद्देश्य – कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के मुख्य उद्देष्य निम्नांकित है –

- कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देष्य विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- माता-पिता/अभिभावकों को उत्प्रेरित करना जिससे बालिकाओं को कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में भेजा जा सके।
- मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर (अनामांकित/छीजनग्रस्त) है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

- विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमनेवाली जाति या समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
- 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बालिकाओं को कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन करना।

रणनीति – योजना के अंतर्गत 10वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से 500–750 के बीच आवासीय विद्यालय, प्रति 19.05 लाख रुपए के आवर्ती लागत और 26.25 लाख रुपए के अनावर्ती लागत मूल्य के अनुमानित लागत पर खोला जायेगा। प्रारम्भ में, स्थान के निर्धारण के बाद, प्रस्तावित विद्यालय भाड़े के भवन या उपलब्ध सरकारी भवनों में खोला जायेगा।

ऐसे आवासीय विद्यालय उन पिछड़े प्रखंडों में खोले जायेंगे जहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामले के मंत्रालय के अंतर्गत बालिकाओं के प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कोई आवासीय विद्यालय न हो। इसका सुनिश्चय सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अन्य विभाग/मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय पहल के लिए वास्तविक जिला स्तरीय योजना तैयार करते समय करेंगे। आसानी से कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के चयन के लिए भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक परिसर की सूची भी संलग्न की जायेगी।

कार्यान्वयन, संचालन व मूल्यांकन – यह योजना महिला समाख्या राज्यों में, राज्य सरकार द्वारा महिला समाख्या सोसाइटी के माध्यम से जबकि अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी के माध्यम से लागू की जायेगी। राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी को निधि सर्व शिक्षा अभियान मानक के अनुसार जानी जायेगी। राज्य व जिल स्तर पर योजना का संचालन व मूल्यांकन महिला समाख्या संसाधन केन्द्र द्वारा और गैर महिला समाख्या राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी में प्राम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए गठित समिति करेगी।

आवासीय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड संसाधन केन्द्र और महिला समाख्या संसाधन समूह के सहयोग से किया जायेगा।

राज्य सहायता समूह – प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) योजना के तहत् स्वीकृत राज्य स्तरीय समन्वय समिति, कार्यक्रम को निर्देशन और सहायता प्रदान करेगी। इस समूह में राज्य सरकार के संबंधित विभाग व भारत सरकार के प्रतिनिधि, बालिका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ व शिक्षाविद आदि भी शामिल होंगे। इस समिति द्वारा विद्यालय के उपयुक्त मॉडल एवं स्थान का निर्धारण, जिला समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रारम्भिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.एल.) एवं नये प्रस्तावित योजना के सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

राष्ट्रीय सहायता समूह – राष्ट्रीय सहायता समूह को राष्ट्रीय स्तर पर महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है जो कार्यक्रम में उठने वाले अवधारणात्मक मुद्दे एवं मामले पर अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव देंगे और बालिका शिक्षा के बारे में भारत सरकार को नीतिगत मामले में सलाह देंगे। यह समूह, शोध व प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षाविद् और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ इंटरफेस (अंतरमुख) प्रदान करेगी और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के अनुभव को शामिल करेगा।

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रतिमानक – कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए केन्द्र सरकार, राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय अंशदान का नियम सर्व शिक्षा अभियान के समान होगा, जैसा कि यह 1 अप्रैल 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के एक घटक के रूप में कार्यरत है।

राज्य सोसाइटी को कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना निधि को संचालित करने के लिए बैंक में एक अलग जमा खाता (सेविंग्स अकाउंट) खुलवाना चाहिए। राज्य सरकार को भी अलग बजट शीर्षक से सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी को समान मात्रा में निधि जारी करनी चाहिए। उसी अनुरूप जिला एवं उप जिला संरचना पर भी अलग अकाउंट बनाकर देखभाल करनी होगी।

तालिका क्रमांक – 1

कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय की देश में स्थिति

क्र.	राज्य	आवासीय विद्यालय स्वीकृति	परिचालन	स्वयं की इमारत
1.	आंध्रप्रदेश	134	134	53
2.	अरूणाचल प्रदेश	19	19	निरंक
3.	बिहार	128	110	67
4.	गुजरात	44	44	22
5.	झारखण्ड	155	136	57
6.	कर्नाटका	61	61	48
7.	हिमाचल प्रदेश	09	09	08
8.	मध्यप्रदेश	105	105	40
9.	उड़ीसा	114	107	40
10.	राजस्थान	56	56	53
11.	तमिलनाडु	37	37	01
12.	उत्तारप्रदेश	125	98	26

स्त्रोत : कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के दिशा निर्देष, भारत सरकार रिपोर्ट 2004–05

- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तारप्रदेश, उड़ीसा इन राज्यों में इन आवासीय विद्यालयों की संख्या 100 से अधिक है। किन्तु झारखण्ड नया राज्य होने के बावजूद सर्वाधिक संख्या (155) इसी राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9 विद्यालय है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि देश की विशालता व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन विद्यालयों की संख्या काफी कम है।
- अधिकाँश प्रदेशों में आवासीय विद्यालय की स्वयं की इमारत न होने से किराये के भवन में चल रहे हैं जिसमें पर्याप्त सुविधाओं का रखरखाव व अभाव है एवं बिजली, पानी व शौचालयों की समस्या है।

समस्याएँ –

1. कस्तुरबा गाँधी विद्यालय की छात्राएं अत्याधिक गरीब व पिछड़े परिवारों से आती हैं। यहाँ सामान्य शिक्षा तो इन बालिकाओं को मिल जाती है पर विशेष ट्रेनिंग मंहगी होने के कारण आज भी ये उससे वंचित है।
2. प्रदेश की आवश्यकता की तुलना में इन आवासीय विद्यालयों की संख्या काफी कम है।
3. अधिकांश विद्यालय व आवास किराये के भवन में चल रहे हैं जहाँ

बिजली, पानी व शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जो अनेक बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण है। अस्वास्थ्य वातावरण में बच्चे रह रहे हैं।

4. अधिकांश बालिकाएं विद्यालय पारिवारिक कारणों से छोटी उम्र में विवाह के कारण बीच में ही छोड़ देती हैं।
5. ये विद्यालय सुदुर क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं। अत: शिक्षक इन क्षेत्रों में पढ़ाने जाने को तैयार नहीं है या अन्य नौकर मिलने पर यह नौकरी छोड़ देते हैं। इससे सदैव शिक्षकों की कमी बनी रहती है।
6. मासूम बालिकाओं के साथ वहाँ के शिक्षक व कर्मचारी दैहिक शोषण करते हें, इससे अभिभावक अपनी बेटियों को यहाँ भेजने में डरते हैं।
7. अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करने पर यह पाया गया है कि इन विद्यालयों में दिया जाने वाला भोजन घटिया प्रकार का होता है। जो बालिकाओं के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव डालता हे।

सुझाव –

1. परम्परागत शिक्षा के साथ इन विद्यालयों में सरकार समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विशेष कोचिंग की व्यवस्था करे।
2. सरकार को विद्यालयों की संख्या बढ़ाना चाहिए तथा शीघ्रताशीघ्र स्वयं के भवन में इन आवासीय विद्यालयों को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों का वेतन व सुविधएं बढ़ाने से शिक्षकों का पलायन रूकेगा।
4. जहाँ तक सम्भव हो इन विद्यालयों में महिला कर्मचारी नियुक्त हो तथा बालिका व विद्यालय की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाए व जिम्मेदारी डाली जाए।
5. बालिकाएं बीच में पढ़ाई न छोड़ें इस हेतु माता–पिता को प्रेरित किया जाए।
6. मासूम बालिकाओं के दैहिक शोषण करने वालों को कठोर दण्ड दिये जाने का प्रावधान हो।
7. भोजन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए सरकार को कई निरीक्षक दल गठित किये जाना चाहिए। इसमें सरकारी अधिकारी, समाज सेवी, स्थानीय लोगशामिल किये जाये।

निष्कर्ष – सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उनके शिक्षा के स्तर का ऊँचा उठाने के लिए कई योजनाएं बनाई व लागू की गई पर कोई भी योजना तभी सफल व सार्थक हो सकती है जब सरकार के प्रयास ईमानदार हो, समाज की सोच सकारात्मक हो, शिक्षक में समपर्ण हो। बच्चों के भविष्य के प्रति माता–पिता प्रेरित हो, और अर्थतंत्र मजबूत हो तभी यह योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं का भविष्य सुधारने में मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. केजीबी वी मूल्यांकन रिपोर्ट 12 दिसम्बर 2013
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय के दिशा निर्देश, भारत सरकार 2003–04

****

भारत में जनांकिकीय लाभांश

रावेन्द्र सिंह पटेल *

शोध सारांश – किसी भी देश की युवा जनसंख्या उस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में कार्यकारी आयु वर्ग (15 से 64 वर्ष) में लगातार वृद्धि हो रही है। 2001 में कार्यकारी आयु वर्ग में जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत भाग था, जो 2006 में बढ़कर 62.9 प्रतिशत और 2011 में बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गया तथा यह 2026 तक 68.4 प्रतिशत हो जाएगा। यह निश्चय ही भारत के लिए अत्यन्त लाभदायक है और अर्थशास्त्री इसे जनांकिकीय लाभांश (Demographic Devidend) की संज्ञा दे रहे हैं। परन्तु इस जनांकिकीय लाभांश की वास्तविक प्राप्ति इस बात पर निर्भर होगी कि अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई कार्यकारी जनसंख्या का किस सीमा तक प्रयोग कर सकती है। चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन ढ़ाचे में भी परिवर्तन हो रहा है और यह कृषि की अपेक्षा उद्योग और सेवाओं के पक्ष में बदल रहा है, इसलिए अर्थव्यवस्था में नये कौशल के विकास की सख्त जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था जनसंख्या के बढ़ते हुए कार्यकारी ग्रुप का प्रयोग विकास के उभरते हुए क्षेत्रों में कर सके। हमें जनांकिकीय लाभांश की फल प्राप्ति तभी हो सकती है जब यह कार्यवाही जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ एवं कुशल हो। लेकिन वास्तव में हम मानव विकास (Human Development) में बहुत पीछे है। यू.एन.डी.पी. द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत 0.547 HDI सूचकांक के साथ 134 वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 97 वें व चीन 101 स्थान के साथ भारत से बेहतर है। भारत को श्रीलंका जैसे छोटे देश से सीख लेनी चाहिए जो मानव विकास में चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी पीछे छोड़ दिया है। अत: जनांकिकीय लाभांश के लिए मानव विकास एक अनिवार्य शर्त है।

शब्द कुंजी – जनांकिकीय लाभांश, मानव विकास, कार्यकारी आयु वर्ग, निर्भरता अनुपात, संरचनात्मक परिवर्तन, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, आयु संरचना, सार्वजनिक- निजी भागीदारी।

प्रस्तावना – जनांकिकीय लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत् विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढ़ाचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (15 वर्ष से 64 वर्ष) तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा में सृजन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनता है। पारम्परिक रूप में देश की जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों पर एक दायित्व समझा जाता है परन्तु यदि एक और दृष्टि से विचार करें, तो जनसंख्या एक परिसम्पत्त है। 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या को बाल-जनसंख्या कहा जाता है। कार्यकारी आयु 15-64 वर्ष तक मानी जाती है, इसे उत्पादक आयु वर्ग (Productive Age Group) कहते हैं। 65 और उसके ऊपर आयु-वर्ग में वृद्ध व्यक्ति होते हैं। बाल जनसंख्या और वृद्ध-जनसंख्या दोनों ही अपने पालन-पोषण और गुजारे के लिए उत्पादक आयु वर्ग पर निर्भर होते हैं। जब जन्म दरें ऊँची होती है, तब जनसंख्या में बाल उपायों के परिणामस्वरूप, समाज के शिक्षा स्तर और शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण के कारण जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जनांकिकीय संक्रान्ति (Demographic transition) की आरंभिक अवस्था में मृत्यु दरें, जन्मदरों की अपेक्षा अधिक तेज गति से गिरती हैं। परन्तु चूँकि मृत्यु दर 6-7 प्रति हजार स्तर के बाद और गिर नहीं सकती, जन्म दर में कमी का जनसंख्या की संरचना पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। बाल जनसंख्या का भाग कम होना शुरू हो जाता है। परन्तु विकास के परिणामस्वरूप, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बेहतर पोषण के कारण, वृद्ध जनसंख्या (65 और इससे अधिक आयु वर्ग) में वृद्धि होने लगती है। परिणामत: जनसंख्या निर्भरता (Dependency Load) में गिरावट आती है और उत्पादक आयु वर्ग के भाग में वृद्धि हो जाती है।

उद्देश्य –

1. भारत में जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना
2. भारत में मानव विकास का अध्ययन करना
3. शिक्षा, स्वास्थ्य और जनांकिकीय लाभांश का अध्ययन
4. बचत, विनियोग और आर्थिक संवृद्धि का अध्ययन

Research Methodology – यह शोध पत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है। द्वितीयक समंको का संकलन योजना आयोग की रिपोर्ट, विश्व बैंक कि रिपोर्ट, यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट, संबंधित पुस्तकों तथा शोध पत्रिकाओं से किया गया है। समंको के विश्लेषण के लिए प्रतिशत, अनुपात आदि का सहारा लिया गया है।

जनसंख्या में संरचनात्मक परिवर्तन – भारत में विगत वर्षो में जनसंख्या में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जो अग्र सारणी से स्पष्ट है।

जनसंख्या प्रक्षेपण (प्रतिशत में)

आयु/वर्ष	2001	2006	2011	2016	2021	2026
15 वर्ष से कम	35.5	32.1	29.1	26.8	25.1	23.3
15 वर्ष से 64 वर्ष	60.1	62.9	65.4	67.1	67.8	68.4
65 वर्ष से अधिक	4.4	5.0	5.5	6.1	7.1	8.3
योग	100	100	100	100	100	100

स्त्रोत – भारत की जनगणना (2006), जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट, दिसम्बर 2006

1. भारत में 2001 में 35.5 प्रतिशत बाल जनसंख्या थी और 4.4 प्रतिशत वृद्ध जनसंख्या थी और इस प्रकार कुल अकार्यकारी जनसंख्या (Non-Working Population) 40 प्रतिशत थी। लेकिन 2011 में 34.6 प्रतिशत जनसंख्या अकार्यकारी है। अर्थात 5 वर्षो में अकार्यकारी जनसंख्या 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
2. भारत में बाल जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है। 2001 में 35.5 प्रतिशत बाल जनसंख्या थी, जो 2011 में घटकर 29 प्रतिशत हो गई। यदि यही रफ्तार जारी रही तो 2026 तक बाल जनसंख्या कम होकर 23.3 प्रतिशत हो जाएगी। बाल जनसंख्या में इस गिरावट का

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.) भारत

मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट है। तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 2001-05 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 1.6 रही, जो 2006-10 के बीच घटकर 1.4 हो गई और 2021-25 के मध्य 0.9 हो जाने का अनुमान है। अत: भारत में बाल जनसंख्या में गिरावट जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का अनुशरण कर रही है।

3. भारत में 2001 में 4.4 प्रतिशत जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या थी, जो 2006 में 5 प्रतिशत और 2011 में 5.5 प्रतिशत हो गई तथा 2026 में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार वृद्ध जनसंख्या के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण मृत्युदर का लगातार घटना और प्रत्याशित आयु में होने वाली सतत् वृद्धि है। रूक्ष मृत्यु दर जो 2001-05 में 7.5 थी, वह 2006-10 में 7.3 और 2021-25 तक 7.2 हो जाएगी। इसी प्रकार पुरूषों की जीवन प्रत्याशा जो 2001-05 तक 63.8 तथा स्त्रियों की 66.1 रही, वह 2006-10 में पुरूषों की 65.8 तथा स्त्रियों की 68.1 हो गई। यदि यही दर बनी रही तो 2021-25 के बीच पुरूषों की 69.8 तथा स्त्रियों की 72.3 हो जाएगी। अत: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि वृद्ध जनसंख्या पर मृत्यु दर में गिरावट व जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है।
4. भारत में कार्यकारी जनसंख्या (15 वर्ष से 64 वर्ष) 2001 में 60.1 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2006 में 62.9 प्रतिशत हो गई। 2011 में कार्यकारी जनसंख्या 65.4 प्रतिशत है जो 2026 में बढ़कर 68.4 प्रतिशत हो जाएगी। देश में इस कार्यकारी जनसंख्या का लगातार बढ़ना निश्चय ही शुभ संकेत है। हम इस जनसंख्या के सहारे अपने देश का विकास तीव्र कर सकते हैं।

निर्भरता अनुपात का सकल घरेलू बचत व प्रतिव्यक्ति आय से संबंध – किसी भी देश में निर्भरता अनुपात का उस देश के सकल घरेलू बचत एवं प्रतिव्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि जैसे-जैसे निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत घटता जाता है वैसे-वैसे उस देश के सकल घरेलू बचत एवं प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती जाती है।

भारत में निर्भरता अनुपात, सकल घरेलू बचत और प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष	निर्भरता	प्रति व्यक्ति आय (2004-05 अनुपात की कीमतों पर)	सकल घरेलू बचत
1980	74	10712	17.8
1985	72	12095	18.4
1990	69	14330	22.9
1995	68	16675	23.6
2001	40	20362	24.9
2006	37	26015	34.6
2011	34.6	38067	30.8

स्त्रोत – आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 एवं जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट, दिसम्बर 2006 World Population Report, December 27, 2005

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है जैसे-जैसे निर्भरता अनुपात में कमी होती जाती है वैसे-वैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है। भारत में 1980 में 74 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर जनसंख्या थी, जो लगातार घटकर 2006 में 37 प्रतिशत एवं 2011 में 34.6 प्रतिशत हो गई। प्रतिव्यक्ति आय 1980 में 10712 रू. थी, जो बढ़कर 2006 में 26015 रू. और 2011 में 38067 रू. हो गई। अर्थात निर्भरता अनुपात घटने के कारण प्रतिव्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि होती गई हैं इसी प्रकार जैसे-जैसे निर्भरता अनुपात में कमी होती गई है, वैसे-वैसे सकल घरेलू बचत में वृद्धि होती गई है। अत: उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में निर्भरता अनुपात में कमी प्रतिव्यक्ति आय एवं सकल घरेलू बचत को बढ़ाने में सहायक रही है। अर्थात भारत को जनांकिकीय लाभांश की प्राप्ति हुई है।

भारत का मानव विकास – किसी भी देश का मानव विकास उस देश के समग्र विकास का सूचक है। भारत को जनांकिकीय लाभांश की वास्तविक प्राप्ति तभी हो सकती है जब मानव विकास में भी बेहतर हो। देश में मानव विकास की स्थिति अग्र सारणी में स्पष्ट है –

मानव विकास सूचकांक देश (HDI) : भारत व पड़ोसी देश की स्थिति	मानव HDI विकास सूचकांक	HDI रैंक
श्रीलंका	0.691	97
चीन	0.687	101
भारत	0.547	134
पाकिस्तान	0.504	145
बंग्लादेश	0.5	146

स्त्रोत – यू.एन.डी.पी. मानव विकास रिपोर्ट, 2011

हाल ही में जारी यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक (HDI) 0.547 है तथा HDI रैंक 134 है। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका (97) व चीन (101) से काफी निचले पायदान पर है। हालांकि पाकिस्तान (145) और बंग्लादेश (146) से भारत की स्थिति बेहतर है। भारत की मानव विकास में इस खराब स्थिति को देखकर प्रश्न उठता है कि क्या भारत अपनी कार्यकारी जनसंख्या से लाभ उठा पाऐगा? क्योंकि कार्यकारी जनसंख्या की कार्य कुशलता में तभी वृद्धि हो सकती है जब वह शिक्षित व स्वस्थ हो।

जीवन प्रत्याशा एवं जी.डी.पी. का स्वस्थ्य पर प्रतिशत व्यय की स्थिति- जीवन प्रत्याशा से आशय जीवित रहने की संभावना से है। वास्तव में जीवन प्रत्याशा का संबंध उस देश में स्वस्थ्य की स्थिति से है। यदि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर व सुलभ होगी तो जरूर उस देश में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी अर्थात जीवन प्रत्याशा किसी भी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुसरण करती है। किसी भी देश में जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय निश्चय ही उस देश के सरकार की स्वास्थ्य पर संवेदनशीलता को दर्शाता है। यदि देश स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है तो जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय अधिक होगा।

भारत व अन्य देशों की जीवन प्रत्याशा तथा जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय

देश	जीवन प्रत्याशा	जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय
जापान	83	9.3
चीन	76	5.2
श्रीलंका	75	3.4
ब्राजील	74	8.9
बंग्लादेश	70	3.7
नेपाल	68	5.4
पाकिस्तान	67	2.5
भारत	65	3.9

स्त्रोत – WHO Report, 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष है, जबकि जापान की 83 वर्ष है। भारत के पड़ोसी देश चीन की जीवन प्रत्याशा 76 वर्ष, श्रीलंका की 75, बंग्लादेश की 70, पाकिस्तान की 67 तथा नेपाल की 68 वर्ष है। अत: भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से भी बदतर है। इसी प्रकार भारत में जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय 3.9 है जो कि बहुत ही कम है क्योंकि ब्राजील जिसकी आर्थिक स्थिति भारत जैसी ही है उसने अपनी जी.डी.पी. का 8.9 प्रतिशत भाग स्वास्थ्य पर व्यय किया है। चीन में जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय 5.2 है तथा नेपाल जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश में स्वास्थ्य पर जी.डी.पी. का प्रतिशत व्यय 5.4 है। भारत की स्थिति कुछ देशों से बेहतर है लेकिन अंतर ज्यादा नहीं है। अत: भारत को जी.डी.पी. का स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय बढ़ाना होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत में कार्यकारी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ एक और बाल जनसंख्या में गिरावट आ रही है, वही दूसरी और वृद्ध जनसंख्या में बहुत ही मामूली वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण जहाँ एक ओर जन्म दर में गिरावट है, वहीं दूसरी और मृत्युदर में गिरावट है। भारत में निर्भरता अनुपात लगातार घट रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश के प्रतिव्यक्ति आय और सकल घरेलू बचत में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात भारत को जनांकिकीय लाभांश की प्राप्ति हुई है। लेकिन वास्तव में हम इस कार्यकारी जनसंख्या का पूर्ण दोहन तभी कर पायेंगे जब यह जनसंख्या शिक्षित, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशल हो। आज हमारा देश मानव विकास में बहुत पीछे है। चीन व श्रीलंका की मानव विकास में स्थित भारत से बहुत बेहतर है। वास्तव में भारत को श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए जिसने मानव विकास में चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में वर्तमान में 480 विश्वविद्यालय एवं 22000 कालेज हैं और अगले 10 वर्षो में 700 विश्वविद्यालय एवं 35000 कालेज खोलने की योजना है ताकि देश की युवा शक्ति शिक्षित व कार्यकुशल बन सके लेकिन वास्तव में विश्व के 200 श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय का न होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विश्व के श्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय में चीन के 2 विश्वविद्यालय है, जो इस बात की और संकेत करते है की चीन शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहा है।

अत: यदि वास्तव में भारत जनांकिकीय लाभांश की फल प्राप्ति करना चाहता है तो उसे शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा । तभी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाली युवा शक्ति तैयार हो सकेगी। साथ ही इस सर्वश्रेष्ठ युवा शक्ति के लिए रोजगार भी मुहैया कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसा न होने से यह शक्ति दूसरे देश पलायन कर जायेगी और देश को इसका लाभ नहीं हो पायेगा। देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अत: जनांकिकीय लाभांश की फल प्राप्ति में मानव विकास एक अनिवार्य शर्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dutt Gaurav, Sundram, KPM `Indian Economy' S Chand and Company New Delhi, 2012, P- 43
2. Higgins, M. " Demography, National Savings and International Capital flows " International Economic Review, Vol.39, 1998
3. Bloom, D. Canning, D and P. Malancy " Demographic Change and Economic growth i Asia" Population and Development Review, vol 26, 2000
4. Bloom, D. and canning D. " Global Demographic change : Dimensions and Economic significance" NBER working Paper 10817, NBER 2004
5. Krugman, P. " The Myth of Asia Miracle" Foreign Affairs, vol 73, 1994, PP 62-78
6. Mettzer, D " Mortality decline, The Demographic Transition and Economic Growth " Ph.D. dissertation, university of chicago, December 1992
7. Paxson, C.H " Saving and growth : Evidence from Micro data " European Economic Review, Vol 40, 1996, PP 255-288
8. Srinivasan, T.N. " Population Growth and Economic Development" Journal of Policy Modeling, Vol 10, No.1, Spring 1988, PP-7-28
9. World Bank, World Development Report 2005 : The State in a changing world, oxford university press, 2007
10. Ingle, Arun and suryawanshi " India's Demographic dividend- Issues and challenges, International conference on Technology and Business mangement, March28-30, 2011
11. Chandrasekhar, CP, Ghosh Jayanti and Roychowdhury Anamitra " The Demographic dividend and young India's Economic Future" EPW, December 9, 2006, PP 5055-5064
12. World Bank (2005) India and the Khowledge Economy : Leveraging strengths and oppprtunities, world Bank, washington DC
13. Ladusing, L. and Narayana, M.R. " Economic Lifecycle and demographic evidence and implications for India " International Institute for population science, Mumbai.
16. Economic Survery of India (2012-13) Economic Division, Ministry of Finance, Govt of India Publication , New Delhi
17. UNDP, `Human Development Report 2011
18. WHO Report 2011

****

मध्यप्रदेश - आर्थिक परिदृश्य एवं गरीबी

नेहा चौरसिया *

प्रस्तावना – किसी भी देश या राज्य की भौगोलिक स्थिति, उस क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं और आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करती है। भौगोलिक रूप से देश के केन्द्रीय स्थान पर स्थित मध्यप्रदेश वास्तव में भारत के हृदय समान है। प्रदेश की जनसंख्या 07 करोड़ से अधिक है। इसमें से 75 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं, जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राज्य की जनसंख्या का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। जो कृषि, वन उपज व स्थानीय कला द्वारा जीवन यापन करते हैं।

शोध परिकल्पना – इस शोध कार्य में यह परिकल्पना ली गयी है कि आर्थिक रूप से समृद्ध मध्यप्रदेश राज्य में गरीबी कम नहीं हुयी है। राज्य में समुचित संसाधन होने के बावजूद भी निर्धनों की संख्या 261.80 लाख है।

राज्य की अर्थव्यवस्था – मध्यप्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के 9.38 प्रतिशत क्षेत्र में बसा है। और खनिज संसाधनों के मामले में भी दूसरा समृद्धतम राज्य है। मुख्यत: यहां कृषि और देहाती अर्थव्यवस्था है।

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे अधिक अग्रिम जिलों में ही मुख्य औद्योगिक विकास केन्द्रित है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में से 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर जंगल छाया हुआ है। नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, सोन, क्षिप्रा, कालीसिंध और तवा जैसी नदियों पर यहां की भूमि की सिंचाई निर्भर है। जंगल और नर्मदाघाटी में पनबिजली उत्पादन की अच्छी क्षमता है। भारत के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला रेलमार्ग मध्यप्रदेश से गुजरता है। राज्य में पर्यटन उद्योग की भी व्यापक संभावनाऐं हैं।

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद –प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में नवीन आधार वर्ष 2004-05 पर वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर 8.49 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही, जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान यह वृद्धि 7.82 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में नवीन आधार वर्ष 2004-05 पर, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर 11.81 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान यह वृद्धि 7.13 प्रतिशत दर्ज की गई थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद चित्र 1 में प्रदर्शित किया गया है।

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थित (2004-05) भावों पर – प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2004-05 की तुलना में 112927 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में क्रमश: 29.84 प्रतिशत एवं 40.87 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्रमश: 146622 करोड़ रूपये एवं 159075 करोड़ रूपये अनुमानित थी। जबकि गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में 8.49 प्रतिशत वृद्धि आंकलित थी। उक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर आधार वर्ष (2004-05) की तुलना में 112927 करोड़ रूपये थी जो वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमश: 59.43 प्रतिशत एवं 78.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्रमश: 180034 करोड़ रूपये एवं 201290 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 11.81 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है।

प्रतिव्यक्ति आय – प्रदेश में स्थिर भावों (वर्ष 2004-05) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2009-10 में 19736 रू. थी जो बढ़कर वर्ष वर्ष 2011-12 में 24598 रूपये हो गयी। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2009-10 में 27250 रूपये से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 38669 रूपये हो गई। स्थिर भावों (वर्ष 2004-05) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2010-11 में 22091 रूपये थी जो बढ़कर वर्ष 2011-12 (त्वरित) में रूपये 24395 हो गई जो गतवर्ष की तुलना में 10.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2010-11) में 32223 रूपये से बढ़कर वर्ष 2011-12 (त्व.) में 37994 हो गई, जो 17.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

प्रदेश में गरीबी – पर्याप्त आर्थिक संसाधन होने के पश्चात भी प्रदेश की अधिकांश जनता गरीब है। वैसे तो प्रदेश खनिज, वन संपदा आदि में सम्पन्न है परन्तु यहां के अधिकांश निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर विवश हैं। क्या कारण है कि इतनी सम्पन्नता के बावजूद यहां लोगों के पास रोजगार नहीं हैं ? राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से यहां के निर्धन वर्ग पर थोड़ा असर तो जरूर हुआ है पर पूर्ण रूप से राज्य गरीबी मुक्त नहीं हुआ है।

योजना आयोग द्वारा 19 मार्च 2012 को तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए नये फार्मूले के आधार पर वर्ष 2009-10 हेतु जारी आंकड़ों में मध्यप्रदेश में निर्धनों की संख्या 261.8 लाख जिसमें 44.9 लाख शहरी क्षेत्र तथा 216.9 लाख ग्रामीण क्षेत्र है। रोजगार कार्यालय की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2011 में 2002 लाख थी। वर्ष 2009 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 80.18 था जो वर्ष 2010 में बढ़कर 80.35 प्रतिशत हो गया।

सुझाव – मध्यप्रदेश राज्य में अपार जनशक्ति, प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पत्ति, जल संसाधन, वन संसाधन, शक्ति के साधन उपलब्ध हैं जो इसे धनी राज्य बनाते हैं। परन्तु इन सबके होते हुए भी यहां की जनता निर्धन है। जरूरत है कि इन संसाधनों को मानव हित में उपयोग किया जावे। ऐसी नीतियां बनायीं जायें जो धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के बजाए गरीब वर्ग के लिए हितकारी हों। इन संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग करके नवीन रोजगार के साधन खोजे जायें जिससे अधिकांश जनता को रोजगार मिल सके।

राज्य की अधिकांश जनता कृषि कार्य में संलग्न है और कृषि को मानसून का जुंआ कहा जाता है। कितने ही किसान हल साल सूखे और कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पर्याप्त सिंचाई साधनों व ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करे। प्रदेश का अधिकांश मजदूर वर्ग असंगठित क्षेत्र से है जिसे अपने हितों की जानकारी ही नहीं होती। ऐसे लोगों का मजदूर संगठन बनाकर उन्हें उनके हितों से अवगत कराया जाना चाहिए। राज्य में ऐसे उद्योग-धंधे स्थापित किए जाने चाहिए जिनमें मशीनों की अपेक्षा मानव को ज्यादा कार्य मिले। राज्य में ऐसे लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए जो कम लागत पर अधिक लाभार्जन देवें। मशीनीकरण, कृषि में यंत्रीकरण ने भी गरीबी को बढ़ावा दिया है।

विकास के नाम पर प्रदेश में लागू बड़ी-बड़ी शासकीय परियोजनाऐं जैसे- बांध निर्माण, ताप विद्युत परियोजनाऐं, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि के कारण हजारों गांवों को विस्थापन की त्रासदी भोगनी पड़ी है। ऐसे में सरकार को चाहिए पहले विस्थापितों को पूर्ण रूप से स्थापित करे फिर नवीन परियोजनाओं को चालू करे। इन सब बातों के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में बदलाव भी अनिवार्य है।

* शोधार्थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रदेश में कई क्षेत्र (चंबल और विंध्य) ऐसे हैं जहां जातिगत भेद-भाव अपने चरम पर है। हम गांव या शहर, हर परिवार की गरीबी के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, पर उनके समाधान का मूल आधार एक समानता आधारित समाज की स्थापना है।

वर्ष 2013-14 में मध्यप्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 11.80 प्रतिशत दर्ज किया गया। जो देश के सभी अग्रणी राज्यों से आगे है। साथ ही राज्य की Per Capital Income में भी बढ़ोत्तरी हुयी है। वर्ष 2013-14 में राज्य की चालू मूल्य पर 54030 रूपये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता साहित्य - पेज नं. 91
2. मध्यप्रदेश शासन डायरी 2013
3. मध्यप्रदेश बजट 2013-14
4. डॉ. बी.सी. सिन्हा, साहित्य भवन, अर्थशास्त्र - पेज नं. 114
5. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,मध्यप्रदेश

राज्य में निर्धनता अनुपात व निर्धनों की कुल संख्या दर्शाती तालिका

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)			निर्धनों की संख्या (लाख में)		
	संपूर्ण देश	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	संपूर्ण देश	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2004-05	48.6	35..1	53.6	315.7	61.3	254.4
2009-10	96.7	22.9	42.00	261.8	44.9	216.9

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर

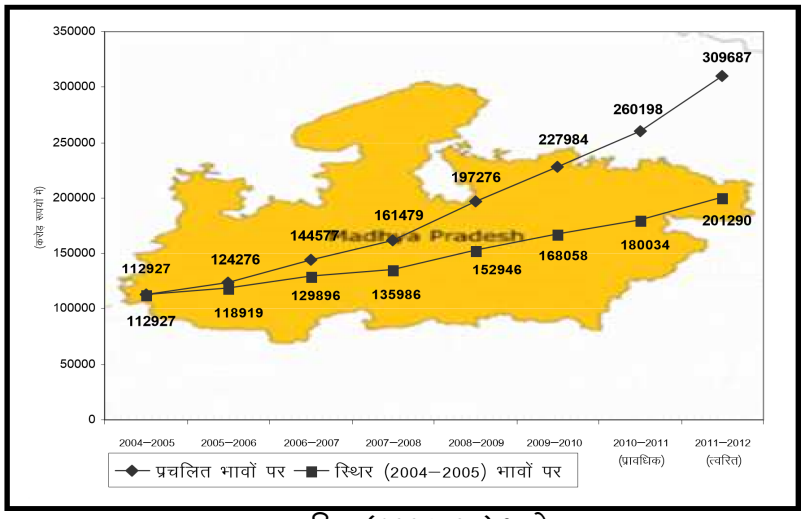

स्थिर (2004-05) भावो पर

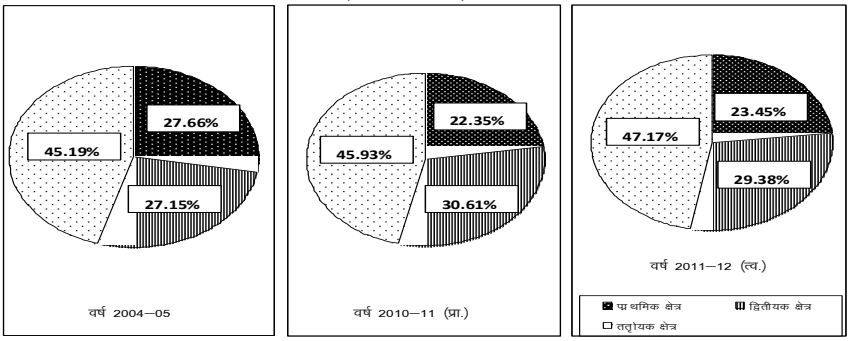

स्थिर (2004-05) भावो पर

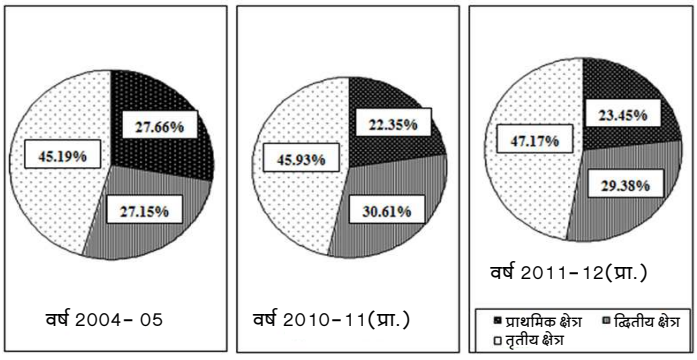

दुग्ध की आवश्यकता तथा भारत में दुधारू पशुधन-एक अध्ययन

डॉ. कृष्णा अग्रवाल *

प्रस्तावना – दूध मानवीय आवश्यकताओं का अनिवार्य अंग है तथा इसे संपूर्ण आहार भी माना जाता है। पृथ्वी पर मानव जीवन के साथ ही साथ दूध का उपयोग प्रारंभ हो गया था। बच्चा जन्म लेने के साथ ही दूध का उपयोग प्रारंभ कर देता है व मरते समय तक किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करता रहता है बच्चे को भूख लगते ही दूध की याद आ जाती है तो बड़े को भी रोज सुबह किसी न किसी रूप में दूध, चाय या काफी में दूध की याद आ जाती है अत: वर्तमान में दूध को **'कलियुग का अमृत'** की संज्ञा दी गई है।

दूध का महत्व अविस्मयरणीय है संसार में किसी भी भोजन की तुलना दूध से नहीं की जा सकती है। दूध प्रकृति की पकशाला में निर्मित हुआ एक अद्वितीय भोजन है। दूध में मानव शरीर को धारण व पोषण करने योग्य उपादान विद्यमान है दूध में शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवन तत्व पाये जाते है इसलिए कहा गया है कि **'दूध ही जीवन है'** अर्थात एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा पुष्ट नही होगा, तब तक मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है। अत: शरीर को स्वस्थ रखने के लिये दूध संजीवनी का कार्य करता है।

भारत के बारे में कहा जाता है कि कभी यहॉ दूध, घी की नदियॉ बहा करती थी। पौराणिक काल में भी हमारे यहॉ गाय, मक्खन और दूध की चर्चाऍ हुआ करती थी। भौगोलिक दृष्टि से पशुपालन के लिए बेहतर स्थिति का लाभ उठाते हुए आज भारत दुनिया भर में सबसे बडा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. दुग्ध की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करना।
2. भारत में दुधारू पशुधन का अध्ययन करना।

परिकल्पना– दूध सभी पोषक तत्वो की उपस्थिति के कारण मानवीय आवश्यकताओं का अनिवार्य अंग है तथा भारत में सर्वाधिक मात्रा में दुधारू पशुधन पाया जाता है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है शोध पत्र में द्वितीयक समंको के रूप में विभिन्न प्रकार की पत्र-पत्रिकाओ के लेख, सारणी, शोध प्रबंध तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया गया है।

दुध की आवश्यकता एवं महत्व– मानव आहार में दूध का स्थान सर्वोपरि है यह एक प्राकृतिक भोजन है शैशव काल में मॉ का दूध नैसर्गिक देन है जो माता के गर्भ में तथा जन्म के पश्चात भी शिशु के भोजन की व्यवस्था करता है नवजात शिशु की पाचन क्रिया को देखते हुए मॉ के दूध के पश्चात् गाय का दूध सर्वोच्च होता क्योंकि यह सुपाच्य एवं आरोग्यवर्धक होता है।

रासायनिक दृष्टिकोण से– 'दूध एक ऐसा हेट्रोजीनिक्स पदार्थ है जिसमें पानी,वसा प्रोटीन, शक्कर, खनिज, तथा दूसरे अवयव या तो घोल के रूप में या कोलास्ट्रल सस्पेंशन के रूप में या इमल्शन के रूप में सतत् तरल प्रवस्था पानी में पाये जाते है।

आयुर्वेद के ग्रन्थ 'सुश्रुत-संहिता' के सुत्र के स्थान के 45 वें अध्याय के 50वे श्लोक में गोदुग्ध के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है गो का दूध कफ नहीं बढाता, वह टिकाउ,चिकना, रक्त-पित्त, वात एवं पित्त नाशक, बुढापा एंव व्याधियों को दूर करने वाला जल्दी पचने वाला तथा आयुवर्द्धक है।

दूध में संतुलित भोजन के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते है जो विभिन्न अवस्थाओं मे शारीरिक वृद्धि के लिये आवश्यक होते हैं। दूध के रचनाकारी तत्वों को हम तालिका द्वारा निम्नानुसार प्रतिशत कर सकते है-

तालिका क्र.1

दूध के रचनाकारी तत्व

क्र.	तत्व	प्रतिशत
1.	नाइट्रोजन युक्त पदार्थ (प्रोटीन)	3.8
2.	लेक्टोज (कार्बोहाइड्रेट्स)	4.5
3.	साइट्रिक एसिड	0.1
4.	खनिज	0.7
5.	चर्बी	3.6
6.	जल	87.3
	कुल	100.0

स्त्रोत-हैण्डबुक ऑफ कैमेस्ट्री – दूध विश्व में प्राणियों की मुख्य आवश्यकता है सभी स्तनपायी (मादायें) अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध देने वाले प्राणियों में गाय, भैंस, बकरी, भेड, ऊॅटनी, व स्त्रियॉ है जिनका दूध विभिन्न रूप में सेवन के काम आता है हम इन प्राणियों के दूध की औसत रचना को निम्न तालिका द्वारा प्रतिशत कर सकते है-

तालिका क्र.2

विभिन्न प्राणियो के दूध की औसत रचना

क्र.	प्राणी	पानी	प्रोटीन	चिकनाई	शर्करा	खनिज द्रव्य
1.	स्त्रियॉ	87.58	2.01	3.74	6.37	0.30
2.	गाय	87.27	3.39	3.68	4.94	0.74
3.	बकरी	86.88	3.76	4.07	4.64	0.85
4.	भैंस	82.25	5.05	7.51	4.44	0.75
5.	ऊॅटनी	86.57	4.00	3.07	5.59	0.77
6.	भेड	83.57	5.15	6.18	4.17	0.93

स्त्रोत- 'मेन्युअल ऑफ मिल्क इन्सपेक्शन- अग्रवाल एण्ड शर्मा

विशेष - ये आकड़ें अनुमानित है। क्योंकि दूध के कुछ तत्वो में अंतर आता रहता है अत: सही ऑकडे निकालना अत्यंत कठिन है।

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना (म.प्र.) भारत

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि गाय व स्त्रियों के दूध में बहुत अंश तक समानता पाई जाती है विशेषकर पानी व स्निग्ध पदार्थ बराबर होने से ही प्राय: नवजात शिशु को मॉ के दूध के बाद गाय का दूध देने की सलाह दी जाती है। दूध में अधिकांश पोषक तत्व सही एवं संतुलित अनुपात में पाये जाते है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते है।

भारत में दुधारू पशुधन– भारत जैसे विशाल देश में कई प्रकार के दुधारू पशु पाए जाते हैं, भारत में पाये जाने वाले दुधारू पशुओं में मुख्यत: गाय व भैंस है प्राप्य दूध का लगभग 99प्रतिशत दूध गाय व भैस से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बकरी, भेड़, घोड़े, रट्टू गधे, खच्चर, सुअर ऊँट, आदि पाए जाते है। लेकिन इनमें से बकरी को छोडकर इनके दूध का उपयोग पीने या अन्य उपयोग हेतु नहीं करते है।

पशु हम भारतीयों के आरोग्य सुख शांति एवं समृद्धि का आधार है। गोवंश हमारी कृषि की रीढ़ है। यह सर्वविदित है कि भारतीय गोवंश का भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य,कृषि, परिवहन, ऊर्जा, तथा पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। भारत में विश्व की कुल पशु संख्या का लगभग 25 प्रतिशत निवास करती है। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में है। एक देश व्यापी सर्वेक्षण के अनुसार देश में 21.10 करोड़ गायें, 7.10 करोड भैसे, 9.5 करोड़ बकरियॉ तथा 19.5 करोड़ अन्य पशु है। सबसे अधिक 15प्रतिषत पशु मध्यप्रदेश में है। मध्यप्रदेश में 40.91 लाख गाये, 18.36 लाख भैसे, 77.51 लाख बकरीयॉ तथा 8.33 लाख भेडे है। आज भारत देश 870 लाख टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन कर विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश हो गया है।

भारत में एक व्यक्ति के हिस्से में 129 ग्राम दूध आता है जबकि भारत चिकित्सा अनुसंधान पोषक सलाहकार समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति 210 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है गायों की संख्या भैसों से अधिक है परंतु भैसो से दूध अधिक प्राप्त होता है जो भारत के कुल उत्पादन का 56प्रतिशत है तथा गायों से 41.7प्रतिशत तथा भेड़, बकरी व ऊँट से 2.3प्रतिशत दूध प्राप्त होता है। पशुपालन हमारे दुग्ध उत्पादको की आजीविका का मुख्य स्त्रोत है।

निष्कर्ष–उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूध में जीवन के लिये अनिवार्य सभी पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण जन्म से मृत्यु पर्यन्त आहार में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है अत: दूध मानवीय आवश्यकताओं का अनिवार्य अंग है। भारत में सबसे अधिक पशु धन पाया जाता है तथा पशुपालन हमारे दुग्ध उत्पादकों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कल्याण मई 1998–गीता प्रेस गोरखपुर
2. यूनिक सामान्य अध्ययन 1997–यूनिक पब्लिकेशन दिल्ली
3. पशुपालन–एस.एस.चौधरी
4. दुग्ध विज्ञान–एम.एस.भाईएवं जी.एस.लवानिया
5. कल्याण मार्च 1995–गीता प्रेस गोरखपुर
6. रोजगार निर्माण समाचार पत्र
7. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
8. मैन्युअल ऑफ मिल्क इन्सपेक्शन–अग्रवाल एण्ड शर्मा

****

श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादकों पर प्रभाव (उज्जैन एवं इंदौर दुग्ध संघ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. कृष्णा अग्रवाल *

प्रस्तावना – क्रांति आंदोलन अभाव के विरूद्ध किये गये संघर्ष प्रयत्न ही क्रांति आंदोलन को जन्म देते है।

पशुपालन भारत की प्राचीन परंपरा रही है गौ पालन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन काल में गायों की संख्या संपन्नता का आधार रही थी। कृषि के सह व्यवसाय के रूप में पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था जीवन शैली एवं सामाजिक व्यवस्था का आधार रहा है।

जनसंख्या विस्फोट ने पशुपालन के व्यवसाय को प्रभावित किया है भारतीय कृषि पद्धति में परिवर्तन करने के साथ दुग्ध उत्पादन के मूलभूत व्यवसाय में भी परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया है तथा यहीं से 'श्वेत क्रांति' का जन्म होता है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही 'श्वेत क्रांति' कहलाता है। सन् 1964 में देश में संघन 'पशु विकास कार्यक्रम' चलाया गया जिसके अंतर्गत 'धवल क्रांति' अथवा 'दुग्ध क्रांति' अथवा 'श्वेत क्रांति' लाने के लिये पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया।

मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने के लिये दुग्ध सहकारिता की अमूल पद्धति पर आधारित श्वेत क्रांति विकास परियोजना का प्रथम चरण अगस्त 1976 से प्रारंभ हुआ और मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के उज्जैन तथा इन्दौर दुग्ध संघ में इसी पद्धति के आधार पर दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया। दुग्ध सहकारी समितियां श्वेत क्रांति की उपलब्धि की मुख्य कड़ी है और इसका मुख्य स्त्रोत इन दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्य है। न्यादर्श प्रणाली के आधार पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया।

उद्देश्य–

1. श्वेत क्रांति का दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. उज्जैन दुग्ध संघ तथा इन्दौर दुग्ध संघ की दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन के पश्चात दुग्ध उत्पादकों, रोजगार, दुग्ध की पुर्ति, ग्राम विकास आदि पर श्वेत क्रांति के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना– श्वेत क्रांति के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होने के साथ ही उनके रोजगार में भी वृद्धि हुई है। जिससे दुग्ध उत्पादकों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि–प्रस्तुत शोध पत्र में उज्जैन तथा इन्दौर दुग्ध संघों का अध्ययन किया गया है तथा अध्ययन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक समंको का संग्रहण किया गया है। सर्वेक्षण हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श प्रणाली के आधार पर दुग्ध संघ की दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया है। उज्जैन दुग्ध संघ तथा इन्दौर दुग्ध के कार्यक्षेत्र से तीन जिलों की पॉच पॉच कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियो का चयन किया गया है।

श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादकों पर प्रभाव– दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों के गठन के पश्चात दुग्ध उत्पादकों, रोजगार, दुग्ध की पूर्ति, ग्राम विकास आदि पर बहुत अधिक प्रभाव हुए है। समिति के गठन के पश्चात सर्वेक्षित दुग्ध उत्पादकों के विभिन्न प्रभावों से संबधित प्रश्न किये गये जिनसे निम्नलिखित तालिका प्राप्त हुई–

तालिका क्र.1 (पीछे देखें)

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रश्न के उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत भी सकारात्मक रहा है। यहॉ कुल 200 समग्र आकार में से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दुग्ध समिति का सदस्य बनने के बाद विकास को स्वीकार किया है। जबकि मात्र 20प्रतिशत मतदाताओं ने इसे अस्वीकार किया है। तथा 08 प्रतिशत न्यादर्श अभिमत में ज्ञात नही उत्तर मिला है। अत: यहॉ ज्ञातव्य है कि अधिसंख्य सर्वेक्षित वर्ग दुग्ध समिति का सदस्य बनने के पक्ष में है। परिकल्पना के परीक्षण के लिये सांख्यिकी प्रविधि काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है।

$x^2\sum[(f-f_1)^2$

काई वर्ग (x^2) टेस्ट का प्रयोग–

No	1	2	3	4	5	6	7
f	40	38	20	18	30	26	28
f1	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6
f-f1	+11.4	+9.4	-8.6	-10.6	+1.4	-2.6	-0.6
$(f-f_1)^2$	129.96	88.36	73.96	112.36	1.96	6.76	0.36
$(f-f_1)^2$ ---- f1	4.54	3.09	2.59	3.93	0.07	0.24	0.01

14.47

———————— = **14.47**

f1

No. of degree of freedom 7-1=6

Cal.x2 14.47>12.592 Total Value

विश्लेषण से स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत स्तर पर 6 d.f. के लिये X^2 का तालिका मान 12.592 है जबकि X^2 का परिकलित मान 14.47 है। परिकलित मान

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सैलाना (म.प्र.) भारत

तालिका मान से अधिक है अत: H_0 अस्वीकृत हो जाती है। अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई।

दुग्ध विकास परियोजना को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव–मध्यप्रदेश के उज्जैन तथा इन्दौर दुग्ध संघ में दुग्ध विकास योजना की अमूल पद्धति प्रभावी रूप से कार्य नही कर रही है। अमूल पद्धति को दूसरे प्रदेशों के समान प्रभावषाली बनाने के संबंध में दुग्ध उत्पादकों के सुझाव निम्नलिखित है–

तालिका क्र.2

दुग्ध विकास परियोजना को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

क्रं.	सुझाव	उज्जैन	इंदौर	योग
1.	पशु उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यक्रम लागू करना	38	47	85
2.	परियोजना का प्रचार प्रसार किया जाए	25	32	57
3.	राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त किया जाए	40	32	72
4.	दुग्ध का प्रति फेट मूल्य बढाया जाए	28	35	63
5.	कर्मचारीयों का निरीक्षण व नियंत्रण	28	26	54

स्त्रोत–सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दुग्ध विकास परियोजना को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए 85 दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने अपना सुझाव दिया कि पशु उत्पादकता वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग़ से लागू किया जाए। 57 दुग्ध उत्पादकों ने इस परियोजना के प्रचार प्रसार के संबंध में अपना सुझाव दिया। 72 दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने पर जोर दिया वहीं 54 सदस्यों ने कर्मचारियों के निरीक्षण व नियंत्रण पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। 63 दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने दुग्ध का प्रति फेट मूल्य बढ़ाने के संबंध में अपना सुझाव दिया है।

निष्कर्ष:– उज्जैन तथा इन्दौर दुग्ध संघ में श्वेत क्रांति के विभिन्न प्रभावों का सर्वेक्षण के दौरान जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि श्वेत क्रांति के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होने के साथ ही उनके रोजगार में भी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों का जीवन स्तर ऊॅचा उठा है। समिति के गठन से गॉवों का विकास होने से दूरदराज के गॉव दुग्ध संघों की मुख्य धारा से जुड़ गये है और श्वेत क्रांति के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ लेकर श्वेत क्रांति के विकास में अपना सहयोंग दे रहे है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. प्रतियोगिता दर्पण–भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2005
2. शोध प्रबंध– दुग्ध क्रांति का मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
4.श्वेत क्रांति विशेषांक 1993–सहकारिता विकास प्रकोष्ठ

तालिका क्र.1

दुग्ध समिति का सदस्य बनने के बाद सर्वेक्षित दुग्ध उत्पादकों की स्थिति

क्र	विभिन्न मदों पर प्रभाव	सर्वेक्षित वर्ग का अभिमत						योग	
		हॉ		नहीं		पता नहीं		संख्या	प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत		
1	आय में वृद्धि	35	24.0	04	10.0	01	06	40	20.0
2	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई	32	22.0	04	10.0	02	13	38	19.0
3	कृषि का वैज्ञानिक विकास हुआ	16	11.0	02	5.0	02	13.0	20	10.0
4	गॉवों का विकास हुआ	10	7.0	05	13.0	03	19.0	18	9.0
5	महिलाओ की स्थिति में सुधार हुआ	18	13.0	08	20.0	04	23.0	30	15.0
6	ग्रामवासियो में जागरूकता का विकास हुआ	15	10.0	09	22.0	02	13.0	26	13.0
7	पशु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया	18	13.0	08	20.0	02	13.0	28	14.0
	योग	144	72.0	40	20.0	16	8.0	200	100

स्त्रोत– सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

रूपये का अवमूल्यन और वर्तमान आर्थिक परिस्थिति

प्रो. डी.एन. व्यास *

शोध सारांश – मुद्राके चलन के पहले लेन देन के लिए वस्तु विनिमय (Barter system) पध्दती थी। लेकिन इस पद्धती की कई कठिनाईयों की वजह से मुद्रा का, विनिमय के लिए चलन शुरू हुआ। इस प्रकार दुनिया के विविध देशों मे मुद्रा चलन अस्तित्व में आया और अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्रायें अस्तित्व में आई। इस प्रकार जब धीरे धीरे जागतिक स्तर पर व्यापार होने लगा तो मुद्रा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ? इस संबंध में चर्चा प्रारंभ हुयी। अर्थात मुद्रा के, व्यापारी चलन के लिए कौनसी बहुमुल्य वस्तु आधार समझी जायें इस संबंध में विचार शुरू हुआ। अखिरकार आज जो देश आर्थिक रूप से विकसित एवं सुदृढ है उन्होंने सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को अपनाया जबकि भारत ने चांदी पर आधारित व्यवस्था को अपनाया।

शब्द कुंजी – वस्तु विनिमय, मुद्रा, रूपये का अवमूल्यन, चांदी, चलन।

प्रस्तावना – 'रूपया' यह नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मूल अर्थ चांदीका सिक्का होता है। दुनिया के देशों में सर्व प्रथम मुद्रा का चलन शुरू हुआ उसमें भारत एक देश है। द्रविड लोगोंने इसका नाम 'रूपा' कर दिया। उत्तर भारत में कई ग्रामीण इलाकों में बहुत से अशिक्षित लोग आज भी इसे 'रूपा' इसी नाम से जानते है। चाणक्य के अर्थशास्त्र मे रूपये के तीन नाम दिखायी देते है। जैसे 1) स्वर्ण रूपा (सोने का रूपया) 2) रूप्य रूपा (चांदी का रूपया), 3) ताम्र रूपा (तांबे का रूपया) स्वर्ण रूपा राजे महाराजे और कुछ प्रतिष्ठित लोगों द्वारा वापरा जाता था, जबकी रूप्य रूपा पैसे वाले रईसों द्वारा वापरा जाता था और ताम्र रूपा साधारण जनता वापरती थी।

यह अच्छे से विदीत है की, मुद्राके चलन के पहले लेन देन के लिए वस्तु विनिमय (Barter system) पद्धति थी। लेकिन इस पद्धति की कई कठिनाईयों की वजह से मुद्रा का विनिमय के लिए चलन शुरू हुआ। इस प्रकार दुनिया के विविध देशों मे मुद्रा चलन अस्तित्व मे आया और अलग अलग देशों मे विभिन्न प्रकार की मुद्रायें अस्तित्व में आई। इस प्रकार जब धीरे धीरे जागतिक स्तर पर व्यापार होने लगा तो मुद्रा व्यवस्था क्या होनी चाहिए ? इस संबंध में चर्चा प्रारंभ हुयी। अर्थात मुद्रा के व्यापारी चलन के लिए कौनसी बहुमुल्य वस्तु आधार समझी जायें इस संबंध में विचार शुरू हुआ। अखिरकार आज जो देश आर्थिक रूपसे विकसीत एवं सुदृढ है उन्होंने सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को अपनाया जबकि भारत ने चांदी पर आधारित व्यवस्था को अपनाया और यहीं से हमारी गलती होना शुरू हुयी।

कागज की मुद्रा का चलन (Paper currency) – कागजी मुद्रा का चलन अंग्रेजों ने 1861 मे 1 रू. की नोट चलन में लाकर शुरू किया। बाद में 1864 मे दस रू. की नोट, 1872 मे 5 रू. की नोट, 1899 मे दस हजार और वर्ष 1900 मे 100 रू. की, 1905 मे 50 रू., 1907 मे 500 रू., 1909 मे 1000 रू. और 1917 मे ढाई रू की नोट चलन में लायी गयी।

सोना एवंम् डॉलर का आधार – शुरू में जागतिक स्तर पर व्यापर करने के लिए मुद्रा के लिए सोना ही आधार माना जाता था। लेकीन बाद में धीरे धीरे सोने के बदले जागतिक स्तर पर डॉलर ही विनिमय के लिए वापरने लगा, क्यों कि अमरीकी अर्थव्यवस्था की मजबुती। हालांकी आज अमरीकी अर्थव्यवस्था काफी कुछ कमजोर है। लेकीन फिर भी दुसरे कोई भी देश की मुद्रा डॉलर का पर्याय नहीं बन सकती और इसी कारण आज भी विश्व में विनिमय दर अमरीकी डॉलर मे ही निश्चित होता है।

रूपये का अवमूल्यन क्यों? आयात ज्यादा और निर्यात कम – जब किसी भी देश का आयात व्यापार निर्यात व्यापार से जादा होता है तब इस प्रकार की स्थिती निर्माण होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आय से खर्चा ज्यादा होता है (आमदनी अठन्नी खर्चा रूपया) और यही परिस्थिती कई वर्षो तक रहने पर वह व्यक्ति कर्ज मे डूब जाता है। परिणामत: उस व्यक्ति की साख एवं प्रतिष्ठा समाज मे कम हो जाती है। यही नियम देश की परिस्थिती को भी लागू होती है। इसका मतलब यह की, आयात ज्यादा होने की वजह से उसका शोधन विदेशी मुद्रा में याने डॉलर मे करना पडता है। इसलिए आयात करने वाले भारतीय व्यापारी को रूपये देकर डॉलर खरीद कर आयात किए हुऐ माल काषोधन करना पडता है। इस कारण डॉलर की मांग बढकर उसका मूल्य बढता है क्यों की डॉलर की पूर्ती (Supply) कम और मांग ज्यादा होती है। इसके विपरीत निर्यात कम होने से रूपये की मांग कम और पूर्ती (Supply) ज्यादा तो रूपये का मूल्य डॉलर मे कम हो जाता है।

रूपये का पहला अधिकृत मूल्य – रूपये का पहिली बार अधिकृत रूपसे अवमूल्यन जून 1966 में किया गया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री हुई थी। देश में अनाज की बहुत ही कमी थी। सूखा (अकाल) पडा था। हमारे देश की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नही था। इस कारण अनाज अमरीका से आयात करना पडता था। उस समय के अमरीकन अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन् इन्होने एक शर्त डाली वह शर्त थी की यदि रूपये का अवमूल्यन किया तो ही अनाज की पुर्ती (Supply) करेंगे अन्यथा नहीं। वास्तव मे 1952 से 1965 इस कालावधी में रू. का मूल्य स्थिर था। इसलिये केवल अमरिकी दबाव के कारण रू. का अवमूल्यन किया गया। अमरिका से जो अनाज की पूर्ती होती थी वह P / L 480 इस अधिनियम के तहत होती थी। और मिलनेवाला अनाज भी एकदम निकृष्ट प्रकार का होता था, जो अमरीका मे उनके पशुओं को खिलाया जाता था।

वर्तमान स्थिती के पहले की परिस्थिती – हमारे देश में 1991 में खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुयी। इसके पहले हमे करीब 500 टन सोना गिरवी रखना पडा था। क्योंकि हमारे पास विदेशी चलन का भंडार केवल दो दिनकी आयात के लिए ही पर्याप्त था। मतलब देश करीब करीब दिवालीया होने के कगार पर था। उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। बाद में 1991 मे कॉंग्रेस के नरसिंहराव प्रधानमंत्री हुये। उस समय देशकी आर्थिक स्थिती एकदम खराब थी। इसलिये डॉ. मनमोहन सिंग की अर्थमंत्री पद पर नियुक्ती की गयी।

अर्थनीति की अपेक्षा राजनीति को अधिक महत्व – दूसरी बार कॉंग्रेस सत्ता में आने के बाद से अर्थनीति की अपेक्षा राजनीति को अधिक महत्व दिया गया। मतलब सभी आर्थिक नीतियों एवं निर्णय राजनीति की दृष्टी से कौनसे फायदेमंद रहेंगे उसके अनूसार निश्चित किये गये। परिणामत: सभी

* वाणिज्य संकाय गो.से. महाविद्यालय, खामगांव (महाराष्ट्र) भारत

आर्थिक एवं राजकीय निर्णय लोगों को खुश करने के लिये लिए गये। उसी प्रकार सरकार कोई भी निर्णय मजबूती से अमल करने में असमर्थ रही और आज भी ऐसीही परिस्थिती है। इसीको नीतिगत लकवा (Policy Paralysis) ऐसा कहा जाता है। यह नीतिगत लकवे के अर्थात् राजकीय निष्क्रीयता के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से दिये जा सकते है –

1) खनन क्षेत्र – वास्तव में खनन क्षेत्र किसी भी औद्योगिक विकास का मूलभूत घटक है। क्योंकि खनिज पदार्थ यदि नहीं रहे तो उद्योग कैसे चलेंगे? औद्योगिक उत्पादन कैसे होगा? मनमोहन सिंह सरकार दूसरी बार जब सत्ता मे आयी तब इस क्षेत्र की वृद्धी (विकास) 7.9 % थी और आज यह शून्य से नीचे 2.3 % इतनी है। क्यों कि पर्यावरण, जंगल आदि प्रश्नोंपर सरकार की कोई नीति नही, कोई भूमिका नही इस वजह से खनन उद्योग मृतप्राय है।

2) लोहा (Steel) – लोहा यह दूसरा औद्योगिक उत्पादन एवम् विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2010 तक लोह खनिज का उत्पादन करीब 21 करोड 80 लाख टन इतना था। अब यह आधे से भी कम है। और परिस्थिती इतनी दयनीय है की, 2009–10 इस वर्ष में 11 करोड 73 लाख टन लोह खनिज हमने निर्यात किया था। जबकि इस वर्ष मे 50 लाख टन लोहखनिज हमने आयात किया और इसके लिये डॉलर में शोधन किया गया। परिणामत: चालू खाते का घाटा और बढा।

3) कोयला – कोयले के संबंध मे तो सब घोटाला ही घोटाला है। ये जरूर है की, हमारे देशी कोयले की क्वालिटी अच्छी नही है। इस कारण हमें हर वर्ष अच्छे कोयले की आयात करनी पडती है। लेकीन सरकार की निष्क्रीयता की वजह से देशी कोयले की खदाने सभी बंद। इस कारण हमे आज कोयले के आयात पर करीब 1600 करोड डॉलर्स खर्च करने होते है।

4) बॉक्साईट – बॉक्साइट से ॲल्युमिनियम बनता है। दुनिया मे बॉक्साईट के जितने भी अच्छी किस्मके भंडार है उसमें से करीब 350 करोड टन बॉक्साईट हमारे देश में है, लेकिन वह जमीन में ही है। क्यों कि इसकी खदानों की अनुमति देना या नहीं उसका कोई निर्णय नहीं इसलिये यह खनिज जमीन में ही है। परिणामत: इसकी भी हमें आयात करनी पडती है और इस वजह से अंतत: चालू खाते पर फिर से घाटा और रूपया सस्ता।

5) बैंको के अशोध्य ऋण (N.P.A.) – गत कुछ वर्षो में बैंको का अशोध्द ऋण बढ रहा है। 'क्रेडीट स्वीस' इस संस्था ने भारत की बैंको के अशोध्द ऋण संबंध मे 'हाऊस ऑफ डेट'' नाम की रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के अनुसार देशकी सबसे 10 बडी कंपनीयों के ऋणका समावेश था। अब 1 वर्ष बाद इस ऋण की क्या अवस्था है यह देखने के लिए इस क्रेडीट स्वीस संस्थाने दूसरी रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट की जानकारी यदि हम लेते हैं तो हमारी आँखे फट सकती है क्योंकि इन 10 उद्योंगों को दिये हुये ऋण की कुल राशी 6 लाख 31 हजार 24 करोड इतनी है। यह राशी कंपनी निहाय निम्न प्रकार से है –

	कंपनी का नाम	दिये गये ऋण की (रू.) राशी
1	अदानी ग्रुप	81 हजार 122 करोड
2	जी.आर.एम्.	40 हजार 824 करोड
3	जे.पी. ग्रुप	63 हजार 424 करोड
4	जँकी	39 हजार 34 करोड
5	वेदांत	99 हजार 610 करोड
6	एस्सार	98 हजार 492 करोड
7	जी.व्ही.के.	25 हजार 224 करोड
8	जिंदल ग्रुप	41 हजार 575 करोड
9	अनिल अंबानी ग्रुप	1 लाख 23 हजार 543 करोड
10	व्हिडियोकॉन	27 हजार 283 करोड

6) पेट्रोल की आयात – हमारे ऑटोमोबाईल उद्योग को चालना देने की वजह से पिछले कुछ वर्षो मे इस उद्योग का काफी विकास हुआ । लेकिन परिणाम स्वरूप पेट्रोल की माँग बहुत बढ गयी। हम आज हमारी आवश्यकता के 80% प्रतिशत पेट्रोल आयात करते हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार रूपये की कीमत 1 रू. से यदि कम हुयी तो करीब 8000 करोड रू. का नुकसान होता है। और तेल की कीमत में 1 डॉलर की बढोतरी हुयी तो और 4800 करोड रू. से आयात का व्यय' बढता है। वास्तविक यह अवस्था कोई एक दिन में निर्माण नहीं हुयी। यह पिछले कई वर्षो से चल रही है। फिर भी पेट्रोल को दूसरा पर्यायी इंधन नहीं खोजा गया या देश मे पेट्रोल का उत्पादन बढाने के लिए कोई प्रयास नही किये गये। बीच में पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाने की अनुमती थी। इसकी वजह से सहकारी शक्कर कारखानों को आय का एक साधन उपलब्ध था। लेकिन यह मुहीम भी बंद कर दी गयी। इस प्रकार पेट्रोल की आयात का खर्च बढने से चालू खाते का घाटा बढते जाता है और फिर रू. की कीमत कम होने लगती है।

उपरोक्त सभी मुद्दों से स्पष्ट होता है की, अर्थव्यवस्था के विचार करते समय राजनीति का अवलंब करने से भारतीय अर्थव्यवस्था की यह बुरी दशा हुयी है। इसीलिए कहना पडता है की, अर्थशास्त्र में सरकार ने राजनीति न लाते हुये उसे अर्थशास्त्री रहने दें, और उसका अनर्थशास्त्र न हो इसलिये उसमें राजनीति न लायें।

उपाय – इस विकट आर्थिक परिस्थिती से उबरने के लिए कुछ उपाय निम्न प्रकार हो सकते है –

1) विदेशी विनियोजन के पूँजी नफेपर कुछ रियायत (छूट) देना।
2) जागतिक ऋण पत्रों की बिक्री।
3) निर्यात बढाने के लिए योग्य वातावरण की निर्मिती करके उचित नीति अपनाना।
4) पेट्रोल को पर्याय खोजना या देश में पेट्रोल का उत्पादन बढाना।
5) सरकारी खर्चे में कटौती – इस संबंध में अभी पिछले (सितंबर मे) सरकार ने कुछ उपाय सुझाये है जैसे सरकारी नौकर भरती पर बंदी, पाँचसितारा होंटलो मे चर्चा सत्र आयोजित नही करना, हवाई यात्रा इकॉनॉमी क्लास मे करना आदि। लेकीन इन सब उपायों को गंभीरता से अंमल करना जरूरी है।
6) इसी के साथ में हमारा भी कुछ योगदान होना जरूरी है। क्यों की, कोई भी योजना जनता के सहकार्य बिना सफल नहीं हो सकती। इसलिये हम सबका कर्तव्य है की, जहाँ भी और जब भी हो तब पेट्रोल वाहनों का उपयोग न करते हुये सायकल या सार्वजनिक वाहनों का जैसे एस.टी, रेल्वे आदि का उपयोग करना। हमें संकल्प करना होगा की, कम से कम एक दिन हम पेट्रोल वाहनों का उपयोग नही करेंगे। इस कारण पेट्रोल की काफी बचत हो सकती है। इस संबंध मे आप यह भी सोच सकते है की, हमारे करने से क्या फर्क पडने वाला है । लेकिन मैं कहूँगा आप शुरुआत तो करें, यह बात एक अभियान मे बदल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इकॉनॉमिक टाईम्स : http//articles.economictimes.indiatimes.com/2013-08-14/news;july 2013.
2. इंडीयन एक्सप्रेस : http//www.indianexpress.com/news;july 2013.
3. Reserve Bank of India. 2013.
4. moneycontrol.com/news;august 2013.
5. Loksatta Marathi Dainik.

भारतीय संघ में राज्यों का पुनर्गठन एवं छोटे राज्यों की प्रासंगिकता

डॉ. श्रीकांत दुबे *

प्रस्तावना – विगत वर्षों में भारत के विभिन्न प्रांतों से पृथक राज्यों के गठन–पुनर्गठन की मांगे बलवती होती रही है। वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से छोटे–छोटे राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय संघ में राज्यों के गठन पुनर्गठन एवं उसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा।

प्राचीन भारत में भी राज्यों का अस्तित्व रहा है। भारत में प्राचीन काल में 16 राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। भारत में स्वाधीनता के पूर्व 550 से अधिक छोटे बड़े देशी राज्य थे तथा अंग्रेजों के अधीन कुछ प्रांत भी थे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के राज्यों को उत्तर, पूर्व, दक्षिण,पश्चिम, मध्य तथा पश्चिमोत्तर प्रशासकीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में बंगाल प्रेसीडेंसी, मद्रास प्रेसीडेंसी एवं बंबई प्रेसीडेंसी अस्तित्व में थी। सर्वप्रथम 1905 में अंगेजों ने बंगाल का विभाजन किया किन्तु इसके विरोध के कारण यह रद्ध कर दिया गया। 1912 में बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार व उड़ीसा को अलग कर एक प्रांत बनाया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। भारत में अंग्रेजी शासन काल में ही राज्यों के गठन पुनर्गठन की मांगे बलवती होने लगी थी परिणामस्वरूप 1918 में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में छोटे राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन को आवश्यक माना गया। 1930 में संवैधानिक आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन को आवश्यक माना। 1936 में सिंध प्रांत गठित किया गया। 1938 में कांग्रेस ने देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना। कांग्रेस ने यह निर्णय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत लिया था।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों की स्थिति – स्वतंत्रता के पश्चात् लगभग 500 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया गया। कालांतर में हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर जैसी बड़ी रियासतें भी भारतीय संघ में सम्मिलित की गई। इन रियासतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इन्हें राज्यों का दर्जा दिया गया। 1948 में दर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की वकालात की। 1948 में ही जे.वी.पी. आयोग ने भी संतुलित आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया।

राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि भारत की संसद विधि द्वारा (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेशको किसी राज्य के भाग में मिलाकर नया राज्य बना सकेगी, (ख) संसद किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर सकेगी (ग) किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकेगी (घ) किसी राज्य की सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकेगी तथा (ण) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त किसी भी परिवर्तन के लिए संसद में विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा तथा राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ले सकेगा लेकिन संसद किसी राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, संसद सामान्य बहुमत से निर्णय ले सकती है। संसद संघ शासित क्षेत्रों में भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है।

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग एवं राज्यों का गठन –

संविधान सभा ने भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा था – भाग क में असम,पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब, बंबई, मध्यप्रदेशएवं मद्रास थे। भाग ख में जम्मू, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, श्रावणकोर कोचीन, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज संघ, मध्य भारत, राजस्थान और सौराष्ट्र थे। भाग ग में अजमेर, कच्छ, दिल्ली, दुर्ग, त्रिपुरा, मणिपुर, बिलासपुर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेशथे। भाग घ में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप थे।

स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात् भारत में भाषायी एवं क्षेत्रीय आधारों पर विभिन्न क्षेत्रों से राज्यों के पुनर्गठन की मांगें उठने लगी। इनमें सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र का आंदोलन व्यापक रूप से उठा परिणामस्वरूप जे. वी. पी. आयोग की रिपार्ट के आधार पर हैदराबाद एवं मद्रास राज्य के तेलगू भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेशराज्य के रूप में गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसा में राज्यों की प्रचलित श्रेणियों को अनावश्यक माना और 29 राज्यों को 16 राज्य और 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद में पारित किया। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु कुछ सिद्धांत निर्धारित किये जिनके अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा की एकता एवं सुरक्षा; भाषा एवं संस्कृति की समानता; वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधा; राष्ट्रीय विकास योजनाओं का सफल संचालन; बंधुत्व उत्पन्न करने वाली परम्पराएँ; भौगोलिक सानिध्य; प्रशासनिक सुविधाएँ व जनता की इच्छा तथा राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता। आयोग ने इसके तहत 14 राज्य एवं 6 केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गये। 14 राज्यों में बिहार, उत्तरप्रदेश,पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, बंबई, जम्मू एवं काश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा राजस्थान एवं पंजाब बनाए गए। 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, अमनदीवी द्वीप, लक्ष्यद्वीप–, हिमाचल प्रदेशतथा त्रिपुरा बनाए गए। 1956 में मध्यप्रदेशका गठन किया गया 1960 में गोवा को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1960 में बंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य बनाए गए तथा मध्यप्रदेश से विदर्भ को अलग कर महाराष्ट्र में मिलाया गया। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब से नए हरियाणा राज्य का गठन किया गया एवं चंडीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1963 में नागालेंड, 1971 में मेघालय, 1972 में त्रिपुरा एवं मणिपुर, 1986 में मिजोरम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड एवं झारखंड राज्य नामक नये राज्य गठित किये गये।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

वर्तमान में भारत में छोटे राज्यों के गठन की मांगे– उपर्युक्तानुसार भारतीय संघ में विभिन्न आधारों पर समय–समय पर राज्यों के पुनर्गठन किये गये किन्तु वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से राज्यों के पुनर्गठन की नई मांगे बलवती हो रही हैं इसमें प्रमुख है – आंध्र एवं तमिलनाडू से पृथक तेलंगाना, मणिपुर में कुकी लेंड,पश्चिम बंगाल, बिहार एवं जलपायगुडी में कामतापुर, कर्नाटका एवं केरला में तुलुनाडु उत्तर प्रदेशमें अवधप्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हरितप्रदेश, आगरा एवं अलीगढ़ के क्षेत्रों में ब्रजप्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ से विदर्भ प्रदेश, दार्जिलिंग एवंपश्चिम बंगाल से गोरखालेंड,पश्चिमी असम से बोडोलेंड, गुजरात से सौराष्ट्र, असम एवं नागालेंड के क्षेत्रों से डिमारजी (डीमालेंड) कर्नाटक से कुर्ग उड़ीसा से कौशल,पश्चिम भारत से कोंकण, मेघालय से गारोलेंड, पूर्व उत्तर प्रदेशबिहार एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से भोजपुर बिहार एवं झारखण्ड से मिथिलांचल तथा पूर्वी प्रदेशसे पूर्वी नागालेंड, मध्यप्रदेशके विंध्य क्षेत्र से विंध्य प्रदेश, तमिलनाडू से कांगूनाडू, आंध्र प्रदेशसे गोंडवाना एवं हैदराबाद, नागालेंड के पूर्वी जिलों से फ्रंटियर नागालेंड की मांग बलवती हो रही है।

विगत दिनों पृथक तेलंगाना के गठन को लेकर तीव्र आंदोलनों एवं राजनीतिक दबाव के कारण केन्द्र सरकार ने पृथक तेलंगाना के गठन का निश्चय किया। पृथक तेलंगाना के गठन की घोषणा के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों से छोटे राज्यो के गठन की मांग बलवती होने लगी।

छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में तर्क – भारत में छोटे राज्यों के गठन की मांगे क्षेत्रीय एवं भाषाई आधार पर की जाती रही है लेकिन छोटे राज्यों के गठन के लिए निम्नांकित तर्क पक्ष में महत्वपूर्ण है –

1. प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्य बेहतर है।
2. त्वरित विकास में छोटे राज्य ज्यादा कारगर हो सकते है।
3. जनता से सीधे संपर्क हेतु छोटे राज्य अच्छे है।
4. शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु छोटे राज्य अच्छे है।
5. आर्थिक नियोजन हेतु छोटे राज्य उपयुक्त हैं।
6. केन्द्रीयकरण की दृष्टि से छोटे राज्य उपयुक्त है।

छोटे राज्यों के गठन के विपक्ष में तर्क।

1. छोटे राज्यों के निर्माण से प्रशासनिक व्यय बढ़ने की आशंका।
2. छोटे राज्यों के पास अपने वित्तीय स्त्रोत स्थापित करना एक चुनौती है।
3. छोटे राज्यों में प्रशासनिक इकाईयों की सार्थकता नहीं।
4. छोटे राज्यों का प्रशासन सदैव अच्छा हो यह आवश्यक नहीं।

निष्कर्ष – उपर्युक्तानुसार भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जिससे क्षेत्रीय, भाषाई एवं विकास के संतुलन को साधा जा सके। पूर्व के वर्षो में छोटे राज्यों ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किये है। इन राज्यों ने जनसंपर्क एवं प्रषासन संचालन की दिषा में तत्परता दिखाई है। किन्तु यहॉ यह कहना समीचीन होगा कि केवल मांग के आधार पर छोटे राज्यों का गठन उचित नहीं है यदि छोटे राज्य गठन के पश्चात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती करने में असमर्थ होते है तथा केवल प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग होना चाहते हैं तो ऐसे राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से छोटे छोटे प्रदेशों का गठन कर भारतीय संघात्मक व्यवस्था के मजबूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुचने देना चाहिए। युक्तिसंगत आधार पर ही राज्य पुनर्गठित किये जाने चाहिए केवल राजनीतिक एवं भाषायी आधार पर नहीं। भाषा क्षेत्रीय अभिन्नता, क्षेत्रीय संतुलन, जनसंख्या विस्तार की स्थिति, प्रशासकीय सुविधा, क्षेत्रफल आदि के आधार पर ही राज्यों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। यह भी सर्वविदित है कि शिक्षा व्यवस्था एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत के विशाल राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों ने द्रुतगति से विकास किया है। छोटे राज्यों में जनसंख्या एवं बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण संभव है। अत: भारत के वर्तमान विशाल राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेशका युक्तिसंगत आधार पर पुनर्गठन किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

वर्तमान में बहुत से राज्य ऐसे है जिनमें एकरसता का अभाव है। इन राज्यों के बीच इतनी निकटता नहीं है क्योंकि इनका अस्तित्व एवं परम्परा भिन्न भिन्न है। यही कारण है कि विभिन्न आधारों पर गठित छोटे छोटे राज्यों की जनता आज भी महानगरों की जनता से मानसिक तौर पर नहीं जुड़ सकी है। उदाहरणार्थ उत्तराखण्ड एवं झारखण्ड की संस्कृति पटना या लखनऊ से भिन्न है। तेलगूभाषी होते हुए भी तेलंगाना एवं राज्य सीमा में एका नहीं है। नागपुर पूणे एवं मुंबई से पृथकता चाहता है। दार्जीलिंग बंगाल से पृथक होना चाह रहा है। आकार एवं सांस्कृतिक आधारों पर इन राज्यों में गहरी भिन्नता है। वास्तव में राज्यों का पुनर्गठन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्षेत्रों का पुनर्गठन संघीय आधार को क्षति नहीं पहुचाए एवं क्षेत्रीय असंतोष को भी दूर कर सके इस हेतु व्यापक दृष्टिकोण एवं सोच रखने की आवश्यकता है। राज्यों के पुनर्गठन इस आधार पर क्षेत्रीय स्वार्थो से उपर होना चाहिए। छोटे राज्यों के विकास की तुलना स्विटजरलेंड जैसे छोटे राष्ट्र से की जा सकती है जो विस्तार एवं जनसंपर्क का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्विटजरलेंड जैसी राष्ट्रभक्ति एवं राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति भारत में भी होना चाहिए। एवं ऐसा भारत हो जहाँ हम केवल अधिकारों की बात नहीं करें वरन कर्तव्य का निर्वहन करने में भी हम पीछे नहीं रहे। तभी भारतीय संघ व्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है। निष्कर्षत: छोटे राज्यों की अवधारणा पर विचार करते समय भारत की राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय संघ व्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बोस निर्मल कुमार, प्राब्लेम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी
2. नारायण इकबाल, भारत में संघीय यथार्थ, राज्यशास्त्र समीक्षा जयपुर जुलाई 1975
3. मेनन वी.पी. द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट
4. माइनर वीनर, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया
5. कोठारी, पालिटिक्स इन इंडिया
6. मधू, लियमे, संक्रमण कालीन राजनीति, राजमनोहर लोहिया समिति लखनऊ 1986
7. गुप्ता, शेरसिंह हमारे देश के राज्य, पंजाब, नई दिल्ली सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार 1971
8. भारत के बढ़ते कदम दृष्य एवं श्रव्य प्रसारण निर्देशालय, भारत सरकार मंत्रालय, नई दिल्ली 1953
9. गहलोत एन. एस. भारतीय संघवादी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याऍ राज्य शास्त्र समीक्षा, जयपुर 1982, 1984
10. फड़िया बाबूलाल, 'भारतीय संघ में अंतर्राज्यीय संबंध' लोकतंत्र समीक्षा, नई दिल्ली 1978।

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और भारत पाक संबंध (कालांश19 मार्च 1998 से मई 2004)

डॉ. अनिल कुमार जैन *

प्रस्तावना – द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् दक्षिण एशिया की भौगोलिक संरचना में एक बड़ा परिवर्तन आया। उससे इस उपमहाद्वीप पर दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। भारत–पाक संज्ञा के इन राष्ट्रों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा अपने उपनिवेश भारत के विभाजन के रूप में हुई।

पाकिस्तान का जन्म मुस्लिम लीग की इस मांग पर हुआ कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र है। अंग्रेजों की ''फूट डालो और राज्य करो'' की नीति के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य इन दो जातियों में हुई अनियंत्रित हिंसा से उत्पन्न नफरत तथा घृणा के साये में, पाकिस्तान का जन्म हुआ। तभी से भारत–पाक के मध्य, शत्रुता और अविश्वास की नींव पर ही दोनों देशों के संबंधों के उतार चढ़ाव का ग्राफ यथावत बना हुआ है।[1]

भारत–पाक विभाजन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं यथा देशी रियासतों का विलय, शरणार्थी समस्या, नदी–जल बंटवारा, अन्य सम्पत्तियों का बंटवारा और इनमें सबसे बड़ी कश्मीर समस्या से दोनों देश जूझते रहे हैं। आजादी के बाद के वर्षों में,थोड़े से समय के बीच ही दोनों देशों में सन् 1947, 1965, 1971 और 1998 में चार युद्ध लड़े जा चुके है। समस्याऐं तो मात्र बहाना है, वस्तुत: भारत–पाक संबंधों को लेकर ही पाकिस्तान में राजनीतिक उठा–पटक होती रहती हैं। वहां की सेना व नेताओं के स्वार्थ व समस्याओं के सूत्र प्राय: पाक–भारत संबंधों से प्रभावित होते रहे हैं।[2]

भारत में कांग्रेस के लम्बे शासन की समाप्ति के बाद जब भारत की केन्द्रिय सरकार की सत्ता भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग गठबंधन के हाथों में आई तब इस दक्षिण पंथी राजनैतिक दल की पाक के प्रति नीति के बारे में न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की दृष्टि रही हैं। भारतीय लोकतंत्र में वोट की राजनीति को लेकर साम्प्रदायिक और धर्म निरपेक्ष जुमलों की आड़ में राजनीतिक दलों द्वारा नीतिगत निर्णय लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बीजेपी की अटल बिहारी सरकार भी हिन्दू राष्ट्रीयता के आदर्शों की अनुगामी मानी जाती हैं। वाजपेयी की बीजेपी दल में उदारवादी नेता की छवि होने के कारण, इस राजग गठबंधन को उन दलों का समर्थन भी मिला हुआ था जो धर्म निरपेक्षता के आदर्श के माध्यम से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते रहे है। अत: इस सरकार की विदेश नीति भी सामान्य रूप में वही रही है, जो नेहरू युग से हैं। यह भारत के अपने नैतिक और तटस्थता के समन्वित आदर्शो से प्रेरित रही है। आदर्शवादी वाजपेयी जी अपनी सत्ता को शौर्य, शक्ति, साहस और सत्य के गुणों से समन्वित करने के लिये कृत संकल्पित थे। अत: उनकी राजग सरकार ने एक साहसपूर्ण बड़ा निर्णय लेकर 11 मई 1998 को विश्व के नाभिकीय इतिहास को एक निर्णायक मोड़ दिया। भारत ने पोखरण क्षेत्र में एक साथ तीन नाभिकीय बम (एक 12 के.टी.का विखण्डन बम, दूसरा 43 के.टी.ताप का नाभिकीय बम, तीसरा 0.2 सब किलोटन बम)का परीक्षण किया। इसी क्रम में वाजपेयी सरकार ने 13 मई को भी दो और (0.3 और 0.5 किलोटन बम) परीक्षण किए। इस तरह वाजपेयी सरकार ने कुल पांच परमाणु परीक्षण करके, 24 वर्षो के उल्लेखनीय आत्मनियंत्रण के पश्चात्, विश्व तथा विशेषकर अमेरिका की प्रतिक्रिया की चिंता किये बिना भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न देश घोषित कर दिया।

ये नाभिकीय परीक्षण राजग द्वारा भारतीय विदेश नीति को नैतिकवाद से यथार्थवाद में रूपान्तरण की ओर ले जाने को इंगित करते है। परीक्षणों का औचित्य बताते हुए, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि भारत के इर्द–गिर्द बिगड़ते सुरक्षा कारण विद्यमान है तथा हमारी सीमा पर परमाणु सम्पन्न देश बैठा है, जिसने 1962 में भारत पर हमला किया था। भारत द्वारा परीक्षण किये जाने के दो सप्ताह के अंदर ही पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किये जाने के निर्णय से इस तथ्य की पुष्टि हो गई, जिसका व्यापक स्तर पर विश्वास किया जाता था कि पाक एक प्रच्छन्न नाभिकीय हथियार कार्यक्रम पूर्व से ही चला रहा है।[3]

भारत ने इन परीक्षणों द्वारा अपनी विदेश नीति में आमूल चूल परिवर्तन का संकेत दिया। इनसे किसी प्रकार के विधिक दायित्व का उल्लंघन नहीं हुआ तथा ये परीक्षण देश की गंभीर सुरक्षा आवश्यकताओं तथा एक तकनीकी अनिवार्यता के कारण किये गये।

भारत का परमाणु बम वस्तुत: राजनीतिक हथियार है, न कि सैनिक हथियार। भारत ने परमाणु बम किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाये बल्कि दूसरे देशों को भारत की शक्ति का एहसास कराने के उद्देश्य से निर्मित किये है। इस तरह वाजपेयी ने दक्षिण एशिया को किसी भी परमाणु युद्ध की आशंका से बचाया है। इस तथ्य का सीधा संकेत पाकिस्तान की तरफ है।

भारत ने 12 अक्टूबर से 13 नवम्बर 1998 तक न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53 वें सत्र में निशस्त्रीकरण पर अपनी राष्ट्रीय नीति को स्पष्ट किया हैं, तथा ''नाभिकीय हथियारों के प्रयोग पर रोक से संबंधित अधिनियम'' पर अपना पारम्परिक प्रस्ताव भी रखा जो 39 के विरूद्ध 111 मतों से स्वीकृत हुआ।[4]

भारत की परमाणु नीति इतनी पारदर्शी व स्पष्ट होने पर भी भारत–पाक के मध्य तनाव और कड़वाहट बढ़ती गई। पाकिस्तान वैसे भी बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर चिंतित व स्वभाव से ही बैचेन था। जबकि वाजपेयी पाक से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के संबंध स्थापित कर, भारत पाक संबंधों में एक नया इतिहास रचने के लिये प्रयासरत थे। अत: परमाणु परीक्षण से उत्पन्न अविश्वास के धुंधलके को मिटाने के लिये, उन्होंने लाहौर की ऐतिहासिक यात्रा की। लम्बे समय के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

की यह महत्वपूर्ण पाकिस्तान यात्रा थी। यह यात्रा वस्तुत: भारत–पाक संबंधों को सकारात्मकऔर रचनात्मक दिशा देने की भारत की सद्इच्छा की अभिव्यक्ति थी। वाजपेयी ने दिल्ली–लाहौर बस यात्रा करके अपनी इस नीतिगत घोषणा को व्यवहारिक रूप दे दिया कि पाकिस्तान का स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होना भारत के हित में हैं। उन्होंने अपनी इस भावना की पुन: पुष्टि 2 फरवरी 1999 को लाहौर में मीनार–ए–पाकिस्तान से भी की। भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत–पाक के चौथाई शताब्दी के मध्य संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण घटना हैं। दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जो भारत–पाक संबंधों के संदर्भ में शांति और सुरक्षा की महत्त गारंटी मानी गई।[5]

पाकिस्तान की राजनीति में सेना और सिविल दोनों क्षेत्रों में भारत के प्रति विद्वेष एक महत्वपूर्ण स्थाई मुद्दा रहा है। यही कारण है जब वाजपेयी पाकिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, उसी समय लाहौर की आड़ में पाक ने कारगिल में, नियंत्रण रेखा पार कर जनवरी–फरवरी 1999 में, आक्रमण और घुसपैठ करके भारत के विश्वास को गहरा धक्का पहुँचाया। इसके साथ ही उसी समय भारत के विरूद्ध चलाई जाने वाली आंतकवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। इण्डियन एयर लाईन्स के विमान का अपहरण कर कंधार ले जाना अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक सबसे घिनौना प्रमाण हैं। इस बात के पक्के प्रमाण है कि इस विमान अपहरण की योजना, पाकिस्तान आधारित एवं पाकिस्तान से बाहर उसके द्वारा नियंत्रित आतंकवादी गुटों द्वारा क्रियान्वित की गई थी।[6]

कारगिल की आड़ में पाकिस्तान ने घुसपैठिये भेज कर भारत पर अप्रत्यक्ष युद्ध थोप दिया था। भारत ने संयमपूर्वक इस युद्ध में सीमित तथा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके नियंत्रण रेखा से इस पार आये घुसपैठियों को मार भगाया और आक्रमण को निरस्त कर दिया। कारगिल युद्ध में भारत को वाजपेयी की नीति के कारण कूटनीतिक क्षेत्र में काफी सफलता मिली। रूस से स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लिया। अमेरिका ने भी नियंत्रण रेखा को निर्विवाद माना तथा चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन करने से इंकार कर दिया।

कारगिल युद्ध में शर्मनाक पराजय के पश्चात् भी पाकिस्तान शांत बैठने वाला नहीं था। उसने जम्मु कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार किया। इससे दोनों देशों में कटुता बढ़ती गई। इसी बीच एक नाटकीय घटनाक्रम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1999 को पाक थल सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता पर सैन्य अधिकार कर लिया। मुशर्रफ ने यद्यपि भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कहते हुए सीमा पर फौजों का जमाव करने की घोषणा की थी। परन्तु इसके साथ ही उनका यह वक्तव्य भी ध्यान देने योग्य है, 'दक्षिण एशिया में कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है।'[7]

जनरल मुशर्रफ ने जब से पाक की सत्ता संभाली वे निरन्तर विभिन्न मंचो से भारत से शांति वार्ता की अपनी इच्छा व्यक्त करते रहे। भारत की प्रतिक्रिया यही रही कि पाक जब तक अपनी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना बंद नहीं कर देता तब तक वार्ता के लिये अनुकूल वातावरण नहीं बन सकता हैं। वाजपेयी दोनों देशों के मध्य संबंध सामान्य बनाने के लिये कृत संकल्प थे। अत: उन्होंने 23 मई 2001 को जनरल मुशर्रफ को शिखर वार्ता के लिये निमंत्रण पत्र भेजा, जिसे जनरल ने 25 मई 2001 को अपनी स्वीकृति दे दी।

14 जुलाई 2001 को अपने 63 सदस्यीय दल के साथ जनरल मुशर्रफ नई दिल्ली पहुँचे। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सम्पन्न बहुचर्चित आगरा शिखर वार्ता 15, 16 जुलाई 2001 बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। मुशर्रफ में सेना का अडियलपन रहा तथा अटलजी अपनी पर अटल रहे। वाजपेयी इसमें दोनों देशों के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल कर, सच्चे अर्थ में भारत–पाक जनता के मध्य सहयोग की स्थापना करने के पक्षधर थे। वहीं मुशर्रफ सिर्फ कश्मीर पर ही चर्चा केन्द्रित रखना चाहते थे। दिनांक 15 जुलाई 2001 को आगरा में सुबह 11.30 पर प्रारंभ यह चर्चा 16 जुलाई 2001 को रात 11.30 पर समाप्त हो गई है। दोनों नेताओं के मध्य चार दौर में वार्ता समाप्त हुई। उल्लेखनीय यह हैं कि इस वार्ता में दोनों नेताओं ने न तो साझा घोषणा पत्र और न ही कोई साझा वक्तव्य जारी किया। किसी बात पर सहमति नहीं बनी। यह वार्ता नाकाम मानी जाती है।[8]

वाजपेयी भारत पाक के मध्य सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण उपायों से समाधान करने के लिये पूरी तरह प्रयासरत रहे, जबकि पाक भारत की एकता और क्षेत्रीय अखण्डता के लिये बिलकुल प्रस्तुत नहीं था। परवेज और वाजपेयी की नियत और नीति में मूलभूत अंतर के कारण ही वाजपेयी को भारत–पाक की जनता के मध्य दोस्ती व सहयोग का सेतू निर्माण करने की आंतरिक मनोकामना में सफलता नहीं मिल पाई। दोनों देशों का तनाव यथावत बना रह गया।

अमेरिका में 11 सितम्बर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर तथा पेंटागन पर अलकायदा से जुड़े आंतकवादियों ने हमला किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालीबान शासक के विरूद्ध कदम उठाया। तब यह संभावना बनी कि विश्वव्यापी आतंकवाद के विरूद्ध अभियान के संदर्भ में अमेरिका भारत में काम कर रहे पाक समर्थक आतंकवादियों तक भी पहुँचेगा। भारत की आशा निराशा में बदल गई जब 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमले ने रही कसर पूरी कर दी। भारत को यह समझ आ गया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना है।

भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पाक सरकार के भारत विरोधी रवैये को अनदेखा कर यह प्रयास किया कि पाकिस्तान की आम जनता के साथ मैत्री संबंध बनाये जो बहुत सीमा तक भारत विरोधी नहीं हैं। अत: राजद सरकार पाकिस्तान की जनता को एक के बाद एक कई सुविधाऐं देती चली गई, जबकि पाक जनता ने उसका दुरूपयोग किया। वीजा की ढ़ील के कारण बड़ी संख्या में पाकिस्तानी क्रिकेट मैच देखने भारत आये और आज तक देश वापस नहीं गये। वे यहां क्या कर रहे है ? प्रश्न विचारणीय हैं।

पाक की विरोधाभासी नीतियों के कारण उसकी कथनी और करनी पर विश्वास करना संभव नहीं होता है। वह लाहौर में मैत्री संबंध प्रगाढ़ करता है तो तभी कारगिल में घुसपैठिये भी भेजता है। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में विश्व स्तर पर अमेरिका का साथ देता है, तो दूसरी ओर भारत के विभिन्न शहरों में आतंकवादी विस्फोट करता है। भारत आणविक शांति सहयोग का आश्वासन देता है तो वह आणविक युद्ध की धमकी देता हैं। पाक में आणविक शक्ति के जनक ए.क्यू. खान द्वारा इस तकनीक को निर्यात करने में सहयोग कर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी किया है। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा इंटरपोल को रेड अलर्ट दिये जाने के बाद भी, दाऊद इब्राहीम जैसे हजारों अपराधी तथा भारत विरोधी कार्यवाही में संलग्न आतंकवादियों को पाकिस्तान सरकार का सहयोग व समर्थन प्राप्त हैं। स्पष्ट है पाक–भारत से मित्रता का इच्छुक कभी नहीं रहा हैं, और न ही वाजपेयी सरकार द्वारा शांति सहयोग की पेशकश के बाद भी उसकी नीति और व्यवहार में कोई बदलाव आया।[9]

आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध पाक द्वारा कोई कदम उठाने में उदासीनता दिखाने पर भारत ने अत्यन्त कड़ा रूख अपनाया। इस संबंध में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को वापस बुलाने के अतिरिक्त नईदिल्ली तथा इस्लामाबाद में स्थित दूसरे उच्चायोग में पचास प्रतिशत कटौत्री करने, दिल्ली–लाहौर बस सेवा व समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बंद करने के निर्णय लिये गये। दोनों देशों की सीमाओं पर सैन्य हलचल में भी वृद्धि हुई। पाक पर कोई असर नहीं हुआ।

वाजपेयी जी सदैव पाकिस्तान से संबंध सुधारने के पक्षधर रहे। वे एक इतिहास बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से पुन: 2 मई 2003 को उन्होंने पाकिस्तान में उच्चायोग नियुक्त करने और दोनों देशों के मध्य नागरिक उड्डयन संबंध स्थापित कर दिये। इसी से जुड़ी है उनकी रिटायरमेन्ट की बात। इसका साफ संदेश है कि भारत के कट्टरपंथियों को वे ही संभाल सकते हैं, अत: पाकिस्तान यदि इस मौके को चूकता है तो दोनों देशों के कट्टरपंथियों को संभाल सकना शायद भविष्य में संभव नहीं होगा। अपनी तरफ से उन्होंने दोस्ती का लम्बा हाथ बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी।

भारत ने 22 अक्टूबर 2003 को धीरे–धीरे रैंगती शांति प्रक्रिया को पुन: आगे बढ़ाते हुए 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की घोषणा कर एक बार फिर नई शुरूआत की। इसके अंतर्गत भारत ने उदारतापूर्वक नागरिक उड्डयन से लेकर तकनीकी वार्ता, रेल सम्पर्क की बहाली, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में भी द्विपक्षीय संबंध, आसान वीजा, दिल्ली लाहौर के बीच बसों में वृद्धि , बुजुर्गो को पैदल बाधा सीमा पार करने देना, तटरक्षकों तथा समुद्री सुरक्षा सेना के बीच सम्पर्क, मछुआरों से गिरफ्तार न करने का करार तथा विभिन्न क्षैत्रों को जोड़ने वाली दो नई बस सेवा प्रारंभ करने के प्रस्ताव किये हैं।[10]

वाजपेयी ने 4 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद में होने वाले सार्क देशों के 12 वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा फिर से मुशर्रफ से संवाद स्थापित करते हुए अति विश्वास के वातावरण में फंसे भारत पाक रिश्तों को निकाला। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने यहां बयान भी जारी किये। विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने भविष्य में व्यापक और सार्थक वार्ता पर सहमति व्यक्त की है। इससे कश्मीर सहित सभी आपसी मसलों पर विचार कर समाधान किया जावेगा। इसके बाद ही शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और दोनों देशों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। वाजपेयी ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए हिंसा और आतंकवाद को रोकना ही होगा। इस पर मुशर्रफ ने विश्वास दिलाया कि पाक भूमि से आतंकवाद को किसी भी स्तर पर समर्थन की अनुमति नहीं होगी।

वाजपेयी द्वारा किये गये निरन्तर प्रयासों के कारण भारत–पाक संबंधों में कई उतार–चढ़ाव आये। नवाज शरीफ के साथ लाहौर वार्ता वाजपेयी की लाहौर यात्रा का दोनों देशों की जनता ने ह्रदय से समर्थन किया,परन्तु मुशर्रफ से आगरा में हुई असफल वार्ता और कारगिल घुसपैठ ने सभी सकारात्मक प्रयासों की हवा निकाल दी। पाक द्वारा आतंकवाद का प्रयोजन शिमला समझौते का भी उल्लंघन है।

भारत और पाक इतिहास का बोझ ढ़ो रहे है। सच्चाई तो यह है कि उदार मन वाजपेयी ने ज्यों–ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया। इसमें सैनिक शासक परवेज दोषी है। उनकी विवशता है कि सैनिक सत्ता पाक में उग्र भारत के विरोध पर ही स्थिर रह सकती है। यदि परिस्थितियाँ पाक में नागरिक प्रशासन की होती तो वाजपेयी के प्रयास से दोनों देश की जनता के दिल मिलने की संभावना अवश्य थी। संपूर्ण स्थिति का संक्षेप में आंकलन यही है कि 'दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए'।[11]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह डॉ. महीप: भारत विभाजन की गुत्थियाँ : दैनिक जागरण लखनऊ, 29 अगस्त 2002
2. पार्थसारथी जी : जिस सेना की दुष्टता जग जाहिर है : दैनिक भास्कर, जबलपुर, 16 जनवरी 2003
3. राज चिंगप्पा, जोशी मनोज : ताल ढोकता भारत : इण्डिया टूडे 03 जून 1994, पृष्ठ–15
4. रंजीतकुमार : परमाणु बम, रक्षा और राजनीति पृष्ठ–23
5. सिंह अलका : राजग सरकार और भारत–पाक संबंध : ए जर्नल ऑफ एशिया फार डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, मुरैना (जन. मार्च 2008) पृष्ठ–101
6. विदेश मंत्रालय – वार्षिक रिपोर्ट 1999–2000 पृष्ठ–VII
7. फडिया – डॉ.बी.एल.राजनीति विज्ञान III, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज आगरा, पृष्ठ 660
8. फडिया – डॉ.बी.एल.राजनीति विज्ञान II, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज आगरा, 2007, पृष्ठ 5.111
9. फडिया – डॉ.बी.एल.राजनीति विज्ञान II, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज आगरा, 2007, पृष्ठ 5.111
10. सण्डे पायनियर : सम्पादकीय 21 जुलाई 2006
11. सिंह अलका : राजग सरकार और भारत पाक संबंध : ए जर्नल ऑफ एशिया फार डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट मुरैना (जन.–मार्च 2008) पृष्ठ 104

****

शिक्षा एवं महिलाएँ

विनोद कुमार शेण्डे *

प्रस्तावना – भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था – ''परिवार में लड़के की शिक्षाएक ही सदस्य की शिक्षाहोती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षासंपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है।''

महिला शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नींव का कार्य करती है जिस पर संपूर्ण व्यक्तित्व की मीनार खड़ी होती है। किसी भी देश की प्रगति को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कितने प्रतिशत महिलाएँ और पुरूष शिक्षित है। किसने विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षाप्राप्त की है कितने साक्षर है और कितने निरक्षर। **स्वतंत्रता पूर्व–** सैंकड़ों वर्षो तक भारतीय महिला शिक्षाके प्रकाश से दूर रखी गई है। मनु जैसा विचारक, महिलाओं को घर के कार्यो में ही बंद रखना चाहता है। महिला का कार्य महिला स्वाभावनुकूल होना चाहिए जैसे महिलाओं का कार्य गृहस्थी का है। इसीलिए वह गृहलक्ष्मी कहलाती है। वह घर के बाहर की परिस्थितियों का सरलता से सामना नहीं कर सकती इसलिए उसे घर पर ही रहना चाहिए। मनु ने तो यहां तक लिखा है कि लड़की को बचपन में माता–पिता, विवाह के पश्चात् पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। इस तरह वह बंधनमुक्त कभी नहीं रहती। इतना ही नहीं न तो वह वेद पढ़ सकती थी और न मंत्रो को गा सकती थी। इसका सीधा सा अर्थ है महिलाएँ अशिक्षित रखी जाती थी। इसका दूसरा अर्थ भी है कि अशिक्षित महिला न तो अपने अधिकारों की बातें कर सकती है। वह तो पति या पुरूष की दासी बनकर रहती है निश्चय ही इस प्रकार के ग्रंथो ने महिलाओं को अशिक्षित रखकर अन्याय ही नहीं किया है वरन समाज की प्रगति को भी अधूरा रखा है। इस प्रकार के ग्रथों ने स्त्री अधिकार, समानता, स्त्री न्याय की अवधारणा को बहुत क्षति पहुंचाई हैं।

महात्मा ज्योतिबा फुले के समय जातिवाद का बहुत जोर था। केवल ब्राम्हण और उच्च वर्ग के लोग ही विद्या पाने में समर्थ थे, मराठी पंडित अपने घर पर ही संस्कृत, तर्कशास्त्र,न्याय और दर्शन की शिक्षादेते थें। उच्च–वर्ग, सामंत और जमींदार के बच्चें ही शिक्षा का लाभ उठा सकते थें। साई धर्म प्रचारकों ने कुछ अंग्रेजी पाठशालाएँ खोल ली थी। शुद्र और निम्न जाति के लोगों को हतोत्साहित किया जाता था जिससे वे शिक्षाप्राप्त न करें। भारत में अंधविश्वास और रूढ़ियों का जाल इतना गहरा बिछाया गया था कि शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश केवल उच्च जाति तक ही सीमित रहे। वे अंग्रेजी का पठन पाठन अशुभ माना जाता था। ऐसा भी हुआ कि अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों को जाति से बहिष्कृत किया गया। उच्च जातियों के हजारों साल के कुसंस्कार नवजागरण की हल्की हवा में इतनी जल्दी कैसे दूर हो सकते थे। ज्योतिबाफूले ने विद्यार्थी जीवन में ही स्त्री – शिक्षा के महत्व को जान लिया था कि एक शिक्षित मां ही महिला का निर्माण करती है। शिवाजी को योद्धा बनाने में मां की ही भूमिका थी उन्होंने स्त्री शिक्षाके लिए स्कूल खोले, जिसकी कटु आलोचना की गई पर स्त्री शिक्षाऔर शूद्रों को शिक्षित करने के लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहे। जगह जगह विद्यालय खोलते रहे। आगे चलकर उनहें सुधारवादी ब्राम्हणों और मुस्लिमों ने भी सहायता की।

स्वामी विवेकानंद ने जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिक्षकको ही कहा है। समग्र जीवन का उद्देश्य है शिक्षा जिस संयम के द्धारा इच्छाशक्ति का प्रवाह विकास पथ में लाया जाता है, वह फलदायक होता है, शिक्षा कहलाती है। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए और उन्नत कीजिए। स्वामी विवेकानंद जब विदेशों में भ्रमण कर लौट तो उन्होंने कहा कि कोई भी देश जब तक प्रगति नहीं कर सकता लब तक उस देश की महिलाएं शिक्षित और कामकाजी नहीं होती।

इस प्रकार हम यह कह सकते है कि भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस तरह रची गई थी की जिसमें स्त्री का स्थान पुरूष से प्रत्येक स्तर पर नीचा था। उसे दया की पात्री बनाकर छोड़ दिया गया किन्तु पुनर्जागरण आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है जिसमें राजाराममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद, गोविंद रनाड़े आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था। वह चौंकाने वाली जागरूकता थी। भारत में शिक्षा के महत्व को बहुत पहले ही जाना जा चुका था कि इसके अभाव में देश प्रगति नहीं कर सकता है। बौद्ध धर्म के साथ शिक्षा की स्पष्ट विचारधारा सामने आ गई। रूढ़िवादी परंपराओं जातिगत चिंतन के विरुद्ध बौद्ध और जैन धर्म खडे हो गए थें। इसके फलस्वरूप नालंदा विक्रमशिला और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। शिक्षा का समुचित प्रसार प्रचार हुआ। इस काल तें धर्म, चित्रकला, गणित , दर्शन, चिकित्साशास्त्र आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया किंतु इन सभी कालों का यदि विश्लेषण करें तो सहज ही ज्ञात होता है कि स्त्री को केन्द्र में रखकर किसी भी युग में विकास नहीं किया गया क्योंकि सामंती और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिला शिक्षा को महत्व देने का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् – स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की शिक्षा पर गंभीरता से विचार किया। अनेक कार्यक्रम उनको केन्द्र में रखकर चलाए गए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकें। देश की आधारभूत सरंचना में स्त्री शिक्षाकी उपेक्षा करके संतुलित विकास और प्रगति संभव नहीं है। इसे ध्यान

* अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान विभाग) स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय , लखनादौन , जिला–सिवनी (म.प्र.) भारत

में रखकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक तरह के स्कूल, कॉलेज और महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए। शिक्षा बहुआयामी बन गई। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा से लेकर विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा तक में लड़कियां एवं युवतियॉ आज शिक्षा प्राप्त कर रही है। अनुच्छेद 15 (3 व 4) में महिलाओं बच्चों और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षाकी समुचित व्यवस्था की गई है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह योजना बनाई गई कि देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शाला में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक इसी तरह भारत सरकार द्धारा बालिकाओं के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसके अतिरिक्त साधनों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। इस बस्ती स्तर पर बालिकाओं के अनुकूल मॉडल विद्यालय बनवाना। इसके साथ ही साथ बालिकाओं को कक्षा संबंधी सामग्री की सहायता देना। जैसे- पुस्तक, कॉपी, ड्रेस आदि। प्रतिवर्ष प्रति बालिका को छात्रवृत्ति देना सरकार का यह लक्ष्य है कि बालक और बालिका के मध्य जो सामाजिक अंतर है उसे समाप्त किया जाए।

वैश्वीकरण व शिक्षा- वैश्वीकरण जो कि पारस्परिक आश्रय के सिद्धांत पर आधारित है, ने ऐसी शक्यिों को प्रस्फुटित कर दिया है जिनके कारण एक ओर तो नारी का सशक्तिकरण हुआ है एवं दूसरी ओर उस पर पहले की तुलना में ज्यादा भार पड़ गया है। यह कैसे नारी का वैश्वीकरण के कारण सशक्तिकरण इसीलिए हुआ है, क्योंकि शिक्षा जो अभी तक आसानी से नहीं मिलती थीं उसके मिलने की संभावनाऍ बढ़ गई हैं। सरल तकनीकि उपकरणों की उपलब्धता की वजह से नारी को अब दुनिया के बारे में बराबर का ज्ञान है और इस वजह से वह अपनी बुद्धि घर के बाहर की गहन समस्याओं के निवारण में भी लगा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की शिक्षा महिलाओं को स्वालंबी बनाकर मजबूत करती है। घर के अंदर पिता, पति, भाई उसे आत्मबल प्रदान करते है। यह जागरूकता जिस दिन भी उत्पन्न हो गई। उस दिन एक नया आदर्शो का परिवार एक नए समाज और एक नया देश सौहार्दपूर्ण बनेगा। लेकिन वैश्वीकरण की लुभावनी आर्थिक मंदी और पैकेज में युवक खो न जाए, अर्थ पर आधारित जागरूकता प्रगतिशील बनाती है पर युवकों में चाहे वे लड़कियां हो अथवा लड़के उनमें पाश्चात्य देशों की बुराईयां उत्पन्न करती है और यह भारतीय समाज में झलक रही है उससे युवा महिलाओं को बचना होगा और अपने को नियंत्रित करना होगा। तभी दोनों की सहभागिता से ही एक संतुलित समाज का विकास हो सकेगा।

वर्तमान में आवश्यकता है सामान्य, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की प्रगती की। समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का लाभ सभी जातियों और वर्गो के युवक, बालिकाओं और युवतियों को समान रूप से प्राप्त हों। वर्ष 1951 में 8.86 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी। 2011 में साक्षरता दर 65 - 46 प्रतिशत तक पहुंच गई। किंतु पुरूषों की तुलना में यह अभी भी 16.68 प्रतिशत कम है इतना अवश्य कहा जा सकता है कि साक्षरता में लैंगिक अंतर कम हुआ है। इसे निम्नलिखित तालिका के माध्यम से देख सकते हैं।

भारत में महिला साक्षरता दर की स्थिति एवं लैंगिक अंतर

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला	साक्षरता दर में पुरूष स्त्री अंतर कालम 3 और 4
1	2	3	4	5
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.99
1981	43.57	53.38	29.76	26.62
1991	52.21	54.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	56.16	21.69
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्त्रोत - भारत, 2013

निष्कर्ष- भारत जैसे विशाल देश में महिलाओं को शिक्षित बनाने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि युवा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा और आगे और आना होगा तभी महिलाऍ स्वावलंबी बन सकती है। मात्र शिक्षित होने अथवा डिग्री प्राप्त करने से युवा महिलाऍ प्रगति नहीं कर सकती क्योंकि बुनियादी रूप से बहुत कमजोर है उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर ही शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सरकारी आंकडों को तो हम 63 वर्षों से देखते आ रहे है। स्त्री पुरूष के मध्य जो अतंर है रूढियां व परंपराऍ है उन्हें समाप्त करना होगा इस कार्य के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना बहुत जरूरी हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण का मुख्य साधन है शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज छोटे पदों से लेकर वे देश के उच्चतम पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है और संसद की स्पीकर भी बनी। तथा राज्य की मुख्यमंत्री के पद पर आसिन हुई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. शैलेन्द्र मोर्य, महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2011
2. सुधारानी श्रीवास्तव, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कामनवेल्थ पब्लिकशर्स न्यु दिल्ली, 1997
3. मनु स्मृति 19-11, 192
4. डॉ. सोमनाथ शुक्ल, बीसवीं सदी के राजनीतिक विचारक, आशीष प्रकाशन, कानपुर।
5. डॉ. बृजकुमार पांडे, भूमंडलीकरण विविध आयाम विनोद बुक सेंटर, दिल्ली।
6. सरोज कुमार वर्मा, योजना, अक्टूबर, 2008
7. पी.एन.सिंह, जनमेजयसिंह, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, 2010
8. श्रीमति पूजा शर्मा, महिलाऍ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012

****

राजनीति में महिलाओं का योगदान

तरूण कुमार शेण्डे *

प्रस्तावना – भारतीय राजनीतिक संस्कृति अनेक पड़ावों और मोड़ों से होकर गुजरी है। अनेक उतार–चढ़ाव आए है इसमें सैकड़ो वर्षो की राजनीतिक उठा–पठक के इतिहास का एक दस्तावेज बन चुक है। मुगल शासन काल फिर ब्रिटिश शासन रहा हैं। 15 अगस्त 1947 के पश्चात् भारत में एक लोकतंत्रीय शासन–व्यवस्था की स्थापना हुई। इसने महिला जगत के पूरे योगदान को ही बदल दिया। और राजनीतिक संस्कृति का एक नवीन अध्याय आरंभ हुआ। इस प्रकार डॉ. पुखराज जैन राजनीतिक संस्कृति के लिए लिखते है – ''किसी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे आधर रूप में उसकी राजनीतिक संस्कृति और फिर उपसंस्कृति होती है जिनसे बहुत हद तक राजनीतिक–व्यवस्था के चरित्र का निर्धारण होता है। यह कोई आवश्यक नहीं हैं कि राजनीति का उपरी ढांचा ठीक – ठाक राजनीतिक संस्कृति को प्रतिबंधित करे। ''

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान – भारतीय राजनीतिक में महिला सहभागिता का स्तर यद्यपि उत्साहजनक नहीं है, लेकिन इस आधार पर राजनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजनीति में ही नही स्वतंत्रता पूर्व भी भारतीय राजनीति में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आव्हान पर महिलाएँ घर से बाहर निकली और तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि महिलाएँ स्वाधीनता के संग्राम में भाग लेंगी। ''मुझे चिंता नहीं है कि मेरे सारे सिपाही बंदी बना लिए जाएँ। हमारा कार्य तो इतना सरल है कि इसे तो महिलाएँ भी सरलता से चला सकेगी।'' परतंत्रता के उस दौर में भी महिलाएँ राजनीति में सक्रिय थी। राजनैतिक क्षेत्र में विदेशी साम्राज्य से संघर्ष करने के साथ जनसाधारण को इस संग्राम में प्रेरित करने की दिशा में कुछ महिलाओं के नाम इतिहास के पन्नों में सदियों तक रहेंगे और याद किए जाते रहेंगे। इनमें मुख्य थीं – अरूणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित , सिस्टर निवेदिता, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी और कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन् 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिल्ली की बेगम जीनत महल, लखनऊ की बेगम हजरत महल, रामगढ़ की रानी अवंती बाई , तुलसीपूर की रानी ईश्वर कुमारी, रानी बेजोबाई, जमानी बेगम, आरकाट की महारानी तपस्विनी माता, कु. मैना नर्तकी अजीजन, पंजाब की रानी जिन्द कौर आदि अनेक महिलाओं ने अपने – अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति से पूर्व, 1757 के प्लासी युद्ध से 1856 तक जंगल का महाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह,पोलगिर विद्रोह आदि सभी आंदोलनों – संघर्षो में महिलाओं ने सक्रिय योगदान दिया। संथाल विद्रोह में भी आदिवासी महिलाओं ने अपने प्राण–प्रण से मातृभूमि की रक्षा की। भारत में व्यापक स्तर पर महिला राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष का क्षेत्र प्रारम्भ हो गया था। अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए भारतीय महिलाओं की तरफ से पहली मांग 1917 में की गई। 1917 में श्रीमति एनीबेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1917 में ही प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1917 में ही मारग्रेट कजिन्स के नेतृत्व में सरोजनी नायडू , एनीबेसेंट, डॉ. जाशी हीरा बाई टाटा एवं कारोथी, जिना राजादास तत्कालीन भारत सचिव श्री ई.एस. माण्टेग्यू व गवर्नर लार्ड चेम्स फोर्ड से मिली तथा महिलाओं के मताधिकार की मांग की। 1917 में स्थापित अखित भारतीय महिला संघ द्धारा महिलाओं को विधान सभा तथा नगरपालिकाओं के चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने के अधिकार की मांग की गई। और यह अधिकार 1919 में महिलाओं को प्राप्त हो गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक योगदान – आजादी के बाद भारतीय महिलाओं का राजनीतिक योगदान पूरा का पूरा बदल गया। उसे पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। राजनीति के क्षेत्र में वह पुरूषों से कही पीछे नहीं है। जहां उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है, वही राजनीतिक दलों के संगठन में नीचे स्तर से लेकर बड़े पदों पर भी विराजमान है। जैसे– भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल बनी। लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार, श्रीमति सोनिया गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में शीर्ष पर है। भाजपा में सुषमा स्वराज जो कि विपक्ष की नेता हैं। इस तरह प्रत्येक राजनीतिक दल के संगठन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दल की सर्वेसर्वा है। इसी तरह प्रत्येक कस्बा, शहर और महानगर में राजनीतिक दलों के महिला संगठन है जिनकी अध्यक्ष महिला ही होती है।

15 वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिलाएँ पहुँची। 2009 की लोक सभा में 51 महिला एम.पी. होगी। इसके पहले सर्वाधिक 49 महिला बारहवीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। महिलाओं सादस्यों की सबसे कम संख्या छटवी लोकसभा में थी, तब केवल 19 महिलाएँ सदन के लिए चुनी गई थी। जबकि सबसे ज्यादा 11 महिलाएँ 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश राज्य से चुनी गई है लोकतांत्रिक दृष्टि और राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसे मैं, यदि कहूँ कि

* अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान विभाग) शासकीय महाविद्यालय , बरघाट जिला–सिवनी (म.प्र.) भारत

महिला समाज,महिला संगठनों के लिए राजनीतिक संस्कृति और शक्ति का प्रथम पायदान है, जहां से उन्हें भविष्य की राजनीति का ज्ञान प्राप्त होगा। वह एक बड़े राजनीतिक समाज से परिचित होगी। इस स्तर से ही महिलाओं में समाज – सेवा की भावना उत्पन्न होगी। यह पंचायतीराज (73 वॉ संशोधन अधिनियम) का ही प्रभाव है कि भारत में 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि है। पंचायती राज महिला सशक्तीकरण की प्रथम राजनीतिक पाठशाला है,जहां महिलाओं का राजनीतिकरण होता है। अब पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने से नगर पालिकाओं में भी इनकी सीटें बढ़ा दी गई है।

निर्णय लेने की क्षमता – परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है इस आधार पर कहां जा सकता है कि पंचायतीराज महिलाओं के लिए एक ऐसा अध्याय है, जहां वह स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेती है निर्णय लेने की प्रक्रिया महिलाओं में आत्म विश्वास उत्पन्न करती है। और राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

उदाहरण – जब कुकिंग गैस की कमी होती है तब महिला संगठन एकत्रित होकर धरना पर बैठ जाती है और जूलूस निकालते हैं। डी.एम. से मिलते है और उन पर समस्या समाधान करने के लिए महिलाएँ दबाव डालती है। दहेज में मारी गई बहू या किसी महिला एवं बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ भी ये आवाज उठाती है। और सरकार पर दबाव बनाती है कि अपराधी शीघ्र पकड़ा जाए और उसे दंडित किया जाए। इस तरह लोकतंत्र में महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष, भारत या प्रयास करता है महिलाओं को वह समस्त आवश्यक सुविधाएँ की जाए जिसमें वह जीवन के विभिन्न पहलूओं पर हिस्स ले सके। भारतीय संविधान उन्हें मौलिक अधिकार व समान अवसर की गैरंटी देता है की लिंग,जाति,भाषा,धर्म वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव स्त्रियों के साथ नहीं किया जाएगा फिर भी यह सत्य है कि हर छोट बडे स्तर पर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं से कम ही मसवरा दिया जाता है। इसका कारण यह हैं कि भारत जैसे बहू लतावादी देश में संस्कृतिक भिन्नता संस्थाओं दृष्टिकोण में अंतर और समाज की बहुत सी चीजों पर काबू लगा होता है आज सत्य है कि बहुत बडी संख्या में महिलाओं के योगदान में वृद्धि हुई है। उसका एक नजरिया है चीजों को देखने और परखने का समस्यों का निवारण करने का तरीका पुरूषों से अलग होता है इस तरह महिलाओं की भागीदारी से किसी पर निर्णय लेते समय एक नई स्थिति सामने आती है और समस्यों के देखने के आयाम भी उससे मिलते है इस लिए एक विशाल देश में निर्णय की क्षमता भी विशाल और व्यापक बन जाता है।

निष्कर्ष – इस प्रकार कहा जा सकता है की राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं का राजनीति में उभरना या योगदान देना महिला सशक्तीकरण के लिए शुभ –संकेत है लेकिन सदियों से भारत की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, की कोई सीमा नहीं है। अशिक्षित महिलाएँ, स्वामी भक्त स्त्रियां, कर्मकाण्ड और धर्म के अंधविश्वास और रूढियों से बंधी नारियों, पति को सब कुछ समर्पित करने वाली महिलाएँ आज भी अपने अधिकारों की लड़ाईयां लड रहीं है। इसके लिए ठोस कानून बनाए गए है स्त्री शोषण के विरूद्ध आजादी से पहले अंग्रेजो ने कानून बनाए थे स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनेक प्रकार के कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान की है संविधान में मूलाधिकार और नीति– निर्देशक तत्वों में स्त्री समानता और सुरक्षा की गारंटी दी गई है। फिर भी कानून तो बनते रहते है। लेकिन महिला उत्पीड़न और महिला हिंसा में वृद्धि हुई है इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। दिनदाहाडे उस पर अत्याचार किये जाते है। वह न तो बस पर न टैक्सी में न टैंपो पर न ट्रेन में सुरक्षित है। माफियाओं,गुड़ों, अराजक तत्वों का आतंक उसे एक नागरिक का जीवन भी जीने नहीं देता है। जाने कितनी लडकियां इनके दुर्व्यवहार से आत्महत्या कर रही है। सरेआम चौराहो पर इनकी इज्जत लूटी जाती है पुलिस तमाशबीन बनी रहती है और जनता आबरू लुटते देखती रहती है। लगता है। नेताओं ने भी महिला शब्द को भाप लिया है। चुनाव के समय महिलाओं को बड़े बड़े वादे और सपने दिखाते है और नेता बन जाने के बाद असी महिला शब्द को गुब्बारें की तरह अछालते रहते है इसीलिऐ आवश्यक है स्त्री संगठन शक्तिशाली बनें और एक बड़े संगठन के रूप में एकजुट होकर अपनी रक्षा करें साथ ही सरकार पर दबाव बनाएं वह उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. पुखराज जैन, भारतीय शासन एवं राजनीति,साहित्य भवन, आगरा 2012।
2. भारत – 2012
3. ए.आर.देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दि मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
4. डॉ. शैलेन्द्र मोर्य महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2011
5. वी.एन.सिंह, जनमेजयसिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 2010
6. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 1995
7. बसंतीलाल बाबेल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, विधिक चेतना शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर 1997
8. निधि भारद्धाज, महिला सशक्तिकरण, सागर पब्लिशर्स जयपुर 2012

****

प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की उपयोगिता वर्तमान सन्दर्भ में

डॉ. जे. के. संत *

प्रस्तावना – न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो आवश्यकतानुसार कानूनों की व्याख्या करती है, और कानून को भंग करने वालों को उचित दण्ड़ देती है, न्यायपालिका शासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन गयी है, यदि किसी राज्य में उचित और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो अधिकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुये प्रो0 गार्नर ने लिखा हैं कि, न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, कोई भी सभा बिना विधानमण्डल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की कोई भी व्यवस्था नहीं हो। एक कदम आगे बढ़ते हुए ब्राइस ने कहा है कि 'यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती,' गैटल के अनुसार – 'अपना कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।' भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को स्थायित्व और सुदृढ़ आधार प्रदान करने में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि न्यायपालिका को विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के हस्तक्षेप से निष्पक्ष बनाया जाएं।

प्राचीन न्याय व्यवस्था – एक आदर्श न्याय व्यवस्था की संरचना प्राचीन भारतीय राजशास्त्री चिन्तन में सर्व प्रथम देखने को मिलती है, विषाद के विषयों का विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवरण प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में उपलब्ध होता है। न्यायपालिका के अन्तर्गत नीचे से लेकर सर्वोच्च स्तर तक न्यायलयों के संगठन तथा उसकी स्वतन्त्रता की व्यवस्था पायी जाती है। प्राचीन राजविदों ने न्याय व्यवस्था का बड़ा ही वृहद रोचक एवं सुव्यवस्थित वर्णन किया है। प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था को व्यवहार तथा उसकी स्थापना को व्यवहार स्थापना की संज्ञा दी जाती थी। मनु ने भी इसे व्यवहार नाम से संबोधित किया है।'[1] ' काव्यापन ने व्यवहार शब्द की दो परिभाषाएँ दी है, जिसमे एक शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर है और जो प्रमुख रुप से विधि की ओर संकेत करती है, और दूसरी परम्परा के आधार पर झगडे, मुकदमे या विवाद से संबन्धित है। व्यवहार शब्द की व्युत्पत्ति वि+अब+हार से हुई है। उपसर्ग वि का प्रयोग बहुत के अर्थ में, अब का संदेश के अर्थ में तथा हार का हटाने या हरण करने के अर्थ में प्रयोग हुआ, इस प्रकार व्यवहार से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके द्वारा नाना प्रकार के सन्देह दूर कियें जा सकें।'[2] 'कौटिल्य ने व्यवहार पद के स्थान पर विवाद का प्रयोग किया है।'[3] 'इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन व्यवहार शब्द आधुनिक न्याय प्रकृया का द्योतक है। मनुष्य–मनुष्य के बीच होने वाले कलह के वास्तविक रुप को जमानत, लिखित प्रमाण, भोग प्रमाण आदि के आधार पर उसे समझकर उसके मूल कारण का निराकरण किया जाय। किस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के अधिकार हरण करने की चेष्टा की है, और कितनी मात्रा में उस व्यक्ति को उसकी इस अनाधिकार चेष्टा की मात्रा के अनुसार दण्ड़ मिलना चाहिये। और दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकार को भोगने की सुविधा प्राप्त होनी चाहियें। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में न्याय व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई है। ताकि मात्स्यन्याय व अनाचार से प्राणियों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

प्राचीन का धर्म सभा वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय धर्म सभा है। इसमें राजा स्वयं मुख्य न्यायाधिपति होता है। इस न्यायालय में राजा कुछ इने–गिने ब्राम्हाणों एवं मंत्र के ज्ञाता मंत्रियों के परामर्श से विभिन्न विवादग्रस्त विषयों का निर्णय करता है। और उसे क्रियान्वित करता है। स्पष्ट है कि इस धर्म सभा में एक धर्माध्यक्ष होता है जिसे धर्मस्थ नाम से सम्बोधित किया गया है। धर्मस्थ के पद पर राजा स्वयं आरुठ होता है। राजा के अनुपस्थिति में इस पद पर राजा द्वारा नियुक्त किया हुआ विद्वान ब्राम्हण आसन को ग्रहण करता है। इस सभा में बैठकर या खड़े होकर दाहिने हाँथ को उठाकर विनम्रभाव से राजा(धर्माध्यक्ष) कार्यार्थियों के कार्यो को देखता है।'[4] 'जो आज वही कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों के कार्यो को देखता है।आज सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश हैं,(आवश्यकतानुसार संसद द्वारा संख्या में कम या अधिक किया जा सकता है) जो विभिन्न विवादग्रस्त विषयों के लिये अलग–अलग बेन्च गठित हैं, जिससे निर्णय जल्द से जल्द लिया जा सके। जो ऐसा प्रतीत होता है मानों प्राचीन न्याय व्यवस्था का निरुपण किया जा रहा है।

प्राचीन का सभ्य सभा वर्तमान का उच्च न्यायालय – इस सभा के विषय में वर्णित है जब राजा स्वयं कार्य देखने में असमर्थ हो तो राजा को अपने स्थान में एक विद्वान ब्राम्हण को व्यवहार अवलोकन हेतु नियुक्त करना चाहिये। इस ब्राम्हण को तीन सम्यों के साथ सभा में बैठकर राजा के द्वारा दियें जाने वाले समस्त कार्यो का अवलोकन करना चाहिये। इसी सन्दर्भ में यह व्यवस्था भी पायी जाती है, कि जिस स्थान पर वेदज्ञ तीन ब्राम्हण और राजा द्वारा अधिकृत एक विद्वान ब्राम्हण बैठकर न्याय का कार्य करते है। वह स्थान सभा के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में इन दो प्रकार की सभाओं की ओर संकेत किया जाता है। परन्तु इन सभाओं के विषय में जो वर्णन उपलब्ध है उससे इस विषय का लेशमात्र भी बोध नहीं होता है कि इन सभाओं के अधिकारों में क्या अन्तर है। ऐसा जान पड़ता है कि दोनों सभाओं के अधिकार समान है हमनें इसे सभ्य सभा के नाम से इसलिये सम्बोधित किया है कि इनमें न्याय कार्य देखने वाले अधिकारियों को मनु ने सभ्य नाम से पुकारा है।'[5] 'एक स्थल पर यह भी वर्णन मिलता है कि सभा में प्राड्विवाक नाम का एक अधिकारी होता है। इस विषय में मानवधर्मशास्त्र में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। सभा में प्राप्त हुये साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के समक्ष प्राड्विवाक को सांत्वना देतें हुये साक्षी से इस प्रकार पूँछना

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

चाहिये कि इन दोनों अर्थी और प्रत्यर्थी ने परस्पर इस कार्य में जो कुछ किया हो इसके विषय में तुम जो कुछ जानते हो वह सच-सच बतलाओ क्योंकि तुम्हारी इसमें साक्ष्य है।'[6] 'अत: स्पष्ट है कि मनुस्मृति में प्राड्विवाक नाम का एक अधिकारी है। यह प्राड्विवाक अति प्राचीन नाम है, गौतम व नारद ने भी इसका उल्लेख किया है।'[7] ' प्राड् शब्द प्रच्छ धातु से बनता है और विवाक वाक से क्रमश: इनका अर्थ है मुकदमेबाजों से प्रश्न पूँछना या सत्य का विश्लेषण करना। अमर कोष में इसे अक्षदर्शक नाम से भी सम्बोधित किया गया है। जान पड़ता है कि प्राड्विवाक मुख्य न्यायाधिपति को ही कहते है। क्योकि धर्माध्यक्ष, धर्मप्रवक्ता या धर्माधिकारी नामों से भी अभिहित किया गया है।'[8] ' जैसे- साक्षियों से अर्थी और प्रत्यर्थी के समक्ष प्राड्विवाक को सांत्वना देतें हुये साक्षी से इस प्रकार पूँछना चाहियें कि इन दोनों अर्थी और प्रत्यर्थी ने परस्पर इस कार्य में जो कुछ किया हो इसके विषय में तुम जो कुछ जानते हो वह सच-सच बतलाओं क्योंकि तुम्हारी इसमें साक्ष्य है। मुकदमेबाजों से प्रश्न पूँछना या सत्य का विश्लेषण करना, ऐसा प्रतीत होता है मानों आज का निरुपण किया जा रहा है।

निम्नस्तरीय न्यायालय - ऊपर हमने जिस धर्मसभा का विवेचन प्रस्तुत किया है वह सर्वोच्चन्यायालय का अवबोधक है साथ ही उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुल, जाति, श्रेणी, गण व जनपत धर्म के अनुसार निम्न अपराधों पर निर्णय देने के लिये उक्त नामों की निम्नस्तरीय अदालतें भी होती है। जो अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत इन धर्मो की रक्षा करतें हुये विवादों का निर्णय करती है।'[9] 'याज्ञवल्क्य स्मृति नारद स्मृति का कथन है कि विवादों का निर्णय कुलों गांव की पंचायतों, श्रेणियों, पूगों तथा गणों द्वारा भी होता था।'[10] 'श्री कांशी प्रसाद जायसवाल के शब्दों में मानव धर्मशास्त्र में जाति, जानपा और श्रेणी के नियम कानून मान्य कियें गयें है। इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नही है, कि वर्ण की अन्य दो संस्थायें सामूहिक संस्थायें है।'[11] 'वृहस्पति स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि कुल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध श्रेणी न्यायालय में और श्रेणी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पूग न्यायालय में अपील होती है।'[12] 'इसके ऊपर सम्य सभा एवं धर्म सभा का स्थान है। अत: उपर्युक्त प्राप्त संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय वांगमय में निम्नतम न्यायालय कुल से लेकर उच्चतम न्यायालय धर्म सभा तक की श्रंखलाबद्ध योजना प्रस्तुत की गई है। जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है कि मानों प्राचीन निम्नस्तरीय न्यायालय का निरुपण किया जा रहा है।

व्यवहारों पर पुनर्विचार - व्यवहार निर्णय में न्यायाधीश की असावधानी से अनिष्टकारी परिणाम निकल सकते है। और आहत पक्ष को ही पुन: हानि उठानी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों से भूल हो जाना भी स्वाभाविक है। अत: मुकदमों के पुनर्चिन्तन की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस विषय में व्यवस्था है कि व्यवहार अवलोकन कार्य में यदि मंत्री अथवा प्राड्विवाक ने भूल की है तो उसे दण्डित करना चाहिये।'[13] 'उस व्यवहार को राजा को स्वयं पुन: देखना चाहिये इस प्रकार मंत्री अथवा न्यायाधीश द्वारा की गई अशुद्धियों के निराकरण हेतु राजा को व्यवहारों के पुनर्चिन्तन का आदेश धर्मशास्त्रों में दिया गया है। इसी संदर्भ में अन्य स्थल पर व्यवहार के पुनर्चिन्तन की ओर इस प्रकार संकेत किया गया है जो वर्तमान में भी पुनर्चिन्तन की व्यवस्था की गई है, जैसे- जिला सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील होती है।ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राचीन व्यवहारों पर पुनर्विचार का निरुपण किया जा रहा है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता - भारतीय राज शास्त्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता अनुभव की गई है ताकि राज्य में शक्ति व सुव्यवस्था स्थापित की जा सके। परन्तु आधुनिक भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सैद्धातिक में है व्यवहार में नहीं चूकि वर्तमान में कानून अंधा ही नहीं बहरा और गूँगा भी हो गया है। जबकि न्यायपालिका को पूर्णत: स्वतंत्रता होना ही चाहिये जिससे निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

निष्कर्ष - सर्वोच्च न्यायालय के रुप में धर्मसभा तथा उसके नीचे समानान्तर अधिकार सम्पन्न सभ्य सभा (उच्च न्यायालय) निम्न स्तरीय न्यायालय, व्यवहारों पर पुनर्विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन न्यायाधीशों अर्थात सम्यों की जिन योग्यताओं का विशद विवरण प्राचीन भारत में उपलब्ध होता है वह आज भी अनुकरणीय है न्यायधीशों को न केवल कानून का पण्ड़ित बल्कि शास्त्रों अर्थात विविध विषयों का भी ज्ञान होना चाहिये। उन्हें अत्यन्त संयमी, विद्वान, ईमानदार तथा निष्पक्ष होना चाहिये । प्राचीन न्याय व्यवस्था में जमानत, लिखित प्रमाण, सावक्ष प्रमाण, भोग प्रमाण आदि का व्यापक वर्णन ऐसा प्रतीत होता है मानों आज का निरुपण किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यवहारान्दि दक्षुस्तु ब्राम्हणे: सह पार्थिव: मनु 8/1
2. वि नानार्थेडव सन्देहे हरणं हार उच्यते।
3. अर्थ0 3/16, 4/7 मिताक्षरा एवं अपरार्क, याज्ञ0 2/6
4. मनु 8/1-11
5. मनु 8/10
6. मनु 8/79-80
7. गौतम0 13/26-27
8. मान सोल्लास 2/2 श्लोक 93
9. याज्ञ0 2/30 नारद0 1/7
10. हिन्दू राज्यतंत्र, द्वितीय खण्ड पृ0 199-120
11. ग्रामोदेशष्य यत्कुर्यात सत्य लेख्यं परस्परम्।
12. वृहस्पति स्मृति 1/28-30
13. अमात्या: प्राड्विवाको वा यत्कुर्यु: कार्यमन्यन्या।

****

भारत में संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारें (चुनौतियाँ और संभावनाएँ)

डॉ. अनिल कुमार जैन *

प्रस्तावना – ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित करते हैं कि भारत में शासन के लिये संसदात्मक प्रणाली अपनाना राष्ट्र नायकों का सुविचारित कदम था। साथ ही वे इसे प्रयोग स्वीकार करते हुए विकल्प पर विचार करने के लिए भी सहमत थे।

21 दिसम्बर 1954 को लोकसभा में संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पं. नेहरू ने कहा था कि ' हमने संसदीय लोकतंत्र क्यों चुना है ? क्योंकि हम समझते है कि आगे चलकर इसके नतीजे सबसे अच्छे होते है। यदि हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि इसके सबसे अच्छे फल नहीं निकल रहे है तो ठीक है हम इसे बदलते हैं, क्योंकि स्पष्ट है हमें नतीजे चाहिये। हमें कौन से नतीजे चाहिये। राष्ट्रीय भलाई और हमारी करोड़ो–करोड़ो जनता की खुशी।'[1] सैद्धान्तिक कसौटी पर प्रजातंत्र की यह संसदीय शासन प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम शासन प्रणाली है। लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर वर्तमान में इसका जो रूप निरन्तर सामने आ रहा है, उससे इस प्रणाली के विकल्प के प्रश्न पर विचार आरंभ हो गया है।

स्वतंत्र भारत द्वारा संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार करने की पृष्ठभूमि में भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 रहे है। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार 12 अगस्त 1946 को संसदात्मक शासन पद्धति के अनुसार ही गठित की गई थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने दृढ़ किया। यही कारण रहा कि संघ संविधान समिति ने, प्रारूप संविधान में इसे रखा तथा संविधान सभा ने स्वीकार किया।[2] इसे स्वीकार करने में ब्रिटेन से हमारी घनिष्ठता भी एक कारण है।

सन् 1956 में संसदीय लोकतंत्र पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि 'ब्रिटिश संसदीय संस्थाओं से बड़े लम्बे सम्पर्क के कारण हमने भारत में संसदीय संस्थाओं को चुना है। जब मौका आया हमने ब्रिटिश संसदीय ढाँचे को और संस्थाओं को बड़े पैमाने पर यहाँ बनाया है, मैं समझता हूँ कि हम सफल हुये है।'[3]

भारतीय संसदात्मक प्रणाली ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित अवश्य है, परन्तु उसकी अनुकृति नहीं है। हमारा संविधान लिखित है, संघात्मक है तथा इसका स्वरूप गणराज्य का है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहां की संसद ब्रिटिश संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है, इस पर न्यायापालिका का नियंत्रण है।

संसदात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह होती है कि कार्यपालिका, विधायिका से चुनी जाती है एवं उसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसे उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह प्रणाली जनता द्वारा चुने गये सांसदों के बहुसंख्यक दल के नेता प्रधानमंत्री द्वारा संचालित और नियंत्रित होने से जनता की सरकार कही जाती है। निर्वाचन को जनादेश कहा जाता है। जनादेश को प्रकारान्तर से बहुमत ने हाने पर जोड़–तोड़ तथा गठबंधन के रुप में भी सख्या बल पर घोषित और स्वीकृत किया जाता है।[4]

संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषताऐं अब भारतीय शासन प्रणाली में व्यवहारिक रूप में नहीं पाई जाती है। संसद अब शक्तियों का केन्द्र सिर्फ संविधान की किताब में रह गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री यथार्थ में मंत्रीमण्डल के मुखिया तथा बहुसंख्यक दल के नेता के रूप में शक्ति का धारक न रहकर, संवैधानेत्तर सत्ता केन्द्र, राजनीतिक दल के नेता की कठपुतली बनकर रह गया है। संसद में प्राय: बहुमत प्राप्त न कर पाने से गठबंधन की सरकारें, न्याय व नीति के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षेत्र तथा दल के हित साधन का माध्यम बन गई है। प्रधानमंत्री का नियंत्रण न होने से गठबंधन से आये मंत्रीगण स्वेच्छाचारी व भ्रष्ट हो जाते है। इस प्रकार की कई चुनौतियाँ संसदीय शासन के समक्ष उत्पन्न हो गई है।[5]

भारतीय संसदीय व्यवस्था के समक्ष बहुदलीय व्यवस्था एक प्रमुख चुनौती है। ये सभी दल प्राय: स्थानीय क्षेत्रीय स्तर से केन्द्रीय स्तर पर एकीकृत नेतृत्व द्वारा संचालित होते है। राजनीतिक सौदेबाजी में छोटे दल ज्यादा लाभ उठाते है। यहाँ तक कि निर्दलियों का समूह भी 'किंग मेकर्स' की भूमिका में आ जाते है। एक दूसरे के घोर विरोधी, निर्वाचन में परस्पर शत्रु ये दल आपसी कटुता को विस्मृत करते हुए सत्ता हथियाने के लिये राष्ट्रीय या साम्प्रदायिक संकट से देश की रक्षा जैसे नारे उछालकर आपस में मिल जाते है। चुनाव के बाद होने वाले ये अपवित्र गठबंधन तथा सरकार को अपने व्यक्तिगत हित व स्वार्थ साधन के मूल्य पर, बाहर से समर्थन देने वाले दल हमारी संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था के निष्कृटतम उदाहरण है। प्राय: राजनीतिक दल नैतिक आधार खो चुके है। इसके उदाहरण भारत की संसदीय प्रणाली में विद्यमान है। निर्लज्जता की हद तथा स्वार्थ का प्रकट प्रमाण इनमें स्पष्ट है।

मिली–जुली गठबंधन सरकारों का सिलसिला जब से आरंभ हुआ है। भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था कठिन दौर में पहुंच गई है। सर्वप्रथम 1977 में कांग्रेस की एकदलीय प्रभुत्व की सरकार को चुनौती मिली थी। इसके पश्चात् सन् 1989 में नेशनल फ्रन्ट के नेतृत्व में वी.पी.सिंह प्रधानमंत्री बने। सन् 1996 में 13 विभिन्न दलों के, जनता दल के नेतृत्व में देवगौड़ा ने सत्ता संभाली। पुन: संयुक्त मोर्चा की तरफ से 10 माह बाद इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। 1998 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने से अटलबिहारी बाजपेयी ने 13 दलों की गठबंधन सरकार बनाई। यह सिर्फ अप्रेल 1999 तक सत्ता में रही। बाद में तेरहवीं लोकसभा के चुनाव में 24 दलों की एन.डी.ए. सरकार अटलबिहारी वाजपेयी ने बनाई। इसके पश्चात् 14 वीं व 15 वीं लोकसभा में यू.पी.ए.गठबंधन में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहनसिंह ने दस वर्ष शासन किया। यह गठबंधन दूसरी अवधि में भ्रष्टाचारी मंत्रियों तथा संविधानेत्तर नेतृत्व द्वारा संचालित होने से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वाधिक अनुत्तरदायी व असफल माना जा रहा है। 16 वीं लोकसभा के 2014 में हुए निर्वाचन ने इसके कारण नवयुग का निर्माण किया है।[6]

उपर्युक्त परिस्थिति में संसदीय प्रणाली की उपयोगिता व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। वैकल्पिक प्रणाली के संबंध में लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लगा है। 16 वीं लोकसभा के अप्रैल मई 2014 के चुनाव ने भारत में अब तक हुए चुनावों के परिदृश्य में अपूर्व अकल्पित परिवर्तन आया

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

। देश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस तथा बी.जे.पी. ने अप्रत्यक्ष तथा सीधे भावी प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव समर में भाग लिया। गठबंधन की व संविधानेत्तर शक्ति केन्द्र के शक्तिहीन प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की सरकार ने भ्रष्टाचार स्केंडल के सारे रेकार्ड तोड़ दिये थे। मंत्रियों को त्याग पत्र देने पड़े व जेल की भी हवा खाना पड़ी। संसदीय प्रणाली में मंत्री मण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, फिर भी नैतिक दायित्व को नकारते हुए सरकार प्रमुख ने कभी भी त्याग पत्र की पेशकश नहीं की।

मनमोहन सरकार दो अवधि का कार्यकाल अवश्य पूरा कर पाई, परन्तु इसके पीछे पक्ष-विपक्ष के सांसदो की अवधि पूर्व घर जाने की अनिच्छा मुख्य थी, तथा सी.बी.आई. के डर से कुछ दलों के बाहर से सरकार को समर्थन देकर सुरक्षित रखने का श्रेय प्राप्त हुआ है। सन् 2014 के चुनाव में इनका पत्ता साफ हो गया।

जनता सब जानती है। देश में विगत दो चार दशक से किसी भी दल में, राजनीतिक राष्ट्रीय नेतृत्व का आविर्भाव नहीं हुआ था। नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में अपनी गुजरात की विकास यात्रा व समृद्धि के संदर्भ में देश को विश्वास में लिया तथा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने मोदी के नाम और विश्वास पर स्पष्ट जनादेश देकर एक तरह से अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अपना विश्वास प्रकट किया है। इस निर्वाचन में मतदाता ने सांसद, उम्मीदवार की योग्यता अयोग्यता को नजर अंदाज करते हुए कांग्रेस को हटाओ-मोदी को लाओ नारे पर दल विशेष की नीतियों से अधिक मोदी के नेतृत्व में विश्वास किया है।[7]

अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार क्या हमारी संसदीय प्रणाली का विकल्प हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। इस प्रणाली की विश्व में सफल तीन सरकारें है। एक श्रीलंका दूसरी फ्रांस तथा तीसरा विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इनमें भारत के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुकूल हो सकता है, इसका उत्तर भी सरल नहीं है। संक्षेप में इन देशों की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुशीलन प्रासंगिक है।

श्रीलंका में राष्ट्रपति कार्यपालिका व विधायिका दोनों का प्रधान होता है। इसकी मंत्री परिषद् के सदस्य संसद से ही लिये जाते है, वे अमेरिका की भांति योग्यता के आधार पर बाहर से चयनित नहीं होते। राष्ट्रपति को कानून व न्यायपालिका से भी ऊपर रखा गया है, जो एक व्यक्ति में सारी शक्ति केन्द्रित कर देता हैं।

फ्रांस की अध्यक्षीय प्रणाली को अर्द्ध अध्यक्षात्मक कहा जाता है। यहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होने से संसदात्मक शासन का रूप अवश्य है। साथ ही अनेक उपबंधों से कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यहाँ व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव से मंत्रीमण्डल हटाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, परन्तु कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होने से उसकी प्रसन्नता पर बनी रहती है। यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भी भंग कर सकता है। विधायिका के बहुमत दल के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करना उसके स्वविवेक पर निर्भर है। वस्तुत: यहाँ राष्ट्रीय सभा सिर्फ औपचारिक अनुमोदन संस्था बन गई है। अगर उसने 70 दिन में बजट भी पास नहीं किया तो मंत्रीमण्डल इसे अध्यादेश से पारित करा लेता है।

श्रीलंका व फ्रांस में एकात्मक शासन है, जबकि भारत में संघात्मक शासन है। अत: अमेरिका के विकल्प पर विशेष विचार अपेक्षित है। अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापिका से बिलकुल स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति तथा इसका मंत्रीमण्डल संविधान की दृष्टि से अपनी अवधि के बारे में स्वतंत्र होते है तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अत: कार्यपालिका अपने कार्यकाल के बारे में भी निश्चिंत होती है। राष्ट्रपति अपने मंत्री व्यवस्थापिका के बाहर से योग्यता के और विषय विशेषज्ञ के रूप में चुनता है।[8]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों प्रणाली प्रजातंत्र के ही भेद है। तुलना की दृष्टि से अध्यक्षात्मक प्रणाली जनता के प्रति कम उत्तरदायी प्रतीत होती है। जबकि वास्तव में संसदात्मक प्रणाली में भी जनता के नाम पर राजनीतिक दलों का अधिनायकत्व ही चलता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की आत्मा की आवाज दल के व्हीप के नीचे खो जाती है। सच तो यह है कि वोट की राजनीति करते हुए मत के आधार पर सत्ता पर अधिकार करने की राजनीतिक दलों की चाह ने संसदात्मक प्रणाली में जनता के राज की सारी नीतियों, सिद्धान्तों, आदर्शो तथा नैतिक मूल्यों को समाप्त कर संविधान में गली और रास्ते खोज निकाले हैं, और जनता के शासन के आदर्श और जनादेश को मखौल बना दिया है। चुनाव प्रणाली का अनुचित लाभ आरक्षण, धनबल, बाहुबल और जाति धर्म को अवांछित रूप में सत्ता प्राप्ति का साधन बना लेने से संसदात्मक शासन के मूल आदर्श से भारत की राजनीति भटक गई है। चुनाव इतने महंगे है , जनता सिर्फ वोट दे सकती है।

निष्कर्ष यह कि कोई भी प्रणाली अपनाई जावें, इसके नियम व सिद्धांतों का पालन नहीं करने पर वह निष्फल तो होगी। अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी राष्ट्रपति का तानाशाह हो जाने का भय काल्पनिक है। जनता की उपेक्षा संभव नहीं है अमेरिका में यह सफल है। संसदात्मक प्रणाली भी ब्रिटेन में सफल है। दक्षेस देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में यह चल रही है। विश्व में भी कई देशों में यह सफल है।

भारत में संसदात्मक प्रणाली के सामने जो चुनौतियाँ खड़ी है, वे राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण है। नेहरू, इंदिरा युग में तथा जयप्रकाश के नेतृत्व में भी जनता ने एक दल को बहुमत दिया है। बहुदलीय प्रणाली के कारण गठबंधन सरकार की विवशता ने मिल जुलकर कई सवाल खड़े किये है। क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई है। जनता ने 16 वीं लोकसभा के लिये दलों को नकार कर नेता के नाम वोट करके नई आशा, नई दिशा और नई व्यवस्था में संभावित नये सुधारों के लिये दरवाजे खोल दिये है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय व निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्यक्ष लाभ हानि की संकीर्णता से ऊपर उठकर जनता ने युवा पीढ़ी ने भी आगे आकर नये नेता के नाम पर नई व्यवस्था के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए नई सुबह के लिये आगाज किया है। सब कुछ अच्छा होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोकसभा डिबेट : 21 दिसम्बर 1954 स्पीचेज खण्ड 3 पृष्ठ 8.
2. श्यामसुन्दर जे,शर्मा सी.पी.-राजनीति विज्ञान : रामप्रसाद एण्ड संस आगरा पाँचवा संस्करण, पृष्ठ 39-40.
3. जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज 1949-1953, पब्लिकेशन डिवीजन, भारत सरकार, नईदिल्ली खण्ड-2, 1954 पृष्ठ-11
4. जैन डॉ.पुखराज : राजनीति सिद्धान्त : साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा सन् 2012, पृष्ठ 278.
5. दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण : सम्पादकीय : दिनांक 16 अप्रेल 2012, पृष्ठ 02
6. सिंह डॉ. कृष्णदेव : भारत में संसदीय प्रणाली : ए जनरल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट : मुरैना : अप्रेल-जून 2009, पृष्ठ-124
7. दैनिक पत्रिका, रतलाम संस्करण : मोदी सरकार : पृष्ठ 14, दिनांक 27 मई 2014
8. जैन डॉ.एस.एन. - भारतीय संविधान - शासन और राजनीति : साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ 113.

कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, समावेशीकरण संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण

डॉ. लता धुपकरिया *

शोध सारांश – कमजोर वर्गो से आशय यहॉ उन वर्गो से है जो विकास की लहर में मुख्यधारा में शामिल होने से वंचित रह गये। जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, बंधुआ मजदूर, महिलाऍ व बच्चे आते है। जो भारत की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जनसंख्या के इतने बड़े भाग को छोड़कर विकास करना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि आजादी के बाद निर्मित भारतीय संविधान में विशेष अनुच्छेदों के माध्यम से इन कमजोर वर्गो के विकास हेतु कई प्रावधान दिये गये तथा अनेक कानून बनाये गये है। लेकिन इन सुविधाओ के बाद भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, छुआछूत जैसी समस्याऍ इन वर्गो में प्रमुखता लिये हुऐ है।

ये व्यवहारिक समस्याएं उन्हें दिये गये संवैधानिक उपचारों एवं कानूनी सुरक्षा पर प्रष्न चिन्ह खड़ा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कि कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु निर्मित कानूनो एवं संवैधानिक उपचारों से केवल निराशा ही हाथ लगी है। वरन इसमें इनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान भी हुआ है अर्थात समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग का सम्मान बड़ा है। वे समाज के कई प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान है, महिला सशक्तिकरण में इजाफा हुआ है, बालश्रमिकों की बढ़ती संख्या में कुछ अंकुश लगा है। बंधुआ मजदूर की प्रथा में कमी आयी है। राजनीतिक क्षेत्र में इन वर्गो की भागीदारी बढ़ी है, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है लेकिन ये सकारात्मक पक्ष केवल संतोष करने के लिये काफी है इसमें सुधार व उपचार की सम्भावनाऍ शेष है। अत: आवश्यक है कि स्वार्थ एवं दलगत व वोट की राजनीति से ऊपर उठकर इस कमी को दूर किया जाये। तभी कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समावेशीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

प्रस्तावना – सनातन धर्म की भूमि, भारत, प्राचीन वर्षो से ही अपनी विभिन्नता विशिष्टता और अदभूत संस्कृति के रूप में अतुलनीय पहचान रखता है। जिसकी धरती पर बुद्ध, कबीर, महावीर, जैसे संतो ने इस धरा पर जयघोष किया है। ऐसी युगधारा पर वैदिक काल तक जब कि वर्णव्यवस्था कर्म आधारित थी जातिवाद में यहॉ इतनी जटिलता नहीं थी। किन्तु उत्तरवैदिक काल में जब वर्णव्यवस्था जन्म आधारित हो गयी तब जातिवाद में जटिलता व कट्टरता प्रगट होने लगी और यह जातिगत कट्टरता इस सीमा तक पहुँच गयी जिसमें कुछ वर्ग के व्यक्ति ईशदूत व धरती पर ईश्वर का अवतरण समझे जाने लगे तथा कुछ मनुष्य सवर्णो की सेवा के लिये पैदा हुए अछूत व पिछड़ी जाति से संबोधित किये जाने लगे। जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से पीड़ित था उस समय भी जातिवाद अपने चरम पर था और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक लड़ाई जातिवाद को खत्म करने के लिये भी लड़ी जा रही थी जिनके सूत्रधारों में एक महत्वपूर्ण नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर का है। भारत में जातिवाद के कट्टर वातावरण ने कुछ जाति विशेष के मनोबल को इतना निर्बल बना दिया कि वे अपने शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में स्वयं को अक्षम महसूस करने लगे और इसी अक्षमता के कारण ही उन्हें कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया। कमजोर वर्ग की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाए तथा बच्चे भी शामिल है।

आजादी के समय देश के लगभग 82 फिसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करती थी तथा उनके जीवन में परम्परा व अंधविश्वास का बोलबाला था ये ग्रामीण लोग अज्ञानता व अशिक्षा के अंधकार में डूबे हुये थे और छुआछूत, भेदभाव व जातीय संकिर्णता से बुरी तरह ग्रस्त थे। कमजोर व पिछड़े वर्गो के विकास के मार्ग में कई बाधायें थी। कुछ वर्गो की प्रगति में शास्त्रीय निर्योगियताएं बाधक थी। जबकि कुछ के पिछड़ेपन के लिये उनकी भौगोलिक एवं सामाजिक पृथकता जिम्मेदार थी।

शास्त्रीय विद्यान के तहत उच्च वर्गो के लोगो को कई विशेष अधिकार और सुविधाए मिली हुई थी जबकि महिलाये तथा पिछड़ी व अछूत जातियों के लोग अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित थे। संविधान के माध्यम से उक्त वर्गो के विशेषाधिकारो को समाप्त कर दिया गया तथा कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समावेशीकरण हेतु कई संवैधानिक व कानूनी प्रावधान किये गये जो इस प्रकार है –

1. समाज के कमजोर वर्गो के हितों की अभिवृद्धि के लिये संविधान का अनुच्छेद 46 अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि, वह समाज के कमजोर वर्गो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा व आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धी करेगा व सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
2. अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28), शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार (29:2) में तथा राजनीतिक विषयों पर राजनीतिक समानता का अधिकार (अनुच्छेद 325 व 326) मुख्य है।
3. कमजोर वर्गो के विकास में उनकी निर्योग्यताऍ सबसे बड़ी बाधक थी। वस्तुत: इनकी निर्योग्यताऍ ही उनकी दासता का कारण थी। जिसमें अस्पृष्यता सबसे बड़ी निर्योग्यता थी और इसके दायरे में आने वाले लोग जिन्हे अस्पृश्य कहा जाता है समाज में सर्वाधिक पीड़ित व्यक्ति थे संविधान के अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृष्यता का अंत कर दिया गया और अस्पृश्यता जनित समस्त व्यवहार को कानूनी रूप से निषिद करते हुए दंडनीय अपराध घोषित किय गया। अनुच्छेद 15 के तहत सार्वजनिक किस्म केस्थलोंकेउपयोग पर अस्पृश्य जातियोंकेउपर जो पाबंदियॉ लगी थी उन्हे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 25(2ब) के माध्यम से अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिये सार्वजनिक उपयोग के मंदिरों के द्वार खोल दिये गये।
4. संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 के तहत संसद व राज्य विधानमण्डलो में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये स्थान

*सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

आरक्षित किये गये। राजनीतिक आरक्षण के अतिरिक्त सम्पूर्ण जनसंख्या में इनके अनुपात को देखते हुये सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर इन वर्गो के लिये क्रमश: पन्द्रह एवं साढ़े सात प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये है।

5. अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं एवं उन्हे संविधान द्वारा प्रदत्ता रक्षोपायो से संबंधित विषयों का अध्ययन कर उनकी उन्नति हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।
6. कमजोर वर्गो के उत्थान हेतु कई वैधानिक व प्रशासनिक उपाय भी किये गये है। इन विधानो में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नारी संबंधी विधान विशेष रूप से हिन्दू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, सम्प्रेशन ऑफ इम्पारल टेप्रेशन ऑफ इम्पारल ट्रेफिक इन वूमेन एंड गार्ल्स एक्ट 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 तथा न्यूनतम वेतन कानून 1948, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 एवं बालश्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 मुख्य है।

कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समावेशीकरण हेतु किये गए उक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। जिसने इन कमजोर वर्गो के विकास करने का एक सकारात्मक व सम्मानजनक वातावरण निर्मित किया। किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि, इन संवैधानिक उपचारो के बाद भी ये वर्ग कमजोर वर्ग की श्रेणी में क्यों है? इस दिशा में कई व्यवहारिक पक्षों या वास्तविक तथ्यों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है :-

1. समानता, स्वतंत्रता व अवसरो की समानता का अधिकार दिये जाने के बाद व नौकरियों में आरक्षण के बावजूद इनका लाभ केवल नगरीय क्षेत्र के लोगों को ही मिल पा रहा है। ग्रामीण कस्बो के कई लोग आज भी इन सुविधाओं व संरक्षण के लाभ व उनकी जानकारी से वंचित है। लेकिन इन सुविधाओं के माध्यम से जब इस वर्ग के व्यक्ति शासकीय नौकरियों में जाते है। तब भी कमजोर वर्ग का बैंच मार्क उनका पीछा करता है तथा उन्हें एक नवीन वर्गवाद का सामना करना पड़ता है। उन्हे इस हीन दृष्टि से देखा जाता है कि वे आरक्षण के माध्यम से शासकीय सेवा में आये है। उन्हे वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को मिलता है। आरक्षण जैसे उनकी योग्यता को दरकिनार कर देता है। इस सम्भ्रांत जातिवादी संस्कृति को दूर करने की आवश्यकता है। जो जातिवाद केवल सामाजिक स्तर पर देखा जाता है। आज वह व्यवसायिक रूप में परोक्ष अपरोक्ष रूप से नया स्वरूप धारित कर चुका है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछुत की भावना व बंधुआ मजदूरी की परम्परा देखी जा सकती है। खाप पंचायतों के निर्णय आज भी संवैधानिक प्रावधानों को मानने से इंकार करते है। राजनीतिक चुनाव लड़ना आज एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है। चाहे वह सीट आरक्षित क्यों न हो। क्योंकि चुनाव अधिक बाहुबल, धनबल का पर्याय बन चुके है। जहॉ आज भी रसूकदार व्यक्ति ही अपना हक जताते है। वर्तमान विधानसभा चुनावों में नोटा का प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रयोग था। किन्तु एक सर्वेक्षण से यह वास्तविक स्थिति प्रकट होती है कि इस विकल्प का उपयोग उन क्षेत्रों में अधिक किया गया जहॉ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये सीट आरक्षित थी। यह तथ्य कमजोर वर्ग के राजनीतिक विकास के संबंध में एक व्यवहारिक नकारात्मकता को प्रगट करता है।
3. आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिये कई महत्वकांक्षी योजनाऍ व संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों के बावजूद एक बड़ी संख्या जंगलो में परम्परागत पद्धति से अज्ञानता व अंधविश्वास के साथ जीवन यापन कर रही है। जहॉ शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, संचार उनकी जीवनशैली से लाखों दूर है। ऐसे सूदूर क्षेत्रों में आधुनिकीकरण जीवन शैली का प्रकाश पहुंचना अभी शेष है।
4. महिला उत्थान हेतु संविधानिक उपचार व कई कानूनों के बावजूद आज भी व्यवसायिक स्थलों पर उनका शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण किया जा रहा है। वर्तमान में तरूण तेजपाल द्वारा महिला शोषण व प्रसिद्ध न्यायाधीश द्वारा महिला का शोषण एक ज्वलंत उदाहरण है। महिलाएं आज कहीं न कहीं स्वयं के शोषण की कीमत पर कार्य करने हेतु विवश है। राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण होने के बाद वे डमी के रूप में उपयोग हो रहीं है। उनकी गरिमा उनका सम्मान हर स्तर पर तार-तार हो रहा है। संतान की चाह रखने वाले माता-पिता के लिये लड़किया आज भी दूसरा स्थान रखती है।
5. बाल संरक्षण कानून व बाल सम्प्रेषण गृह, ज्यूनाईल जस्टीस कोर्ट जैसी कई सुविधाऍ होने के बाद भी बाल अपराध देखे जा सकते है तथा कई फेक्ट्रियों व कारखानो में तथा रसूकदारों के घर बाल मजदूर काम करते हुऐ देखे जा सकते है। बालकों का व्यापार बड़े स्तर पर जारी है।

निष्कर्षता अंत में इन कमजोर वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समवेशीकरण हेतु निर्मित संवैधानिक उपचारों एवं कानूनी प्रावधानों के विष्लेषण से यह स्पष्ट होता है। कि व्यवहारिक धरातल पर भले ही कई कमियां विद्यमान है। किन्तु इसके सकारात्मक परिणामों से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अर्थात कमजोर वर्ग में शामिल अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सामाजिक उत्थान हुआ है। इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बड़ी है। शिक्षा के स्तर में इजाफा हुआ है। शासकीय सेवाओं में इनकी संख्या बड़ी है। महिलओं को प्राप्त सुविधाओं के फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण की गाथा चहुओर विद्यमान है। किन्तु कमजोर वर्गो में शामिल इन वर्गो का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समवेशीकरण एक संतोष जनक अनुभव मात्र है। इसमें सुधार व उत्थान की गुंजाईश अभी शेष है। जरूरत है कि इन वर्गो के उत्थान को, उनके विकास को राजनीति का मुद्दा न बनाया जाये, उन्हें वोटबैंक के रूप में उपयोग न किया जाये, उन्हे सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी न समझा जाये। बल्कि वास्तविक धरातल पर वंचित इन वर्गो की व्यवहारिक समस्याओं को समझकर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की जाये और जो व्यक्ति इन संवैधानिक उपचारो के माध्यम से सशक्त बन चुके है वे अन्य कमजोर व्यक्तियों को सशक्त बनाने में मदद करें न कि उन्हें हीन समझकर उनसे घृणा करें। सहयोग मानवता की नीति से तंत्र के धरातल पर खड़े इन वास्तविक रूप से कमजोर वर्गो का सहयोग करें तभी उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समावेशीकरण की प्रक्रिया को गति मिल सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, रामगोपाल, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और जाति व्यवस्था रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली 1999, पृष्ठ क्रमांक 112
2. सिंह आर.जी., भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याऍ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. सिंह रा.गो.भारतीय समाज एवं संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. कुरूक्षेत्र 5. इण्डिया टुडे 6. दैनिक भास्कर

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त

डॉ. अनिल कुमार जैन *

प्रस्तावना – सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। शासन में भ्रष्टाचार की विश्वव्यापी समस्या प्राचीनकाल से विद्यमान रही है। भ्रष्टाचार की परिभाषा और क्षेत्र की विवेचना कठिन है, क्योंकि इसके सिर और पैर नहीं होते है। अदृश्य और प्रमाणहीन होने से इसे मिटाना कठिन है। कदाचरण तथा अधिकारों द्वारा पद के दुरूपयोग के रूप में भ्रष्टाचार शासन–तंत्र में कैंसर माना गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अर्थात् शासन के सत्ता तंत्र में ऊपर से नीचे तक यथा मंत्री से संतरी तक के मध्य व्याप्त इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की तरह मध्यप्रदेश सरकार ने भी उच्च स्तर पर प्रयास किये है। जिससे कि लोकतंत्र के मूल आदर्श सरकार के कार्यो में पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वच्छ प्रशासन और न्यायपूर्ण व्यवहार के प्रति जनता को विश्वास में लिया जा सके।

इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश में सन् 1969 में नृसिंहराव दीक्षित की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त के गठन का सुझाव दिया। इससे पूर्व म.प्र. में राज्य सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर विचार करता था। यह आयोग प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी स्थापना कार्यपालिका के आदेश द्वारा हुई थी। अत: कानूनी आधार पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध वैधानिक व्यवस्था के उद्देश्य से म.प्र. में लोकायुक्त संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया।[1]

अत: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना के लिए प्रदेश की विधानसभा द्वारा सन् 1981 में एक विधेयक पारित किया गया। कतिपय कारणों से इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। आपत्ति के कारणों पर पुनर्विचार करके तथा देश के अन्य राज्यों में स्वीकृत लोकायुक्त बिल के अनुसार नया बिल विधानसभा द्वारा सन् 1980 में प्रस्तुत किया गया। अप्रैल 1986 में यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने तथा महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर, फरवरी 1982 में राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा इसे प्रभावशील किया गया। वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को इसके वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते है, जिन पर विधानसभा द्वारा विचार किया जाता है। कानूनी व्यवस्था के अनुरूप, लोकायुक्त कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णरूप में मुक्त है।[2]

मध्यप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम सन् 1981 के अनुसार लोकायुक्त संगठन का प्रमुख अधिकारी लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त के पद पर वहीं नियुक्त होता है। जो न्यायपालिका से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहा हो अथवा किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उसने सेवाऐं दी हो। उसकी आयु 66 वर्ष से कम हो, उसके नाम का चयन मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता की समिति से होता है। राज्यपाल इसकी 5 वर्ष के लिये नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव तथा सभी वर्ग के सचिव की जांच का संगठन में अधिकार सिर्फ लोकायुक्त को ही है। संगठन में उपलोकायुक्त का एक पद है। इसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत सरकार के सचिव अथवा केन्द्र व राज्य में समकक्ष पद पर रहा हो। ऐसे पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। इसकी आयु 63 वर्ष से कम व कार्यकाल 5 वर्ष है।

लोकायुक्त संगठन में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक सचिव की नियुक्ति होती है जो लोकायुक्त व उपलोकायुक्त के अधीक्षण में कार्य करता है। लोकायुक्त संगठन को वैधानिक सलाह देने तथा न्यायालय तक प्रकरण ले जाने के कार्य हेतु तीन विधि सलाहकारों के तथा एक उपविधि सलाहकार के पदों की व्यवस्था की गई है। लोकायुक्त को अपने कर्तव्य सम्पादन में स्वतंत्र पुलिस बल की सहायता की आवश्यकता होती है। अत: म.प्र.विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार लोकायुक्त को विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषण का अधीक्षण नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में तकनीकी प्रकरणों की जांच के लिए भी संगठन के अधीन तकनीकी शाखा पृथक से कार्य करती है। जिसमें मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कदाचरण या भ्रष्टाचार की ऐसी सभी शिकायतों की जांच का क्षेत्राधिकार है, जिनका विषय शिकायत की दिनांक से 5 वर्ष से पुराना न हो। लोकायुक्त सिर्फ उन प्रकरणों की जांच नहीं करता जिनमें 'लोक सेवक एक्ट 1952' के अंतर्गत पूर्व में ही जांच के आदेश हो चुके हो। लोकायुक्त संगठन अपने स्वयं के विवेक से, जांच के लिये आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करता है। साक्षियों आदि की उपस्थिति के लिए, 'साक्ष्य अधिनियम 1872' तथा 'दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973' में निहित शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त है। लोकायुक्त के समक्ष विचाराधीन सभी प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अनुसार न्यायिक कार्यवाही माने जाते है। इसी तरह लोकायुक्त संगठन की कार्यवाही व निर्णय के प्रति सम्मान व पालन के लिये न्यायालयों के समान ही अवमानना के प्रावधान लागू होते है। अत: लोकायुक्त न्यायालय के सभी आदेशों या निर्देशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

अधिनियम की धारा 12 (1) में यह प्रावधान है कि यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध, अभिकथनों से दोष के संबंध में समाधान हो जाय तो लोकायुक्त अपनी सिफारिशों की लिखित रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को संसूचित करेगा। धारा 12 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष से संबंधित प्रकरणों में इस संदर्भ की रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जावेगी। लोकायुक्त द्वारा उक्त संदर्भ में भेजी गई रिपोर्ट पर संबंधित द्वारा क्या कार्यवाही की गई या प्रस्तावित कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर वह राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेजेगा। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि, लोकायुक्त संगठन द्वारा अपने अधिकार के अंतर्गत की गई नियमानुसार कार्यवाही के लिये, उसके किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। लोकायुक्त को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि भ्रष्टाचार या कदाचार का अवसर उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रचलित प्रक्रिया के प्रति शासन का ध्यान आकर्षित कर अपने उपयुक्त सुझावों से शासन को अवगत कराये। लोकायुक्त के सामने कार्यपालिका तथा ब्यूरेक्रेसी व नौकरशाही से संबंधित सभी प्रकार के कदाचार या भ्रष्टाचार के मामले बड़ी संख्या में आते है। इन पर प्राय: समय पर संगठन द्वारा निश्चित कार्यवाही नहीं हो पाती है। कई मामले तो लोकायुक्त के विचाराधीन रहते है और वे विचाराधीन ही रह जाते है। परिणामस्वरूप लगता है कि यह संगठन क्षमता, शक्ति और अधिकारों में कहीं न कहीं असहाय अथवा विवश है। सरकार द्वारा लोकायुक्त की शक्ति में वृद्धि के

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

लिये अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। फिर भी इसकी जांच का दायरा सीमित ही बना हुआ है। लोकायुक्त की कार्य प्रक्रिया में संबंधित विभागों के अधिकारियों का सहयोग सभी प्रकार से अपेक्षित है, जो लोकायुक्त को सरलता से नहीं मिलता है।

वैधानिक प्रावधानों से शक्ति सम्पन्न प्रतीत होने वाला यह संगठन नख दंत विहिन भुजंग की तरह है, जो सिर्फ फुंकार सकता है। दण्डित करने की लगभग इसके पास शक्ति नहीं है। लोकतंत्री शासन में भी नौकरशाही व कार्यपालिका के पास किसी कार्य में अवरोध के लिये पर्याप्त रास्ते व गलियां होती है। मुख्य रूप में वह लालफीताशाही है। अपनी कछुआ गति से उत्पन्न अवरोधों के माध्यम से यह न्यायपालिका की भी चिंता नहीं करती है। ऐसे में लोकायुक्त तो प्रकारान्तर से राज्य सरकार का अपना संगठन है।[4] लोकायुक्त के पास वर्षो प्रकरण जांच में पड़े रहते है। यह भी प्रश्न उठता रहा है कि लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए बनाई गई है तो जांच के लिए पादिक विभेद क्यों रखा गया है ? जबकि ये लोकसेवक है। विधायकों को संसदीय उत्तरदायित्व के संदर्भ में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया है। यह कहाँ तक उचित है ? विधायकों के व्यक्तिगत कदाचरण व भ्रष्टाचार को उसके विधायक होने के अधिकार से मुक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधायकों द्वारा प्रशासन के कार्यो में अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता है। इसे जनता का काम नाम दिया जाता है। जनशक्तियों की बढ़ती सम्पत्ति का ग्राफ स्वयं प्रमाण है।

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं न्यायपालिका के सदस्य लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। यह उनकी स्वतंत्रता के अनुकूल है। प्रश्न यह उठता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जिनमें मुख्य रूप में प्रशासनिक अधिकारी व राजनीति द्वारा पुरूस्कृत जनप्रतिनिधि होते है, किस कारण उन्मुक्ति के अधिकारी है। हाल ही में म.प्र.व्यापम में हुए व्यापक भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी विस्फोट में म.प्र. में भ्रष्टाचार के जमीन से शीर्ष तक फैले होने के सत्य को लगभग उजागर कर दिया है। यही नहीं हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ने लोकायुक्त आय.जी. से भ्रष्टाचार के विविध प्रकरणों की जानकारी भी मांगी है, क्योंकि प्रदेश में विगत कुछ ही समय में दौ सौ से अधिक प्रकरण भ्रष्टाचार के उजागर हुए है। इनमें कतिपय प्रकरणों में लोकायुक्त पुलिस न्यायालयीन कार्यवाही भी कर चुका है। इन प्रकरणों में अरबों रूपयों की आय से अधिक कमाई का खुलासा हुआ है। अत: प्रवर्तन निर्देशालय ऐसे प्रकरणों में पृथक से कार्यवाही करेगा। आयकर छापे से उजागर प्रदेश के आय.ए.एस.अफसर अरविन्द और टीनू जोशी के मामले को ई.डी. के साथ-साथ लोकायुक्त ने भी अपने यहाँ दर्ज किया है।[5]

लोकायुक्त संगठन के भ्रष्टाचार निरोध के प्रयासों में कभी-कभी सरकार ओर लोकायुक्त आमने-सामने दिखाई देते है। सन् 2007 में लोकायुक्त ने तीन आय.ए.एस.अधिकारियों के विरूद्ध सरकार की बिना अनुमति अदालत में चालान पेश कर दिया, जबकि ब्यूरोक्रेसी के विरूद्ध प्रकरणों में अदालती कार्यवाही के लिये शासन की अनुमति को विधेयक में आवश्यक बताया गया है। इस प्रकरण में सरकार को स्वाभाविक आपत्ति हुई क्योंकि वहीं तो अपने अधिकारियों की संरक्षक है। यह तथ्य अलग है कि अनुमति की प्रतीक्षा की जाती तो प्रकरण अदालत तक जाता ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने ऐसी अनुमति के प्रतिबंध को हटाकर लोकायुक्त की कार्य स्वतंत्रता के दरवाजे खोल दिये। तब भी इसी के परिणामस्वरूप सरकार ने भी एक विधेयक द्वारा चालान पेश हुए प्रकरण में तथाकथित दोषी को निलम्बित करने की अपनी बाध्यता समाप्त कर, उन्हें प्रकरण में साक्ष्य मिटाने या लोकायुक्त को संबंधित फाइलें जानकारी प्राप्त करने में, अवरोध उत्पन्न करने का अवसर दे दिया।

सरकार और लोकायुक्त संगठन की आँख मिचौनी की कहानी लंबी है। लोकायुक्त संगठन में लम्बे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना। चालान पेश करने की अनुमति में अनावश्यक विलम्ब तथा सरकार का यह विश्वास की लोकायुक्त संगठन का काम सिफारिश करना है। मानना या न मानना सरकार का काम है। ये परिस्थितियाँ एक महत्वपूर्ण संस्थान की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह का कारण है। म.प्र. में लोकायुक्त का गठन सन् 1981 में होना सुविचारित आदर्शवादी कदम था। उल्लेखनीय है केन्द्र में भी यह कार्य म.प्र. से लगभग 33 वर्ष बाद अन्ना हजारे के प्रभावी आंदोलन के पश्चात् ही दबाव में हो सका है।

लोकायुक्त की स्थापना से भ्रष्टाचारियों में भय अवश्य उत्पन्न हुआ था। इस संस्थान से भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध म.प्र. में एक प्रभावी कानून लागू हुआ था। परन्तु जब बाड़ ही खेत हो जावें ऐसी स्थिति चिंतनीय होती है। सन् 2008 में तत्कालीन लोकायुक्त ही मकान खरीदी के प्रकरण में कदाचार के घेरे में आ गये थे। स्थिति का लाभ उठाकर संबंधित सभी प्रकार से इस संगठन को कमजोर ही करते रहे है।

एक समय अवश्य था जब म.प्र.लोकायुक्त का देश में विशेष नाम था। आज स्थिति दूसरी है। अब सार्थक प्रयास का समय आ गया है। सन् 2014 का 16 वीं लोकसभा का चुनाव देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को विशेष महत्व देकर हुआ है। भ्रष्टाचारियों को अब तक कानूनी दांव पेंच में लोकायुक्त या लोकपाल अथवा अन्य ऐजेन्सियाँ दण्डित नहीं करा पाई हैं। अत: जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि पीढ़ियाँ याद करेगी। लोकायुक्त संगठन की म.प्र. में सार्थक पहल की नितान्त आवश्यकता है। यहां लोकायुक्त के पास संतरी से लेकर सचिव तक की तथा बड़ी संख्या में मंत्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार व कदाचरण की कई गंभीर शिकायतें कार्यवाही की प्रतिक्षा में विविध कारणों से फाईलों में बंद है।

अत: म.प्र.लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचारियों के लिये आतंक बन सके इसके लिये आवश्यक है - लोकायुक्त के अधिकारों में वृद्धि की जावें, जिससे वह अपनी शक्ति से आवश्यकतानुसार जांच व कार्यवाही कर सके। लोकायुक्त बनाम सरकार तथा सरकार बनाम लोकायुक्त द्वंद्व से गलत संदेश जा रहा है। लोकायुक्त का सम्मान हो। लोकायुक्त की कार्यवाही से बचाव में पारित संशोधनों की समीक्षा हो। लोकायुक्त पद पर नियुक्ति पारदर्शी चरित्र तथा नैतिक मूल्यों पर खरे व्यक्ति की हो। भ्रष्टाचार के विरूद्ध शासन को अधिक सक्रियता का परिचय देना चाहिए। लोकायुक्त को भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध प्रभावी कठोर कार्यवाही के लिये शासन को सभी प्रकार से उच्च स्तर पर सहयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें तथा जानकारी व साक्ष्य उपलब्ध कराने में कार्यालयीन स्तर के अधिकारियों व कर्मचारी को, समय सीमा में सहयोग न करने पर दण्डित किया जाना चाहिए। लोकायुक्त के कार्य में हस्तक्षेप करने या कार्यवाही को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध होना आवश्यक है।

आशा की जाना चाहिये कि केन्द्र में लोकपाल बनने से राज्य में भी लोकायुक्त की शक्ति में वृद्धि होगी तथा भ्रष्टाचार को उजागर करने में उसकी जांच एजेन्सियों को हाल ही जो सफलता मिली है, उसके अनुरूप भ्रष्टाचारियों को दण्डित करने में भी वह सफल होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. म.प्र.राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट 1969
2. म.प्र.लोकायुक्त अधिनियम 1981
3. म.प्र.लोकायुक्त अधिनियम 1981
4. पटेल रामनिवास : भ्रष्टाचार निवारण में लोकायुक्त की भूमिका : रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाईफ साइसेंस, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज रीवा संयुक्ताकसिंह 2012
5. म.प्र.लोकायुक्त रिपोर्ट सन् 2010-2011
6. दैनिक जागरण,रीवा संस्करण दिनांक 07 अगस्त 2007

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता एवं भ्रष्टाचार निवारण में भूमिका

डॉ. आशा सिसोदिया * डॉ. शशि प्रभा जैन * *

शोध सारांश – सूचना के अधिकार का विधेयक 11 मई 2005 को लोकसभा और 13 मई 2005 को राज्य सभा में पारित होने के बाद 16 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही 12 अक्टुम्बर 2005 से यह सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया। इससे भारत के करोड़ों नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी हैं तथा भ्रष्टाचार निवारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे है। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में तेज गति लाने एवं निरन्तर प्रयास मे लगे रहने की आवश्यकता हैं। प्रस्तुत शोध में यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को सूचना के अधिकार के बारे में कितनी जानकारी हैं तथा भ्रष्टाचार निवारण में वे अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकते है।

शब्द कुंजी – महाविद्यालय, विद्यार्थी, सूचना, अधिकार, जागरूकता, भ्रष्टाचार।

प्रस्तावना – प्रजातंत्र को जवाबदार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्यो की जानकारी उसको चुनने वाली जनता विशेष कर युवा वर्ग को सहज रूप से उपलब्ध हो। अमरीकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार

प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही सरकार बनाना है ।

अत: जब जनता से तंत्र का निर्माण होता है तो जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि इस तंत्र में क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? तथा कैसे होना चाहिए?

सूचना का अधिकार क्या है? – सूचना का अधिकार गोपनीयता के खिलाफ पारदर्शिता की वकालत करने के साथ ही शासन की नीतियों के निर्माण एवं निष्पादन में जनभागीदारी की गारंटी का भी हिमायती है।

अर्थ–सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण।

दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करना।

लोक संकर्मो के प्रमाणित नमूने लेना।

लोक संकर्मो की जानकारी लेना।

परिभाषा– सूचना के अधिकार से तात्पर्य ऐसी सूचना का अधिकार जो इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य है, जो कि किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन है, जिसमें किसी कार्य के दस्तावेजों का निरीक्षण उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना सम्मिलित है।

औचित्य – सूचना के अधिकार का औचित्य प्रतिपादन करने वाला घटक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लड़ाई गाँव और गरीब के लिए थी। अंग्रेजी शासन तो केवल रूकावट मात्र था, इसी कारण आम और खास का फर्क पैदा हुआ। अत: जीवन में यह जानना बेहद जरूरी है। जिसके पास जानकारी है वह खास बन गया। जिसके पास जानकारी का अभाव है वह पिछड़ गया। पिछड़ना विशेष बात नहीं है बल्कि यह जन मानस के वजूद की बात है। यह अधिकार जनतंत्र के सहभागिता की प्रक्रिया को समृद्ध करता है और इससे भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। आज का युवा देश में एक साफ सुथरा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहता है। तभी तो अन्ना हजारे के लोकपाल विधेयक पास करने संबंधी आन्दोलन में देश के सैकड़ों युवकों ने उत्साह पूर्वक अपना समर्थन दिया। युवा पीढ़ी देश की भावी निर्माता है। इस वर्ग को सूचना के अधिकार की जानकारी होना आवश्यक है। जिससे वे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

प्रविधि– महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में सूचना के अधिकार संबंधी कितनी जानकारी है यह जानने का प्रयास किया गया। 30 छात्र कला संकाय तथा 30 छात्र विज्ञान संकाय के कुल 60 छात्र–छात्राओं को जो 18 से 21 वर्ष आयु समूह के हैं से प्रश्नावली द्वारा जानकारी एकत्रित की गई।

प्रश्नावली में सूचना के अधिकार संबंधी कुल 10 प्रश्न रखे गये थे जिनके उत्तर बहुविकल्पीय थे।

सही उत्तर दर्शाई जाने वाली तालीका

प्रश्न	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विद्यार्थियों का प्रतिशत	80	80	72	84	89	82	83	84	74.2	86

परिणाम–

1. उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय के 80% छात्र–छात्राओं को सूचना के अधिकार की जानकारी है।
2. सूचना का अधिकार कब लागू हुआ इस तथ्य की जानकारी भी 80% छात्र–छात्राओं को है।
3. सूचना किस प्रकार मांगी जा सकती है। इसके बारे में 72% छात्र–छात्राओं को जानकारी है।
4. महाविद्यालय के 84% प्रतिशत छात्र–छात्राओं को सूचना किससे माँगी जा सकती है। इस तथ्य की जानकारी है।
5. महाविद्यालय के 89% छात्र–छात्राओं को आवेदन शुल्क की जानकारी है।
6. महाविद्यालय के 82% छात्र–छात्राओं को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के शुल्क के बारे में पता है।
7. महाविद्यालय के 83% छात्र–छात्राओं को फ्लापी या डिस्क में जानकारी प्राप्त करने के शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त है।
8. महाविद्यालय 84% छात्र–छात्राओं को गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को शुल्क मे छूट के प्रावधान की जानकारी है।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)शासकीय नेहरु महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.) भारत ** सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय नेहरु महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.) भारत

9. महाविद्यालय के 72.2% छात्र-छात्राओं को लोक सूचना अधिकारी से कितने दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त की जा सकती है इसकी जानकारी है।
10. महाविद्यालय के 86% छात्र-छात्राओं को यह जानकारी है कि सूचना न उपलब्ध कराने पर कितने रूपये प्रतिदिन के हिसाब से सूचना प्रदाता अधिकारी को दंडित किया जा सकता है।

बाधाऐं या कठिनाईयाँ -

1. सूचना का अधिकार अधिनियम जनता के लिए बनाया गया था। परन्तु जनता की अनभिज्ञता कानून की सफलता में बाधक है।
2. अशिक्षित एवं ग्रामीण समुदाय को जागरूक बनाया जाना अति आवश्यक है तभी इसका औचित्य सार्थक होगा।
3. भारत में जनसंख्या का एक बडा हिस्सा अभी भी निरक्षर है तथा शिक्षा में गुणात्मक विकास की धारा से अछूता है।

अच्छे प्रशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण में सूचना के अधिकार की भूमिका -

1. इस कानून के द्वारा कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों से किसी भी विकास कार्यक्रम के बारें में जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा इसके लिये उसे बहुत कम शुल्क ही अदा करना होता है। इससे पूर्व इसी तरह की सूचनाएँ प्राप्त करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता था एवं सरकारी तंत्र की मनमानी को सहन करना उसकी मजबूरी थी किन्तु इस कानून के लागू होने से सरकारी तंत्र की यह मनमानी समाप्त हो जावेगी।
2. भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद आम जनता प्रशासन की पक्षपात पूर्ण नीति, रहस्यमय स्थिति, भाई-भतीजावाद से परेशान होता आया है यह चाहते हुए भी सही स्थिति को जान नहीं पाता था किन्तु इस कानून के द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता कायम हो सकेगी।
3. यह अधिनियम भ्रष्टाचार उन्मूलन में बहुत कारगर साबित होगा। भ्रष्टाचार के विरूद्ध सबूतों सहित पक्की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकेंगी, जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक सिद्ध होगी।
4. इस कानून के द्वारा सरकारी तंत्र में कसावट एवं नियमितता भी लाई जा सकेगी। अभी तक सरकारी संस्थाओं में जो ढीला प्रशासन एवं अनियमितताएँ पाई जाती है उनके विरूद्ध इस कानून के तहत सूचनाएँ प्राप्त कर उसमें कठोरता के आधार पर कार्य करवाया जा सकेगा। जिससे आम आदमी को सरकारी कार्यों हेतु उनसे संबंधित दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5. इस अधिनियम द्वारा शासकीय दस्तावेज की सुरक्षा एवं उन्हें व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।
6. इस अधिनियम के द्वारा जनता में आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा लोकतंत्र व्यवस्था के फायदे भी उठाये जा सकेगें।
7. इस कानून के द्वारा सभी वर्गों के लोग, जिनमें ग्रामीण, नि:शक्तजन, वृद्ध एवं महिलाएँ आदि भी सम्मिलित हैं। निजी प्रकरणों के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
8. इस अधिनियम में वर्षों से लंबित प्रकरणों को निपटाया जा सकेगा एवं नये प्रकरणों का भी तत्कालीन हल सम्भव हैं। सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से सरकारी कर्मचारी के पदोन्नति, पेंशन, वेतन वृद्धि आदि प्रकरण लम्बित हो जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सही सही जानकारी प्राप्त होगी है तथा लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा भी हो सकेगा।
9. इस अधिनियम से प्रशासन को सजक एवं उत्तरदायी बनाने में सहायता प्रदान करेगा। आज के युग में भ्रष्टाचार देश की अधिकांश समस्याओं की जड़ बन गया है। भ्रष्टाचार की इस बीमारी ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। देश का हर आम नागरिक इस बीमारी से परेशान है क्योंकि देश का कोई भी सरकारी विभाग अछूता नहीं रहा, जहाँ यह बीमारी न हो।

म.प्र. के लोकायुक्त जस्टिस फैजानुद्दीन ने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा था- 'दुर्भाग्य है कि हमारी शासन प्रणाली में उच्च पदस्थ लोगों को बचाने की बात आम है। ऐसी स्थिति में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे रूक सकता है। लोकायुक्त की उक्त टिप्पणी सरकारी संस्थानों की स्थिति जाहिर करती है। आधुनिक युग में रिश्वत लेने और देने के नये-नये तरीके ढूँढ निकाले गये है।'

निष्कर्ष- उर्पयुक्त अध्ययन से यह पता चलता है कि महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को सूचना के अधिकार की जानकारी है तथा वे इस अधिकार का उपयोग करके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में अपनी सहभागिता दे रहे है। युवा होने के नाते वे भावी राष्ट्र निर्माता है। आने वाले समय में हम उनसे उम्मीद कर सकते है कि वे स्वस्थ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. नीरज कुमार - 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' प्रकाशक-भारत लॉ हाउस प्रायवेट लिमिटेड तृतीय संकरण 2011
2. डॉ. द्विवेदी, - 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'
3. डॉ. राधेश्याम - प्रकाशक- सुविधा लॉ हॉउस, 7 वॉ संस्करण 2010
4. चौधरी, डॉ. रामनरेश- 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' प्रकाशक- ईस्टन बुक कम्पनी, प्रथम संस्करण 2013
5. आलम, अफरोज - 'सूचना का अधिकार' ळ. प्रकाशक- जमाते इस्लामी हिन्द 2010
6. Tolia, R.S. - "A Practical Guide to the Right to Information Act", Publisher-Natraj Publisher 2006
7. Verma, DR. R.K. Anuradha - "Right to Information Law and Practice" Publisher-Texman 2010

****

19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का एक अध्ययन

डॉ. गीता सिंह * सुमन चौधरी * *

प्रस्तावना – स्त्री समाज की आधार शिला है। स्त्री व पुरूष दोनों मिलकर ही समाज का निर्माण करते है । स्त्रियों की उन्नति व अवनति का इतिहास सम्पूर्ण समाज के उन्नति एवं अवनति का इतिहास कहलाता है । भारतीय इतिहास में विभिन्न कालों में स्त्री के विकास, उसकी उन्नति अवनति , उसके संघर्ष, उसको प्राप्त अधिकार, उस पर लगने वाले प्रतिबंधो की एक लम्बी कहानी है जो विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति को दर्शाती है । मनु स्मृति का कथन ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' प्राचीन काल तक ही व्यवहार में था। मध्य काल के आते आते समाज में अनेक कुप्रथाओं के घर कर जाने के कारण स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई।[1]

मध्यकाल में महिलायों की स्थिति – 12 वीं से 18 वीं शताब्दी तक का समय मध्य काल माना जाता है । मध्य काल तक स्त्री का आदेश व मान शाब्दिक रूप में ही सीमिति रह गया था, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। स्त्री का माता के रूप में पूर्ण सम्मान किया जाता था। माता को गुरु से भी ऊँचा दर्जा दिया जाता था।[2] वीर पुरुष स्त्रियों के सम्मान के लिए युद्ध को तत्पर रहते थे। वे पराई स्त्री को अपमानित करना सिद्धान्त विरोधी मानते थे।[3] इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। इससे बहु विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला।[4] नर्तकियों गणिकाओं व देवदासीयों की बडी संख्या समाज में मौजूद थी। विधवा पुनर्विवाह को अपमानजनक माना जाता था। विधवा होकर अनेक मानसिक व सांसारिक कष्टों के साथ जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा विधवाऐं सती होना बेहतर समझने लगी थी।[5] समाज में सती प्रथा को बहुत महिमा मण्डित किया गया। स्त्रियों का सती होना उनके तीन कुलों माता–पिता व भाई को तारने वाला माना जाने लगा।[6] इस काल में पर्दा प्रथा भी चरम पर थी। पर्दा प्रथा का आधार यह विश्वास था कि स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का मुख न देखना चाहिये न ही अपना मुख उसे दिखाना चाहिये।[7] आक्रमणकारियों की नजरों से बचना भी इस प्रथा का उद्देश्य था। पहले यह प्रथा सिर्फ राज परिवारों तक सीमित थी, धीरे– धीरे पूरे समाज में इस प्रथा ने अपनी जगह बना ली।[8]

19 वीं सदी में महिलाओं की स्थिति – हिन्दू स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध मध्यकाल से लगने शुरू हो गए थे जो 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक समाज के सभी क्षेत्रों में फैल गए जिससे महिलाओं की पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रों में स्थिति गौण होती चली गई।

पारिवारिक क्षेत्र –परिवार का मुखिया पुरुष होता था सारे अधिकार व शक्तियाँ उसी के पास सुरक्षित थे। स्त्रियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उसका कार्य घर–गृहस्थी देखना, सन्तानों उत्पति व लालन–पालन, सास–ससुर, गुरुजनों व मेहमानों की सेवा करना, घर के पशुओं की देखभाल करना मात्र था। बाल–विवाह हो जाता था, विवाह–विच्छेद का अधिकार नहीं था। पति चाहे दुर्गणी हो, पत्नी को उसी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवा विवाह निषेध हो गया था। विधवाओं की स्थिति करूणामय थी। बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन था।[9]

सामाजिक क्षेत्र – पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण महिलाओं को औपचारिक शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। बाल विवाह के कारण कन्याऐं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। पर्दा प्रथा के कारण समाज में महिलाओं के कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध था उन्हें मेलों, उत्सवों, गोष्ठियों में भाग लेने की छूट नहीं थी।[10]

आर्थिक क्षेत्र – 1937 से पहले स्त्री को आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। पण्णिकर के अनुसार हिन्दु समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया, पत्नी परिवार का अंग तथा विधवा को मृत समान माने जाने लगा। संयुक्त परिवार में विधवा को सम्पत्ति पर अधिकार नहीं था। आर्थिक रूप से पराश्रित होने के कारण पुरुष उनका शोषण करते थे।[11]

स्त्रियों की गिरती दशा के कारण –

ब्राह्मणवाद –ब्राह्मणवाद ने स्त्रियों को एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीकों से शोषण की स्थिति में पहुँचा दिया। धर्म शास्त्र काल में पाराशर संहिता, विष्णु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, मनुस्मृति लिखी गई। उनमें स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाये तथा बाल विवाह को धार्मिक संस्कार बताया गया। सती को आदर्श कृत्य तथा स्त्री को उपभोग की वस्तु बताया गया।[12] मोक्ष व स्वर्ग प्राप्त करने का सहज साधन पति सेवा बताया गया। अनपढ़ व अन्धविश्वासी स्त्रियों ने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर अपनी स्थिति शोचनीय बना ली।

संयुक्त परिवार व्यवस्था –यह प्रथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को गिराने में सहायक सिद्ध हुई। विभिन्न तरीकों तथा व्यवस्थाओं द्वारा स्त्रियों को संयुक्त परिवार में दबाकर रखा जाता था। स्त्रियां इस व्यवस्था का विरोध न कर सके, इसके लिए उसे शिक्षा सें वंचित रखा गया।[13]
संयुक्त परिवार प्रथा स्त्री जाति के ह्रास व शोषण का मुख्य कारण बना।

बाल विवाह –बाल विवाह जैसी कुप्रथा ने कन्या का शारीरिक, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक दृष्टिकोण से विकास रोक दिया। उपनयन संस्कार समाप्त हो गया था, अत: शिक्षा का ह्रास हुआ जिससे स्त्री अपने अधिकारों व चरित्र का विकास करने में असमर्थ हो गई जिससे वह मात्र उपभोग की वस्तु बनकर रह गई।[14] बाल विवाह ने स्त्रियों को सभी प्रकार के नियंत्रण मानने के लिए मजबूर कर दिया।

कन्यादान –स्मृतिकाल तक सम्मानजनक कृत्य माना जाने वाला कन्यादान कालान्तर में स्त्रीयों के लिए अभिशाप बन गया। कम उम्र में विवाह के कारण कन्याऐं अपने होने वाले पति के गुण, दोष, आयु आदि का ज्ञान नहीं कर

* एसोसियेट प्रोफेसर ** शोधार्थी (इतिहास) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) भारत

पाती थी। कम उम्र की कन्याओं का विवाह बड़े वय के पुरुष के साथ कर दिया जाने लगा। जिससे वह उससे अपने मन की बात नहीं कह सकती थी। व पति उसे बच्ची समझ कर उसकी बात को महत्व नहीं देते थे। कन्यादान को महान दान माना गया, अत: पिता शीघ्र अति शीघ्र इस दान को कर मुक्ति पाना चाहते थे।[15]

वैवाहिक कुरीतियाँ –बाल विवाह, कुलीन विवाह, सजातिय विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, बहु पत्नी प्रथा जैसी हिन्दु मान्यताओं के कारण नारी का कन्या, पत्नि तथा विधवा के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहा।[16] सजातिय तथा कुलीन विवाह ने माता–पिता के लिए योग्य वर प्राप्त करने का क्षेत्र सीमित कर दिया। बेमेल विवाह, बाल–विवाह, तथा विधवाओं की समस्याओं ने हिन्दु नारी की धार्मिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में स्थिति दयनीय बना दी।[17]

पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता –स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता ने उसे नि:स्सहाय व पुरुष की दया का पात्र बना दिया। उनका स्वयं का व्यक्तित्व व अस्तित्व नष्ट हो गया। उत्तर वैदिक काल के बाद स्त्री के सम्पत्ति अधिकार भी समाप्त हो गए।[18]

स्त्री शिक्षा की उपेक्षा – शिक्षा के अवसर न मिलने के कारण स्त्रियाँ अशिक्षित, अन्धविश्वासी व रूढ़ीवादी हो गई व अपने अधिकारों के प्रति तटस्थ तथा निष्क्रिय होकर सामाजिक कुरीतियों का अक्षरश: पालन करने लगी।[19]

धार्मिक अधिकारों का हनन –कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए उपनयन होना आवश्यक था, अत: इसके अभाव में स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। धार्मिक क्रियाकलापों में शुद्धता पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, अत: स्त्रियों के मासिक धर्म व उच्चारण की अशुद्धता के कारण उन्हें यज्ञादि से वंचित कर दिया गया।[20]

मुसलमानों का आक्रमण –भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। मुसलमान हिन्दु स्त्रियों से विवाह करने का प्रयास करते थे। उन्हें उठा ले जाते थे। अत: अपनी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये।[21]

19वीं सदी के आरम्भ तक स्त्रियों की दशा दयनीय थी। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारकों व ब्रिटिश सरकार ने कई कानुनों ओर संस्थाओं निमार्ण किया ।

स्त्रियों की दशा को सुधारने में निम्न संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया :–

1. ब्रह्म समाज –1824 में सर विलियम वैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया। बाल विवाह तथा बहु–विवाह आदि की भर्त्सना की। स्त्री शिक्षा प्रसार पर इन्होंने बहुत जोर दिया।[22]
2. आर्य समाज –स्मृतियों के कटु आलोचक महर्षि दयानन्द सरस्वति ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जिसने स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों द्वारा वैदिक रीति से यज्ञ करने का समर्थन किया।[23]
3. थियोसोफिकल सोसायटी – मैडम ब्लोवात्स्की तथा कर्नल आल्काट के प्रयत्नों से 1886 में इसकी स्थापना हुई, जो स्त्रियों में नई जागृति पैदा करने को प्रयत्नरत रही।[24]
4. रामकृष्ण मिशन – इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की इसके द्वारा उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं उनकी स्वतंत्रता पर बल दिया।[25]
5. प्रार्थना समाज –इसेक द्वारा जस्टिस गोविन्द रानाडे ने विधवा पुन: विवाह का समर्थन किया।[26]
6. सर सैयद अहमद खान – 1875 में मोहम्मडन एंग्लो इण्डियन कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चल कर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी बना, इसके द्वारा मुख्यत: मुस्लिम समाज में प्रचलित बाल–विवाह, बहु–विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।[27]

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने भी बिना किसी संस्था की स्थापना के स्त्रियों की दशा सुधारने के यथोचित प्रयास किये तथा बहुत संख्या में विद्यालय खोले।

19वीं शताब्दी में कुरीतियों को रोकने के लिए बनाए गए सरकारी कानून – सतीप्रथा पर रोक – सर विलियम वैटिंग ने 1829 में कानून बनाया परन्तु इसे 1833 में ही लागू किया जा सका।

विधवा पुनर्विवाह कानून – 1856 में बनाया गया।

स्पेशल मैरिज एक्ट– 1872

बाल–विवाह नियंत्रण अधिनियम

बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1872 में कानून 'मैरिज एक्ट' के अन्तर्गत बनाया गया तथा 1929 में 'बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम' पारित हुआ।

अन्तर्जातिय विवाह एक्ट – 1872 में केशवचन्द्र सेन के प्रयास के बना। अन्य जाति में विवाह को मान्यता प्रदान की गई।

सिविल मैरिज एक्ट – इसके द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। लड़के के लिए 18 वर्ष एवं लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई।[28]

विवाहित स्त्री सम्पत्ति संबंधि कानून 1874 में बनाया गया।

कन्या भ्रूण हत्या पर रोक – सर्वप्रथम 1845 में लार्ड डलहौजी ने इस पर रोक लगाई। परन्तु 1856 में सरकारी कानून बनाकर इसे कानूनन अपराध घोषित किया गया।

निष्कर्ष – प्राचीन काल में नारी को समाज में गोरवमय स्थान प्राप्त था । मध्यकाल आते आते समाज में स्त्रियों का स्थान व स्थिति गौण हो चुकी थी। 19वीं सदी के आरम्भ तक बाल विवाह, बहू विवाह , विधवाओं की दुर्दशा कन्यावर्ध भ्रूणहत्या अशिक्षा सतीप्रथा दहेजप्रथा आदि अनेक कुप्रथाओं से सम्पूर्ण नारी जाति पीडित थी। 19वीं सदी के लोगों में कुछ जागरूकता आने के कारण धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलनों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भी इन कुप्रथाओं पर अकुंश लाने के लिए समाज सुधारकों के साथ मिलकर कुछ संस्थाओं का निर्माण किया व कुछ नियम बना कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार का प्रयास किया । जिस से धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति में सुधार होता चला गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ओझा जी.एच.– 'ओझा निबंध संग्रह' भाग 1, पृ. 42, विद्यापीठ उदयपुर, 1959
2.. मिश्र उर्मिला प्रकाश– प्राचीन भारत में नारी पृ. 88, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2002
3. मजूमदार आर.सी.– 'हिन्दुवर्क्सन टू मुस्लिम इनवर्सन कामन्टेटर', पृ.341–51, पोद्दार, डी.पी. पब्लिशड्, जयपुर, 1973
4. शर्मा दशरथ – 'राजस्थान थ्रु द एजेज', पृत्र 451, जयपुर 1969

5. शर्मा रजंनीकान्त- अल्बेरूनी का भारत, भाग 3 पृ. 199 आदर्श हिन्दी पुस्तकालय इलाहाबाद 1967
6. मिश्र जयशंकर - 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास , पृ. 366, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना, 1986
7. पाणिनी आस्थाध्याय - 3.2.36, रामायण 2.33.8, मिश्र जयशंकर- 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', पृ. 369, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1986
8. ओझा जी.एच.- 'ओझा निबंध संग्रह', भाग-1, पृ. 41, विद्यापीठ उदयपुर, 1959
9. शर्मा जी.एन.- 'सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान', पृ. 235, जयपुर, 1972
10. मिश्र उर्मिला प्रकाश- प्राचीन भारत में नारी पृ. 107, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2002
11. मिश्र जयशंकर - 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', पृ. 369, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना, 1986
12. अल्तेकर ए.एस.- 'पोजिशन ऑफ वुमैन इन हिन्दु सिविलाइजेशन', पृ.112, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय 1938, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी-II, 1978
13. शर्मा जी.एन.- 'सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान', पृ. 142, जयपुर, 1972
14. मेवाड़ गजिटियर-पृ. 220ए 1901, राजस्थान अभिलेखागार उदयपुर।
15. शैपर्ड जी.सी.- 'शैपर्ड ऑफ उदयपुर', पृ. 205-225, लंदन 1926
16. अरोड़ा शशि - 'राजस्थान में नारी की स्थिति' पृत्र 63, बीकानेर 1981
17. शर्मा दशरथ- 'राजस्थान थ्रु द एजेज', 1969, जयपुर, पृ. 135-138
18. ओझा जी.एच.- 'ओझा निबंध संग्रह', भाग-1, पृ.35, विद्यापीठ उदयपुर, 1959
19. माथुर कमलेश- 'मेवाड़ में स्त्री शिक्षा का विकास', पृ. 152
20. सिंहल लता- 'भारतीय संस्कृति में नारी', पृ. 133, श्री अरविंद मंदिर, दिल्ली 1991
21. शर्मा जी.एन.- 'सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान', पृ. 78, जयपुर, 1972
22. गौड़ मीना- 'सती एण्ड सोशल रिफार्मर इन इंडिया', पृ. 57, जयपुर 1998
23. यादव संतोष- 'उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति , पृ. 166-73, उदयपुर, 1978
24. यादव संतोष- 'उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति , पृ. 183, उदयपुर, 1978
25. वर्मा जी.सी.- 'हिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन इन राजस्थान' पृ. 214
26. इनगहम के.- 'रिफार्मर इन इन्डिया 1956' , पृ. 154
27. शौसम्भ एन.वी.- 'चेन्जिंग रोल एण्ड स्टेटस ऑफ इन्डियन वुमैनहुड', (प्रोग्रेस ऑफ वुमैन एज्यूकेशन इन फ्री इंडिया), पृ. 221
28. शौसम्भ एन.वी.- 'चेन्जिंग रोल एण्ड स्टेटस ऑफ इन्डियन वुमैनहुड', (प्रोग्रेस ऑफ वुमैन एज्यूकेशन इन फ्री इंडिया), पृ. 222

****

जैव विविधता में ह्रास एवं नियंत्रण

डॉ. सुनीता शुक्ला *

शोध सारांश – वन्य जीव हमारे जैवमण्डल (Bioshere) के अभिन्न अंग है, अतः उनकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का वहीं महत्व है जो जैवमण्डल की अन्य इकाइयों, घटकों या कारकों का हो सकता है, पृथ्वी कीजैविक सम्पदा अपनी विविधता में अत्यंत प्रचुर तथा विपुल है। आंकलन की दृष्टि से वन्य पादपों तथा प्राणियों की संख्या 50 लाख से भी अधिक है। मानव तो इनमें से केवल एक मात्र है। किन्तु पृथ्वी क पर्यावरण विशेषकर इसके जैविक अंश को परिवर्तित करने की अपनी भारी क्षमता के कारण, उसने अन्य जीव जातियों का विनाश करके तबाही मचा दी है और एक गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है इसके साथ मनुष्य ने कुछ नवीन विविधताओं को जन्म भी दिया है, जैसे उसने फसलों और फसलो तथा पशुओं की अनेकानेक नई प्रजातियां (Varieties) को खोजा और उनका उपयोग किया, किन्तु ये किस्में भी एकधान्य कृषि (Monculture) तथा आधुनिक कृषि से निरंतर दबाव में है।

शब्द कुंजी – ● जैव मण्डल – पृथ्वी के चारों तरफ लिपटा विभिन्न गैसों का एक आवरण।
- जैव विविधता – जंगली तथा पालतू दोनों को मिलकर अधिकांश मानव के लिए भोजन व पोषण, औषधियों कपड़ा तथा मकान निर्माण के लिए उपलब्ध साधन।
- संवहनी फ्लोरा – उत्कृष्ट वनस्पति है, इसके अन्तर्गत 15 हजार जातियां है।
- जैव विविधता में ह्रास – जीव जन्तुओं के विलुप्त या संकटग्रस्त होने के कारण।
- अवैध आखेट – उपयोगी जंतुओं तथा कीमती वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हाथी दांत, शेर, बाघ, हिरण आदि का शिकार।
- वन्य जीवन प्रबंधन – वनों का विनाश रोकना।

प्रस्तावना – जैव मण्डल या बायोस्फिर, पृथ्वी के चारों तरफ लिपटा विभिन्न गैसों का एक ऐसा आवरण है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है, इसमें लाखों प्रकार के पेंड़-पौधे, जीव-जन्तु, मनुष्य, नदियाँ, झीलें, सागर, पर्वत और ऐसी प्रत्येक वस्तु आ जाती है, जिसकी पहचान मानव ने अपने ज्ञान-विज्ञान के आधार पर कर ली है, इसी जैवमण्डल में प्रकृति के समस्त जीवित व निर्जीव, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं और पदार्थो के मध्य एक आदर्श संतुलन स्थापित रहता है, इसे पारिस्थितिक संतुलन (Ecokogical balance) कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन-चक्रों के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए यह अनिवार्य है कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे इस प्राकृतिक संतुलन के डगमगा जाने से जीवों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

जैव विविधता, जंगली तथा पालतू (Domesticated), दोनों को मिलाकर, अधिकांश मानव के लिए भोजन व पोषण, औषधियों कपड़ों तथा मकान निर्माण के लिए साधन उपलब्ध कराती रही है। इसके साथ ही यह व्यापक सांस्कृतिक विविधता तथा अधिकांश बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा का स्त्रोत भी रही है। निस्संदेह, जैव-विविधता मानव जीवन का नितांत आधार है. इसीलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जो राष्ट्रीय तथा भू-मण्डलीय प्रयासों से ही संभव हो सकेगा। आज इसका संरक्षण इसलिए भी आवश्यक हो गया क्योंकि जनसंख्या में तेजी से ही वृद्धि के साथ ही पर्यावरण में मानव की भूमिका अत्यंत विध्वंसक हो गई है. वह अपनी लिप्सा और भोगवादी संस्कृति के कारण व्यापक रूप से जैव-विविधता के विनाश की ओर सक्रिय है।

भारत में जैव-विविधता– पेड़-पौधे (Flor) – भारत में उष्ण से लेकर उत्तर-ध्रुवीय जलवायु तक सभी प्रकार की जलवायु होने के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो समान आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती है, भारत को आठ वनस्पति क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिन्धु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिण क्षेत्र, मालाबार और अंडमान व निकोबार। भारत वन सम्पदा की दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न देश है. यहाँ पेंड-पौधों की अनुमानत: 45,000 जातियाँ पाई जाती है. संवहनी फ्लोरा (Vascular Flora) जो कि उत्कृष्ट वनस्पति है, के अंतर्गत 15,000 जातियाँ है, इनमें से 35 प्रतिशत जातियाँ देशज (स्थानीय) है, जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है। देश की वनस्पति सम्पदा में न कवक (Algae and Fungi) भी शामिल है।

जीव-जन्तु(Faun**)–** जलवायु और प्राकृतिक दशाओं की व्यापक भिन्नता के कारण भारत में लगभग 75,000 जाति के जीव-जन्तु पाए जाते है. इनमें 2,500 किस्म की मछलियाँ, 150 किस्म के उभयचारी, 450 किस्म के सरीसृप, 2,000 किस्म के पक्षी और 850 किस्म के स्तनपायी शामिल है, शेष किस्में अकशेरूकियों (Invertebrate) की हैं, जिनमें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कीट, मोल्यूस और पर्पटीय शामिल है।

स्तनपायी जानवरों में भारत में चिरकाल में पौराणिक कथाओं और राजसी ठाट-बाट से सम्बद्ध हाथी, गौर या भारतीय बाइसन, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा मृग(जो केवल कच्छ के रन मे पाया जाता है और विशालकाय एक सींग वाला गैंडा शामिल है। विभिन्न जातियों के मृग, जैसे-दुर्लभ कश्मीरी बारहसिंघा मृग, दलदली मृग, चित्तीदार मृग, कस्तूरी मृग धामिन (जो अब केवल मणिपुर मे ही पाया जाता है,) मूषक मृग इत्यादि भारत में मिलते है। शिकारी पशुओं में भारतीय सिंह विशिष्ट है, जो अफ्रीका के अतिरिक्त संसार में केवल भारत में ही पाया जाता है। बिल्ली-जाति की अन्य किस्मों मे तेंदुआ, हिम तेंदुआ और अनेक प्रकार की छोटी बिल्लियाँ शाामिल है। अनेक प्रकार के बंदर और लंगूर सामान्य रूप से मिलते है। हूलोक नामक विशाल बंदर केवल पूर्वी क्षेत्र के वर्षा वाले जंगलों में ही पाया जाता है।

शेर जैसी आयल और पूंछ वाले बंदर केवल दक्षिण में ही मिलते है। भारत में अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे पक्षी मिलते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी, जैसे-तीतर, बतख, मुर्गियाँ, मैना, लम्बी पूँछ वाले छोटे तोते, कबूतर, सारस और

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

बगुले, लम्बी चोंच वाले पक्षी और अत्यधिक लाल रंग के पक्षी जंगलों में और नमी वाली भूमि में पाए जाते है।

नदियों और झीलों मे मगरमच्छ और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल केवल भारत में ही मिलता है। पश्चिमी तट के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के खारे पानी में मगरमच्छ पाये जाते है। सन् 1974 में शुरू की गई, मगरमच्छ पालन योजना से मगरमच्छों की नस्ल समाप्त होने से बचाई गई। विभिन्न राज्यों में मगरमच्छ-पालन तथा उनको नैसर्गिक स्थानों में छोड़ने के लिए 12 योजनाएं चलाई जा रही है। विशाल हिमालय क्षेत्र में अत्यंत आकर्षक जीव-जन्तु है, जिनमें जंगली भेंड और जंगली बकरे तथा बकरियाँ, लम्बे सींग वाली जंगली बकरी, छछूंदर और टपीर शामिल हैं। पांडा और हिम तेंदुआ ऊँचे पहाड़ी स्थानों पर ही पाए जाते हैं। देश के जीव-जंतुओं के बारे में अध्ययन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग करता है जो **'फौना ऑफ इण्डिया'** का प्रकाशन करता है, विभाग ने भारत के जीव-जंतुओ से संबंधित पुस्तकें भी प्रकाशित की है, अब तक इसके 127 खण्ड प्रकाशित हो चुके है।

वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू और कश्मीर को छोडकर (जिसका अपना अलग अधिनियम है) सभी राज्यों में लागू है। यह कानून वन्य प्राणियों का संरक्षण करता है और वन क्षेत्र के अंदर तथा बाहर के ऐसे वन्य प्राणियों को, जिनकी नस्ल समाप्त होने की आशंका है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत दुर्लभ और लुप्तप्राय: नस्लों के वन्य जीवों का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया है। भारत अब समाप्त प्राय: जीव-जंतुओं और पेंड़-पौधों की नस्लों से संबंधित 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन' का सदस्य है. इस सम्मेलन के अनुसार पेंड़-पौधों और जीव-जंतुओ की समाप्तप्राय: नस्लों के आयात-निर्यात पर कठोर नियंत्रण है तथा उन नस्लों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध है।

जैव-विविधता में ह्रास के कारण- जीव-जंतुओ के विलुप्त होने या संकटग्रस्त होने के अनेक कारण है। इन कारणों को दो वर्गो में बाँटा जा सकता है -

(अ) प्राकृतिक कारण (ब) मानवजनित (Man-made) कारण

(अ) प्राकृतिक कारण - ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन (Landslides) वनों में लगने वाली व्यापक आग (दावानल), सूखा व बाढ़ महामारियाँ (Epidemic) जीव-जातियों में परस्पर प्रतियोगिता, कम प्रजनन क्षमता, धीमी वृद्धि दर, पुनर्जनन आदि।

(ब) मानवजनित कारण - इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कारण आते है:

1. प्राकृतिक आवासों (Natural habitats) का जनबूझकर विनाश- वनों का बाँध निर्माण, कृत्रिम झीलों व जलाशयों का निर्माण, आखनन, आग लगाना, पर्यटन केन्द्र का विकास, होटल निर्माण, रेलमार्ग व सड़कों का बनना आदि।
2. 'प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण'
3. प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक परिवर्तन-औद्योगिक संयंत्र की स्थापना, पेस्टी-साडडों का छिडकाव, प्रदुषणों का फैलाव।
4. अवैध आखेट (Illegal hunting) अनेक जंतुओं से उपयोगी तथा कीमती वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, जैसे-हाथी-दाँत, शेर, बाघ, हिरनों, मृगों, साँपों व अजगरों की खालों, फर वाले जंतुओ से फर आदि।
5. अतिचारण (Ovrt grazing) तथा अल्पचारण।
6. अतिशोषण (Over expoitation) पौधों का उनकी औषधीय तथा अन्य विशेषताओं के लिए भारी संख्या में एकत्रित करना।
7. प्राकृतिक आवासों में विदेशी या नई जातियों को प्रवेश कराना।

5. जैव-विविधता में ह्रास का नियन्त्रण: वन्य जीवों का संरक्षण- जैव-विविधता का समुचित संरक्षण वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। समय के साथ-साथ अनेक जीव-जातियाँ विलुप्त हो गई और कुछ अन्य जातियाँ संकटग्रस्त है और विलुप्त होने के कगार पर है। मानवजनित (Anthropogenic) संकटों को कम करके कुछ जातियों का विलोपन से बचाया जा सकता है, किन्तु विलुप्तीकरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्राकृतिक विकास की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। संरक्षण की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित है -

(अ) स्वस्थाने संरक्षण (In situ conservation)

(ब) सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क

(स) जैवमण्डल आरक्षित स्थानों की स्थापना

जैव-मण्डल आरक्षित स्थानों का नेटवर्क स्थापित करने का कार्यक्रम 'मानव एवं जैवमण्डल' 1971 में यूनेस्को ने प्रारंभ किया था। इस विश्वव्यापी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है -

1. पारितंत्रों के प्रतिनिधि नमूनों का संरक्षण
2. आनुवंशिक विविधता को लम्बी अवधि का स्वस्थाने संरक्षण प्रदान करना
3. मूलभूत एवं अनुप्रयोग अनुसंधान को सुविधाएँ उपलब्ध कराना
4. शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराना
5. जीवित आरक्षितों को उचित वहनीय प्रबंध (Sustainable Managemnet) प्रदान करना
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

6. अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास - विश्व संरक्षण मॉनीटरिंग केन्द्र (The World Conservation Monitoring Centre) ने हाल ही में एक ऐसी सूची प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि कौन सी जीव-जाति कहाँ पाई जाती है और इसमें उन विशेष स्थानों का उल्लेख है, जहाँ प्रचुर जैव-विविधता है, यह सूची विश्व की आगामी जैवीय-विविधता के संरक्षण प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केन्द्र जैव-विविधता पर एक डेटाबेस (Database) तैयार कर रहा है, जिसके लिए पर्याप्त आँकड़े निम्नलिखित विषयों पर एकत्रित किए जा रहे है -

1. पादप एवं प्राणियों की वे सभी जातियाँ जो संरक्षण के महत्व की है। (Threatened) जातियों तथा ऐसी सभी जातियों को मिलाकर जिनका औषधीय और आर्थिक महत्व है।
2. संकटग्रस्त आवासों की स्थिति, उनका वितरण तथा इन आवासों में उच्च जैवीय विविधता वाले स्थल (Spots)।
3. विश्व के अनुरक्षित क्षेत्र-इनकी प्रमुख जातियाँ तथा आवास जो इनमें पाए जाते है और उनमें सुरक्षा के प्रभावी उपाय।
4. वन्य जातियाँ और उनसे प्राप्त उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न और परिणाम (Patern and Volume)।
5. डेटाबेस सूचना को संदर्भ उपलब्ध कराने हेतु एक संरक्षण ग्रंथ सूची को तैयार करना।

निष्कर्ष- वन्य जीवन के ह्रास को रोकने के लिए वन्य प्रबंधन आवश्यक है। वन्य जीवों के संरक्षण एवं सभी वृक्षों के रखरखाव हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है। वनों के विनाश को रोकने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिए। वनों, चारागाहों फसलों, पशुधन या मानव जीवन को वन्यप्राणियों द्वारा होने वाली क्षति का नियंत्रण आवश्यक है, शिकार पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है, इस प्रकार के सभी उपायों द्वारा जैव विविधता को संरक्षण प्राप्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मासिक पत्रिका योजना, अक्टूबर, 2011
2. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, जून 2011
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट - 2011
4. प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर, 1992
5. सामान्य विज्ञान दिग्दर्शन - जैन एवं नाटाणी
6. एम.एल. झिंगन- उच्च आर्थिक सिद्धांत

बैतूल (म.प्र.) में ईको-टूरिज्म की संभावनाऐ

पी.के. मिश्रा * निशा मालवी **

प्रस्तावना – सामान्य रूप से हम पर्यटन को घूमने अथवा मौज मस्ती का एक साधन मात्र मानते है जबकि पर्यटन की प्रथा आदि काल से न केवल भारत बल्कि विश्व में मनुष्य में एक आदत का रूप ले चुकी थी चाहे वह कोलम्बस की यात्रा हो अथवा वास्कोडिगामा की समय-समय पर मनुष्य लम्बी दूरी तक अड़चने सहते हुए साहसिक यात्राऐं करता रहा है। उद्देश्य कुछ भी रहा हो परन्तु यात्राऐं जीवन का एक अभिन्न अंग रही। कोलम्बस ने भारत को खोजने व यहां की प्रसिद्धी को देखने के लिए, यहां के वातावरण से रूबरू होने के लिए महिनों तक समुद्री यात्राऐं की वह भारत तो नहीं पहुंच सका लेकिन अमेरिका की खोज हो गई। ऐसे ही वास्कोडिगामा ने पुर्तगाल से चलकर भारत की खोज की यहां की संस्कृति से दुनियाँ को परिचित कराया, और इस प्रकार इस देश की ख्याति दुनियाँ के अन्य देशों तक पहुंची। प्रारंभ में यात्राऐं व्यापारिक स्वरूप लिए हुए थी अथवा अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए परंतु वर्तमान में यात्राऐं न केवल व्यापारिक उद्देश्य लिए हुए है बल्कि व्यस्ततम जीवन के कुछ पल (मौज-मस्ती) में बिताने के लिए व पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं दक्षिण पूर्व के अनेक देश तो केवल इसीलिए आकर्षण का केन्द्र हैं क्योंकि वहां पर पर्यटन घूमने के अतिरिक्त रोजी रोटी का भी मुख्य साधन हैं। पर्यटकों को लुभाने की उन्होनें अनेक सुविधाए उपलब्ध करा रखी हैं।

पर्यटन का उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है जैसे व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए आदि। चीनी यात्री ह्वेन सांग चीन से भारत के नालंदा विश्वविद्यालय तक केवल यहां के ग्रंथो को देने लिए आया। चूंकि पर्यटन रोजगार का एक साधन भी होता है इसलिए किसी क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को उजागर करने पर पर्यटकों के आवागमन की संभावनाऐं बढ़ जाती हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। पर्यटन की इसी कड़ी में वर्तमान में इको-टूरिज्म की संभावनाऐं बढ़ गई हैं, जो न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि पर्यावरण के लिए उपयोगी भी है। प्रस्तुत दिए उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बैतूल जिला म.प्र. राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित घने जंगलों का एक सुरम्य स्थान है। सतपुड़ा के घने जंगल से घिरा यह जिला अपने में ताप्ती, माचना, देनवा आदि नदियों को समेटे हुए है। यहां के घने जंगल औषधीय पौधो का भंडार है यहां के आदिवासियों की संस्कृति अनूठी है। लगभग 50 इंच वार्षिक औसत वर्ष के ये जंगल अनेक जंगली जानवरों जैसे-हिरण, भालू, बंदर, सियार, खरगोश, चीतल, गौर (बाइसन) को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते है। उत्तर की ओर बोरी अभ्यारण, दक्षिण पूर्व में (सिवनी) पेंच अभ्यारण की स्थापना से इस क्षेत्र का आकर्षण और बढ़ गया है। ईश्वर के प्रति भरपूर आस्था रखने वाले यहां के वासियों ने अनेक मंदिरों, मस्जिदों व गुरूद्धारों की स्थापना की है। दर्शनीय स्थलों में अनेक मंदिर अपना एक अलग स्थान रखते हैं।

जिले में स्थित मंदिर –

मुक्तागिरी जैन मंदिर – यह जिला मुख्यालय से 100 कि.मी. दूर महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित है जो प्राचीन जैन मंदिरों के तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। समय-समय पर विभिन्न जैन मुनियों का व अन्य समुदायों का यहां आवागमन होता रहता है। **मठार देव बाबा मंदिर (सारणी) –** बैतूल जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित शंकर जी का मंदिर स्थापित है। श्रद्धालू वर्ष भर दर्शन हेतु विभिन्न शहरों से यहां आते है। **चंडी दरबार (चिचोली) –** यह बैतूल से 42 कि.मी. दूर स्थित है रविवार तथा बुधवार के दिन श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा सकती है। **गुरूसाहब बाबा की समाधी मलाजपुर (चिचोली) –** यह बैतूल से 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है प्राचीन काल से यह मान्यता है कि यहां माथा टेकने से भूतप्रेत भाग जाते है, तथा यहां की एक और विशेषता यह है कि यहां गुड़ से बच्चों का तुलादान होता हैं बहुत अधिक गुड़ होने पर भी यहां मक्खियों का नामोनिशान नहीं दिखाई देता। **शिवमंदिर (भैंसदेही) –** यह अति प्राचीन शिव मंदिर है जो एक विशेष काले पत्थरों से निर्मित है यह बैतूल जिले मुख्यालय से 60 कि.मी. दूरी पर स्थित है। **सूर्य मंदिर (सूरगांव) –** यह जिले का एक मात्र प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह बैतूल मुख्यालय से 7 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

बालाजी मंदिर (बालाजीपुरम) – बैतूल जिला मुख्यालय से 7 कि.मी. दूर यह एक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है यहां पर वैष्णों माता, बारह ज्योतिर्लिंग मंदिर, नौ ग्रह मंदिर के साथ भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित है। यहां पर्यावरण के संरक्षण हेतु अनेक फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए हैं। **छोटा महादेव मंदिर (भोपाली) –** प्राकृतिक सौन्दर्य लिये हुए भगवान शिवजी का प्रसिद्ध पिंड स्थित है, जो भोपाली के नाम से प्रसिद्ध है। यह बैतूल मुख्यालय से उत्तर पूर्व में 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। यहां विशेष तौर पर आदिवासियों का मेला लगता है। **छावल देवी मंदिर (आमला) –** यह छावल माता का मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहां माताजी की मूर्ति जमीन से प्रकट हुई है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 33 कि.मी. दूरी पर स्थित है। **हनुमान मंदिर (केरपानी)–** जिला मुख्यालय से 22 कि.मी. दूर स्थित हनुमानजी का प्राचीन सिद्ध मंदिर है। **हनुमान मंदिर (हनुमान डोल) –** जिला मुख्यालय से 10 कि.मी. दूरी पर स्थित हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण यह स्थान इकोटूरिज्म के लिए अनेक संभावनाएं समेटे हुये है। **बारहलिंग मंदिर (खेड़ी ताप्ती घाट) –** यह बैतूल जिला मुख्यालय से 18 कि.मी. दूर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां भगवान राम ने वनवास प्रवास के दौरान बारहलिंगों की स्थापना की। यह एक प्राकृतिक दर्शनीय स्थल है जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी व मछलियां पाई जाती हैं।

*प्राणी शास्त्र विभाग **वाणिज्य विभाग, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

यहां वर्षभर दिन का तापमान 18 डिग्री से 26 डिग्री के मध्य रहता है। वर्षाकाल में भारी बारिश एवं शीतकाल में न्यूनतम तापक्रम हो जाना यहां की विशेषता है जिसके कारण अनेक झीलों झरनों पहाड़ों में वर्ष भर जीवजंतुओं की समृद्धि भी देखी जा सकती है। **चिखलार –** बैतूल जिले मुख्यालय से 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित इस स्थान में मनमोहक जलप्रपात है जिसमें लगभग वर्ष भर बहता हुआ पानी रहता है। **घोघरा जलप्रपात –** यह जलप्रपात प्रसिद्ध ताप्ती नदी पर काली चट्टानों के बीच, जो बैतूल जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूरी पर स्थित है। यहां सागौन के घने जंगल हैं व औषधीय पौधे व जंगली जानवर आदि बहुतायत से हैं ।

कुकरू खामला (भैंसदेही) – यह बैतूल जिले का पचमढ़ी कहलाता है। यह कॉफी बागान एवं औषधीय पौधों की विशेष किस्म के लिये प्रसिद्ध है। यह जिला मुख्यालय से 127 कि.मी. दूर स्थित है। **सांपना जलाशय –** जिला मुख्यालय से 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित जलाशय हैं । यहां वाटर बर्ड्स देखी जा सकती है। मत्स्य पालन का यह एक बड़ा केन्द्र हैं, चाइनीज हेचरी के द्वारा मत्स्य उत्पादन यहां कि विशेषता है।

तवा डेम (सारणी) – जिला मुख्यालय से 65 कि.मी. दूरी पर स्थित सतपुडा जलाशय है। इस जलाशय के पानी का उपयोग यहां स्थित सतपुड़ा थर्मल पॉवर प्लांट में विद्युत निर्माण के लिये किया जाता है।

सुझाव – उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जिले में पर्यटन की अनेक संभावनाऐं है, जरूरत है इसे क्रियान्वित करने की। अनेक सामाजिक संस्थाऐं, शैक्षणिक संस्थाऐं, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाऐं यहां है, जिन्हें अगर अतिरिक्त मदद उपलब्ध करायी जाऐ तो इस क्षेत्र को इको-टूरिज्म का एक बड़ा केन्द्र बनाया जा सकता है।

1) जिले के विभिन्न जलप्रपातों के आस-पास रेलिंग लगाकर मचान बनाकर व सुरक्षा प्रदान कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।
2) शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षाविदों को औषधीय पौधों के लिए पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
3) बर्ड वाचिंग न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक आकर्षण होता है जो बैतूल जिले के अनेक स्थानों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। जिले के कुछ स्थानों का चयन कर बर्ड वाचिंग की सुविधायें उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए तो यह रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन भी बन सकता है।
4) सोनाघाटी, मठार देव (सारणी), जैन तीर्थ स्थल (मुक्तागिरी) जैसे धार्मिक स्थानों में रोप-वे की सुविधाऐं उपलब्ध कराने से अनेक पर्यटक इस ओर आकृष्ट होंगे, जो स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगें।
5) चूंकि यहां की आदिवासी संस्कृति समृद्ध हैं, इनसे रूबरू करवाने के लिए अगर शासकीय व अशासकीय संस्थाऐ आगे आऐं तो जिले के बाहर के उत्सुक लोगों को जिले में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता हैं। एक पुरातत्वीय संग्रहालय का निर्माण कराया जाना चाहिए।
6) सांपना, तवा, कोसमी, बुन्ढाला जैसे-जलाशयों में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
7) मत्स्य आखेट हेतु भी अनेक जलाशयों में सुविधाऐं उपलब्ध कराने पर पर्यटक आकर्षित होंगें।
8) जिले के अनेक स्थानों पर टैराकोटा, मैटल वर्क के कार्य किये जाते हैं, जिसके हेतु पर्यटकों को लुभाया जा सकता है।
9) जिले का सामान्य तापमान अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए अनुकूल है, जैसे- रेशम उद्योग, मशरूम उद्योग आदि। अनेक केन्द्र इस दिशा में कार्यरत भी है, यह भी पर्यटकों को जिले में आने के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकते है।
10) संपूर्ण जिला अनेक उंची-उंची सुरम्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्तमान में नवयुवकों में Rock climbing, tracking आदि गतिविधियां, शौक का रूप ले चुकी हैं। ये पहाड़िया उन्हें उनकी साहसिक गतिविधियों के लिए हमेशा आकर्षित करता रहा है। जिला खेलकूद संघ, Youth Hostal Association इस दिशा में कार्य करते रहे है। समय-समय पर इनके आयोजन करने पर युवाओं को आकर्षित किया जा सकता है। पैरा-ग्लाइडिंग भी एक साहसिक व रोमांचक गतिविधि है जो युवाओं को यहां आने के लिए आकर्षित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। जिले में स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर की अनेक खेलकूद प्रतियोगितायें जैसे- फुटबॉल, हॉकी आदि आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी समय-समय पर यहां इन प्रतियोगिताओं हेतु आते हैं, उन्हें भी पर्यटन की सुविधाऐं अगर उपलब्ध कराई जाऐं तो यह जिला भी पर्यटन का एक मुख्य केन्द्र हो सकता हैं। जिले में अनेक इमारतें, किले आदि पुरातत्वीय महत्व के हैं, जिसके देए के लिए इस क्षेत्र के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। चूंकि जिला रेल व सड़क मार्ग से समृद्ध है इसलिए पर्यटकों को यहां आने जाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी और वे इस सुविधा का लाभ सरलता से ले पाएगें ।
11) बैतूल बाजार स्थित कृषि शोध केन्द्र देश में अपना एक अलग एवं विशेष स्थान बनाये हुए है। इसे भी शैक्षणिक भ्रमण व पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सकता हैं।
12) देश विदेश में अनेक स्थान उसकी किसी एक कृति के लिए जाना जाता है जैसे- भोपाल-झीलों की नगरी, मैसूर-चामुण्डा हिल, गांधीनगर-अक्षरधाम, कलकत्ता- हावड़ा ब्रिज, मैसूर(बैंगलोर)- वृंदावन गार्डन, दिल्ली.- इंडिया गेट, खजुराहो- प्राचीन मंदिर, पचमढ़ी अपनी सुंदर वादियों के लिए आदि, ऐसे ही बैतूल के लिए किसी एक कृति का चयन कर इसका प्रचार देश के विभिन्न स्थानों तक किया जाए तो पर्यटन के लिए संभावनायें बढायी जा सकती है।
13) अनेक जल स्त्रोतों के होने के कारण बोटिंग, मोटर बोट, पैरासेलिंग आदि सुविधाऐं देने पर स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ भी होगा।
14) चूकिं औषधीय पौधों का प्रचुर भंडार बैतूल में उपस्थित है, इसलिए औषधीय पौधे एवं इनका शारीरिक रोगों के उपचार में क्या योगदान है के विषय पर व्याख्यान की व्यवस्था भी की जा सकती है जिससे इस क्षेत्र के पर्यटक प्रत्यक्ष रूप से पौधे से रूबरू हो सकते हैं ।
15) वन विभाग विभिन्न दर्शनीय व सुरम्य स्थानों पर (वुडन) कॉटेज बनाकर पर्यटन को बढावा दे सकते है।
16) चंडीगढ़ की तर्ज पर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रॉक गार्डन बना है बैतूल में उपयुक्त स्थान का चयन कर टैराकोटा गार्डन, मैटल आर्ट गार्डन आदि बनाए जा सकते हैं।
17) शिमला में स्थित Potato Research Institute की ही तरह बैतूल में Plant Tissue Culture Lab की स्थापना कर विद्यार्थी पर्यटकों को लुभाया जा सकता है।

18) बैतूल जिला गुड़ उत्पादन में देश में अग्रणी है विभिन्न पद्धतियों से व गन्नों की विभिन्न प्रजातियों से इसका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

19) चूंकि इको-टूरिज्म पाइंट बनाने पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है इसलिए पर्यावरण बचाने का भी हमें ख्याल रखना होगा। पर्यटकों के लिए पार्किंग स्थल, अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण की व्यवस्था जैसे कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी कुछ विशिष्ट स्थानों के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता हेतु Entry Ticket की व्यवस्था भी उपयोगी सिद्ध होगी।

20) जंगली अथवा पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह पर पर्यटकों के लिए सावधानियां बरतने हेतु फ्लैक्स अथवा बोर्ड लगाए जाने होगें।

21) बैतूल शहर में स्थित (FGTS) वन विद्यालय में टैराकोटा, क्ले, फाइवर, वुडन आदि से बनी जंगली जानवरों की कृतियां व उनका विस्तृत वर्णन की व्यवस्था करने पर इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले पर्यटक आकर्षित होगें। यहीं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के द्वारा पर्यटकों को पर्यावरण बचाने के उपायों से अवगत कराया जा सकता है।

22) कुकरू खामला, चिखलार, घोघरा आदि स्थानों पर शीत ऋतु में कैम्प फायर के द्वारा मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

23) बैतूल जिले में सर्पों की अनेक प्रजाजियां पाई जाती है इसके लिए एक स्नेक गार्डन की स्थापना की जाए जो की भविष्य में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

24) जियोग्राफिकल गार्डन की स्थापना कर अन्य जिलों व प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को यहां आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। जहां देश विदेश के भू-गर्भ शास्त्र से पर्यटक लाभांवित होगें।

25) जिले में फेब्रिकेशन का कार्य उत्कृष्टता लिए हुए है यहां पर स्क्रेप से अनेक स्क्रेप आर्ट बनाए जा सकते है जो न केवल शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने पर इसकी सुंदरता बढ़ाऐगें साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bandoni A.I. 1976 Survey of Argentine Medicinal Plants. Folklore and Phytochemical Screening -11. Economic Botany 30,161-185.
2. Employment News 15-21 Feb- 2014
3. M.P. Eco-Tourisum Devlopment Board Website- www.mpecotourisum.org
4. Medicinal Plant- Dwivedi, S & Amrita- 1993-Medicinal Plant With Antiplate Activity Indian Drugs 30,539-48.
5. www.touristlink.com.

बालाजी (मंदिर बालाजीपुरम)

हनुमान मंदिर (केरपानी)

मठारदेव मंदिर (सारनी)

सांपना जलाशय

सांपना जलाशय

तवा डेम (सारनी)

नागेश्वर-मंदिर - बड़वाह

डॉ. मंगला ठाकुर *

प्रस्तावना – बड़वाह की मानचित्र में भौगोलिक स्थिति 22° 15'' उत्तर तथा 76° 02'' पूर्व हैं।[1] मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी पतित पावनी नर्मदा के उत्तर पूर्वी छोर पर मात्र 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित यह नगर बड़वाह, इन्दौर और खण्डवा मार्ग पर लगभग समान दूरी पर हैं। यहॉ ब्रिटिश-होलकर कालीन अजमेर-खण्डवा मीटर गेज रेल्वे लाईन यहॉ से गुजरती हैं।

बड़वाह नगर पर प्रकृति ने अपनी सभी घटाओं को बिखेरा हैं। दक्षिण में 3 किमी. की दूरी पर नर्मदा नदी, पूर्व में चोरल एवं बड़ाली नदी, उत्तर में विन्ध्य पर्वत श्रृंखला, सघन वन, झरने, जंगली पशु-पक्षियों से युक्त हैं। इन्दिरा सागर, ओंकारेश्वर बॉधों ने तो पूर्व-पश्चिम निमाड़ में नहरो का जाल बिछा दिया हैं।

नगर के पूर्व दिशा में पुराने बड़वाह (प्राचीन बस्ती) में बड़ाली नदी के समीप नागेश्वर कुण्ड एवं मन्दिर, बड़वाह की पहचान बनाते हैं। इस नगर को भूतभावन भगवान- 'नागेश्वर' की नगरी के नाम से जाना जाता है।[2]

नगर के आराध्य देव नागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर का इतिहास सैंकड़ो वर्ष पुराना है। यहॉ पर विराजित शिवलिंग स्वयम्-भू हैं, और इस प्रकार के शिवलिंग में कृत्रिम चिकनी पिण्डाकार बनावट एवं नाग, जनेऊ इत्यादि के निशान मौजूद नहीं हैं, बल्कि असमतल है।

ऐसी किवदन्ती हैं कि पॉच-छः सौ वर्ष पूर्व ऊॅची-नीची पहाड़ियों के मध्य यहॉ एक गढ़ढ़े में चरवाहे को शिवलिंग के दर्शन हुए थे, तभी से एक सन्त नियमित पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक किया। उन तपस्वी संत की शिवलिंग में अगाध श्रृद्धा से वे प्रतिदिन नर्मदाजी स्नान के लिए जाते और वहॉ से जलभरकर लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे। यह क्रम अनवरत बरसों चलता रहा। संत ने वृद्धावस्था में भी शरीरिक दुर्बलता के चलते अनेक कष्ट सहकर भी नर्मदा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करना जारी रखा। एक बार अत्यंत रूग्ण अवस्था में वे नर्मदाजी गये तब नर्मदाजी वहॉ प्रगट हुई और सन्त से बोली - 'अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं हैं, मैं स्वयं ही शिवलिंग के समीप प्रकट हो जाउँगी, जहॉ से आप स्नान और जलाभिषेक दोनो कर सकते हो।'

संत ने उनसे पूछा - 'मॉ, मैं कैसे समझूगॉ कि आप ही वहॉ विराजित हुई होय' तब मॉ रेवा ने कहा कि-'बेटा तुम तुम्हारी लाठी यहॉ मुझ में प्रवाहित कर दो, वहीं तुम्हे मिलेगी और इसमें हीरें भी मिलेगें।'

कुछ दिनों बाद शिवलिंग के निकट एक जलधारा प्रस्फुटित हुई उसी में से वह लाठी भी निकली, जिसे एक ग्वाले ने उठाकर रख ली। संत ने जब ग्वाले से अपनी लाठी मांगी तो विवाद बढ़ने के स्थिति में दोनों तत्कालीन राणा शासक के पास पहुॅचा, जिन्होनें लाठी के स्वामित्व के लिए साक्ष्य सबूत मांगें। ग्वाला तो सबूत दे नहीं सका किन्तु संत ने इस लाठी में हीरें होने की बात कही और जब संत की लाठी की मूठ खोली गई तो उसमें से हीरें निकले। इस तरह संत की सच्चाई पर राणाजी ने संत को लाठी लौटा दी। प्रारंभ में शिवलिंग पर एक मढ़िया थी, किन्तु बाद में वहॉ मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के शिवलिंग में सदैव चैतन्य नाग-नागिन का जोड़ा लिपटा रहता था। इसलिए इस मंदिर को 'नागेश्वर' नाम दिया गया।[3]

मन्दिर का पूरा परिसर 125 X 125 का आयताकार हैं। जहॉ पहुॅचने के लिये 30 सीढ़ियॉ उतरनी पड़ती हैं। परवर्ती होल्कर शासकों ने पूरे परिसर को किलेनुमा अभेद्य दीवारों से सुरक्षित कर दिया हैं।[4] मंदिर में विराजित शिवजी एवं कुण्ड के दर्शन बिना नीचे जाये, ऊपर से भी किये जा सकते हैं। मंदिर के चारों ओर भग्नावेश में दीप स्तंभ आज भी अपने होने की गवाही देते हैं।

नागेश्वर के कुण्ड को गौ-मुखाकार बनाया गया था जहॉ से स्वच्छ, शीतल और मीठा जल सदैव बहता रहता था। चारों दिशा से मंदिर में प्रवेश के लिये चार पुलियॉ लगाई गई हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि चार कुण्ड हैं जबकि कुण्ड एक ही हैं।

मुख्य शिव मंदिर पश्चिमोमुखी होकर नागर शैली में निर्मित हैं। मंदिर का निर्माण काले पत्थरो से किया गया हैं। मण्डप में नन्दी विराजित हैं। ड्योढ़ी बहुत भारी एवं अलंकरणयुक्त चौरस हैं यहॉ यक्ष-यक्षिणियों एवं द्वारपालों की सुन्दर प्रतिमाऐं उकेरी हुई हैं वही ऊपर शिव परिवार के प्रथम पूज्य गणेशजी स्थापित हैं। ये मंदिर वर्गाकार हैं। मंदिर की जंघाऐं पंचरथी हैं, जिनमें विविध देवी-देवताओं की भग्न मूर्तियॉ हैं। प्रत्येक भूजा के बीच से प्रक्षेप निकलकर क्रमशः ऊपर तक चला गया हैं। शिखर पर खड़ी रेखाऐं हैं, इसें रेखीय शिखर भी कह सकते है। शीर्षभाग आमलक रूपी हैं। गर्भगृह में शिवलिंग के ठीक सामने गवाक्ष में देवी पार्वती एवं दक्षिण दिशा में कार्तिकेय की प्रतिमा हैं।

देवी अहिल्या के आराध्य देव, भूत-भावन भगवान शिवजी का मंदिर होने से मातुश्री यहॉ विशेष अवसरों पर दर्शन करने हेतू आया करती थी। 1783 मे मार्गशीष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी माता अहिल्या देवी का यहॉ दर्शनार्थ अपनी तत्कालीन राजधानी महेश्वर से आई थी।[5] उन्होनें भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।[6]

मंदिर के उत्तर मे दिशा बायी ओर गणेश मंदिर तथा दक्षिण दिशा मे हनुमान मंदिर भी बनाये गये। नागेश्वर मन्दिर के पीछे पूर्व दिशा वाली परकोटे की दीवार पर दूसरी और गौ-मुख बना था जहॉ से कुण्ड के स्तर को बनाये रखते हुए अतिरिक्त पानी मंदिर के पीछे बहने वाली बड़ाली नदी मे छोड़ने की व्यवस्था की हुई थी। जिससे नदी भी जीवंत अवस्था में वर्षभर पानी से लबालब रहती थी।

बड़वाहवासी श्रृद्धालु जो स्नान के लिये नर्मदा तट नहीं जा सकते थे, वे प्रतिदिन, पर्व एवं त्यौहारों पर गौ-मुख से निकले नर्मदा जल से स्नान कर लिया करते थे। इस कुण्ड का महत्व इतना अधिक था कि नर्मदा परिक्रमावासी अपनी पुरानी परम्परा का निर्वाह करते हुए आज भी इस मंदिर की परिक्रमा करे बिना नहीं जाते हैं।[7]

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

मुख्य मंदिर के बाहर चार शिवलिंग हैं जिसमें से प्रथम–कुबेर भण्डारी लक्ष्मीजी की आसीम कृपा प्रदान करने वाले, द्वितीय–ऋणमुक्तेश्वर की अपने समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिये, तृतीय–रामेश्वरम् की अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हेतू एवम् चतुर्थ घृष्णेश्वर नामक लिंग की स्थापना जीवन–मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात अंतिम चतुष्टय पुरूषार्थो में से सबसे महत्पूर्ण पुरूषार्थ मोक्ष प्राप्ति की कामना पूर्ति हेतू किये गये हैं।

मन्दिर के पुजारीन सुश्री रेखा गोस्वामी भारती हैं, जो इस वंश परम्परा की 12वी पीढ़ी हैं। इसी कुण्ड के जल से सन् 1985 तक पेयजल वितरण व्यवस्था हेतू नगरपालिका निगम द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के परिसर सहित सम्पूर्ण बड़वाह नगर को जल वितरित किया जाता था। मंदिर पुजारी श्रीहरीदासजी भारती के समय 25–30 वर्ष पूर्व तक मंन्दिर के प्राकृतिक जलधारा पूरी तरह बंद हो गई हैं। संभवत: कम बरसात एवं ट्यूबवेल और नलकूपों के अत्यधिक उत्खनन से भूमिगत जलस्तर कम हो गया हैं। जिससे मंदिर ने अपना प्राचीन वैभव खो दिया था। किन्तु 2008 से 2011 के मध्य नगरपालिका प्रशासन एवं विधायक निधि से मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य हेतू जलकुण्डों को भरने की व्यवस्था, फव्वारों का चलना इत्यादि व्यवस्था की, जिससे मंदिर ने पुन: अपना लौटा हुआ वैभव प्राप्त कर लिया हैं। प्रति श्रावण मास एवं हर सोमवार को यहॉ नाग–नागिन के जोड़ों के साक्षात् दर्शन होते हैं, जो अपने ईष्ट के नाम –'नागेश्वर' को सार्थक करते हैं। हमारे एवं कई लोगों के द्वारा आज भी नाग–नागिन का जोड़ा भूत–भावन भगवान नागेश्वर पर लिपटा हुआ देखा गया हैं, जो शायद किस्मत वालों को ही ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार महादेव बड़वाह मे आज भी अपने नाम नागेश्वर की महिमा, गरिमा बनाये हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पश्चिम निमाड़ स्टेट गजेटियर – पृ. 432।
2. पश्चिम निमाड़ स्टेट गजेटियर – पृ. 433।
3. जनश्रुति एवं मंदिर के पुजारी के कथनानुसार।
4. जनश्रुति एवं मंदिर के पुजारी के कथनानुसार।
5. सांगाती – न.वा. मुल्ले – पृ. 98।
6. सांगाती – न.वा. मुल्ले – पृ. 90।
7. पश्चिम निमाड़ दर्शिका – रमेश बम निर्मल प्रकाशन – 1977।

****

जबलपुर जिले के कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. अजय तिवारी *

प्रस्तावना – जबलपुर जिले में कृषि व्यवसाय जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन हैं। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन अनेक भौतिक एवं आर्थिक–सामाजिक तत्वों का परिणाम है। धरातलीय दशा, जलवायु, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्वों ने इस पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। इसके साथ शस्य उत्पादकता एवं शस्य गहनता और मानवीय तत्वों जैसे जनसंख्या एवं इसकी गुणात्मक प्राकृतिक प्रवृत्ति कृषि पद्धति जैसे गहन या निर्वहन,वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग आदि का समुच्चयी प्रभाव भी अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं है।

भूमि उपयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कार्ल ओ सावर ने किया था। किसी भी क्षेत्र में भूमि के समुचित उपयोग होने से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है अपितु परती एवं बंजर भूमि भी उपयोग में आ जाती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी (खादर एवं बागर) की उर्वरता का सही उपयोग एवं बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उत्पादकता को सुनिश्चित करना तथा अतिरिक्त कृषि भूमि पर बहु फसली कृषि प्रणाली का विकास करना अति आवश्यक है।

उद्देश्य – (1) अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख करना।

(2) भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना।

प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है। भूमि उपयोग के आंकड़ो कृषि संगणना पर आधारित कृषि भूमि उपयोग को ज्ञात करने के लिये सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त बढ़ती एवं घटती कृषि भूमि उपयोग की जानकारी हेतु प्राथमिक आकड़ा एकत्रित कर सही निष्कर्ष पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र–मध्यप्रदेश भारत वर्ष का हृदय स्थल है और जबलपुर जिला इस हृदय स्थल पर सुशोभित एक मणि के समान है। भारत एक विशाल देश है। जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विभिन्न सभ्यता, संस्कृति, खान–पान, रहन–सहन, वेशभूषा जलवायु सामाजिक व आर्थिक स्थिति के कारण वैसा ही है, जैसे किसी माला में तरह–तरह के रत्नों को पिरोया गया है। ऐसा ही एक रत्न जबलपुर जिला भी है जो अपनी कुछ विशेषताओं के कारण मध्यप्रदेश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जबलपुर जिले का नामकरण में दो तरह की मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता तो यह है कि प्राचीन काल में एक ऋषि जिनका नाम जाबालि था उन्होंने पुण्य सलिला नर्मदा के पावन तट पर आश्रम बनाया और तपस्या की, धार्मिक दृष्टिकोण से जबलपुर का नाम उनके नाम से जोड़ा जाता है तथा दूसरी मान्यता तो यहां की भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। चूंकि जबलपुर विभिन्न पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिये जबल कहा गया। अरबी भाषा में 'जबल' का अर्थ ही पहाड़ी एवं चट्टानी क्षेत्र होता है।

जबलपुर जिले का अक्षांशीय विस्तार $22^0 49'$ से $22^0 8'$ उत्तरी अक्षांश व $79^0 21'$ से $80^0 53'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 120 मील और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 72 मील है जिसका कुल क्षेत्रफल 5121 0 वर्ग किमी तथा समुद्र तल से उंचाई 459 मीटर है, प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को 7 विकासखण्ड व 7 तहसीलों में विभाजित किया गया है।

(1) पनागर (2) कुण्डम (3) जबलपुर (4) सिहोरा (5) मझौली (6) पाटन (7) शहपुरा

कृषि भूमि उपयोग– प्राकृतिक संसाधनों में भूमि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक संसाधन है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानव की अभूतपूर्व सम्पदा है जिसकी संरचना प्राकृतिक पर्यावरण की गोद में विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के अपक्षय , अपघटन, परिवहन और निक्षेपण क्रियाओं द्वारा होता हैं। बेनजेरी के अनुसार 'भूमि उपयोग प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है।' भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में उद्योग–धंधे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रार्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता और राजनीतिक स्थायित्व, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि

* भूगोल विभाग, शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद, कटनी (म.प्र.) भारत

पर निर्भर है । परिणाम स्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि का भौगोलिक अध्ययन महत्वपूर्ण है।

कृषि भूमि उपयोग से तात्पर्य फसलोत्पादन हेतु जोती गई भूमि और कृषि अनुपयुक्त भूमि के तुलनात्मक अध्ययन से है । तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि और भूमि के अधिकतम उपयोग के कारण जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में पिछले तीन दशकों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्य भूमि का उपयोग कृषि हेतु होता है, और यह जनसंख्या के भरण – पोषण का मुख्य आधार है। 'कृषि भूगोलवेत्ता उत्पादन प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय पक्षों के साथ-साथ उत्पादन प्रतिरूपों का भी अध्ययन करता है ' तथा ' किसी स्थान की भूमि उपयोग अवस्थाएं उस क्षेत्र विशेष की तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की द्योतक होती है।' अत: अध्ययन क्षेत्र में कुल भूमि का 70 प्रतिशत से अधिक कृषि के अन्तर्गत संलग्न होने के बावजूद निर्धनता, बेरोजगारी आदि प्रमुख समस्या रही है। इसका प्रमुख कारण अत्यधिक भू- भाग पर सिंचाई, उर्वरक ,बाजार व्यवस्था का वितरण निम्न स्तर पर होना है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का वर्गीकरण कृषि को प्रमुख आधार बनाकर किया गया है। जबलपुर जिले के भूमि उपयोग को 12 वर्गो में विभाजित किया गया है जबकि सुविधानुसार समझने की दृष्टि से इन 12 वर्गो को संयुक्त कर 6 वर्गो में रखा गया है।

1. कृषि अनुपयुक्त भूमि (Waste land)
2. कृषि योग्य बेकार भूमि (Culturable Waste land)
3. परती भूमि (Fallow Land)
4. शुद्ध कृषि भूमि (Net Sown Area)
5. एक से अधिक बार बोयी गई भूमि (Area Sown more than once)
6. कुल फसल क्षेत्र (Total Cropped Area)

सारणी क्रमांक-1

जबलपुर जिले के कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन (देखें)

1. कृषि अनुपयुक्त भूमि – कृषि अनुपयुक्त भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है,जिसे वैज्ञानिक अनुसंधानों, उन्नतकृषि यंत्रो , सिंचाई के साधनों, नवीन तकनीकों एवं अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभ देने वाले कृषि गत क्षेत्रों के अर्न्तगत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत अधिवास , परिवहन मार्ग, जलाशय, मरघट और कब्रिस्तान एवं अन्य भूमि (ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि) आदि को सम्मिलित किया जाता हैं। ये ऐसे भू-भाग है जो मृदा की दृष्टिकोण से उपजाऊ होते हुये भी कृषि हेतु उपलब्ध नहीं होते है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि अनुपयुक्त भूमि में वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण निरन्तर बढ़ती जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्रों की वृद्धि है । कृषि अनुपयुक्त भूमि में विकासखण्ड स्तर में भिन्नता पाई जाती है । उक्त भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख कारण निम्न लिखित है।

(1) बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास एवं अन्य मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस भूमि में पिछले दो दशकों में कमी आयी है।

(2) ऊसर भूमि एवं आवसीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ उर्वरक उपलब्धता एवं कृषि में नवाचारों का उपयोग है।

2. कृषि योग्य बेकार भूमि – अध्ययन क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि का क्षेत्र कम है। जिसका प्रमुख कारण निक्षेपित नवीन मृदा एवं कम वन क्षेत्र का होना है। कृषि योग्य बेकार भूमि के अन्तर्गत बाग-बगीचे , घास-झाड़ियां, चारागाह, परती भूमि को सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कृषि योग्य बेकार भूमि के ह्रास का मुख्य कारण बाग-बगीचे चारागाह एवं परती भूमि को भी बढ़ती जनसंख्या के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस भूमि का उपयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनके समुचित उपयोग द्वारा ही खाद्यान्न एवं आवास की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3. परती भूमि- अन्तर्राष्ट्रीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार परती भूमि को कृषि भूमि माना जाता है। बाल्केन (1980) के अनुसार इस भूमि के अन्तर्गत वह भूमि आती है जिस पर पहले कृषि की जाती थी, परन्तु वर्तमान समय में कोई फसल नहीं उगाई जा रही है । अध्ययन क्षेत्र में कृषक भूमि को परती छोड़ देते है। भूमि को परती छोड़ने का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधा और श्रमिकों का अभाव है। वर्तमान में विगत दो दशकों की अपेक्षा परती भूमि का क्षेत्रफल कम हुआ है जिसका प्रमुख कारण सिंचाई की सुविधाओं एवं कृषि में नवाचरों का समावेश हैं।

4. शुद्ध कृषि भूमि- किसी भी प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र वहां की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर का बोध कराता है और वहां के भूमि संसाधनों की उपयोगिता भी स्पष्ट होती है। निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात घटता जा रहा है। और गैर कृषि कार्यो में विस्तार होता जा रहा है। अत: बढती जनसंख्या के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक और विवेकपूर्ण फसलों का उत्पादन करना अति आवश्यक हो गया है। अध्ययन क्षेत्र में सघन जनसंख्या के कारण शुद्ध कृषि भूमि का अधिक होना स्वाभाविक है।

5. एक बार से अधिक बोई गई भूमि – इसे द्विफसली भूमि भी कहा जाता है, इससे फसल संघनता का बोध होता है। कृषक जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु एकाधिक फसली क्षेत्र एक मात्र विकल्प है, जो विश्व के सभी भागों में किसी न किसी रूप में अपनायी जाती है। अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में निरन्तर द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। लेकिन यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है। वृद्धि का प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि यंत्रो उन्नतशील बीजों, उर्वरमृदा का होना है।

6. कुल बोया गया क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि अंकित की गयी है, जिसका प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं, बाजार उपलब्धता, उच्च गुणवत्ताा के बीज एवं उर्वरक का उपयोग करना है।

समस्या एवं समाधान – प्रस्तुत अध्ययन से कृषि भूमि उपयोग आकड़ों से स्पष्ट होता है। उपजाऊ मिट्टी पर कृषि एक महत्वपूर्ण क्रिया है। परन्तु एक तथ्य अस्पष्ट है कि कुल भूमि के 70 प्रतिशत से अधिक शुद्ध कृषि योग्य भूमि उपलब्धता के बावजूद यहां बेरोजगारी निर्धनता और पिछड़ापन इतना अधिक क्यों है? अत: या तो कृषक समाज भूमि का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है या कृषि हेतु आधारभूत संरचना की कमी है।

- अध्ययन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कुल कृषि भू-भाग के लगभग 52 प्रतिशत पर द्विफसली कृषि की जाती है शेष क्षेत्र पर मात्र एक फसली कृषि की जाती है।
- अध्ययन क्षेत्र में कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के कारण कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन होता रहता है। यहां कृषि भूमि उपयोग के उचित उपयोग न होने का प्रमुख कारण सरकारी नीतियों की उदासीनता है।
- वृहद कृषकों का मध्यम में तथा मध्यम कृषकों का लधु कृषक के रूप में परिवर्तन से जोतो का आकार छोटा हो रहा है जिसके कारण आधुनिक कृषि यंत्रो का उपयोग नहीं हो पाता है और श्रम की कमी भी कृषकों की प्रमुख समस्या है।

- एक फसली क्षेत्रों को बहुफसली में परिवर्तन हेतु सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए।
- जबलपुर जिले में कृषि से सम्बंधित सरकारी नीतियों एवं संस्थाओं का ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे कृषकों की समस्या का समाधान अतिशीध्र हो ।

निष्कर्ष– जबलपुर जिले में कृषि, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है कृषि की उत्पादकता मिट्टी की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। कृषि भूमि– उपयोग आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र में उन सम्भावनाओं का विकास आवश्यक है जिससे बहुफसली कृषि के कुल भाग की प्रतिशतता में वृद्धि हो और समतल उपजाऊ मिट्टी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय तथा भविष्य के लिये भी इसकी उर्वरता को बनाए रखा जाए।

कृषि भूमि के उचित उपयोग से क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा जो एक कल्याणकारी समाज की ओर उन्मुख होगा, जिससे भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का सुस्पष्ट अर्थ निकलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गंजाम, सुनीता (2010–11) 'भूमि उपयोग एवं जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन'
2. 'जिला सांख्यिकी पुस्तिका' (2010) जिला सांख्यिकी कार्यालय, जबलपुर।
3. मेहता, बल्लभदास (1978) 'कृषि अर्थव्यवस्था' नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
4. प्रमिला, कुमार (2003) मध्यप्रदेश का भौगोलिक अध्ययन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
5. दास, हरसन (1999) 'कृषि अर्थशास्त्र' रामा पब्लिशिंग हाउस मेरठ।
6. सिंह, डॉ. यू.बी. (2004) 'कृषि भूगोल राजीव प्रकाशन मेरठ।

जबलपुर जिले के कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन

क्रं.	कृषि भूमि उपयोग	वर्ष							
		1991		2000		2001		2011	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	कृषि अनुपयुक्त भूमि	49544	16.88	48492	16.40	50050	16.72	53115	17.90
2.	कृषि योग्य बेकार भूमि	22440	7.65	8848	2.78	1717	2.58	1700	2.44
3.	परती भूमि	19836	6.63	18864	6.37	16358	5.5	13306	4.21
4.	शुद्ध कृषि भूमि	206144	70.25	217420	73.43	219627	74.1	221682	74.08
5.	बहुफसली भूमि	76979	26.23	112746	30.08	123184	41.16	124304	41.89
6.	कुल फसल क्षेत्रफल	285123	–	330166	–	344866	–	343931	–

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011 एवं संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर।

****

संगीत एवं मीडिया

डॉ. नीरज राव *

प्रस्तावना – भारतीय संगीत को हम हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती की शयनमुद्रा को देखकर पाँच रागों की रचना से की। हिंडोल, मेघ, दीपक, श्री, कौशिक राग बनाये। शिवजी से यह कला देवी सरस्वती, हनुमान, तुंबरू, नारद आदि देवताओं को प्राप्त हुई। इस कला को पृथ्वी पर लेकर आये अलग-अलग मत-मतांतरों द्वारा संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। संगीत शब्द का अर्थ है सम अर्थात् शब्द, गीत रचना अर्थात् जिसमें शब्द एवं स्वर रचना हो उसे संगीत कहते हैं। इसके अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं को माना गया है। गायन के अधीन वादन, वादन के अधीन नृत्य इनमें गायन कला को श्रेष्ठ माना गया है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। सामवेद पूर्णरूप से संगीतमय है एवं इसमें ऋचाओं का गायन प्राचीनकाल में होता था। उदात्ता, अनुदात्ता, त्वरित स्वरों का प्रयोग किया जाता था।

संगीत में मुख्यत: नाद माना जाता है, नाद के दो रूप होते हैं – आहत एवं अनाहत नाद। आहत नाद, किसी वस्तु पर आघात करने से एवं अनाहत नाद, स्वत: हमारे शरीर में उत्पन्न होता है।

नाद की मुख्य तीन विशेषतायें हैं –

1. नाद की ऊँचाई एवं गहराई।
2. नाद का छोटा-बड़ापन।
3. नाद की जाति अथवा गुण।

संगीत में नियमित और स्थिर कम्पन्न आंदोलन द्वारा उत्पन्न ध्वनि का उपयोग होता है। संगीतोपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं।

श्रुति – श्रुयते इति श्रुति:। जो कानों के द्वारा सुनी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की ध्वनि चाहे संगीतोपयोगी हो अथवा न हो, श्रुति कहलायेगी। संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ है मानव हृदय का रंजन करें, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुतियां बाईस मानी गई है। बाईस नादों का पारम्परिक अंतर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, कंठ द्वारा गाया जा सकता है।

शुद्ध स्वर – व्यावहारिक सरलता के लिये 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 श्रुतियाँ चुन ली गई जिन्हें शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहा गया है। ये श्रुतियाँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर फैली हुई है, जिसमें पूरा सप्तक आ गया है, जिनमें क्रमश:, षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद उच्चारण की सरलता के लिये इन्हें क्रमश: सा, रे, ग, म, प, ध, नि कहा गया है। प्रत्येक स्वरों को एक निश्चित मात्रा में श्रुतियों का बँटवारा किया गया। षड्ज, मध्यम, पंचम को चार-चार, ऋषभ, धैवत को तीन-तीन, गंधार एवं निषाद को दो-दो श्रुतियां मानी गई है। अत: प्रत्येक श्रुति पर स्वर स्थापित किया गया।

विकृत स्वर – कुछ दिनों बाद हमारे शास्त्रकारों ने अनुभव किया कि सात स्वरों के अलावा कुछ अधिक स्वर प्रयोग किये जाने चाहिये। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सात स्वरों के अतिरिक्त पाँच अन्य श्रुतियाँ भी हैं, जिनका महत्व शुद्ध स्वरों से कम एवं अन्य दस श्रुतियों से अधिक है। इस प्रकार 07 शुद्ध स्वर, 04 कोमल स्वर तथा 01 तीव्र स्वर कुल 12 स्वर माने जाते हैं।

शुद्ध स्वर – सा, रे, ग, म, प, ध, नि
कोमल स्वर – रे, ग, ध, नि
तीव्र स्वर – म।

कुछ पुराने संगीतज्ञ शुद्ध रे, ग, ध, नि को क्रमश: तीव्र रे, ग, ध, नि एवं शुद्ध म को कोमल मध्यम भी कहते हैं।

सप्तक – सात शुद्ध स्वरों के क्रमिक समुदाय को सप्तक कहते हैं। सप्तक का अर्थ होता है सात स्वरों का एक साथ रहना सा, रे, ग, म, प, ध, नि सप्तक के मुख्य तीन प्रकार माने गए हैं।

मंद्रसप्तक – सा, रे, ग, म, प, ध, नि
मध्य सप्तक – सा, रे, ग, म, प, ध, नि
तार सप्तक – सां, रें, गं, मं, पं, धं, निं

ध्वनि – वह विशिष्ट रचना जो सुनायी दे उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि हमें चारों ओर सुनाई देती है, लेकिन नियमित कम्पन आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को हम नाद कहते हैं।

इस प्रकार ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट, थाट से राग का निर्माण होता है।

राग – ध्वनि की यह विशिष्ट रचना जो हृदय का रंजन करें, बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। राग में वादी, संवादी, थाट, जाति, गायन-समय आदि की विशेषता होती है। राग गायन में विलम्बित ख्याल, द्रुत ख्याल, ध्रुवपद, धमार, तराना गाये जाते हैं।

विलम्बित ख्याल – ख्याल का अर्थ है कल्पना, विचार, सोच। ख्याल मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं। विलम्बित ख्याल एवं द्रुत ख्याल। विलम्बित ख्याल एकताल, तिलवाड़ा, झुमरा, झपताल, त्रिताल आदि तालों में गाया-बजाया जाता है।

उपशास्त्रीय संगीत – उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ठुमरी, टप्पा, गजल, गीत, भजन, नाट्य संगीत, चैती, कजरी, दादरा, सूफी संगीत आदि शैलियाँ गायी जाती है।

आधुनिक काल – मुगल शासकों के पश्चात धीरे-धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। केवल रियासतों में संगीत की साधना चलती रही। इस काल में त्रिवट, तराना, गजल आदि का प्रचार हुआ। संगीत का दीपक कुछ रियासतों में हवाओं के सहारे चलता रहा। दूसरी ओर संगीतज्ञों की भी बुरी दशा थी वे केवल अपने सगे-सम्बन्धियों को भी बड़ी मुश्किल से सीखाते थे। ऐसे समय में संगीत के उत्थान का श्रेय संगीत के दो विद्वानों को जाता हैं – पं. विष्णु

* सहायक प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

दिगंबर पलुस्कर एवं पं. विष्णु नारायण भातखंडे, जिन्होंने सम्पूर्ण उत्तर-दक्षिण भारत में संगीत का प्रचार-प्रसार किया। जिस प्रकार संगीत के क्रियात्मक एवं शास्त्र, उसी प्रकार पं. पलुस्करजी एवं पं. भातखंडेजी, जिनका एक उद्देश्य, एक पथ था।

आकाशवाणी (रेडियो), चलचित्र, सिनेमा द्वारा भी संगीत का प्रचार-प्रसार हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् संगीत के प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी का विशेष योगदान रहा। आकाशवाणी का स्तर उच्च करने के लिये उसमें भाग लेने वाले कलाकारों की ध्वनि परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीतज्ञों की मंडली लेती और कलाकारों की श्रेणी तथा उनका पारिश्रमिक तय करती है। आकाशवाणी ने न केवल शास्त्रीय संगीत को ही वरन् लोकसंगीत, भजन आदि को भी बहुत प्रोत्साहित किया। विभिन्न केन्द्रों में गीत और भजन के रिकार्ड तैयार किये गए। दूसरी ओर चलचित्र संगीत ने शास्त्रीय संगीत का प्रचार उनकी प्रशंसा हेतु अनेक रचनाओं का निर्माण किया। रचनाओं में विलासिता, कामुकता, सौंदर्य आदि शैली की झलक दिखाई देती थी, परन्तु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने अपने लेखन कौशल से क्रमिक पुस्तकमालिका में अनेक श्रेष्ठ रचनाओं को बनाकर इस मिथक को तोड़ दिया।

वर्तमान समय में इतने वर्षों के पश्चात् आज हमारे संगीत की स्थिति काफी सुधारपूर्ण एवं सही दिशा की ओर जा रही है। शासन को भी इस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। संगीत एक विशुद्ध मनोरंजन का साधन है। आज के समय में यह किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति बनकर नहीं रह गया है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक साधनों के द्वारा सर्वसाधारण तक अपनी पैठ जमा चुका है।

जनता एवं शासन की ओर से संगीत सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। प्रयाग, लखनऊ, बनारस, ग्वालियर, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों में संगीत सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। इस समय देशभर में अनेक संगीत संस्थायें हैं, जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत समिति, गांधर्व महाविद्यालय ग्वालियर, म्युजिक कॉलेज कोलकाता, इसके अलावा भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में गायन, वादन, नृत्य में एम.ए., पीएच.डी, डी.लिट्. संगीत विषय में करवाया जाता है। इधर संगीत की बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, जिनमें संगीत कार्यालय हाथरस, संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद, जैसे प्रकाशकों द्वारा संगीत की मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

ज्ञान एवं वस्तु के आदान-प्रदान का नाम ही व्यवसाय है। वर्तमान में बेरोजगारी एक विकराल समस्या है। आर्थिक युग में व्यापार का महत्व और बढ़ जाता है। कलाकार चाहे संगीतकार हो अथवा समाजसेवी जीवनयापन संचालन हेतु कुछ न कुछ प्रवृत्ति रखना पड़ेगी। यह कथन सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संगीत के कलाकारों व कला प्रेमियों के लिये वांछित स्थान नहीं रहा। प्राचीन काल में राजा-महाराजाओं के राज्याश्रयों द्वारा कलाकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त थी। खेद का विषय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। शासन एवं मीडिया को चाहिये कि वह इस दिशा में सकारात्मक पहल शुरू करें, शासन एवं मीडिया अपना चैनल प्रसारित करें, जिसमें नवोदित एवं उर्ज्जावान कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिले।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी, मीडिया समाचार-पत्र एवं चैनल के माध्यम से इस कला को खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया सांगीतिक गोष्ठियों को पूर्ण रूप से कवरेज करें। कलाकारों, साधकों को भी चाहिये कि वह मीडिया को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे।

मेरे मतानुसार संगीत साधकों कलाकारों को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिये।

1. संगीत स्वर्ग का आनंद देने वाली कला है, इसे कला के रूप में सहेजकर रखें, कलाबाजी के रूप में नहीं।
2. कलाकार अपने संगीत को इतना सरल बनावें, वह मधुर, सुंदर एवं शुद्ध तो बना रहे, साथ ही उसमें बोर करने वाले तत्व फेंक दिया जाए।
3. आज का रसिक श्रोता संगीत नहीं समझता। यदि उसे सुरीलापन, ताल, लय से सम्बद्धता मिले तो वह श्रोता उस उत्सव में भाग अवश्य लेगा।
4. संगीत के प्रचार-प्रसार में संगीत-सम्मेलनों होने लगे, अधिक से अधिक राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन हो, उत्तर एवं दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ परस्पर निकट आने लगे और राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होने लगे।

इस दिशा में खासकर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को चाहिये कि वे अपने नियमों में शिथिलता करके प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लचीलापन लाये।

शास्त्रीय संगीत मीडिया में तभी प्रचार-प्रसार संभव है, जबकि कलाकार अपनी दरबारी शैली को उतार फेंके। जनता-जनार्दन के सामने संगीत के सुमधुर आनंददायी तत्वों का प्रदर्शन करें। शास्त्रीय संगीत एक ऐसे इत्र के समान है, जिसमें आनंद की खुशबू हमेशा प्रसारित होना ही चाहिये। यह हृदय का व्यापार है। हृदय का स्वामी है, यदि शास्त्रीय संगीत लोकप्रिय नहीं हो सकता तो कोई भी संगीत हृदयग्राही नहीं बन सकता।

अंत में केवल यही कहूँगा कि संगीत का प्रचार-प्रसार मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ही समुधर कलाकारों द्वारा ही हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संगीत विशारद
2. भारतीय संगीत का इतिहास
3. भारतीय संगीत का इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र
4. राग परिचय

****

आधुनिक शिक्षण पद्धति से संगीत शिक्षण

डॉ. नीरज राव *

प्रस्तावना – चौंसठ कलाओं जो कि वात्सायन ने बतायी हैं, उसमें संगीत को उच्च कोटि की कला बताई गई है। आजादी के बाद से रियासतों, नवाबों, दरबारों से होकर जनमानस के मन–मस्तिष्क पर अपना एकाधिकार करने वाली एकमात्र कला, संगीत है।

आज हमारे समाज में इस कला का अपना एक अलग स्थान है। प्राचीन काल से आधुनिककाल तक जैसे–जैसे मानव ने उन्नति की और अपने पग बढ़ाना प्रारंभ किये सामाजिक परिवर्तन हुए, उसी तरह संगीत कला में भी समय–समय पर अनुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान बन गया। संगीत की नृत्य कलाओं की व्यवस्थित शिक्षा की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। धीरे–धीरे संगीत कला का प्रचार तथा शिक्षण भिन्न–भिन्न माध्यमों द्वारा बढ़ता गया।

संगीत कला प्राचीनकाल से निम्नलिखित माध्यमों द्वारा परन्तु आधुनिक काल में निम्न माध्यमों से हो रही है –

1. भिन्न–भिन्न घराने एवं गुरू–शिष्य परम्परा द्वारा
2. विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों द्वारा
3. रिकार्ड्स, रेडियो, टी.वी., टेप, कॉम्पेक्ट डिस्क (सीडी)

आधुनिक समय में संगीत शिक्षण को उपरोक्त माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। संगीत के प्राचीन साहित्य में इस महत्वपूर्ण विषय संगीत शिक्षण प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में संगीत की कक्षाओं या वर्गों का उल्लेख नहीं है। जहाँ छात्र–छात्राओं को शिक्षा दी जा रही हो, वह संगीत का अभ्यास करते हों, अधिकांश शिक्षा कोई गुरू अथवा गुणीजन देवें तो उसे गुरू–शिष्य परम्परा कहते थे। आधुनिक संगीत शास्त्र को दो भागों में बाँटा गया है –

1. प्रयोग (Practical) 2. शास्त्र (Theory)

आजादी प्राप्ति से पहले लगभग 500 छोटी–बड़ी रियासतें थी। सम्पूर्ण भारतवर्ष में उनमें राजाओं, नवाबों के पास कुशल संगीतज्ञ दरबारों में मुलाज़िम थे। इस कारण संगीत जनसामान्य से बहुत दूर था। अंग्रेजों ने भी हमारे देश की संस्कृति एवं उन्नति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गायन–वादन एवं नृत्य की कुछ कमियों को समाज के एक वर्ग ने अपना लिया, जिसके कारण संगीत की शिक्षा प्राप्त करना समाज में हेय अथवा नीची नजरों से देखा जाने लगा।ऐसे समय में दो महान संगीत विद्वानों पं. विष्णु नारायण भातखंडे एवं पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत के क्षेत्र में सुधार हेतु अभूतपूर्व प्रयास किये। दोनों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर राजाओं एवं राजगायकों, वादकों से संगीत सीखा। प्रचलित रागों का चलन व उनके स्थायी, अंतरे सीखें दोनों ने अपनी स्वरलिपियां बनाई तथा रागों को लिपिबद्ध किया और यही ग्रंथ आधुनिककाल में भी संगीत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कई संगीत विद्यालय खोलें और विशेष प्रकार का संगीत शिक्षण अपने शिष्यों को दिया। प्राचीन समय में दी जाने वाली शिक्षा एवं आधुनिक केन्द्रों में दी जाने वाली शिक्षा में बहुत अंतर आ गया था। घरानों में संगीत शिक्षण निम्न प्रकार से होता आ रहा है –

घरानों की परम्परा – घरानों में गायन–वादन की शैली, विद्यार्थी की रूचि के अनुसार वह अपने मनपसंद संगीत गुणीजन को सामाजिक रीति रिवाजों के अनुकूल गंडा (धागा) बाँधकर पूर्ण रीति–रिवाजों से शिक्षा प्राप्त करता था। गुरू के मन में शिष्य के प्रति स्नेह तथा शिष्य के मन में गुरू के प्रति अपार श्रद्धा तथा सम्मान होता था।घराना परम्परा हिन्दुस्तानी संगीत की एक निजी विशेषता है। जो विश्व के किसी अन्य संगीत में नहीं है। पाश्चात्य देशों में कला तथा साहित्य के क्षेत्र में जो शाखायें पाई जाती है, उन्हें स्कूल कहा जाता है। भारत के उत्तरी भारत में संगीत में घराना, दक्षिण भारत में सम्प्रदाय का महत्व चला आ रहा है। घराना 20वीं शताब्दी से चला आ रहा है। घरानों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, निम्नानुसार है –

1. घराना परम्परा में शिष्य को तभी शिक्षा दी जाती थी, जब उसे पूर्ण स्वर ज्ञान हो। कठिन परिश्रम से स्वरों का अभ्यास, अचल स्वर सा–प, का लंबी–लंबी सांसों द्वारा अभ्यास करवाया जाता था। स्वरों के विभिन्न प्रकार एवं पलटे स्वर–ज्ञान के लिये सीखाये जाते थे।
2. सभी शैलियों ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना आदि सीखाये जाते। भाव संगीत भजन, शबद, लोकगीत आदि भी सीखाये जाते।
3. घरानों में स्वरों का अभ्यास प्रारंभ से ही तानपुरे के साथ करवाया जाता। देर तक तानपुरे के साथ बैठक का अभ्यास सभी गुरूओं द्वारा शिष्यों को प्राप्त होते थे।
4. संगीत शिक्षक गुरू हारमोनियम के साथ, संगीत शिक्षा का गायन उचित नहीं समझते थे। यदि तानपुरा न हो तो हारमोनियम के स्वर लगाकर स्वरसाधना की जाती थी।
5. स्वर साधना के बाद रागों का अध्ययन भली–भाँति कराया जाता था। राग में आरोह–अवरोह, स्वर, मुख्य स्वर चलन, छोटे–छोटे आलाप, बोल, आलाप, बोल–बांट, वादन में टुकड़े, तोड़े, लयकारी करते समय हाथ से मात्रायें प्रदर्शित करवाई जाती थी।
6. एक राग में बंदिश छ:–छ: महीने, साल भर सीखाई जाती। बंदिश के कई प्रकार की तानें, आलाप आदि सीखाये जाते थे।
7. अधिकतर गुरू संगीत शिक्षण एकांत स्थान पर सीखाये जाते थे। वहाँ देवी–देवता की मूर्तियां, विद्वानों के चित्र लगे होते थे, जिनसे शिष्यों, शिक्षकों को प्रेरणा मिलती थी। पुरातन गुरू भवनों में महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ रखे जाते थे, जिनसे संगीतशास्त्र का उचित ज्ञान मिलता था।
8. प्रतिदिन 8–8 घंटे अभ्यास की प्रेरणा संगीत घरानों से मिलती थी। इस प्रकार लम्बे अभ्यास द्वारा मन पर काबू पाना, आत्मविश्वास, अपने

* सहायक प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

आप में प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न रखना, आदि का ज्ञान गुरू की अपार कृपा से प्राप्त होता था।

9. कुछ समय बाद जब शिष्य अच्छा गाने लगता तो वह गुरू के सहायक के रूप में रंग-मंच प्रदर्शन आदि में जाने लगता, इससे उसके मन से पूर्ण भय दूर हो जाता था, आत्मविश्वास की भावना पैदा होती थी।
10. नृत्यकला में भी विभिन्न घरानें हुआ करते थे। गुरूओं के द्वारा नियमित ढंग से शिक्षण होता था। इस कला में भी नाम कमाने के लिये बहुत परिश्रम करना पड़ता था। घरानों में गुरू-शिष्य परम्परा तथा वंश-परम्परा से शिक्षण की प्रक्रिया प्रचलित थी।

व्यावसायिक संस्थानों में संगीत शिक्षण – 20वीं शताब्दी में संगीत शिक्षा गुरू-शिष्य परम्परा से निकलकर आधुनिक रूप में स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में आ गई। जहाँ विद्यार्थी सामूहिक रूप से, स्वतंत्रता से संगीत सीख सकते हैं। निश्चित पाठ्यक्रम, अवधि में गायन-वादन की शिक्षा प्राप्त की जाती है। अब एक गुरू एक शैली में न रहकर अलग-अलग गुरूओं से अलग-अलग ढंग से संगीत शिक्षा ग्रहण की जा सकती है।

1. बड़े-बड़े नगरों, शहरों में बालकों-बालिकाओं को स्कूल में संगीत सिखाया जाता है।
2. संगीत का पाठ्यक्रम अलग होता है। आरंभ से ही शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वरों का ज्ञान बच्चों को कराया जाता है, जिनमें अलंकार, पलटे करवाया जाता है। कुछ स्वर ज्ञान होने के बाद भजन, शबद, गीत, राग सीखाये जाते हैं।
3. प्रयोगात्मक संगीत व आध्यात्मिक संगीत तथा आधुनिक संगीत की हर कक्षा में भिन्न-भिन्न अंग निश्चित छात्र-छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों में पास अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है।
4. विभिन्न कक्षाओं की संगीत के अध्ययन व शिक्षण का समय भी भिन्न-भिन्न होता है।
5. विद्यालयों, महाविद्यालयों में संगीत के कार्यक्रम रखे जाते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन होता है।
6. संगीत की गोष्ठियों में विभिन्न विषयों पर पेपर पढ़े जाते हैं, विचारों का आदान-प्रदान होता है। छात्र-छात्राओं का ज्ञान बढ़ता है। एक-दूसरे की कला जानने एवं सुनने का अवसर मिलता है।
7. आचार्यों, शिक्षकों, प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं।
8. स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, आचार्यों, प्राध्यापकों द्वारा छात्र-छात्राओं को किस प्रकार ठीक ढंग से बैठक अभ्यास की जाये, वाद्यों को सही तरीके से संभालकर पकड़ा जावे, अनुशासन, आपसी सहयोग तथा संगीत के अभ्यास की विधि का उचित ज्ञान दिया जाता है।
9. आधुनिक काल में गायन-वादन के विभिन्न आईटम टीवी पर दिखाये जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की रूचि बढ़ती है।

रिकार्ड्स, टेपरिकार्डर, रेडियो, टीवी, कॉम्पेक्ट डिस्क तथा प्रेस के द्वारा संगीत का शिक्षण – पिछले कई वर्षों से प्रसारण केन्द्रों द्वारा संगीत के कार्यक्रमों का लगातार सुनवाया जाता है। रेडियो के भवनों में भी संगीत शिक्षक रागों का परिचय, आरोह-अवरोह, पकड़, स्थायी, अंतरा, आलाप, ताने, तोड़े, संगीत के महान गुरूओं के द्वारा कार्यक्रम दिये जाते हैं। टीवी कलाकारों के वीडियो सुनवाये व दिखाये जाते हैं। प्रेस के माध्यम से भी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। प्रेसों में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकायें आदि छपते हैं। जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते हैं।

आधुनिक संगीत शिक्षण के गुण-दोष

गुण – आधुनिक काल में संगीत का शिक्षण विभिन्न रूप धारण कर चुका है। पुरातन घरानों में तो गुरूओं की शिक्षा अनुसार संगीत सिखाया जाता था, उनके द्वारा संगीत का समय निश्चित तो अवश्य होता था, परन्तु विद्यार्थी को पहला सबक याद होने पर ही आगे पढ़ाया जाता था। वर्तमान समय में समय-सीमा निश्चित है। पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित समय में अधिक पाठ पढ़ाये जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद उपाधि प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। जिसके आधार पर विद्यार्थियों को संगीत शिक्षण की नौकरी मिलती है। संगीत के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा और मान्यता प्राप्त केन्द्रों द्वारा संगीतकारों को सम्मानित किया जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते समय सूझ-बूझ होने पर मनुष्य आगे की उच्च शिक्षा शैली का अनुभव अपनी इच्छा से कर सकता है। आधुनिक काल में संगीत मानव जाति के मनोरंजन का साधन बन गया है।

दोष – आधुनिक युग में न तो वास्तविक संगीत सीखने वाले छात्र हैं, न ही साधना करने वाले गुरू। आजकल विद्यार्थियों का दृष्टिकोण केवल परीक्षा पास करने के माध्यम तक संकुचित है। आधुनिक शिक्षण प्रणाली और पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वरज्ञान का अच्छा आधार छात्रों के लिये कठिन काम हो गया है। आमतौर पर छात्रों की प्रवृत्ति एक-दो माह पूर्व रट लेने की है। अन्य विषय के लिये यह ठीक है। यही कारण है कि सैकड़ों विद्यार्थियों में से एक या दो विद्यार्थी ही अपनी संगीत शिक्षा को प्राप्त करके उचित रूप से संगीतज्ञ बन पाते हैं।

विद्यार्थियों को एक या दो वर्ष में ही बहुत से रागों को याद करना पड़ता है। ऐसे में संगीत स्वर और माधुर्य का अभाव रह जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आजकल विद्यार्थियों को उच्च कोटि का गायक व वादक बनना कठिन होता है। क्रियात्मक पक्ष दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। छात्र-छात्राओं द्वारा वॉइस कल्चर पर अभी भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। आवाज के गुणधर्म के अनुसार छात्रों का उचित वर्गीकरण तथा आवाज तैयार करने की व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने की उत्सुकता के कारण छात्र का ध्यान व रूचि विषय से हट जाती है।

सुझाव – आज वर्तमान समय में संगीत शिक्षा सुलभ हो गई है, परन्तु संगीत के आंतरिक तत्वों को उभरने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस प्रणाली में कई कमियाँ उभरकर सामने आ रही है। प्रवेश सम्बन्धी नियम उत्पन्न समस्यायें, शिक्षक की नियुक्ति न होने का भय बना रहता है। ध्रुवपद, धमार, ढादरा, आदि विधाओं का विशिष्ट प्रशिक्षण देना चाहिये। रागों की रचना करते समय सरल से सरल, शुद्ध से मिश्रित, प्रचलित से अप्रचलित की ओर ध्यान देते हुए चयन करना चाहिये। हमें हमारी पुरानी परम्पराओं का अनुसरण करते रहना चाहिये। विशेषकर प्रशिक्षण के लिये, इसके लिये चाहे तो विश्वविद्यालयों में ऑनर्स रूप में भी विषय के साथ पढ़ाया जाना चाहिए।

यह कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिक्षण को दो भागों में कर देना चाहिये। एक वर्ग तो शास्त्रपक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष पर सही तरीके से ध्यान देवें तथा दूसरा वर्ग विद्यार्थियों का सही दिशा में कार्य करें, अपनी कमजोरियों को निरंतर अभ्यास के द्वारा दूर करे, क्रियात्मक व शास्त्र पक्ष का पाठ्यक्रम कम कर दिया जावे ताकि विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, गुरू सभी शिष्यों को समान दृष्टि से देखें, ऐसा करने से विद्यार्थी आगे जा सकेंगे, योग्य संगीतज्ञ बन सकेंगे, तथा सही मार्ग पर अग्रसर होकर संगीत को और ऊँचाईयों पर ले जाऐंगे तथा इसकी मौलिकता को भी कायम रख सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संगीत विशारद
2. भारतीय संगीत का इतिहास
3. भारतीय संगीत का इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र
4. राग परिचय

भारतीय ललित कलाओं में संगीत का स्थान

डॉ. नीरज राव *

प्रस्तावना –भारतवर्ष कला की दृष्टि से एक अत्यन्त समृद्धशाली देश माना गया है। कलाओं का वर्णन अत्यन्त प्राचीन काल से है। प्राचीन कला में कला का मुख्य उद्देश्य जनसमूह तथा मानव को आनंद प्रदान करना माना गया है। वास्तव में कला शब्द की उत्पत्ति क + ला इन संस्कृत शब्दों के सम्मिश्रण से मानी गई है। जिनमें 'क' का अर्थ है आनंद तथा 'ला' से अभिप्राय है लाना। इस आधार पर कला की परिभाषा देते हुए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है। आनंद इति कला, अर्थात जो मन को, शरीर को आनंद लाए वो कला है। वैसे कलाओं का संसार इतना विस्तृत हैं, परन्तु उन समस्त कलाओं में से जो कलायें प्रत्यक्ष रूप से मानव के मन को प्रभावित करती है, उसे ललित कला fine art की संज्ञा प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में वैसे चौंसठ कलाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संस्कृत वांड्मय में पाँच ललित कलाओं का उल्लेख मिलता है। इन पाँच कलाओं में संगीत का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संगीत वह ललित कला है, जिसमें संगीतज्ञ अपने मनोगत भावों एवं कल्पनाओं को स्वर, लय एवं ताल की सहायता से व्यक्त करता है। इसलिए संगीत का क्षेत्र अन्य ललित कलाओं से अत्यन्त व्यापक है। वह स्वयं सच्चा सौंदर्य, अमर है। दूसरों को भी अमरत्व प्रदान करने की शक्ति रखता है। इसके स्वरों में एकरूपता है गति में समानता और नियंत्रण भी है, संक्षेप में संगीत सुखद तथा मंगलकारी कला है। मोक्ष प्राप्ति तथा आत्मिक मिलन का मधुरतम् एवं पावन साधन है। कला मानव की चिरसंगिनी है। मानव पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ तब से कला का उद्गम हुआ। कला को समाज का दर्पण माना गया है। कला का कार्य अपने समाज के सामाजिक जीवन की पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति कविता के छंद रंगो नमूनों चित्रकला नृत्य की लय में जो आत्मा होती है, वह संगीत है। वह अपने आधारभूत रूप से जागृत होती है तथा परम्भाव के साथ प्रकृति रूप में लीन हो जाती है गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा 'विश्वात्मा सदैव रंगों व रेखाओं में बोलती है।' कला की कभी मृत्यु नहीं होती एक काल से दूसरे कालान्तर में चित्रित तथा अनुभूत होती है।

इस प्रकार से कला की गति अबाध्य है लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण होते हुए भी प्रभु परमात्मा के मिलन का मार्ग है। इसीलिए कला को मानव की चिरसंगिनी कहना ज्यादा उचित है। वास्तव में कला क्या है ? टैगोर के अनुसार – 'मानव हृदय के भावों की अभिव्यक्ति कला है।' रॉस्किन के अनुसार – 'प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानवीय अल्हाद की अभिव्यक्ति है।'

कलाकार जो कुछ बनाता है वह उसकी आत्मजागृति होती है, जिन भावों को अभिव्यक्ति करता है उनमें एक सौदंर्यपूर्ण रचना की कल्पना हमेशा जागृत होती है, व इसी से कला का निर्माण होता है।

ललित कला क्या है यह समझने के लिए लालित्य क्या है समझना आवश्यक है। लालित्य शब्द की व्याख्या करना शब्दों में अंसभव है लालित्य को हम अनुभव कर सकते हैं। लालित्य पूर्ण किसी बात को देखते समय उसके गुणों पर विचार करते है जो केवल सुंदरता, सादगीपूर्ण न होकर उसमें भी कुछ विशेष बातें उसमें होती हैं। माधुर्य, सौंदर्य, सहजता, सरलता प्रसादपूर्ण न होकर ओजप्रवाह आदि बातें लालित्य के अर्न्तगत आती है। लयात्मकता भी लालित्य का एक विशेष प्रमुख गुण है ये सारी बातें जिस कला में होगी वह ललित कला कहलायेगा। संगीत कला वह है, जिसमें लालित्य मुखरित होता है इसलिए संगीत को ललित कला माना गया है।

वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संगीत कला कुछ गुणीजनों ने तीन कलाओं के ही ललित कलाओं का संबोधन किया है – संगीत, काव्य, चित्रकला।

संगीत कला का मूल आधार नाद है। नाद भेद अपरम्पार है उसे कोई पार नहीं कर सका हैं जिसको गा गाकर देव, मुनि, गंधर्व मनुष्य सभी थक हार गये है नाद का सागर ऐसा है जिसमें स्वयं माँ सरस्वती को यह अंदेशा है वह भी इस नाद रूप ब्रह्म में डूब जावेंगी तभी तो वे अपने दोनों हाथों से वीणा को थामे हुए है।

संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों ही का समावेश है। संगीत में भी कंठ संगीत को परम तत्व के निकट माना गया है, शासद इसी गुण के कारण संगीत को सर्वश्रेष्ठ ललित कला कहा गया है।

प्लेटो ने काव्य कला को श्रेष्ठ स्थान दिया है, आधुनिक विचारकों के अनुसार सर्व संगीत अपने आप में स्वतंत्र और सौंदर्यपूर्ण कला है। संगीत के स्वर भौतिक जगत से परे है। संगीत कला अमूर्त है, क्योंकि उसे ब्राह्य साधनों की कम से कम आवश्यकता रहती है। मूर्त कला में चूना, पत्थर आदि भौतिक साधन लगते हैं, चित्रकला में कुछ कम भौतिक साधनों का प्रयोग होता है। रंग, ब्रश कैनवास इत्यादि। इसी प्रकार काव्य कला में भी मूर्त पदार्थ का अंश अत्यन्त कम है। संगीतकार के पास सिर्फ सप्त स्वर है और वे भी अमूर्त। कवि, वस्तुकार, शिल्पकार के लिए तो प्रकृति का विशाल द्वार खुला है। संगीत कला अपने ही पैरों पर खड़ी हो कर अपना रूप प्रस्थापित करती हैं संगीत के अभिव्यक्ति के माध्यम स्वर व लय है। संसार की अभिव्यक्ति के माध्यम स्वर व लय है जिनका किसी सांसारिक वस्तु से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

सभी कलाओं में काव्य से ज्यादा प्रभाव पड़ता है काव्य से भी अधिक प्रभावशाली संगीत कला है। काव्य से भी व्यक्ति पर प्रभाव होता है। परन्तु जिस भाषा से व्यक्ति अनभिज्ञ हैं उसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा।

* सहायक प्राध्यापक (संगीत) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

आत्मिक आनंद की प्राप्ति संगीत द्वारा ही हो सकती है। संगीत के अतिरिक्त अन्य कलाओं का विचार करते समय यह प्रतीत होता है उसमें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। संगीत हमें परमात्मा तक पहुँचा सकता है।

समस्त कलाओं से तुलना करने पर पता चलता है कि अन्य कलाओं की अपेक्षा अपने श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए संगीत को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कवि काव्य के द्वारा, चित्रकला चित्र के द्वारा, मूर्तिकार मूर्ति के द्वारा अपने भावों को आसानी से पहुँचा देता है। संगीत ऐसी कला है जिसका कोई आधार नहीं, कोई आकार नहीं, आँखों से दिखाई नहीं देता केवल कानों द्वारा सुना जा सकता है। बीच में किसी भी प्रकार का भौतिक साधन न होने के कारण यह सीधा हृदय तक पहुँचता है।

कलाऐं भावों को अभिव्यक्त करने का उद्देश्य रखती है। यदि भावाभिव्यक्ति का ढंग भी सुंदर हो तो कला के सौंदर्य में चार चाँद लग जाते हैं। भाषा, शब्द, रंग, कैनवास, ब्रश, पत्थर, छैनी, हथौड़ा आदि सभी से बढ़कर संगीत में स्वरों की कलात्मक माध्यम है। स्वर सुनते समय सुनने के बाद एक समान मधुर लगते हैं। जो सीधे हृदय के कण-कण में पहुँचने की क्षमता रखने वाला माध्यम अत्यन्त सूक्ष्म व श्रेष्ठतम् माना जाता है।

जिस प्रकार कुटुम्ब में एक पिता कि पुत्रों में भिन्नता होते हुए भी कुछ समानता अवश्य पायी जाती है, उसी प्रकार ललित कला की श्रेणी में होने के कारण सभी कलाऐं किसी न किसी रूप में संगीत से सम्बन्ध रखती है। हां यह अवश्य है कोई संगीत में अधिक समीप है तथा कोई कम। वास्तव में काव्य व संगीत का सम्बन्ध सोने पे सुहागा है।

संगीत एवं अन्य कलाओं का सम्बन्ध

वास्तुकला एवं संगीत – वास्तुकला के लिये कहा जाता है, वह केवल भौतिकता को ही प्रदर्शित करती है। यह कहना उचित होगा कि भौतिक समृद्धि के साथ-साथ वास्तुकला लोकोत्तर जगत का भी प्रतिनिधित्व करती है। वह प्रतिमाओं का आत्मिक सौंदर्य का सहारा लेकर प्रतिमाओं का आत्मिक सौंदर्य प्रकट करती है। संगीत में स्वर-लय-ताल आदि की सूक्ष्मता को देखा जाता है। वास्तुकला में भवन की ऊँचाई, लंबाई, इमारत का आकार, शैली, सही शब्दों में वास्तुकला की सुंदरता, उसको देखने एवं स्पर्श करने की आवश्यकता रहती है। संगीत के सौंदर्य को अनुभव करने के लिये इन चीजों की आवश्यकता रहती है।

मूर्तिकला व संगीत – वास्तुकला से मूर्तिकला की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि तकनीक और वास्तु, साधन के प्रयोग में थोड़ा अंतर आ जाता है। कलाकार उपलब्ध साधनों से पत्थर या मिट्टी में प्राण फूँकता है। छैनी अथवा हथौड़ी की सहायता से वह आकृति रूप प्रदान करता है। मूर्ति को जीवित रूप सा प्रदान करता है। वास्तुकला से मूर्तिकला अधिक श्रेष्ठ है, परंतु मूर्तिकला से संगीत श्रेष्ठतम कला है।

संगीत एवं चित्रकला – चित्रकला में मानव की कुंठाओं, पूर्णताओं, संघर्षों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को सर्वोपरि साधन माना गया है। चित्रकला में ब्रश, पेंट, रंग, कैनवास आदि का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला समस्त स्थूल कलाओं में सर्वोत्तम है। यह एक अचल ललित कला है। चित्रकला में जो भाव रंगों के मिश्रण से प्रकट करते हैं, संगीत में वो भाव स्वरों से प्रकट करते हैं। चित्रकला की प्रदर्शनी में चित्र को देखे बिना आगे बढ़ा जा सकता है, परन्तु संगीत के स्वरों की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। श्रोता ध्यान से सुनें अथवा न सुनें, कानों द्वारा ध्वनि निश्चित रूप से ग्रहण की जाती है। चित्रकला का सीधा सम्बन्ध नैत्रों से है, ये कला अस्थाई और नाशवान है। संगीत कला का सीधा सम्बन्ध आत्मा से है और यह आत्मा की तरह अमर है।

काव्यकला एवं संगीत – संगीत एवं काव्य दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम उत्पत्ति स्थान एक है। काव्य एवं संगीत एक ही प्रवाह के स्रोत हैं। काव्य दीपक है तो संगीत उसकी ज्योति। काव्य देव है तो संगीत उसमें चेतना का संसार करने वाली आत्मा। काव्य की कल्पना तथा संगीत का राग अभिन्न है। काव्य में साधन शब्द और स्वर दोनों का ही उत्पत्ति स्थान नाद है। दोनों ही नादमय है। बाबू गुलाबराय के अनुसार, 'संगीत आकार प्रदान काव्य है, काव्य सार्थक संगीत।' किन्तु संगीत का क्षेत्र काव्य से कहीं व्यापक है। जिस प्रकार काव्य में शब्दों की महती आवश्यकता रहती है, उसे संगीत में केवल नाद ही पूर्ण कर सकता है।

उपरोक्त विवेचना से यह पर्याप्त अंशों तक सिद्ध हो जाता है, कि संगीत समस्त ललित कलाओं में सर्वोच्च स्थान रखता है। मधुर स्वर लहरियाँ सुनकर पाषाण हृदय भी झूम उठता है। अन्य ललित कलायें मानव को ही आकर्षित कर सकती हैं, जबकि संगीत का प्रभाव मानव के अलावा पशु-पक्षियों पर भी स्पष्ट देखा जा सकता है। संगीत मार्तण्ड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पशुओं पर सफल प्रयोगों द्वारा इस प्रभाव को सिद्ध किया था। ललित कलाओं में जो संगीत को जो उच्चतम स्थान प्राप्त है, वह और किसी कला को नहीं। आधार की सूक्ष्मता, आनंद की विपुलता और सार्वभौमिकता के कारण संगीत सभी कलाओं में उत्कृष्ट है। कोई भी प्रगतिशील व्यक्ति संगीत की उपेक्षा नहीं कर सकता, संगीत निश्चय ही समस्त ललित कलाओं में श्रेष्ठतम स्थान रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संगीत विशारद
2. भारतीय संगीत का इतिहास
3. भारतीय संगीत का इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र
4. राग परिचय

****

राजेन्द्र यादव (निबन्धकार के रूप में)

डॉ. प्रेमलता तिवारी *

शोध सारांश – सफल कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में यादवजी का नाम सर्वविदित है। परन्तु इसके अतिरिक्त वे अच्छे निबन्धकार, अनुवादक और कवि भी थे, यह बहुत कम लोग जानते है। अपनी परिपक्व अनुभूतियों को स्पष्ट अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नितान्त मौलिक विचारो के सहारे उन्होंने निबन्ध विधा को सामाजिक बनाने का सफल प्रयास किया है। विचारो की परिपूर्णता, भावनाओं की पराकाष्ठा, बौद्धिकता के गांभीर्य से परिपूर्ण उनके निबन्ध सच्चे अर्थो में उत्कृष्ठ निबन्धों की श्रेणी में आते है। साहित्यिक और विचारात्मक निबन्धों में गंभीर चिंतन, भावात्मकता, आत्मगत विचार श्रृंखला और साहित्यिक रचना शैली में व्यक्तित्व की छाप और सहजता के प्रभाव में गंभीर भाव बोध से निबन्ध परिपूर्ण बने है।

प्रस्तावना – सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व में कवि, कथाकार, आलोचक, अनुवादक, निबंधकार और उपन्यासकार के रंग–बिरंगी रूपों का समन्वय है। विशिष्ठ और गंभीरतम साहित्यकार ने सूक्ष्म दृष्टिकोण के आधार पर जिन विधाओं की सृष्टि की है, उसमें जीवन के अनुभवों की साथ सहित्य के प्रति गहन आस्था भी अभिव्यक्त होती है।

कहानी स्वरूप और संवेदना– 'प्रेमचन्द की विरासत और अन्य निबन्ध' इन दो कृतियों में तर्क वितर्क से संपन्न बुद्धिवाद के वातावरण में प्रस्तुत निबन्ध क्रियाशील है। निबन्ध लेखक से प्रतिभा, अनुभव और शिक्षा के जिस अपेक्षित योग की आशा की जाती है वे लेखक के पास सुरक्षित है। अपवाद स्वरूप कुछ निबन्धों को छोड़ दे तो उनके सभी निबन्ध विशुद्ध साहित्यिक निबन्धों की श्रेणी में आते हैं। कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में सफल होने के कारण निबन्ध में वे अपने गहन गंभीर परिपक्व दृष्टिकोण को और अधिक सहाय बना पाये है।

निबन्धों के माध्यम से मौलिक और साहसिक विचारों की अभिव्यक्ति इतनी निष्पक्षता से कर पाना हरएक के लिए संभव नहीं है। उनकी संपूर्ण लेखन प्रक्रिया में एक गुप्ता गंभीर वैचारिक संघर्ष है। जहां सहृदयता से हृदयंगम करने की वस्तु है। व्यक्तित्व की गहरी छाप से प्रभावित दोनों कृतियों में मनोवैज्ञानिक ढंग से भावों का संप्रेषण है। स्वाभाविक सुषमा और तीव्र व गंभीर विचारों के मूक उदाहरण के रूप में दोनों कृतियां उल्लेखनीय है। निबन्ध श्रेणी में शीर्ष स्थान पाने वाली इन कृतियों अर्थ गांभीर्य विशुद्ध साहित्यिकता के आधार पर प्रतिपादित की गई है। एक विशेष बात तो यह है कि अपने विचारों पर अडिग रहते हुए विषयों को बुद्धिगम्य तथा व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। परिष्कृत भाषा प्रयोग द्वारा सुन्दर भावयुक्त वैचारिक सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। निबन्धकार के रूप में साहित्य संबंधी उनकी नवीन मान्यताओं का विद्वत वर्ग ने ही सम्मान किया है। साहित्य साधना तथा चिंतन का गंभीरता से मार्मिक साहित्यिक विचारों को पूर्णत: प्रश्रय किया है।

'कहानी स्वरूप और संवेदना' बाइस निबन्धों की रचनात्मक कृति है, जिसमें कहानियों के नये पक्ष का अनदेखा चित्र खींचकर पाठकों के सम्मुख रखा है। यों तो कहानी संबंधी विवाद साहित्य में पूरे जोरों पर चल रहा है जिसका हल निकालना असंभव है। इसको ही दृष्टिपथ पर रखते हुए इस विवाद के कारण कहानी के लुप्त होते जा रहे वास्तविक स्वरूप को खोलकर सामने रखा है। प्रसिद्ध कहानीकार होने के नाते वे स्वयं हमेशा आलोचाओं से घिरे रहते है। फिर भी इन निबन्धों में कहानी से नई कहानी तक की यात्रा का नवीन प्रकार से विश्लेषण कर सभी चुनौतियों पर तीखा प्रहार किया है। संघर्ष के कारण कहानी की बिगड़ी हुई कुरूप सिसकती आत्मा को सबके सामने लाने का नग्न परन्तु सत्य प्रयास किया है। क्या धर्म की साहित्यिक प्रक्रिया को यथातथ्य अपनाते हुए लेखक ने कहानी के प्रयोगों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए अपनी भूमिका का उत्तरदायित्वपूर्ण सम्मान से निभाया है। प्राचीनता की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए आजकल कहानियों में नैतिकता की मांग करने वालों को मुंहतोड़ उत्तर देते हुए लेखक ने प्रस्तुत निबन्धों में उनका भ्रम भंग किया है। प्राचीनता के नकली स्वाभिमान के प्रति अनास्था प्रकट कर उनके खोखलेपन को खुली चुनौती दी है।

यहां प्रत्येक निबन्ध के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नही होगी क्योंकि यह करना अपने कमजोर, प्रयास को दुहराना होगा। द्वितीय अध्याय में इनकी चर्चा की जा चुकी है। केवल लेखक की विचार परम्परा का उल्लेख ही पर्याप्त होगा। वैज्ञानिक, व्यावहारिक गतिशील विचारों का प्रतिपादन करते हुए लेखक ने आधुनिक कहानी की कुंठित दिशा को सही राह दिखाने का प्रयास किया है। कहानीकार होने के नाते स्वानुभूति की निर्वैयक्तिव प्रामाणिकता के बल पर नितान्त निजी वैचारिकता को प्रस्तुत कृति की नींव बनाई गई है। कहानी संबंधी विचाराधारा को अपने संदर्भो से अलग कर उनके स्वरूप और गठन को परिवेश के तकनीकी रूप में परखने का प्रयास किया है। बिना किसी स्वार्थ या आडम्बर के नये वातावरण में साहस के साथ लेखक ने आधुनिक कहानीकार की कमजोरी और मजबूरियों का उल्लेख कर सच्चाई के साथ उनके निहित स्वार्थो की भी चर्चा की है। विशिष्ट दृष्टिकोण से आच्छादित कहानी विधा के वर्तमान बौद्धिक संघर्ष को केन्द्र बनाकर जो निबन्ध लिखे है वे निश्चय ही हिन्दी कहानी के शक्ति के उन्नत प्रकाश स्तंभ है। ये निबन्ध केवल भारतीय वर्तमान परिवेश से प्रभावित नहीं है। परन्तु देशी विदेशी घातों प्रतिघातों दबावों से प्रभावित परिस्थितियों के कारण अधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं। लेखनीय बौद्धिकता के अर्थ में ये विशिष्ट निबन्ध आज पूरे परिवेश की यथार्थता को अपने में समेटते हुए चले है। कहानियों का संपूर्ण आधुनिक परिवर्तित रूप इनके लेखों में सहज स्पष्ट है।

एक के बाद एक आने वाले रचनात्मक लेख में विचारात्मक प्रधानता का निर्वाह करते हुए निर्भीकता से साहित्यिक विचारों की परम्परागत श्रृंखला पर निर्मलता से प्रहार करते समय वर्तमान कमजोरियों की ओर इंगित करना भी नही भूले है। इन निबन्धों में उन्होंने जो कुछ भी दिया है। वह अपनी

*प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

अनुभूतियों विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर ही किया है।

ईमानदारी, प्रतिभा, अध्ययन और मेघा जैसे विलक्षण गुणों की जीवंत समाज मित्र नामवर सिंह को समर्पित कृति 'प्रेमचन्द की विरासत और अन्रू निबंध' में छब्बीस लेख संग्रहीत है। सभी लेख साहित्यिक दिशाओं को प्रतिबिंबित कर वर्तमान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए यही संतुलन का परिचय देते है। लेखकीय प्रासांगिकता को ध्यान में रखते हुए इन निबन्धों में हमें जो कुछ मिला वह विलक्षण है। ठोस और व्यवहारिक धरातल पर इन निबन्धों में साहित्य, कलाकार और उनकी रचना प्रवृत्ति को वास्तविकता से अनुप्रमाणिकता के आग्रह से लेखक समाज के जिस बौद्धिक क्षेत्र के निवासी है, उनमें ही विहार करने वाली साहित्यिक दुर्बलताओं और समस्याओं को निबन्ध का विषय बनाया है। इस दृष्टि से साहित्य में व्यक्ति पूजा: एक प्रक्रिया है, 'लेखक चला संपादक की चाल', चोरी के माल की नुमाइश: रचना संसार उल्लेखनीय है। विषय और वातावरण की दृष्टि से सभी लेख अपनी जगह उत्कृष्ट हैं। शक्तिशाली और उत्कृष्ट लेख ही लेखक के सामर्थ्य और शक्ति के आधार है। अर्थ संदर्भ की दृष्टि से अपने आप में ध्वनित समस्त लेख मौलिकता का आवश्वासन देते हैं। संस्कारों की बदलती प्रकृति से पराश्रित साहित्य को जानने के बाद ही इन लेखों में प्राण फूंके हैं। लेखनी चाहे जिस लेख के लिए चुनी हो, सभी एक से बढ़कर एक सशक्त हैं। इन्हीं आधार पर उनका साहित्यिकार रूप साकार हुआ है।

1952 से 1977 तक लिखे गये लेखों के संग्रह के पीछे इनके रूचि परिवर्तन का हाथ रहा है। स्वयं लेखक ने लिखा है –

'इन रचनाओं को पुस्तकार देने से पहले दुबारा पढ़ने के दौरान सिर्फ ईमानदारी से महसूस करते हुए, बेबाक और बेलाज होकर लिख दीजिये, यानी किसी भी साहित्योत्तर लिहाज को बीच में न आने दीजिए। आप पायेगें कि जो कुछ आपने लिखा है वह 'विवादास्पद' भी है और 'विचारोत्तेजक' भी।'[1]

इसी आधार पर हम भी कह सकते है कि अपने प्रति ईमानदार रहकर केवल संतोष धन के लिए इन निबन्धों की सृष्टि की है। विषयवस्तु की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखते हुए भी इसमें व्यक्तित्व की पूरी छाप है। निबन्धों की रोचकता, सहजता और अकृत्रिमता विशेषता है। चिन्तन और अनुभूतियों ने लेखक के व्यक्तित्व को निरावरण कर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत दोनों कृतियों में संगृहित किये गये निबन्ध शुद्ध साहित्यिक और विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आते है। लेखक ने एक और जहां कहानी के स्वरूप और संवेदनाओं को ध्यान में रख समीक्षात्मक निबन्ध लिखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साहित्य, सिनेमा, प्रेयसी, राजनीति, संपादकीय के संबंध में गुंफित विचार परम्परा की विशेषता रही है। आवश्यकतानुसार सुगठित गंभीरता सरलता और भावुकता के रंगो से निबंधों का आकर्षण रंगीन चित्रों में ढाला है। विद्धता एवं पांडित्य की स्पष्ट झलक हर निबन्ध में है। व्यंग्य का पुट देकर कड़वी से कड़वी और गंभीर से गंभीर बात को रूचिकर शैली में रखकर आकर्षक बनाया गया है। उदाहरण के लिए आज राष्ट्र में हिन्दी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साहित्यकारों की भी दयनीय दशा हो रही है। उसकी और सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखते है– 'क्या हिन्दी एम.ए. केवल थर्डरेट्स और महिलाओं की ही डिग्रियां बढ़ाता रहेगा–यानी केवल उन्हीं लोगों में घुटकर मर जायेगा। जिन्हें जिन्दगी के सीधे संघर्ष में आने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उस संघर्ष को तो उनके अभिभावक पति झेलते है ? और इस जलती सिसकती पीढ़ी के निर्माता यानी मैनुफैक्चरर्स कानों में तेल डाले, नीरों के अनासक्त भाव से रस और शास्त्र की बंसी और अपने बैंकबैलेन्स ही बनाते रहेगें।'[2]

इस प्रकार के गंभीर विषयों पर लिखे गये लेखों की शैली विचारात्मक है। भाव व विचार प्रतिष्ठित भाषा में प्रवाहमयी शैली में व्यक्त किये गये हैं। क्योंकि जो कुछ लिखा है वह दृष्य की लम्बी भावना है। ये सभी निबन्ध वैयक्तिकता और कल्पना प्रवणता के साथ तक शैली के कारण श्रेष्ठ निबंधों में स्वीकृत होने का अधिकार रखते है।

सार्थक कलात्मकता और वैचारिक सांकेतिकता से परिपूर्ण ये दोनों कृतियां बहते यथार्थ की गहराई को पकड़कर सार्थक गठन के रूप में प्रस्तुत की गई है। लेखक ने अधिकाधिक तटस्थ होकर गंभीर विचारों के अन्वेषण और संप्रेषण की दिशा में नवीन गौरवशाली प्रयास में सफलता प्राप्त की है।

लेखक स्वयं विधाओं को परम्परागत तत्वों में बांधकर रखने के आदी नहीं हैं। ये तो केवल कहानी और हिन्दी साहित्य के प्रति दिग्भ्रांत करना चाहते हैं। हिन्दी के नवीनतम द्वंद्वों को देख नवीन वैयक्तिकता और परिवेश की दुहाई दे प्राचीनता के नाम पर रोने वाले आलोचकों को उदात्त ईमानदारी से ललकार कर अपनी विचारधारा को प्रवाहित करना चाहते है। उन्होनें स्पष्ट लिखा है कि–'मैं इसे साहित्यत्तर मन्तव्य मानने के लिए विवश हूं। इस तरह के मन्तव्यों के बीच, एक मन्तव्य अपनी ओर से मिला देने में असली बात नेपथ्य में चली जाती है। जरूरत यह है कि 'परम्पराएं और दुरान्तर सूत्र' तलाश करने की बजाय, उठाये गये युद्धों पर ही ध्यान दिया जाय और व्यक्तियों से हटकर समस्या को बड़े, संदर्भो के साथ निर्भीक और बेलाग होकर लिया जाय।'[3]

इस विचारधारा को देखने के बाद शास्त्रीय तत्वों पर वैधानिक दोष खोलकर लेखक की क्षमता को कमजोर बनाने की यहां संभवत: अब जरूरत नहीं रही है। निबन्ध के शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से तो बहुत ही कमियां दृष्टिगत होती है। परन्तु लेखक के विचारों को जानकर उन्हें आधुनिक परिवेश को देख छोड़ देना ही उचित होगा। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि लेखक मूलत: कहानिकार और उपन्यासकार हैं। इस श्रेणी की उच्चता तक पहुंचने के मार्ग में आयी कठिनाइयों को उन्होंने समझना और विचारों के माध्यम से लेखों में प्रस्तुत कर आने वाली पीढ़ी के लिए सुगम राह बनायी है।

विचारों को प्रस्तुत करने की दिशा में सबसे अच्छा दोष यही दृष्टिगत होता है कि अपने विचारों को अधिकाधिक सहज व सुगम बनाने के लिए पुनरावृत्ति करना उनकी आदतों में शामिल हो गया है। नामों, स्थानों और विचारों की पुनरावृत्ति की भूलभूलैया में अनावश्यक बढ़ती निबंध सीमा को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की है। शिल्प चमत्कारिक के मोहफांस में फंसकर इनके लेख बौद्धिक जात से निकलने की कोशिश में गतिविहीन से हो गये है। परिमार्जित, क्लिष्ठ, भावगंभीरता से परिपूर्ण शैली के लेखों को कठिन व एक सीमा तक नीरस बना दिया है। परन्तु संपूर्ण कृतियों पर यह आरोप लगाना अनुचित है अनावश्यक तौर पर अंग्रेजी शब्दों के खुलकर प्रयोग करने की प्रवृत्ति में पाठकीय जिज्ञासा में नीरसता का संचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

निजीपन के अहसासों में चिंतन प्रक्रिया पाठकों की रूचि को छोड़ लेखक के निष्कर्ष की खोज में अकेली ही बहुत आगे निकल जाती है। पर मार्ग भटक कर पुन: वहीं लौटने का असफल प्रयत्न करती है। यह प्रयत्न पाठकों एवं लेखकों के बीच दरार लाती है। बार–बार विचारों की बदलती भाषा में

पुनरावृत्ति बौद्धिक पाठकों को भटकाने की बात मात्र ही लगती है । इस संबंध में लेखक भी अपनी दुर्बलता जानते हैं– 'भरसक निष्पक्ष और तटस्थ रहने का प्रयास किया है फिर भी विधा की जिस प्रवृत्ति से अपने को जुड़ा हुआ पाता हूं, वह मेरा अड्डा तो है ही। सारे आसमान का चक्कर लगाने वाला कबूतर लौट–लौट कर तो अपने अड्डे पर ही आता है।'[4]

इस निर्दोष गलती को स्वीकार करने के बाद अगर हम केवल लेखक को ही दोषी बताकर पृष्ठों को रंगीन करें तो संभवत: यह हमारी पुनरावृत्ति का दोष हम पर आ जायेगा।

एक विचारणीय बात तो यह है कि प्रसंगानुकूल निष्कर्षो को खोजने के प्रयास में समकालीन आलोचकों पर निजी आक्षेप करने में चूके नहीं। साहित्यिक निष्पक्षता की दृष्टि से यह वैयक्तिक दोष ही है जो नामी कलाकारों जैसे नामवर सिंह, राजेन्द्र अवस्थी जैसों पर व्यक्तिगत प्रहार किये हैं, यह तो अपनी बात को पाठकों पर लादने का दुराग्रह ही है। भावतरंगों में संभवत: वे भूल गये कि जो पाठक उनकी चाहत के परे हैं वे इन कलाकारों के भी चहेते हैं। अतएव साहित्य में व्यक्तिगत कटुता का प्रहार अनावश्यक है।

इन निबन्धों में अगर कोई बात विशेष परिभाषित होती है तो यह यही है कि साहित्य संबंधी चिंतन प्रणाली शास्त्रीय धरातल को पूर्णत: अस्वीकार कर साहित्यिक धरातल पर दृढ़ता से तो टिकी है पर उसमें व्यक्तिगत प्रभाव बाधा डालता है। आजकल की फैशन के अनुसार प्रचार प्रवृत्ति का दोष भी कहीं सिर उठाकर अपनी स्थिति का संकेत कर देता है। परन्तु वह अपवाद होने के कारण क्षम्य है। साहित्य की मूल भावना को लेकर विपरीत वैषम्यगत संघर्षमयी परिस्थितियों में उसे स्थिर करने की कोशिश में अगर व्यक्तिगत अभाव कहीं कहीं जोर करता भी है तो उद्देश्य देख यह महान अपराध तो घोषित नहीं किया जा सकता। पांडित्यपूर्ण बौद्धिकता के जात में उलझे लेखों के मार्ग उसने अधिक कंटकमय नही हैं कि पाठ निर्विरोध लक्ष्य पर पहुंच न पाये। इन निबंधों में उन्होंने जो कुछ दिया है यह अपनी अनुभूतियों और विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर ही दिया है।

लेखक के समीक्षात्मक और विवरणात्मक निबंधों से हटकर कतिपय भावात्मक निबन्धों की भी झलक है। प्रमुख रूप से कल्पना के बजाय सामयिक मांग को देखकर समस्त तेज साहित्य की विशिष्ट मांग की पूर्ति करते हैं।

ये निबन्ध इनकी स्थायी कीर्ति के स्तंभ माने जा सकते हैं। भाषा को परिष्कृत करते हुए सुन्दर भाव प्रयास युक्त वैचारिक के कुशल उदाहरण के रूप में ये लेख उल्लेखनीय हैं। विद्धानों लेखकों ने समाज और साहित्य के संबंध में ऐसे विचार व्यक्त किये है कि जो आज की मांग को देखते हुए अत्यंत उपयोगी है। कतिपय दोष होते हुए भी लेखक को दोषी कहना अतिशियोक्ति होगी क्योंकि उनके लेखों का लक्ष्य साहित्य की प्रवृत्तियों की खोज और नवीन मान्यताओं की स्थापना रहा है। इस उद्देश्य को जानने के बाद इन दोषों को भूल जाना ही बेहतर होगा क्योंकि उद्देश्य ही अपने आप में महान है और हिन्दी साहित्य के विकास में गंभीर रूप से योगदान देने में सक्षम हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कहानी– स्वरूप और संवेदना: द्वितीय संस्करण 1977 नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
2. प्रेमचन्द की विरासत: प्रस्करण 1978 अक्षर प्रकाशन प्रा.लि. दिल्ली।
3. आजकल: 1980।
4. मेरा हमदम मेरा दोस्त/सं. कमलेश्वर।
5. www.reaserch shodh.com

****

भक्ति काव्य परम्परा के संत कबीरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व

डॉ. मधुमती नामदेव *

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग भक्तिकाल में भक्ति काव्य परम्परा का अविस्मरणीय स्थान है। भक्तिकाव्य परम्परा में संत कबीरदास महानतम कवियों में से एक थे। भक्तिकाव्य परम्परा के संवाहक, व्यंग्य लेखन के सूत्रधार, बोलचाल की भाषा के प्रथम कवि, मस्तमौला, व्यक्तित्व के धनी संत कबीर दास जी का जन्म उस विषम परिस्थितियों के बीच हुआ जब हमारा भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मुस्लिम साम्राज्य के अत्याचारों से भारतीय जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी, कि वह निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी, ऐसी अत्याचारपूर्ण विषम परिस्थितियों में कबीर की वाणी ने भारतीय जनमानस के हृदय में आशा रूपी दीपक की लौ जगाई।

प्रस्तावना – भक्तिकाव्य परम्परा के संत, समाज सुधारक कबीरदास का जन्म काशी के पास लहरतारा गाँव में संवत् 1455 को हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहे दम्पत्ति ने किया। कबीरदास की पत्नि का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। संत कबीरदास जी का अवसान मगहर में संवत् 1575 को हुआ। कबीरदास निरक्षर रहे उन्होंने जैसा देखा वैसा ही अपनी वाणी से कहा। इसीलिये इनकी वाणियों को साखी कहा जाता है। शिष्यों ने संत कबीरदास के देहावसान के बाद इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया।

कबीरदास के काव्य का सर्वाधिक महत्व सामाजिक, धार्मिक एकता का संदेश देने में है। उनकी भक्ति में प्रेम और त्याग की बड़ी महिमा है। संत कबीरदास अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न संत हैं, उनके समकक्ष किसी को ठहराना पड़े तो लेखनी संकुचित हो उठती है, क्योंकि वे अद्धितीय थे। हिन्दी साहित्याकाश में उनका कोई प्रतिद्धन्दी नहीं है।

जब जब होई धरम की हानि, बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा।।

संत कबीरदास हिन्दी साहित्य की भक्ति काव्य परम्परा के महानतम् कवियों में से एक थे। ये भारतीय संस्कृति के उन्नायक संत कवियों में से एक हैं। भारतीय भक्ति परम्परा के सच्चे संवाहक, व्यंग्य के सूत्रधार एवं बोलचाल की भाषा को साहित्य में स्थान देने वाले प्रथम कवि हैं। ये प्रथम संत हैं, जिन्होंने समाज की असंगतियों से, विषमताओं से लोक जीवन को परिचित कराया इसीलिये भारतीय मनीषा के प्रथम समाज सुधारक कहे जाते हैं। हिन्दी साहित्य की चर्चा ही नहीं वरन् भारत के धर्म, भाषा और संस्कृति की चर्चा बिना कबीर के अधूरी है।

भारत के संत, समाज सुधारक एवं हिन्दी साहित्य में व्यंग्य के प्रणेता कबीरदास का जन्म काशी के पास लहरतारा गाँव में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को संवत् 1455 दिन सोमवार को हुआ। इस संबंध में कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने स्वयं उल्लेख किया है –

चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए।
जेठ सुदी बरसायत को, पूरानमासी तिथि प्रगट भए।।

कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया अत: कबीरदास जाति के जुलाहा थे। उन्होंने एक पद में स्वयं स्वीकार किया है–

'तू बांमन मैं कासी का जुलाहा, चीह्नित मोर गियाना।' कबीरदास की पत्नि का नाम लोई एवं पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था।

भारत में जब सम्पूर्ण मानव जाति भेदभाव, छुआछूत अंध विश्वास के साथ–साथ अन्य विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराईयों से ग्रसित था तब इन सब बुराईयों का विरोध कर कबीर ने भारतीय समाज ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज को आपसी प्रेम, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने का मंत्र दिया।

कबीर युगपुरुष, क्रांतिकारी युग दृष्टा हैं, समाज सुधारक हैं। भारत समाज सुधारकों की कर्मस्थली है संत कबीरदास भारत के समाज सुधारकों राजा राम मोहनराय, दयानंद सरस्वती, ज्योति बा फूले, रवीन्द्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और डॉ. अम्बेडकर आदि के लिये पथ प्रदर्शक हैं, क्योंकि रूढ़ि परम्पराओं से मुक्ति का कार्य आधुनिक युग में इन समाज सुधारकों ने किया उसके सूत्रधार, उसके प्रणेता संत कबीरदास हैं।

संत कबीरदास जी का अवसान भी जन्म की तरह रहस्यवादी है। आजीवन काशी में रहने के बावजूद अंत समय कबीरदास मगहर चले गये, क्योंकि जन्म से ही परम्पराओं के विद्रोह संत यह सिद्ध करना चाहते थे कि मगहर में निधन से नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती और उस समय यह किवदंती प्रचलित थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। उनकी मृत्यु मगहर में संवत् 1575 को हुई इस संबंध में यह दोहा दृष्टव्य है –

'सम्वत् पन्द्रह सौ पचहत्तर किया मगहर को गौन,
माघ सुदी एकादसी, रलो पौन में गौना।'

उनके अवसान के पश्चात् दाह संस्कार पर भी किवदंती प्रचलित है, कि कबीर दास की मृत्यु होने के पश्चात् उनके शिष्यों में उनके दाह संस्कार हेतु लड़ाई होने लगी क्योंकि हिन्दु शिष्य हिन्दु रीति रिवाजों से एवं मुस्लिम शिष्य मुस्लिम रीति रिवाज से दाह संस्कार करना चाहते हैं। शिष्यों ने जब चादर हटाई तो उन्हें कबीरदासजी के शरीर की जगह फूल मिले। शिष्यों ने वे ही फूल आपस में बाँट लिये। कबीरदास जी के बार में प्रेम काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि जायसी का यह वक्तव्य दृष्टव्य है–

'ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाहे सौ में हारा। प्रेम तंतु नित ताना तनाई, जप तप सधि सैकरा भराई।।'

यह अतिश्योक्ति न होगी कि कबीर जैसा व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य के इतिहास में कोई दूसरा नहीं।

संत कबीरदास के गुरू रामानंद हैं, ऐसा कहा जाता है, कि जिस घाट पर रामानंद स्नान करने जाते थे, कबीरदास उस घाट की सीढ़ियों पर लेट गये, स्नान करके वापस लौटते समय रामानंद का पैर कबीरदास के शरीर पर पड़

* प्राध्यापक (हिन्दी) शा.ओ.एफ.के. महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

गया उनके मुख से तत्काल राम-राम शब्द निकल पड़ा। कबीर ने उसी राम नाम को अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद को गुरू। कबीर के ही शब्दों में-

हम कासी में प्रकट भये, रामानंद चेताये। एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है -

भक्ति द्रावि‍ण उपजी लाए रामानंद। परगट किया कबीर ने,
सप्तदीप नवखंड।।

संत कबीरदास ने हिन्दु और मुस्लिम दोनों जातियों के संतों और फकीरों का सत्संग किया, दोनों की ही अच्छी बातों को हृदयंग किया। संत कबीरदास निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं कहा है -

'मसि कागद छुओ नहिं, कलम गहयो नहिं हाथ।'

अत: वे मौखिक प्रवचनों पर अधिक विश्वास रखते थे। कबीरदास जी ने जो कुछ देखा-सुना उसे ही अपने शब्दों में कहा (गाया) और उनके मरणोपरान्त उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं- साखी, सबद और रमैनी। कबीर के काव्य में गुरू महिमा, ईश्वर महिमा, सत्संग महिमा और माया-मोह के फेर का सुंदर वर्णन किया जो समाज सुधार एवं व्यंग्य के रूप में प्रकट हुआ।

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आज हम जिस मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी शुरूआत हमें काव्य में अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव शब्दों के प्रयोग के माध्यम से हमें दिखाई देती है।

कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व सामाजिक एवं धार्मिक एकता और भक्ति का संदेश देने में है। कबीरदास की भक्ति में प्रेम और त्याग की बड़ी महिमा है। प्रेम व त्याग ही कबीर के अनुसार ब्रह्मानुभूति के मूल आधार हैं इसीलिये वे कहते हैं -

'यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। सीस उतारै भुई धरै,
तब पैठे घर माहि।।'

इस ईश्वर के लिये ब्रह्म-अनुभूति के लिये गुरू आवश्यक है, और यह गुरू ईश्वर से भी बढ़कर है, क्योंकि इसने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है -

'सतगुरू की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।
लोचन अनंत उघाड़िया, वै अनंत दिखावणहार।।'

और इसीलिये इस सतगुरू को गुरू दक्षिणा देने की इच्छा कबीर के मन में ही रह गई क्योंकि राम-नाम के अलावा और कुछ नहीं है उनके पास -

'राम नाम के पटतरै, देबै को कुछ नाहिं।
क्या ले गुरू संतोषिऐ, हौंस रही मन माहि।।'

संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं, कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं, तो दुश्मनी भी न हो -

'कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर।
ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।।'

कबीर मध्ययुग की भारतीय मनीषा के प्रथम संत हैं। भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और संस्कृति की चर्चा बिना कबीर के अधूरी है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ अत्याधिक विकट थी, समाज अनेक रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। जहाँ एक ओर मुस्लिम सामंतवादिता विद्यमान रही, वहीं दूसरी ओर हिन्दु समाज में ब्राह्मणवाद द्धारा स्थापित कर्मकाण्ड का वर्चस्व रहा। इन दो विरोधाभासी विकट परिस्थितियों में हिन्दु समाज को निराशा के जीवन से उबारने का कार्य एकमात्र कबीरदास ही कर सके। सामन्तवादी समाज में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति का वर्चस्व था, उसके पाखण्ड का विरोध करते हुए कबीर ने कहा है कि वह चारों वेदों में ही उलझा रहता है -

'ब्राह्मण गुरू है जगत का साधु का गुरू नाहि,
उरझ उरझ कर मरी रइयो चारि वेदा माहि।'

आज भी हम ब्राह्मण जाति को उच्च मानते है मनुष्य के पैदा होने से लेकर मरण तक बिना ब्राह्मण के परिवार का कोई भी सामाजिक कार्य सम्पन्न नहीं होता इस व्यवस्था का कबीर ने ललकार कर विरोध करते हुए कहा है -

'यदि तू बांमन बमनी जाया, ऑन बाट से क्यूं नहिं आया।'

वर्ण व्यवस्था में शूद्र को सबसे निम्न जाति का माना जाता था। गाँव में प्रवेश निषिद्ध था। यदि धोखे से बर्तन आदि छू ले तो उस बर्तन को बेच दिया जाता था जबकि बिल्ली कुत्ते के छूने से वह बर्तन त्याज्य नहीं था। मंदिर, सभा आदि में भी प्रवेश का अधिकार नहीं था जिसे कबीर दास ने अनेक वर्ष पहले ही कह चुके -

'जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै तो हरि का होई।'

आज भी यह स्थिति है ब्राह्मण शुद्रों का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। इस स्थिति से उबरने के लिये हमने संविधान में अस्पृश्यता विरोध का विधेयक पास किया।

जाति संबंधी यह विषमता आज जीवन के हर क्षेत्र में है खान पान, रीति रिवाज़, विवाह संस्कार सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। कबीरदास के 600 वर्ष बाद भी हमारा समाज उस जातिगत विषमता से उबर नहीं पाया जिसे तात्कालिक समय में कबीरदास ने देखा था। आज सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति संकीर्ण स्वार्थों की भित्ति पर खड़ी है, पता नहीं इससे समाज को कब मुक्ति मिलेगी।

मुझे तो संत कबीर की वाणियों और उनके बताये मार्ग के अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण-व्यवस्था का जो विकराल रूप है, उससे आर्थिक रूप में भी दो वर्ग निर्मित हो चुके हैं। पूंजीगत वर्ग (अमीर) और सर्वहारा वर्ग (मजदूर वर्ग)। धनी और गरीब की यह खाई युगों से चली आ रही है और आज भी कायम है। शोषित वर्ग को अर्थाभाव के कारण कहीं से भी सम्मान नहीं मिलता। उसे दर-दर भटकना पड़ता है। समाज की इसी वास्तविकता को कबीरदास ने उस युग में कहा -

'निरधन आदर कोई न देई। लाख जतन करै ओहु चित्त न धरेई।।'

साम्प्रदायिक तनाव को कबीर ने राम रहीम की एकता के माध्यम से समाप्त करने का उपाय खोजा। धर्म संबंधी विसंगतियों में हिन्दु धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के आडम्बरों का विरोध करते हुए कहा-

'काकर पांथर जोड़िकर, मस्जिद लई चुनाय।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय।।'

हिन्दु-मुस्लिम सभी को ब्राह्मण उपकरण के बयान पर मानसिक पूजा करना चाहिये। बाहरी आडम्बर व्यर्थ है। हिन्दुओं के पूजा व्रत को गुड़ियन सा खेल कहा है तो तीर्थ यात्रा को व्यर्थ माना है -

'मथुरा जावै, द्धारको जावै, जा जगन्नाथ साध।
संगति हरिभगति बिन, कछु न आवै हाथ।।'

कबीरदास जी का कहना था कि मन में परिवर्तन करना चाहिए। माला जाप से कुछ नहीं होता। कबीर का यही मन्त्र आज जोर पकड़ रहा है। आज माला जाप पर किसी का विश्वास नहीं है कर्म पर विश्वास है।

इतने पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो मुसलमान और हिन्दुओं के कर्मकाण्डों पर व्यंग्य किया -

हिन्दु अपनी करै बड़ाई, गागर छुवन न देई।
वैस्या के पावन तर सौवे, यह देखो हिन्दुआई।।
मुसलमान के पीर औरिया, मुर्गा मुर्गी खाई।
खाला केरि बेटी ब्याही, घर में करै सगाई।।

एक तरफ भारतीय हैं, जो कहते हैं, राम प्यारा है, दूसरी तरफ तुर्क है, जो कहते हैं, रहीम के बंदे हैं, दोनों ही आपस में लड़कर एक दूसरे को तबाहकर देते हैं पर धर्म का मर्म नहीं जानते हैं –

कहै हिन्दु मोहिं राम पियारा, तुरक कहे रहिमाना।
आपस में दोऊ लरि–लरि मुए, मरम न कोऊ जाना।।

कबीरदास ने मुल्ला–काजी, बांमन–पुरोहित वर्ग को बेनकाब करते हुए कहा है कि दोनों की कथनी–करनी में बहुत अधिक अंतर है –

दिन को रोजा रहतु हो, राति हनति हौ गाय।

हिन्दुओं में बलि–प्रथा का विरोध करते हुए कहते हैं –

जो तोहरा को बांमन कहिए, तो काको कहिए कसाई।

कबीर के अनुसार मानव शरीर ही सच्ची मस्जिद है –

कहु रे मुल्ला बांग निवाजा, एक मसीति दसो दरवाजा।

काजी–मुल्ला की नमाज की शैली का विरोध किया। साम्प्रदायिक सीमाओं में बंधकर नामों की आराधना का खंडन करते हुए कहते हैं –

हिन्दु मुए राम कहि, मुसलमान खुदाई।
कहै कबीर सो जीवना, हुई मै। कदै न जाई।।

राम रहीम की एकता के माध्यम से कबीरदास हिन्दुओं और मुसलमानों की सामाजिक–एकता तथा मनुष्य मात्र की समानता पर बल दे रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए मानव मात्र की समानता का संदेश दिया तीर्थाटन कर्मकाण्ड का विरोध भी इसी साम्प्रदायिकता को समाप्त करना रहा –

देव पूजि–पूजि हिन्दु मुये, तुरक मुये हज जाई।
जरा बांधि–बांधि योगी मुये, इनमें किन्हू न पाई।।

मुरली मनोहर के अनुसार 'कबीरदास एक निर्भीक समाज सुधारक थे उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने धर्म के ऊपर मानवता को स्थापित किया।' इसलिये मुसलमानी मांस भक्षण को सदैव नीच और अमानवीय कर्म माना –

बकरी खाती पात है, ताकी काढ़ी खाल।
जो बकरी को खात हैं, तिनकौ कौन हवाल।।

ब्राह्मणों की हठधर्मिता और ज्ञान का विरोध करते हुए कहते हैं –

बैस्नो भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक।
छापा तिलक बनाई करि, दगध्या लोक अनेक।

ब्राह्मण चारों वेदों के अध्ययन में ही उलझा रहता है –

ब्राह्मण गुरू है जगत का; साधू का गुरू नाहि।
उरझि–उरझि करि मरि रहो, चारिक वेदा माहिं।।

भक्ति में एकनिष्ठता के लिए ब्राह्मणों के द्वारा मालाजाप की अनिवार्यता का विरोध करते हुए कहते हैं –

पंडित वाद बंदते झूठा। राम कहा दुनिया गति पाये, खांड कहै मुख मीठा।

प्रेम ही प्रकृति का सार है, प्रेम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इसीलिये–

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय।

इन सभी कर्मकांण्डों का कबीर ने खुलकर विरोध किया। अत्याचारों से पीड़ित जनता का ईश्वर के प्रति विश्वास उठ चुका था ऐसे समय में कबीरदास जी ने जनता के मन में ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न। परमात्मा की भक्ति के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती चाहे कितने ही तीर्थों का दर्शन कर लो –

मथुरा जावै, द्वारिका भावै, जा जगन्नाथ।
साध संगति हरि भगति बिन, कहु न आवे हाथ।

यह सब व्यर्थ है –

जप तप दीसै थोथरा, तीरथ व्रत बेसास।
सूवै सैबल सेविया, यौ जग जल्या निरास।।

सभी तीर्थ शरीर के अंदर हैं, बाहर ईश्वर को खोजना व्यर्थ है। भक्त यदि भक्ति मन से करे तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी इसीलिये –

'जब मन लागा लोभ से, गया विषय में सोय।
वहै कबीर बिचारि कै, कस भक्ती धन होय।।'

अपने मन में परिर्वतन करना चाहिए, यदि मन में सच्ची भावना है, तो आडम्बर महत्वहीन हो जाते हैं। काठ की माला का जाप करने, सैंकड़ों बार नहाने से और बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होता इसीलिये संत कबीरदास ने कहा –

कैसो कहा बिगाड़िया, जो मूड़ै सौ बार।
मन को काहे न मूड़िए, जायै विषै विकार।।

इसलिये

और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकारि मैं,
भक्ति करो तजि भर्म।

धन संचय, माया, मोह, लोभ, तृष्णा जो आधुनिक युग में भ्रष्टाचारिताब रिश्वतखोरीब लालफीताशाही को जन्म देता है, उसके विरोध में कहते हैं –

'कबीर सो धन संचिये, जो आगै कूँ होई।
सीस चढ़ाये पोटली, ले जात न देखा कोई।।'

संत कबीरदास का कहना है, कि हमें मानव शरीर दुर्लभ है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए –

दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारम्बार।
तरूवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरिन लागै डार।।

मानव जीवन में संतोषी होना चाहिए सृष्टि से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी से अपने जीवन को सुखी बनाते हुए सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए –

सील–संतोष सदा समदृष्टि, रहनि गहनि में पूरा।
ताके दरस–परस भय भाजै, होइ कलेस सब दूरा।।

भ्रष्टाचार और लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा मक्खी के समान 'हाथ मले और सिर धुनै, लालच बुरी बलाया।'

इसीलिये सदाचारी होना चाहिए जिससे सम्पूर्ण मानव समाज आपका रहे, क्योंकि –

'कागा का, को धन हरे, कोयल का, को देय।
मीठे वचन सुनाय के, जग अपना कर लेय।।'

अहंकार युक्त भाषा नहीं बोलना चाहिए –

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई।
औरन को सीतल करै, आपन को सुख होई।'

इसीलिये सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर ही संसार आधारित है इसीलिये–

'साँच बरोबरि तप नहिं, झूठ बरोबरि पाप।
जाकै हिरदे साँच है, ताकै हृदय आप।।'

इसीलिये मनुष्य वही है, जो संतोषी हो –

'साई इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।'

संसार में प्रेम ही सब कुछ है इसीलिये कबीरदास जी का यह कहना है कि –

जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहि राम। ते नर इस संसार में, उपजि गये बेकाम।'

इसीलिये दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति होने पर हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते जाना चाहिए –

'काल करै सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।।'

कबीर की वाणी ने सारे देश में जाति पांति को मनुष्यकृत बंधन बताकर और ईश्वर के दरबार में सबकी बराबरी सिद्ध कर इन जातियों का मनोबल बढ़ाया। कबीरदास अपने जीवन काल में जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, वे आज भी मौजूद है, मात्र उनका स्वरूप बदला है। संत कबीरदास की वाणी उनकी विद्रोही चेतना आज भी जनसाधारण में आत्मविश्वास पैदा करती है, उनमें समस्याओं से जूझने की सामर्थ्य पैदा करती है। वे सच्चे अर्थों में जन–जीवन के नायकत्व के अधिकारी है।

आज मनुष्य की मानसिकता में धन लोलुपता, वासना, परोपकार का ह्रास आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियों ने अपना वर्चस्व बना रखा है। धर्म का विकृत रूप दिखाई देता है। यह युग अधिक विचलित और भ्रमित है। कबीर के मायामोह संबंधी विचार मानव को दिगभ्रमित होने से बचाते हैं। कबीर के राम ही आज जन–जन में व्याप्त है –

'माया महा ठगिनी हम जानी' के आज अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं। यथा – आसाराम बापू, विकासानन्द, संत निर्मलबाबा, बाबा रामदेव के बारे में आज समाज में अनेक विसंगितयाँ व्याप्त हैं। जब तक इस सृष्टि पर मानव है, संत कबीर प्रासंगिक है, प्रासंगिक रहेंगे।

संत कबीरदास का कहना है, कि हमें मानव शरीर दुर्लभ है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए –

दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारम्बार।
तरूवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरि न लागै डार।।

यह शरीर नश्वर है।

हाड़ गलै ज्यू लाकड़ी, कैस जले ज्यू घास।
सब तन जलता देखकर, भया कबीर उदास।

इसीलिये मानव जीवन में संतोषी होना चाहिए सृष्टि से जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी से अपने जीवन को सुखी बनाते हुए सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए –

सील–संतोष सदा समदृष्टि, रहनि गहनि में पूरा।
ताके दरस–परस भय भाजै, होइ कलेस सब दूरा।

भ्रष्टाचार और **लालच** में कभी नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा मक्खी के समान

'हाथ मले और सिर धुनै, लालच बुरी बलाय।'

इसीलिये **सदाचारी** होना चाहिए जिससे सम्पूर्ण मानव समाज आपका रहे, क्योंकि –

'कागा का, को धन हरे, कोयल का, को देय।
मीठे वचन सुनाय के, जग अपना कर लेय।।'

अहंकार युक्त भाषा नहीं बोलना चाहिए –

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई।
औरन को सीतल करै, आपन को सुख होई।'

इसीलिये **सदा सत्य बोलना** चाहिए, सत्य पर ही संसार आधारित है इसीलिये–

'साँच बरोबरि तप नहिं, झूठ बरोबरि पाप।
जाकै हिरदे साँच है, ताकै हृदय आप।।'

इसीलिये मनुष्य वही है, जो संतोषी हो –

'साई इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।'

संसार में प्रेम ही सब कुछ है इसीलिये कबीरदास जी का यह कहना है कि – जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहि राम। ते नर इस संसार में, उपजि गये बेकाम।'

इसीलिये दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति होने पर हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते जाना चाहिए –

'काल करै सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।।'

कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है भावों के प्रकटीकरण में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी वाणी में अद्वैत की भावना व सूफीमत की छाप झलकती है।

जल में कुंभ, कुंभ में जल है। बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहिं
समाना यह तथ कथ्यो ग्यानी।

कबीर की उलट बासियाँ इतने गहरे अर्थों से ओत प्रोत हैं कि जिनका पार पाना सहज नहीं है–

ज्यों तिल माँहि तेल है, ज्यों चकमक में आगि।
तेरा सांई तुझ में, जाग सके तो जागि।।

कबीर अपूर्व प्रतिभा सम्पन्न संत हैं उनके समकक्ष किसी को ठहराना पड़े तो लेखनी संकुचित हो उठती है क्योंकि वे अद्वितीय थे। हिन्दी साहित्याकाश में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है।

उपसंहार – कबीर की साखियाँ साहित्य और समाज की अमूल्य धरोहर हैं जब तक इस सृष्टि में मानव समाज है तब तक कबीर की साखी (वाणी) मानव मन पर अमिट छाप बनाये रखेंगी। क्योंकि कबीर की वाणी आज भी जन साधारण में आत्मविश्वास पैदा करती है उन्हें समस्याओं से जूझने की सामर्थ प्रदान करती है। संत कबीर दास ने शताब्दियों की रूढ़ियों का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जन सामान्य का पथ आलोकित किया है जिसके आलोक से आज भी भारतीय समाज पथ प्रदर्शन प्राप्त कर रहा है इसलिये संत कबीर दास के संबंध में जगदीश देशमुख का कहना उचित ही है कि 'कबीर भारतीय मनीषा के भूगर्भ के फौलाद है, जिसके चोट से ढोंग, पाखंड और धर्मांधता चूर–चूर हो जाती है। कबीर भारतीय संस्कृति का वह हीरा है, जिसकी चमक नित नूतन और शाश्वत है।

कबीर दास निरक्षर रहते हुए ज्ञानियों में सर्वोपरि भारतीय संत परम्परा के संवाहक, संस्कृति के संरक्षक, धर्म निरपेक्षता के सूत्रधार, व्यंग्य के प्रणेता, मानक भाषा के सूत्रधार भारत की वह आत्मा है, जिसने रूढ़ियों और कर्मकाण्डों से मुक्त मानवतावादी भारत की रचना की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 हजारी प्रसाद द्विवेदी–कबीर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2 व्रिजयेन्द्र स्नातक–कबीर,राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।
3 राम किशोर शर्मा – कबीर ग्रंथावली, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4 डॉ. नगेन्द्र –हिन्दी साहित्य का इतिहास – अरोड़ा ऑफसेट प्रेस, लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली।
5 उषा शिवांगी –भारत के भक्तिकालीन संत, स्नेह साहित्य सरल, दिल्ली।
6 रुस्तम राय – हिन्दी आलोचना और भक्ति काव्य, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली।
7 दैनिक भास्कर, 6 फरवरी 2012।
8 दैनिक भास्कर, 10 फरवरी 2012।
9 संत साहित्य और लोक मंगल, ओम प्रकाश त्रिपाठी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

संत कबीर के मानवीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री *

शोध सारांश – आधुनिक युग की उपलब्धि मानवतावाद है और यही मानवता साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म और आर्थिक फलक पर शीर्ष स्थान पर है। संत कबीर के युग में जो सामाजिक, राजनीतिक स्थितियाँ थी कमोवेश वही स्थितियाँ आज भी कुछ परिवर्तनो के साथ समाज में मौजूद है। उस समय भी समाज में पाखण्ड का बोलबाला था आज भी जीवन आडम्बरपूर्ण और कृत्रिम है। दुराचरण की मात्रा घटने के स्थान पर बढ़ गई है। छल, कपट, हिंसा, विद्वेष और अज्ञान ने समाज को खोखला कर दिया है। नैतिक मान्यताएँ हाशिये पर फेंक दी गई है। अध्यात्म आत्मिक न होकर उपर से ओढ़ा हुआ लगने लगा है। धर्म के ठेकेदार तब भी धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर स्वार्थ की रोटियाँ सेंकते थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। तब भी समाज में साम्प्रदायिक दंगे, वैमनस्य व्याप्त थे आज भी समाज की वीभत्स सच्चाई यही है। सत्ताधीश तब भी केवल स्वयं के मनोविनोद एवं उपभोग की प्रकृति में डूबे हुए थे और उसकी आड़ में दरबारो में भ्रष्ट आचरण होता था। आज भी सत्ताधारी वोटो की भ्रष्ट राजनीति में लगे हुए है। इतने वर्षो के पश्चात् भी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में संत कबीर का मानवतावादी दृष्टिकोण और अधिक प्रासंगिक हो गया है अत: उस पर चिंतन करना आवश्यक है।

प्रस्तावना – संत कबीर का व्यक्तित्व युगान्तरकारी है, वे मानवतावादी धर्म के संस्थापक है। उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य की कामना की। वे ऐसा मनुष्य चाहते थे जो अध्यात्म रस से परिपूर्ण हो तथा शील, संतोष, परोपकार, दया, करूणा आदि भावनाओ से युक्त हो। मनुष्य मूढ़, मान्यताओं से एवं असत्य विचारो से मुक्त हो। संत कबीर ने जिस मानवीय एकता, समरसता, समता का प्रतिपादन किया वह अन्यत्र मिलना कठिन है। उनके मानवीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता हमेशा से थी व रहेगी क्योंकि शाश्वत सत्य हर युग में एक ही रहता है।

शोध का उद्देश्य – आज के आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की जीवन शैली से प्रभावित हम अपनी सामाजिक संरचना की मूलता को कहीं खो न दे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपनी सामाजिक धरोहर को सम्हालना है, मानवीय जीवन मूल्यों को सहेजना है तो संत कबीर के संदेशो पर विचार करना होगा। संत कबीर की वाणी और विचार मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने में सहायक होंगे। यदि उनकी सीख को आत्मसात किया जाये तो न केवल व्यक्तित्व का विकास संभव है, अपितु आपसी भाईचारे, पारस्परिक सौहार्द, सामाजिक समरसता तथा प्रेम का ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा जिसकी आज अत्यन्त आवश्यकता है।

उपयोगिता – संत कबीर के अन्त:करण में एक ऐसे समाज के निर्माण की भावना थी, जिसमें रहकर सभी मनुष्य शांतिमय और कलहरहित जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने ऐसा मार्ग प्रशस्त करने की चेष्टा की जिस पर चलकर मानव कलयाण की ओर अग्रसर हो सके।

भौतिक आपाधापी के युग में संतो की वाणी से ही आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति मिल सकती है। मानव में सौंदर्य प्रभाव जागृत होता है मन में सच्चा संकल्प और कठिनाईयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न होती है। संत कबीर के काव्य में वर्णित समाज और वर्तमान समाज के स्वरूप में युगो का अन्तर हो सकता है लेकिन उस समय की सामाजिक दुर्गति, उदासीनता और विछिन्नता आज भी वैसी ही है केवल उसका रूप बदला है। अंदर का मनुष्य कबीर कालीन मनुष्यों से पृथक नहीं है।

कबीरदास अपने समय के सर्वाधिक प्रखर आलोचक कटु उपदेशक और प्रखर वक्ता थे। उन्होंने समाज की धार्मिक दृष्टि का परिशोधन कर सहिष्णुता की भावना को विकसित किया। उनका मानवतावादी स्वर समाज, धर्म और दर्शन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है –'उनके साहित्य का मानवतावादी स्वर सर्वत्र अनुगूंजित है अजस्त्र, अखण्ड रूप से प्रवाहित होने वाली उनकी काव्य पय:स्विनी आज भी भावुक भक्तो, सहृदय पाठको, श्रोताओ, चिन्तनशील विचारको, नीर–क्षीर विवेकी समीक्षको, और सुधी आलोचको, पंडितो को आल्हादित, आकर्षित करने में सक्षम है।'[1]

1. क्रान्तिकारी कबीर – गोविन्दलाल छाबड़ा – पृ. 01

आधुनिक युग की उपलब्धि मानवतावाद है। समाजवादी आधार ग्रहण कर यह मानवता, साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म और आर्थिक फलक पर शीर्षस्थ स्थान ग्रहण किए हुए है। प्राचीन कवि कबीर आज भी आधुनिक है प्रासंगिक है। उनके सपनो का भारत आज भी पूर्ण नहीं है। उनकी मानवता का संदेश आज भी रिक्तता की पूर्ति कर रहा है। कबीर के दोहे ऐसे लगते है जैसे आज की स्थिति को सामने रखकर ही रचे गए हो। 'कबीर भविष्य द्रष्टा कवि थे और भारतीय मानव समाज की जो कल्पना उन्होंने की थी वह इतनी मजबूत निकली कि आज भी वह हमारे साथ है और हम उसी कल्पना को आकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'[2]

मानव धर्म को सामने रखकर कबीर ने भक्ति को मौखिक रूप प्रदान किया। उनकी भक्ति शास्त्र सम्मत आचार–संहिता और सम्प्रदायवाद के घेरे में नहीं फंसी, उनकी भक्ति मानव मात्र के हित के लिए थी 'भक्त कबीर ने यह अनुभव कर लिया था कि शास्त्र मर्यादा के साथ सम्प्रदाय निष्ठा अनायास ही जुड़ी रहती है और शास्त्र तथा सम्प्रदाय की सीमा में रहकर मानव मात्र के लिए भक्ति का सर्व सुलभ पथ प्रशस्त नहीं किया जा सकता।'[3]

कबीर का सम्पूर्ण मानव समाज से नाता था किसी एक सम्प्रदाय या धर्म से नहीं। उन्होंने जो कल्याणकारी था उसे ग्रहण किया उस युग में वही ऐसे कवि थे जिनसे लोग डरते भी थे और प्यार भी करते थे और यही उनकी उपलब्धि थी। कबीर के भक्तिमार्ग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आज तक भी कबीर को भूलने नहीं देती। भक्ति का यही मार्ग तब भी श्रेयस्कर था और वहीं मार्ग अब भी श्रेयस्कर और आवश्यक है।'[4]

कबीर सुधारवादी आंदोलन के पुरस्कर्ता न होकर मानव आत्मा की मुक्ति के लिए आध्यात्मिक संघर्ष करने वाले साधक थे। कबीर का कहना था कि मनुष्य को सुखी होने के लिए अपने से ही संघर्ष करना है अपने मन को ही जीतना है। 'मन की विषयोन्मुखता आदर्श मानव के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए उसे मन को नियंत्रित रखना चाहिए। आदर्श मानव को अहंकार रहित, नीर क्षीर विवेकी, चंदन की तरह शीतल, और दुर्जनो को भी सज्जन बनाने वाला समत्वबुद्धि सम्पन्न होना चाहिए।[5]

2. वट पीपल – दिनकर – पृ. 93
3. कबीर – सम्पा. विजयेन्द्र स्नातक – पृ. 244
4. क्रान्तिकारी कबीर – गोविन्दलाल छाबड़ा – पृ. 124

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

5. कबीर मीमांसा – रामचन्द्र तिवारी – पृ. 133

कबीर आत्मा की आवाज को सच्चा कर्म मानते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे धर्म का ज्ञान होने पर मनुष्य सभी बाह्याचारों को छोड़ देगा। मानवता के मार्ग पर चलने वाले को विवेक से काम लेना होगा। उन्हें 'हद' छोड़कर 'बेहद' होना पड़ेगा।

' हद्द छाडि बेहद्द गया किया सुन्नि असनान
मुनिजन महल न पावइ, तहाँ किया बिसराम ।।'[6]

कोरे ज्ञान, तर्क अथवा बुद्धि से मानव का उद्धार नहीं होता है उसका उद्धार तभी सम्भव है, जब कलाकार में संवेदना हो, सच्ची अनुभूति हो, मानव मात्र के प्रति ममत्व और प्रेम हो। कबीर का मानव–धर्म भी ज्ञान पर नहीं वरन् ममत्व और प्रेम पर टिका है।

'कबीर पढ़ना दूर करि, आधि पढ़ा संसार।
प्रीति न उपजी पिउ सूँ, सो क्यू करै पुकार।।' [7]

कबीर की अपनी जीवन दृष्टि थी, जिसने अतीत वर्तमान और भविष्य को अपने अंदर समेट रखा था। इतने व्यापक फलक पर लिखी गई कविता हमेशा जीवित रहती है। इसलिए कबीर हमें याद आते है और उनकी कविता प्रासंगिक लगती है। उन्होंने अपने जीवन में इंसानियत में दरार पैदा करने के लिए धर्म का आश्रय लेने के कुत्सित स्वरूप को देखा था इसलिए उन्होंने बिखरी हुई मानवता को समीप लाने के लिए बार–बार कहा। परमात्मा एक है, उसे पाने के मार्ग अलग है फिर लड़ना क्यों ?

'पूरब दिसा हरी को बासा, पच्छिम अलह मुकामा।
दिल में खोज दिलहि में खोजौ, इहै करीमा रामा।'[8]

कबीर सच्चे अर्थो में इंसान थे और इंसानियत के गीत गाते थे यह कबीर का ही प्रभाव है कि ' आज मंदिरो मस्जिदो और गिरजाघरो का महत्व धीरे–धीरे घटने लगा है और दुनियाँ धीरे– धीरे उस धर्म की ओर बढ़ती जा रही है जो बाह्याचारो से मुक्त होगा।'[9]

कबीर ने जीवन में वर्ण व्यवस्था के विष दंशन को देखा, पहचाना और भोगा था। उन्होंने इस भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि जन्म से सब मनुष्य समान है उनमें भेद करने का कोई आधार नहीं है।

6. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – पृ. 46
7. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – पृ. 225
8. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – पृ. 225
9. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – पृ. 149

' एकै ज्योति से सब उतपन्ना, को बामन को सूदा।'[10]

कबीर ने कर्म को महत्व दिया। जिस मनुष्य ने अपने कर्मो को पवित्र बना लिया हो और षड्विकारो से उपर उठ गया हो उसकी जाति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाना अनुचित है।

' जाति न पूछौ साधु की पूछ लिजियो ज्ञान,
मोल करौ तरवारि का, पडी रहन दो म्यान।'[11]

जाति प्रथा के बन्धन ढीले जरूर हुए है, पर हम आज भी पूर्णत: मुक्त नहीं हुए है। ' नया हिन्दुस्तान इस प्रथा को सभी रूढ़ियो से मुक्त करने को आज भी संघर्ष कर रहा है, और इस संघर्ष में हमें बहुत बड़ी प्रेरणा कबीर साहब से मिलती है।'[12]

कबीर ने जाति प्रथा का विरोध करके उसे चुनौती देकर बिखरी हुई मानव जाति को एक दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण योग दिया। कबीर की अभिव्यक्ति की व्यापकता और गहराई आज के सामाजिक परिवेश में दिखाई देती है।

मानव आत्मा जब विश्वात्मा से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है तब मनुष्य सच्चे अर्थो में मानव धर्मा हो जाता है। 'धर्म प्रेरित मानवता हमारी तार्किक चेतना को प्रदीप्त करती है, हमारे विवेक को प्रेरित करती है, हमारी प्रेम भावना को स्फूर्ति देती है और हमारे जीवन को बौद्धिक मर्यादा प्रदान करती है।'[13] सहज धर्म मानवता का सबसे सुखद मार्ग है। इस पर चलने वाले को धर्म–कर्म सभी बाह्याचारो का त्यागकर, मानवमात्र का कल्याण करने वाला सरल जीवन जीना पड़ता है। उसे अपने पराये, हिन्दू–मुसलमान, राम–रहीम सबको समान दृष्टि से देखना पड़ता है। कबीर ने यही किया –

' दुखिया मुवा दु:ख को, सुखिया सुख को झूरि।
सदा आनंदी राम के, जिनि सुख–दु:ख मेल्हे दूरि।'[14]

10. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – पृ. 241
11. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी – 248
12. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी
12. वट–पीपल – दिनकर – पृ. 95
13. कबीर मीमांसा – रामचन्द्र तिवारी – पृ. 133

कबीर मतवाद से परे स्वतन्त्र उपदेशक और विचारक के साथ ही एक मानवतावादी थे 'अपने चारो और सामाजिक कुरीतियो, अत्याचारो और अनाचारो को देखकर उन्होंने अपने भक्त रूप के माध्यम से ही समाज में फैले दुराचारो, वैमनस्य और बुराईयों को दूर कर सभी को एक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने अपने सुखो का परित्याग कर दिया और मानवोत्थान के महत कार्य में मनोयोग से जुट गए।'[15]

कबीर यह भी भूल गए कि जिस समाज में वह रह रहे है उसमें सुधार करना इतना सरल नहीं है किन्तु 'मनस्वी कार्यार्थी न गणपति सुखं न च दुखं' को अपनाकर उन्होंने मानव जाति के बन्धन मुक्ति का बीड़ा उठाया था ।'[16] उन्होंने साम्प्रदायिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उनके मन में द्वेष न था अपितु मन में सुधार का भाव, प्रेम की लहर और मानवीयता थी।

'दोनों जातियाँ उन्हें कठोर कर्मश जानते हुए भी प्यार से अपनाना चाहती थी। यही कबीर की सबसे बड़ी विजय है। यही मानवतावाद की विजय समझी जानी चाहिए।'[17]

जिस समाज में व्यक्ति आचरणशील, सहज नैतिक जीवन व्यतीत करने वाले और भेदभाव की संकीर्णता से उपर उठकर विश्वात्मा से तादात्म्य करने वाले होंगे वह समाज स्वयं ही आदर्श समाज बन जायेगा उन्होंने मानव मात्र में एक दिव्य ईश्वरीय ज्योति के दर्शन किए थे और इसी आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया था। वे सच्चे अर्थो में मानवतावादी थे। कबीर की यही मानवधर्मी उर्मियाँ सम्पूर्ण मानव जाति को 'लाईट–हाउस' की भांति भवसागर में भटकते हुए जीवन पोतो को दिशा निर्देश प्रदान करके उन्हें सुमार्ग पर लाती रहेगी।'[18] कबीर का यही मानवीय दृष्टिकोण मनुष्य को धर्म, क्षेत्र, जाति की सीमा से उपर उठाकर सदैव सुख देने वाला सिद्ध होगा।

14. कबीर ग्रंथावली
15. क्रांतिकारी कबीर – गोविन्दलाल छाबड़ा – पृ. 129
16. कबीर – सम्पादक डॉ. विजेन्द्र स्नातक – पृ. 247
17. कबीर – सम्पादक – विजेन्द्र स्नातक – पृ. 247
18. क्रांतिकारी कबीर – गोविन्दलाल छाबड़ा – पृ. 129

निष्कर्ष – संत कबीर मानवता को खंडित करने वाले अहंकार, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास, हानिकर रूढ़ियो, प्रकृति के विरूद्ध प्रचारित किए गए चमत्कारो, सम्प्रदायो, मजहबो एवं मानव मात्र को कल्याण प्रदान करने के एकाधिकारी ठेकेदारो के घोर विरोधी थे। वे परम्पराओ को आदर देते थे परन्तु उनकी जड़ताओ को नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. क्रान्तिकारी कबीर – गोविन्दलाल छाबड़ा
2. वट पीपल – दिनकर
3. कबीर – सम्पादक – विजेन्द्र स्नातक
4. कबीर ग्रंथावली – डॉ. पारसनाथ तिवारी
5. कबीर मीमांसा – रामचन्द्र तिवारी
6. कबीर साहित्य की परख – आ. परशुराम चतुर्वेदी

जनसंचार एवं समाजीकरण

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री *

शोध सारांश – मानव जीवन को जनसंचार किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। समाज में जो परिवर्तन होते है उनमें संचार के साधनों की प्रमुख भूमिका होती है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज के आदर्श नियमो का पालन करता है और जैसा समाज होता है उसी के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्ति का बाह्य पदार्थो से सम्पर्क कराना और बाद में अनुकूलन करना समाजीकरण के द्वारा ही संभव है। यदि समाजीकरण न हो तो कोई भी व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार करने में पूर्णत: असमर्थ होता है।

प्रस्तावना – जनसंचार का प्रभाव भारतीय समाज पर तेजी से बढ़ रहा है। एक ओर समाज में नये मूल्यों एवं सरोकारो का जन्म हो रहा है तो दूसरी ओर अनेक प्रकार के विघटनों को भी महसूस किया जाने लगा है। सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में संचार उपभोक्तावादी संस्कृति सामाजिक, नैतिक मूल्यो एवं सामाजिक चेतना में बदलाव की एक नई भूमिका निभा रहे हैं। कुछ समय पूर्व बालक का समाजीकरण परिवार और मित्र करते थे अब मोबाईल, टी.वी., कम्प्यूटर आदि कर रहे है। वार्तालाप और प्रत्यक्ष सम्बन्धों में आई दूरियो ने समाज को मशीनी बना दिया है।

उद्देश्य – संचार माध्यमों ने समाज में जनजागरण की एक नई लहर फैलाई है। जिसके माध्यम से जनता अपने नेता, कानून, शिक्षा या कहे अपने अधिकारो को पाने में सफल हुई है। लेकिन कहीं-कहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते है। जब संचार के माध्यम से गलत सूचनाएँ देकर विरोधियो की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। जनसंचार माध्यम हमेशा से समाज को जाग्रत करने का प्रयास करते आए है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। जिससे समाज में नई सोच, शिक्षा और सभ्यता का विकास हो रहा है। यही शोध का उद्देश्य है।

शोध पत्र – संसार के अधिकांश प्राणी अपनी तरह से जीवन संचालित करते है लेकिन मनुष्य सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बुद्धि से विधिवत संचरण की योग्यता प्राप्त की है। मानव समाज सहयोग पर आधारित है। बिना संचार के सहयोग संभव नहीं है। संचार के माध्यम से मनुष्य ज्ञान, सूचना और अनुभव को एक-दूसरे से बाँटता है। साथियों को समझता है। इस तरह संचार का अर्थ हुआ 'भाव' विचार या संदेश की ऐसी अभिव्यक्ति या ऐसा आदान-प्रदान जो भाव, विचार या संदेश को ग्रहण करने वाले के भीतर किसी प्रतिक्रिया को जन्म दे।'[1]

संस्कृत भाषा की 'चर्' धातु से संचार शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'चलना'। किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, संचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। किन्तु पारिभाषिक रूप में 'संचार' अंग्रेजी के 'कम्यूनिकेशन' का हिन्दी रूपान्तर है। 'कम्प्यूनिकेशन' शब्द लेटिन भाषा की 'कम्यूनिकेशन' क्रिया से निकलकर आया है। गहराई लिए हुए इसका अर्थ है ' मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, भाईचारा, मैत्रीभाव, साझेदारी या सहभागिता और न्यायपरायणता भी है। यानी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार, संपर्क, आदान-प्रदान, बरताव। किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना।'[2]

'जन' शब्द संचार के साथ जुड़कर एक नया शब्द 'जनसंचार' बना है। जो 'मास कम्यूनिकेशन' और 'मास मीडिया' के रूप में प्रचलित है। हर्बट ब्लूमर के अनुसार 'जन न तो जनता है, न समूह है और न भीड़ है, वह लोक है किसी देश या स्थान में रहने वाले सब मनुष्यों का वर्ग, समाज, लोग।'[3] हिन्दी शब्दकोष में भी जन का अर्थ, लोक, लोग, प्रजा और समुदाय बताए गए है।

1. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता – डॉ. हरिमोहन– पृ. 23
2. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता – डॉ. हरिमोहन– पृ. 22
3. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता – डॉ. हरिमोहन– पृ. 28

जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है –

'बहु व्याहृतौवा अपं बहुता लोक:
क एतत अस्पपुनरी हितौ अयात।'[4]

महाभारत में भी 'लोक' का उल्लेख जन साधारण के लिए किया गया है।

'अज्ञानतिमिरांधस्य लोकस्यतु विचेष्टत
ज्ञानार्जन शलाकामिनेकोन्मीलन कारकम्।'[5]

अत: जनसंचार का उद्देश्य है जानकारी या विचारों को समाज के उन तमाम लोगो तक पहुँचाना जो इनसे सम्बन्ध रखते है और इससे लाभ उठा सके।

जनसंचार शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे मानस पटल पर कुछ यंत्रो, लैंसो, माईक्रोफोन, स्क्रीन, चिप, तथा उपग्रह इत्यादि से बने इलेक्ट्रानिक उपकरणों का चित्र उभरकर आता है। लेकिन संचार की प्रक्रिया उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास। मनुष्य के विकास के साथ-साथ लोक संचार माध्यम विकसित होते रहे हैं। भारत में लोक संचार माध्यमों की एक समृद्ध विरासत है। इनमें हम लोकगीत, लोक-नृत्य, नृत्य-नाटिका, लोक-कला के विविध रूपो को ले सकते है। ये माध्यम जनता की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन धारा के अभिन्न अंग है जो प्रचलन में रहकर जनता को प्रभावित करते रहे हैं।

ग्रामीण जनता के बीच विकसित लोक माध्यम आज भी समाज के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सक्षम है। 19 वीं तथा 20 वीं शताब्दी में विदेशियों के विरोध में छेड़ा स्वतन्त्रता संघर्ष इन लोक माध्यमों के विविध कलारूपो से प्रेरित था। ये कला रूप आज भी ग्रामीण क्षेत्रो में जन जागरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। निरक्षरता, छूआछूत, अंधविश्वास, साम्प्रदायिकता, जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, दहेज-प्रथा इत्यादि सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध जनजाग्रति पैदा करने में लोक माध्यमो की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के इलेक्ट्रानिक माध्यमों के बीच भी परम्परागत लोक माध्यम अत्यन्त लोकप्रिय हैं। इनका प्रभाव अत्यन्त त्वरित है। यह मनुष्य मात्र की गहनतम संवेदनाओ को छूने की क्षमता रखते है।

04. जैमिनीय उपनिषद् ब्राहाण ग्रंथ – 3/28/2
05. महाभारत (आदि पर्व) 1/84

'जनसंचार माध्यम हमारे सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दे सकते हैं'[6]

जनसंचार माध्यम जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएँ, फिल्मे, रेडियो, तथा टेलीविजन अधिकांश जनता तक संदेश को व्यापक रूप से पहुँचाते है। बर्ट्स ग्रास के अनुसार – 'टेलीविजन ने जनसंचार माध्यमों की भूमिका ही बदल डाली है क्योंकि इससे सम्प्रेषण आमने सामने न होते हुए भी बहुत से मामलो में आमने-सामने के सम्बन्धो से भी अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावी बन गया है। दूर-दराज के क्षेत्रो में बसे लोगो को एक वास्तविकता के सम्मुख लाना, उपग्रह के उपयोग से संभव हो सका है।'[7]

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

देश के विकास के लिए, लोक नीति को प्रभावित करने, जन–चेतना बढ़ाने तथा समाज में परिवर्तन लाने वाले साधन रूप में जनसंचार माध्यमों की सफलता तथा सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि देश में इनका उपयोग किसके द्वारा तथा किस प्रकार से किया जा रहा है।

जनसंचार माध्यमो की विशेषत: टेलीविजन की विकासात्मक अन्त:शक्ति, नियोजित परिवर्तन तथा जनशिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में विश्वव्यापी रूप से मान्य हो गई है। हमारे देश की ग्रामीण एवं पिछड़ी जनता तक विकास का संदेश, सूचनाओं की जानकारी, नये विचारों तथा व्यवहारो का प्रसार करने में जनसंचार माध्यम अत्यन्त उपयोगी साबित हो रहे हैं।

जनसंचार माध्यम जनता को नए विचारों तथा व्यवहारों को अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण के लिए अपनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। कृषि पर निर्भर जनता नए उर्वरको, बीजो कीटनाशको, खेती के नमूनो की जानकारी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त करती है और वह उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रही है। 'विक्रम साराभाई के अनुसार – जनसंचार माध्यम सूचनाओं के सम्प्रेषण के इस दौर में स्पष्टत: इस व्यवस्था के मुख्य घटक है। दूरदर्शन जैसा माध्यम नए विचारो एवं व्यवहारो के प्रसारण में महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।'[8] अगर किसानो को आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की जाये तो वे नई तकनीक का लाभ आसानी से ले सकते हैं।

06. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता – डॉ. हरिमोहन – पृ. 33
07. परिवर्तन एवं विकास का समाज शास्त्र – डॉ. एम.एम. लवानिया एवं शशी के. जैन समाज पृ. 41
08. परिवर्तन एवं विकास का समाज शास्त्र – डॉ. एम.एम. लवानिया एवं शशी के. जैन समाज पृ. 42

समाजीकरण में जनसंचार माध्यम सृजनात्मक एवं रचनात्मक भूमिका निभाते है किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नकारात्मक एवं अस्थिरता पैदा करने वाले परिणाम भी हो सकते है। समाज की समस्याओ और आवश्यकताओं को जनसंचार माध्यम प्रतिबिम्बित करते हैं। जनता को नवीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों की जानकारी से अवगत कराते है। साथ ही अन्य देशों की घटनाओं एवं कार्यो के बारे में भी बताते है। लोक नीतियों की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करते है। इस सभी से समाज में छोटे–बड़े परिवर्तन होते रहते है और यही हमारा समाजीकरण होता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का निर्माण चुनावों द्वारा होता है। जनसंचार माध्यम विभिन्न विकल्पो पर न केवल विचार विमर्श हेतु प्रेरित करते है। अपितु किसी एक विशेष विकल्प अथवा दूसरे के पक्ष में महत्वपूर्ण सुझाव देते है। इससे नीति निर्माताओं को निर्णय लेने में सहयोग मिलता है। विकसित समाज बहुत सी आशाओं और अनिश्चितताओं के साथ जीता है। मूल्यों का सामंजस्य ही एक प्रतिस्थापित समाज में एकीकरण करने वाले बल के रूप में कार्य कर सकता है। जनसंचार माध्यम शिक्षा का प्रयोग मूल्य सामंजस्य के लिए करते है। ' क्योंकि भारत में अभी भी मध्यकालीन दृष्टिकोण तथा अंधविश्वासों का बोलबाला है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विज्ञान कार्यक्रमों ने विज्ञान का जो संदेश भारत की अशिक्षित तथा अज्ञानी जनता को पहुँचाने तथा उन्हें इसके लिए अर्थपूर्ण बनाने की एक संभावना को दर्शाया है यह आवश्यक है कि जनचेतना तथा जन दबावों का निर्माण किया जाये जिससे व्यावहारिक शक्तियाँ विज्ञान का प्रयोग केवल उपभोक्तावाद के लिए न करके वैज्ञानिक मानसिकता तथा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए भी करें।'[9]

जनसंचार माध्यम मूल्यों की खोज को केन्द्र में रखकर जनता को जीवन के नए अर्थ खोजने की ओर उन्मुख करते हैं। पुराने एवं नए मूल्यों में से श्रेष्ठतर मूल्यों को अंगीकार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार माध्यम लोकमत से संबंधित तथ्यों की भी जानकारी देते है। विभिन्न प्रकार के समाचार और दृष्टिकोण लोगों में उनकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ाने में सहायक होते हैं। जनचेतना बढ़ाने में उनकी भूमिका असीमित होती है। जनसंचार माध्यम सूचनाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी व्याख्या कर एक विशेष दृष्टिकोण जनता के समक्ष रखते हैं।

09. परिवर्तन एवं विकास का समाज शास्त्र – डॉ. एम.एम. लवानिया एवं शशी के. जैन समाज पृ. 44

सत्तारूढ़ वर्ग और लोकमत की शक्ति को प्रभावित करते है। जनसंचार माध्यमों का उपयोग एक स्वस्थ नियंत्रण और संतुलन पर आधारित है क्योंकि जनसंचार माध्यमों की आवाज को जनता सुनती है और उस पर अमल करने का प्रयास भी करती है।

जनसंचार माध्यमों के सहयोग से विचारो, समाचारो, भावनाओं, आविष्कारो, मनोरंजन आदि की सामग्री तथा जानकारी को द्रुतगति से विशाल जनसमूह तक पहुँचाया जाता है। जनसंचार के रूप में एक ऐसी शक्ति का विकास मानव मात्र के लिए हो गया है जिसका प्रभाव अपरिमित है। इन माध्यमों के उत्तरोत्तर विकास से जिस तीव्रता के साथ समाचार, संवाद, संदेश, प्रेषित होने लगे है। उतनी ही तीव्रता से उनकी प्रतिक्रियाएँ होने लगी है। दंगे, फसाद, युद्ध, घृणा, सरकारी नीतियों में परिवर्तन आदि में तेजी आ गई है। जनता और सरकारें भी जनसंचार माध्यमों के प्रति सजग हो गई है। समाज के प्राय: सभी घटकों पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। यदि कहा जाए कि आधुनिक जन जीवन और समाज व्यवस्था का ताना–बाना जनसंचार के माध्यमों द्वारा रचित प्रतीत होता है तो भी अतिश्योक्ति नहीं है।

'जनसंचार और जनसंचार के माध्यमों का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य मनुष्य जीवन की बेहतरी है। अत: इनके केन्द्र में मनुष्य मात्र है। मनुष्य के द्वारा निर्मित संचार माध्यमों के सहयोग से मनुष्य समाज की उन्नति का यह चक्र जनसंचार का मूलमंत्र है।'[10]

10. परिवर्तन एवं विकास का समाज शास्त्र – डॉ. एम.एम. लवानिया एवं शशी के. जैन समाज पृ. 55

निष्कर्ष – जनसंचार क्रांति के माध्यम से नई पीढ़ी की स्वतन्त्र विचारधारा ने परम्परागत पारिवारिक मूल्यों की गति की दिशा निर्धारित की, नारी की भूमिका में बदलाव किया, परम्परागत मूल्यों, मानको को प्रभावित किया, जाति के स्थान पर योग्यता के महत्व को स्थापित किया। संचार के माध्यमों के द्वारा नवीनता के क्षेत्र में नगरो ने जीवन जीने के नए ढंग, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, आदर्शो एवं मूल्यों की नई व्यवस्था ने परम्परागत पारिवारिक आचार संहिता को परिवर्तित किया है। भौतिकवादी संस्कृति एवं भौतिक विकास की प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति आत्मकेन्द्रित होकर व्यक्तिगत हित को महत्व दे रहा है जिसके कारण परिवार में संगठन का बाह्य स्वरूप चाहे कितना भी मजबूत दिखाई देता हो आंतरिक सम्बन्धो में खिंचाव एवं खोखलापन नजर आता है।

प्रशासनिक मशीनरी का एक आवश्यक अंग जनसंचार है। आज सम्पूर्ण विश्व सूचनाओं के आदान–प्रदान पर निर्भर है। सूचनाओं के द्वारा सरकारी नीतियो, कार्यक्रमो आदि का निर्माण होता है। सामाजिक चेतना को जगाने व जनमत तैयार करने में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इनके द्वारा ही समाज में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रेडियो और दूरदर्शन पत्रकारिता – डॉ. हरिमोहन
2. जैमिनीय उपनिषद – ब्राह्मण ग्रंथ
3. महाभारत – आदि पर्व
4. समाज

इक्कीसवीं सदी की भाषिक चुनौतियाँ

डॉ. अनिता सोनी *

प्रस्तावना – भिन्न-भिन्न विधाओं में रचा गया समग्र विश्व- साहित्य विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं के माध्यम से पाठकों तक पहुँचता रहा हैं। संसार की प्राचीन भाषा संस्कृत में वृहद साहित्य-सृजन अपने वैभव से किसी न किसी रूप में संसार के मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करता रहा हैं। भारत का वैदिक साहित्य विश्व के दार्शनिक विचारों को प्रभावित करने में समर्थ हुआ हैं, किन्तु शुद्धता के आग्रह एवं क्लिष्टता के कारण संस्कृत भाषा का अपेक्षित प्रसार नहीं हो पाया।

वाचिक एवं लिखित दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति का उद्देश्य में वक्ता और लेखक की पहुँच या पकड़ का सवाल निश्चित रूप से एक चुनौती हैं। आये दिन देश में होने वाली प्रसिद्ध नेताओं की सभाओं में यह अनुभव किया जाता है कि कुछ प्रसिद्ध नेता विराट सभा को संबोधित करने के लिये भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ पाते। इसका क्या कारण हैं? उनके द्वारा जो कहा जा रहा हैं, वह भाव यदि उनके जीवन से सम्बन्ध नहीं रखता हैं, बल्कि वे व्यक्त किये जा रहे भाव के विपरीत कार्य करने के लिये प्रसिद्ध हैं, ऐसी स्थिति में जनता में स्थापित उनकी छवि आदर्श रूप भाव के संप्रेषण में बाधक बन जाती हैं। भोगा हुआ यथार्थ का नारा जो साहित्य में प्रचलित हुआ हैं, उसके पीछे भाव-जगत् से कर्म के स्तर पर संबंध का ही आग्रह हैं। भक्ति के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रति नैतिक आग्रह जो जनता के मन में अत्यंत गहरा हैं, वह भक्ति के क्षेत्र के व्यक्ति की अभिव्यक्ति से प्रभावित होता हैं, किन्तु उस व्यक्ति के किसी अनैतिक कृत्य में लिप्त होने का प्रमाण मिल जाने पर जनता उसका प्रवचन सुनना पसंद नहीं करती। भाव और कर्म में समन्वय एक ऐसी भाषा को जन्म देता है, जिसमें अनुभव की शक्ति अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देती है।

व्याख्या – विभिन्न स्तरों पर फैले हुए विराट जीवन परिदृश्य तक पहुँचने का भाव कबीर और राहुल सांस्कृत्यायन में जितना प्रबल था, वैसी ही प्रबलता उनकी भाषा में भी हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क से उत्पन्न अनुभूति की भाषा में एक आत्मीय एवं पारिवारिक स्पर्श का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। सहज-सरल संप्रेषणीय भाषा की साधना वैसे ही जीवन संपर्को से निसृत होती आई है। इसीलिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है-

''जरा छोटों से घुल मिलकर रहो जीवन
बडे सब मिट गये छोटे सलामत हैं।''

ऐसे ही लोगों के सम्पर्क के कारण महाप्राण निराला की कविता में भाषा के भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग-रूप हमें प्राप्त होते हैं। भिखारी कविता की भाषा 'कुकुरमुत्ता' कविता की भाषा, निराला के गीतों की भाषा और फिर 'राम की शक्तिपूजा' की भाषा के अनेक स्तर निराला के गहरे जीवन संपर्क के साथ अनवरत भाषा के संसार में नवीन प्रयोगों के परिणाम हैं। निराला के भाषिक प्रयोग पर किये जाने वाले आक्षेपों एवं प्रहारों से अविचलित निराला ने एक बहुरंगी भाषा के सृजन की साधना जीवन पर्यन्त की भावानुरूप भाषा की चुनौती का सामना करने के लिये सर्जक में वृहद् शब्द सामर्थ आवश्यक हैं। घुमक्कड़ कबीर ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की यात्रा के माध्यम से उस क्षेत्र में प्रचलित सहज सामान्य शब्दों का भी संकलन अपने मानस में किया था। काव्यात्मक अभिव्यक्ति में उन शब्दों का प्रयोग करने में कबीर ने जो उदारता दिखलाई, उसी का प्रभाव है कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा गया। हिन्दी में अन्य बोलियों और भाषाओं के शब्दों के आगमन की प्रवृत्ति निरन्तर हैं। हिन्दी का शाब्दिक समृद्धि का यह महत्वपूर्ण कारण है। हिन्दी और उर्दू के शब्दों का मिला जुला प्रयोग हिन्दी कविता में अनेक कवियों एवं लेखकों ने किया हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखों में यह रूप संप्रेषण की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। निराला की कुकुरमुत्ता कविता में हिन्दी, उर्दू की गंगा-जमुनी की जुगलबंदी पाठक को आकर्षित करती हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्द की शुद्धता, अशुद्धता पर विचार करने वाले आलोचक जो आपत्ति करते रहे हैं, उसी को दृष्टि में रखते हुए नुक्ता चीनी करना मुहावरा बना हैं।

आज के साहित्य में यह प्रवृत्ति देखी जा रही हैं कि साहित्यकार खुले मन से देशज शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कथा साहित्य में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जा रही हैं। पहले की तरह शाब्दिक शुद्धता का आग्रह, जो साहित्यकारों के लिये चुनौती था, वह अब नहीं है।

दुष्यंत की प्रमुख कृति 'साये में धूप' का उदाहरण देना उचित होगा। दुष्यंत कुमार के सामने यह चुनौती आई। उन्होंने अपनी गज़लों में उर्दू शब्दों का शुद्ध प्रयोग नहीं किया, परन्तु दुष्यंत ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, उत्तर दिया कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उर्दू नहीं जानता, परन्तु जिन रूपों में उर्दू शब्द हिन्दी में घुल मिल गये हैं, उन्हीं रूपों का उपयोग करना मेरी दृष्टि में उपयुक्त हैं। भाव सम्प्रेषण के लिये ऐसा प्रयोग आवश्यक हैं। भाषा में शाब्दिक शुद्धता का अधिक आग्रह भाषा के विस्तार को बाधित करता हैं। इस चुनौती से हमारी हिन्दी निरन्तर मुक्त होने की प्रक्रिया में हैं, यह शुभ संकेत हैं। भाषा के आधुनिक साहित्यिक रूप को अभिव्यंजित करता हुआ एक उद्धरण अवलोकनीय हैं- 'बेशक रचना के उपकरण और आलोचना के औजारों में फर्क होता है, लेकिन इस फर्क को एक से दूसरे की बरतरी या कमतरी के लिये नहीं, बल्कि उनके बीच एक सार्थक संवाद और परस्पर पूरकता के नजरिये से ही देखा जाना चाहिये।'

हिन्दी समाज और साहित्य की आधारशिला है अतीत की चेतना, वर्तमान की समझ और ऐसा सागर जो उन्नतशील भविष्य हैं। इस तथ्य को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होना चाहिये। नए-नए कम्प्यूटर के प्रयोग इंटरनेट की भाषा को स्वीकार करना होगा।

आज के दौर में मीडिया चाहे वह रेडियो हो, चाहे टी.वी., भाषा के समझ के बहुतेरे विकल्प हमारे सामने हैं। ऐसे में श्रोता या दर्शक की रूचि का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रतियोगिता के युग की चुनौती स्वीकार कर ऐसी मानक हिन्दी का प्रयोग आवश्यक हैं, जो प्रासंगिक हो। हिन्दी को गंगा नहीं समुद्र बनाना होगा। हिन्दी नित्य नवीन अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने का सार्थक प्रयास कर रही है। समय सापेक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन को धारण करते हुए प्रयोगधर्मी स्वरूप को प्रतिष्ठित कर रही है। यही भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है। यह स्वरूप अतीत की चेतना वर्तमान की समझ एवं भविष्य का विकास है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :- 1.डॉ. श्यामसुन्दर दुबे, संस्कृति, समाज और संवेदना।
2. दुष्यंत कुमार, साये में धूप।
3. दृष्यांतर मीडिया : साहित्य, संस्कृति और विचार।
4. अभ्यर्थना : प्रवेशांक।
5. इलेक्ट्रानिक मीडिया बदलते आयाम : डॉ. स्मिता मिश्र, डॉ. अमरनाथ अमर।
6. साहित्य अमृत, जनवरी 2014.
7. साक्षात्कार, अक्टूबर 2013.
8. साक्षात्कार,जनवरी 2014.
9. चयनिका : रामेश्वर शुक्ल (अंचल)।
10. अंधेरे में शब्द - संवेदनात्मक बेचैनी का दस्तावेज : लखनलाल सिंह।

* प्राध्यापक (हिन्दी) स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र, जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

नाट्य - सम्प्रेषण के रंगमंचीय आधार

डॉ. मीना डोनीवाल *

प्रस्तावना – प्राचीन काल से भारतीय वाड्मय का सृजन दृश्य एवं श्रव्य दो आधारो पर होता रहा हैं, उस समय सृजित किये जाने वाले साहित्य को काव्य के नाम से संबोधित किया जाता था, इसी आधार पर काव्य को दो भागो में विभाजित किया गया एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य/नाटक दृश्य-काव्य की विधा है, जिसमें संप्रेषण का सीधा संबंध रंगमंच से हैं। नाटक का विकास प्राचीन काल से लेकर आज की स्थिति तक जिस निरंतरता से प्राप्त होता हैं, वह इसकी सशक्त संप्रेषण शक्ति एवं अभिव्यक्ति के कारण ही संभव हुआ हैं।

नाट्यकृति की रचना–अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में पूर्णत: भिन्न होती हैं। जहां अन्य विधाओं में सम्प्रेषण मुख्यत: पाठ्न एवं श्रवण के माध्यम से होता हैं, वही नाटक में रंगमंच के माध्यम से, अत: रचनाकार का दायित्व केवल सृजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसे इस बात के लिए भी सचेत रहना पड़ता हैं, कि नाट्क रंगमंच की दृष्टि से भी खरा उतरे। रचनाकार जिस मनोवृत्ति का अनुभव करता हैं, उसे सम्प्रेषित करने के लिए वह ऐसे साधन जुटाता हैं, जिससे उसका भाव बिल्कुल उसी रूप में प्रेषक तक पहुंच सके तथा जिस अनुभूति से वह स्वयं अनुप्राणित है, वह प्रेक्षक की अनुभूति बन सके। इसके साथ ही नाट्क में ऐसी घटनाओ, प्रक्रियाओं का प्रयोग उसे करना पड़ता हैं, जो समय के अनुरूप होने के साथ ही अवास्तविक न हो।

किसी नाट्य कृति का सही मूल्यांकन रंगमंच पर ही होता हैं, कई नाट्यकृतियां साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट होने के बाद भी रंगमंच पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती हैं। मंचन के बाद वे प्रेक्षक में उस संवेदना को नहीं जगा पाती जिसकी रचनाकार को अपेक्षा रहती हैं। इसके विपरीत कई बार साधारण नाट्य कृति भी रंगमंच पर बहुत प्रभावकारी साबित होती हैं। चूंकि नाट्यकृति लेखन का मुख्य उद्देश्य ही रंगमंच पर प्रदर्शन हैं, अत: इसकी सफलता और असफलता का निर्धारण भी रंगमंच के आधार पर ही होता हैं। रंगमंच नाटक के संप्रेषण का एक माध्यम ही नहीं बल्कि नाटक की कसौटी भी हैं। इस संबंध में डॉ रामसेवक सिंह का कथन हैं :-

'रंगमंच साहित्य कला एवं संस्कृति के उन्नयन का निकष हैं' – नाटक की रचना करते समय नाटककार के मन में रंगमंच की अवधारणा सदैव विद्यमान रहती हैं, इसी अवधारणा के कारण वह नाटक के दृश्य रूप को उभारता हैं, एवं उसमें अभिनय की संभावनाओं को तलाशता हैं। रंगमंच की सही अवधारणा नाटक को लय, क्रिया और स्थिति प्रदान करती हैं। नाट्य-संप्रेषण के रंगमंचीय आधारो का उचित संयोजन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि प्रेक्षक रचनाकार की अनुभूतियों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता हैं। रचनाकार की अनुभूति को प्रेक्षक तक संप्रेषित करने में कथानक, पात्र, संवाद, ध्वनि, दृश्य-सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था, वेशभूषा एवं रूप-सज्जा तथा संगीत का संयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाटक को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त शैली भी नाट्य संप्रेषण में विशिष्ट महत्व रखती हैं। नाटककार अपना कथानक जीवन के व्यापक क्षेत्र से चुनता हैं। उपन्यास, कहानी आदि विधाओं में रचनाकार को भावात्मक एवं वैचारिक प्रवाह में भिन्न-भिन्न स्थानो या कालो की घटनाओं को एक साथ वर्णित करने का अधिकार रहता हैं, मूल कथा के साथ कई प्रांसगिक कथाओ को वह समानान्तर चला सकता हैं, किन्तु नाटककार इस क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता संप्रेषण की दृष्टि से एवं मंच की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वह ऐसी घटनाओं का संयोजन करता हैं, जो एक साथ मंच पर दिखाई जा सके। एक समय में घटित होने वाली घटनाओं की वह एक कड़ी सी बनाता हैं जिसे दृश्यबंध कहा जाता हैं। अपने व्यापक कथानक को समय घटना एवं स्थान के अनुरूप विभाजित करने के लिए नाटककार के द्वारा अंक एवं दृश्य विधान की योजना की जाती हैं। विभिन्न घटनाओं एवं कथानक में आई प्रासंगिक कथाओं को मंचन की सुविधा से अलग-अलग अंको एवं दृश्यो में बांट दिया जाता हैं रचनाकार के कथ्य को प्रदर्शित करने में दृश्य विधान महत्वपूर्ण बन जाता हैं संप्रेषण की दृष्टि से यह आवश्यक हैं, कि मंच पर बार-बार दृश्य परिवर्तन न हो और एक अंक की अधिकांश घटनाएं एक सी दृश्य सज्जा में प्रदर्शित हो, इसीलिए भिन्न काल या समय की घटना को मंच पर पात्रो के संवादो प्रकाश या अन्य संकेतो के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता हैं। मंच पर दृश्य के अनुरूप की गई सज्जा रचनाकार के कथ्य को सुगमता से संप्रेषित करती हैं।

वर्तमान में नाटक का सूत्रधार भी रचनाकार के कथ्य को संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।

'नाट्य संप्रेषण की दृष्टि से रूप सज्जा एवं वेशभूषा का महत्व भी कम नहीं हैं, 'नाट्य शास्त्र में वेशभूषा और रूप सज्जा को रसानुभूति का प्रमुख साधन माना गया हैं।'

वेशभूषा पात्र का केवल बाह्य आवरण मात्र नहीं हैं, बल्कि अभिनेता किसी वेषभूषा को किसी विशिष्ट भूमिका में अपने को समाहित करने के लिए धारण करता हैं।

पात्र विशेष के देशकाल, अवस्था, आर्थिक स्तर, मनोविज्ञान के अनुरूप वेशभूषा प्रेक्षक को न केवल उस काल एवं घटना विशेष से जोड़ती हैं, बल्कि तद्युगीन संदर्भो में उसकी (पात्र की) बात को समझने का मुख्य आधार बन जाती हैं। पात्र की विशिष्टता के अनुरूप अपनायी गई वेशभूषा प्रत्येक पात्र को भिन्न करती हैं। वेशभूषा के निर्धारण में रंगमंचीय प्रकाश का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हैं क्योंकि कई रंग प्राकृतिक प्रकाश में अच्छे लगने के बाद भी प्रकाश व्यवस्था में भद्दे दिखाई देते हैं। इसके विपरीत कई रंग प्राकृतिक प्रकाश में प्रभावकारी न लगते हुए भी मंचीय प्रकाश में आकर्षक लगने लगते हैं, अत: वेशभूषा का सही चयन नाट्य संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया हैं।

वेशभूषा के समान ही पात्रो की रूप सज्जा भी प्रेक्षक पर प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। सामान्यत: रूप सज्जा के अंतर्गत मुँह, नाक, ओंठ, भौह, दाढ़ी, मूँछ, केश आदि की सज्जा आती हैं। नाटक की कथावस्तु,

*सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) जयवंन्ती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

चरित्र, स्थिति, परिवेश का सही विश्लेषण और पहचान करने वाला रूपसज्जाकार ही प्रभावी एवं पात्रानुकूल सज्जा करने में सक्षम होगा। इस संबंध में गोविन्द चातक का कथन हैं,

'रूप सज्जा एक शिल्प हैं, किन्तु उसे कला का स्वरूप अर्जित करने के लिए नाटक की संवेदना और चरित्र से जुड़ना जरूरी होता हैं, यदि वह उसके अनुरूप न हुई तो नाटकीय प्रस्तुति को बड़ी हानि पहुँचती हैं।'

रूप सज्जा के क्षेत्र में भी प्रकाश व्यवस्था का स्थान रखना आवश्यक हैं रंगीन प्रकाश व्यवस्थित रूप सज्जा को प्रभाव पूर्ण एवं प्रभावहीन बनाने में सहायक हैं। नाट्य संप्रेषण के क्षेत्र में नृत्य एवं संगीत भी महत्वपूर्ण आधार बन गये हैं। मुख्य कथानक का संप्रेषण गीतो या कथा गायन के माध्यम से या अभिनय अथवा अभिनय मूलक नृत्यो के द्वारा करने की परम्परा नाटको में प्राचीन काल से दिखाई देती हैं। इसी प्रकार संगीत का प्रयोग भी जहाँ वातावरण में सरसता का संचार करता हैं वही इसी ह्रदय की सूक्ष्म भावनाओं यथा - हर्ष, विषाद, शोक, पीड़ा, भय आदि को सफल अभिव्यक्ति देता हैं भावो को उद्दीप्त करने में संगीत का प्रयोग आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बन गया हैं। कभी कभी दृश्य परिवर्तन या संवाद की रिक्तता को भरने के लिए संगीत का प्रयोग नाटक को मंच पर प्रभावकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। नाटक के कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने में भी संगीत सहायक होता हैं, और यही संगीत का प्रमुख कार्य भी हैं।

संगीत की महत्ता को देखते हुए डॉ. रघुवंश ने संगीत को नाटक की 'जीवनी शक्ति' माना हैं।

अन्तर्द्वन्द एवं मनोभावो प्रधान नाटक को मंच पर संगीत के बिना प्रस्तुत करना संभव नहीं हैं। ऐसे नाटको में संगीत बीच-बीच में जुड़कर नाटक का अविभाज्य अंग बन जाता हैं। कभी-कभी संगीत ऊपर से जुड़कर भी संप्रेषण का प्रभावी अंग बनने में सफल होता हैं।

बादलो की गर्जना, गोलियो की आवाज, झरने की ध्वनि, घोड़ो के टापो की ध्वनि, अस्त्र-शस्त्रो की झंकार, कोलाहल आदि को मंच पर संगीत के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मंचीय प्रकाश व्यवस्था संप्रेषण का एक अन्य आधार हैं, वर्तमान युग में उन्नत तकनीक विकसित हो जाने के कारण प्रकाश व्यवस्थान मंचीय सज्जा का एक साधन मात्र न रहकर विभिन्न दृश्यो एवं वातावरण को सजीव बनाने का महत्वपूर्ण आधार बन गई हैं। विभिन्न रंगो के संयोजन एवं परिवर्तन के द्वारा ही मंच पर ऐसे प्रभाव की सृष्टि की जा सकती हैं जिसमें पात्र कुछ कहे भी नहीं और उसकी मनोदशा अभिव्यक्त हो जाये। पात्रो का कायिक अभिनव समुचित प्रकाश व्यवस्था के बिना महत्वहीन साबित होगा। प्रकाश व्यवस्था का अर्थ केवल रंगमंच पर प्रकाश करना मात्र नहीं हैं बल्कि इसमें यह बात महत्वपूर्ण हैं, कि कहाँ प्रकाश करना हैं, और कहाँ नहीं।

इन आधारो का वर्णन करने के बाद यदि अभिनेता का उल्लेख न किया जाये, तो सारे आधार निरर्थक हो जायेगें, क्योंकि रचनाकार की अनुभूति को प्रेक्षक तक पहुँचाने का कार्य अभिनेता के द्वारा ही किया जाता हैं, अत: नाट्य-संप्रेषण की दृष्टि से सर्व प्रमुख भूमिका अभिनेता की होती हैं। यह उसकी अभिनय क्षमता पर निर्भर करता हैं, कि वह अपने सशक्त अभिनय के द्वारा ऐसे प्रभाव की सृष्टि कर देता हैं, कि प्रेक्षक उसी देशकाल एवं घटना तथा मन:स्थिति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, जिसे वह मंच पर प्रस्तुत कर रहा हैं। अपनी आंगिक चेष्टाओं, वाणी, केश-विन्यास के माध्यम से वह न केवल नाटककार द्वारा सृजित कथावस्तु, पात्र और भाव को रूपायित करता हैं बल्कि प्रेक्षक को रस की स्थिति में ले जाने में सहायक होता हैं। शब्दो के सही उच्चारण एवं वाणी का उचित आरोह-अवरोह इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

अभिनेता के साथ ही प्रेक्षक का मानसिक स्तर भी नाट्य संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गूढ प्रतीकात्मक अर्थ रखने वाली नाट्यकृति एक औसत बुद्धि के प्रेक्षक को लुभा नहीं पायेगी एवं सामान्य हल्की फुलकी रचना उच्च बौद्धिक स्तर रखने वाले प्रेक्षक को लुभाने में असमर्थ रहेगी। नाटक को प्रस्तुत करने वाली शैली नाट्य कृति को संप्रेष्य एवं प्रभावकारी बनाने में महत्वपूर्ण बन जाती हैं कभी-कभी बहुत अच्छा कथ्य भी उचित शैली का चयन न होने के कारण यथेष्ट प्रभाव डालने में असमर्थ रहता हैं कथानक के अनुरूप उचित शैली का चयन प्रस्तुतीकरण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता हैं।

रचनाकार की अनुभूति भाषा एवं संवाद के माध्यम से प्रेक्षक तक पहुँचती हैं, अत: देशकाल, पात्रो की मनोदशा परिस्थिति, संवेगो के अनुरूप अपनाई गई भाषा और संवादीय संरचना उसे संप्रेष्य बना देते हैं, मंच पर लम्बे-लम्बे संवाद एकालाप-यथेष्ट प्रभाव पैदा करने में असमर्थ होते हैं। पात्र की जाति, धर्म, वय शिक्षा के अनुरूप भाषा एवं संवाद ही उसकी सफलता के प्रमुख आधार हैं। भाषा की दुरूहता नाट्य संप्रेषण के मार्ग में बाधा बनाने के साथ ही उसे नीरस भी बना देगी, अत: नाट्य भाषा ऐसी हो जो बोलचाल युक्त हो तथा जिसमें अनुभव, स्थिति तथा काव्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी विद्यमान हो। साहित्यिक संवेदना के साथ ही रंगमंच के उपयुक्त भाषा और संवाद नाटक की प्रथम आवश्यकता हैं।

मंच पर प्रस्तुति एवं प्रभाव डालने की दृष्टि से रचनाकार द्वारा किया गया पृष्ठ भूमि का प्रयोग विशेष महत्व रखता हैं, जो दृश्य मंच पर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते उन्हें पृष्ठ भूमि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता हैं। पृष्ठभूमि के प्रयोग द्वारा रचनाकार एक तो कथा प्रवाह को बनाये रखने में सक्षम होता हैं, तथा दूसरी और विभिन्न कालो एवं स्थानो पर घटित घटनाओं को बिना दृश्य परिवर्तन किए प्रेक्षक तक पहुँचाने में सक्षम होता हैं। पृष्ठ भूमि के कारण न तो दृश्य परिवर्तन होना, न मंच-सज्जा और दर्शक को क्रमिक रूप में कथाक्रम की जानकारी मिलती जाती हैं।

विवेचन से स्पष्ट हैं, कि किसी भी नाट्यकृति में विभिन्न तत्वो को उचित समायोजन न केवल नाटक को प्रभावशील बनाता हैं, बल्कि उसे संप्रेष्य भी बनाता हैं। रचनाकार एवं निर्देशक के मंचीय ज्ञान एवं कौशल से नाट्य रचना प्रेक्षक को उसी अनुभूति तक ले जाने में सक्षम होती हैं, जो रचनाकार की होती हैं एवं जिसे निर्देशक मंच के माध्यम से संप्रेषित करना चाहता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी रंगमंच का उद्भव और विकास -डॉ. विश्वनाथ शर्मा (प्रकाशक) उषा पब्लिसिंग हाउस, जोधपुर
2. रंगमंच कला और दृष्टि - डॉ. गोविन्दचातक (प्रकाशक)तक्षशिला प्रकाशन, दरियागंज, नई-दिल्ली
3. नाट्यकला - डॉ. रघुवंश (प्रकाशक) नेशनल पब्लिसिंग हाउस, नई सड़क दिल्ली
4. हिन्दी नाट्य : उद्भव और विकास - डॉ. दशरथ ओझा
5. रंग परम्परा - नेमीचन्द्र जैन (प्रकाशक) वाणी प्रकाशन, नई-दिल्ली

व्यंग्य विधा के सशक्त हस्ताक्षर : रवीन्द्रनाथ त्यागी

संतोष विश्नोई *

प्रस्तावना – रवीन्द्रनाथ त्यागी आधुनिक हिन्दी व्यंग्य–साहित्य के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार है। स्वातन।योत्तर युग में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से हिन्दी–व्यंग्य को एक सशक्त और सुगठित स्वरूप प्रदान करने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहाहै। स्वातन।योत्तर हिन्दी व्यंग्यकार–त्रयी में रवीन्द्रनाथ त्यागी का नाम हरिशंकर परसाई और शरद जोशी के साथ महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। रवीन्द्रनाथ त्यागी की प्रतिनिधि रचनाओं का सम्पादन करते हुए डॉ.कमल किशोरगोयनका लिखते हैं कि, 'हिन्दी व्यंग्य में यह त्रयी छायावाद के प्रसाद–पन्त–निराला तथा नई कहानी के कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेन्द्र यादव के समान प्रसिद्ध हुई और इन्होंने हिन्दी व्यंग्य को न केवल विस्तार और घनत्व प्रदान किया बल्कि कलात्मक दृष्टि से नये शिखरों तक पहुँचाया।'[1]

व्यंग्य का मूल स्वर विसंगतियों को उभारना होता है। यथार्थपरक चित्रण के साथ–साथ संवेदना की सजीवता भी व्यंग्य को सार्थक प्रदान करती है। व्यंग्य में सीमाओं का बंधन नहीं होता और लेखक अपनी बात खुलकर पाठक के सामने रख देता है। स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में जो विघटन तथा मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई उसने पूरे समाज को विसंगतियों, विद्रूपताओं, विरोधाभासों तथा तनावों एवं संघर्षों से भर दिया। इस स्थिति ने अनेक हास्य–व्यंग्यकारों की सृष्टि की, जिनमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और रवीन्द्रनाथ त्यागी–तीन ऐसे रचनाकार सामने आए जो हास्य–व्यंग्य के लिए समर्पित हुए। इस त्रयी की एक विशेषता यह भी थी कि ये हास्य–व्यंग्य की तीन भिन्न धाराओं की सृष्टि ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे समृद्ध कर उसे उँचाइयों तक ले जा रहे थे। [2]

रवीन्द्रनाथ त्यागी का रचना संसार विषय की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक है। उनके व्यंग्य के विषय के दायरे में साहित्य एवं साहित्यकार की वर्तमान स्थिति, सरकारी व्यवस्था के साथ–साथ अफसर, प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार, रिश्वत, मँहगाई–बेकारी, मूल्यविघटन, अंधविश्वास, शिक्षा में व्याप्त विसंगतियाँ, नौकरशाही और जनता के प्रतिनिधि आदि सभी रहे हैं। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। परन्तु आज का साहित्य समाज का दर्पण नहीं रहा है। एक बदलता हुआ नायक लेख के माध्यम से रवीन्द्रनाथ त्यागी जी ने साहित्य के विषय में कहा है, 'अब साहित्य और समाज के बीच से दर्पण हट गया है और नाई की दुकान पर चला गया है।'[3] आज साहित्य की चोरी होती है। विदेशी साहित्य का अनुवादक कर अपने नाम से छपवाना आम बात हो गई। अन्धे लोगों का देश नामक निबंध में आत्म व्यंग्य के द्वारा वे इस विषय पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं–''लिखने में आजकल इतनी ईमानदारी चल रही है कि मैंने कुछ दिनों पूर्व अपनी रचना एक बंगाली साप्ताहिक में देखी और दंग रह गयासंयम का एक कारण यह भी था कि मैंने उस रचना को खुद फ्रेंच भाषा से लिया था।'[4] साहित्य का एक अभिन्न पक्ष संपादक, प्रकाशक, पत्र–पत्रिकाएँ है। रवीन्द्रनाथ त्यागी की इन पक्षों की विसंगतियों पर प्रखर दृष्टि रहीहै। आज साहित्यकार प्रकाशक के अभाव में बेकार है। साहित्यकार की इस स्थिति पर व्यंग्य करते हुए लेखक लिखते है कि, 'प्रकाशक की लीला अपरम्पार है। साहित्य में जो कुछ भी प्रकाश शेष है, वह इन प्रकाशकों के कारण है–खद्योतसम आधुनिक कवियों के कारण नहीं।[5] साहित्यकार के प्रति समाज की उपेक्षा के दर्द को अभिव्यक्ति देते हुए रवीन्द्रनाथ त्यागी लिखते हैं कि–''भला हमारी भी कोई हैसियत है समाज में ? हैसियत होती है ठेकेदारों की, रिश्वतखोर अफसरों की, झूठी भविष्यवाणी करने वाले पंडों की, दल–बदल करने वाले राष्ट्रीय नायकों की।'[6]रवीन्द्रनाथ त्यागी के अतिथिकक्ष, भित्ति–चित्र, शोकसभा, देवदार के पेड़ आदि व्यंग्य संग्रह की अधिकांश रचनाएँ साहित्य की विसंगतियों को पेश करती है। इस क्षेत्र का कोई भी पक्ष उनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा है।

रवीन्द्रनाथ त्यागीजी सिविल सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते प्रशासकीय विसंगतियों को बडे क़रीब से देखा था, इसलिए प्रशासकीय व्यवस्था तथा अफसरों पर उन्होंने खूब लिखा है। प्रशासन में अफसर जनता को सरकार से जोड़ने वाली एक कड़ी है परन्तु कार्यालय में अफसर जनता का सेवक न होकर मालिक बन गया है। 'घर से चलकर दफ्तर तक' व्यंग्य निबंध में रवीन्द्रनाथ त्यागीजी दफ्तर का खाका प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं–''दफ्तर उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग कपड़े साफ पहनते हैं, काम गंदे करते है।'[7] सरकारी कार्यलयों में कार्य करने का समय प्रात: 10 से सायं 5 बजे का निर्धारित है किन्तु समय पर न पहुंचना कर्मचारियों की नित्य लीला का एक हिस्सा है–'पर दफ्तर तो दस बजे खुलता है। 'नाराज' यों होते हैं सरकार, दफ्तर तो खुला है। दरवाजे खुले हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, सब कुछ तो खुला है। अगर कोई चीज गलती से बन्द रह गयी तो आप बता दीजिए उसे भी खोल दूंगा।'[8] दफ्तर में अफसर के बाद यदि कोई महत्त्वपूर्ण चीज है तो वह फाइल है। फाइलों को कथ्य बनाकर रवीन्द्रनाथ त्यागी ने फाइलें और फाइलें, एक फाइल का सफर, कर्मो का बंधन और गीत–गोविन्द जैसी रचनाएँ लिखी है। फाइल के संबंध में तीखी व्यंग्यात्मक चुटकी लेते हुए रवीन्द्रनाथ त्यागीजी लिखते है,''अगर फाइल न होती तो न इतने बाबू होते न इतने अफसर। नतीजा होता कि हमारा बजट आधा हो जाता।[9]

स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीति वातावरण में अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हुआ। आजादी के पूर्व जो सपने जनता के मन में थे वे साकार नहीं हुए। स्वतंत्रता के पश्चात् हमने राजनीति में प्रजातन्त्र को स्वीकार किया। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है वहाँ स्थिति यह है कि होने को प्रजातन्त्र है पर वास्तविकता यह है कि तन्त्र जो है वह प्रजा से अब भी शक्तिशाली है। प्रजा की हम इज्जत करते हैं और इसी कारण प्रजा शब्द का प्रयोग तन्त्र से पहले किया।[10] प्रजातन्त्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का तन्त्र न रहकर रवीन्द्रनाथ त्यागी की भाषा में गधों का, गधों के लिए, गधों के द्वारा बन जाता है।[11] जनता की सेवा करने के इच्छुक गधों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि सरकार बनाने के लिए चुनाव कराया जाता है। इन चुनावों में लाखों रुपयों का खर्चा आता है और रुपये के अतिरिक्त शराब, गुंडागर्दी और कालेधन का भी प्रयोग बदस्तूर किया जाता है।'[12] आज राजनीति के साथ–साथ प्रशासनिक स्थिति यह कि प्रजातंत्र में छोटे से लेकर बड़े काम तक सिफारिश के सहारे ही पूरे हो सकते हैं। रवीन्द्रनाथ त्यागी ने सिफारिश को **बीसवीं सदी का जिन्न** कहा है। उनके अनुसार जो काम 'सतयुग' में तपोबल से और त्रेतायुग और 'द्वापर' में बाहुबल से होते थे वे इस युग में सिफारिश से होते है।' [13] सिफारिश के अतिरिक्त अपना काम निकालने के लिए वजन भी रखना होता है।

* शोधार्थी (हिन्दी) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, (राज.) भारत

भ्रष्टाचार का आज सर्वत्र बोलबाला है। रवीन्द्रनाथ त्यागी लिखते है,''सरकार में जो काला धन मंत्रीजी को दिया जाता है वह पार्टी के वास्ते दिया गया चंदा है। जो पैसा चपरासी को मिलता है वह बख्शीश कहलाती है। उपर को जो पैसा बाबू लोग लेते हैं वह दस्तूर कहकर पुकारा जाता है। अंत में चलकर जो काला धन अफसर ग्रहण करता है रिश्वत कहलाता है।'[14]

रवीन्द्रनाथ त्यागी ने आज धर्म के तथाकथित संरक्षक साधु और संत के विकृत और कुत्सित रूप से भी हमारा परिचय करवाया है। 'गरीब होने के फायदे नामक रचना में गरीबों का हर प्रकार से शोषण करने वाले धर्म के ठेकेदारों के चरित्र का उद्घाटन करते हुए रवीन्द्रनाथ त्यागी लिखते है-'' धर्म के नाम पर ये ब्राह्मण और महाब्राह्मण सदा से गरीबों को ही चरते आए, अमीरों को नहीं। ऐसे धर्मात्मा मंहत अब भी हैं जिनकी सच्ची रूचि 'चोली' में होती है, 'चोलेय में नहीं। यदि ये मुस्टंडे धर्म के ठेकेदार न हो तो गरीब होरी मरते समय गोदान किसके लिए करे?'[15] धर्म के नाम पर झूठा प्रदर्शन एवं आडम्बर बढ़ने लगा। इस संदर्भ में कटु प्रहार करते हुए रवीन्द्रनाथ त्यागी ने लिखा है-'' अब तो समय आ गया है कि धर्म का स्वरूप भी बदल रहा है। टेनेसी के एक गिरजाघर में पादरी जो है व 'जिंस' पहनता है। पंद्रह या बीस मिनिट से ज्यादा समय का उपदेश नहीं देता और श्रोतागण जो हैं वे ऐसे स्टूलो पर बैठते है जैसे कि शराबघरों में प्रयोग किए जाते है। प्रार्थना का गान गिटार पर चलता है और गिरजाघर एक शानदार होटल के भाग में स्थित है।'[16]

रवीन्द्रनाथ त्यागी ने अपनी रचनाओं में आजाद भारत के सार्वजनिक सेवाओं की वास्तविक तस्वीर पाठकों के समक्ष रखी है। पुलिस, रेलवे, अस्पताल एवं चिकित्सा विभाग तथा न्याय-विभाग आदि व्यवस्थाएँ जनता की सुविधाओं के लिए स्थापित हैं किन्तु वर्तमान में इन व्यवस्था की सच्चाई कुछ ओर ही है। इसी सच्चाई का वास्तविक व विकृत्त रूप लेखक हमारे सामने रखते हैं। चिकित्सा विभाग की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए लेखक लिखते हैं कि 'जब कोई आदमी आपकी मर्जी से सबके सामने आपके पैसे लेकर आपकी हत्या करता है तो वह डॉक्टर कहलाता है। बढ़िया डॉक्टर वह होता है जिसका मरीज ठीक उसी बीमारी से मरता है जिसका डॉक्टर ने निदान किया था।'[17] रवीन्द्रनाथ त्यागीजी भारतीय न्याय व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के विषय में लिखते हैं- 'आम हिन्दुस्तानी के लिए अदालत से अभिप्राय ही उस स्थान से निकलता है जहाँ तबीयत के साथ झूठ बोला जाता है, घूस दी जाती है और न्याय मिलने में इतनी देर लगती है कि मुकदमा जितने और हारने में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता।'[18]

रवीन्द्रनाथ त्यागी संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू साहित्य के उद्धरणों द्वारा अपनी बात में चमत्कृत उत्पन्न करते है। 'वचन-वक्रता' त्यागी जी की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। नवीन उपमाओं, उद्धरणों से साधारण बात को भी जिस कलात्मढंग से रखते है कि वास्तविक स्थिति पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाती है। अपने लेखन में अलंकारों, प्रतीक, मिथकों के सुन्दर प्रयोग के साथ-साथ भाषण, रेडियो वार्ता, साक्षात्कार, यात्रा-वृत्त, संस्मरण, शास्त्रीय विवेचन, टीका आदि पद्धतियों का भी सहारा लिया है। मौका पड़ने पर त्यागीजी व्यंग्य में अपने आपको भी समेट लेते है-''मेरे पिताजी कहा करते थे कि बड़ा होकर तू गोबर निकलेगा। उनका आशीर्वाद सोलह आने फलीभूत हुआ। गोदान में एक पात्र गोबर है और उसके बाद दूसरा गोबर मैं हूँ। इस दृष्टि से मेरे पिता का दर्जा मुंशी प्रेमचंद के बराबर ठहरता है।'[19]

इस प्रकार कथ्य एवं शिल्पगत वैविध्य से भरपूर रवीन्द्रनाथ त्यागी का व्यंग्य-साहित्य आजाद भारत का एक पूरा संसार समेटे हुए है। रोचकता एवं मनोरंजन-क्षमता उनके व्यंग्य की विशिष्टता है। साधारण-असाधारण सभी मसलों को वे समान जिन्दादिली से प्रस्तुत करते है। त्यागीजी हिन्दी के उन व्यंग्यकारों में से हैं, जिन्होंने हिन्दी हास्य-व्यंग्य को संस्कार दिया है, एक सम्मानीय धरातल पर प्रतिष्ठित करके नयी ऊर्जा, नयी शक्ति तथा नये सार्थक व्यंग्य से समृद्ध किया है।[20] डॉ.प्रेम जनमेजय ने रवीन्द्रनाथ त्यागी के व्यंग्य को बौद्धिक हास्य कहा है।'[21] डॉ.बालेन्दुशेखर तिवारी ने इस बात को विनोदगर्भित बौद्धिक व्यंग्य कहा है।'[22] निष्कर्षत: यह निर्विवाद है कि रवीन्द्रनाथ त्यागी व्यंग्यत्रयी के महत्त्वपूर्ण व्यंग्यकारों में है। उन्होंने साहित्य, कला, शिक्षा, समाज और नौकरशाही से जुडे अनगिनत विषयों का स्पर्श किया है। डॉ.सूर्यबाला के अनुसार हास्य-व्यंग्य पहले पिछली बैंच का विद्यार्थी था त्यागी ने उसे क्लास की अगली बैंच पर बिठाया। [23]

1. डॉ.कमलकिशोर गोयनका, 'रवीन्द्रनाथ त्यागी : प्रतिनिधि रचनाए' भूमिका से, पराग प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.11
2. वहीं, पृ8
3. रवीन्द्रनाथ त्यागी कृष्णवाहन की कथा, एक बदलता हुआ नायक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1971 पृ33
4. रवीन्द्रनाथ त्यागी : मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, ज्ञानभारती प्रकाशन दिल्ली, 1977, पृ.112
5. वहीं, पृ.117
6. रवीन्द्रनाथ त्यागी : सुन्दरी कली, संभावना प्रकाशन हापुड़, 1978 पृ.111
7. रवीन्द्रनाथ त्यागी : देवदार के पेड़, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नईदिल्ली, पृ57
8. रवीन्द्रनाथ त्यागी : अतिथि कक्ष, राजपाल एण्ड संस दिल्ली, 1977 पृ311
9. रवीन्द्रनाथ त्यागी : शोकसभा, एक फाइल का सफर नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1974 पृ52
10. वहीं, पृ25
11. रवीन्द्रनाथ त्यागी : आत्मलेख-विविध प्रसंग, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1988, पृ75
12. वहीं, पृ75-76
13. रवीन्द्रनाथ त्यागी : सुन्दरकली, पृ44-45
14. रवीन्द्रनाथ त्यागी : आत्मलेख-विविध प्रसंग, पृ75
15. रवीन्द्रनाथ त्यागी : भाद्रपद की साँझ, गरीब होने के फायदे, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, 1996 पृ.141
16. रवीन्द्रनाथ त्यागी : इतिहास का शव, कहाँ गए वो दिन? राजकमल प्रकाशन दिल्ली, 1993 पृ94
17. रवीन्द्रनाथ त्यागी : आत्मलेख-विविध प्रसंग, पृ.74
18. रवीन्द्रनाथ त्यागी : बादलों का गाँव-तालस्ताय की प्रतिमा और गर्दभ नृत्य, 1999 पृ.144
19. रवीन्द्रनाथ त्यागी : आत्मलेख, पृ44
20. डॉ.कमलकिशोर गोयनका, 'रवीन्द्रनाथ त्यागी : प्रतिनिधि रचनाए', पराग प्रकाशन नईदिल्ली, पृ.13
21. डॉ.सुरेश माहेश्वरी, स्वातं।।योत्तर हिन्दी व्यंग्य का मूल्यांकन, विकास प्रकाशन कानपुर, 1994, पृ.202[1]
22. डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी, हिन्दी व्यंग्य के प्रतिमान, गिरनार प्रकाशन कानपुर पृ.18
23. डॉ.आशा रावत : कवि और व्यंग्यकार रवीन्द्रनाथ त्यागी, रचना प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण 2001, पृ.15

****

राजस्थानी लोकगाथाओं का सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्य

सरिता विश्नोई *

प्रस्तावना – प्राचीनकाल से ही मनुष्य अपनी भावना को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति देता आया है। यह साहित्य मौखिक रूप से परम्परा दर परम्परा समाज में गति करता रहता है और मनुष्य की निश्छल भावनाओं को वहन करता है। जिसे 'लोक साहित्य' के नाम से जाना जाता है जो अलिखित होते हुए भी लोक-मानसिक प्रवृत्तियों को समाज में सहज प्रवाहित करता है। लोक साहित्य के बारे में रवीन्द्र भ्रमर लिखते हैं,'लोकसाहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, यह बहुधा अलिखित रहता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्राय: अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल-मिलकर ही कहता है। लोकसाहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिम्बत होता है। अभिजात, परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल लोकसाहित्य परिमार्जित भाषा, शास्त्रीय रचना पद्धति और व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिन्ता अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोकसाहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है।[1] डॉ.सत्येन्द्र ने इस विषय में लिखा है,' लोक साहित्य और समाज का सम्बन्ध इसलिए निर्विवाद है कि लोक और समाज परम्परावलम्बी है किसी भी युग में लोक बिना समाज के और समाज बिना लोक के नहीं हो सकता है।'[2] लोक जीवन की समग्रता का चित्रण होने के कारण ही लोक जीवन की विस्तृत रूपरेखा अर्थात् परिवार, जाति, वर्ण व्यवस्था, संस्कार, लोक प्रथाओं को लोक साहित्य अपने में समाहित किए हुए है।

लोक-साहित्य के विविध रूप लोकगीत, लोककथा, लोकनृत्य, लोकनाट्य, लोकगाथा आज हमारे सामने है जिनमें लोकगाथा का अपना वैशिष्ट्य है। अंग्रेजी में लोकगाथा शब्द का समनार्थी शब्द बैलेड है जिसका अर्थ है कथा और गीत का समन्वय। लोक साहित्य-मर्मज्ञ डॉ.सत्येन्द्र तथा डॉ कृष्णदेव उपाध्याय भी लोकगाथा में कथा और गेयता स्वीकारते हैं। वस्तुत लोकगाथा में हमेशा लोकप्रिय कथानक और चरित्र को उठाया जाता है जो लोकआदर्श का प्रतिनिधित्व कर सके। लोकगाथाओं में किसी समाज की लोक सांस्कृतिक अतीत अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ सन्निहित होता है। लोक जीवन व लोकसंस्कृति को गहराई से जानने के लिए लोकगाथाएँ अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकगाथाओं में राजस्थानी जनजीवन, धर्म-दर्शन, भक्ति-नीति, कला-संस्कृति का जैसा जीवन्त और प्रभावशाली चित्रण मिलता है, वह अनूठा तथा अविस्मरणीय है।

विषय दृष्टि से राजस्थान में कई प्रकार की लोकगाथाएँ प्रचलित हैं। डॉ.कृष्ण कुमार उपाध्याय ने लोकगाथाओं के तीन भेद किए-प्रेमकथात्मक गाथाएँ, वीरकथात्मक गाथाएँ, रोमांचगाथाएँ।[3] प्रेम-प्रधान लोकगाथाएँ में वे लोकगाथाएँ आती हैं जिनके चरित्रनायक प्रेमवीर है। इन गाथाओं में संयोग-वियोग, प्रेम, मान-प्रसंग, संदेश-प्रेषण आदि का वर्णन मिलता है। विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति इन गाथाओं की प्रमुख विशेषता है। जलाल-बबूना, सोरठाबींझा, नागजी-नागवंती आदि लोकगाथाएँ इसी श्रेणी की है। 'ढोला मारू' जो राजस्थान की धरती के प्रेम का प्रतीक है जो एक सुखान्त प्रेमगाथा है। वीरगाथात्मक लोकगाथाओं में उदात्त, शौर्यमूलक चरित्रों को लेकर ऐसे वीरों की गाथाएँ गायी जाती है जिन्होंने प्रण-पालन एवं परहित परोपकार हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये। ऐसे वीरों में पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, बगडावत तथा डूंगजी जवारजी आदि प्रमुख है। डॉ.कृष्ण कुमार शर्मा के शब्दों में, 'राजस्थान की प्राचीन संस्कृति को सभी मनीषी 'वीर संस्कृति' कहते आये है। यहाँ के कण-कण में वीरों के बलिदान की कहानी अंकित है। यहाँ का समाज वीर-पूजा और उनके गौरव गान में स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। सत्य-पालन, प्रजारक्षण में अपने प्राण देने वाले वीर पुरुष राजस्थान की वीरकथात्मक लोकगाथा के नायक है और राजस्थान का जनमानस इन्हें अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सुनता है। राजस्थान की भूमि को वीर प्रसु कहकर स्मरण किया जाता रहा है।

इसी वीर भूमि की वीर संस्कृति का चित्र राजस्थानी लोकगाथा में है।'[4] राजस्थान में ऐसी लोकगाथाएँ भी मिलती हैं जिनमें अनेक रोंमाचक प्रसंग भरे पड़े हैं। 'निहालदे-सुल्तान' इस श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ लोकगाथा का उदाहरण है। यद्यपि इस गाथा के नायक 'सुल्तान' में वीरता का उत्कर्ष दिखाई देता है किन्तु अतिमानवीय तत्त्वों एवं रोमांचक प्रसंगों के कारण वे जनमानस को चकित करने वाली लोकगाथा है, जिसमें जादू, परियाँ, रूप-परिवर्तन, आकाशगमन आदि अलौकिक व्यापार का वर्णन बहुतायत से मिलता है।

राजस्थान में पौराणिक आख्यानों के आधार पर रचित लोकगाथाएँ भी मिलती है, जिन्हें पौराणिक लोकगाथा कहते हैं। इन लोकगाथाओं में पुराण एवं महाभारत की कथावस्तु को लोकमानस की प्रवृत्ति के अनुसार ढालकर प्रस्तुत किया गया है। शिव-ब्यावलों, आंबारस-प्रसंग, भीमो-भारत, सैत-गैंडो, ध्रुपदावतार आदि पौराणिक गाथाएँ है। पौराणिक लोकगाथाओं के साथ भक्ति और वैराग्यमूलक गाथाएँ जिनमें रूपांदे, भृतहरि, गोपीचंद आदि लोकगाथाएँ आती है। इन लोकगाथाओं की रचना के पीछे लोकमानस की धार्मिक भावना जुड़ी होती है जिनमें आचरण की शुद्धता, मन की पवित्रता व लोकहितकारी भावना को जन-जन के हृदय में उतारना होता है।

राजस्थान का लोकजीवन प्राचीन काल से ही वीरता, शौर्य तथा युद्धों की घटनाओं से जुड़ रहा है। इसीलिए इस प्रदेश की लोक संस्कृति से उपजी लोकगाथाओं में प्रेम, वीरता, शौर्य, ओज, पराक्रम आदि के स्वर स्वतही प्रधान रूप से मुखरित हो गये है। डॉ.कृष्ण बिहारी सहल के शब्दों में, 'इस प्रदेश (राजस्थानी) में लोकगाथाओं का पोषण उन व्यक्तियों के कार्यो से हुआ, जिन्होंने कभी किसी अबला की रक्षा के लिए, कभी अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी गो-रक्षा के लिए, कभी कर्त्तव्य पालन के लिए किए गए वचन की सम्पूर्ति के लिए, कभी शासन के अत्याचार एवं दमन से सामान्य जनता को मुक्त करने के लिए, कभी किसी विदेशी शत्रु से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया-युद्ध जिन व्यक्तियों की क्रीड़ा रही और मरण जिनके लिए त्योहार एवं मृत्यु का आलिंगन जिन लोगों ने हंसते-हंसते किया, अग्नि की धधकती चितपर जिन वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की परीक्षा दी, उनका जीवन प्रदेश की लोकगाथाओं में प्रतिबिम्बत हुआ है।'[5]

* शोधार्थी (हिन्दी) वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर (राज.) भारत

राजस्थानी लोकगाथाओं की कथा ऐतिहासिक–कल्पना के अद्‌भुत तत्त्व से निर्मित होती हैं। 'ढोला मारू' के अतिरिक्त राजस्थानी वीरकथात्मक लोकगाथाओं के कथानक इतिहास की पृष्ठभूमि से निकले है। जो बाद में लोकमानस की कल्पना से सजकर हमारे सामने आए है। इन लोकगाथाओं में ऐतिहासिकता नाममात्र की ही होती है, लोकमानस इसमें अपनी कल्पना का रंग भरकर लोकगाथाओं के नायकों को अपनी सांस्कृतिक रूप में ढालकर कर विशिष्ट रूप देता है। इसी कारण वीरकथात्मक लोकगाथाओं के नायक लोक जीवन में देवता के रूप में पूजे जाते लगे हैं। देवनारायण, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी आदि लोकवीर अपने कार्यों के कारण लोक में अमर हो गये और लोक ने उन्हें देवता का रूप देकर आज भी पूजती है। इन लोकगाथाओं में इन वीर पुरुषों की महिमा, दिव्य छवि एवं अलौकिकें त्यों का वर्णन होता है। 'निहालदे सुल्तान' की लोकगाथा यद्यपि काल्पनिक है किन्तु उसमें उभरने वाला परिवेश तत्कालीन सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाला है। इसी तरह जलाल–बबूना, नागजी–नागवंती आदि गाथाएँ भी पूर्णत: काल्पनिक है, किन्तु गाथागायकों का प्रस्तुति ढंग इस प्रकार का होता है कि इतिहास और कल्पना का कोई भेद ही नहीं रह जाता है।

लोकगाथाओं पर रचयिता की छाप नहीं होती क्योंकि यह मौखिक परम्परा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है और लोकगाथाओं में सामूहिक भावनाओं का रूप नजर आता है। लोकगाथाओं का कथानक लम्बा होता है, जिसमें टेक की रीत पद के पीछे कड़ी को बार–बार बोलने से सुनने वालों में जोश बढ़ता है। गाथा के पहले मंगलाचरण जिसमें गणेशजी, लोकदेवी–देवताओं, पीर–पैगम्बरों का रूप नजर आता है। लोकगाथा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होती है। यहाँ पात्रों को राम सा पीर, गोगा पीर व पात्र का नाम सुल्तान होना हिन्दू–मुस्लिम की समन्यवता को उजागर करती है। साथ ही लोकगाथाएँ सुनने की परम्परा पर आधारित होती है। अत: इसका गायन कई वाद्ययन्त्रों के साथ ही किया जाता है। लोकगाथा में गायन के साथ–साथ लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है जिनमें राग, ताल और लय का रूप होता है। बगड़ावतगाथा 'बीन' पर पाबूजीगाथा और डूंगरजी–जवारजी रावणहत्थेय के साथ गाई जाती है। राजस्थानी लोकगाथाओं की प्रमुख विशिष्टता है कि इसमें घोड़े का बोलना, उड़ना, पशु–पक्षियों का बोलना, जादू–टोने आदि अनेक अलौकिक तत्त्वों का समावेश भी मिलता है।

राजस्थान की भूमि पर युद्ध जीवन का एक अनिवार्य भाग रहा है। वीरतामूलक लोकगाथाओं में युद्धों का जीवन्त चित्रण मिलता है। गाथानायकों ने अपनी आन–बान–शान की रक्षा के लिए शत्रु से स्वयं युद्ध करता है। वह मैदान पर तब तक टिका रहता है जब तक वह विजय प्राप्त नहीं कर लेता या फिर वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाता। 'राजस्थान में अनेक ऐसे जुझार शूरवीर हुए हैं जो सिर कट जाने पर भी तलवार चलाते रहते हैं। युद्ध के उन्मादी इन वीरों की धनुष की टंकार एवं तलवार की झंकार हमें इन लोकगाथाओं में सुनाई देती है।' [6] युद्ध की विभीषिका को 'बगडावत लोकगाथा' में इस प्रकार व्यक्त किया गया है–

''दळ भाजै मांझी बावड़ै, भल पूंजा रजपूतां का बेटा आय
थामधूम सेलां की मचगी, तलवारां की उड़गी लाय
आभा में चमकै बिजळी, बादळ में बहगा कतराई बाण''[7]

राजस्थान की लोकगाथा में वीरता की भांति प्रेम लोक जीवन का एक अनिवार्य अंग रहा है। राजस्थान क्षेत्र में प्रचलित लोकगाथाओं में प्रेम के अनेक मर्मस्पर्शी चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रेम राजस्थान के लोकजीवन में कितना उच्च एवं व्यापक रहा है, इसका वर्णन यहां की लोकगाथाओं में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। 'ढोला मारू रा दूहा' प्रेम को एक भिन्न कोण से प्रस्तुत करती हैं।

जातीय जीवन की अभिव्यक्ति लोकगाथाओं की एक प्रमुख विशेषता है। राजस्थान की लोकगाथाओं में भी यहाँ का जातीय–सामाजिक जीवन अनेक स्थलों पर चित्रित हुआ है। प्रेमाख्यानक लोकगाथा के रूप में प्रचलित 'ढोला मारू रा दूहा' यहाँ के जातीय जीवन पर काफी प्रकाश डालती है। सभी लोकगाथाओं में एक आदर्श की परिकल्पना मिलती है, वीरता, जातीय गौरव एवं प्रेम के अनेक उदाहरण इनमें परिव्याप्त है। लोकगाथाओं में सामाजिक परिवेश का भी सुन्दर चित्रण मिलता है। पारिवारिक संबंध और रिश्ते–नाते आदि में आने वाले परिवर्तन, जीवन के उतार–चढ़ाव का हृदय ग्राह्य चित्रण इन लोकगाथाओं में उपलब्ध होता है। राजस्थान की लोकगाथाओं में सयुंक्त परिवार की लम्बी परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। जिनमें माता–पिता, भाई–बहिन, पुत्र–पुत्री, ननद–भाभी, सास–ससुर, देवरानी–जेठानी आदि सभी सदस्यों का चित्रण इनमें यथास्थान हुआ है। लोकगाथाएँ वीरता, प्रणपालनता, गौ–रक्षा, शरणागतवत्सलता आदि गुणों पर आधारित होती हैं। लोकगाथाओं के माध्यम से अनेक परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्कारों का चित्रण भी होता है। हिन्दू धर्म शास्त्र में तो सोलह संस्कारों का उल्लेख है लेकिन इन गाथाओं में मुख्य संस्कारों का ही उल्लेख है।

राजस्थान की लोकगाथाओं में बोलचाल की सरल, सहज जनभाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गाथाकार अपनी रचना को गाकर सुनाता है। इसमें शास्त्रीय नियमों की जटिलता नहीं होती है। किन्तु भाषा में कलात्मक सौन्दर्य का अभाव नहीं है। लोकगाथा में लोकभाषा स्थानीयता को सुदृढ़ करती है। करूण, वीर और प्रेम के रसों के साथ अलंकारों का स्वभाविक प्रयोग भी लोकगाथा का सौन्दर्य द्विगुणित करता है। उपमा, रूपक, संदेह, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति आदि प्रमुख अलंकार इनमें सहज रूप से आये है। उपमाओं की मानों लड़ियाँ पिरोई हुई है। 'ढोला मारू रा दूहा' में मारवणी के रूप सौन्दर्य का आलंकारिक भाषा में चित्रण दृष्टव्य है–

''सुन्दरि, सोवन व वर्ण तसु, अहर अलता रंगि।
केसारि लंकी खीण कटि, कोमल लेत्र कुरंगी ॥''[8]

मारवणी ढाढियों के हाथ को सन्देश भेजती हुई वह यौवन को आम्र, कमल और हाथी से उपमा देती हुई कहती है–

''ढाढ़ी एक संदेसडउ लग ढोलहि पहुंचाय।
जेबन कमल विकासियउ, भ्रमर न बसई आय ॥''[9]

लोकगाथाओं में ध्वन्यात्मक एवं चित्रात्मक शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। बेड़ियों से जकड़े क्रोधित डूंगजी की स्थिति दृष्टव्य है

बडबड चाबै आगळी, वौ कडकड चाबै जाड।
नैण जगै ज्यूँ री दीवळा, ज्यां री सवा हाथ री नाड ॥''[10]

निष्कर्षत: लोकगाथाएँ लोकसमाज का सच्चा और सहज रूप होती है। राजस्थानी लोकगाथाओं में राजस्थानी जनसंस्कृति व सामाजिक जीवन का सांगोपांग चित्रण हुआ है। इसमें सामाजिक परम्पराएँ जैसे विवाह, सती प्रथा आदि, शकुन, त्योहार, पर्व, धार्मिक विश्वास–अन्धविश्वास, लोक देवता आदि का प्रेम, उदारता और बलिदान का यथार्थ तथा विशद् वर्णन हुआ। ये लोकगाथाएँ राजस्थान के प्राचीन समाज व लोक के मूलभाव, लोक व्यवहार और लोक परम्पराएँ सुरक्षित रखने का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिन्दी भक्ति साहित्य में लोकतत्व, डॉ.रवीन्द्र भ्रमर, पृ0.5
2. डॉ.सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान, पृ0.500
3. कृष्ण कुमार उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका, पृ0.147
4. डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा, राजस्थानी लोकगाथा का अध्ययन, पृ0.174
5. डॉ. कृष्ण बिहारी सहल, राजस्थानी लोकगाथा कोष ,पृ0.11
6. डॉ. नन्दलाल कला, राजस्थानी लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक, पृ0.44
7. लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत(संपादिका), बगडावत देवनारायण महागाथा
8. रामसिंह, सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम दास स्वामी, ढोला मारू रा दूहा, दोहा सं.69
9. वहीं, दोहा सं.72
10. डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा, राजस्थानी लोकगाथा का अध्ययन, पृ0.91

हिन्दी की पालकी में सवार 'वेब मीडिया' का कामधेनु – 'विज्ञापन' और उसके सामाजिक सरोकार

डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू*

''जो नहीं हो सके पूर्ण काम
मैं उनको करता हूँ प्रणाम।
जिनकी सेवाएँ अतुलनीय
पर विज्ञापन से रहे दूर
प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके
कर दिए मनोरथ चूर-चूर।
उनको प्रणाम!''

– नागार्जुन

प्रस्तावना – जनकवि 'नागार्जुन' की कविता– 'जिनकी सेवाएँ अतुलनीय। पर विज्ञापन से रहे दूर', कल्पना करिये, आज के परिप्रेक्ष्य में– आज चाहे सेवा हो या न हो या सेवा किए जाने या दिए जाने की बात– 'बात की बात हो, लेकिन उसका विज्ञापन पहले आपको अपने आगोश में ले लेता है। आज विज्ञापन हमारी आन-बान-शान का प्रतीक है। घर से निकले थे 'आटा' खरीदने, बाजार में विज्ञापन की माया ने इस कदर मोहित किया कि 'जीन्स' खरीद लाये, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। करते भी क्या विज्ञापन भी चीख-चीख कर जो कह रहा था – शंहशाह! बिल्कुल नया है, आपके लिए है, सलमान खान इसी को पहन कर दबंग बने थे, आमिर इसी से 'सत्य-मेव जयते हुए थे। शहरूख की 'चेन्नई एक्सप्रेस' को इसी ने 'नान स्टॉप सिग्नल दिया था। उपभोक्ता भी सोचता है, क्या बुराई है? – 'बटुआ में आटा वाला' पैसा तो है ही – 'एक दिन नहीं खायेंगे तो क्या बिगड़ जायेगा?' वैसे भी देश की आधी आबादी फुटपाथ में आबाद है, कम से कम 'चिरकुट' तो नहीं कहलायेंगे।

'आज के युग को अगर विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। ऐसा लगता है विज्ञापन जीवन में सर्वव्यापी अवधारणा के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है। व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक विज्ञापन से लगातार सरोकार रहता है। ओढ़ने-पहनने, खाने-पीने, रहन-सहन, घर-द्वार से लेकर धर्म राजनीति आदि समाज के हर क्षेत्र में विज्ञापन ने अपना स्थान बना लिया है। शिक्षा के प्रचार और औद्योगीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यक्ति उपभोक्ता बनकर रह गया है और उपभोक्ता की हर गतिविधि का निर्णय विज्ञापन करेगा – उदाहरणार्थ आप क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे, कैसे घर में रहेंगे, कहाँ पढ़ेगे, कहाँ प्रशिक्षण लेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ अपना व्यवसाय करेंगे, कहाँ विवाह करेंगे, आर्थिक स्त्रोत कहाँ से सुलभ होंगे इन सबका निर्णय करने में विज्ञापन की अहम् भूमिका है।'[1]

कुछ लोग सोचते हैं कि विज्ञापन मध्यवर्ग की देन है या युवा पीढ़ी ही इसके जाल में है, जबकि सच यह है कि इसका बीज रूप हमारे प्राचीन शिलालेखों में मिलता है और समाज के निर्माण में इसकी अहम् भूमिका है – 'विज्ञापन अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। आज विज्ञापन के कारण समाज परिवर्तित हो रहा है। भाषा व लिपि की उत्पत्ति के पश्चात ही शिलालेखों पर विज्ञापन उत्कीर्ण किए जाने लगे थे। प्राचीन सम्राट अपनी नीति और पराक्रम को दूर-दूर तक प्रचारित करने के लिए शिलालेखों पर विज्ञापन उत्कीर्ण करके उसे प्रयोग में लाने लगे। समय के विकास के साथ विज्ञापन कला की उन्नति होती चली गई। आधुनिक पूँजीवादी समाज में विज्ञापन का दायित्व पहले से अधिक बन गया है। इसकी भूमिका में गुणात्मक परिवर्तन आया है और अर्थव्यवस्था के विकास का मूल भी विज्ञापन है।'[2]

विज्ञापन ने जहाँ एक ओर वस्तुओं के लिए मुक्त बाजार उपलब्ध कराया है वहीं गला-काट स्पर्धा भी पैदा की है। जहाँ एक तरफ रोजगार की अपार तकनीकी संभावनाएँ हैं वहीं दूसरी तरफ लगता है कि इस तकनीकी ने हमारी निजता पर दखल देना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल सब सम्मोहित हैं। समाज का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा, जो विज्ञापन का सहारा न लेता होगा। चाहे साहित्यकार हों, कलाकार हो, संतभक्तजन हो, समाज सुधारक हो उन्हें अपना व्यवसाय बेचने के लिए सूचना ही नहीं विज्ञापन की जरूरत है – विज्ञापन का उद्देश्य सूचना देने के साथ उत्पादित पदार्थ को बेचने से हैं।[3] इस सम्मोहन में हिन्दी पट्टी और हिन्दी साहित्यकार का अभिन्न योगदान है। चाहे वह एडगुरू 'प्रहलाद कक्कड़' हो या प्रसून जोशी या गुलजार साहब, यह सब साहित्य के साथ-साथ समयानुसार विज्ञापन की भाषा भी गढ़ते रहते हैं क्योंकि विज्ञापन की भाषा पर ही वस्तु की खपत निर्धारित होती है – 'आज के युग में बिना विज्ञापन के किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती है, प्रत्येक उत्पाद का एक उपभोक्ता है और वही विज्ञापन का 'टार्गेट ऑडियंस' (लक्ष्य दर्शक) बनता है।

उसी को ध्यान में रखकर विज्ञापन ऐसी भाषा में लिखा जाता है कि वह उसे समझ पाये। 'डाइपर' के विज्ञापन का दर्शक/श्रोता अलग होगा और '555-बीड़ी' का 'टार्गेट-ऑडियंस' अलग होगा। इस कारण दोनों की भाषा भी भिन्न होगी। डाइपर के जिंगल्स में जहाँ हिन्दी-अंग्रेजी के शब्दों की मिश्रित भाषा हिंगलिश का प्रयोग हुआ है वहीं बीड़ी के विज्ञापन में वर्ग-विशेष की बोली सुनाई पड़ती है, क्योंकि विज्ञापन की भाषा का निर्धारण उपभोक्ता के सामाजिक परिवेश, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों को ध्यान में रखकर ही होता है। टेलीविजन हो या रेडियो, लेखक माध्यम की तकनीक का ज्ञान रखते हुए दर्शक की संस्कृति की जानकारी के साथ ही उसके मनोविज्ञान का भी अध्ययन करता है। तभी वह आकर्षक पंक्तियाँ लिख पाता है।'[4]

*सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,सतना (म.प्र.) भारत
एवं एसोसिएट-भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला (हि.प्र.) भारत

आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने 'प्रोडक्ट' को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन पर एक-एक मिनट के लिए एक-एक करोड़ खर्च करने में संकोच नहीं करती ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वह बाजार में 'शांति-पाठ' के लिए नहीं आयी हैं बल्कि उन्हें अपना मार्केट स्थापित करना है। ऐसी स्थिति में 'मीडिया-मैनेजमेन्ट' के सहारे उनका काम और आसान हो गया है। मीडिया के नवीन संस्करण 'वेब मीडिया' ने तो विज्ञापन जगत को उन्मुक्त आकाश प्रदान किया है, डॉ. अर्जुन तिवारी लिखते हैं - ' कुछ दिन पहले तक साइकिल पर दौड़ते संवाददाता दृष्टिगत होते थे। गाँव-गाँव, तहसील, कस्बे से लिफाफे आते थे, संपादकीय विभाग पोस्ट ऑफिस बना रहता था जहाँ पत्रों की छटनी होती थी। कुछ वरिष्ठ संवाददाता चिल्ला-चिल्लाकर ट्रंककाल पर समाचार भेजते तो कुछ टेलीग्राम करते थे। असुविधाओं वाला संपादकीय कार्यालय होता था, कम्पोजिंग कक्ष तो काजल की कोठरी होती। जो वहाँ से निकलता, कालिख लगाये रहता था। खुरदरे-मटमैले कागज पर उपसंपादकों की टोली साधना रत रहती थी। सम्प्रति संचार के त्वरित साधनों, मुद्रण, सम्पादन, साज-सज्जा ने एक अप्रत्याशित रोमांचक सफर तय कर लिया है। पत्रकार कलम और स्याही को तलाक दे रहा है। वह मोबाइल फोन, फैक्स, लेपटाप, पेजर, इंटरनेट, ई-मेल से लैस हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता और मुद्रण पत्रकारिता संचार प्रौद्योगिकी के चलते नित्य नये आयाम ग्रहण कर रही है, प्रगति के पथ पर क्रांतिकारी रूप में पदार्पण कर रही है। अब ऐसे माइक्रोचिप्स आ रहे है जिन्हें कनपटी पर लगाकर मानव अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकेगा। मानव अपने विचारों को ई-मेल से प्रेषित कर सकेगा।

डिजिटल नई तकनीक है जिससे मशीन और मनुष्य के बीच संवाद स्थापित हो सकता है। 'बाइट' अब सूचना-प्रेषण की महत्वपूर्ण इकाई है। 'बाइट्स' द्वारा मानव से मानव, मशीन से मानव, मशीन से मशीन के मध्य संवाद हो सकेगा। कम्प्यूटर अब भारी भरकम नहीं होगा। इसे रूमाल की तरह जेब में रखा तथा 'वाल पेपर' की तरह लटकाया जा सकेगा। सारांश यह है कि नई सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्रकारिता में अमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। पत्रकार अब तकनीकी दृष्टि से सक्षम साधन सम्पन्न हो चुका है।'[5] परिणाम यह हुआ है कि अब पेपर नहीं, ई-पेपर की बात होती है। एक क्लिक में दुनिया भर के समाचार और समाचार के साथ विज्ञापन मुफ्त आपके सामने होता है। हाँ यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि विज्ञापन, समाचार दिखा रहा है कि समाचार, विज्ञापन को। दिलीप मंडल लिखते हैं - ' ऐसे तो वह कोई भी दिन हो सकता है लेकिन उदाहरण के तौर पर 16 जनवरी 2011 यानी रविवार के दिन अगर आपके घर पर दिल्ली के चार प्रमुख अखबार आते तो उनके पेज पलटने के लिए भी आपको काफी समय की जरूरत होती। इस दिन का टाइम्स ऑफ-इंडिया 78 पेज का, नवभारत टाइम्स 38 पेज का, हिन्दुस्तान टाइम्स 68 पेज (+ 24 पेज की पत्रिका), दैनिक हिन्दुस्तान 42 पेज का निकला। इन चार अखबारों के लिए आपको सिर्फ 17 रूपये चुकाने पड़ते। सवाल उठता है कि इतने भारी-भरकम अखबार अपनी लागत से चौथाई या उससे भी कम कीमत पर आपको क्यों पहुँचाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है क्योंकि अखबार अपने पाठकों से कमाई नहीं करते। अखबार मुफ्त में बेचने पर भी वे फायदे में रहेंगे क्योंकि उनकी कमाई का मुख्य स्त्रोत विज्ञापन है। इसी तरह ज्यादातर न्यूज चैनल भी या तो फ्री टू एयर हैं या फिर किसी बुके के हिस्से के तौर पर लगभग मुफ्त में मिलते हैं। दर्शक अपनी जानकारी में बिरले ही पैसे देकर कई न्यूज चैनल देखता है।'[6]

वस्तुत: वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और आर्थिक उदारीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसा जाल बुनती हैं कि यह आवश्यक प्रतीत होने लगता है, ऐसे परिवेश में - 'भारतीय मीडिया भी भूमण्डलीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं हैं। भूमण्डलीय मीडिया के दबाव ने आज भारतीय इलेक्ट्रानिक मीडिया के समूचे परिदृश्य में भारी उलट-फेर की है। उलट-फेर के इस क्रम ने इलेक्ट्रानिक मीडिया में आए त्वरित बदलावों, नित्य नये जुड़ते विविध आयामों ने 'मनोरंजन' और 'सूचना संसार' को अकल्पनीय एवं मनमोहन तथा मायावी रूप दिया है। [7] इस मायावी रूप को देखकर आम-आदमी आज अनिर्णय की स्थिति में है - ' भारत में आम आदमी सूचना प्रौद्योगिकी की चमक-दमक से इतना अभिभूत है कि टेलीविजन चैनलों की बहुउपलब्धता उन्हें झूठी स्वतंत्रता का आभास कराती है। सूचनाओं की बाढ़ व संचार साधनों की उपलब्धता उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिग्दर्शन कराती है। वर्तमान में आम-आदमी ऐसे प्रश्नों से दो चार नहीं होना चाहता कि मीडिया के माध्यम से उन्हें क्या परोसा जा रहा है व क्यों तथा उसका हमारे परिवार के तथा मनमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीडिया को कौन संचालित कर रहा है तथा उसकी पंसद या नापसंद दर क्या है और बाजार में मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति? .....बाजारवादी ताकतें मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी नहीं अपिंतु बाजारवादी प्राणी मानते है। इस नव पूंजीवादी दर्शन से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। विज्ञापन के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेती हैं। क्योंकि बच्चे ही इस उपभोक्तावादी दर्शन को गहरे रूप से आत्मसात करते हैं।'[8]

दरअसल पिछले कुछ वर्षो से वेबमीडिया जिस तरह से विश्वव्यापी हुई है उससे हुआ यह है कि वह 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिधि को लाँघ कर 'ग्लोबलाइजेशन' के खेमें में जा बैठी है, उसी का परिणाम है - 'नीराराडियाओं' से गठजोड़। जब इस तरह के गठजोड़ होते हैं तो फिर 'नंगापन', नंगापन न रह कर 'मार्डन आर्ट' में तब्दील हो जाता है, भले ही वह आम-आदमी की समझ से बाहर हो, बाजार में तो वह बिक ही रहा है - 'बाजार नंगा हो गया और तो और उसे नचाने वालों ने भी इस फिनमिना को बहुत ही सहज भाव से लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच और लिहाज के कहा कि इस पर हाय-तौबा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार केन्द्रित समाज का यही सच है, इस पर हैरान परेशान होने के बजाय इसे स्वीकार करो और मस्त रहो।'[9] आज के तथाकथित सभ्य समाज को इसी में सच्चाई नजर आती है - 'क्योंकि हर कारोबार की तरह मुनाफा अर्जित करना मीडिया उद्योग की भी सच्चाई है। विश्वव्यापी मंदी के इस दौर में मीडिया ने भी अपने हाथी के सजावटी दाँतों को त्याग वास्तविक दाँतों के पैनेपन को उजागर कर दिया है और निर्भिक होकर धंधे की जरूरतों के मुताबिक समझौते कर झोली भर रहा है। इस मीडिया उद्योग के वे लोग जो सच्चाई की मशाल थामें उसूलों के साथ समझौता न करने की कसम खाते थे वे भी बड़े ही शांत भाव से इस राह के हमराही हो गये। मीडिया की इन करतूतों से उसकी साख घटती जा रही है परन्तु उद्योग दिनों-दिन तरक्की कर रहा है। नित नये चैनल व नये संस्करण बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। कंटेंट में गिरावट आई है पर बिक्री में नहीं।'[10]

वेब मीडिया और विज्ञापन के सामाजिक सरोकारों की बात करें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन में आज इसकी एक अहम् भूमिका है, पलक झपकते ही आज हम दुनियाभर के सूचना तंत्र से जुड़ सकते हैं। आज अमेरिका हमारे लिए 'विदेश' नहीं बल्कि 'पड़ोसी' है, इसने अनेक विकल्प उपलब्ध कराये हैं। थोड़ा सजग रहकर हम सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते

हैं। हमारी समस्याओं के अनेक निदान घर बैठे उपलब्ध हैं – 'वेब मीडिया का सौशलिज्म वर्तमान दौर में डिजिटल क्रांति के सबसे बड़े अस्त्र के रूप में उपस्थित हुआ है। एक समय था जब गाँधी जी भारत भ्रमण करके कांग्रेस के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुँच बनाने में सक्षम हुए थे। उस समय 'हरिजन' और 'यंग इंडिया' की पहुँच आम लोगों तक नहीं थी, लेकिन इस डिजिटल क्रांति ने विश्व को देशों से, देशों को राज्यों से, राज्यों को जिलो से, जिलों को तहसीलों से, तहसीलों को गाँवों से और अंत में प्रत्येक गाँवों को आम जन से जोड़कर एकसूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अन्ना के आन्दोलन से मिलता है, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण, उत्तरी अफ्रीका के बाद भारत में अपनी धाक जमा चुकी है। यह मीडिया फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब, फ्लिकर, ब्लाग्स, एस.एम.एस. के जरिये लोगों को जागरूक बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। [11] वेब मीडिया और विज्ञापन का सबसे सशक्त माध्यम है 'इंटरनेट', यह कम्प्यूटर का एक ऐसा अंतरक्रियात्मक माध्यम है जिसमें रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, पुस्तकालय आदि सभी के गुण समाहित हैं। एक माउस के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से आप सूचना को आयात एवं निर्यात कर सकते हैं। इंटरनेट नयी पीढ़ी की अनिवार्य आवश्यकता है वह बिना खाना-पानी के रह सकता है लेकिन बिना इंटरनेट के नहीं। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मूल्य, मान्यताएँ, शादी, व्याह, सब कुछ। रविकान्त की कविता- 'इंटरनेट पर शादी' ध्यातव्य है –

' कनाडा के मेल का/ मुंबई की फीमेल से,/ई-मेल के जरिये,/बेमेल मेल हो गया,/देखते देखते खेल हो गया/कल शाम मेरे पड़ोस की लड़की,/मेरे घर आई और बोली,/अंकल जी, कल आप/घर में रहियें,/कहिं जाइये मत,/मेरी शादी है न बाजे गाजों का शोरगुल/न रिश्तेदारों की हलचल/न ढोलक की थाप/न मेंहदी की छाप/और अभी तो शादी का/मौसम भी नहीं है/वो बोली/ शादी इंटरनेट पर है पानी में शादी/हवा में शादी तो सुनी थी/मगर इंटरनेट पर शादी?/बड़ा अजीब लगा सुनकर/कैसे हुआ यह सब? ई मेल से परिचय हुआ/चैट रूम में रोमांस बढ़ा/अब डब्लू डब्लू डब्लू/मैरेज डॉट काम पर शादी है।/ई-पंडित मंत्रोच्चार करेंगे, और/आप जैसे दर्शक आर्शीवाद दें। पड़ोस की लड़की थी/समझाना धर्म था, बोला/देखो! इस तरह के/कम्प्यूटर प्रेम में बड़ा खतरा है/ई-मेल के जरिये/बड़े-बड़े वाइरस आते हैं/तुम्हारे प्यार की डिस्क/क्रैश हो जाएगी, और/रोमांस का पैकअप हो जाएगा।/वो बोली/ परवाह नहीं, अंकल!/मेरे पास सॉलिड बैकअप है/प्यार का सॉफ्टवेयर/फिर लोड कर लूँगी।'[12]

कविता से स्पष्ट है कि इंटरनेट, फेसबुक एवं ट्विटर ने हमें जहाँ एक ओर सूचना क्रांति की ओर बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर हमारी निजता का हनन भी किया है। मोबाइल एवं दूरभाष का नाम आते ही लगता है कि कोई बहुत पुरानी बात है। अब तो, 3 जी, 4 जी, पॉमटॉप, फेसबुक, 'सिर पर तगाड़ी', कान पर ईयर फोन, एक-एक व्यक्ति दो-दो मोबाइल, चार-चार सिमकार्ड, कहाँ चिटठी-पत्री से हाल-चाल जानने वाला भारत और कहाँ तकनीकी के अश्वमेधीय रथ पर सवार इंडिया। सोचने पर मजबूर करता है कि – इस अश्वमेधीय रथ के अश्व की छोर कहीं हमसे छिटक तो नहीं गयी? केवल रैफर्टी ने बड़े मार्के की बात कही है – ' पहले एक अच्छी खबर है – डिजिटल क्रांति अभी शुरू हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह औद्योगिक क्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है और जीवन- समाज की दशा-दिशा बदलकर रख देने में उसकी भूमिका रेल्वे से भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। डिजिटल क्रांति के कारण नौकरियों के संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसके कारण कई देशों के समक्ष यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे अपनी निरंतर बढ़ रही समृद्धि का वितरण कैसे करें।'[13]

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि 'रघुवीर सहाय' ने अपनी कविता 'कैमरे में बंद अपाहिज' के माध्यम से मीडिया एवं वेबमीडिया के सामाजिक सरोकारों और उनके बीच विज्ञापन के बहाने टी.आर.पी. से लेकर बाजार तक पहुँचने के लिए कम-से-कम एक महीन रेखा की जरूरत महसूस करते हैं, साथ ही वेब मीडिया के चरित्र की भी सीमा निर्धारित करते हैं। सामाजिक सरोकारों से शुरू हुआ कोई कार्यक्रम कैसे दिशाविहीन होकर या जानबूझकर दिशाविहीन करके कैसे संवेदनहीन हो जाता है यह बहुत बड़ा प्रश्न है, देश के लिए भी दुनिया के लिए भी – 'हम दूरदर्शन पर बोलेंगे/हम समर्थ शक्तिवान/हम एक दुर्बल को लाएँगे/एक बंद कमरे में/उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है?/ तो आप क्यो अपाहिज हैं?/आपका अपाहिजपन तो दु:ख देता होगा/ देता है?/(कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा)/हाँ तो बताइए अपका दु:ख क्या है/ जल्दी बताइए वह दु:ख बताइए/बता नहीं पाएगा।/लगता है/कैसा/यानि कैसा लगता है/(हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा?)/सोचिए/बताइए/ थोड़ी कोशिश करिए/(यह अवसर खो देंगे)/आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते/हम पूछ पूछकर उसको रूला देंगे/इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का/करते हैं? (यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा)/फिर हम परदे पर दिखलाएँगे/फूलीं हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर/बहुत बड़ी तस्वीर/और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी/आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे/एक और कोशिश/दर्शक/धीरज रखिए/देखिए/ हमें दोनों एक संग रूलाने हैं/आप और वह दोनों (कैमरा बस करो/नहीं हुआ/रहने दो/परदे पर वक्त की कीमत है)/अब हम मुस्कुराएँगे हम/आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम/बस थोड़ी सी कसर रह गई/ धन्यवाद!'[14]

वेब मीडिया के इसी बाजार चरित्र के कारण राजनीतिक वर्ग एवं कारपोरेट समूहों द्वारा अपने पक्ष में नीराराड़ियों के द्वारा लांबिग की जाती है जो कि देश और समाज के लिए घातक है। आनन्द प्रधान का यह कथन समीचीन है –'संपादक, टी.वी. पत्रकार नेताओं की किचेन कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। वे नेताओं, उनके गुटों/धड़ों और दूसरे नेताओं और उनके गुटों/ धड़ों के बीच, पार्टियों और पार्टियों के बीच और मंत्रियों और कारपोरेट समूहों के बीच लाबीइंग भी करने लगे हैं। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, अफसरों की नियुक्ति में भूमिका निभाने लगे हैं। जाहिर है कि ऐसे राजनीतिक रिपोर्टर और संपादक स्वतंत्र और तथ्यपूर्ण राजनीतिक रिपोर्टिंग करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। उनसे आप पूर्वाग्रह युक्त, पक्षपात पूर्ण और आधी-अधूरी रिपोर्टों के अलावा और कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं।'[15]

ऐसे में प्रश्न उठना लाजिमी है कि क्या वेब मीडिया और विज्ञापन को एक दायरे में सीमित कर दिया जाय? क्या इसकी बागडोर शासन-प्रशासन के हाथ में होनी चाहिए? क्या इस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया जाय? यह स्थिति तो और भी खतरनाक होगी, क्योंकि वेबमीडिया की वजह से ही कई बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, भ्रष्टाचारी जेल में हैं, कई बड़ी दुर्घटनाएँ समय रहते टल सकी हैं, लोगों की समस्याएँ हुक्मरानों तक पहुँच सकी हैं, साथ ही जन-सामान्य अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग हुआ है। आज जरूरत शरीर के किसी अंग में हुए रोग के उपचार की है, संपूर्ण शरीर को नष्ट करने की नहीं क्योंकि – 'प्रेस की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रता की जननी है। यह व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक तथा समाज के स्वांगींण विकास के लिए आवश्यक है। सत्य का अन्वेषण प्रेस के बिना संभव नहीं है। संविधान के

अनुच्देछ 19(1) (क) के अधीन प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। कुल मिलाकर प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार का आधार स्तम्भ है, लेकिन यह स्वतंत्रता अबाध एवं अप्रतिबंधित नहीं है। इसकी अपनी कुछ मर्यादाएँ हैं। यह विचार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह एवं न्यायमूर्ति फैजाबूद्दीन के जो उन्होंने 'इनरि हरिजय सिंह तथा इन विजय कुमार (ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 73) के मामले में अभिव्यक्त किये हैं।'[16]

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'हिन्दी की पालकी में सवार 'वेबमीडिया' का कामधेनु- 'विज्ञापन', लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ का अभिन्न अंग है और वह जितना सशक्त होगा उतना ही देश विकास पथ पर अग्रसर होगा। वेब मीडिया हो या विज्ञापन, वास्तव में वह हमारे समाज के चरित्र का प्रतिबिम्ब है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने चरित्र का पुनर्मूल्यांकन करें, तभी आम-आदमी के लिए 'पाँचवा वेद' कहा जाने वाला वेबमीडिया हमें सार्थकता प्रदान कर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनुपम पाण्डेय- 'पत्रकारिता की आधुनिक प्रावृत्तियाँ', - डिस्कवरी-पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2007, पृष्ठ-212
2. डॉ. वीरेन्द सिंह यादव, डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू (संपादक)- 'मीडिया विमर्श- उभरतेक्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ', - पैसिफिक पब्लिकेशन सादतपुर एक्टेंशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-249
3. डॉ. देवप्रकाश मिश्र- 'हिन्दी पत्रकारिता-आधुनिक संदर्भ', स्वराज प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2007, पृष्ठ-13
4. गौरीशंकर रैणा- 'टेलीविजन-चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ', वाणी प्रकाशन दरियागंज, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-98-99
5. डॉ. अर्जुन तिवारी- 'आधुनिक पत्रकारिता', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, चतुर्थ संस्करण-2004, पृष्ठ-254-255
6. दिलीप मंडल- 'कॉरपोरेट मीडिया; दलाल स्ट्रीट', राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011, पृष्ठ-119
7. कुमुद शर्मा-'भूमण्डलीकरण और मीडिया', ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2009, पृष्ठ-66
8. डॉ. वीरेन्द सिंह यादव, डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू (संपादक)- 'मीडिया विमर्श- उभरतेक्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ', - पैसिफिक पब्लिकेशन सादतपुर एक्टेंशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-22,23,24
9. मुकेश कुमार - मीडिया के मुखौटे उतारने का साल, जनवरी-2010, हंस, पृष्ठ-72
10. डॉ. वीरेन्द सिंह यादव, डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू (संपादक)- 'मीडिया विमर्श- उभरतेक्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ', - पैसिफिक पब्लिकेशन सादतपुर एक्टेंशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-79
11. डॉ. वीरेन्द सिंह यादव, डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू (संपादक)- 'मीडिया विमर्श- उभरतेक्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ', - पैसिफिक पब्लिकेशन सादतपुर एक्टेंशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-272
12. रविकान्त (संपादक) - दीवान-ए-सराय 01 मीडिया विमर्श/ हिन्दी जनपद, वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, संस्करण 2002, पृष्ठ-177
13. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, बिलासपुर संस्करण, दिनांक 03 जनवरी 2012, पृष्ठ-04
14. आरोह भाग-2, एन.सी.ई. आर.टी. नई दिल्ली, पृष्ठ-23
15. आनन्द प्रधान- 'आइये राजनीतिक रिपोर्टिंग का मर्सिया पढ़े', पृष्ठ-78
16. डॉ. वीरेन्द सिंह यादव, डॉ. रावेन्द्र कुमार साहू (संपादक)- 'मीडिया विमर्श- उभरते क्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ', -पैसिफिक पब्लिकेशन सादतपुर एक्टेंशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012, पृष्ठ-149

****

संसद से सड़क तक- धूमिल

डॉ. अनिता सोनी *

प्रस्तावना – आम आदमी पूरे परिवेश के साथ धूमिल के काव्य में स्थान पा गया हैं। फ्रस्टेशन के कोहरे में घिरे आदमी को पूरे आकार में उभार पाना अत्यन्त कठिन कार्य हैं, पर धूमिल ने जिस सहजता से उसे अंकित किया है वह कवि की पैनी मर्मभेदिनी दृष्टि का परिचायक है।

वास्तव में रचनाकार भोगे हुए सत्य की अभिव्यक्ति करता है, पर मात्र अभिव्यक्ति नहीं, गंदगी और कुरूपता के बीच सुगंध और स्वच्छता खोज के माध्यम से उसे अर्थवान भी बनाता है। वह गंदगी का, विसंगति जो यथार्थ है, उसका दर्शन लेकर बिम्बों के आधार पर नये-नये दृश्यों का विस्तार करता हैं।

व्याख्या – विसंगति का बोध एवं अभिव्यक्ति रचना प्रक्रिया से सम्बन्धित होती है। भाषात्मक स्तर पर जब कवि विसंगति का प्रयोग करता है, तो यह कवि की नयी भंगिमा बन जाती हैं। धूमिल के काव्य में बिम्ब अनुभूति को प्रस्तुत करता हैं।

धूमिल की कविता का समग्र बिम्ब – धूमिल का समग्र बिम्ब मानव विरोधी समकालिन, सामाजिक, राजनैतिक संरचना का बिम्ब है। वर्तमान सामाजिक संरचना की अस्वीकृति और ध्वन्स के लिए भूख और अपमान से तनी मुट्ठी बिम्ब उभरता है।

एक समूची सभ्यता, संस्कृति और उसके ढाँचे के औचित्य को चुनौती देती हुई धूमिल की कविता का समग्र-बिम्ब हमारे मन में बिम्ब उत्पन्न करते है। संसद से सड़क तक नाम की सार्थकता इसीलिए है। समग्र बिम्ब समकालिक सामाजिक संरचना से प्रत्यक्ष संबंध रखते है।

धूमिल के काव्य में बिम्ब –

ऐन्द्रिय बिम्ब – ऐन्द्रिय बिम्बों के विषय में यह कहना आवश्यक है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और गंध अवश्य रहती है। धूमिल के बिम्बों को ऐन्द्रिय संवेदना के आधार पर विभाजित करके देख सकते है।

अ) गन्ध बिम्ब – संसद से सड़क तकद में निम्नलिखित गंध बिम्ब है:-

1. जूते से निकले पाँव सा महकता हूँ। – यशांति पाठ
2. उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने की बदबू से मेल खाने लगती है। – 'पटकथा'
3. लोटियों की गंध है। – 'भाषा की रात'
4. उसके मुँह से खून की बू आ रही है। – 'नक्सलबाड़ी'

ब) रस बिम्ब –

1. एक अजीब सा स्वाद भरा रूखापन है। – 'बसंत'
2. भागती हुई भूख पत्तियाँ चबाती हैं। – 'नक्सलबाड़ी'
3. नमकीन धुन। – 'पटकथा'
4. लोहे का स्वाद लोहार से पूछो – 'कल सुनना मुझे'

स) शब्द बिम्ब –

1. खूनी कोलाहल – 'शहर कर व्याकरण'
2. फटे हुए दूध सा रोना – 'नक्सलबाड़ी'
3. गुस्सा गुर्राया है – 'मुनासिब कार्यवाही'
4. एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट – 'पटकथा'

द) स्पर्श बिम्ब –

1. ठोस सैलाब – 'जनतंत्र के सूर्योदय में'
2. कुछ जलता सा धुआ है – 'हत्यारी सम्भावनाओं के नीचे'
3. भाषा की रात ठंडी है – 'मुनासिब कार्यवाही'
4. नन्हा गुलाब लोहे के पहाड़ की मुट्ठी में भींच रहा है। – 'एकान्त कथा'

इ) रूप बिम्ब –

1. हरे रंग का ठोस सैलाब – 'जनतंत्र के सूर्योदय में'
2. आत्महीनता का दलदल – 'शांति पाठ'
3. परम्परा को पालिश से चमका रहा हूँ – 'उस औरत की बगल में लेटकर'
4. सिर कटे मुर्गे की तरह – 'अकाल दर्शन'
5. मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है – 'मोचीराम'

कुछ बिम्ब ऐसे है, जिनमें इन्द्रियों के विषय बदलकर आकर्षण उत्पन्न किया है, इन्हें सिन्थेटिक बिम्ब कहा जाता है।

1. आवाज का चेहरा टटोलता है – 'जनतंत्र के सूर्योदय में'
2. नीली गुर्राहट – 'जनतंत्र के सूर्योदय में'
3. नमकीन धुन – 'अकाल दर्शन'

प्रतीक बिम्ब – धूमिल में प्रतीक बिम्ब भी हैं। बिम्ब पुनरावृत होने पर प्रतीक बन जाते हैं। धूमिल नवीन-बिम्बों की खोज में प्रतीक बिम्बों का प्रयोग करते हैं- जैसे – 'भेड़', 'गडरिया'

1. रक्तपात नहीं होगा सिर्फ एक पत्ती टूटेगी। (कुछ न होने का प्रतीक) 'जनतंत्र में सूर्योदय'
2. हमारे चेहरो पर आँख के नीचे नाक है। (मर्यादा) – 'मुनासिब कार्यवाही'
3. पानी ही पानी कीचड़ खामोश है। (यथास्थिति के लिए) – 'मुनासिब कार्यवाही'
4. वह सिर्फ रोटी से खेलता है। (शोषण) – 'राजकमल चौधरी के लिए'
5. कोई पहाड़ संगीन नोक से बड़ा नहीं। (पराक्रम) – 'मोचीराम'

गतिशील और स्थिर बिम्ब – धूमिल में गतिशीलता पाई जाती है। प्रगतिशीलता भाग राजनैतिक धारणा नहीं हैं। राजनीतिक प्रगतिशीलता का अभिप्राय, जिस प्रकार समाजवादी मूल्यो, ममताओ की ओर झुकता है, उसी प्रकार सौंदर्य बोध में स्थिरता विनाशक गति है।

स्थिर बिम्ब – 1. चेतावनी खतरे को टालते के बाद हरी ऑख बनकर रह गई है। – 'बसंत' 2. शक, नींद और नफरत से लड़ता है। – 'शांति पाठ'

क्रियात्मक बिम्ब – क्रियात्मक बिम्बो में अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाओ का ऐसा प्रयोग है, जिनमें वास्तविकता का प्रतिबिम्ब संभव हो सका है। 'सका है। 'सड़क पर आतियो जातियो को – 'मोचीराम' यहॉ पर आने जाने वाली स्त्रियो को आतियो जातियो की क्रियात्मक आधार प्रदान करता है।

अलंकृत बिम्ब – धूमिल के काव्य मे अलंकारो को बिम्बो से पृथक करना कठिन है। प्राय: अलंकारो को वक्र कथनो के रुप मे माना जाता है, जो लाक्षणिक शब्दो और रुपक ;मेटाफेर; में व्यक्त होते है। रुपक संरचनाओ

* प्राध्यापक (हिन्दी) जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल, (म.प्र.) भारत

जैसे – अन्योक्ति, समायोक्ति में अन्योक्ति और समायोक्ति में वर्ण्य और व्यंजिक दोनों पक्ष साथ–साथ व्यक्त होते है। यथा–जायसी के पदमावत में ।

समायोक्ति – ऊपर से लगता है कि वस्तुस्थिति का वर्णन है पर बाद में एक और अर्थ निकलता है अंधकार तथा प्रकाश की लड़ाई का बिम्ब प्रस्तुत होता है। अलंकृत बिम्ब देखिये रुपक लड़की धर्मशाला हो जाती है– 'बीस साल बाद' उपमा मातृभाषा मेहरी की तरह है। – 'जनतंत्र के सूर्योदय मे'

उत्प्रेक्षा – जैसे मकान में अपरिचितो के बीच चल रहे है।

मिथकीय बिम्ब – मिथकीय बिम्बो के 'पतझड़' अल्प प्रयोगो साथ देखने योग्य है कि धूमिल में आधुनिक मिथक अधिक है। विव स्तर पर आम हड़तल मिथक है, संसद से सड़क तक में निम्न मिथकीय बिम्ब है :–

1. नरभक्षी जीभ – भाषा की रात
2. जलते हुए कुँए – पटकथा
3. जंगल मुखबिर है – शहर, शाम और एक बूढा मैं
4. अंधी गुफो द्वार की तरह – मकान

धूमिल अतिकल्पना छायावाद या ; फैंटेसी; से बिम्ब लेता है। यह मुक्त कल्पना है। बंधन से टूटने पर मानसिक सुख की अनुभूति होती है।

हम धूमिल के बिम्बो द्वारा सिध्द कर चुके है। धूमिल के बिम्बो को कागज के फूल की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे भावगंध से सुवासित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. संसद से सड़क तक धूमिल
2. हिन्दी साहित्य कोष
3. डॉ. नामवर सिंह कविता के नये प्रतिमान
4. अज्ञेय – आत्मनेपद
5. समकालीन हिन्दी कविता अज्ञेय और मुक्तिबोध– डॉ. शशि शर्मा
6. अर्थ मूल्य का अवमूल्यन – डॉ. रामशरण गौड़
7. सड़क पर अपना हक – सुनीता नारायण
8. काव्य बिम्ब – डॉ. नगेन्द्र
9. पटकथा – धूमिल
10. मोचीराम – धूमिल

****

लडाई का जबरदस्त मोर्चा गांवों में ही हैं

श्रीमती राधा वास्केल *

प्रस्तावना – 'गोदान' से लेकर अग्निबीज तक तथा प्रेमचंद से लेकर हमारे आज के अधिकांश युवा कथाकारों ने हमारे गांवों की दुखती रग को सहलाने की कोशिश की है। यहॉ पर इस मुद्दे को उठाने के पीछे यह उद्देश्य नहीं कि हमारे गांव के यथार्थ पर किसकी पकड कितनी मजबूतहै या किसने सही चित्रण किया है, या किसने जादुई यथार्थ की संरचना की है या कौन अतिवादी की दहलीज पर अपना माथा रगड रहा है। यहॉ पर गोदान,'सती मैय्या का चौरा' 'बाबा बटेश्वरनाथ', 'रतीनाथ की चाची', मैला ऑचल, 'अग्निबीज', 'देहाती दुनिया' में आये 'यथार्थ' के बीच तुलनात्मक विवेचन करना नहीं है। यहॉ केवल यह रेखांकित करना है कि ये कुछ हस्ताक्षर है जिन्होनें गांवों के उस नंगे यथार्थ की ओर ध्यान आकर्षित करने का ईमानदार प्रयास किया है। साहित्यकार ने उस दायित्व को भी समझा जिसके तहत सिर्फ यथार्थ परक कहानी या उपन्यास लिखकर ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन समझकर स्वयं अपनी पीठ नहीं थपथपाता। आचार्य शिवपूजन सहाय आजीवन गांवों की जेहालत भरी जिंदगी में परिवर्तन के लिए सिर्फ कलम के माध्यम से अपितु गांवों में ग्राम सुधार सभा जैसे संगठनों के निर्माण के द्वारा भी सक्रिय रूप से प्रयास रत रहे। यह बात दूसरी है कि उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली पर लेखक के सच्चे प्रयास की महत्ता इससे कम नहीं होती।

''भारत गांवों का देश कहलाता है, खेतीहर देश है। गांवों से ही शहर पलते है और फलते फूलते है। गांवों के खेतों से ही देश की दौलत निकलती और देशवासियों की रोजी चलती है। खेती का धंधा जिंदगी को आराम पहुंचाने वाले सारे सामान गांव से ही आते है, मिलों के प्राण मजदूर भी वही से, अधिकतर महान पुरूष भी वहीं से।''

सनातन सवाल है जो आज तक अनुत्तरित है। देश की उर्जा के इस अजस्त्र स्त्रोत की ओर क्या आज भी अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है? इसके उत्तर से सभी परिचित है। हमारे गांव राष्ट्र की रीढ है। अगर रीढ ही मजबूत नहीं होगी तो आजादी के बाद जिस सुंदर भविष्य के सुखद सपने देश की जनता ने संजोये थे, वे किस तरह पूरे हो सकते है। गांवों की उपेक्षा करके क्या भारत का स्वराज्य तथा प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है? जितना ध्यान गांवों की ओर देना चाहिए, उतना आज तक नहीं दिया गया है। इसलिए खोखली नींव पर टिका हुआ भारतीय स्वराज्य तथा गणतंत्र की इमारत डगमगा रही है। आजादी के बाद जिस वर्ग ने सत्ता पर कब्जा किया है या जिनके हाथो सत्ता सौंपी गई है वे तथा उनके आस पास मंडराने वाले लोग तो 'सत्ता सुख' भोग रहे है, पर आम जनता विशेषकर ग्रामीण जनता आज भी पूर्णतया उपेक्षित है।

सत्ता की दौड में चुनाव के समय गांववासियों के समक्ष आश्वासनों की गंगाबहा दी जाती है और चुनाव समाप्त होते ही अगले पांच सालों तक इंतजार करने को कहा जाता है..... और बेरोजगारी व भूखमरी से त्रस्त गांव वाले शहरों की ओर रूख करने को विवश है ओर वहां वे फुटपाथ पर अपना जीवन बसर करने की नियति को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आजादी के 67 सालों बाद भी हम अपने देश के अंदर गहराते आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संकट का लेखाजोखा करते है। तो पाते है कि – भारतीय समाज की कमजोरियॉ तथा खतरे कितने भयावह है। इस मोर्चे पर ध्यान देने तथा संघर्ष करने की ओर मोर्चे पर लडाई आरंभ करने की तथा समाज के उन दुश्मनों के खिलाफ समझौता विहिन लडाई आरंभ करने की बाट देख रहा है। लडाई न छेड पाने का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। वास्तविकता में हमारे गांव देश का दिल है। असली इलाज की आवश्यकता वहीं पर है। इस तथ्य को कोई माने या नहीं माने, कुछ फर्क नहीं पडता है। इस सच्चाई को इंकार नहीं किया जा सकता है। गांव में रहने वाली देश की अधिकांश आबादी की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसमें परिवर्तन के लिए उत्कट अभिलाषा तथा परिवर्तन के आकांक्षी साहित्यकारों की ईमानदार कोशिशों की आवश्यकता है। गोंव के सत्य को उसके यथार्थ को, सच्चे रूप में सबके सामने रखने की आवश्यकता है। देश की अधिकांश जनता छलवे में पडी रहे और देश उन्नति कर जायें ऐसा कभी संभव नहीं। इसीलिए ग्रामीण जनता के सामने सारी सच्चाई आना आवश्यक है। नग्न यथार्थ पर से पर्दा हटाना आवश्यक है।

इस सच्चाई की रोशनी में वास्तव में लडाई के मोर्चे को बदलने का समय आ गया है। यह एक कडवी सच्चाई है कि हमारी लडाई का जबरदस्त मोर्चा आज भी गांवों में ही है– क्योंकि आज भी हमारे गांव रूढियों, अंधविश्वासों को संजोये, प्रतिक्रियावादी, संप्रदायवादी, तत्ववादी, फिरकापरस्त, ताकतों के क्रिडास्थल बने हुए है, तभी तो हर गांव में 'ईट पूजन' की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। देश के तमाम बुद्धिजीवियों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस आधार की ईंट का पूजन गांव में हो।

अधिकतर कहानीकारों ने गांव के जीवन की गिरावट को केंद्र में रखा है। गिरावट बहु आयामी है। लेकिन आर्थिक संदर्भ विशेष रूप से मुखर है। गांव की गिरावट को दर्शाना नकारात्मक दृष्टि नहीं है अपितु यथार्थ की भयावहता से साक्षात करने, ग्रामीण जीवन की बुनियादी समस्याओं को रेखांकित करने के इरादे से ऐसा हुआ है। आठ दस घरों के छोटे से गांव की स्थिति यह है कि, किसी किसी के पास ही नाममात्र की जमीन है। उसमें कब क्या उग्पजेगा कब नहीं, कोई कुछ नहीं बता सकता। हॉ वहां सूखी घास देखने को मिल जाती है। जिस पर पशु मुँह मारते है।जाहिर है यह माहौल ज्यादा से ज्यादा पशुओं के लायक है। अकाल का प्रकोप इतना भयावह है कि सहजन के पत्ते उबालकर भूख को बहलाया जाता है। मध्यकालीन

* शोधार्थी (हिन्दी) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

अंधविश्वासों से घिरा ग्रामीण मन अकाल के मूल कारणों को नहीं जानना चाहता। उसे लगता है कि यह देवता का क्रोध है– ''देवता नाराज है रे। धरती माई भी नाराज है। न आकाश से पानी बरसता है, न जमीन से बीज फूटता है। बीज नहीं उगेगा तो अन्न कहॉ से पैदा होगा। खायेगा क्या? अकाल पड गया है। गरीबी आ गई है।'' जीवित रहने के लिए असहाय आदिवासियों को अपने बच्चे बेच देने पडते है। गिरसा के बाप का यह कथन अकाल के व्यापक दुष्प्रभाव को उजागर करता है। यह कहानी उन स्थितियों को प्रभावशाली ढंग से सामने रखती है, जिनके फलस्वरूप अमानवीयकरण के हादसे सामने आते है। जहॉ किसानों–मजदूरों का कोई संगठन नहीं है, वहॉ भी बडे भू स्वामियों और पुलिस की जुगलबंदी बहुत कारगर साबित होती है। स्मोचदा के हिस्से की दो बीघा सात बिस्वा जमीन सिंचाई के अभाव में बेकार पडी है। वह मेहनत मजदूरी करके जो कमाता है वह पुलिस और सरपंच की भेंट चढ जाता है। प्रेमकुमार जी ने इस विसंगति को इस रूप में व्यक्त किया है कि मतदाता को तीन गुंडों में से किसी को चुनना है– ''अब, जब उनके स्वयं के मतदान का क्षण आ रहा है, तो उनके सामने एक बार फिर उन तीनों में से सबसे कम बदमाश के चयन की समस्या थी। वह कम से कम अपना वोट तो कम बदमाश को दे सकता है।''

जाहिर है सदियों से चल रहे शोषण और उत्पीडन की जडे बहुत गहरी है। उनके उन्मूलन का कार्य आसान नहीं है। किसान जीवन के अध्येताओं ने पाया कि यद्यपि भूमि सुधार कानूनों ने कानूनी आधार पर बहुत कुछ सुविधाएँ व सहूलते दी है और उपरी तबके के किसान इससे आत्मनिर्भर भी हुए है, लेकिन अपर्याप्त जमीन वाले काश्तकार तेजी से खेतिहर मजदूरों की विशाल फौज में शामिल होते जा रहे है। इसके अतिरिक्त श्रमजीवियों के उत्थान में वस्तुगत बाधा है, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष का लक्ष्य भ्रष्ट होना।

आठवें दशक के आखिरी वर्षो में लिखी गई बहुत सी कहानियों में एक स्पष्ट निर्णय शीलता दिखाई देती है। इधर की कहानियॉ प्रश्नाकुलता, असमंजस और चिंता की अभिव्यक्ति कर रही हे। इन कहानियों की आखरी तान किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं टुटी है। फिर भी गंभीर चिंता और विक्षोभ से शायद ही कोई कहानी मुक्त हो। चोर कहानी का अंतिम वाक्य पर क्या सचमुच गांव चोर रहित हो गया है? न केवल व्यंग्यात्मक है अपितु संवेदनशील पाठकों के लिए एक वैचारिक चुनौती इसमें पूरे पैनेपन के साथ मौजूद है। कानी गंडेरी की अंतिम पंक्तियों में जनसाधारण की किकर्त्तव्य विमूढता द्रष्टव्य है जो ''काठमार गया'' है 'बर्फ बन जम गया' 'वहां के वही सांस थामे' आदि पदों से व्यक्त हुआ है। प्रधानजी का चरम बिन्दू 'अस्तव्यस्तता' का है– 'उसे सगा उसके पैर जमीन में गड गए है। वह एक किली बन गया है। पूरा मतदान केन्द्र उसके मस्तिष्क में आते विचारों की तेजी से घुम रहा है, चक्कर काट रहा है।' घेराव कहानी के अंत में चौतरफा 'वारों' से लहूलुहान निहत्थे सैनिक की भॉति स्योचंदा आत्मसमपर्ण में ही अपनी भलाई देखता है। लेकिन कुछ कहानियों को छोड दे तो ये कहानिया निराशावादी नहीं है। जनसंघर्ष की मुश्किलों और अंतर्विरोधों को रेखांकित करने के साथ साथ ज्यादातर कहानियों में यहॉ संकेत मिलता है कि मुक्ति चेतना को अब अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। मुक्ति चेतना को अब जाति संघर्ष, भूस्वामियों का तथाकथित उदारतावादी दृष्टिकोण, शोषितो की आपसी फूट आदि कई कारणों से आघात पहुंच रहा है, लेकिन यह वेगवती धारा जिस मार्ग पर चल निकली है, उसे कोई बडी से बडी चट्टान भी अवरूद्ध नहीं कर पायेगी। इसलिए आज भी ''लडाई का जबरदस्त मोर्चा'' गॉव में ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आचार्य शिवपूजन सहाय – ग्राम यात्री दल की आवश्कता नामक लेख अप्रैल 1949
2. गुरूबच्चनसिंह – भेडिये (गंगा, अक्टूबर 1987)
3. सुनील सिंह – चोर (आम आदमी, अप्रैल जून 1987)
4. जगदीशप्रसाद सेनी – घेराव (मधुमति, अगस्त 1988)
5. प्रेमकुमार– प्रधान जी (कहानी संग्रह– एक बुढा रोशनदान)
6. भारत में किसान संघर्ष – सिग्रिस्ट गुहा, हाउक और मार्ला, पृ.30

****

Overtones of Denial and Assertion in Alice Walker's The Color Purple

Dr. Mamta Garg *

Abstract- Alice Walker, African American novelist has presented in her novels the problems of women and particularly the mutilated self of Black women who are subjected due to brutal treatment given to them by Whites as well as by their own persons. But in spite of depicting the atrocities of women, Walker's concern has been to preserve human race through transformation from victimization to affirmation. In The Color Purple, Walker has forcefully illustrated it through the character of Celie. In my paper, I have given the Amazonian picture of Celie who represents all African women who wrestle with the world and ultimately assert their own self by putting their energy and passion to good use.

Introduction- Post- modernism is a historical period that began in the 1940, a style of literature, philosophy, art and architecture, or the situation of western society in a late capitalist or post- capitalist age. Social issues related with the feminism and ethnic groups are related with this movement. Alice Walker has been one such prominent figure in the contemporary literature who has embraced these issues in her writing. At the time Walker started writing poetry and prose, America had been struggling with both African-American racism and men- women discrimination and gender minority. Walker's The Color Purple is also the sign of African-American literature rising, where the hardships of African-American women have been presented. Besides Walker, Maya Angelou and Zora Neale Hurston were among the female authors that brought up the same values as The Color Purple. Perhaps, it is in response to the clarion call that in the 1980s there emerged novels by women examining aspects of women's lives never contemplated before. In her literary career, Alice Walker also adhered to the same and explored the issues of the mutilated womanly self in particular and "the spiritual survival of black people" in general. In an interview, Walker confessed the crusading spirit behind her works.

"I am preoccupied with the spiritual survival of my people. But beyond that I am committed to exploring the oppressions, the insanities, the loyalties and the triumphs of black women."

There is no doubt that African- American society emerging from the slave era produced more assertive and active female characters due to emasculation of men by slave regime. The slave man was unable to protect his mother, daughter or wife against the brutal treatment given to them by white as Carby points out in this context: "Black manhood…. couldn't be achieved or maintained because of the inability of the slaves to protect the black woman in the same manner that convention dictated the inviolability of the white woman."

African- American woman writers themselves advocated for the realistic portrayal of female characters where the challenges and the struggle of women and also of black women has been presented realistically. Alice Walker, being an African- American writer embarked upon this gigantic task to defy the patriarchal system and raised her voice against the atrocities inflected on women. Walker's concern for women has been universal as she believed in the harmony for mankind that's why her interests abound the survival of whole humanity. She is committed to "causes that go beyond the black community, seeing blacks as a part of a larger world that we must save from destruction."

Alice Walker's prime concern has been the preservation of human race through 'redemption' and change. Transformation is a common thread in the tapestry of our life and is simultaneously essential for our survival. Perhaps, it is due to this reason that the man keeps on changing and evolving in this Newtonian World and Walker has forcefully illustrated it in The Color Purple through the character of Celie. In the brief scenario of the novel Walker has traced a remarkable transformation from victimization to affirmation.

Celie's Story- Celie is not substantially different from the other victimized women characters of Alice Walker as they like Celie, are victims of sexual and communal abuse and sometimes victims of their own minds. Celie's narrative reaffirms many old stereotypes. The narrative depicts barely educated black woman who is sexually abused, verbally dominated and physically beaten for almost thirty years. As an adolescent, Celie is recurrently raped and twice impregnated by the man she believes to be her father, who tells her, in the novels openings line," you better not never tell nobody but god". The unscrupulous man sells her children, tarnishes her reputation and keeps his own untarnished and gets her married off to an older man who needs a good worker on his farm, a surrogate mother for his four horrible children and a receptacle for his passion. As told by her father to write letters to god, Celie starts writing

* Asst. Prof. of English, Govt. Narmada P. G. College, Hoshangabad(M. P.) INDIA

letters to god and to his sister Nettie who is forced to leave for Africa with a couple of missionaries as she doesn't accept Albert's advances. Although Celie is surrounded by a community of black women struggling for independence, Celie only starts to fight for herself when she enters into a relationship with Shug Avery who is her husband's former lover. She becomes a close friend of Celie and helps her to overcome oppression by exhorting her to maintain her independence through creativity and love. In the end, Nettie and Celie's children come back home and celebrate their happy reunion.

Pathetic Self Of Celie- The Color Purple presents the liberation of the African- American woman from traditional patriarchal order. There is a progression from external to internal, from male control of female lives to women controlling their own lives. Primarily Celie struggles for self-definition. She has little value as a human being and can't raise her voice against the oppression exercised against her. When she is persuaded by Nettie to fight back and resist the mean children of Albert, Celie responds: "But I don't know how to fight. All I know how to do is stay alive." Celie knows fighting back won't be the remedy for his predicament; it would rather create more problems. Celie's situation at the house of Albert is so bad that her sister Nettie describes it as a burial. "It's worse than that" Celie thinks. "If I was buried, I wouldn't have to work. But I just say, never mine, never mine, long as I can spell G- O- D, I got somebody along." Due to her firm Christian behavior, she doesn't mind the humiliation she meets at the hands of Albert. She rather says, "he my husband, I shrug my shoulders. This life soon is over, I say. Heaven last always." Walker considered The Color Purple to be a historical novel, but instead of a history with "the taking of lands, or the births, battles or deaths of great men." Walker writes a "her story" where there is the depiction of the excruciation of women and nothing "heroic" according to the pattern of the traditional history. The Color Purple is about being a woman and black, living in the frame of male civilization. Walker writes, "A black woman is the mule of the world, because we have been handled the burden that everyone else refused to carry." All the women in Walker's writings are self- sacrificing creatures who live in denial of self "suspended women", under the pressures of their agonized lives.

Indeed Celie's life has been an index of sufferings with fragmented self. She is devoid of identity; she is "nobody" as Albert put it: "Who you think you are... You black, you pore, you ugly, you a woman. God dam, he say, you nothing at all." All life has been series of sacrifices for the sake of other- to Pa's desires, to Nettie's safety, to Albert's brutality. She has been lacerated with no sense of belonging to this world.

Celie's Evolution- One of the marked features of Walker's fiction is that she gives an evolutionary treatment to her women characters that evolve within the scheme conceived by the writer. Many African- American women preoccupied themselves with the bringing back to life the 'dead girl' whom male writers had chosen to bury and discard from literary canon. Ostensibly, Walker's theme in The Color Purple is the development and enlightenment of Celie's personality. Through the narrative, Celie moves towards her own self-acceptance and self- definition. At the start of the novel, Celie is the most vulnerable person in the society, abused and denied voice by her (supposed) father and then by her husband. But eventually she gets completely transformed with strong positive attitude towards herself. Shug plays a prominent role to bring Celie out from the marshy world of depression and morose. The central theme Walker dwells in the novel is, "the theme of destructive relationships between broken men and loyal women." Walker values the bonds between women, their culture, their emotional flexibility and their strength.

Most of the women in Walker's earlier fiction were "self-sacrificing women resigned to the weary centers and rough edges of their lives. They…..internalized the narrowly defined woman's place….no alternatives to loneliness, exhaustion and denial of self." In Walker's treatment of black women, we see the movement from totally victimized women to the growing developing women whose consciousness allows them to gain control over their lives. This development is made possible through their sisterhood. Celie's development into a strong and independent woman becomes possible through her quilt pattern of "sisterhood." This quilt epitomizes "female bonding that restores the women to a sense of completeness and independence." Brutalized Celie also overcomes her apathetic victimized self, as a result of this pattern only. Shug plays the role of sister in Celie's life and prompts her to be independent. Shug is the role model in Celie's life who teaches Celie how to enjoy being a woman. She boosts her up and rejuvenates her interest in life by telling her about Celie's own qualities.

Shug's Role In Celie's Evolution- Celie's evolution becomes possible through Shug only. "Walker's paradigm is based on the eternal triangle in which women complement rather than compete with each other and at the same time share an equal status with the men." Fulfilling Walker's definition of "womanist", Shug shows all the traits of Blues tradition.

Shug's character has everything to do with love, sexuality and freedom of expression. She generates the consummate experience of sexual pleasure in Celie and opens the gate for her what we call "essentials of love- trust, compassion, understanding, gentleness and friendship." Shug is a "feeling, caring person connected to the universe." Shug gives Celie more than carnal knowledge. She helps her discover links with past that she thought was lost forever. With the help of Shug, Celie is able to get Nettie's letters which were kept concealed from her by Albert over the years. As a result Celie finds out about Nettie that she is not dead, but alive in Africa, raising Celie's two children that were taken. From her as babies from one of Nettie's letters, Celie also learns that her children are not her sister and brother. This revelation liberates her from the guilt and angst associated

with her apparent incestuous relationship. Now Celie recognizes the larger options in her outer world, from self-negation she turns to self- affirmation. Shug educates Celie theologically also be telling her that God is in everyone and everything and salvation comes through righteous works.
In The Color Purple change in Celie climaxes the day when she announces that she will leave Mr. Albert to live with Shug in Memphis. She says, "I' m pore, I' m black, and I may be ugly and can't cook… But I' m here." Later in a letter to Nettie from Memphis, Celie clearly articulates a new and more positive vision of herself: "I am so happy. I got love. I got work, I got money, friends and time and you alive and be home soon with our children."

In most of Walker's works, the movement from South to North is an embodiment of freedom and back to South for reconciliation. Celie's movement from South to North gives her economic liberation (Celie establishes "folk pants" business) and finally her return to the South represents her reclamation of homeland.

Conclusion- Through The Color Purple Alice Walker has referred to the ancient myth as corrective to stereotypical images of African- American women as the domestic victims of men. With the help of Lilth figure who has become a signifier of the "bold new mode of a self- defined…notion of tradition", Walker has exhorted the oppress women to see beyond patriarchal constructs, to return to the original relationship of woman and nature. Celie represents all those black African- American women who like Amazon wrestled with their own spirit and the outer world and ultimately emerge like a conqueror by realizing their strength that if they get determined they can put their energy and passion to good use. In this context The Color Purple becomes a literary icon that heals, that enlightens and that empowers.

Works Cited -

1. John O' Brien (ed.) interviews with Black Writers New York: Liveright, 1973.
2. Carby, Hazel V. Reconstructing Womanhood: The Emergence of the Afro- American Women Novelists. Oxford: Oxford University Press, 1992.
3. Walker Alice. The Color Purple. Harcourt Bruce Tovanovich, Publishers. New York, San Diego, London, 1992.
4. Peck David (ed.) African American Identity: Identities & Issues in Literature. California State University, Long Beach.
5. Crenshaw in Alcoff, M. Mendieta, L. and Mendieta, Identities: Race, Class, Gender and Nationality. Malden: Blackwell Publishing.
6. Meyjes, M. and Walker, A (Producers) and Spielberg, D. (Director) Black Women and Feminism, Boston: South End Press, 1985.

****

Ultra-Liberal Hypocrisy In Vijay Tendulkar's Plays

Ramlakhan Dhakar *

Introduction - Vijay Tendulkar is one of the most famous of modern Indian playwrights. He is more famous for his iconoclasm than his actual act of righting plays. He only sees black in the society. Not being very different from others in his profession, he does not hold himself back in portraying sex and all other things which can ever be called as tabooed. The rate of his breaking taboos as compared to his adhering to convention and tradition is so overwhelmingly tilted in favour of breaking taboos that one wonders whether it is the new norm in Indian drama.

Sakharam Binder, was written in Marathi language in 1972. It is one of the most famous of the plays of Tendulkar. The hero by the eponymous name is a book binder. He is footloose and free for portraying and living his own fantasies. He is a cultural vulture in which he seeks out weak and susceptible women. These women are generally those who are thrown out of their homes due to various circumstances and due to the cruelty of men meted out to them. He promises them shelter, food and clothing in return of domestic help and on the promise that he will establish sexual relations with them according to his fancy.

Tendulkar makes the play interesting in a modern way as there is no force or physical violence involved in what Sakharam does. He is a debauch for sure. But his deeds are not strictly and legally immoral as it is beyond any kind of ethical or moral judgment. He does not force any women into making sexual relations with him. He just makes the offer and has sex with anyone who picks up the offer. So it is not a clear case of exploitation going by the modern legally based societies.

Tendulkar instead dwells upon the moral complications and ethical conundrums involved with this sexual arrangement of Sakharam Binder. He behaves like a dictator, though once women accept his proposal. Though in principle he tells them that they can leave whenever they want, it is not that easy. His 'modern' arrangement is very emotionally complex and proves disastrous to everyone involved at last.

Sakharam Binder was banned in the year of 1974 as it was thought to be violent and most of all vulgar and too explicitly sexual for the conservative minds of the audience, though these categories mean different things in the world of Indian modern drama. "The object of Tendulkar's focus is the corruption of love and not its pure form at all. Like most other modern dramatists he is more interested in perversions of specific themes, most importantly sex and love. That is the reason of the deep and graphic portrayal of sex in Sakharam Binder."[1]

But this is not all, as Vijay Tendulkar goes farther in his mocking. Though he mocks the traditional hypocritical positions that men and the elitist misogynistic society have taken, he also mocks the intellectual positions of the modernists who consider only physical violence resulting in bloodshed as the only category of crime, all other kinds of mental and psychological traumas out of their moral and legal radar. In this he makes a critique of liberalism. It criticizes the idea of liberalism itself, which is a shocker for every modern lover of drama.

Tendulkar makes a critique of the ultra-liberalism which is rampant in today's metropolitan society. Though this ultra-liberalism is anti-traditional in its ethics and for which Tendulkar lauds it, it is also culpable of the same crime towards women and suffers from gender inequality in stance. Tendulkar portrays the moral plight of the women in the play and thus critiques the insensitivity of the modern ultra-liberal establishment of the art world of India towards the teeming masses of India.

He shows that how while distancing ourselves from one form of 'evil', our society has fallen into the same trap at the other end of the line. It is just on the opposite end of it and is not different from it in many respects. It also involves dehumanization, insensitivity and does not have gender equality at its heart. It is a frightening structure of high complexity value and inherently of chaotic structure with anarchist and Dadaist strains. It is a value-system which is so structure less that it is no value system at all. It falls into the similar trap and at the end of the day is even more 'evil' in its stances than the traditional 'evil' that our society has been said to be practising from its hoary past.

The protagonist of the play does not accept the moral and ethical boundaries of society. It is contemptuous of the rules and traditions and ridicules them by calling them civilizational and culturally oppressive superstitions. The institution of marriage is too a matter of ridicule for Sakharam Binder. By sexually exploiting vulnerable women by giving them necessities in exchange of having sex with him he claims that he is not giving wind to his lust but on the contrary

* Research Scholar, M.L.B. College of Execellence, Gwalior (M.P.) INDIA

he is engaged in their redemption. In actuality the women are his personal servants and the services include sexual slavery too.

Sakharam Binder does not see that he is just taking benefit of women in distress. Many of these women are oppressed by their husbands. Laxmi is one such woman. She was abused and then abandoned by her husband. She is simple and very religious. Finally she decides to leave her husband and go live with Sakharam Binder. But Sakharam is in sexual overdrive and demands too many sexual favours from Laxmi. Ultimately the excessive sexual demands of Sakharam makes Laxmi leave him too. This time she is more heartbroken than before.

But there are side effects too. It is not only Laxmi who has to bear the sexual imprint of Sakharam. He in turn also has to bear the religious imprint of Laxmi. After she leaves, he becomes more ordered in his daily life and a religious strain enters him. Even in his ultimately anarchist avatar he shows that he is also human like others and has human weaknesses, one being of getting influenced by those near us.

At last, he has to recognize that Laxmi was not just a sexual object in his life. When she left him, he concedes that he missed something and lost something for ever.[2] Surprisingly like a human being he shows emotions and vulnerabilities based on sentiments. Perhaps this is the way of Vijay Tendulkar of showing that the ultra-liberalism and ultra-modernism are not invincible and even in the best practitioners of these ideologies there are vulnerabilities creating loopholes leading to emotional break-downs.[3]

But the play does not just contain this. Tendulkar has more in store for us regarding ultra-modernism. Another woman Champa comes into the life of Sakharam. She is completely different from Laxmi. He is gregarious, cheap, very loud and in no way withholding in displaying her sexual preferences. She is as intensely sexual as Sakharam and thus makes a good double for him. She is not above making lewd gestures and openly expressing her sexual desires.

On the other hand, as is expected for her sexually libellous behaviour she does not live by the stereotype of a traditional woman and is not at all obedient. She does not adhere to the cultural superstitions, as termed by Sakharam, and in turn bewilders him by not following his orders and even making reverse demands like making tea for her.[4]

Things get really spicy when Laxmi comes back and Champa continues to live in the same house. Now Sakharam has two ladies with whom he can satisfy his sexual fantasies. However, in her heart, Laxmi is more drawn towards her husband and at last starts another relationship with him, albeit it is asexual this time.

Champa is boisterous enough not be satisfied sexually by Sakharam and hence she starts seeing Dawood and getting sexual satisfaction from him. Laxmi is righteous and she is offended by the behaviour of Champa. Sakharam comes to know the affair of Champa from Laxmi's mouth and he is so enraged that he kills Champa in his wild masculine rage.

Here Tendulkar betrays his ultra-modern sympathies which force him to consider the behaviour of Laxmi as unusual and that of Champa as usual. It somehow manages to send a message to the audience that Champa is the real victim here and Laxmi is one of the perpetrators. She is the perpetrator in the sense that she bears the patriarchal mindset and society with equanimity and silence and helps perpetuate it by holding the righteous mindset.

Champa on the other hand is portrayed as leading a path of liberation and personal freedom. So ultra-liberalism is condemned but only in its imperfection and not its totality.[5] Although people in metropolitan cities exhibit a liberal behaviour on the outside but on the inside they are also hypocritical. It is a case of ultra-liberal hypocrisy which Tendulkar condemns.

References -

1. Sevaram, Martand. Liberalism in Vijay Tendulkar's Plays New Delhi: Abhinav Publications, 2004. p. 44.
2. Tendulkar, Vijay.Collected Plays in Translation. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 153.
3. Sevaram, Martand. Liberalism in Vijay Tendulkar's Plays .New Delhi: Abhinav Publications, 2004. p. 87.
4. Tendulkar, Vijay.Collected Plays in Translation. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 159.
5. Wadikar, Shailaja B. Vijay Tendulkar: A Pioneer Playwright. New Delhi: Atlantic, 2008.

****

Kamala Das: In Quest of perfect conjugal Relationship

Dr. Ranjeeta Patidar *

Abstract-Kamala Das, who looms large over the literary horizon of India, has a rare boldness of delineating hitherto untouched aspects of human relationship. With an emphatic style she voices against the age old patriarchal notions regarding marriage and sexual relations between spouses. Though she is an iconoclast but does not attempt to demolish the institutions like family. The purpose of this research paper is to focus on her quest for a perfect conjugal relationship, both in her poetry and prose. It probes into the consequences of a marriage of dissimilar and horribly mismatched spouses. The sexual politics that prevailed in the relationship between her mother and father, and several other couples around her shaped her views on marriage. The power politics in sex relationship is repulsive to her. She got married to know herself and to seek meaning of life but fails miserably as her husband could not reach out to her except through physical. There is complete emotional barrenness. The irony of fate lies in the fact that in the initial years of their marriage the husband was obsessed with her for sexual gratification and she was not prepared for it. Later on, she craves for physical love as well as emotional support from her husband but he deprives her of both.

Introduction - Husband Wife relationship has been one of the major themes of Literature written by women writers. Kamala Das is one of the most significant Indian poets writing in English. Her poetry and prose is all about herself, about her intensely felt desire for love, for emotional involvement and her failure to achieve such a relationship. An exploration of the nature of love and sex in human relationship is the content of her writing. In her stories, as in her poetry, we see the "conflict between passivity by and rebellion against the male oriented universe" (Eds.segnitz and Riney) which is a frequent theme in the poetry of women.

Much of Das' frustration stems from the kind of relationship she has with her husband. This disillusionment and bitter personal experience colors all her poetry. It has been a hollow relationship, she can neither endure it nor can she untie the marriage knot.

She was married off at the age of fifteen. Her parents seemed to have been anxious to rid themselves of the burden of a young girl and the temperamental compatibility did not figure high on their list of priorities in their search for a bridegroom. In her case it was marriage that mattered not the man. She states in her book: "I was a burden and a responsibility neither my parents nor my grandmother could put up with for long. Therefore with the blessings of all our marriage was fixed." (My Story, 85) Marriage is a fate traditionally sanctioned to women by society.

Thus, the sensitive young kamala found herself bound to a man she discovered to be crude and insensitive, quite incapable of providing emotional sustenance. Marriage subjugates and enslaves woman and it leads her to "aimless days indefinitely repeated, life that slips away gently toward death without questioning its purpose." (De Beauvoir, 500) In marriage the monotony dismayed her and describing it she writes: "My husband was immersed in his office work there was dinner, followed by sex. Where was there any time left for him to want to see the sea or dark buffaloes or the slopes?" (Debonair)

For him the only meaning of marriage was sex while for the bride it was full of romantic and poetic connotations. But she was too much in love with the man to displease him. "I would have undergone any torture to be able to please him, but my body was immature and not ready for love making. For him such a body was an embarrassment" (My story, 90) Recollects Kamala sadly. Roused by dissatisfaction he used to shout at the young wife. Though filled with a terrifying fear of her angry husband and a deep disgust for her own frigid body which was incapable of satisfying him, the wife dutifully surrendered her body to her husband night after night. The repeated experience of rejection, jealousy and bitterness within no time turned the sweet young girl into a tired, bitter woman with his child in her womb. After childbirth her plight remains the same as earlier. At night, leaving aside any consideration for the new born or the mother, who was slowly recovering after the child birth, he would insist on asserting his right as her husband. Kamala recalls those nightmarish times thus; "At night he was like a chieftain who collected the taxes due to him from his vassal, simply and without exhilaration, all the parijata that I wore in my curly hair was wasted. The taking was brutal and brief." (94)

The humiliation of being treated as a sexual object and vassal in the house underline for her the shallowness of the marital bond. Her soul rebels against the lake of genuine communication of emotional and spiritual bonding.

The requirement she realizes with shock, is to conform and to become domesticated – to cater to the master, children and kitchen, and whenever necessary to be on display as a showpiece. This kind of façade, that she is expected to maintain for the benefit of others, is reported in many of her poems. In the Descendants she writes:

"But,
I must pose,
I must act out the role
of a happy woman
*happy wife" (*2)

* **Govt Girls College, Khargone (M.P.) INDIA**

Since childhood the psyche of a girl is mould in such a particular fashion to inculcate in her all types of feminine qualities. Simone De Beauvoir writes;

"One is not born but rather becomes a woman… it is civilization as a whole that produces this creature… described as feminine." (267)

Most of her poems deal with the themes of unfulfilled love and yearning for love. A largely confessional lyric 'The Old Playhouse' also reveals the vacuity of harmonious conjugal relationship. The husband is accused of selfishness. She got married to know herself and to learn to grow but her hope was belied, as the husband was only interested in her body.

"You were pleased
with my body's response, its weather, its usual shallow convulsions… you embalmed my poor lust with your bitter sweet juices" (2)

Her husband's aggressive, assertive approach to sex and her, as yet. immature body at the time of their marriage, resulted in her being labeled as frigid- an adjective that comes in handy to any man, who, as a member of the dominant group, readily uses it for any woman who fails to boost his ego or play up to him in such a way as to confirm and enhance his feeling of being a real 'man'. How strange it is that even in the context of this most intimate relationship between man and woman in which they both ought to be equal partners giving and receiving pleasure from each other , women are looked upon as mere instrument of joy, judged solely on the basis of the extent to which they satisfy the man and are readily labeled as cold or frigid when they fail to do so, while in fact the poor ones do not even know what frigidity is; for more often than not, as Nancy Friedan points out in her book my Mother Myself, they are strangers to their own bodies.

Later when Kamala had physically matured, her husband lost interest in her after the birth of their first son and resumed his flirtatious relations with his cousin. Driven by sheer indignance kamala now made up her mind to be "unfaithful to him, at least physically" (My story, 95)

What Kamala Das has with her husband is neither generous nor free, neither unrestrained nor wholehearted –it is a sterile relationship.

In an attempt to counter this sterility she sets out to seek the perfect match. The search for a fulfilling relationship is sometimes wistful, sometimes desperate, and at times even cunning. There is too the unforced pathos of a woman, who seems to snatch at add moments of happiness and whose encounters in her search for love often fail, and who is forced back to the cocoon her husband has built around her.

The element of poignancy is constantly present through the recurring reference to the poet's barren personal life and the quest for a perfect relationship proves to be a mirage.

"I enter other's
Lives and
Make of every trap of lust
A temporary home" (Glass, 21)

Conclusion - Kamala Das' life long quest was for love, for emotional involvement, for a happy married life but her quest always ended in disaster of lust, which brought frustrations and disillusionment in their wake. She does not advocate free sex, but constantly voices her quest for a relationship which gives both love and security. But alas! She was condemned to a sterile, life-long relationship which brought her no emotional fulfillment. Sexual humiliation is the central experience in her autobiography My Story and some other poems. Without emotional involvement, sex is barren and sterile for her. Kamala Das transcends her personal and private experience into something rich and universal. Her prose and poetry have a therapeutic effect, the significance of which cannot be minimized. Das' views regarding marital relations, love and sex are unconventional and shocking to the orthodox, for her treatment of sexual love and human body is free, frank and uninhibited. She is essentially a poet of modern Indian woman's ambivalence, giving expression to it more nakedly than any other Indian woman poet with the possible exception of Amrata Pritam in Punjabi. With a slender corpus of poetry she has secured prominent place among the immortals of literature.

Works cited -

1. *Das, Kamala*
   a)"Glass"
   b) "I have Lived Beautifully." Debonair III No. (May 15, 1975)
   c) "My story, New Delhi Sterling Publishers, 1976
   d) " The Old Play house and other poems; Madras Orient Longman ltd. 1973
   e) "the suicide "in the descendants Calcutta: writer's workshop, 1967
2. *De Beauvoir,Simone. The Second Sex, Trans. H.M. Parshley (New York:Vintage Books, 1974)*
3. *Segnitx, Barbara and Rainey card, Eds., Psych: The Feminine Poetic consciousness, New York: The dial Press, 1973), Introduction*

****

Care and Protection of Old Age Persons in India : A Critical Legal Study

Prof. Binayak Patnaik *

Abstract - The paper makes an analysis of the law **"The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007"** – highlights on constitutional protection of old age persons – focuses on the legal remedies provided in different personal laws such as Hindu Law, Muslim Law, Christian and Parsi Law and section 125 of Criminal Procedure Code 1973 – provides in the ultimate analysis the conclusions with pragmatic suggestions.

Introduction - Old age is a part of natural law which all human beings pass through. It is also a fact that all old persons are not fortunate to experience safe and healthy life. They feel insecure in the family and in the society, which arise out of lack of economic security, health security and emotional security.

It is important to note that the United Nation principles of older persons were adapted by the United Nations general assembly on 16th December 1991.

In India, besides the personal laws like Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 and section 125 of Criminal Procedure Code, the only law that came into existence in the year 2007 is "The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007". This law highlights on the maintenance and welfare of parents and senior citizens and the responsibility is fixed on the family, the children, the grand children and other relatives who are liable for paying a living allowance to them.

This article while focusing on the advantages as well as limitations of the law concludes that it is more of morality and conscience which plays a vital role in protecting the right of old age persons besides the law.

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007 - Though the maintenance of parents was included in personal laws as well as in Section. 125 of the Criminal Procedure Code, but the procedure is time consuming and expensive. In addition, the family disputes may not be handled effectively by the existing court structure. Generally most of the parents are reluctant to drag their children to the court even though they are treated cruelly by their children. So there is need of simple, inexpensive and speedy procedure to claim maintenance by the suffering parents.

Considering all those things and for welfare of not only parents but also childless Senior Citizens, the Government of India enacted the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

The Act is very brief with only 32 sections. It applies exclusively to the parents and senior citizens who are above the age of 60 years. The definition of maintenance under the Act covers all basic necessities and requirements of life. The age of parent is not described. Hence a parent can claim maintenance with out any bar of age. The provisions include:

1. An uncared for or childless senior citizen, though he or she possess property but does not derive any income from it, can seek maintenance from his son or daughter or from his relative or relatives who are legal heirs of that senior citizens and who are in possession of or would inherit his property after his/her death.
2. The applicant can either apply in person or through a person authorized by him of through a voluntary organization registered under the Societies Registration Act.
3. The applicant can either apply to a tribunal where he resides or where the other party resides from whom he or she claims maintenance.
4. A party cannot be represented by legal practitioner, which ultimately curtails the cost of proceeding.
5. The tribunal on receipt of a petition will sue motto take it on file and refer it for conciliation by a conciliation officer within one month.
6. That tribunal follows the same procedure of a civil court to adduce evidence.
7. The tribunal enjoys the power of first class magistrate for enforcing and summoning the attendance of persons against whom the petition has been filed.
8. The tribunal can pass order granting a maximum sum of Rs. 10,000/- as maintenance.
9. The person against whom an order for maintenance has been passed has to comply with the order within one month, failing which the tribunal can imprison him or her up to one month period.
10. Appeal can be preferred against the order of tribunal and the appeal should be disposed of within one month and the order of the Appellate authority is final.
11. Civil courts have no jurisdiction to interfere with the proceeding of the Tribunals.
12. This Act has an overriding effect on provisions of any other Act.
13. Any property transferred by the parent or senior citizen to his son or daughter or near relative, by virtue of will or

* Director, Shri Vaishnav Institute of Law, Indore (M.P) INDIA

gift can now get it cancelled by applying to the tribunal if he or she is neglected by the legatee or the donee.

14. It provides summary proceedings within 90 days from the date of filing a petition in specially constituted Tribunal for this purpose.

The Act directed the State -

a. To set-up appropriate mechanism to provide need-based maintenance to the parents and senior citizens.
b. To provide better medical facilities to them and preferential treatment should be given to the senior citizen in the hospital like separate queues, treatment, offering medicines and also promotion of research in the geriatric medicine.
c. For institutionalization of a suitable mechanism for protection of life and property of older persons.
d. For setting up of old age homes in every district.
e. State Government are empowered to enact rules for the effective implementation of the Act of 2007.

Through the Act's genuine concern for the parents and senior citizens, it has certain demerits also. Those include

1. Tribunal is not manned by a person with a judicial qualification or acumen or experience.
2. Complete exclusion of professional lawyers simply defies logic and reasoning.
3. The Act throws away the responsibility of establishing Tribunals, enacting rules, etc., to the concerned State Governments.
4. Exclusion of the jurisdiction of civil courts is not justified because legal persons do not manage the Tribunals.
5. Most of the State Governments are serious in implementing the provisions of the Act. Only a few have so far notified the Act in their Gazette.

Constitutional Protection - Art. 41: Right to work, to education and to public assistance in certain cases : The State shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Art. 46: Promotion of educational and economic interests of ……and other weaker sections: The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people…… And shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. However, these provisions are included in the Chapter IV i.e., Directive Principles of the Indian Constitution. The Directive Principles, as stated in Article 37, are not enforceable by any court of law. But Directive Principles impose positive obligations on the State, i.e., what it should do. The Directive Principles have been declared to be fundamental in the governance of the country and the State has been placed under an obligation to apply them in making laws.

Legal Provisions or Legal remedies -

Hindu law - The maintenance of parents, wife and children is not only legal obligation of the Hindus but also it is their moral and social duty. In Manu smriti, it has been said that even doing a hundred misdeeds must care for wife, child and old parents.

Under Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, a Hindu is personally liable for maintenance of certain relations who are dependent on him irrespective of the property that is inherited on his earnings.

Under section 20(1) of the Act, every Hindu son or daughter is under obligation to maintain aged and infirm parents, if unable to maintain himself or herself out of their own earnings and property. The Hindu Adoptions and Maintenance Act is the first statute in India, which imposes an obligation on the children to maintain their parents.

The section has been interpreted by the Supreme Court in its ruling so as to make daughters and sons, married or unmarried , equally responsible to maintain their parents. Under the Act, both mother and the father have an equal right to claim maintenance . The explanation to this section also includes stepmother in the term parent.

Muslim Law - Under Muslim Law, Similar to Hindu law, children have an obligation to maintain their parents. According to Mulla

a. Children in easy circumstances are bound to maintain their parents although the latter may be able to earn something themselves .
b. A son, though in strained circumstances is bound to maintain his mother, if the mother is poor, though she may not be infirm.
c. A son, who though poor, is earning something, is bound to support his father who earns nothing.

According to Tyabji, parents and grandparents in indigent circumstances are entitled, under Hanafi law, to maintenance from their children and grandchildren who have the means, even if they are able to earn their livelihoods. Both sons and daughters have duty to maintain their parents under Muslim law. The obligation, however, is dependant on their having the means to do so.

Christian and Parsi Law - The Christians and parsis have no personal law providing maintenance for their parents. Parents who wish to seek maintenance from their children have to apply under provisions of Criminal Procedure Code 1973.

Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 - Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 provides that if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife or children (legal or illegal), a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such wife or minor child, a monthly allowance as maintenance.

The expression "wife" has not been defined in this code. The plain dictionary meaning of the term "wife" is, 'a married woman who is tied to a man in wedlock". No woman can give herself the status of wife of a person, unless she is legally and validly married to that person. In an application under this section, the Magistrate exercising the power will have to determine whether the marriage of the woman

applicant with the respondent was legal and valid in accordance with the personal law of the parties to give her the status of the wife. In the absence of a legal and valid marriage as recognized by the personal law of the parties, a woman will not have the status of a wife, howsoever, otherwise might have lived with a person and might have given birth to the children from such a person she will not be entitled to have the status of wife of that person, if she is not legally and validly married to him.

In a leading case the claimant was a Hindu woman; she was not legally wedded wife of Christian married man. They were living together for years and a child was born out of their union. The court did not allow her claim of maintenance, as she was not legally wedded wife. However, the Court directed the husband to pay Rs.30000/- as damages for the misdeed committed by him.

Hence under this section, a wife is entitled to maintenance and this right is an incidence of her status.

Maintenance claim of Stepmother - The term parent includes issueless stepmother. The stepmother is entitled for maintenance from her stepchildren.

Under Section 20 of Hindu Adoptions and Maintenance Act there is an obligation on children to maintain their parents. Here the term parents include stepmother. However it is important to note that the section imposes an obligation to maintain only those parents, who are unable to maintain themselves and therefore the obligation to maintain the parents other than those infirm and unable, is only moral.

In a precedent-setting decision, the Gujarat High Court has ruled in Sukhawani case that a stepmother is entitled a monthly maintenance from his stepchildren if she does not have a biological child capable of taking care of her.

As there are no explicit provisions regarding maintenance of stepmother in Muslim and Christian personal laws, the claimants of those religions may apply for maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 or Maintenance & Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 for necessary relief.

Conclusions -

1. There is immediate need to amend the Constitution for making special provision for aged person and bring it within the purview of fundamental right.
2. In view of the break down of the joint family system and view of globalization the senior citizens became alone and thus insecure. So the State should revise the present Act of 2007 for welfare and protection of senior citizens including palliative care.
3. As it is not possible to drag the children of the senior citizens to the court it is better that the State designs a social security system and pension scheme so that a dignified life can be maintained by the senior citizens.
4. The present Act of 2007 is not helpful to the citizens of poor family as they can not go to court because of social pressure and social stigma.
5. The Govt. is collecting tax from the public and therefore the Govt. should take steps for security of senior citizens.
6. It is observed earlier that there is no provision of maintenance to parents in Christian and Parsi laws. There is therefore an immediate need for developing a Uniform Civil Code in India which will be applicable to all Indians i.e. Hindus, Muslims, Christians, Parsis equally.
7. According to Puchata, one of the disciples of a great German jurist Savigny the " Law grows with the growth and strengthens with the strength of the people and finally dies away as the nation loses its nationality." Keeping in view the above statement of Puchta it is well concluded that the morality and conscience can play a vital role in the care and protection of the old age persons besides the law.

References:-

1. Mulla, "Principles of Hindu Law", Vol.II, 19th edition (ed. S.A.Desai), Lexis-Nexis, Butterworths, New Delhi, India.
2. National Policy on Older Persons – As adopted by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi, Dt. 13.02.1999.
3. The Criminal Procedure Code, 1973.
4. The Divorce Act, 1869.
5. The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.
6. The Hindu Marriage Act, 1955.
7. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

****

Going To Lokpal : A Path Of Corruption Free Society

Priti Pohekar *

Abstract - The meaning of public services will be realized only when the integrity in public services are to be maintained. The problem of corruption in the developing countries retards the development of nations and more efforts are being taken nowadays by the government to remove corruption. This paper deals with an idea of Lokpal in India. It discuss the journey of Lokpal in India. In the history of Indian legislature, the bill has taken lengthiest period to pass. Worldwide near about 160 countries are going with Ombudsman and they have it in every sector of life. After a long struggle, we got it. A question arises, whether it will be successful? The paper focuses on the same issue. The success and proper utilization of the institute will be depended upon the man who will get appointed on the post.

Key Words - Ombudsman, Lokpal, Lokayukta, Citizen's Grievances.

Introduction - With the initiation of numerous welfare and developmental programmes as a result of State planning after attainment of independence of India, the state's role in the management of public affairs has been increasing. Over the time on account of increase in annual plan expenditure, there has been stupendous expansion in size, function and importance of bureaucracy. It is extended to cover all the dimensions of human activity. The modern society is complex and bureaucracy continues to grow unabated. (Jain, R. B.)Administrative machinery influences every aspect of common man's life in numerous ways such as executive control and orders, permits, licenses, delivery of inputs and social services etc. The devolution and decentralization of authority to the echelons of bureaucracy is still to take root firmly.

Although various legislative, judicial and administrative mechanisms are available for redressing of public grievances, these have many limitations. They are not easily accessible to large section of people living in village. In addition, *the judicial methods are cumbersome, time consuming, expensive and saddled with archaic procedures*. (The Hindu) From a common man's point of view they lack speedy redressal of their grievances and litigation may take even many years. When the law court was not adequate to control the bureaucracy, judicial tribunals were created to keep them under check and the tribunals answerable to the highest courts viz., the High court, Supreme Court. Even this has not proved effective since once again the court continue to be the final arbiter in the disputes. In all the situations, Ombudsman-type machinery was recommended in India.

The Administrative Reforms Commission recommended the concept of the institution of Lokpal based on the pattern of Ombudsman in Scandinavian countries in October 1966.The Commission in its report pointed out inadequacies in the existing arrangement of redressal of citizen's grievances and recommended the need for introduction of new machinery on the public outcry against corruption, existence of widespread inefficiency and unresponsiveness of the administration to attend promptly to complaints. (ARC Report) It feel the need of providing the institution of Lokpal and Lokayukta with a view to remove general discontent among the people and provide a prompt sense of satisfaction and to ensure public confidence in the efficiency and integrity of the public services.

Another reason behind is international-India as a member of UNO, is committed to pursue the policy of Zero Tolerance against Corruption. India has ratified the United Nations Convention Against Corruption by deposit of Instrument of Ratification on 9th May 2011.(The Hindu,) This Convention imposes a number of obligations, some mandatory, some recommendatory and some optional on the Member States. The Convention, inter alia, envisages that State Parties ensure measures in the domestic law for criminalization of fences relating to bribery and put in place an effective mechanism for its enforcement. The obligations of the Convention, with reference to India, have come into force with effect from 8th June 20II. As a policy of Zero tolerance against Corruption Lokpal seeks to establish in the country as a more effective mechanism to receive complaints relating to allegations of corruption against public servants including Ministers; MPs, Chief Ministers, Members of Legislative Assemblies and public servants and to inquire into them and take follow up actions. Under the aforesaid Convention the Lokpal will be a more effective.

The institution of Lokayukta is enacted first at Orissa and implemented first in Maharashtra. Lokayukta is an outcome of the commitment of the state to give clean administration and to make the public services more accountable. The state of Maharashtra became pioneer to introduce the concept of Ombudsman by enacting The Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayukta Act, 1972. Nearly 17 states are going with Lokayukta before enactment

* **Assistant Professor (Public Administration) Rajarshi Shahu Mahavidyalaya (Autonomous) Latur (Maharashtra) INDIA**

for Lokpal. After enactment of Lokpal a question arises on existence of Lokayukta.

Lokpal is an official who is designated to assist to overcome the delay, injustice or impersonal delivery of services. One can complaint it about services, rights, any question concerning services or maladministration. One can lodge a complaint to access appropriate services better and making services better. The word is derived from the Sanskrit word lok means people and pala means protector or caretaker. So Lokpal is a caretaker of people. In Mahabharata Lord Krisha used a word for himself, as a caretaker of the people. The word Lokpal for Ombudsman type institute was coined by C. D. Deshmukh, the then Finance Minister in 1959 followed by L. M. Singhvi in 1963 in the Loksabha for a first time. (Pohekar)

While going to the necessity of Lokpal, allied one must know about the world Ombudsman experience.

1. World Ombudsman Experience - The world has been experiencing the problem of maladministration and corruption. The common man is a victim. An urgent need for a watchdog over the government is as old as the government itself. In 1711, the concept of Justitie Kansellor was originated in Sweden. After independence in 1809, it obtained Constitutional status. The reason behind was to check the Royal Officers disregard for law who were King's men in the Parliament. The concept of is based on the concept of Ombudsman.

1.1 Ombudsman Experience in Sweden - Ombudsman is a household word in Sweden. A Swedish word-Ombud means 'Commissioner or Agent'. It is derivate from the Old Norse Umbodh means to charge a Commission. In old Niorse, Umbodhsmadhr was a deputy who looked after the interests and legal affairs of a group of such a trade union or business. (http:/www.Law.Ualberta.com) Swedish Ombudsman is a world classic institution, which is independent, impartial and economically viable in terms of seeking help on corrupt practices. Hence, it has inspired confidence in public. After Sweden, many Scandinavian countries followed by the European, African, Australian countries adopted the concept.

It is observed that the countries those are implementing Ombudsman properly are less corrupt and most peaceful, whereas, the countries those are not having it or not implementing it properly are most corrupt and very un-peaceful. World wide it is a hallmark characteristic of Ombudsman that it is independent, impartial, easily accessible and user-friendly. India have ombudsman at banking sector, insurance sector and Times Group. But the Scandinavian, European, African, Australian countries have it in each sphere of life-Parliament, Local government, insurance, banks, school, universities, prisons, hospitals even for the mental health and retardation, there is separate Ombudsman. It is very popular as it helps to correct negligent, defective, irregular, abusive and insufficient behavior that constantly affects the personal and corrective rights of individuals. (Rowat Donald)

2. Ombudsman in India -In India, there was a continuous demand for Lokpal since 1966. The Bill was kept in Loksabha and Rajyasabha for many times and was defeated due to various reasons. In 1969, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2011 and 2013 it was kept in the Houses. There was a continuous struggle by Anna Hazare and His team for the Act. Finally, on December 18, 2013 it was sanctioned in the floor of both Houses and enacted in 2014. The Bill seeks to establish an anti-corruption watchdog.

The nature of Lokpal will be as follows -

1 The Lokpal consists of a Chairperson and a maximum of eight members.
2 The 50% Lokpal members shall be judicial members.
3 The Lokpal Chairperson or member shall not be connected with any political party
4 One member will be an eminent jurist nominated by the President.
5 All ministers including Prime Minister with some safeguards and senior public servants are taken in its ambit excluding the public servants under Army, Navy and Coastal guard.
6 All entities receiving donations from foreign source in the context of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) in excess of 10 lakh rupees per year are brought under the jurisdiction of Lokpal.
7 It provides adequate protection for honest and upright Public Servants.
8 Lokpal will have power of superintendence and direction over any investigation agency for cases referred to them by Lokpal.
9 Lokpal have powers of civil court in certain cases.

The selection of Chairperson and members of Lokpal shall be through a Selection committee. It will consist of Prime Minister, Speaker of LokSabha, Leader of Opposition in the LokSabha, Chief Justice of India or sitting Supreme Court judge nominated by CJI, Eminent jurist to be nominated by the President of India on the basis of recommendations of the four members of the Selection Committee. No appointment of a Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee. The Selection Committee shall for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Lokpal and for preparing a panel of persons to be considered for appointment can constitute a Search Committee consisting of at least seven persons of standing and having special knowledge and expertise in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, policy making, finance including insurance and banking, law and management or in any other matter which, in the opinion of the Selection Committee, may be useful in making the selection of the Chairperson and Members of the Lokpal provided that not less than fifty percent of the members of the Search

Committee shall be from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women.

The Lokpal will:

1. Superintendent and direct over the Delhi Special Police,
2. Search for and to seize the related documents to the enquiry,
3. Can summon and enforce the attendance of any person,
4. Can receive evidence on affidavits.
5. Can requisite any public record or copy thereof from any court or office for enquiry.

The Lokpal can utilize the services of any officer organization or investigation agency of the Central Government or any State Government for the purpose of conducting any preliminary inquiry or investigation.

Whoever makes any false and frivolous or vexatious complaint under the Act shall be punished with imprisonment for a term for nearly one year and fine which may extended to one lakh rupees.

Now the time has come to get a corruption-free society; off course, it again is depended upon a person who will adorn the Chair. A person of dignity, clean and free from any pressure is a constraint for the proper utilization of Lokpal in India.

References -

1. Jain, R. B. *Public Administration in India: 21st Century Challenges for Good Governance*. First Ed. Deep & Deep Publications, New Delhi. 1987. Print
2. Editorial Article. "*Justice Delayed*…" The Hindu. 2 December 2002. Print
3. Administrative Reforms Commission Report, 1966. Government of India.
4. *Editorial Article*. The Hindu. 11May 2011. Print
5. Pohekar, Priti. *A Study of Ombudsman System in India*. First Ed.
6. Gyan Publishing House, New Delhi. 2010 Print
7. http:/www.Law.Ualberta.com
8. Rowat, Donald. *The Ombudsman:Citizen's Defender*. 3rd ed.
9. George Allen & Irwin Ltd. 1965. Print
10. The Lokpal And Lokayuktas Bill, 2011, 19th December 2013,
11. Government of India
12. http:/www.newindianexpress.com

****

बालश्रम- संवैधानिक, विधिक प्रावधान व व्यवहारिक मूल्यांकन

डॉ. संजयकुमार मिश्रा *

प्रस्तावना – बच्चे देश के कर्णधार एवं अपने परिवार की भावी पीढ़ी है। इसलिए परिवार और सरकार का यह दायित्व बनता है कि वे इन्हें बाल मजदूरी जैसे घोर अभिशाप से उन्हें मुक्त कराए। बालश्रम आज की शताब्दी की देन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लेकिन वैश्वीकरण के बाद यह अपने और बदतर रूप में सामने आई है। इसे दूर करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठन आज भी प्रयासरत है

हमारे देशकी कुल आबादी का 15-42 प्रतिशत बच्चे हैं और अन्य देशों की ही तरह भारत में भी बालश्रम की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सबके लिए शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। बालश्रम से संबंधित अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और उनमें भी लगभग 60 प्रतिशत 10 वर्ष से कम आयु के हैं। व्यापार एवं व्यवसाय क्षेत्र में 23 प्रतिशत तथा घरेलू कार्यों में 37 प्रतिशत बालश्रमिक कार्यरत हैं। जहाँ तक शहरी क्षेत्रों की स्थिति का सवाल है वहाँ उन बच्चों की संख्या अधिक है, जो कैन्टीन, रेस्टोरेंट और फेरी लगाने में संलग्न हैं। कुछ बच्चे तो खतरनाक उद्योग में भी कार्यरत हैं। जैसे तमिलनाडू के कुछ जिलों में पटाखा और माचिस कारखानों में लगभग 46000 बच्चे और कालीनों के कारखानों में 1 लाख बच्चे काम कर रहे हैं। इसी तरह बनारस में 5000 बच्चे रेशम बुनने के कार्य में तथा दिल्ली में 60000 से अधिक बच्चे ढाबों या चाय स्टॉलों पर कार्य कर रहे हैं।

1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख बताई गई है। वहीं वर्ष 2001 में की जनगणना के आँकड़ों के मुताबिक यह संख्या 1 करोड 25 लाख है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताजा आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में 6 से 14 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 22 करोड़ है, जो कुल आबादी की 22 प्रतिशत है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में 2 करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्णकालिक श्रमिक के रूप में तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। समाजशास्त्रियों का भी यही कहना है कि बालश्रम का मुख्य कारण निर्धनता है।

बालश्रम के विविध रूप – बालश्रम एक विकट सामाजिक बुराई है। बाल मजदूर मुख्यत: दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र होटल, ढाबा, फैक्टरी, दुकान, वर्कशॉप, हॉकर, कचरा चुनना, घर में नौकर का काम आदि।

बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधान –

1. संविधान का अनुच्छेद-24 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध।
2. संविधान का अनुच्छेद-39 (ड.)- सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो।
3. संविधान का अनुच्छेद- 39 (च)- सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हों तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।
4. संविधान का अनुच्छेद- 45- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का सरकार द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
5. संविधान का अनुच्छेद-21 (क)- संविधान के 86 वें संशोधन, 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

कानूनी प्रावधान –

6. भारतीय दंड संहिता धारा-82- 7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।
7. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125- संतान और साथ में बच्चे, चाहे वे वैध अथवा अवैध संतान हो, भरण-पोषण के भत्ते के हकदार।
8. संरक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम, 1890 – न्यायालय की संस्तुति पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी या उसकी संपत्ति अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था।
10. शिशु अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित, 1978)- बच्चों को श्रम साध्य या खतरनाक कार्यों में सेवा योजना पर प्रतिबंध।
11. किशोर न्याय अधिनियम- 1986- बच्चों के हित के लिए तथा उपेक्षित तथा अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के (यथा संशोधित-2000) साथ-साथ समुचित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून।
12. राष्ट्रीय बाल आयोग (प्रस्तावित)- बच्चों के विकास और उनसे संबंधित समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना।

बालश्रम संबंधी प्रमुख अधिनियम –

1. खदान अधिनियम, 1901
2. फैक्ट्री अधिनियम, 1911
3. चाय बागान मजदूर अधिनियम, 1932
4. बाल बंधुआ श्रम अधिनियम, 1933
5. बाल रोजगार अधिनियम, 1938
6. बीड़ी और सिगार मजदूर अधिनियम, 1966

बालश्रम निराकरण हेतु उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश – संविधान का अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या

*अतिथि विद्वान (विधि) शासकीय जे.एन.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर (म.प्र.) भारत

खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वस्तुत: बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाए।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1983 एस0सी0 1473 में यह तर्क दिया गया कि भवन निर्माण कारखाने में एम्पलायमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 1939 लागू नहीं होता है। क्योंकि अधिनियम की अनुसूची में 'निर्माण कार्य' का उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय ने इस तर्क को इंकार करते हुए तर्क दिया कि भवन निर्माण का कार्य अनुच्छेद- 24 के अर्थ में एक जोखिम वाला कार्य है। अत: उसमें 14 वर्ष के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। भले ही उसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में न किया गया हो।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य ए.आई.आर. 1992 शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो जाने से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होकर बालकों के हित में अभिवृद्धि करने वाला कदम है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यह देश के भावी नागरिकों को शिक्षित पीढ़ी बनाने की ओर उठाया गया एक कारगर कदम है।

लक्ष्मीकांत पांडे बनाम यूनियन आफ इंडिया ए.आई.आर. 1984 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विदेशियों को वोट देने की प्रक्रिया में पैमाना निर्धारित हो और ऐसे मानकों का पालन किया जाना नितांत आवश्यक है, जो कि बच्चे के भविष्य का निर्धारण कर उसका कल्याण सुनिश्चित करे।

शीला बारसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए.आई.आर. 1986 के वाद में बालकों को एक राष्ट्रीय संपदा मानते हुए उनके व्यक्तित्व की उचित रूप से परवरिश को राज्य का एक कर्तव्य अभिनिर्धारित किया है।

यूनीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेशराज्य ए.आई.आर. 1993 के वाद में न्यायालय द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

अजय राय बनाम सेकेरेट्री आफ वेस्ट बंगाल के मामले में न्यायालय ने मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध करते हुए कहा कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। जिसमें बालक भी शामिल हैं। इसके उल्लंघन पर दाण्डिक प्रावधान हैं।

दीना बनाम भारत संघ के प्रकरण में न्यायालय ने कहा कि मानव का दुर्व्यापार शब्दावली से ही मुख्यत: अल्पसंख्यक, किशोरियों व बालिकाओं का दुर्व्यापार प्रमुखत: से दर्शित होता है।

निरजा चौधरी बनाम म0प्र0 राज्य ए.आई.आर. 1984 में न्यायालय ने कहा कि एबालिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं, बल्कि उनके परिवार की उचित व्यवस्था करना भी है। इसके अभाव में वे शोषण का शिकार हो सकते हैं।

पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1982 के मामले में न्यायमूर्ति पी0एन0 भगवती एवं बहरूल इस्लाम ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेन्शन नम्बर 59 की जरूरतों के अलावा हमारे सामने संविधान की अनुच्छेद 24 है। जिसके अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खान या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। यह एक संवैधानिक प्रतिबंध है। यदि इससे अनुकूल उचित कानून नहीं बनाए गए हैं तब भी यह जरूर लागू होता है। निर्माण कार्य नि:संदेह और सीधे-सीधे तौर पर एक खतरनाक रोजगार है। इसलिए यहां 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से काम कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए बाल रोजगार अधिनियम 1938 में निर्माण उद्योग के उल्लेख के अभाव के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से निर्माण उद्योग में काम नहीं कराया जा सकता है। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकार को यह गारंटी देनी चाहिए कि देशके किसी भी भाग में संविधान की अवहेलना नहीं हो। यद्यपि केन्द्र सरकार, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यही तर्क दिया है कि किसी परियोजना के निर्माण कार्य में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कभी भी काम पर नहीं लगाया गया है और न ही इस बारे में कभी कोई शिकायत आई है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 24 के प्रतिबंधों की कोई अवहेलना नहीं की गई है।

लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाम जम्मू और कश्मीर ए.आई.आर. 1984 एस0सी0 177 के मामले में न्यायालय ने पुन: इस बात को माना कि निर्माण कार्य एक जोखिम वाला कार्य है। अत: 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता है।

एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) 6 एस0सी0सी0 756 में न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य संकटपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री एम.सी. मेहता ने लोकहित वाद फाइल करके दक्षिण भारत के शिवकाशी में दियासलाई और पटाखा बनाने वाले कारखानों में हजारों की संख्या में कार्य कर रहे बालकों की दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित किया और निवेदन किया कि न्यायालय बालकों के कल्याण के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को समुचित निर्देश दे। न्यायालय ने बालकों के संरक्षण के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार दिए हैं।

1. एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए। जिसमें नियोजक प्रति बालक के लिए 20,000/- रूपए प्रतिकर के रूप में जमा करे। जिसका प्रयोग उसके पुनर्वास के लिए किया जाए।
2. नियोजक का दायित्व बालकों को कार्य से मुक्त करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार को यह निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार के एक वयस्क को कारखाने या अन्यत्र उसके बदले नौकरी दी जाए।
3. उन मामलों में जहां ऐसा वैकल्पिक काम देना संभव नहीं है, वहां समुचित सरकार अपने अंशदान के रूप में बालक कल्याण कोष में हर बालक के खाते में जहां वह कार्यरत है 5000/- रूपए जमा करेगी।
4. वयस्क काम पाने पर बालक को काम से हटा लेगा। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता है तो भी संरक्षक को यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्त करके बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25000/- रूपए की रकम पर मिले ब्याज से बालक की शिक्षा का खर्च 14 वर्ष तक की आयु तक चलाए।
5. केन्द्रीय सरकार की बालक श्रम नीति के अनुसार न्यायालय ने 9 कारखानों को निर्दिष्ट किया। जहां इन निर्देशों को सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए। वे हैं - शिवकाशी मेच फैक्ट्री, तमिलनाडु, हीरे तराशने के गुजरात के कारखाने, फिरोजाबाद के शीषे के कारखाने,

मुरादाबाद के तांबे के बर्तन बनाने के कारखाने, मिर्जापुर, भदौही के कालीन के कारखाने, अलीगढ़ के ताला बनाने के कारखाने, स्लेट कारखाना मनकापुर और मंदसौर।

6. उक्त रकम जिले में रखी जाएगी और जिलाधीश इंस्पेक्टरों के कार्य पर निगरानी रखेगा। इसके लिए समुचित सरकार श्रम विभाग में एक पृथक सेल की स्थापना करेगी।
7. न्यायालय ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे एक माह के अंदर उपर्युक्त निर्देशों के पालन किए जाने के संबंध में शपथ पत्र फाइल करे।
8. न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सरकार यह देखे कि जो कारखाना खतरा रहित हैं वहां बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घंटे से अधिक न हो और वे प्रत्येक दिन दो घंटे शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा का पूरा व्यय नियोजक वहन करेगा।

न्यायालय के इस निर्णय के फलस्वरूप बालकों की स्थिति में अवश्य सुधार होगा। बालश्रम के उन्मूलन के लिए 10 वीं योजना में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के अंतर्गत रखे गए जिलों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 हो गई है। मिड-डे मील से मिलने वाली खाद्य सुरक्षा का बाल श्रमिकों की संख्या कम करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सबको शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान से भी बच्चों में साक्षरता बढ़ी है। सरकार ने एक राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना स्कीम तैयार की है। इसके अंतर्गत कामकाजी बच्चों को कार्य से हटाकर विशेष स्कूलों में डाला जाए, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बालश्रम उन्मूलन एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके लिए बालश्रम को सामाजिक और आर्थिक समस्या मानते हुए राष्ट्रीय अभियान चलाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान- चतुर्वेदी, इलाहबाद लॉ पब्लिकेशन्स
2. भारत का संविधान- डॉ0 बसंतीलाल बावेल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहबाद
3. भारत का संविधान- डॉ0 जयनारायण पांडेय, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहबाद
4. भारत का संविधान- डॉ0 उपाध्याय, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहबाद
5. प्रतियोगिता दर्पण- अक्टूबर, 2010, प्रकाषक- स्वदेषी बीमा नगर, आगरा
6. भारतीय संविधान का विकास तथ राष्ट्रीय आंदोलन- आर0सी0 अग्रवाल, एस0चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली

****

अनिवार्य शिक्षा- विधायी प्रयास व शिक्षा संबंधी राज्य के नियम

डॉ. संजयकुमार मिश्रा *

प्रस्तावना – प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है। जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय जीवनं के साथ जितना अनिष्ठ संबंध प्राथमिक शिक्षा का है, उतना माध्यमिक या अन्य शिक्षा का नहीं है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान इसका है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका हर कदम हर व्यक्ति के जीवन से संपर्कित होता है।

शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द 'षिक्ष' धातु से हुई है। जिसका अर्थ है, सीखना और सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षाशास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग तीन अर्थ में करता है।

1. ज्ञान
2. पाठ्यचर्चा का एक विषय
3. व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया

शिक्षाशास्त्री अरस्तुं के अनुसार 'शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊँचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा से संलग्न प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के संदर्भ में अपनी निजी धारणा रखता है और इस कारण इसके वास्तविक अर्थ में मतैक्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक भावनाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा करता है।'

शिक्षा की व्युत्पत्ति अर्थ – शिक्षा जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्धानों का मत है कि यह लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से प्रकट हुआ है।

1. **एजुकेटम –** इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है।
2. **एडूकेयर –** इसका अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है।
3. **एडूजीयर –** इसका अर्थ है बाहर की ओर विकसित करना, जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है।

इस प्रकार यदि हम शिक्षा शब्द का अर्थ स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि 'शिक्षा बालकं के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करते हुए उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है।'

अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयास – प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाने वाले दो सुविख्यात शिक्षा प्रेमी थे, बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और गोपालकृष्ण गोखले।

बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास – 20 वीं शताब्दीं के प्रथम दशक में मुम्बइ में सर चिमनलाल शीतलवाड़ और सर इब्राहिम रहीम तुल्ला जैसे प्रभावशील व्यक्तियों ने अपने प्रांत की सरकार से मुम्बई नगर में अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करने की शक्तिशाली शब्दों में मांग की। इस योजना के अनुसार इन ग्रामों के 6 से 12 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों और 7 से 10 वर्ष तक की समस्त बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क व अनिवार्य बना दिया गया। इस कार्य से महाराजा को इतनी असाधारण सफलता मिली कि उन्होंने 1906 में एक अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क व अनिवार्य बना दिया।

गोखले का प्रस्ताव 1910 – प्राथमिक शिक्षा के सौभाग्य से उस समय गोखले केन्द्रीय धारा सभां के सदस्य थे। अत: उन्होंने इस सभा के माध्यम से भारत सरकार की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनने का संकल्प लिया। अपने संकल्प के अनुसार 10 मार्च 1910 को 'केन्द्रीय धारा सभा' के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि– यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क व अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और विषय में निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए।

गोखले का विधेयक, 1911 – गोखले का विधेयक उनके प्रस्तावों पर आधारित था और उसमें कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार थे :–

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम केवल उन स्थानीय बोर्डों के क्षेत्रों में लागू किया जाए, जहां बालकों एवं बालिकाओं का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। यह प्रतिशत गर्वनर जनरल की कौंसिल द्धारा निश्चित किया जाए।
2. इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व स्थानीय बोर्डो द्धारा सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए।
3. इस अधिनियम को स्थानीय बोर्डो द्धारा अपने संपूर्ण या किसी निश्चित क्षेत्र में लागू किया जाए।
4. प्राथमिक शिक्षा के व्यय की पूर्ति करने के लिए स्थानीय बोर्डो को शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाए।
5. प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार बोर्डो और सरकारों द्धारा 1:2 के अनुपात में वहन किया जाए।
6. अभिभावकों द्धारा 6 से 10 वर्ष तक के बालकों को मान्यता प्राप्त

*अतिथि विद्वान (विधि) शासकीय जे.एन.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शुजालपुर (म.प्र.) भारत

प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से भेजा जाए तथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंडित किया जाए।

7. जिन बालकों के अभिभावकों की मासिक आय 100/- रूपए से कम हो, उनसे शिक्षा शुल्क न लिया जाए।
8. कुछ समय बाद प्राथमिक शिक्षाओं को बालिका के लिए अनिवार्य बना दिया जाए।

अनिवार्य शिक्षा का प्रसार – गोखले का प्रयास प्रारंभ में असफल हुआ, किन्तु सन् 1918 से 1920 की अवधि में भारत के सात प्रांतों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित कर दिए गए।

1927 में आयोजित अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा दिलवाने के अधिकार की मांग महात्मा गांधी व डॉक्टर अम्बेडकर ने की।

स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा – स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक शिक्षा ने अपने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत में भी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया।

संविधान सभा ने जिसे देश का संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, उसने नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया। जिसके अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करे।

तत्पश्चात् इसी आधार पर 86 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 21 मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 (ए) को शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया।

आजादी के पूर्व देश की शिक्षा का स्वरूप क्या हो, यह स्पष्ट नहीं था। सन् 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया और भारत का लोकतंत्रात्मक गणतंत्र घोषित किया गया, तब संविधान के गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को केन्द्र और राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया गया। जिससे शिक्षा का विकास नियोजित ढंग से किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में भी संपूर्ण विश्व को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि शिशु निर्दोशिता संबंधी अधिकारों के अन्यायपूर्ण उल्लंघन के विरूद्ध प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

राज्य का बालकों के प्रति शिक्षा का दायित्व निर्धारित है। जिसके संदर्भ में राज्य पर नीति के निर्देश तत्व व मूल अधिकारों द्वारा दायित्व अधिरोपित किए गए हैं तथा अनेकों प्रावधानों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक व प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य है। संवैधानिक प्रावधानों व अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता के आधार पर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उत्तरजीविता की सुरक्षा व उच्चतम विकास, राज्य को कारगर कदम उठाने के आधार हैं, जिनमें प्रमुख हैं –

1. बालकों के लिए प्रारंभिक मुफ्त शिक्षा।
2. क्षेत्रीय मातृभाषा के आधार पर शिक्षा, जिसे बालक आसानी से ग्रहण कर सके।
3. अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाना।
4. मुफ्त स्कूली यूनिफार्म।
5. स्कूली शिक्षा की सुविधा।
6. मध्याह्न भोजन सुविधा।
7. प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण
8. मुफ्त स्कूली किताबें उपलब्ध कराना।

प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, जो विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए हैं,के द्वारा संचालित होती है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा समिति व जिला स्कूल निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

आधारभूत संरचना के द्वारा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मुफ्त व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य द्वारा प्राइमरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी की जाती है। जिसके द्वारा पुस्तकों की उपलब्धता, विषयवार संशोधन,जिलावार समितियों को निर्देश व नियंत्रण सम्मिलित हैं।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1983 के वाद में शिक्षा को मूल अधिकार माना है। जो 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1983 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 51-क के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र के सभी शिक्षा संस्थानों में प्राकृतिक पर्यावरण को भी एक घंटे प्रतिदिन पढ़ाए ।

अनुच्छेद-21 (क)- संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। जिसके अनुसार शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। अत: अब अनुच्छेद 21 (क) के अनुसार- 'राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।'

अनुच्छेद 45- राज्य को नीति निदेशक तत्वों द्वारा विधि बनाने का यह अधिकार उपबंधित कराता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्ण देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपबंध कर सकेगा।

राज्य ने इन प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए कई प्रावधानों को बनाया है। जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है :-

1. जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति
3. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
4. जिला प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान
5. पूर्ण शिक्षा अभियान
6. न्यूनतम स्तर सिखलाई
7. प्रोग्राम ऑफ एक्शन
8. पूर्व बाल शिक्षा अभियान

अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा के स्तर को उपर उठाकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना व शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों में उपलब्ध संसाधनों द्वारा सहयोग प्रदान करने से है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन निम्न हैं –

1. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन – यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसकी स्थापना नवंबर 1946 को की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संबंधित राष्ट्रों द्वारा किए गए करार को अनुमोदित किया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है व इसके 114 राष्ट्र सदस्य हैं।

इस संगठन का सिद्धांत- 'शिक्षण नहीं तो विकास नहीं।' पर आधारित है। इस प्रकार संगठन ने प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। यूनेस्को के

प्रयास से अफ्रीकी, एशियाई देशों में शिक्षा का विशेष प्रचार तथा प्रसार हो सका है। जिससे इन राष्ट्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास बढ़ा है।

2. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र सिद्धांत – संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बालकों के हितार्थ 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, विधिक सुरक्षा आदि को सम्मिलित किया गया है। जिसमें बालकों की शिक्षा संबंधी निम्न प्रावधान किए गए हैं –

1. सिद्धांत 5 के तहत शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना राज्यों का दायित्व होगा।
2. सिद्धांत 7 के तहत नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कर राष्ट्र को इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं।

3. यूनिसेफ – यूनिसेफ की स्थापना सन् 1946 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों की सरकार को सहायता प्रदान करना है। जिससे वे अपने राष्ट्र के बच्चों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी कार्य संपादित कर सकें।

4. अंतरराष्ट्रीय संहिता – इसके अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्यों की सामूहिक स्वीकृति एवं करार बालकों की शिक्षा के संबंध में उपबंध करता है। जिसके अंतर्गत शिक्षा बच्चों का एक सार्वभौम अधिकार होगा। प्राथमिक शिक्षा, नि:शुल्क व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना राष्ट्र का कर्तव्य होगा। स्कूलों में उपस्थितियाँ सुनिचित कराना भी इसमें शामिल है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रगतिविवरण	**1950–51**	**1993–94**
1. प्राथमिक स्कूलों की संख्या	1.20 लाख	572923
2. अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या	1.14 लाख	155707
3. कक्षा 1 से 5 तक दाखिला	19.2 लाख	1083
4. कक्षा 6 से 8 तक दाखिला	3.1 लाख	399
5. प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक		17.03
6. अपर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक		10.80

शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए इस स्तर के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय शिक्षा का विकास – गुप्ता एवं ममता।
2. भारतीय शिक्षा और समस्या – पी.डी. पाठक
3. महान शिक्षाशास्त्री – साहित्य प्रकाशन, आगरा
4. उदीयमान भारत में शिक्षा – डॉ विजयकुमार नंद, डॉ0 गुरूसनदास त्यागी
5. भारत का संविधान – जयनारायण पांडेय
6. महिला एवं बाल परियोजना – एफ0सी0 अरोरा

****

भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था

डॉ. आशीष रावल *

शोध सारांश – स्वतंत्रता के पूर्व से ही हमारे देश की पुलिस व्यवस्था बदस्तुर उसी प्रकार कार्य कर रही है जिस प्रकार की वह पूर्व में थी परिवर्तन के नाम पर नाम मात्र के परिवर्तन ही इसमें दिखाई पडते हैं जब की उस समय की परिस्थिती व आज की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ चुका है परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तन नितांत आवश्यक होता है जो कि नहीं हुआ। इसी के संदर्भ में वर्तमान पुलिस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई इसी संदर्भ में भारत के वर्तमान पुलिस व्यवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययनकर तथा इसमें आवश्यक परिवर्तनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रस्तावना – वर्तमान भारत की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्ष कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतो पर आधारित होने के बावजुद पुलिस की कार्य पद्धति अर्ध–सैनिक कार्य प्रणाली पर आधारित है तथा वह अधिकतर डाट, धमकी तथा जबर्दस्ती से ही काम लेती है। दुसरे शब्दों में पुलिस की कार्य पद्धति में लोकतांत्रिक प्रणाली की छाप कम दिखाई पड़ती है जबकि पुलिस से अधिक जन सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था, पुलिस अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत कार्य कर रही है। भारत के संविधान में पुलिस को राज्य सूची के अन्तर्गत रखा गया है। अत: राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम रखना तथा अपराधों की रोकथाम करने का दायित्व पूर्णत: राज्य पर होती है और राज्य यह कार्य पुलिस के माध्यम से करता है।

पुलिस के प्रकार– राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होने के कारण राज्य में विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानून होते है। अत: भिन्न–2 प्रयोजनों के लिए भिन्न–2 प्रकार की पुलिस होती है–

1. सामान्य प्रशासन पुलिस – यह सामन्य प्रशासन में शान्ति ओर व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपना महान योगदान प्रदान करती है।
2. गुप्तचर पुलिस – यह पुलिस गणवेशरहित पुलिस भी कही जाती है इसका काम अपराधों में कमी करने के लिए गुप्त रुप से कार्य करना है।
3. यातायात पुलिस – इस पुलिस का कार्य यातायात की व्यवस्था को बनाये रखना होता है।
4. महिला पुलिस – स्त्रियों की अपराधिक प्रकृति की रोकथाम के लिए यह पुलिस कार्य करती है। भारत में 1947 में इस पुलिस की स्थापना की गई थी।
5. रेलवे पुलिस – इसका कार्य रेलवे प्रशासन से है।
6. सशस्त्र पुलिस – सशस्त्र पुलिस खजाने, तहसीलों ओर हवालात की रक्षा, सरकारी सम्पति के अनुरक्षण के लिए कार्य करती है।
7. घुडसवार पुलिस – घुडसवार पुलिस सड़को पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष की रक्षा करना अत्यधिक आवश्यकता की सूचनायें ले जाना, अपराधियों का पीछा करना, सुनियोजित डकैती तथा अन्य उपद्रवों का दमन करना।
8. सेना पुलिस – इसका सम्बन्ध सेना से है।

पुलिस के कार्य – भारत में पुलिस के कार्यों या भूमिका में मुख्य रुप से प्रशासकीय कार्य के अन्तर्गत लोकशान्ति, यातायात नियंत्रण, आपातकालीन स्थितियों में जनवर्ग को सहायता व अपराध निषेध आदि के कार्य करने पड़ते है।

बन्दीकरण के कार्य के अन्तर्गत वारण्ट व न्यायालयों के लिखित आदेश पर पुलिस को बन्दीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता। अपराध विधि का प्रवर्तन का महत्वपूर्ण कार्य भी पुलिस को ही करना पड़ता है।

पुलिस व्यवस्था के दोष – पुलिस से जैसी अपेक्षा कार्यप्रणाली ओर व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपेक्षित थी पुरी नहीं हो सकी। पुलिस का आन्तरिक कलेवर एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है यदपि इसके बाहरी आकार में परिवर्तन कर दिया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के आन्तरिक स्वरुप में भी परिवर्तन किया जाये।

वर्तमान पुलिस व्यवस्था में निम्न दोष है जिन कारणों से पुलिस व्यवस्था असफल साबित हो रही है –

1. आधुनिक उपकरणों की कमी – आज आपराधिक के लोगों ने अपराधों को छिपाने के लिए नये–2 तरीकों का अविष्कार किया है। अपराधी आधुनिक तरीकों से अपराध करता है परन्तु पुलिस उस अपराध की पडताल सही नहीं कर पाती है क्योकि पुलिस के पास अपराधों की खोज करने के लिए आधुनिक यंत्र नही है। यदपि हाल ही में पुलिस विभाग को भी आधुनिक यंत्रों से लेस किया जा रहा है। किन्तु अभी भी इसकी मात्रा नगण्य है।
2. हिंसा का प्रयोग – पुलिस अपराध का पता लगाते समय हिंसा का प्रयोग करती है। परिणाम स्वरुप अपराध के उन्मुलन का पूरा का पूरा स्वरुप ही परिवर्तित हो जाता है।
3. सिद्धान्तों ओर व्यवहार में अन्तर – जब पुलिस रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाती है अर्थात अपने उद्देश्य से विमुख होकर कार्य करने लगती है तो समाज में भयानक आतंक फैल जाता है। परिणाम स्वरुप नागरिक विरोध करने लगते है ओर सहयोग की अपेक्षा असहयोग करने लगते है।
4. राजनीति का प्रभाव – पुलिस के कार्यो में राजनैतिक हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है जिसके सामने पुलिस को झुकना पडता है। जिससे समाज विराधी तत्व एवं राजनैतिक व्यक्ति खुले आम विधि का उल्लघंन करते है और पुलिस अपने कर्तव्यों का भली–भॉती निवार्ह करने में भी असमर्थ रहती है।

* सहायक प्राध्यापक श्री वैष्णव विधि संस्थान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

5. भ्रष्टाचार– आज के युग में भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है जिससे पुलिस भी अछुता नहीं रही है अपराधी खुलेआम पुलिस को घुस देते है राजनैतिक दबावों के कारण अपराधी स्वतंत्र विचरण करते है।
6. व्यक्तिगत दुर्बलता – व्यक्तिगत दुर्बलता के कारण भी पुलिस कर्मचारी भली प्रकार से कार्य सम्पादन नहीं कर पाते है आज हम देखते है कई पुलिस वालें शारीरिक रुप से फिट नहीं रहते हैं फलस्वरुप इनका ईमानदारी ओर साहसपूर्ण कार्य करना असम्भव हो जाता है।

पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के सुझाव–आज की स्थिति में यह अपेक्षित है कि पुलिस के सारे ढॉचे को नया रुप दिया जाये, जो उस रुप से भिन्न हो जो कि ब्रिटिश शासन के दिनों से चला आ रहा है।

पुलिस व्यवस्था में सुधार करने हेतु निम्न कदम उठाने चाहिए –

1. पुलिस को जॉच पड़ताल की आधुनिक सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। जिससे पुलिस आपराधियों की खोज आसानी से कर सकती है।
2. क्षेत्रों का निर्धारण नये सन्दर्भो में होना चाहिये। ग्रामीण अंचलो में एक थाने के अन्तर्गत लम्बे–2 क्षेत्र है जिन पर पुलिस अधिकारियों का नियंत्रण संभव नहीं।
3. पुलिस की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि पुलिस हिंसा की प्रवृति को दूर करे ओर कर्तव्यों की ओर दृष्टिगत करें।
4. सिद्धान्तों ओर व्यवहार के मध्य अन्तर को जनता के सहयोग से दूर करें तथा दोनों में सामंजस्य की भावना स्थापित करे।
5. पुलिस की क्षमता बढाने के लिए पुलिस अधिकारयों को आधुनिक अपराध विज्ञान की दीक्षा मिलनी चाहिए। समय–2 पर उन्हें अपराध की दशाओं तथा अपराधियों के स्वभाव से परिचित कराया जाना चाहिए।
6. राजनीतिक दलों के अवांछनीय हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहिए।
7. भ्रष्टाचार ओर रिश्वतखोरी का अन्त किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की भावना का प्रचार ओर प्रसार न हो सके।
8. जनता का पुलिस को पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। बिना इसके पुलिस सफेदपोश जैसे अपराधियों का पता लगाने में समर्थ नहीं हो सकती।
9. पुलिसकर्मियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके प्रति गम्भीर ओर कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त दोषों का यदि निराकरण कर दिया जाये तो पुलिस व्यवस्था में सुधार संभव हो सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि :–

1. पुलिस मेन्युअल 1921
2. प्रोबेशन एवं पैरोल
3. भारतीय संविधान – जे.नारायण पाण्डेय
4. Induction to the Constitution – Dr. Durga Das Basu
5. Criminology & Penology with Victimology – Prof. N.V. Paranjape.
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता – डॉ.परांजपे
7. अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र – डॉ. परांजपे

****

Comparative Study Of Body Composition Between Male & Female college level players of Chhattisgarh

Dr.Ranjeet Singh Pawar * Yuwraj Shrivastava ** Ganesh Khandekar ***

Abstract - The main purpose of the study was to compare the body composition between male and female Present Study delimited to players of different games. The researcher has taken 64= male (33)and female(31) subjects, college level players of Chhattisgarh the study body composition of male and female under the topic, **"**Comparative Study Of Body Composition Between Male And Female of collegiate level players of Chhattisgarh. were selected by simple random sampling method the subjects were equally divided in to two groups. To test the hypothesis the level of significance was set at 0.05 level of confidence the collected data were converted into standard scores and then they were tabulated to find out mean. Standard deviation and 't' test was applied to find out the comparison the study shows partially significant different between body composition of male and female players of Chhattisgarh The body mass index (BMI) was developed by the "National centre for health statistics", and is an index of the relationship weight to height. It is needed to determine ones weight in kilograms and height in meters. It tells you whether your weight is appropriate for your height. The present Study delimited to subjects, from each sex The age group was 18-25 years.

Keywards - Body composition , gender ,college level .

Introduction - Education is the process of living through a common reconstruction of experiences. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities". Education means preparation for life. It should help every individual to become all he is capable of becoming. Education must be concerned with developing optimal organic health, vitality, emotional stability, social consciousness, and knowledge, and wholesome attitude, spiritual and moral qualities.

These educational objectives can be better achieved through physical education as physical education aims at the development of physically fit, mentally sound, emotionally balanced and socially adjustable individuals. Thus physical education has a vital role to play as an integral part of general education which aims at enabling an individual to live in an enriched and abundant life in an every changing world.

As physical education and sports help in the development of fundamental skills essential for the daily life activities of the human beings and social skills, which aid in making him a well adjusted and useful member of society.A highly systematic, well developed programme of physical education, sports and games is basically a product of modern historical era. Although exercise fundamentally is a large part of physical education, sports and games, a close examination of the lines of the previous societies of man revel that exercise alone is not true representation of such activities but man has always had a propensity or natural bent for physical education, sports and games. "Education in its wider sense includes all the influences which fall upon an individual during his passage from cradle to the grave". **-Dumvile**

Methodology

Selection of subject -The researcher has taken 64players (male33 and female=31) subjects during health fitness week organized by college level The age group was 18-25years. Who have taken part in college level players of Chhattisgarh

Instrumentation - The body mass index (BMI) was developed by the "National centre for health statistics", and is an index of the relationship weight to height. It is needed to determine ones weight in kilograms and height in meters. It tells you whether your weight is appropriate for your height.

The Quetelet's body mass index is calculated by the following equation (Collins 1990)

$$BMI = \frac{\text{Body Weight (kg)}}{(\text{Standing height in meter})^2}$$

Table - 1 Difference Between B.M.I. of Body Composition Between Male And Female of college level players of Chhattisgarh.

Male Mean(N=33)	SD	Female Mean(N=31)	S.D.
23.45	1.394	22.96	1.534
0.65	0.065	1.532	0.060
59.36	10.06	48.19	9.264
21.53	3.225	20.57	4.155
14.75	3.923	17.46	7.848
13.93	4.798	20.98	7.848
11.87	4.557	20.42	4.705

***insignificant at 0.05 level of confidence.**

***Asst. Prof. (Physical Education) **Asst.Prof. (Physical Education) ***Asst. Prof. (Physical Educaiton) Dr. C. V. Raman University Kargi Road, Kota, Bilapsur (C.G.) INDIA**

Table-1 reveals that there is least significant difference between means of males(**23.45, 0.655, 59.36, 21.53, 14.75, 13.93,** and **11.87** females were = **22.96, 1.532, 48.19, 20.57, 17.46, 20.98,** and **20.42** that of mean difference significant difference between males and females of B.M.I. the data was analyzed by applying' test. Before applying' test, standard deviation was calculated. Where S.D. =**1.394, 0.065, 10.06, 3.225, 3.923, 4.798, 4.557** and female S.D. =**1.534**, **0.060** ,**9.264, 4.155, 7.848, 7.848, 4.705** then't' test was applied. significant difference between B.M.I. of males and females.

Age	Height	Weight	B. M. I.	Tricep	Supraliac	Thing
Age	Height (m)	Weight (kg)	B. M.I.	Chest	Abdomen	Thigh

Table -2
Comparison between Fat Percentage of Male And Female of college level players of Chhattisgarh.

Group	Mean	MD	DM	T-Value
Male Female	23.45 22.96	0.49	0.13	3.68
Male Female	1.655 1.532	0.123	0.023	5.34
Male Female	59.36 48.19	11.17	5.834	1.91
Male Female	21.53 20.57	0.96	0.315	3.04
Male Female	14.75 17.46	2.71	2.452	1.10
Male Female	3.93 120.98	7.05	2.683	2.62
Male Female	11.87 20.42	8.55	1.342	6.37

***insignificant at 0.05 level of confidence.**

Table-2 Reveals that there is significant difference between means of males and females were mean of males = **23.45**, **0.655,59.36** , **21.53, 14.75, 13.93, 11.87** and that of females = **22.96** , **1.532, 48.19, 20.57, 17.46, 20.98, 20.42** whose mean significant difference between males and females of B.M.I. the analyzed by applying 't' test. Before applying 't' test calculated. where S.D .of males =**1.394, 0.065, 10.06, 3.225, 3.923, 4.798, 4.557** S.D .of females =**1.534,0.060, 9.264, 4.155, 7.848, 7.848, 4.705** and then 't' test was applied. It was found that there was significant difference between Fat percentage of males and females because value of calculated 't' =**3.68** , **5.34, 1.91,3.04, 1.10, 2.62, 6.37** which is greater than at 0.05 level of significance.

Result and Discussion - Physical education is an Integral part of general education. The physical education provides vital experience for the growth and development of the personality of an individual. It also enables him to become an efficient and productive member of society. Body composition has been one of the most essential requirements of personality development and for fitness.

The researcher was a physical education student and conducted. A comparative study of body composition between male and female collage level selected 64 male and female subjects for this study. The purpose of the study was to compare body composition between males and females. The study was restricted only players of Chhattisgarh .

The aim of the study was to compare B.M.I. And Fat% of male and female students of players of Chhattisgarh The data were collected during the subjects were selected by simple random sampling method the subjects were equally divided in to two groups. To test the hypothesis the level of significance was set at 0.05 level of confidence the collected data were converted into standard scores and then to find out mean. 't' test was applied to find out the comparison the study shows partially significant different between body composition of male and female players of Chhattisgarh.

Findings - The findings in study reveals that there was no significant difference in B.M.I. of Body Composition Between Male And Female of intercollegiate level players of Chhattisgarh. The mean difference in found between male and female students. Further there was significant difference in Fat percentage of Body Composition Between Male And Female of intercollegiate level players of Chhattisgarh In Beginning of this study it was hypothesized that there might be significant difference of Body Composition Between Male And Female of intercollegiate level players of Chhattisgarh**.** On the base of statistical analysis Data, body composition of male and female Body Composition Between Male And Female of intercollegiate level players of Chhattisgarh**.** is partially insignificant. As it was found that there was insignificant difference between male and female. At last it was found that the hypothesis was partially accepted at the level of 0.05 level of confidence.

Physical education is an Integral part of general education. The physical education provides vital experience for the growth and development of the personality of an individual. It also enables him to become an efficient and productive member of society. Body composition has been one of the most essential requirements of personality development and for fitness.

The researcher was a physical education student and conducted. A comparative study of body composition between male and female college level selected 64 male and female subjects for this study. The purpose of the study was to compare body composition between males and females. The study was restricted only players of Chhattisgarh .

Conclusion -On the basis of the result drawn with the mentioned methodology the following conclusion were soughed out. There was a partially significant difference between body composition of male and female players of Chhattisgarh. The study showed the partially significant difference among the mean of selected items of the groups. The conclusion of this research work may aware the players as well as players about the Fat % while performing any physical activity.

Recommendation - The researchers recommended the following suggestion for further students. study may be repeated on the male students only study can also be conduct on different age groups. study may be repeated on the female students only. study was completed on the subjects of university level. It can be taken on other level can go higher or lower.

References-

1. Anzai et. al., "A Comparative Study Of Body Composition Of Urban And Rural Japanese Boys 12 To 14 Years Old", Department Of Radiological Health, Faulty Of Medicine, University Of Tokyo, Vol. 8, No. 2,April, 1981.
2. Azad Mshtaq, "Comparative Study Of Selected Anthropometric Measurement, Body Composition And Cardiovascular Efficiency Of Volley Ball Players", Unpublished Master Thesis, Of Amravati University, Amravati, 1997. Pate R. et.al, "Relationship Between Skin Fold Thickness And Performance Of Health Related Fitness Test Times", Research Quarterly, Vol. 60, No.01, March, 1989.
3. Polleck M. D., "Effect Of Walking On Body Composition And Cardiovascular Function Of Meddle Aged Men", Journal Of Applied Physiology, Vol. 30, No. 02, March, 1971.
4. Rodriguez Gerardo, et.al., "Body Mass Index And Body Fat Composition In Children And Adolescents", Research Quarterly, Vol. 25, No. 4, November, 1997).
5. Soni Jatin, "A Comparative Study Of Selected Anthropometric And Motor Fitness Variables Of The Students Of Physical Education", Research Bi-Annual For Movement, Publisher, HVPM, Vol. 23, No. 2, April 2007.
6. Spasoff,Thomas et. al, "Body Build And Body Composition Of High Ability Female Dancer's", Research Quarterly, Vol. 40, No. 01, March, 1990.
7. Toriota Abdel I., et.al, "Body Composition And Anthropometric Characteristics Of Elite Male Basketball And Volley Ball Players", The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, Vol. 27, No.01, June 1987.
8. Verma S. K., et. al., "Overweight and Underweight Trends In 20-25 Years Old Females", Souvenir Xiii National Conference Sports Psychology, Publication Gurukul Kangri University, October, 2000, Topic-44.
9. Vetter, Eleanor Rheba, "Effect Of Partnering Class On Dancers Muscular Strength , Flexibility And Body On Dancer's Muscular Strength, Flexibility And Body Composition". Ph.D. Dissertation, Texas Woman's University, 2000.
10. Barrow Horld M. And Rosemary Me. Gee, A Practical Approach To Measurement In Physical Education, (London: Greadstriain Llenry Kempton, 1979).
11. Bottaro Marques Marilin, "Cross-Validation Of Body Composition Equations For Brazilian Women Using Dual Energy X–Ray Anthropometry", The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness. Vol. 27, No. 03, June, 1999.
12. Cameron K. A., "Effects Of An Aerobic Movement Programmer On Fitness, Body Composition, And Body Esteem On Over Weight Children" Completed Research In Health Physical Education Recreation And Dance, Vol. 31, No. 02, August, 1989.
13. Cassel A. M., "A Comparison Of Motor Abilities And Physical Characteristics Of Collegiate Soccer Play By Position Of Play", Dissertation Abstract International, Vol. 29, No.01,February 1979.
14. Clarke David H. and Paul, "The Effect Of Swimming Training On Muscular Performance And Body Composition In Children", Research Quarterly, Vol. 36, No. 05, May, 1979.
15. Glenn. R. D, "Effect Of Walking And Jogging On The Body Composition And Cardio-Respiratory System Of Adult", Dissertation Abstract International, Vol. 40, No. 06, July, 1980.
16. Coyne L. L., "The Relationship Of Maximal Of Intake Of Body Composition And Total Body Weight In Active Males", Master Abstract International, Vol. 38, No. 2, July, 1995.
17. Dhingra Meenu and Rita Jain, "Anthropometric Profile Of Indian National Women Wrestlers", Souvenir Xiii National Conference Sports Psychology, Publication, Gurukul Kangri University, October, 2000, Topic-22.
18. Hambarde Rajesh D., "A Comparative Study Of Body Mass Index And Fat Percentage Among The Wrestlers Of Different Weight Categories", Unpublished Theses. S.G.B. Amravati University, Amravati, 2005.
19. Jogendra, "A Comparative Study Of Anthrometric Measurements, Body Composition And Cardio Vascular, Efficiency Of Kartekar From Amravati District", Unpublished Master Thesis, Of Amravati University, Amravati, 1995.
20. Johnson Barley L. et.al, Practical measurement for evaluation in physical education, (New Delhi: Surjeet Publication, 1988).
21. Jone et.al."Comparative Study Of Body Composition By Dual Energy X-Ray Absorptiometry", The Journal Nuclear Medicine, Vol. 36, No. 8, September, 1995.
22. Katcher Frank I. et.al. "Effect Of Physical Training An Body Composition And Diet Of Females", Research Quarterly, Vol. 38, No. 4, October, 1969.
23. Kensal Devinder K., Applied Measurement Education And Sports Selection, (New Delhi : Sports Publication, 2008).
24. Kunda Grajanath, Sr. Lecturer, "Somatotype And Body Composition Variables Of The University Level Sources Player's". Research Bi-Annual For Movement. Published By HVPM, Vol. 17, No. 2, April, 2001.
25. Manilal K. P., "Relationship Of Selected Anthropometric Measurement And Body Composition To The Performance In Selected Sports", Unpublished Thesis, Amravati University, 1985.
26. Miss M. M., "Comparison Between The Effect Of A Week Exercise Program On Land Or In The Water On Selected Component Of Physical Fitness", Unpublished Master Theses, University Of Llanos, 1988.
27. Pate R. et.al, "Relationship Between Skin Fold Thickness And Performance Of Health Related Fitness Test Times", Research Quarterly, Vol. 60, No.01, March, 1989. .
28. Springer, "Local Bone Mineral Density, Muscle Strength, And Exercise In Adolescent Boys: A Comparative Study Of Two Groups With Different Muscle Strength And Exercise Levels", Calcified Tissue International Journal, Vol. 58, No. 6, June, 1969.
29. Toriota Abdel I., et.al, "Body Composition And Anthropometric Characteristics Of Elite Male Basketball And Volley Ball Players", The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, Vol. 27, No.01, June 1987.
30. Verma S. K., et. al., "Overweight and Underweight Trends In 20-25 Years Old Females", Souvenir Xiii National Conference Sports Psychology, Publication Gurukul Kangri University, October, 2000, Topic-44.
31. Vetter, Eleanor Rheba, "Effect Of Partnering Class On Dancers Muscular Strength , Flexibility And Body On Dancer's Muscular Strength, Flexibility And Body Composition". Ph.D. Dissertation, Texas Woman's University, 2000.
32. Webb, Paul Mauricee, "Effects Of Buoyancy And Body Composition On The Hoeing Behavior And Swimming Effort Of Northern Elephant Seals, Mirounga Angustirostis", Ph.D. Thesis, University Of California Santa Cruz, 1994.

जल क्रीड़ाओं में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष खिलाड़ियों का योगदान

प्रशांत कुमार*

प्रस्तावना – तैराकी एक व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेल है। यह मनोरंजन के साथ ही शारीरिक आराम देने वाला, मानसिक तनाव दूर करने वाला, श्वसन क्रिया को सुचारु बनाने वाला एक साधन भी है। प्रारंभ में हमारे पूर्वज मत्स्य आखेट अथवा जल से भोजन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। पशु-पक्षिओं की जलक्रीड़ा देखकर मानव ने इसका अनुसरण किया, 16वीं शताब्दी में इस पर पश्चिमी विद्धानों ने अनेक शोध कार्य किये और मानवों के तैरने में रूचि लेने के तीन कारण बताऐ। (1)जीवन रक्षा।(2)जीवन निर्वाह की आवश्यकता। (3)विनोद और आनंद। वर्तमान में तैराकी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से मानव ने काफी उन्नति की है, जिसमें दक्षिण-पूर्व देश चीन प्रथम स्थान पर अपना योगदान देता रहा है। इंग्लिश चैनल जैसे बड़े-बडे ज़ल स्त्रोतों को भी लोगों ने बड़ी निर्भीकता से कठिन परिस्थितियों में तैरकर पार किया। इससे ही मनुष्य में इसके प्रति लगाव दिखाई देता है। **अब्बोट(2007)**, ने सुरक्षित क्रीड़ा मंडलों का अध्ययन कर बताया कि रिसर्च (डिजाईन तैयार कर, अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो खेल क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। **डॅविन्स(2006),** ने भी क्रीड़ा मंडलों के अध्ययन के पश्चात् पाया कि विक्टोरिया जैसे छोटे स्थान की सफलता का कारण भी क्रीड़ा व स्वस्थ्य का सम्पूर्ण अध्ययन व इसे लागू करना है। उन्होंने बताया कि धुम्रपान, चोट आदि, खेलों के विकास को रोकता है। **डोनाल्डसन(2006)**, ने उत्तर-सिडनी में इसी प्रकार के अध्ययन किये वह बताया कि सुरक्षा नीति किसी भी प्रकार के खेल कि लिए आवश्यक होती है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में प्रारंभ से ही, जबकि तरणताल की स्थापना ही हुई इन सुरक्षा साधनों का भरपूर खयाल रखा गया।

पाटणे(1982) बने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों के योगदान पर अध्ययन किया और बताया कि जल क्रीड़ाओं की सुविधाओं व प्रतियोगिताये इस संस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

1982 से 2012 तक प्रस्तुत अध्ययन अमरावती (महाराष्ट्र) में स्थित श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का जल क्रीड़ाओं में 90 के दशक में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान पर केन्द्रित है।

कार्यविधि – हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जलतरण ताल पर अभ्यासरत जलतरण खिलाडियों की सहभागिता एवं उनके खेल विकास का अध्ययन इस शोध में किया गया, जिसमें मंडल के राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर विश्वविद्यालयीन, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्पर्धाओ में जलतरण खिलाडिओं की सहभागिता एवं प्राविण्यता का अध्ययन किया गया।1982 से 2012 तक आयोजित स्पर्धाओं में सहभागी जलतरण खिलाडियों के कार्यालयीन दस्तावेज द्वारा तथा डिग्री कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन के ग्रंथालय एवं रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध साहित्य के अध्ययन द्वारा जानकारी एकत्र की गई है। पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य, जलतरण के संबंध में लेख, वार्षिक वृत्त, प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबंध, संस्था के अन्य प्रकाशन, विश्वविद्यालयीन प्रकाशन, दस्तावेज, डिग्री कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन का ग्रंथालय तथा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के रिकॉर्ड रूम से अध्ययन से संबंधित आकडों का एकत्रिकरण किया गया।इस अध्ययन में मुख्यत: दो साधनों का उपयोग किया गया। 1 साक्षात्कार, 2 प्रत्यक्ष निरीक्षण न्यायदर्श पद्धति, 1 साक्षात्कार – खिलाड़ी, अधिशिक्षक, प्रशिक्षक, 2 प्रत्यक्ष निरीक्षण – ऐतिहासिक अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से आंकडे प्राप्त किया गया।

व्याख्या – सन् 1982 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल ने अपने प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ''एल'' आकार के तरणताल की स्थापना की तथा दिनांक 26-5-1982 को इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 1982 में मण्डल ने अपने परिसर के नव निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय तरण ताल में अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालयीन जल-तरण क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें तैराकी, वॉटरपोलो और गोताखोरी प्रतियोगिताऍ सम्मिलित की गई। भारत के लगभग 45 विश्वविद्यालयों के 600 प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।मण्डल ने अखिल भारतीय स्तर के जल-तरण क्रीड़ा प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया। इसके पश्चात् पुन: 1985 में अन्तर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों मे तैराकी के प्रति रूचि उत्पन्न करने की दृष्टी से छोटी-छोटी प्रतियोगिताएँ भी नियमित अंतराल में आयोजित की जाती रही है। ग्रीष्मावकाश में बच्चों के लिए कोचिंग कैंम्प लगाया जाता है। जिसमें उन्हें अलग-अलग समूहों में वितरित कर तैराकी का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरण-ताल की वजह से अमरावती के अधिसंख्य लोग तैराकी में निपुण हो गए है। अमेरिका के राष्ट्रपति रुजवेल्ट की अपनी जीवनी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि – वे जीवन में कई बार पोलियोग्रस्त हुए व गर्म पानी के झरने में तैरने से ठीक हुए।

तालिका–1 जल क्रीड़ाओं के क्षेत्र में सन्1988 से 2012 तक विभिन्न प्रतियोगिताओ में भाग लेने वाले पुरूष प्रतिभागियों की सूची।

	Boys				
Years	School State	School National	Senior National	All India Unirvisity	Inter-national
1988–1993	59	9	2	56	13
1993–1998	52	19	15	59	8
1998–2003	78	22	12	53	4
2003–2008	111	22	17	57	4
2008–2012	113	10	38	66	6

*शारीरिक शिक्षा संकाय, डिग्री कॉलेज ऑफ़ फ़िज़िकल एज्यूकेशन, स्वायत्तशासी महाविद्यालय, अमरावती (महाराष्ट्र) भारत

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि, सन् 1988 से 1993 तक स्कूल राज्य स्तर में 59 खिलाडियों राष्ट्रीय स्तर में 9 और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मे 56 तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 खिलाडियों ने भाग लिया ।सन् **1993** से **1998** तक पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तर पर 52 शालेय राष्ट्रीय स्तर में 9 वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर 15 अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर 59 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 खिलाडियों ने भाग लिया। सन् **1998** से **2003** तक पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तर पर 78, स्कुल राष्ट्रीय 22, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर 12, अन्तरविश्वविद्यालयीन स्तर 53, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 खिलाडियों ने भाग लिया। सन् 2003 से 2008 तक पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तर पर 111, स्कुल राष्ट्रीय 22, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर 17, अन्तरविश्वविद्यालयीन स्तर 57, और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 खिलाडियों ने भाग लिया। सन 2008 से 2012 तक पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तर पर 113, स्कूल राष्ट्रीय 10, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर 38, अन्तरविश्वविद्यालयीन स्तर 66 , और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 खिलाडियो ने भाग लिया।

तालिका–2 जल क्रीड़ओं के क्षेत्र में सन 1988 से 2012 तक विभिन्न प्रतियोगिताओ में पुरूष प्रतिभागियों एवं पदक विजेता खिलाडियों सूचि ।

	Boys (Gold Medal)				
Years	School State	School National	Senior National	All India Unirvisity	Inter-national
1988–1993	2	0	0	1	0
1993–1998	2	2	0	1	0
1998–2003	0	1	0	0	0
2003–2008	0	1	0	0	0
2008–2012	0	2	0	0	0
	Boys (Silver Medal)				
Years	School State	School National	Senior National	All India Unirvisity	Inter-national
1988–1993	6	1	0	0	0
1993–1998	8	1	1	0	0
1998–2003	3	1	1	1	0
2003–2008	2	2	1	4	1
2008–2013	0	1	0	0	1
	Boys (Bronzer Medal)				
Years	School State	School National	Senior National	All India Unirvisity	Inter-national
1988–1993	1	1	0	0	0
1993–1998	2	0	3	4	0
1998–2003	1	2	0	1	2
2003–2008	2	0	0	1	1
2008–2012	2	0	0	1	0

सन् 1988 से 1993 तक 59 पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। अंतरविश्वविद्यालयीन स्तर पर 1 स्वर्ण पदक, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ।

सन् 1993 से 1998 तक राज्य स्तर पर 52 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 8 कास्य पदक, स्कूल स्तर पर 2 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक, अंतरविश्वविद्यालयीन स्तर पर 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 4 कांस्य पदक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक प्राप्त नही हुआ, सन 1998 से 2003 पुरुष खिलाडियो ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 रजत पदक 3 कास्य पदक , स्कूल राष्ट्रीय स्तर 1 स्वर्ण 2 रजत पदक 1 कास्य पदक वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर 1 कास्य अंतरविश्वविद्यालयीन स्तर पर 1 रजत पदक 1 कास्य पदक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रजत पदक प्राप्त हुए ।

सन् 2003 से 2008 पुरुष खिलाडियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक , स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर1 स्वर्ण, 2 कांस्य पदक अंतरविश्वविद्यालयीन स्तर पर 1 रजत पदक, 4 कांस्य पदक, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर1 कांस्य, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 रजत पदक,1 कांस्य पदक प्राप्त किया ।

सन् 2008 से 2012 पुरुष खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 2 रजत पदक , स्कूल राष्ट्रीय स्तर 2 स्वर्ण, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक, अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर 1 रजत पदक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रजत पदक प्राप्त हुआ ।

आलेख क्रमांक–1 सन् 1988 से 2012 तक अंतरविश्वविद्यालयीन स्तर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पुरूष पदक विजेता खिलाडियों का आलेख

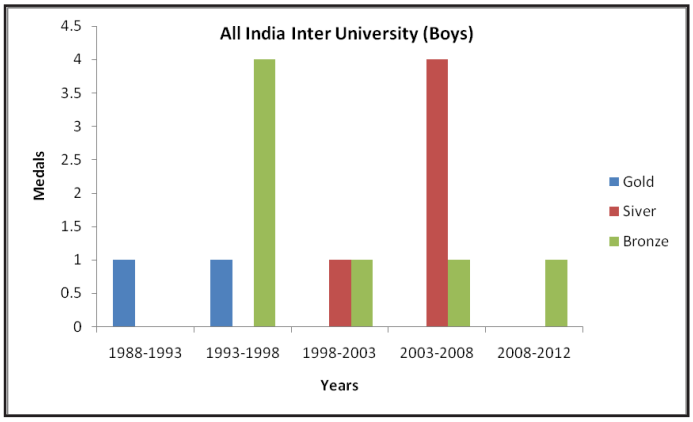

आलेख क्रमांक–2 सन् 1988 से 2012 तक स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पुरूष पदक विजेता खिलाडियों का आलेख

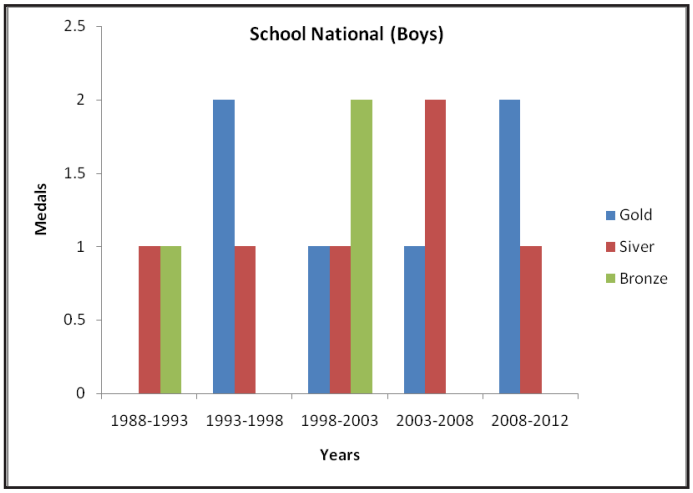

आलेख क्रमांक–3 सन् 1988 से 2012 तक स्कुल राज्य स्तर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पुरूष पदक विजेता खिलाड़ियों का आलेख

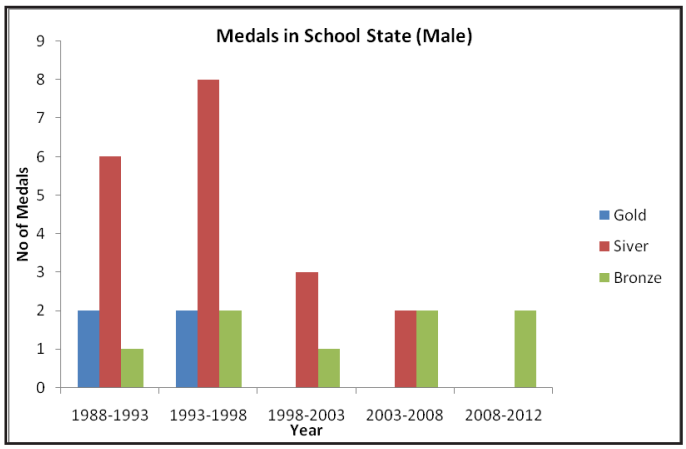

आलेख क्रमांक–4 सन् 1988 से 2012 तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पुरुष पदक विजेता खिलाड़ियों की आलेख

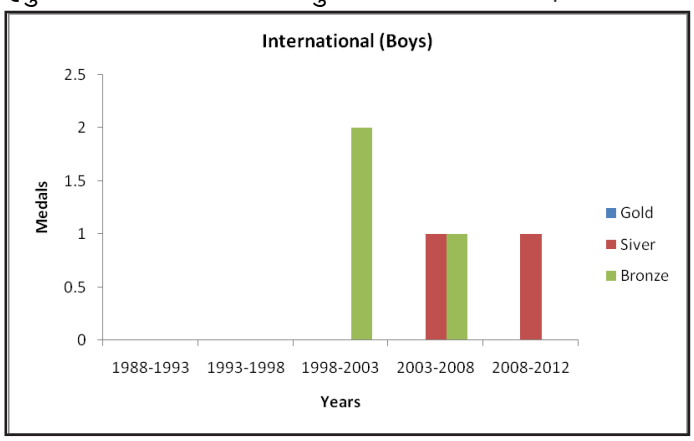

सुझाव –

1. जल क्रीड़ाओं में विभिन्न स्तर पर होने वाले स्पर्धाओं में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
2. जल तरण की प्रतियोगिता मे उच्चतम स्तर का कृतित्व बढ़ाने के लिए विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
3. विभिन्न प्रतियोगिता के आधार पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का रेकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
4. खिलाड़ियों पर पडने वाले विभिन्न शारीरिक, मानसिक प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए।
5. ओलम्पिक के आधार पर खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
6. इस अध्ययन के माध्यम से प्राप्त आकडों को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के माध्यम से जन–सामान्य व जनसमूह तक पहुचाना चाहिए।
7. जल क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जल तरण खिलाड़ियों के लिये लगने वाली सुविधाओं को उचित रुप में उपलब्ध करना चाहिए, तभी उच्चतम स्तर की स्पर्धाओं मे सफलता प्राप्त की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Ambolt K.L. 2007 'सुरक्षित क्रीडा मण्डलों का मूल्यमापन जनरल ऑफ स्पोर्ट मेडिशीन न्यु ऑस्ट्रेलिया' पृ. क्र. 1933
2. Dowins S.J. 2006 'खेल क्रीड़ा मण्डलो द्वारा विक्टोरिया में स्वस्थ पद्धती की सफलता का अध्ययन', डिपार्टमेंट ऑफ सायकोलोजी, सेंट जॉर्च हॉस्पिटल मेडिकल स्कुल, युनिवर्सिटी व लंडन, पृ. क्र. 121–129
3. Donaldson A 2004 'उत्तर सिडनी में खेल क्रीड़ा मण्डलों की सुरक्षा पॉलिसी और ट्रेनिंग प्रतियोगिता के दौरान अभ्यास',
4. Ghate B.B. 1984 'कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यायामशाला एण्ड स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडियन गेम्स इन द डेवलपमेंन्टस ऑफ गेम्स एण्ड फिजीकल एज्युकेशन इन द सिटी ऑफ नागपुर', (अनपब्लिश्ड मास्टर डिग्री थीसिस, नागपुर विद्यापीठ, 1984).
5. North Sidney Helth न्यु ऑस्ट्रेलिया, पृ. क्र. 60–63
6. Pakatt Gajanan1986 अकोला जिल्हा खो–खो असोसिएशन चे1970 ते 1990 या कालाखंडातील खो–खो विकासाचे अध्ययन, लघुशोध प्रबंध, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती।
7. Pande W.H. 1968 भारतीय खेल, भारतीय संस्कृती इतकेच प्राचीन आह – एक अभ्यास, लघुशोध प्रबंध, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
8. Patne A 1982, के. अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर श्री. ह.व्या.प्र.मं. स्वरूप एवं विकास, श्री. ह.व्या.प्र.मं. पब्लिकेशन पृ.क्र. 16

****

Cloud Libraries: A Novel Application Of Cloud Computing

Singh Jayanti * **Dewangan Pranjali** * *

Abstract - The condition of Indian libraries is particularly dismal because of non-availability of quality and up-to-date reading materials as well as common problems like flexibility associated with the digital data, lower levels of efficiency, and huge cost involved in installing or managing the entire IT infrastructure themselves. An effective strategy is required to resolve this problem. Cloud computing would help us in bridging the gap between libraries and IT. Sharing of data among the libraries will in principle reduce the overall cost and increase the efficiency. Cloud libraries may provide freedom from complexities of installation and maintenance of software and other backend infrastructure is another advantage. It will also enhance the users' experience and will help in making the libraries a lot more scalable
Keywords - Cloud Computing, Cloud Libraries.

Introduction - Today is the age of information technology. The facets of work and personal life are moving towards the concept of availability of everything online. The advancement in information and communication technology has taken a great leap in the last couple of decades. Understanding this trend, the Indian educational institutions and their libraries are trying to setup cloud computing technologies to deal with the internet data storage, scalability and computation for research and libraries. [1]

Cloud computing is an emerging area in the profession of Library and Information Science. Latest technological development has brought a dramatic change in every field, and library science is not exception to it. Information technology impacted positively on library and information system and services they provide for users. The libraries have been automated, networked and now moving towards paper less or virtual libraries. To gather challenges in the profession librarians are also applying different platforms in Library science filed for attaining economy in information handling. [2]

What is Cloud Computing?

Cloud computing means cloud based networking environment. Cloud computing contains set of software and hardware resources which are available on the internet and its services are managed by third-party. These services provide access to advanced software applications and high configured servers. Service provider performs role of consultant. Cloud computing is a technology that uses the web (Internet) and central remote servers to maintain data, software and application. Cloud computing allows users to use applications without installation in their local machine to access their personal and official files on any computer with internet access. This technology allows users to access much more efficient computing by centralizing storage, memory and processing. [3]

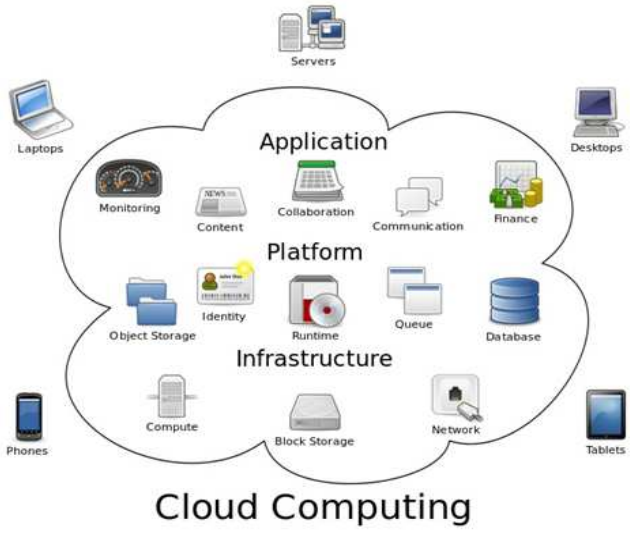

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

The various types of services provides by the cloud are:

1. Software as a Service (SaaS): Anytime Anywhere apps. This is currently of most interest in education. Not only is the data stored in the cloud but the application too, with the user requiring only a web browser. The best known examples are Google Apps for Education and MicrosoftLive@edu which provide communication and office applications such as email and spreadsheets.
2. Platform as a Service (PaaS): The operating environment in which applications run. With PaaS, one can develop new applications or services in the cloud that do not depend on a specific platform to run, and can make them widely available to users through the Internet. PaaS delivers cloud-based application development tools in addition to services for testing, deploying,

* Librarian , Govt. Ghanshyam Das Gupta P.G. College, Balod (CG) * * Asst. Prof. Computer Science Department, Pt. Harishankar Shukla Memorial College, Raipur (CG) INDIA

collaborating on, hosting, and maintaining applications. Examples of PaaS include Microsoft's Azure Services Platform (Microsoft, 2012), Salesforce's Force.com development platform, Google Apps Engine, Amazon's Relational Database Services and Rackspace Cloud services.

3. Infrastructure as a Service (IaaS): The on-demand data centers. Here customers can rent basic computing resources such as processors and storage, and use them to run their own operating systems and applications. You pay for only what you use, and the service provides all the capacity you need, but you're responsible for monitoring, managing, and patching your on-demand infrastructure. One big advantage of IaaS is that it offers a cloud-based data center without requiring you to install new equipment or to wait for the hardware procurement process. This means one can get IT resources at his school, college, or university that otherwise might not be available. For example Amazon's Elastic Compute Cloud; organizations can use this infrastructure to run Linux servers on virtual machines and scale up usage as required.

Implementation Of Cloud Technology In Academic Libraries - Universities and Colleges are the core of innovation through their advanced research and development. Academic libraries all over the India suffer from common problems such as shrinking budgets, accommodating resources within the budgetary constraints.

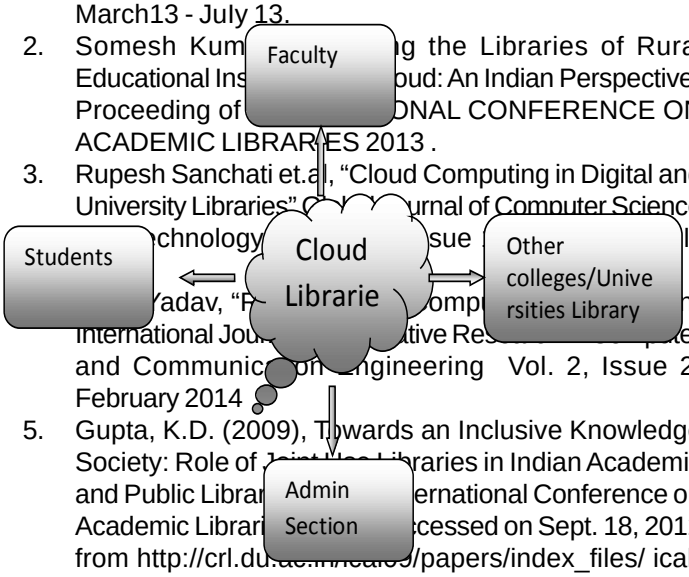

Cloud computing technology can provide solutions for the above mentioned problems in libraries. Cloud computing enables users to control and access data via the Internet. The main users of a typical academic library include students, Faculty, administrative staff, other colleges and other Universities as shown in Figure

All the main users of the institution are connected to the cloud .Separate login is provided for all the users for their respective work. Teachers can upload their class Tutorials, assignments, and tests on the cloud server which students will be able to access all the teaching material provided by the teachers via Internet using computers and other electronic devices both at home and college and 24X7. [4]

Conclusion - According to a survey approximately 36 per cent universities and 48 per cent colleges of India are located in rural areas (All India Survey on Higher Education: 2010-11). The quality of education in these institutions needs to be strengthened and brought to the level of urban areas where resources to cater the requirements of students, teachers and other academicians are easily and promptly available. Since teacher-student ratio is still low and appropriate library facilities are not satisfactory, shifting our focus towards internet based library that is toward cloud libraries is a feasible approach for quality education. [5]

References -

1. अखिलेश जाधव – छत्तीसगढ के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के ग्रंथालयों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग (मेघ संगणना) – संभावनायें व समस्याएं SHODHS SANKALP VOL-06 YEAR-02 March13 - July 13.
2. Somesh Kum... g the Libraries of Rural Educational Ins... oud: An Indian Perspective" Proceeding of ...ONAL CONFERENCE ON ACADEMIC LIBRARIES 2013 .
3. Rupesh Sanchati et.al, "Cloud Computing in Digital and University Libraries" ... urnal of Computer Science ... chnology ... sue ... ly
4. ...Yadav, "... omp... n" International Jou... tive Res... and Communic... Engineering Vol. 2, Issue 2, February 2014
5. Gupta, K.D. (2009), Towards an Inclusive Knowledge Society: Role of ... raries in Indian Academic and Public Librar... ernational Conference on Academic Librari... ccessed on Sept. 18, 2012 from http://crl.du... /papers/index_files/ ical-80_228_484_4_RV.pdf.

शिक्षा और समाज के क्षेत्र में ग्रंथालयों का योगदान

कृष्णा घोष *

शोध सारांश – मानव का प्रत्येक क्रिया कलाप किसी संस्था के माध्यम से ही व्यवस्थित किया जाता है। ग्रंथालय भी एक सामाजिक संस्था ही है। ग्रंथालय वो संस्था होती है जिनमें सूचना तथा ज्ञान का संकलन, संग्रहण, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, प्रकीर्णन तथा वितरण प्रलेखों में अभिलेख करके किया जाता है। प्रजातंत्र के आगमन के साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार सभी को प्राप्त हो गये हैं, आज किसी भी ग्रंथालय की सफलता का मापदंड उसमें संग्रहित पाठ्य सामग्री से न होकर ग्रंथालय द्वारा प्रदत्ता सेवाओं से होता है। यही कारण है कि आधुनिक ग्रंथालयों में पाठकों को सर्वोपरि मानते हुए उसे सभी प्रकार की आवश्यक आधुनिक सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा रही है।

प्रस्तावना – सभी प्रकार के ग्रंथालयों के कार्यों को सामान्य रूप से अंकित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक प्रकार के ग्रंथालय विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थापित किये जाते हैं। वैसे भी प्रत्येक ग्रंथालय के उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली अलग-अलग होती है फिर भी सामान्य रूप से एक आधुनिक ग्रंथालय के कार्य निम्नलिखित हैं-

1. पाठ्य सामग्री का चयन, अर्जन, परिग्रहण, वर्गीकरण तथा सूचीकरण करना।
2. पाठ्य सामग्री के उपयोग हेतु पाठकों को आदान-प्रदान करने की व्यवस्था।
3. पाठकों का पंजीकरण करना।
4. विभिन्न कार्यों तथा सेवाओं का सुचारू रूप से चलाने के लिये योग्य कर्मचारियों का प्रावधान करना।
5. ग्रंथालय की सर्वश्रेष्ठ सेवा के रूप में संदर्भ सेवा प्रदान करना तथा संदर्भ सेवा का आधुनिक रूप अर्थात् सूचना सेवा प्रदान करना।
6. सूचना सेवा के संदर्भ में अनेक सूचना सेवाओं की व्यवस्था करना।
7. ग्रंथालय में समय पर प्रचार तथा प्रसार सेवाओं का आयोजन करना।
8. प्रचार तथा प्रसार सेवाओं द्वारा ग्रंथालय को एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना।
9. सूचना सेवा तथा प्रलेखन सेवाओं के द्वारा ग्रंथालय को एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना।

ग्रंथालय द्वारा विभिन्न सेवायें निम्न प्रकार से हैं-

1. ग्रंथ आदान प्रदान सेवा।
2. पत्र-पत्रिकायें सेवा।
3. संदर्भ सेवा।
4. इंटरनेट, फोटो कॉपी की सेवा।
5. प्रौढ़ एवं निरक्षरों की ग्रंथालय सेवा।
6. विस्तार सेवायें।

आधुनिक समाज में मानव का प्रत्येक क्रिया कलाप किसी संस्था के माध्यम से ही व्यवस्थित किया जाता है। ग्रंथालय भी एक सामाजिक संस्था ही है। समाज का प्रत्येक मुख्य कार्य चाहे वह अधिक उपलब्धि का हो, स्वास्थ्य की देखभाल का हो अथवा शिक्षा, अनुसंधान, व्यापार एवं उद्योग का हो सभी संस्था की तरह ही सम्पन्न किये जाते हैं। ग्रंथालय वह संस्था होती है जिनमें सूचना तथा ज्ञान का संकलन, संग्रहण, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, प्रकीर्णन तथा वितरण प्रलेखों में अभिलेख करके दिया जाता है।

महाविद्यालयीन पुस्तकालय का प्रथम कार्यक्रम तथा प्रयास यह होना चाहिए कि बच्चों में पुस्तकालय का उपयोग करने तथा पढ़ने की रुचि उत्पन्न की जाय, क्योंकि उपयोग के बिना अच्छी से अच्छी पुस्तकों से भरे पुस्तकालय से भी कोई लाभ नहीं हो सकता।

महाविद्यालयीन पुस्तकालय की व्यवस्था आकर्षक एवं वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। महाविद्यालय पुस्तकालय को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिये भवन, पाठ्यसामग्री, कर्मचारी आदि पदों पर पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये एक समृद्ध पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अध्येता सामान्यत: छात्र एवं प्राध्यापक होते हैं। एक समृद्ध पुस्तकालय में पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें संदर्भ ग्रंथ पत्रिकायें तथा अन्य विविध प्रकार की सामग्री विद्यमान रहती है जो विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षा में सहायक होती है। विशिष्ट ग्रंथालय में शोध पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय, नेत्रहीन के लिये पुस्तकालय, कारागार अथवा जेल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय के अलावा और भी ग्रंथालय हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का अर्थ है जनता द्वारा जनता के हित में संचालित पुस्तकालय इसके द्वारा समाज के प्रत्येक धर्म, वर्ग, वर्ण, विचार, उम्र के लोगों को बिना किसी भेदभाव के पाठ्यसामग्री के उपयोग की सुविधा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है जन समुदाय की उन्नति के लिये पाठ्य सामग्री के संग्रह, संरक्षण एवं वितरण की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रृंखला में सबसे ऊपर और सबसे बड़ा होता है। इसके पूर्ण प्रबंध एवं व्यय का भार केन्द्रीय सरकार पर होता है। प्रत्येक देश में कम से कम एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है जो कि नेशनल लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था।

ग्रंथालयों में पुस्तकों में निहित पाठ्य सामग्री का उपयोग करने वालों को पाठ्य सदस्य या क्लाइंट आदि नामों से जाना जाता रहा है। परन्तु वर्तमान समय में ग्रंथालयों में ग्रंथों की अपेक्षा उनमें निहित सूचना का महत्व सर्वाधिक

* ग्रंथपाल , शासकीय ओ.एफ.के. महाविद्यालय, खमरिया, जबलपुर (म.प्र.) भारत

हो चुका है। इसीलिये ऐसे ग्रंथालयों में ग्रंथों की अपेक्षा उनमें निहित सूचना का महत्व सर्वाधिक हो चुका है। इसीलिये ऐसे ग्रंथालयों को सूचना केन्द्र भी कहा जाता है और इन केन्द्रों में सूचना का उपयोग करने वालों को पाठक के अतिरिक्त उपभोक्ता या User कहा जाता है।

उपभोक्ता को चार प्रकार में विभाजित किया गया है-

1. विद्यार्थी, 2. शोधार्थी,
3. शिक्षक, 4. सामान्य जन

शिक्षा में पुस्तकालय का महत्व है-

1. पुस्तकें उपयोग के लिये हैं।
2. प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
3. प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।
4. पाठक के समय की बचत हो।
5. ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है।

उपरोक्त नियमों को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तकालय द्वारा पाठकों को सेवायें प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

यह निर्विचार सत्य है कि पुस्तकालय की उपयोगिता शिक्षा के लिये सर्वोपरि है। पुस्तकालय ही एक ऐसा अस्त्र है जो सफलतापूर्वक अशिक्षा के गहन अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश बिखेर सकता है। पुस्तकालय सेवा के द्वारा ही जन-जन को शिक्षित बनाकर उनमें राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक चेतना की भावना जगा सकते हैं।

एक समय ऐसा था जब शिक्षक को संपूर्ण ज्ञान का चलता-फिरता पुस्तकालय माना जाता था। अब समय बहुत बदल गया है, ज्ञान के विस्फोट एवं सूचना एवं क्रांतिकारी युग में तकनीकी एवं कम्प्यूटर ने शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षालयों के पर्यावरण को बदल दिया है। अब शिक्षण संस्थायें पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों से जुड़ गई हैं और विद्यार्थी शिक्षक एवं अनुसंधान कार्य का सीधी सूचना प्रणाली से संबंध होता जा रहा है।

टी.वी., कम्प्यूटर, वीडियो कैसेट्स तथा सी.डी. के प्रचलन के बावजूद पुस्तकों का महत्व कम हो गया यह सत्य नहीं है जो काम मशीने एवं यंत्र नहीं कर सकते हैं वह कार्य पुस्तकें करती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री अनेक जानकारी देने में मदद करती है और इन सबका संग्रह पुस्तकालयों में होता है। विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षण, भाषण, वाद-विवाद तथा संगोष्ठी आदि के लिये ग्रंथालयों में सामग्री उपलब्ध होती है। इस दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालयों का विशिष्ट महत्व होता है। शिक्षा चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक हो अथवा उच्च शिक्षा हो, चाहे समाज शिक्षा या महिला शिक्षा हो, बिना ज्ञान सामग्री के पूर्ण नहीं की जा सकती। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण की पद्धति को देखते हुए यह अनुमान किया जा रहा है कि पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा के अतिरिक्त भी विद्यार्थियों को स्वयं प्रयासों से सीखने एवं अध्ययन की आदत डाली जानी चाहिए शिक्षा के इस दर्शन को शाश्वत्ता प्रदान करने हेतु छात्रों का पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं वार्षिक रिपोर्ट्स, मार्गदर्शिकाओं तथा संदर्भ पुस्तकों से साक्षात्कार करवाया जाना आवश्यक है। इनके अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास व चारित्रिक निर्माण हेतु धार्मिक, नीतिपरक, आध्यात्मिक व महान चरित्रों का अध्ययन पुस्तकालयों की पुस्तकों से ही संभव है। महापुरुषों की जीवनियों, उनके कार्य, उनके उपदेश, उनकी शिक्षायें छात्र-पाठकों के प्रेरणा का काम करते हैं।

अत: कहा जा सकता है कि पुस्तकालयों से न सिर्फ शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समाधान भी मिलता है साथ ही साथ महान बनने के अवसर भी प्राप्त होते हैं इसीलिये कहा जाता है कि पुस्तकालय जनता के विश्वविद्यालय हैं और सांस्कृतिक व साहित्यिक धरोहर के रक्षक हैं। इनका महत्व किसी भी युग में न तो कम हुआ है और न होगा।

शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के जितने साधन हैं उनमें पुस्तकालय का स्थान सर्वोपरि है। पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक और असीमित होती है। पुस्तकालयों के माध्यम से पाठकों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है तथा उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।

यह सर्व विदित है कि देश के अनगिनत पुस्तकालयों में दुर्लभ और अनमोल पाठ्य सामग्री संग्रहित है। पुस्तकालयों की सुनियोजित सेवाओं के द्वारा पाठक को एक साथ अधिकाधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपसंहार- आज के प्रगतिशील मानव ने विज्ञान की सारी गहराईयों में बैठकर अपने उपयोग की अनेक वस्तुयें निकाल डाली हैं। ठीक उसी प्रकार अध्ययनशील मानव मस्तिष्क ने अपने पूर्वजों की गढ़ी हुई अगाध एवं अनंत विद्या बुद्धि रूपी सम्पत्ति को पुस्तकालयों से निकालकर ज्ञान के विस्तार में विश्व की प्रचुर सहायता की है। प्रजातंत्र के आगमन के साथ ही ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार सभी को प्राप्त हो गये हैं, आज किसी भी ग्रंथालय की सफलता का मापदंड उसमें संग्रहित पाठ्य सामग्री से न होकर ग्रंथालय द्वारा प्रदत्ता सेवाओं से होता है। यही कारण है कि आधुनिक ग्रंथालयों में पाठकों को सर्वोपरि मानते हुए उसे सभी प्रकार की आवश्यक, आधुनिक, सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 पुस्तकालय और सूचना विज्ञान - यू.जी.सी. नेट/स्लेट 2012।
2 Library Administration theory & practice - Dr. Mittal, R.L.
3 समसामयिक पत्र-पत्रिकायें।

****

खुशी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

डॉ. भारती जोशी *

शोध सारांश – मनोवैज्ञानिक खुशी को मानसिक असन्तुलन की एक देश मानते हैं। उनके अनुसार खुशी को मेजर अफैक्टिव डिसआर्डर (मैड) प्लेजेंट टाइप की श्रेणी में माना जा सकता है। एक नार्मल आदमी खुशी के लक्षणों को जिस तरह प्रकट करता है वे उसमें मनौवेज्ञानिक और व्यवहारिक असन्तुलन के लक्षण पैदा करते है। खुशी पाने की इच्छा और उसे व्यक्त करने का तरीका दोनों ही बताते है कि यह एक ऐसी असन्तुलित मनोदशा है जिसे पाने की इच्छा हर कोई करता है। मनोवैज्ञानिकों के अधिकांश प्रयास व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को घटाने में ही लगे रहते है क्योंकि मानव ज़िन्दगी में इतने तनाव, चिन्ता, एवं भय व्याप्त है कि स्वयं व्यक्ति में निहित खुशियों की चाबी कहाँ विलुप्त हो गयी है, पता ही नहीं चलता है। सबसे ज्यादा शोध अवसाद, तनाव, दु:श्चिता पर हुए है लेकिन खुशी की बात है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध खुशी, प्रसन्नता और सुख जैसी सकारात्मक भावनाओं पर लोकप्रिय हो रहे है।

प्रस्तावना – हर व्यक्ति की खुशी का पैमाना अलग अलग हो सकता है, जो कि व्यक्ति के स्वयं के आदर्श, सामाजिक – सांस्कृतिक मूल्य आदि पर निर्भर रहता है। तेजी से बदलते तकनीकी युग में अब तक खुशी को मापने का यन्त्र नहीं बना है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो दिमाग के मेजोलिंबिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूबेंस हिस्से में काम करते है ये इंसान में खुशी पैदा करते है। भौतिक, आध्यात्मिक, विलासितापूर्ण, अंहकार आधारित, घटना आधारित, भविष्य आधारित, आंतरिक तथा शांति की खुशी जैसे कई सारे खुशियों के ही प्रकार है। इन सभी का संबंध हमारे अनुभवों से होता है। मनोविज्ञान में अनुकूलनशीलता का सिध्दांत खुशी के इसी पक्ष को दर्शाता है। खुशी क्रान्ति के प्रणेता मनोवैज्ञानिक सेलिगमैन के अनुसार अपनी कमियों पर दु:खी होने के बजाय अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाय अर्थात जीवन के नकारात्मक पहलूओं पर से ध्यान हटाकर सकारात्मक गतिविधियों को केन्द्र में रखा जाय। निरन्तर सकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करने से दुर्भाग्य और नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के लिए स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। खुशहाल रहने का मूलमंत्र है जीवन में आशावादी और सकारात्मक विचार रखते हुए ईमानदारीपूर्वक सात्विक और अर्थपूर्ण जीवन जीए। खुश रहने के लिए व्यक्ति को स्वयं की मदद करना आवश्यक है, जब तक व्यक्ति स्वयं प्रसन्न रहना नहीं सीखेगा तब तक बाहरी परिस्थितियाँ किसी भी मूल्य पर उसे आल्हादित नहीं कर सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह समस्या आती है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह इन समस्याओं से भी प्रेरणा लेकर कैसे खुश रहे? मनोवैज्ञानिकों के अधिकांश प्रयास व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को घटाने में ही लगे रहते है क्योंकि मानव ज़िन्दगी में इतने तनाव, चिन्ता, एवं भय व्याप्त है कि स्वयं व्यक्ति में निहित खुशियों की चाबी कहाँ विलुप्त हो गयी है, पता ही नहीं चलता है। सबसे ज्यादा शोध अवसाद, तनाव, दु:श्चिंता पर हुए है लेकिन खुशी की बात है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुशी, प्रसन्नता और सुख जैसी सकारात्मक भावनाओं पर आधारित शोध लोकप्रिय हो रहे है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनायस के प्रोफेसर एड डायनर ने अपने शोध के आधार पर बताया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोग हिस्पैनिक है क्योंकि वे मानते है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो भी कर सकते है वह दिलचस्प है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक ढाँचा, जीवन की सुविधाएं बड़ा महत्व रखती है। खासतौर पर पैसा बड़ा अन्तर लाता है, लेकिन एक बार सबको एक जैसा पैसा दे दो तो यही पैसा समीकरण से बाहर हो जाएगा। हमारे मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य खुशियों का पैमाना तय करते है। अमेरिकीयों को व्यक्तिगत सफलता खुशी देती है जबकि जापानियों को सामाजिक–पारिवारिक अपेक्षाएं। पूरब के जापानी, चीनी, कोरियाई से पूछो कि वह जीवन से कितना संतुष्ट है तो वह सबसे पहले जीवन में हुई गलतियों का हिसाब लगाएगा और जब उसे पता लगेगा कि उसने परिवार, समाज के मूल्यों के लिहाज से कोई बड़ी गलती नहीं की है तब जाकर संतुष्टी की खुशी से उसका चेहरा दमकने लगेगा। पश्चिम में अमेरिकी संतुष्ट होने के सवाल पर खुशी की घटनाओं की व्याख्या करेंगे। हम भारत के लोग दूसरों की भावनाओं की परवाह करते हुए ज्यादा खुश रहते है।

तेजी से बदलते तकनीकी युग में अब तक खुशी को मापने का यंत्र नहीं बना है क्योंकि हमारी भावनाएँ हर पल, हर दिन बदलती रहती है और खुश रहने के कारण भी हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। खुशी को भले ही वैज्ञानिक यंत्र से मापा नही जा सकता हो लेकिन खुश रहने का वैज्ञानिक कारण अवश्य विद्यमान है। वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो दिमाग के मजोलिंबिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूबेंस हिस्से में काम करते है ये इंसान में खुशी पैदा करते है। यदि मनुष्य के दिमाग के स्तर को नापा जा सके तो व्यक्ति के खुशी के स्तर को मापा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलीनोएस के मनोवैज्ञानिक एड डेनियर कहते हे कि प्रसन्नता का अर्थ है कि आप कितनी बार खुश होते है ना कि कितने खुश होते है। मार्टिन सेलिगमेन(2002) ने अपनी किताब आर्थेटिक हैप्पीनेस में लिखा है कि खुशी किस्मत का खेल नहीं बल्कि इसे बनाया भी जा सकता है। अरस्तू का मानना था कि हम जो कुछ भी करते है, उसके पीछे कारण खुशी पाना होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार से मिले। प्रसन्नता प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है। अरस्तू मानते थे कि व्यक्ति को वही करना चाहिए जो वह चाहता है उसे सारे निर्णय स्वयं ही लेना चाहिए चाहे वह सही हो या गलत क्योंकि उसे खुशी उसी से मिलेगी । कार्नेगी मैलेन यूनिवर्सिटी, पिट्सबर्ग द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक जिन लोगों का व्यवहार सकारात्मक और भावनात्मक होता है वे सर्दी–जुकाम से कम सवंमित होते है। वैज्ञानिक डॉ. कोहेन के मुताबिक उर्जा वान, खुशमिज़ाज और शांत रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। जब हम खुश रहते है तो दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते है जो जुकाम से उत्पन्न रसायनों को नियन्त्रित करते है।

खुशी का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त – खुशी का संबंध हमारे पूर्व अनुभव से होता है। मनोविज्ञान में अनुकूलनशीलता का सिध्दान्त खुशी के इस पक्ष को दर्शाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम अपने मध्यम स्तर के अनुभवों के आधार पर उस बिन्दु पर समायोजित कर लेते है जहाँ पर आवाजें धीमी लगती है न तेज, तापमान ठंडा लगता है गर्म, घटनाएं आनंदित करती है न दु:खी। इसके बाद से हम इस स्तर के ऊपर या नीचे परिर्वतन पर ही प्रतिक्रिया

* विभागाध्यक्ष, आजीवन शिक्षण विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, इंदौर (म.प्र.) भारत

व्यक्त करते है। यही कारण है कि जब हमारी आय बढ़ती है या समाज में प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, हम प्राथमिक खुशी महसूस करते है लेकिन जल्दी ही उपलब्धि के इस स्तर के अनुकूलन हो जाने पर इसे स्वाभाविक खुशी मानकर खुशी पाने के लिए कुछ और बेहतर तलाश करने लगते है।

मनोवैज्ञानिक खुशी को मानसिक असन्तुलन की एक दशा मानते हैं। उनके अनुसार खुशी को मेजर अफैक्टिव डिसआर्डर (मैड) प्लेजेंट टाइप की श्रेणी में माना जा सकता है। एक नार्मल आदमी खुशी के लक्षणों को जिस तरह प्रकट करता है वे उसमें मनौवैज्ञानिक और व्यवहारिक असन्तुलन के लक्षण पैदा करते है। खुशी पाने की इच्छा और उसे व्यक्त करने का तरीका दोनों ही बताते है कि यह एक ऐसी असन्तुलित मनोदशा है जिसे पाने की इच्छा हर कोई करता है।

पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर सेलिगमैन मानते है कि अपनी कमियों पर दुःखी होने से अच्छा है कि अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए अर्थात जीवन के नकारात्मक पहलूओं पर से ध्यान हटाकर सकारात्मक गतिविधियों को केन्द्र में रखा जाए। इस तरह से बार बार सकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करने से दुर्भाग्य और नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के लिए स्वाभाविक प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। खुशी क्रांति के प्रणेता सेलिगमैन के अनुसार उनका नया विज्ञान रोगविज्ञान, मानसिक बीमारी आदि संकीर्ण बिन्दु से हटकर सकारात्मक भावना, सद्गुण, शक्ति और सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर ले जाता है। सेलिगमैन अपनी किताब आर्थेंटिक हैप्पीनेस में कहते है कि जीवनभर की खुशी वंश, पैसे और भाग्य का परिणाम नहीं है। आतंरिक शक्ति और व्यक्ति की विशेषताओं – उदारता, वास्तविकता, हास्य, सकारात्मक सोच की पूंजी को एकत्र कर खुशी को बढ़ाया जा सकता है। यह सकारात्मक दर्शन कहलाता है। आज जीवन की गुणवत्ता तो बढ़ी है लेकिन उसके अनुपात में कई गुना अवसाद और चिन्ताएं भी बढ़ी है। सेलिगमैन ने खुशहाल लोगों की तीन श्रेणियां वताई है।

अ) अच्छा जीवन जीने वाले
ब) सुखी जीवन जीने वाले
स) अर्थपूर्ण जीवन जीने वाले

खुशी के प्रकार – खुशी हर उम्र में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, फिर भी खुशी को सामान्य तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है –

1) **भौतिक खुशी –** व्यक्ति को इस तरह की खुशी भौतिकवादी चीजों को एकत्र करने से मिलती है। बाज़ार से नये कपड़े, फर्नीचर, कार या मकान खरीदने से व्यक्ति को खुशी महसूस होती है। इससे हमारे अंदर सकारात्मक भाव पैदा होते है और वह कुछ घण्टे, कुछ दिनों तक खुश रह सकते है।

2) **विलासितापूर्ण खुशी –** यह भौतिक खुशी जैसी ही होती है क्योंकि इस खुशी को पाने का स्त्रोत भी पैसा ही है। व्यक्ति विलासितापूर्ण चीजों के प्रति आकर्षित होता है जैसे – जायकेदार भोजन, शराब, ड्रग आदि। इसके अलावा आजकल युवाओं को तेज संगीत, चमकीली रोशनी, गाड़ी तेज चलाने से खुशी मिलती है।

3) **अहंकार आधारित खुशी –** व्यक्ति इस प्रकार की खुशी के पीछे तब भागते है जब वे इस दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहते है। यह व्यक्ति को सफल, ताकतवर और प्रसिद्ध बनने के लिए प्रेरित करता है। स्टेटस सिंबल से जुड़ी चीजें जैसे–महंगी कार, बंगला, डिजायनर ड्रेसेस ऊँचे पद हासिल करने में खुशी मिलती हैं। इस तरह की खुशी अर्जित करने वाला व्यक्ति इन उपलब्धियों के योग्य भी हो सकता है और नहीं भी। वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते है जिनमें व्यक्ति योग्य नहीं होते हुए भी अपने अंह की सन्तुष्टि के लिए येन केन प्रकारेण इस तरह की खुशी हासिल करते है।

4) **घटना आधारित खुशी –** इस तरह की खुशी व्यक्तिगत होते हुए परिवार, मित्र, एवं समाज को भी खुशी देती है जैसे – शादी, बच्चों के जन्म, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, नौकरी लगना आदि जैसी सकारात्मक घटनाओं से मिलती है। इसके अलावा छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएँ जैसे – वेतन में बढ़ोतरी, बच्चों की सफलता, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलना से भी कुछ समय तक की अविस्मरणीय खुशी मिलती है।

5) **भविष्य आधारित खुशी –** इस प्रकार की खुशी तब महसूस होती है जब भविष्य की किसी चीज की कल्पना कर उत्साह महसूस हो जैसे– अवकाश में पर्यटन या पिकनिक पर जाने की योजना बनाना, किसी बड़े होटल में सुस्वादु भोजन करने जाने की योजना बनाना।

6) **मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की खुशी –** यह खुशी तब महसूस होती है जब हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती है जैसे– भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलना, जीवन में संघर्ष के पश्चात् नौकरी मिलना आदि।

7) **आंतरिक आध्यात्मिक खुशी –** यह खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैइस खुशी को पाने के बाद व्यक्ति अन्य खुशियों के पीछे भागना बन्द कर देता है। इस खुशी की तीव्रता कभी कम नहीं होती है क्योंकि इसका स्त्रोत हमारे अंदर निहित होता है यह एक अटूट विश्वास होता है जो हमारे ईश्वर, गुरूजी या आलौकिक शक्ति होती है यह खुशी स्थायी और टिकाऊ होती है।

8) **मानसिक शांति की खुशी –** यह परोपकार से जुड़ी है इससे व्यक्ति के उच्च नैतिक मूल्य जुड़े होते है। किसी की मदद करना, पशु–पक्षियों को दानापानी, चारे आदि की व्यवस्था करना, पेड़ पौधे लगाना तथा उनकी देखभाल करना

खुश रहने के उपाय – खुश रहने का पहला मूलमंत्र है जीवन में आशावादी और सकारात्मक सोच रखते हुए हमेशा अच्छे काम कीजिए। खुश रहने के लिए व्यक्ति को स्वयं की मदद करना आवश्यक है जिसे इस तरह से किया जा सकता है –

1) **खुश रहे –** बच्चों की मुस्कान, चिड़ियों की चहचहाहट, उगते सूरज को देखना ये सामान्य सी लगने वाली छोटी छोटी क्रियाएं हमें खुशी देती है।

2) **संगीत सुने –** मनपसंद संगीत सुनने से तनाव कम होता है। शास्त्रीय संगीत सुनने से भावनात्मक समस्याओं से निजात मिलती है।

3) **प्रेरक विचार पढ़े –** प्रेरणास्त्रोत व्यक्तियों की जीवनी पढ़े, प्रेरक विचार पढ़ने, सुनने से सकारात्मक विचारों में विकास होता है। कई बार छोटे एस एम एस भी प्रेरक साबित हो सकते है।

4) **योगदान करे –** हमारी एक छोटी सी मदद किसी के लिए एक बहुत बड़ी राहत बन सकती है। हमेशा किसी न किसी की मदद करने का संकल्प ले कर देखिए दिल कितना खुश हो जाता है।

5) **योग एवं व्यायाम कीजिए –** व्यायाम अवसाद से दूर रखता है। व्यायाम शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोरफिन को उत्पन्न करता है, जो तनाव उत्पन्न करने करने वाले एड्रीनलिन की मात्रा को कम कर देता है। योग दिमाग को शांति एवं राहत देता है। शरीर की मालिश से भी तनाव कम किया जा सकता है।

6) **रचनात्मकता –** कभी कभी रचनात्मक कार्य जैसे लेखन ड्राईंग – पेन्टिग, डांस, गायन आदि से खुशी मिलती है। सृजन और आत्म प्रस्तुति की खुशी आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक सिध्द होती है।

7) **प्रकृति से प्रेम कीजिए –** प्राकृतिक जगहों की सैर करना, घर आंगन में पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना जैसी आदत विकसित करने से दिल में सकून मिलता है।

8) **कृतज्ञ रहिए** – परोपकारी बने, जो कुछ आपके पास है वो आकर्षक और प्यारा है इस बात को मनन कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने

आपको संतुष्टिदायक सब कुछ दिया है। अपने से निचले तबकों के प्रति दया भाव रखें और तुलना कर देखे कि उनकी अपेक्षा आपकी समस्याएं कम है।

9) अपना ध्यान रखें – आप दुनिया में विशेष गुणों के साथ कुछ विशेष करने आये है आप खास है अपने गुणों को टटोले और उसे निखारने का प्रयत्न करें जब आपके गुण आपकी पहचान बनेंगे तब आपको बहुत खुशी होगी।

10) आध्यात्म से जुड़े – प्रार्थना कीजिए आत्मा की शुध्दता के लिए यह आवश्यक हैं। प्रार्थना धर्म की सबसे प्राचीन और सरल सुलभ अभिव्यक्ति है यह मानसिक तौर पर काम करती है। प्रार्थना करने से व्यक्ति को अपनी समस्याओं से निज़ात पाने की क्षमता में विश्वास बढ़ने लगता है। प्रार्थना सफल हो इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पवित्र जीवन जिए।

खुशी की जाँच खून से या स्कैनिंग तकनीक से नहीं हो सकती है क्योंकि खुशी व्यक्त करने के लक्षण हँसने मुस्कुराने से व्यक्त होते है। मनोवैज्ञानिक पीटकोहेन ने हजारों लोगों के साक्षात्कार के बाद फार्मूला निकाला है –

Happiness = P + (5xE) +(3xH)

P) Personal Characteristies व्यक्तिगत विषेषताएं

E) Existence सेहत

H- Higher Order Need महत्वाकांक्षा और आत्म विश्वास

पाँच गुना सेहत (E) में तीन गुना आत्म विश्वास (H) मिलाओ और व्यक्तिगत विशेषताएओं (P) से जोड़ दो खुशी(Happiness) तैयार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1) Devid Myers: (2007) Scholarpedia, 2(8) 3149
2) Seligmen, Martin,E.P.(2000) Positive Psychology: An Introduction, American Psychologist 55(1) 5-14.
3) Seligmen, Martin,E.P.(2002) Aurthentic Happiness using the New Positive Psychology to realize ypur Potential for Lasting Fullfilment, New York, Siman and Schuster.pxi.

****

भारत एक सनातन सांस्कृतिक राष्ट्र

डॉ. नितिन सहारिया * डॉ. सुरेश कुमार विमल * *

प्रस्तावना – आधुनिक युग में राष्ट्रभाव अथवा राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद एक विश्वव्यापी अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्रभावी अवधारणा है। यह मानवता के विकास में बाधक नहीं बल्कि उसकी पोषक तत्व है। राष्ट्र, व्यापी और मानव जाति के बीच एक अनिवार्य शर्त है। यह विश्व के विभिन्न कालखण्डों में प्रेरक,प्रभावी तथा प्रखर तत्व रहा है। इसकी अवधारणा भारत में ऋग्वेद से भी प्राचीन तथा पाश्चात्य जगत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध अथवा 19वीं शताब्दी के प्रथम के दो दशकों में मानी जाती हे। इसका विकास अथवा निर्माण विभिन्न देशों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। इसके विकास के स्वरूप में एक सा होना ढूंढना अविवेकपूर्ण, अतार्किक तथा भ्रामक होगा। स्वाभाविक है कि राष्ट्रभाव या राष्ट्रवाद के स्वरूप, प्रकृति, अवधारणा तथा इसके निर्माण के आधारभूत तत्वों में भी एकरूपता नहीं रही है।

सामान्य अर्थ में देश एक भौगोलिक इकाई, राज्य एक राजनीतिक रचना तथा राष्ट्र एक भावात्मक अभिव्यक्ति है। राष्ट्र मानव, की उन पवित्र भावनाओं का प्रतीक है, इसमें वह अतीत से जुड़ा रहता है, वर्तमान में वास करता है तथा भविष्य की आकांक्षा तथा कल्पना संजोता है। इसमें उसके अतीत के महान पुरुषों वर्तमान के व्यक्तिगत सम्बन्धित पूर्वजों तथा आगामी आने वाली पीढ़ियाँ सम्मिलित हैं। अत: राष्ट्रवाद भावात्मक रागात्मक तथा समर्पण भाव का एक अटूट सम्बन्ध है। कालान्तर में पाश्चात्य जगत ने भी आंशिक रूप से इसे स्वीकार किया है।

राष्ट्रवाद की विकास में भ्रामक धारणा –पाश्चात्य विचारकों ने इस भ्रामक तथा निर्मूल धारणा को बल दिया कि राष्ट्रवाद मूलत: एक यूरोपीय विचार है, कुछ ने आगे बढ़कर यह भी भ्रम फैलाया कि इंग्लैंड की देन है तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन तथा विश्व के प्रभावों के फलस्वरूप हुआ। अंग्रेजों ने भारत राष्ट्र के सन्दर्भ में भ्रांतियाँ फैलाई, किसी ने कहा भारत में दस राष्ट्र हैं, दूसरे ने कहा भारत में 20 राष्ट्र हैं। कुछ विद्वानों ने भारत एक उप–महाद्वीप या महाद्वीप है। सीधे ब्रिटिश शासन स्थापित होने पर कहा भारत एक राष्ट्र नहीं है। आगे कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित हो कुछ भारतीय विद्वानों ने भी कहना प्रारम्भ किया कि भारत कभी राष्ट्र न था और अंग्रेजों ने भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न किया। इस श्रेष्ठ विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में राष्ट्रवाद अभी 'भ्रूण अवस्था' में था। कुछ विद्वानों ने भारत में राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज्य की उपज में मानते हैं। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विद्वान ए.आर.देसाई का मत है, कि – 'भारतीय राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचार है, इसका प्रारम्भ ब्रिटिश काल में अनेक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं की व्यक्तिगत तथा निष्पक्ष शक्तियों द्वारा हुआ, जो भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन की अवस्था तथा विश्व की शक्तियों के कारण विकसित हुई।'

परन्तु अधिकतर भारतीय विद्वान उपरोक्त मत से जरा भी सहमत नहीं है। सर तेग बहादुर सत्र ने 1940 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीयता निश्चित रूप से यूरोप की इस प्रादेशिक राष्ट्रीयता से भिन्न है जो 100 वर्ष पूर्व की है। यहाँ तक कि विश्व विख्यात मार्क्सवादी चिंतक डॉ.रामविलास शर्मा भारत को विश्व का प्राचीन राष्ट्र मानते हैं, उनका कथन है कि– 'जिस देश में ऋग्वेद की सात नदियाँ बहती हैं, वह लगभग वही देश हैं जिसमें जल प्रलय के बाद भारत जन के विस्थापित होने के बाद, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। यह देश ऋग्वेद और हड़प्पा के काल का, उससे भी पुराना संसार का सबसे पुराना राष्ट्र था।'

भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र – निश्चित ही भारतीय राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का विचार तथा विकास अत्यन्त प्राचीन है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि यह विश्व के प्राचीनतम राष्ट्रों–चीन, भारतवर्ष, अरब व पारस में से है। विश्व का पहला ग्रन्थ ऋग्वेद यहीं लिखा गया, जो इसकी रचना से पूर्व हजारों वर्षों तक ऋषियों मनीशियों द्वारा कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा। अत: इस राष्ट्र चिंतन का प्रादुर्भाव भारत के ऋषियों द्वारा हुआ।

अर्थववेद के एक मंत्र (19, 41) में राष्ट्र के जन्म का इतिहास दिया है। इसमें कहा गया है कि ऋषियोंने सबके कल्याण की इच्छा की। उन्होंने कठोर पारिश्रम में आत्मज्ञान तप और दीक्षा से कहा गया कि 'ततो राष्ट्रं बलम् औत्रम् जातं' – राष्ट्र बल और ओज का जन्म हुआ। दिव्य लोग इस (राष्ट्र) की उपासना करें।उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य तथा अन्य ग्रन्थों में अंग्रेजी शब्द नेशन या लेटिन शब्द 'नेटिव' से हजारों साल पहले भारत में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यह वह काल था जब न ईसा मसीह का जन्म हुआ था, न इस्लाम का उदय और न मार्क्स चिंतन का कहीं अता–पता था।

प्राय: ईसाई अपने रीलिजन या इस्लाम जगत में 'मत्रहण' के पूर्व के काल को अन्धकारमय बतलाते हैं। इतना ही नहीं, एक हजार ईस्वी तक अनेक यूरोपीय राष्ट्रों का जन्म भी न हुआ था। न यूनानी सभ्यता का जन्म हुआ और न रोम नगर का निर्माण हुआ। इंग्लैंड सरीखा देश भी यूरोप के अन्य देशों की भांति पिछड़ा हुआ था। एक आधुनिकतम खोज के अनुसार वहाँ का शाही परिवार के लोग 18वीं शताब्दी तक मानव के मांस को खाते थे।

इसके साथ यह भी गंभीर विचारणीय विषय है कि भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भाव का उदय किसी युद्ध संविधान,राजा या सरकार के राज्यादेश से नहीं हुआ। सामान्यत: पाश्चात्य जगत में राष्ट्रीय अस्मि या पहचान को दूसरों देशों के साथ युद्धों ने बड़ा बल दिया है। इसने राजनीतिक, आर्थिक, वंशीय, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार भी प्रदान किया। हनारेंगटोन ने यह माना है कि युद्ध राज्य बनाते हैं तथा राष्ट्रों का निर्माण होता है। माइकेल होवर्ड का भी कथन है कि– 'कोई भी राष्ट्र सही अर्थो में बिना युद्ध के राष्ट्र के रूप में जन्म नहीं ले सकता' कोई भी स्वाभिमानी समुदाय विश्व में एक नवीन तथा स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में बिना सशस्त्र संघर्ष या चुनौती के स्थापित नहीं हो सकता।'

पाश्चात्य जगत में इंग्लैंड अपने को आधुनिक राष्ट्रवाद का मूल प्रारम्भकर्ता मानता है। ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण युद्धों तथा नेपोलियन के साथ संघर्षो से हुआ। बार–बार इन संघर्षों ने फ्रांस के विरूद्ध इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा वेलस को परस्पर जोड़ दिया। इन संघर्षों तथा युद्धों ने विश्व की प्रसिद्ध कैथोलिक शान्ति के विरूद्ध प्रोटेस्टेण्टों को बढ़ाया औद्योगिक क्रांति ने व्यापारिक तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा दिया। कुछ विद्वानों ने इसे 1815 के वियेना के समझौते का जन्म बतलाया जिसने व्यापारिक प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया।

* अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, अनूपपुर (म.प्र.) ** अतिथि विद्वान,शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, बैतूल (म.प्र.) भारत

इंग्लैंड के पश्चात फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तथा डेनमार्क में इसका विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन के युद्धों ने समूचे युरोप अर्थात मध्य तथा पूर्वी यूरोप में भी चेतना जगाई। जर्मनी तथा इटली का एकीकरण तथा रूस में भी राष्ट्रीयता की नवभावना जागी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के बूढ़े भावी आटोमन तुर्की साम्राज्य में भी कुछ चेतना आई। एशिया तथा अफ्रीका के अधिकतर देशों में यह राष्ट्रीयता की भावना प्रथम महायुद्ध के बाद आई।

इसके विपरीत भारत विश्व का पुरातन तथा सनातन राष्ट्र है। इसका जन्म तथा निर्माण ऋग्वेद से हजारों वर्षों पूर्व मनीशियों के चिंतन तथा तप से हुआ। इसका निर्माण अचानक किसी राजनीतिक घटना से या युद्ध से नहीं हुआ। बल्कि इसका शनै:-शनै: विकास हुआ। 'इसका प्राणतत्व ऋग्वेद और उससे पूर्व से चली आ रही जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दर्शन आधारित विकासमान संस्कृति है। इस संस्कृति में समूची मानवता के प्रति लोकमंगल की दृष्टि है।'

भारत राष्ट्र के मूल भूत तत्व – भारतीय राष्ट्र चिंतन में दो तत्वों को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। प्रथम निश्चित समान भूमि तथा दूसरे समान जीवन के सांस्कृतिक मूल्य पहले को भारत तथा इस भूमि के साथ यहाँ के लोगों का अटूट सम्बन्ध बतलाया है तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को विकसित तथा अस्मरणीय काल से बताया है। अत: राष्ट्र का आधार भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकता है। यह एक समान भूमि को दर्शाता है। जहाँ लोग रहे थे जिनमें सांस्कृतिक एकता तथा परम्परायें थीं। निष्कर्ष रूप से राष्ट्र किसी समझौते या सहमति का परिणाम नहीं है। बल्कि यह स्वनिर्मित है इसका शरीर भूमि तथा इसकी आत्मा संस्कृति है, इस दोनों तत्वों का संक्षेप में जानना आवश्यक होगा।

मातृभूमि के प्रति अटूट भाव – नि: संदेह वैदिक साहित्य विश्व के इतिहास में मानव की अमूल्य धरोहर है, जिसमें मानव जीवन के आदर्शो जीवन मूल्यों तथा जीवन प्रणाली का आदर्श प्रस्तुत किया है। वैदिक साहित्य में सामान्य चार वेद एवं ब्राम्हण, आरण्यक, उपनिषेद वेदांग, षष्ठदर्शन तथा उपवेद आते हैं, वैदिक साहित्य के विभिन्न मन्त्रों में राष्ट्र का वर्णन है। विश्व में 'राष्ट्र' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। आदर्श राष्ट्र जीवन की संकल्पना में व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन का बोध तथा आदर्श गुणों का वर्णन है। राजा हो अथवा प्रजा सभी से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूर्ति का आहवान है न कि अधिकारों के अहंकार की अभिव्यक्ति का।

ऋग्वेद के मन्त्रों में आदर्श मानव समाज रचना का वर्णन है इसमें 'गण' तथा इससे मिलकर 'जन' तथा विशेषकर पांच जनों का वर्णन है। इसका आधार समाजोन्मुख परिवार को बताया गया। इसमें सप्तसिंधु तथा पंचजन बार-बार आते हैं। यहां धरती को माता तथा आकाश को पिता कहा गया है। ऋग्वेद से एक सुनिश्चित भू-प्रदेश, एक विराट जनसमूह तथा विशिष्ट सांस्कृतिक जीवन से ओत-प्रोत संस्कृति का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के अंतिम 191वें मन्त्र में समूचे राष्ट्र हेतु संगठन मंत्र दिया है। इसमें कहा गया है –

संगच्छध्वं संवदध्वं, संवोमनांसि जानताम्
देवाभागं यथा पूर्वे सञजानाना उपासते।

अर्थात पग से पग (कदम से कदम) मिलाकर चलो, स्वर मे स्वर मिलाकर बोलो, तुम्हारे मंत्रों में समान बोध है। पूर्व काल में जैसे देवों ने अपना भाग प्राप्त किया सम्मिलित बुद्धि से कार्य करने वाले उसी प्रकार अपना अभीष्ट प्राप्त करते हैं। और इसी मंत्र में आगे कहा है-

समानों मंत्र: समिति: समानी, समानं मन: सहचितमेशाम्।
समानं मंत्रमभिमंत्रए व:, समानेन वो हविषा जुहोमि।

अर्थात इन (मिलाकर कार्य करने वालों का मन्त्र समान होता है। अर्थात ये परस्पर मंत्रणा करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं। इनकी सभा एक होती है, चित सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलाकर समान निष्कर्ष पर पहुंचाने की प्रेरणा (या परामर्श) देता हूँ, तुम्हें समान भोज्य प्रदान करता हूँ। इस मन्त्र के अंत में कहा है –

समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:
समानमस्तु वो मनो, यथा व: सुसहासति।

अर्थात तुम्हारी भावना या संकल्प समान हो, तुम्हारा हृदय समान हो। तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम लोग परस्पर सत्कर्म कर सको।

संक्षेप में ऋग्वेद में एक ऐसे सशक्त राष्ट्र की कल्पना की गई है जहां केवल कुछ गिने चुने तत्वों में ही एकरूपता तथा समानता न हो बल्कि राष्ट्र के सदस्यों के मन, चित, हृदय, सभी समान विचारों से ओत प्रोत हों तथा समाज जीवन में सभी एक दूसरे के सहायक तथा सहयोगी हों।

यजुर्वेद में राष्ट्र यश की चर्चा है। राष्ट्र की उन्नति के लिए ब्रह्मवर्चस से युक्त ब्राह्मण, पराक्रमी राजपुरूष, कार्य पुरुष तथा शीलवती महिला तथा वीर सन्तान की कामना की गई है। आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए ज्ञानबल तथा शरीर की आवश्यकता बतलाई है। शासक को राक्षस वृत्तियों तथा शत्रुओं का संहार करने को कहा है। शासक को पूजा की 'पीठ का आधार' तथा विद्धानों का आश्रय बतलाया है। उसे मंगल कार्यों से युक्त होकर, सिंहासन पर बैठकर न्यायपूर्वक कार्य करने को कहा गया है। सामवेद में भी राष्ट्रनायक अथवा शासक या सेनापति के कर्तव्यों का बार-बार बोध कराया है।

अथर्ववेद राष्ट्रोत्थान की सर्वोत्तम कृति है। मातृभूमि के प्रति इतनी प्रगाढ़ भक्ति की अभिव्यक्ति विश्व के किसी भी अन्य ग्रन्थ में दुर्लभ है। इसका एक पूरा अध्याय (12वां उपसर्ग) के प्रथम 63 मंत्र तो राष्ट्र भावना को पूर्ण समर्पित है। इसे पृथ्वी सूक्त अथवा भूमि सूक्त भी कहा गया है, प्रत्येक मंत्र राष्ट्र वन्दना का मधुरतम संगीत है।

वेदों में राजा को पृथ्वी या राष्ट्र का शासक या पालक नहीं कहा गया है और न ही वर्तमान काल की तरह कुछ देशों में प्रयुक्त संज्ञा – राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता, राष्ट्र संस्थापक आदि कहा गया है। अपितु उसकी सबसे सम्मानजनक उपाधि 'राष्ट्रपुत्र' या राष्ट्र सेवक दी गई है। अथर्ववेद में पृथ्वीमाता या मातृभूमि अथवा राष्ट्रमाता के प्रति कर्तव्यों का विश्लेषण बार-बार किया है। पृथ्वीसूक्त के प्रथम मन्त्र में ही सत्यनिष्ठा परम सत्य व्यवस्था, तेत्रगुवा दसता तप और साधना, ब्रह्मज्ञान तथा याज्ञिक व्यवहार, पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व बतलाये गये हैं। 12वें मंत्र में राष्ट्रजनों ने पृथ्वी से अपना नाता माँ-पुत्र का बतलाया है, 'माता भूमिपुत्रोऽहं पृथिव्या' कहा है। इससे पहले 10वें मंत्र 28 में 'सा न: माता भूमि' अर्थात वह भूमि हमारी माता है कहा गया है।

अथर्ववेद में भारत की विविध भाषाओं और बोलियों वाले मनुष्यों के बारे में कहा गया है- 'जिस भूमि पर विविध भाषाओं और बोलियों में मनुष्य गाते हैं और नाचते हैं, जिस पर शूरवीर हूंकारों के साथ युद्ध करते हैं (जिस पर युद्ध की दुन्दुभी बजती है वह भूमि हमारे शत्रुओं को दूर भगा दे और हमें शत्रु रहित कर दे।'

अत: वेदों में उद्धत अनेक पवित्र मंत्रों के आधार पर राष्ट्रमाता के स्वरूप पर वैषिश्ट्य को समझा जा सकता है। विद्धानों ने अथर्ववेद के 63 मंत्रों को वेदों का राष्ट्रीय गीत कहा है। भारतीयों के लिए पृथ्वी केवल भूमि का निर्जीव टुकड़ा नहीं है बल्कि श्रेष्ठतम जननी है।

वैदिक साहित्य की भांति अन्य ग्रन्थों में मातृभूमि का यशोगान किया गया है। बाल्मीकि रामायण में मातृभूमि की तुलना स्वर्ग से करते हुए इसे महान बताया गया है तथा कहा गया है कि- 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी।'

महाभारत में युधिश्ठिर भीष्म पितामह से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के लिए क्या उपयोगी है। इसके उत्तर में कहा गया कि युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राष्ट्र में ऐसा निश्चय आ जाता है कि इसके संरक्षण तथा देश की रक्षा करता रहूँगा, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अत: राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना गया है।

राष्ट्ररक्षा समं पुण्यं, राष्ट्ररक्षा समं व्रतम्।
राष्ट्ररक्षा समं याज्ञो, दृश्टो नैव च नैव च।।

मनुस्मृति में देश की भूमि को देवनिर्मित कहा गया है। विष्णु पुराण में इस भूमि की प्रशंसा की गई है तथा इसे विभिन्न देशों में सर्वोत्तम बतलाया है। वस्तुत: उपरोक्तपुराण का एक सम्पूर्ण अध्याय इससे जुड़ा है। एक मंत्र में इसके क्षेत्र तथा विस्तार में कहा गया कि– 'भूमि जो समुद्रों के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में हैं भारत कहलाती है तथा इस देश के लोगों को भारतीय कहा जाता है। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि किसी प्रकार की प्रतिष्ठा, ज्ञान, जीवन के सुखो, यहाँ तक कि स्वर्ग या मोक्ष का इच्छुक नहीं हूँ परन्तु मेरी मनोकामना है कि मेरा पुनर्जन्म भारत मे हो, चाहे किसी एक मानव या एक जानवर या एक पक्षी या एक कीट पतंग या एक पत्थर के रूप में ही क्यों न हो।'

उत्तरम् यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम्।
वर्श तादारतं नाम भारतं यत्र संतति:।।

संक्षेप में अतीत से हिन्दू समाज का सदैव मातृभूमि के प्रति अटूट लगाव तथा प्रेम रहा। भूमि के प्रति अगाध श्रद्धा तथा प्रेम व्यक्त करने के लिए भारत में तीर्थयात्रा की परम्परा को बड़ा महत्व दिया गया है इन तीर्थो की यात्रा से आसेतु हिमालय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महाभारत के वन पर्व में नारद तथा धौम्य ऋषि द्वारा तीर्थो की विस्तृत सूची दी गई है। गरूण पुराण में 66वें अध्याय में तीर्थ स्थलों की सूची दी है। तांत्रिक चूड़ामण में 52 शक्ति पीठो का वर्णन है इसी भांति देवी भागवत में 108 तीर्थो की सूची दी गई है। जगतगुरू शंकराचार्य के चार मठ भारत भूमि की चार दिशाओं में हैं। महाकुम्भों के पर्व उज्जैन, हरिद्धार ,प्रयाग तथा नासिक में होते हैं। आज भी प्रत्येक हिन्दू भारत भूमि की पवित्र नदियों का स्मरण करता है तथा उसकी इच्छा रहती है कि कम से कम जीवन में एक बार प्रत्येक नदी में स्नान करें। इस सन्दर्भ में पवित्र मंत्र है।

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरू।।

प्राय: सभी धार्मिक रीतिरिवाज भूमि पूजन से प्रारम्भ होते हैं किसी भी संकल्प के समय सम्पूर्ण भारत में 'जम्बूद्धीपे भरतवर्शे भरत खण्ड' आदि कहकर मातृभूमि का स्मरण किया जाता है।

संक्षेप में अतीत से वर्तमान तक भारत भूमि के प्रति अटूट समर्पण भाव भारत के ऋषियों मनीशियों,चिंतकों,विचारकों, दार्शनिकों, भक्तों के विस्तृत अध्ययन, अनुभवों, विचार विनियमों, वार्ताओं तथा अनुभूतिओं का विकसित रूप है। वर्तमान काल में स्वामी विवेकानन्द, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय महर्षि अरविन्द तथा गुरू श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरूजी ने मातृभूमि के प्रति अनन्य भाव दशति हुए भारतीयों के मन की बात कही है। स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट कहा कि –'पृथ्वी पर भी कोई भी भूमि है जिसे पुण्यभूमि कहा गया है जो किसी भी आत्मा को ईश्वर की ओर प्रवृत्त करती है वह भारत है।' उन्होंने भारत भूमि के प्रत्येक धूलिकण को अत्यधिक पवित्र माना है। 'वन्देमातरम' को राष्ट्रीय मंत्र के रूप में प्रकट किया।

महर्षि अरविन्द ने राष्ट्रीयता एवं मातृभूमि के प्रति सामंजस्य की भावना व्यक्त करते हुए 'राष्ट्र क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है? यह कोई भूमि का टुकड़ा, भाषा का अलंकार या मन की कहानी नहीं है। जैसी भवानी महिषासुर मर्दिनी का प्रादुर्भाव करोड़ों देवी देवताओं की शक्ति के मिलने से हुआ था, उसी तरह भारत माता एक शक्ति है जो करोड़ों देशवासियों से मिलकर बनी है जिसको हम भारतवर्ष या भवानी भारती कहते हैं। यह भारत के समस्त लोगों की जीवनी है।' राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा सूत्र मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, त्याग को बतलाया है। उन्होने इसे मातृभूमि के प्रति दिव्य भावनाऐं बतलाया। साथ ही मातृभूमि के प्रति उसकी सुरक्षा तथा सम्मान के लिए सदैव त्याग की तैयारियों की बात की है।

समान सांस्कृतिक जीवन मूल्य – भारतीय राष्ट्रवाद का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व समान सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को माना है इसमें जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं, धर्म, आध्यात्म, अर्थ, राजनीति,भाषा व साहित्य, सभी का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया है।

धर्म जीवन के सांस्कृतिक मूल्य में सर्वप्रथम भारत राष्ट्र का वैशिष्य धर्म एवं आध्यात्म है, जीवन मूल्यों में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। 'धारयते इति धर्म:' अत: जिससे समाज की धारणा होती है वह धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य है।

सभी सम्प्रदायों के प्रति सर्वपंथ सम भाव का विचार ऋग्वेद में मूल रूप से है जहाँ एकम सद विप्रा बहुदा वदन्ती अर्थात सत्य एक है जिसे विद्धान अलग–अलग ढंग से व्यक्त करते हैं।यह सर्वदा सकारात्मक , जनहितकारी तथा मानवता का रक्षक होता है धर्म के दो अर्थ है व्यक्तित्व का विकास तथा सामाजिक ब्यवस्था का निर्माण। धर्म का उद्देश्य –'यतोऽभ्युदय नि: श्रेयससिद्धि: स धर्म:' बतलाया गया है अर्थात इससे इस जीवन में पूर्ण सुख और परलोक में शांति मिलती है धर्म ने राष्ट्रवाद तथा देश की एकात्मता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। धर्म व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र जीवन को एक करने की कड़ी है।

स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक तथा महर्षि अरविन्द ने धर्म को राष्ट्रीयता की भावना का सर्वोच्चतम तथा उच्चतम बतलाया है। स्वामी विवेकानन्द ने भारत की राष्ट्रीय आत्मा धर्म को बतलाया है। लोकमान्य तिलक ने भी धर्म को उच्च स्थान दिया और राष्ट्र का ईश्वर के साथ एकात्म सम्बन्ध स्थापित किया। उनका कथन है कि ईश्वर तथा हमारा देश एक दूसरे से भिन्न नहीं है। महर्षि अरविन्द ने अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा के भाषण में व्याख्या करते हुए बोला' राष्ट्रीयता, राजनीति नहीं बल्कि एक धर्म है एक विश्वास है, एक निष्ठा है, सनातन धर्म ही मेरे लिए राष्ट्रीयता है।'

सनातन धर्म–भारत वर्ष की संसार को एक महानतम देन है जिसका दृष्टिकोण विश्वव्यापी है। इस धर्म का ना आदि है और ना ही अंत है, अत: इसे सनातन धर्म कहा गया है। इस दृष्टि से, राष्ट्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण पाश्चात्य दृष्टिकोण से भिन्न है।

सनातन धर्म आत्मा–धर्म है और इसीलिए यह विश्वधर्म है। यह अनेक सम्प्रदायों की माता है। सनातन धर्म यह पाठ सिखाता है कि – असत्य से सत्य, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर। समस्त आधुनिक सैकुलर विचारक आदमी में जानवर के बीज रूप देखता है जबकि सनातन धर्म जानवरों में ईश्वर, उसकी शक्ति तथा देवताओं की उपस्थिति देखता है, यह[1] जानवरों के प्रति सद् व्यवहार सिखाता है, यह जीवन दया सिखाता है।

श्री अरविन्द ने सनातन धर्म को मानवीय कल्याण का निर्माता कहा है। वह सनातन धर्म को भारत की आत्मा व राष्ट्रवाद(हिन्दुत्व) शब्द से संबोधित करते हैं। मदनमोहन मालवीय सनातन धर्म को विश्व की सर्वप्रिय वस्तु मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वासुदेव राव अग्रवाल इसका वैशिष्टय, मानव का चहुमुखी विकास बतलाते हैं। डॉ. रमाकान्त अंगिरस ने इसे जीवन के प्रति विशाल दृष्टि बतलाया है जो न किसी सम्प्रदाय से जुड़ी है और न ही किसी व्यक्ति से, बल्कि मानवता के कल्याण से जुड़ी है। प्रसिद्ध चिंतक सीताराम गोयल ने सनातन धर्म को 'यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्ड' पर आधारित बीज रूप है।

इसके स्वरूप को 'शाश्वत जीवन मूल्य', शाश्वत विश्व शाश्वत परम्परा, विश्व चेतना सर्व धर्म, आदि शब्दावली मे विद्धानों ने बतलाया है। संक्षेप में इसमें जीवन के चारों पुरूषार्थ–धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के सभी पहलुओं को विद्यमान बतलाया है। सनातन धर्म हिन्दू समाज का आध्यात्मिक वेद हैं यह दर्शाता है कि मानव आत्मा में 'सत्यं शिवम् सुन्दरम' एवं एक आध्यात्मिक प्रेरणा है जो मानव में प्रत्येक क्षण रहती है।

यह भारतीय जीवन का दार्शनिक विवेचन तथा विश्लेषण, 'कर्म का सिद्धांत', 'पुनर्जन्म का सिद्धांत', आत्मा की अमरता तथा धर्म के बारे में पूर्ण स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता की ही उपज है। वस्तुत: यह मानवीय सम्बन्धों, मानवता के अस्तित्व तथा राष्ट्रीय एकत्व का साधन है। स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिकता को भारतीय जीवन रक्त माना है।

अथर्ववेद के अनुसार भारतीय राष्ट्र, संतों, ऋषियों तथा विद्वानों की देन है, वैदिक अथवा अन्य संस्कृत साहित्य जीवन के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर प्रकाष डालते हैं। संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है जो अतुल आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का भण्डार है।

परन्तु संस्कृति की प्रगति पहला अवरोधक प्रयत्न ईस्ट इंडिया कम्पनी के कानूनी सदस्य लार्डमैकाले ने 1835 ई0 में अपनी शरारत पूर्ण शिक्षा टिप्पणी के द्वारा किया

ब्रिटिश सरकार के सतत अवरोधों के पश्चात इसे भारत के अतीत के गौरव तथा सांस्कृतिक ज्ञान भण्डार के रूप में देखा गया। विश्व के अनेक विद्वानों ने इसके अतुलनीय साहित्य, बौद्धिक समृद्धि तक विश्वव्यापी दृष्टिकोण को सराहा है। कुछ विश्व के विद्वानों ने प्रोफेसर बोध, ड्यू ब्योस, विलियम वान हम्वोल्ट, प्रो. मेकडोनल, बिल ड्यूरेंट ने भारतीय संस्कृति तथा इसमे निहित ज्ञान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। मैक्समूलर ने इसे विश्व की महानतम भाषा, बिल ड्यूरेंट ने इसे सभी यूरोपीयन भाषाओं की माता, सर विलियम जोन्स ने इसे ग्रीक से ज्यादा पूर्ण, लैटिन से ज्यादा प्रचुर तथा दोनों में उत्कृष्ट बतलाया।

यजुर्वेद तथा ईशोपनिषद् में भारत के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों आर्थिक चिन्तन को सामाजिक आधार दिया है।

ईषा वास्यमिंद सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यस्क्तेन भुंजीयाद्ध मा गृध: कास्य स्विद्धनम्।।

विद्वानों ने इस मंत्र की विस्तृत व्याख्या की है। सार रूप में इसमें त्याग मूलक उपयोग की बात की गई। इस छोटे से मंत्र में जो सत्य समाया है। वह प्रत्येक मनुष्य की इहलौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की ऊँची से ऊँची आकांक्षाओं को तृप्त कर सकता है।

मनुस्मृति में धर्म, अर्थ, काम को व्यवस्थित रखने के लिए सन्तुलित मार्ग अपनाने का सुझाव दिया है। वहीं योग दर्शन में दस यम-नियम में प्राप्त को संग्रह के लिए निषेध किया है। ऋग्वेद में विराट पुरूष के मंत्र में प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन समष्टि के ही एक रूप मे लिया है।

कौटिल्य ने चार प्रसिद्ध विद्याओं में अर्थशास्त्र को भी एक माना है उसने लिखा है।

आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिष्चेति विद्या।
वार्ताषास्त्र के बारे में षंकराचार्य ने लिखा।
कुसीदकृषि वाणिज्यं गोरक्षा वार्तायोच्यते।

उनके अनुसार कर, कृषि, व्यापार तथा गऊ (जानवरों) की रक्षा वार्ता के भाग थे।

राजनीतिक दृष्टि- भारतीय चिंतन में यह विचार महत्व का है कि भारत में प्रगति का पथ, राष्ट्रीय एकात्मकता का बोध या राष्ट्रवाद की भावना का आधार कभी भी राजनीति तत्व नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना रही। गांधी जी का कथन है कि - 'राजनीति धर्म की अनुचही है। धर्मविहीन राजनीति तो फांसी ही समझी जाए क्योंकि उसकी आत्मा मर जाती है।'

ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में भारत ने सदैव धर्म को महत्व दिया है। भारत में राजनीति अथवा राष्ट्रनीति का आधार भी राजसत्ता नहीं रहा। राजनीति को जीवन के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेने का अधिकार भारत में कभी भी किसी को भी नहीं दिया। व्यवस्था की धुरी केंद्रीयकरण नहीं, विकेन्द्र विकेंद्रीकरण रहा। प्राचीनकाल में राजनीति की धर्म से प्रमुखता थी। धर्म द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती थी।

न राज्यं नैव राजासीत्
न दण्डो न च दाण्डिक:
धर्मणैव प्रजा: सर्वा:
रक्षन्ति स्म परस्परम्

आधुनिक राष्ट्रीय-राज्य व्यवस्था, औपनिवेशिक राज्य को प्रभावित करने तथा इसे स्वरूप देने के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महत्वपूर्ण ढंग से प्रारम्भ की गई।

उपरोक्त व्यवस्था का पूर्ण समर्थन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के एक मुकदमें में किया तथा कहा कि 'यह भारतीय इतिहास का एक रोचक सत्य है कि भारत एक राष्ट्र था, जो न समान भाषा और न ही एक राजकीय व्यवस्था पर अस्तित्व में था बल्कि शताब्दियों से विकसित समान संस्कृति के कारण था।'

अत: यह सही है कि भारत कभी राजनीतिक इकाई नहीं रहा। परन्तु यह कहना गलत होगा कि भारतीयों ने राजनीति की दृष्टि से एक करने की कोशिश नहीं की।

अश्वमेध यज्ञों का आयोजन इन प्रयत्नों के उदाहरण है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के प्रयत्न निरन्तर होते रहे। इतिहास में समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, पुलकेशिन द्वितीय के प्रयत्न इस प्रकार के थे। कोई भी राजनीतिक, सत्ता,आधुनिक अर्थो में न निरंकुश थी और न ही फासिस्टा वे धर्म या कर्तव्य के नियमों से बंधे थे।

संक्षेप में प्राचीनकाल से वर्तमान तक भारतीय राष्ट्रीयता का यह स्वरूप तथा दृष्टि सदैव बनी रही। भारत के ऋषियों-मनीशियों, सन्तों, भक्तों तथा दृष्टाओं ने इसे निरन्तर तथा अखण्ड बनाये रखा। प्राचीनकाल में वशिष्ट , बाल्मीक, विश्वामित्र, वेदव्यास, गुरूदेव, गौड़पाद, बुद्ध, महावीर,नागार्जुन,शंकर आदि इसके मार्गदर्शक रहे। मध्यकाल में रामनुज, माधव, वल्लभ, रामानन्द, ज्ञानेश्वर, चैतन्य, कबीर, नानक, रविदास विद्यारणय, तुलसी, तुकाराम, रामदास, गुरूगोविन्द ने इसे आगे बढ़ाया। वर्तमान में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द,स्वामी विवेकानन्द, महादेव गोविंद रानाडे, महर्षि अरविन्द, बंकिम, तिलक, कवीन्द्र, रविन्द्र, श्री गुरू गोलवलकर जी, तथा महात्मा गांधी इसी लम्बी श्रंखला के अंग रहे।

परकीयों के आक्रमण होने पर धर्म संस्कृति के मोर्चे के साथ युद्ध स्तर पर भी यशोधर्मा, राजा दाहिर, राजा कुंभा, आनन्द पाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, कृष्ण देव राय, हेमचन्द्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप शिवाजी, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मी बाई, आदि ने संघर्श किया। विदेशियों ने भारतीय राष्ट्रीयता तथा इसके महत्वपूर्ण तत्वों को नष्ट करने का भरसक प्रयत्य किया। उदाहरण- भारत में इस्लामी मजहवी उन्माद, अंग्रेजी राजनैतिक साम्राज्यवाद तथा मार्क्सवादी नकारात्मक राष्ट्रवाद लाने की भी प्रयत्न हुए। परन्तु देश के सांस्कृतिक महान पुरूषों,धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं, क्रांतिकारी, संघकर्ताओं, वीर सैनिकों ने मातृभूमि के प्रति अनन्य भाव तथा निष्ठा तथा सांस्कृतिक जीवन मूल्य के प्रति अगाध श्रद्धा की धारा को अविरल तथा अखण्ड बनाये रखा। वस्तुत: वेदों से वर्तमान तक भारतीय राष्ट्रीयता की सदैव यही मुख्यधारा रही जो न केवल भारत की संजीवनी रही बल्कि जिसने समय-समय पर विश्व का भी मार्गदर्शन किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इन्साईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग 16, पृ.60 भाग 12, पृ.51,होन्स कोहन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म (न्यू यार्क , 1938) पृ . 61 (इन्साईक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल साइंसेस, भाग-12, पृ.231
2. माउन्टस्टुअर्ट एलथिन्सटन,द हिस्ट्री आफ इंडिया(दहिन्दूज एण्ड मोहम्मडन पीरियईस)लन्दन 1905,पृ.186
3. एस0सी0मित्तल, इंडिया डिस्टोरेटेड, ए स्टेडी आफ ब्रिटिस हिस्टोरियन्स आन इंडिया,भाग दो, नई दिल्ली 1961, पृ.163
4. वही, पूर्व उद्धरित ,भाग एक,पृ.83, सर जोन मैलकाम, द पालिटिक्ल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग एक, रिप्रिंट,सम्पादित के0एन0 पत्तिकर, नई दिल्ली, 1970, पृ.248 ।

5. डब्लू.डब्लू. हण्डटर, द ऐनल्स आफ सरल बंगाल भाग एक (तृतीय संस्करण, लन्दन,1868) पृ.377(सर जान स्ट्रची, इंडिया, इट्स एडीमिन्स्ट्रेषन एण्ड प्रोग्रेस(तृतीय संस्करण, लन्दन, 1903) पृ.5.
6. एस.सी.मित्तल, पूर्व उद्धरित, भाग दो, पृ.165, हेनरी कोटन, इंडिया इन ट्राजींसन (लन्दन, 1940)पृ.53।
7. ए.आर.देसाइ, सोशल बैकग्राउंड आफ इंडियन नेशनलिज्म।
8. दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू तक और उसके पश्चात, (1971 संस्करण) पृ.205।
9. रामविलास शर्मा, भारतीय नवजागरण और यूरोप, पृ.87-88।
10. विलियम जोन्स, देखे अक्ष्यक्षीय भाषण, तृतीय वार्षिक अधिवेशन ऐश्याटिक सोसायिटी, 2 फरवरी 1786,ऐश्याटिक रिसर्चेज, भाग एक (संस्करण 1884) पृ. 345।
11. हृदय नारायण दीक्षित, जीवन की मधुमयता है यह राष्ट्र पाञ्चजन्य, 21 जनवरी 2012, पृ.24।
12. वीननी वाल एण्ड वीमपर्यस (लंदन 2011), ब्रिटिशरायल्स ऐट हयूमन फ्लेश, द टाइम्स आफ इंडिया, 22मई 2011।
13. डॉ. मुरली मनोहर जोशी नेशनल आडेनटीज एण्ड श्री गुरूजी देखे, श्याम रनोसला एवं बी.के. कुलीयाल (सम्पादित) हिन्दू नेशनालेज्म, ए कन्टमपेरेरी परसमेक्टिव (चण्डीगढ़ 2009) पृ.21।
14. सी.जे.एच.हैज, नेशनलिज्म, ऐ रीलीजन (न्यूयार्क 1940) पृ.39।
15. ऋग्वेद, 10/191/2, 10/198/3, 10/191/4,
16. यजुर्वेद 5/22, 11/29, 12/17, ।
17. सामवेद 19/49,।
18. अर्थवेद 12/1/1, 12/1/3-4, 12/1/12,12/1/10, 12/1/41, 12/1/56, 12/1/63।
19. अथर्ववेद के विस्तृत अध्ययन के लिए देखे, श्रीतीश्वर वेदालंकार, सातवेलकर अभिनन्दन ग्रन्थ (दिल्ली) पृ.53-71(राधामुकुन्द मुकर्जी, नेशनलिज्म एण्ड हिन्दे कल्चर(पहला संस्करण 1921, संशोधित 1957 दिल्ली) प्रियव्रत वेदवाचस्पति, वेदो का राष्ट्रीय गीत।
20. वाल्मीकि रामायण।
21. महाभारत-शांतिपर्व।
22. मनुस्मृतिः राधामुकुन्द मुकर्जी, पूर्व उद्धरित, पृ.14।
23. विष्णुपुराण।
24. वायुपुराण।
25. एकनाथ रानाडे (संकलन) उतिश्ठत, जाग्रत (कानपुर1963) पृ.3।
26. श्री अरविन्द, स्फीचेज (पांडिचेरी)।
27. श्री गुरू जी समग्रदर्शन, खंड 4 (नागपुर 1974) पृ.166-170(एम.एस. गोलवलकर, बंच ऑफ थोट्स (बंगलूर, 1966) पृ. 88, 91।
28. स्वामी विवेकानंद, द कम्पीलेट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, भाग पांच(कोलकाता,1989)पृ.461।
29. सतीशचन्द्र मित्तल, भारतीय राष्ट्र चिंतको का वैचारिक दर्शन तथा इतिहास दृष्टि, पृ.57-59।
30. श्री अरविन्द, सनातन धर्म, उत्तर पाड़ा स्पीच(पांडीचेरी, 1972) पृ. 14।
31. रामस्वरूप, आन हिंदुज्म रीव्यूज एण्ड रिफ्लेक्शेन्स (नई दिल्ली,2000) पृ.3, 10-11, 83।
32. वासुदेव शरण अग्रवाल, सनातन धर्म एवं उसके उन्नायक (चण्डीगढ़ 1999) पृ.11, 12।
33. डॉ.टी.एम.एस. माधवन, मेआ फिजिक्स इन हिंदुज्म (पटियाला, 1969) पृ. 18।
34. डेविड प्रावेली, हिंदुज्म द इंटरन टेड्रीसन।
35. स्वामी विवेकानंद के विचार उद्धरित, एकनाथ रानाडे, राइजिंग काल टू हिन्दू नेशन(कोलकाता,1963)पृ.5।
36. डॉ. राधू चन्दर शास्त्री, हिन्दुत्व की मौलिक वैदिक परंपरा पान्चजन्य 22 सितम्बर, 1985।
37. वासुसिंह डी कुन्हा, स्पीचुअल वेल्यूज इन ऐवरी डे लाइफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 9 फरवरी 2004।
38. रिपोर्ट आफ द संस्कृत कमीशन आन संस्कृत 1957, अध्याय 4।
39. इन्दू कांटदेर (सम्पादक) भारत शिक्षा परंपरा एवं वर्तमान संदर्भ (लेख सतीशचन्द्र मित्तल, मैकाले की शिक्षा नीति (एक विशेषता) अहमराचड़, 2001 पृ. 19।
40. एन.सी.ई.आर.टी., संस्कृत द बोयेस आफ इंडियाज एण्ड विजड़म (नई दिल्ली 2001) पृ. 1,9।
41. यजुर्वेद 40/1(ईशोपनिषद्)।
42. मोहन दास करमचन्द गांधी, संपूर्ण गांधी वाड़मय, खंड 37, सर्वाजनिक सभा कोट्टयम मे भाषण 30 जनवारी 1937 पृ.322-324।
43. बजरंग लाल गुप्ता, हिन्दू अर्थ चिंतन (नागपुर 5100 युगाब्द)पृ.7(प्राचीन भारतीय अर्थ चिन्तन की प्रासंगिकता,विश्व संवाद केन्द्र पत्रिका 52 वां शताब्दी अंक 1(2) लखनऊ, 1991, पृ. 44।
44. सतीश चन्द्र मित्तल, धर्ममय राजनीति इस देश की परंपरा, पान्चजन्य 16 मार्च 1986।
45. आशीष नन्दी, डिप्रेसिंग प्रोगनोसिस री-डीफायनिंग इंडियन स्टेट,द टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 मई 1995।
46. उद्धरित जस्टिस डॉ.एम.रामा. ज्योस, हिन्दुत्व-कोर ऑफ इवर नेशनलिज्म एण्ड सेकुलरिज्म-फार एक्सीलेन्स
47. उद्धरित (श्याम खोसला व बी.के. कुशियाल (सम्पादित) हिन्दू नेशनलिज्म एण्ड कन्टमपरेरी परसपेक्टिव, पृ.37, देखे निर्णय प्रदीप जैन बना म भारत सरकार ऐ आई पैरा 1984 सुप्रीम कोर्ट 1420, नई दिल्ली।

****

बुद्ध दर्शन और डॉ. अम्बेडकर

डॉ. पुष्पा शाक्या *

प्रस्तावना – इस संसार में हमारा मनुष्य जीवन एक अनजाने देश की यात्रा है जिसकी अवधि को एक यथार्थ ज्ञानी पुरूष कभी भी अधिक लम्बा करना नहीं चाहेगा। बुद्धिवादी नैतिकता हमें आन्तरिक द्वन्द्व में से, जो मानव-जीवन का एक विशिष्ट लक्षण है, उससे निकालने का मार्ग दर्शाती है। नैतिकता जीवन का उद्देश्य इस विस्तृत असाधु जीवन से बच निकलना है।

प्रारंभिक बौद्ध दर्शन बौद्ध मत, बौद्ध विचार धारा में विशेष स्थान रखता है प्राचीन बौद्ध दर्शन एक ऐसे दर्शन की रूप रेखा को प्रस्तुत करता है जो वर्तमान काल की क्रियात्मक मांगों की पूर्ति के लिये सर्वथा अनुकूल है और धार्मिक विश्वास और भौतिक विज्ञान के माध्य में जो विरोध प्रतीत होता है उसमें परस्पर समन्वय स्थापित करने में पूर्णतया सहायक है।

बुद्ध दर्शन में जिस जीवन पद्धति का प्रतिपालन मिलता है वह अत्यंत विषयभोग और आत्म नियंत्रण की पराकाष्ठा दोनों से रहित मध्यम मार्ग है। जो कुछ हम करते है वह हमारे विचार का प्रतिबिम्बित रूप है। दूषित कर्म, दूषित विचारों या विश्वासों का ही परिणाम होते है।

बौद्ध दर्शन आशय की पवित्रता और जीवन में विनय शीलता पर विशेष बल देता है प्रत्येक दर्शन पद्धति एवं नैतिकता निर्दोष होने के लिए आवश्यक है कि उसका प्रत्येक विश्लेषण भी निर्दोष हो। बौद्ध दर्शन मानव के नैतिक व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है और उसमें नैतिक कारण और कार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो अपनी वृद्धि के लिये कार्य कर रहा है यहां तक की आत्मवाद के निषेध में भी उसका एक नैतिक उद्देश्य रहा है।

बुद्ध असहाय, पीड़ित घायल का उपचार करते थे और अपना दर्शन बताते है किन्तु अन्य धर्म मरीज का उपचार करने से पहले यह जरूरी समझते है कि जो कुछ भी भला बुरा उसके द्वारा या उसके साथ किया जा रहा है। वह जाने की संबंधित व्यक्ति की जाति क्या है। इसी सामाजिक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के कारण भारत देश को एशिया का मरीज कहा जाता था जिसका इलाज डॉ. आम्बेडकर ने किया और अस्पृष्यता के चिंतन वचन और व्यवहार को कानून अपराध ठहराया।

बुद्ध केवल मार्गदाता रहे। अच्छे बुरे कर्मो में से सबके लिये अच्छे कर्म करना ही बौद्ध धर्म की पहली शर्त है। ईश्वर या भगवान का पर्याय यहॉ अच्छा कर्म है बुद्ध के धम्म दर्शन में नैतिकता नीव है शरीर, प्रकृति निरंतर बदलती रहती है क्योंकि आंतरिक गुण भी हमेशा बदलते रहते है बुद्ध का मानना था कि करोडों दलितों के लिये मानसिक व नैतिक राहत हिन्दू धर्म नहीं दे सकता सभी धर्म एक जैसे सही है, न एक जैसे गलत है, मानवता की मुक्ति बुद्ध धर्म से ही हो सकती है अखंड समाज के लिये धर्म ऐसा हो जिसका आधार नैतिकता समाजिक जीवन के नैतिक तत्व समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व हो, वैज्ञानिक या बौद्धिक हो दरिद्रता का निर्मुलक हो ऐसा धर्म बौद्ध धर्म के सिवाय और कौन सा होगा ? संसार को और दूसरा पर्याय शेष नहीं है।

बुद्ध का अनित्यता का दर्शन विद्यमान दुखों को सुखों में बदलने का संदेश देता है। उसे समझने, ग्रहण करने और हर समस्या पर लागू करने का दायित्व दर्शन का नहीं बल्कि दार्शिनिक का होता है। और सामाजिक जीवन पर इस दर्शन का प्रयोग कर डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को उपयुक्त और अकाट्य प्रमाणित किया है।

बौद्ध दार्शिनिकों योगाचार के माध्यम से प्रतिपक्ष को मुहंतोड़ प्रतिउत्तर देकर जिस गहराई और वाक्पटुता से पुन: प्रकाशमय किया उसमें डा. अम्बेडकर के सटिक प्रतिसाद को जोडकर देखने से बुद्ध धर्म, दर्शन और भी मुखर हो जाता है डॉ. अम्बेडकर ने बताया निष्काम कर्म योग का अभिप्रया फल की इच्छा न रखकर कार्य करना कतई नहीं है बल्कि वेद परम्परा वाले दो प्रकार या कर्मो में से केवल नित्यकर्म ही उसके निहित है।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के हिमायती थे। वे समाजिक जीवन के क्लेश हटाने और नैतिक मुल्य संसार में प्रतिष्ठित करने की सोच रखते थे डॉ. अम्बेडकर को चलते फिरते बुद्ध की प्रतिमा पसंद थी वे किसी भी तरह के उपदेश से व्यक्ति में जीवन रहने की आकांक्षा बनाये रखना चाहते थे। उनके निर्माण में विद्या ग्रहण आवश्यक है इस बात पर जोर दिया जिसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो।

धर्म और कर्म शब्द, बौद्ध और अबैद्ध, वैचारिकी में समानार्थी नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने धर्म को स्पष्ट किया है। उन्होंने शुभ कर्म जिनका उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना एवं वास्तविक अर्थों में एक धार्मिक जीवन की ओर ले जाते है जिनके लक्ष्य में विश्व कल्याण में भी है। बौद्ध धर्म याथर्थ 8 सुत्रीय आर्य मार्ग है, जो बौद्ध धर्म प्रतिपादित नैतिक जीवन के सारनिहित का दर्शन कराता है बौद्ध धर्म के भारतीय सामाजिक स्वरूप को स्थापित कर डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञा वाला बौद्ध बपतिस्मा आम लोगों के लिये बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित करके माना।

बौद्ध धर्म ग्रहण करने की पूर्व संध्या में डॉ. अम्बेडकर ने प्रेस कान्फ्रेन्स की उसमें बताया 'उनका बौद्ध धर्म वैसा ही होगा जिसका स्वयं बुद्ध ने प्रचार किया और सिद्धांत उन्होंने स्वयं बताया' उन्होंने कहा मैंने इस बात का खास ध्यान रखा कि 'मेरे धर्म परिवर्तन से भारत भूमि के इतिहास और सांस्कृतिक परम्पराओं को कोई हानि न पहुचे' बौद्ध धर्म ही क्रियात्मक रूप में समानता प्रदान करता है यह प्रगति की और ले जाने वाली जीवन पद्धति है, जो सार्वजनिक और विश्व मात्र के लिये है।

बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ मोक्ष नहीं है दर्शन से हमें नैतिकता के प्रेरक भाव प्राप्त होते है। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने मुटठी भर सत्यों की व्याख्या की है किन्तु इसके अतिरिक्त हजारों सत्य ऐसे ही जिनकी संख्या गिनती में नहीं आ सकती' अर्थात आनुभाविक जगम संबंधी सत्यों के अतिरिक्त जिनका प्रकाश उन्होंने किया दूसरे भी सत्य है जिससे ज्ञान की

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्राप्ति के लिये नैतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। बौद्ध दर्शन का यह भाव दार्शनिक दृष्टि से सर्वथा युक्तियुक्त है।

संघ रूपी संस्था एवं इसके अनुशासन संबंधी भाव से बहुत संख्या में जनसाधारण को अपनी और आकृष्ट किया बौद्ध भिक्षुओं ने अपने संस्थापक के समान ही सत्य के प्रचार के लिए सब कुछ त्याग दिया यह उच्च कोटि नैतिकता की शिक्षा बुद्ध ने ही दी। किसी भी अन्य स्वतंत्र नीतिशास्त्र ने सार्वभौमिक उपकार के इससे अधिक पुलकित करने वाले स्वरूप को हमारे सम्मुख आज तक प्रस्तुत नहीं किया। बौद्ध धर्म का दर्शन प्रेम दर्शाता है। जिससे मूक शक्तियों को वाणी मिली।

डॉ. अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के बारे में कहा कि चूकि बौद्ध धर्म विशुद्ध भारतीय सभ्यता में से उपजा है यह विज्ञान की कसौटी पर पुरा उतरता है। समानता, न्याय और प्रज्ञा पर आधारित है इसमें भातृत्व, मानव, प्रेम और अपनत्व है यह भ्रमों के जाल में नहीं फसाता है। इसमें कर्मकांड और पाखंड नहीं है यह पुरोहितों और धार्मिक ग्रंथों की दास्ता में नहीं जकडता है। और न ही स्वर्ग या मुक्ति के प्रलोभन देता है। इसमें जादू टोने के लिये कोई स्थान नहीं है। 'बुद्ध धर्म, आत्मा परमात्मा के चक्रों में नहीं उलझाता है। यह सबको उन्नति के एक जैसे अवसर प्रदान करता है बुद्ध ने अपने धर्म में अपने आप को भी कोई विशेष स्थान या दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल मार्गदर्शक है मुक्तिदाता नहीं।

बौद्ध धर्म को दर्शन के रूप में सफलता मिलने के कारण रूप (त्रिरत्न) है बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध दर्शन में कल्याणकारी वाणी एवं विवेक पूर्ण भाषा के बिना बोलना नहीं जाना। यह दर्शन संसार का ज्योतिस्तम्भ था। सत्य की प्राप्ति श्रृद्धा, दर्शन, दृष्टि और भावना अनुशीलन से ही होती है। बौद्ध दर्शन में नैतिक जीवन सामाजिक होने की अपेक्षा वैयाक्तिक अधिक है। परपंरा एवं प्रमाणिकता पर बल नहीं दिया गया है और बुद्ध 'न तुम अपने लिए अपने आप दीपक बना' का संदेश दिया।

बौद्ध धर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सामाजिक संदेश है। जो जीवन को प्रतिपल हरा भरा और ताजा-तरीन बनाये रखने वाला साधन है।

अस्तु बुद्धं शरणं गच्छामि
धर्मं शरणं गच्छामि
संघ शरणं गच्छामि

प्रतीक्षा करने वालो के लिये रात लम्बी होती है क्लांत पथिक के लिए मार्ग लम्बा होता है जो सत्य के प्रकाश को नहीं देखता उसके लिए बारम्बार जन्म मरण श्रृंखला की पीड़ा बहुत लम्बी होती है। (बौद्ध लोकोक्ति)

धरती के आंगन पर पल दो पल है रात का डेरा,
जुल्म का सीना चीरकर देखो, झाक रहा है नया सवेरा।

डॉ. अम्बेडकर के रूप में एक ऐसा फूल खिला जिसकी खुशबू संसार की चारों दिशाओं में फैली।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे राती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारतीय दर्शन - संपादक डॉ. न.कि. देवराय।
2. भारतीय दर्शन - आचार्य बलदेव उपाध्याय।
3. भारतीय दर्शन-डॉ. राधाकृष्णन अनुवादक नंदकिशोर गोकिल।
4. बौद्ध वैचारिक परम्परा में निर्वाण-डॉ. श्रीमती सुनीता कवीश्वर
5. जीवन और मिशन - एल.आर.बाली
6. डॉ. आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका-संस्थान (महू)

****

Government Initiatives To Promote Indian Small And Medium Enterprises (SME's) In International Market

Dr. Anoop Kumar Vyas * Urvashi Verma **

Abstract - SMEs play a vital role in country's economic development. The current trend of economic growth and the rapid industrial development has made India as one of the most open economies in the world. This paper is focus on the discussion of the competitiveness facing SMEs in the global business environment by examining the opportunities and supports from the Indian government.**Keywords -** Small & Medium Enterprises (SMEs), Government Policies, International Business Environment

Introduction - SME sector of India is considered as the backbone of economy contributing to 45% of the industrial output, 40% of India's exports, employing 60 million people, create 1.3 million jobs every year and produce more than 8000 quality products for the Indian and International market. With approximately 30 million SMEs in India, 12 million people expected to join the workforce in every next 3 years and the sector growing at a rate of 8% per year. SMEs in India today include small scale enterprises, tiny enterprises and SSSBE (Small Scale Service Business Enterprises) and medium-size enterprises. The focus is mainly in the sectors relating to manufacturing such as textile, auto ancillary and engineering industries. The definition used by the Indian authorities is based on the level of investment in plant, machinery or other fixed assets whether held on an ownership, lease or hire purchase basis. In the case of the enterprises engaged in the manufacturing production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as-

1. A small enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;
2. A medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than 5 cr. rupees but does not exceed 10 cr. rupees.

In the case of the enterprise, engaged in providing services, as-

1. A small enterprise, where the investment in equipment is more than 10 lakh rupees but does not exceed 2 cr. rupees
2. A medium enterprise, where the investment in equipment is more than 2 cr. rupees but does not exceed 5 cr. rupees.

Challenges Facing Indian Small and Medium Enterprises (SMEs) In International Business Environment

1. Absence of adequate and timely banking finance,
2. Limited capital and knowledge,
3. Non-availability of modern and suitable technology,
4. Low production capacity, ineffective marketing strategy,
5. Identification of new markets,
6. Constraints on modernisation & expansions,
7. Follow up with various government agencies to resolve problems,
8. Collateral requirements,
9. Procurement of raw materials at a competitive cost,
10. Problems of storage, designing, packaging and product display,
11. Lack of access to global markets;
12. Inadequate infrastructure facilities, including power,water,roads, etc.,
13. Lack of skilled manpower for manufacturing, services,marketing, etc. at affordable cost,
14. Multiplicity of labour laws and complicated procedures associated with compliance of such laws,
15. Absence of a suitable mechanism which enables the quick revival of viable sick enterprises and allows unviable entities to close down speedily,
16. Issues relating to taxation, both direct and indirect, and procedures thereof.

Government Initiatives to Promote Small and Medium Enterprises (SMEs) In International Business Environment - Ministry of Small Scale Industries is primarily responsible for promotion and development of SMEs in India, and has evolved several policies, institutional and support measures, spread all over the country, in order to enable SMEs to meet their changing needs. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has developed various financing schemes. Ministry of Science and Technology (DST, DBT, DSIR) has evolved several measures and programmes for technological assistance and development and transfer of technologies for SMEs.

The Government's policy initiatives like enactment of the new Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, pruning of reserved SSI list, advising FIs to increase their flow of credit to the SME sector, are all initiatives towards boosting entrepreneurship, investment and growth. Here are various schemes run by the Indian Government to boost the SME's in the country to help them become more innovative, efficient and competitive:

1. SME development fund,
2. A specialized stock exchange for SMEs,
3. Encouragement for patenting and ISO Certification,
4. SME venture capital fund,
5. National Commission for Small Industries (informal sectors),
6. SME development bill,
7. Credit Rating Agency,
8. Promoting special venture capital companies and risk financing companies for SMEs,
9. Improve the working of credit guarantee and export promotion institutions,
10. Progressively reduce protection measures and simplify implementation policies and control mechanisms,
11. SME Development Centres at SIDBI and IIFT,
12. Considering liberalizing FDI in SMEs and encouraging their linkages with TNCs and large companies,
13. Promoting industrial growth centres/clusters, EOUs,district industry centres, business incubators and business parks,
14. Market assistance and export promotion,
15. National Small Industries Corporation,
16. Small Industries Development Organization,
17. Limited Liability Partnership Bill 2006.

Besides these schemes, the Government of India also runs an International Cooperation Scheme for Technology infusion and/or upgradation of Indian SMEs, their modernisation and promotion of their exports are the principal objectives of assistance under the International Cooperation Scheme.

The Scheme Would Cover The Following Activities:

1. Deputation of SME business delegations to other countries for exploring new areas of technology infusion/upgradation, facilitating joint ventures, improving market of SMEs products, foreign collaborations, etc.
2. Participation by Indian SMEs in international exhibitions, trade fairs and buyer-seller meets in foreign countries as well as in India, in which

* Professor & HOD (Commerce) S.A.B.V. Govt. Arts & Commerce College, Indore ** Research Scholar, Indore (M.P) INDIA

there is international participation.

3. Holding international conferences and seminars on topics and themes of interest to the SME.

What More Needs To Be Done In Support Of SMEs

- **Need To Relook Business Processes and Strategy And To Innovate -** SME entrepreneurs have to a relook at their business strategies and innovate. To successfully do so, four major aspects need to be kept in mind. Firstly, SME entrepreneurs have to apply the discipline of innovation to identify and develop new business. Entrepreneurs have also to be prepared to face the fact that new inventions or product/service is not always successful in the market for which they were originally designed, but could be successful in a totally different market. Secondly, business should pay attention to cash flows. Entrepreneurs believe that profit is what matters most in a new enterprise. But profit is secondary. Thirdly, when a business grows, it is necessary to create a management team. Lastly, when the business is a success, the entrepreneur needs to ask what the business needs at this stage and concentrating on the right things. As successful entrepreneurs, they have gained experience and wisdom from their mistakes and going forward.
- **Access to Equity Capital -** Most SMEs, particularly the knowledge based enterprises, when starting off, have negative cash flows and no collateral and therefore, find it difficult to access debt capital or bank financing. Venture/ Risk capital is often a more appropriate financing instrument for high-growth-potential and start-up SMEs. Thus, the ability of SMEs (especially those involving innovations and new technologies) to access alternative sources of capital like angel funds/risk capital needs to be enhanced considerably to encourage and develop entrepreneurship. In the Union Budget 2012-13 the Finance Minister has announced to set up a Rs.50 billion India Opportunities Venture Fund with SIDBI to enhance the availability of equity to the SME sector. Based on the recommendations of the PM's Task Force on SMEs, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange have also set up separate dedicated exchange/platform for listing and trading of shares of SMEs, making it easier for them to raise equity capital.
- **Factoring Services -** A study of 5000 SMEs by CRISIL shows that high quantum of receivables is an endemic problem across industry sectors and geographies in the SME space. Smaller SMEs, perhaps due to their lower bargaining power, are in a more disadvantageous position with weaker receivables positions. The CRISIL study estimates that SMEs can enhance profits by at least 15 percent if they receive payments on time from their large corporate customers.It is, therefore, critical to ensure that the small entities are able to raise liquidity against their receivables. This problem can be institutionally tackled by factoring, which provides liquidity to SMEs against their receivables and can be an alternative source of working capital. To provide a legislative framework for factoring services, the Parliament has recently passed the Factoring Regulation Bill that would address delays in payment and liquidity problems of small enterprises.
- **Access to Technology -** SMEs will have to continuously incorporate the latest technology into their production processes as well as in their marketing and management functions, to cut costs, gain efficiency and consistency. What SMEs need today is knowledge and access to new technology. In fact, innovation and technology are the two tools SMEs have with them that need to be capitalized fully to compete with firms much larger in size. SMEs will have to continuously strive to incorporate the latest technology into their production processes as well as in their marketing and management functions, to cut costs, gain efficiency and consistency.
- **Skilled Manpower and Managerial Talent -** Human resource development issues are fundamental in improving SME competitiveness. The Government of India and various State governments have been implementing a number of schemes and programs over the years for skill development. The Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) are also working in this direction. However, given the growing requirements of the SME sector and the huge 'demographic capital' we possess, significant efforts are still needed for skill and entrepreneurship development. In addition to the initiatives taken by Government agencies, the industry has to contribute to building up a large base of appropriately skilled workforce available for employment in SMEs. There should be training programmes by the industry associations to upgrade the skills of the workers and to acquaint them with the skills compatible with the new technology. Investment needs to be made in a big way on skill and entrepreneurship development.
- **Corporate Governance -** Weak corporate governance of small firms, burdened further with poor availability of crucial inputs, has made these firms extremely vulnerable. Good governance practices in SMEs will help them grow or attract additional investors. The absence of good corporate governance practices makes it difficult for them to access finance from banks or investors. Adoption of sound corporate governance by SMEs is indispensable for taking this sector to a higher growth trajectory. There is a need to educate SMEs about benefits of adopting sound corporate governance practices and industry associations have a key role to play in it.
- **Role of SME Associations -** The SME Associations and Chambers of Commerce have an important role to play in stepping up credit to this segment. Asymmetry of information and lack of transparency and reliability of data has been a major concern for organizations dealing with SMEs world over. The Associations need to, therefore, proactively engage themselves in organising workshops and training programmes for their members to enlighten them about cash flow cycles, various financial products, accounting practices, etc. SME Associations and Chambers of Commerce collaborate with banks, NIBM or any other training institute in banking and finance, basic accountancy and information technology for the benefit of SMEs.
- **Separate Umbrella Organization -** The Ministry of MSME, RBI and SIDBI have taken several initiatives in the promotion, financing and development of SMEs in the country, there should be an umbrella organization for overseeing the coordinated development of the SME sector with a view to fully exploit its growth potential. This umbrella organization may focus not only on the availability of funds but also provide all round support including technological support, design output, facilitating raw material supplies, marketing support, etc.

Conclusion - The SME sector is vital for the nation's economic progress and hence, needs to be carefully nurtured and supported. SMEs are the best vehicle for inclusive growth in the country, to create local demand and consumption. Besides supporting employment generation activities, they also act as feeder lines for the MNCs and large corporate of tomorrow. Indian SMEs are also struggling to grow and develop in an increasingly competitive and globalised economy, wherein, they not only face competition from the large domestic industries but also from companies based abroad. India is fast emerging as a preferred destination for global manufacturers and retailers, which means huge opportunities for domestic Small and Medium Enterprises ahead.

References -

1. SMEs in India: Set for Big Role : By- N Janardhan Rao and Amit Singh Sisodiya
2. Business World- Government For The SMEs : 9 March, 2012
3. Government schemes for SMEs: Bhavesh Kothari 2009
4. Managing in the Next Society: Peter F. Drucker
5. SMEs in India: Issues and possibilities in times of Globalization: Keshab Das
6. Report of the PM's Task Force on MSMEs, January 2010 (Chairman: Shri T.K.A.Nair)
7. Paper on Prospects and Challenges of SME's in India, by Bharath.P, Naveen Rajesh, Moras. A.J. Institute of Management (AJIM) Mangalore.
8. Report of the Working Group on Rehabilitation of sick SMEs (Chairman: Dr. K.C. Chakrabarty)
9. www.smechamberofindia.com
10. www.worldbank.org

Abbreviations - 1. DST- Department Of Science And Technology
2. DBT- Department Of Biotechnology
3. DSIR- Department Of Scientific Indutrial Research

A study on Water Users Associations in Samrat Ashok Sagar Project

R. N. Shrivastava*

Abstract - Considering the importance of irrigation management and the water user's participation in increasing water productivity and the development of existing irrigation command area, this study was carried out to assess the present irrigation system and management of water resources by water users associations and finding ways for possible improvement in command area of Samrat Ashok Sagar Projected situated in Vidisha district of Madhya Pradesh.The command area is spread in two districts and managed by 19 Water Users Associations.

Intoduction - Water is an essential resource for overall development of human settlements a densely populated country like India has a large population dependent for their livelihood on agriculture. that canal irrigation system has played a significant role in shaping the rural economy and ruler development over the years.Water is a vital component of nature, which brings life in land; therefore the judicious utilization of water is needed for all types of human advancement. India is a monsoon dependent country for its water resources. Irrigation sector has been fundamental to India's economic development and poverty alleviation, since 25% of India's Gross Domestic Product (GDP) and 65% of employment are based on agriculture (MOWR GOI 2006).

Due to inadequate availability of irrigation water in the reservoir, most of the flow based minor irrigation projects suffer from poor irrigation intensity and cropping intensity. There is a need of proper crop planning especially during dry season taking into account the availability of irrigation water in the reservoir. Higher crop coverage sometimes leads to severe scarcity of irrigation water in the advanced crop growth stages thereby restricting the productivity of the crop significantly lower than the potential. The Water Users Association formed to look after the operation and maintenance of the system and collect water tax from the farmers still have several problems. Therefore, the challenges of water resource management in command areas calls for immediate assessment of their performance to identify the gaps and development of suitable ways and means to bring improvement. Involvement of farmers was initiated by participatory management programs which be should extended to all projects and to all activities.

It is the need of time to study the irrigation management by farmers or water users in the command area and to improve it.

In order to understand Water users Associations proper, development of participatory irrigation management should be reviewed ,which is given below with salient features of the act "***Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishko ki Bhagidari Adhinium 1999".***

- In the year 1984-85, Irrigation Panchayats were constituted under M.P.Irrigation Act,1931 but could not deliver the goods since the functions, duties, powers of Panchayat were not well defined therefore these Panchayats were defunct.
- In the year 1994-95, 65 Farmers Management Committees were formed on pilot basis under Cooperative Society Act but these could not extend their whole hearted interest in Irrigation Management and therefore resulted in defunct.
- In the year 1997 -98, it was decided to create a public support at all levels regarding transfer of power to manage the state Irrigation System to their real beneficiaries i.e. farmers.
- In the year 1998-99, Merits of PIM and success stories of Andhra Pradesh PIM Model and achievements of Maharashtra and Gujarat Irrigation Societies were publicized for awareness amongst farmers and politicians.
- In the year 1999-2000, ¯Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishko ki Bhagidari Adhinium 1999 was enforced by Government of Madhya Pradesh in September 1999. Participatory Irrigation Management Programme was launched in whole state.
- In year 2003, Samrat Ashok Sagar Project was considered under Indo Canada Environmental Facility programme to enhance the capacity building of farmer's organisation with the external support of Non Governmental Organisation (NGOs). Under this programme rehabilitation of existing canal system with active participation of farmers which includes 30% financial contribution in physical improvement was proposed (ICEF, 2003).

***Associate Professor (Soil and Water Engineering), College of Agriculture, GanjBasoda (M.P.) INDIA**

- In year 2004-05, Madhya Pradesh Water Sector Restructuring Project was started for modernization and rehabilitation of deteriorated schemes funded by the World Bank for Rs 1919 crores which includes special programme for Capacity Building of Water Users Associations (ESA, 2004).
- MP-Farmer Participation in Irrigation Management (MPFPIM) Act came into force since 1999 and under this act the structure of participatory model is as below:
- The WUAs are constituted over a population of 100-1000 water users. WUA has a general body including farmer and wives of male farmers who are members of the general body of the WUAs.
- It is important to distinguish between the member of the WUA general body including in particular women members and a member of the Management Committee (MC) of the WUA.
- The demographic area covered by a WUA will be a hydrological boundary' ranging from 100 to 2000 Ha.
- The number and the boundary of a WUA are notified by the District Collector in accordance with the President and Territorial Constituency members (ranging from 4 to 10) depending on the WUA.
- The medium irrigation schemes have a two tier system in which WUA are involved with Project Committees.
- In the major irrigation schemes, WUAs are involved with a three tier committee consisting of Distibutory Committees and Project Committees (PC).
- A State level Apex Committee headed by the Minister of WRD consists of representatives of Project Committees across the State.
- All these committees and WUA Management Committees work in partnership and share different responsibilities.
- The WUAs are expected to work in close partnership with other stakeholders like WRD, Agriculture and other relevant line departments with Panchayati Raj Institutions (PRIs), for financial and other help.
- WUA are involved in identifying and pin pointing the problems and deficiencies in physical system of canal in joint walkthrough process. Their suggestions are taken for understanding background of the problems and its remedies.

Methodology and study area - This study was undertaken in the command area of Samrat Ashok Sagar Project, Vidisha. Samrat Ashok Sagar Irrigation Project is a major irrigation project constructed on the river Halali near Bhopal, Command area of the project lies between Longitude 77 33' E and Latitude 23 13' N at an altitude of 426m. The command is spread in parts of Vidisha and Raisen district, Catchment area of the project is 699 square kilometer. Area receives an avg. annual rainfall of 1108 mm. The reservoir capacity at FTL is 252.13 M cum. It has a dead storage capacity of 25.90 M cum. Project has a main canal of 3.24 km further it is divided in left bank canal of 1.716km and Right bank canal of 2.

This project is working since long and 2011 and like entire state, in SAS project also WUA are constituted. There are 15 WUA in Vidisha district and 4 WUA in Raisen district. Thus total nineteen WUAs are in operation. Details of them are given in table 1.As stated earlier the members are elected by direct election in every five years.

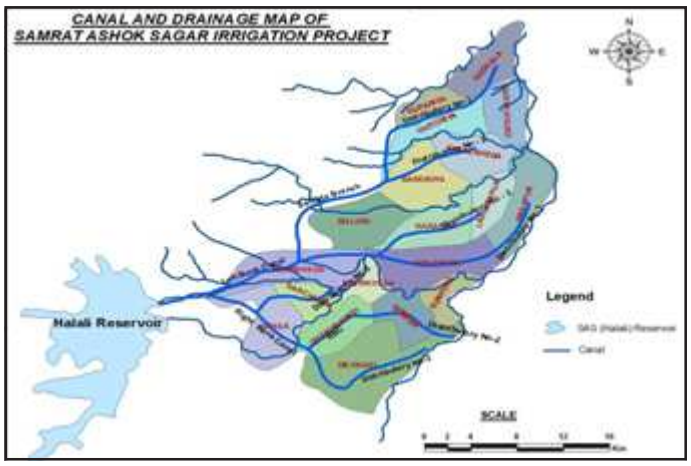

Fig.1 Command area of Samrat Ashok Sagar Project

Fig.2 Lifting water from canal

Table 1 (see in next page)

In order to find out their performance this study has been undertaken. A recconnainences survey of the entire project was conducted to acquaint with the irrigators and irrigation scenario of the project. To understand the working of WUA, all the associations were contacted. Information was collected from the members through a questionnaire by personal interview

Table 2 (see in last page)

Results and Discussion - This study is aimed to know role of WUAs. Irrigation under each association I given in table 2. This is agriculture dominating area people live the agriculture and try to make sure availability of all the inputs in time. This tendency of farmers resulted in lifting water directly from canal which has become a tool to bring more area under irrigation. Earlier pumping from canal was not permitted ,but from Feb 2012 Govt. of MadhyaPradesh allowed this by notifying in Rajpatra. The results can be clearly seen from table 2. Near about 25% area is being

irrigated by pumping which was un irrigated. The farmers pumping water are liable to pay full water charges with no extra expenditure on supply system. Besides this an area of 4600 ha of submergence could also be brought under irrigation.

Canal is normally operated at full supply discharge, which provides scope for wastage of water. Gates of minors are damaged, thus there is no means to control, their discharges. The canal section gets blocked, consequently reducing the discharging capacity of canal. The canal system has been deteriorated. Farmers have a tendency to rise the canal water level, by heading up, thus down- stream canal section gets less wate.. Three tiers WUA are active in the project but Revenue collection is low ,it is about 50%.Water allocated for Kharif use remains unutilized.

Preliminary studies were conducted on two distributaries namely D-1 and D-4.It was found that conveyance efficiency is 72% in distributaries and 56% in minors. All the minors are unlined (Kachcha) and heavy seepage is observed. It is clear that farmers irrigate through flooding only. It was Amazing to know that farmers are not ready to use sprinkler and drip irrigation though they are lifting water from canal. As they believe that these two methods do not provide sufficient water to the crops. To break this myth field trials of sprinkler and drip irrigation methods in the command area should be conducted.

Following interesting facts are found

a) General body meeting of the WUA does not takeplace.
b) There is no office provided for WUA.
c) WUA office bearers have no training about operation and maintenance of canal system/official working
d) They are not acquainted with their duties and rights.
e) Sub-Engineer of concerned minor ,who is ex-offico Secretary of the WUA is a technical person while the elected members are from public and not necessary technically qualified.This situation affects the working in some cases.

Conclusion - Water Users Associations are doing well there are certain lapses which require attention of scientific community, administration and society. Introduction of irrigation methods ,increasing revenue collection, strengthening and capacity building of WUAs seems to be the priority area of work.

Reference :-

1. Personal research.

Table 1 : Details of WUAs in Samrat Ashok Sagar Project

S.	District	Name of the WUA	Name of the Canal	CCA (ha) -	No of beneficieries		Total	No of WUA members
					Male	Female		
1	Vidisha	Khamheda	LBC	2648	1142	952	2094	10
2		Bilori	SBC	2009	801	526	1327	8
3		Bamuria	D-1 SBC	1975	867	760	1627	8
4		Sankalkheda	D1-SBC	1803	771	661	1432	8
5		Kararia	D-2 LBC	2028	978	945	1923	8
6		Lashkpur	D-2 LBC	1294	584	474	1058	4
7		Jivajipur	D-3 LBC	2134	931	1018	1949	8
8		Kshirkheda	D- LBC	1483	867	889	1756	6
9		Chitoria	D-4 SBC	1557	598	478	1076	6
10		Duparia	D-4 SBC	1117	562	408	970	4
11		Gadhla	D-4 SBC	940	790	439	351	4
12		Andiya	D-4 SBC	1675	786	660	1446	6
13		Neemkheda	LM-6 RBC	440	224	156	380	4
14		Sayar	RBC	1250	837	743	1580	6
15		Sunpura	D-2 RBC	1000	429	510	939	4
16	Raisen	Sarchampa	D-1,RBC	787	490	465	955	4
17		Medhki	D-3,RBC	1735	598	490	1088	4
18		Ucher	RBC	789	469	464	988	4
19		DhaniyaKhedi	RBC	1260	474	488	962	4

Table 2 Irrigation denials of each Water Users Association

S.	District	Name of the WUA	Name of the Canal	CCA (ha) -	Actual Irrigation Year (ha)		Total	Percentage of pumped area to total area
					Canal	Pump		
1	Vidisha	Khamheda	LBC	2648	2648	475	3123	15.20
2		Bilori	SBC	2009	2009	1026	3035	33.80
3		Bamuria	D-1 SBC	1975	1975	210	2185	9.61
4		Sankalkheda	D1-SBC	1803	1803	332	2135	15.55
5		Kararia	D-2 LBC	2028	1995	525	2520	20.83
6		Lashkpur	D-2 LBC	1294	1240	130	1370	9.48
7		Jivajipur	D-3 LBC	2134	1897	845	2742	30.81
8		Kshirkheda	D- LBC	1483	1407	643	2050	31.36
9		Chitoria	D-4 SBC	1557	1557	329	1886	17.44
10		Duparia	D-4 SBC	1117	1258	592	1850	32.00
11		Gadhla	D-4 SBC	940	948	162	1110	14.50
12		Andiya	D-4 SBC	1675	1675	155	1830	8.47
13		Neemkheda	LM-6 RBC	440	399	285	684	41.66
14		Sayar	RBC	1250	1215	680	1895	35.88
15		Sunpura	D-2 RBC	1000	271	295	566	52.12
16	Total			**23353**	**22297**	**6684**	**28981**	**23.06**
17	Vidisha	Pipalkheda Disty		2400	2244	450	2694	16.71
18	Vidisha	Barroh Minor Irr.		1968	0	1050	1050	100
19	Total Vidisha			**27721**	**24541**	**8184**	**32725**	**25.00**
20	Raisen	Sarchampa	D-1,RBC	787	910	177	1087	16.28
21		Medhki	D-3,RBC	1735	556	452	1008	44.85
22		Ucher	RBC	789	717	687	1404	48.93
23		DhaniyaKhedi	RBC	1260	1161	662	1823	36.31
24	Total Raisen			4571	3344	1978	5322	37.17
25	**Total Vidisha+ Raisen**			**32232**	**27885**	**10162**	**38047**	**26.71**
26	Submerg Khoa				0	3190	3190	100
27	Submer Salpur				0	1410	1410	100
28	Total Submerg				0	4600	4600	100
29	**Grand Total**				**27885**	**14762**	**42647**	**34. 35**

****

Practicability of Gandhian Economics in Modern Era of Economic Development

Dr. Pushpanjali Arya* **Dr. Ashok Kumar****

Introduction - The urge of economic development has become essential in developed and underdeveloped economies .The developed economies undertake developmental programmes to maintain their rate of economic growth so as to enjoy still higher standards of living and avoid risk of cyclical fluctuations while the underdeveloped economies emphasize on economic development not only for solving their basic problems of unemployment and poverty but also to touch the level of economic progress which has already been achieved by the rich countries. But economic development whether in developed or underdeveloped countries has resulted in negative impact on various ecosystems existing in nature. A rise in demand for goods and increase in their production has brought about over exploitation of natural resources. Industries produce goods through the use of raw materials,energy resources, technologies and various facilities such as transport, communication .Industries thus generate waste substances which are released into the environment causing damage to the environment. Human beings consume various goods and resources and generate different types of wastes which lead to environmental pollution. Today economic development has resulted in deforestation,degradation of soil,desertification, increased pressure on land causing radical changes in the industrial sector, agricultural sector and human society .The changes witnessed in the human society are related to likes, tastes, and way of living and level of consumption.

Here an attempt has been made to study some of the ideas of Gandhian economics and the practical applicability of Gandhi an economics in the modern era of economic development.Gandhi was a great economist thinker but not like the one who uses time- worn, stereotyped words and phrases or even methods and theories. His writings were the layman's language and ideas often reflected deep emotions and sentiments.The paper is based on the information derived from secondary sources which includes books, papers,journals etc.

Main Ideas Of Gandhian Economics - Gandhiji'seconomic ideas are found scattered all over his writings and speeches. To him, economics was a part of way of life and hence his economic ideas are a part of general philosophy of life. One has to interpret Gandhiji's economic ideas and build up what may be described as 'Gandhian Economic Thought' from what he did and said in this connection. Gandhiji's Economic Ideas include:

1. Economics a Moral Science:Gandhiji regarded economics as moral science while the western thinkers regarded economics as positive science.
2. Non-violence:Gandhian economics is the economics of non- violence .It is the soul of Gandhian Philosophy.He believed that violence in any form breeds violence .In Gandhian economics non-violence means
   a) Absence of capitalism
   b) Decentralisation of production units
   c) Less inequality of income
   d) Self sufficiency
3. Simplicity:Simplicity marks Gandhian economics .According to him modern civilisation attaches more importance to material welfare but the real happiness is a mental condition and simplicity is the only way to attain eternal happiness.
4. Dignity of labour:The dignity of labour is an important idea of Gandhian economics.He believed physical labour is superior to all labours and every individual must perform physical labour. For Gandhiji eight hours sleep,eight hours work and eight hours leisure for social and cultural activities is the ideal distribution of time.
5. Human Values:Gandhiji emphasised on moral and human values. He regarded economics and ethics inseparable .The value of an industry should be judged by its effect on the body and soul of the people employed by it.
6. Decentralisation:Gandhiji opposed centralised economy and advocated decentralised economy i.e. production at a large number of places in small scale. Gandhiji wanted the production by the masses and not the mass production.

*Assistant Professor (Economics) Government P.G. College, Kotdwara Garhwal (U.K.) INDIA
** Assistant Professor (Economics) Government Degree College, Devprayag (U.K.) INDIA

His aim was to revive the ancient village community with their prosperous agriculture, decentralised industry and small scale co-operative organisations.

7. Evils of Mechanisation and Industrialisation:Gandhiji was a sharp critic of large scale industrialisation and was opposed to machinery. He believed that industrialisation leads to socio-economic evils. It is based on capacity to exploit and to find new markets for goods. Gandhiji was opposed to the indiscriminate use of machinery. His views on machines changed with and circumstances. Initially, he was against the use of machines and machinery to him was a 'Great Sin'. ForGandhiji , machine is an indication of modern world , which is evil. The mechanical devices lead to drudgery and monotony. But in later age of his life his views on machines changed and he accepted the use of machines to some extent. The machines which does not devoid a worker of his labour but helps him to increasehis working capacity is always favoured.

8. Cottage and Small Scale Industries: Gandhiji proposed the cottage and small scale industries to solve the problems of unemployment and economic inequalities in distribution .It enables the village to become self sufficient.These industries increase their income and satisfy their basic needs.

9. Village Swaraj: Gandhiji favoured village economy,an economy in which every village would be developed into 'Small Republic Village' which are self-sufficient and self-dependent .Village Swaraj was his ideal.

Gandhian Economics In Modern Era Of Economic Development - Gandhian economic philosophy is becoming increasingly relevant to the World as well as India today particularly the third world countries. If 19th Century belongs to Ruskin, 20th Century to Huxley, then 21st Century belongs to Gandhi. He is the millennium man. Gandhianeconomic philosophy is the road to prosperity for social justice and balanced growth. It is the panacea for all the social and economic problems arising in the recent years from growing violence, wars, poverty, unemployment etc.

1. The thought, philosophy and the message of Gandhiji are very much relevant today. They alone can save the press button civilization from disastrous future. Basic values of life, honesty, truth, simplicity, sacrifice are fast dwindling and are being replaced by selfish,dishonest, deceitful tendencies. Technologies of mass destruction are being developed, and no laws, contracts, treaties are able to bring peace and harmony.Gandhian principle of truth,nonviolence,simplicity provides a ray of hope to restore peace. Non violence which reflects truth and foster spirituality ofmind, body and soul can change the heart of the adversary.

2. Today the rapid economic development has resulted in the increase in desires, wants and acquiring material wealth at the cost of human values. Gandhiji's idea of, "Simple living and high thinking" paves the way in the reduction of wants. He was correct to say that the real progress of civilization consists in the voluntary reduction of wants and leading a simplelife. 'Every man must perform physical labour and earn his live hood'. His idea of bread labour reflects the simplicity and dignity of human labour.

3. In the past economic development meant an increase in National Income (NI) over a long period of time.Later, economic development came to be associated with Economic Welfare .Today, we are talking of Sustainable Development. A development in which there is space for the survival of the present generation without destroying the survival of the future generation. We are heading for a growth in an eco- friendly manner. Why such a shift? Merely because we have realized that material progress is no progress and rapid economic development has resulted in adverse impact on the environment. Why are we slowing the clock of human progress? Gandhiji was correct to say that nature has enough to satisfy everyone's need butnot enough to satisfy man's greed. Sadly, over expanding wants and rapid economic development has put the environment in terrible situations.

4. Today, the heavy industries have resulted in environmental degradation by emitting dangerous gases and problem of unemployment by adopting machines/advanced technologies. Even the rapid economic development has aggravated these problems. Gandhiji was correct to advocate decentralization of production units. He stressed the need for improvement and establishment of cottage industries, which provides a ray of hope to humanity to curtail the evil effect of pollution and unemployment.In an ideal social order based on village economy, environmental pollution and unemployment will not be a problem.

5. Gandhiji was against capitalism as it leads to concentration of power in the hands of few and exploits labour. Few ride on the back of many. Today, fast growing crony capitalism has led to the corruption, tax evasion and corrupts the public serving political and economic ideals favouring one set of business owners. These powerful people form hubs and leads to concentration of power in small interlocking groups. Gandhian doctrine of trusteeship may make the way out of this problem.

6. Gandhijilaid emphasis on agricultureand small scale industries as they are vital for economic development particularly the third world countries. He correctly realized that in such economy reorganizations and revitalization of agriculture is a prerequisite tohealthyeconomic development.

7. Rapid economic development resulted in competition but Gandhi emphasized that cooperation rather than competition is more fruitful. For reconstruction of village economy "swaraj" is the pillar of economicdevelopment.

Conclusion - Gandhiji emerged more as an economic reformer than an economic thinker .He realised that social input are essential for healthy economic development.His ideas on nonviolence,decentralisation ,village swarajare more relevant today. Gandhism is not the past it is the future of every economy. Gandhism is very much relevant today. Practice of Gandhism alone may save the civilization from adverse impact of economic development .He thought for his own generation as well as for those which are still

tocome.We may conclude with the words of Louis Fisher, a great admirer of Gandhi, If man is to survive ,if civilization is to survive and flower in freedom, truth and decency,the remainder of the twentieth century and what lies beyond must belong not to Lenin or Trotsky, not to Marx or Mao or Ho orChe but to Mahatma Gandhi.

References:-

1. Agarwal,R.C.,(2011), "ECONOMICS OF DEVELOPMENT AND PLANNING",Lakshmi Narayan Agarwal, Agra.Pg.1,2,8
2. Bhattacharya, G.N. and Sachdeva,A.N., (1994), "HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT", Prakashan Kendra, Lucknow,Pg.390 to 397.
3. Hajela, T.N., (1994) "HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT",15th Revised Edition, Konark Publishers Pvt.Ltd., Delhi,Pg. 641 to 648.
4. Lokanathan,V., (1995), "HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT", S.Chand and Co. Ltd.,New Delhi,Pg.281 to 290.
5. Paul, R.R. (1979), "HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT",Kalyani Publishers, New Delhi.
6. Pant,J.C. and Seth,M.L.,(1999), "ARTHIK VICHARO KA ITIHAS", Lakshmi Narayan Agarwal, Agra,Pg. 441,442.
7. Verma, R.K. and Verma, S. K.,(2002), "ARTHIK VICHARO KA ITIHAS", Radha Publications.

****